बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India BOI

संदर्भ क्र. **Ref. No.:** HO:IRC:SVM:2024-25:109 दिनांक **Date:** 03.06.2024

| **Scrip Code: BANKINDIA** | **Scrip Code : 532149** |
|---|---|
| The Vice President – Listing Department,<br>National Stock Exchange of India Ltd.,<br>Exchange Plaza,<br>Bandra Kurla Complex, Bandra East,<br>Mumbai 400 051. | The Vice-President – Listing Department,<br>BSE Ltd.,<br>25, P.J. Towers, Dalal Street,<br>Mumbai 400 001. |

Dear Sir / Madam,

**Sub: Annual Report of the Bank for the year 2023-24**

Pursuant to Regulation 34 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report (including Notice of 28th Annual General Meeting) of the Bank for the year 2023-24.

The Annual Report of the Bank for the year 2023-24 is also available on the Bank's website www.bankofindia.co.in.

We request you to take the same on record.

भवदीय Yours faithfully,

RAJESH VENKATA RAJ UPADHYA

Digitally signed by: RAJESH VENKATARAJ UPADHYA
DN: CN = RAJESH VENKATARAJ UPADHYA C = IN O = AADPU0825G OU = DGM AND COMPANY SECRETARY
Date: 2024.06.03 19:15:26 +06'30'

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र. का. H.O. निवेशक संबंध विभाग Investor Relations Dept.

(Rajesh V Upadhya)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: As above.

प्रधान कार्यालय: निवेशक संबंध विभाग, स्टार हाउस-I, आठवीं मंजिल, सी-5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
Head Office: Investor Relations Cell, Star House - I, 8th Floor, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Ph.: (022) 6668 4490 : Fax: (022) 6668 4491 Email: headoffice.share@bankofindia.co.in

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

BOI

# उन्नत ग्राहक अनुभव के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करना

# Achieving Goals Through Enhanced Customer Experience

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2023-24

A Glorious 118 Years Of Unwavering Faith

**Bank of India**

*Relationship beyond banking*

# निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री वी.वी शेनॉय, श्री मुनीश कुमार रल्हन, श्री पी.आर राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक), डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, श्री रजनीश कर्नाटक (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ), श्री एम.आर कुमार, (अध्यक्ष), श्रीमती वेणी थापर, श्री अशोक नारायण, श्री एम कार्तिकेयन (कार्यपालक निदेशक), श्री सुब्रत कुमार (कार्यपालक निदेशक), श्री राजीव मिश्रा (कार्यपालक निदेशक) (बायें से दायें )

Shri V V Shenoy, Shri Munish Kumar Ralhan, Shri P R Rajagopal (Executive Director), Dr. Bhushan Kumar Sinha, Shri Rajneesh Karnatak (MD & CEO), Shri M R Kumar, (Chairman), Smt. Veni Thapar, Shri Ashok Narain, Shri M Karthikeyan (Executive Director), Shri Subrat Kumar (Executive Director), Shri Rajiv Mishra (Executive Director) (From left to right)

**बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India**

**(भारत सरकार का उपक्रम),**
(A Government of India undertaking),

**प्रधान कार्यालय:**
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
ई-मेल : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
E-mail : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

| महत्वपूर्ण सूचनाएँ | | Important Information | |
|---|---|---|---|
| लाभांश के भुगतान और ई वोटिंग तथा वीसी के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने के लिए रिकॉर्ड तिथि। | 18.06.2024 | Record Date for payment of dividend and E-voting and to participate in AGM through VC | 18.06.2024 |
| लेखाबंदी तिथि (दोनों दिन शामिल) | 19.06.2024 से 25.06.2024 | Book Closure dates (both days inclusive) | 19.06.2024 to 25.06.2024 |
| रिमोट ई-वोटिंग | प्रारंभ - 20 जून 2024 (सुबह 9.00 बजे) समापन - 24 जून 2024 (शाम 5.00 बजे) | Remote E-voting | Start - 20th June 2024 (9.00 AM) End – 24th June 2024 (5.00 PM) |
| 28वीं वार्षिक आम बैठक | 25 जून, 2024 प्रात: 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से | 28th Annual General Meeting | 25th June, 2024 at 11.00 am through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) |

# विषय सूची

# Contents

## अवलोकन Overview

2 सांविधिक लेखा परीक्षक
2 महाप्रबंधक
3 अध्यक्ष का वक्तव्य
5 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का वक्तव्य

2 Statutory Auditors
2 General Managers
3 Chairman's Statement
5 Managing Director & CEO's Statement

## सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

10 निदेशक रिपोर्ट
16 ईएसजी प्रभाव आकलन रिपोर्ट
66 प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण
110 व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट
111 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
112 कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट
152 निदेशकों की गैर - अयोग्यता प्रमाणपत्र
154 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट (फार्म MR-3)
159 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
159 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
160 सत्यनिष्ठा संधि
335 बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन
336 वार्षिक आम बैठक की सूचना
355 हरित पहल

13 Directors' Report
41. ESG Impact Assessment Report
90 Management Discussion & Analysis
110 Business Responsibility & Sustainability Report
111 Corporate Social Responsibility Report
132 Corporate Governance Report
152 Certificate of Non-disqualification of Directors
154 Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
159 CEO/CFO Certificate
159 Declaration by CEO
160 Integrity Pact
335 Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
336 Notice of Annual General Meeting
355 Green Initiative

## वित्तीय विवरण Financial Statements

161 तुलनपत्र
163 लाभ एवं हानि खाता
164 नकदी प्रवाह विवरण
173 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
186 खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियां
250 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
265 समेकित वित्तीय विवरण
277 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ - समेकित
303 खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियां- समेकित
323 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट- समेकित

161 Balance Sheet
163 Profit & Loss Account
164 Cash Flow Statement
173 Significant Accounting Policies
219 Notes Forming Part of Accounts
258 Independent Auditor's Report
265 Consolidated Financial Statements
277 Significant Accounting Policies - Consolidated
313 Notes Forming Part of Accounts - Consolidated
329 Independent Auditor's Report - Consolidated

## सांविधिक लेखा परीक्षक
## Statutory Auditors

| | |
|---|---|
| मुकुंद एम चितले एवं कंपनी, सनदी लेखाकार | Mukund M Chitale & Co., Chartered Accountants |
| एस. जयकिशन , सनदी लेखाकार | S. Jaykishan, Chartered Accountants |
| ए. बाफना एवं कंपनी, सनदी लेखाकार | A. Bafna & Co , Chartered Accountants |
| एससीवी एवं कंपनी एलएलपी, सनदी लेखाकार | SCV & Co. LLP, Chartered Accountants |

## मुख्य सतर्कता अधिकारी (यथा 31.03.2024)
## Chief Vigilance Officer (As on 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| विष्णु कुमार गुप्ता | VISHNU KUMAR GUPTA |

## मुख्य महाप्रबंधक (यथा 31.03.2024)
## Chief General Managers (As on 31.03.2024)

| | |
|---|---|
| अभिजीत बोस | ABHIJIT BOSE |
| अशोक कुमार पाठक | ASHOK KUMAR PATHAK |
| सुधीरंजन पाढ़ी | SUDHIRANJAN PADHI |
| प्रफुल्ल कुमार गिरी, सी. सी. ओ. | PRAFULLA KUMAR GIRI, C.C.O. |
| पिनपाला हरि किशन, सी. आर. ओ. | PINAPALA HARI KISHAN, C.R.O. |
| शारदा भूषण राय | SHARDA BHUSHAN RAI |
| नितिन गोविंदराव देशपांडे | NITIN GOVINDRAO DESHPANDE |
| ज्ञानेश्वर जगन्नाथ प्रसाद | GYANESHWAR JAGANNATH PRASAD |
| राजेश सदाशिव इंगळे | RAJESH SADASHIV INGLE |
| प्रशांत थपलियाल | PRASHANT THAPLIYAL |

## महाप्रबंधक (यथा 31.03.2024)
## General Managers (As on 31.03.2024)

| | | | |
|---|---|---|---|
| राजेश कुमार राम | RAJESH KUMAR RAM | शंकर सेन | SANKAR SEN |
| सुनील शर्मा | SUNIL SHARMA | सत्येंद्र सिंह | SATYENDRA SINGH |
| धर्मवीर सिंह शेखावत | DHARMVEER SINGH SHEKHAWAT | संजीव सरकार | SANJIB SARKAR |
| लोकेश कृष्णा | LOKESH KRISHNA | पुष्पा चौधरी | PUSHPA CHAUDHARY |
| कुलदीप जिंदल | KULDEEP JINDAL | धनंजय कुमार | DHANANJAY KUMAR |
| वेंकटाचलम आनंद | VENKATACHALAM ANAND | नकुल बेहेरा | NAKULA BEHERA |
| विश्वजीत सिंह | VISHWAJEET SINGH | अनिल कुमार वर्मा | ANIL KUMAR VERMA |
| राघवेंद्र कुमार | RAGHVENDRA KUMAR | मनोज कुमार | MANOJ KUMAR |
| उद्दालक भट्टाचार्य | UDDALOK BHATTACHARYA | अंजलि भटनागर | ANJALI BHATNAGAR |
| प्रमोद कुमार द्विवेदी | PRAMOD KUMAR DWIBEDI | रमेश चंद्र बेहेरा | RAMESH CHANDRA BEHERA |
| अमिताभ बनर्जी | AMITABH BANERJEE | सुवेन्दु कुमार बेहेरा | SUVENDU KUMAR BEHERA |
| राधा कांता होता | RADHA KANTA HOTA | रजनीश भारद्वाज | RAJNISH BHARDWAJ |
| बी कुमार, सी.एफ.ओ | B KUMAR, C.F.O. | मुकेश शर्मा | MUKESH SHARMA |
| गीता नागराजन | GEETHA NAGARAJAN | विजय माधवराव परळीकर | VIJAY MADHAVRAO PARLIKAR |
| शशिधरन मंगलमकत | SASIDHARAN MANGALAMKAT | संतोष एस | SANTOSH S |
| विलास रामदासजी पराते | VILAS RAMDASJI PARATE | प्रशांत कुमार सिंह | PRASHANT KUMAR SINGH |
| विश्वजीत मिश्र | BISWAJIT MISHRA | विकास कृष्णा | VIKASH KRISHNA |
| विवेकानंद दुबे | VIVEKANAND DUBEY | शम्पा सुधीर विश्वास | SHAMPA SUDHIR BISWAS |
| संजय राम श्रीवास्तव | SANJAY RAMA SRIVASTAVA | सौन्दर्य भूषण साहनी | SOUNDARJYA BHUSAN SAHANI |
| मनोज कुमार सिंह | MANOJ KUMAR SINGH | दीपक कुमार गुप्ता | DEEPAK KUMAR GUPTA |
| वासु देव | VASU DEV | चंद्र मोहन कुमरा | CHANDER MOHAN KUMRA |
| सुब्रत कुमार रॉय | SUBRATA KUMAR ROY | सुधाकर एस. पसुमर्ति | SUDHAKAR S. PASUMARTHY |

# अध्यक्ष का वक्तव्य
# Chairman's Statement

प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. वर्ष 2023-24 का आरंभ, मजबूत घरेलू मांग और बेहतर मैक्रोइकॉनोमिक स्थिति के दम पर घरेलू आर्थिक गतिविधि की मजबूत वापसी के साथ हुआ। भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, लाल सागर में संकट, चीन में विफल होती रिकवरी और उत्पादकता में कमजोर वृद्धि के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मजबूत वापसी की है। नतीजतन, मौद्रिक नीति को कड़ा करना केंद्रीय बैंकों का रुख रहा है तथा विकास के साथ मुद्रास्फीति को संबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहा है।

2. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि के मामले में अपवाद रही है, जिसमें मजबूत आर्थिक गतिविधि द्वारा 7.6% जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने के कारण रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का रुख कोर मुद्रास्फीति को कम रखने और अकॉमोडेशन को वापस लेने की ओर बना हुआ है।

3. आरबीआई के रुख के परिणामस्वरूप सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी, बाजार की परिस्थितियों में बदलाव ने आपके बैंक सहित सभी बैंकों की जमा दरों पर दबाव डाला। कोविड के बाद क्रेडिट की मांग के सामान्य स्थिति में लौटने के मद्देनजर, बैंकों के लिए खुदरा और कॉरपोरेट आस्तियों में मजबूत वृद्धि देखी गई है।

4. 2023-24 में जोखिम, एश्योरेंस, अनुपालन और आईटी में आरबीआई की ओर से बढ़ी हुई विनियामकीय निगरानी भी देखी गई। विनियामक ने लगातार गैर-अनुपालन के लिए कुछ संस्थाओं पर अपने अधिकारों का प्रयोग किया और उनके व्यवसायों को मर्यादित किया। यह माना जा रहा है कि आरबीआई ने स्थिरता बनाए रखने और जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. The year 2023-24 started with domestic economic activity remaining resilient on the back of strong domestic demand and improved macroeconomic fundamentals. Global economy has been resilient despite ongoing geopolitical tension, supply chain disruptions, red sea crisis, failing recovery in China and weak growth in productivity. As a result, monetary policy tightening had been the stance of central banks which continued with focus on aligning inflation with growth.

2. Amidst global uncertainties, Indian economy has been an exception in terms of growth with GDP estimated at 7.6% underscored by strong economic activity. However, with inflation continuing to be at elevated levels, Reserve Bank's monetary policy stance continues to be towards keeping the core inflation muted and withdrawal of accommodation.

3. Liquidity tightening in the system as a consequence of RBI stance, change in market dynamics put pressure on deposit rates of the banks including Your Bank. On the asset side, in view of credit appetite returning to normalcy post Covid, retail and corporate assets have witnessed robust growth for banks.

4. 2023-24 also brought enhanced regulatory oversight from RBI in Risk, Assurance, Compliance and IT. Regulator even exercised powers and restricted businesses of certain entities for persistent non compliance. There is acknowledgement that RBI played crucial role in maintaining stability and underscoring focus on Risk management.

5. भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ईज़ सुधारों को जारी रखते हुए ईज़ 6.0 शुरू किया है जिसके अंतर्गत डिजिटल रूप से सक्षम ग्राहक सेवा, डिजिटल और एनालिटिक्स-संचालित व्यवसाय सुधार, तकनीक और डेटा द्वारा क्षमता निर्माण और स्टाफ के विकास तथा मानव संसाधन संचालन को बढ़ाने आदि के माध्यम से सेवा में उत्कृष्टता के लिए विषयगत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है और बैंक द्वारा इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, आपके बैंक में 3 वर्षीय व्यवसाय रोडमैप भी तैयार किया गया है और उसे कार्यान्वित किया गया है।

6. नई-नई प्रौद्योगिकी के कारण वित्तीय सेवा व्यवसाय में प्रतिमान बदले हैं। बैंकिंग क्षेत्र अपनी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और बड़े पैमाने पर ग्राहकों की प्राथमिकताओं में बदलाव से प्रभावित हुआ है। आपके बैंक ने भी इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बदलाव का हिस्सा बनेंगे।

7. बैंक के लक्ष्यों में आज ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन), पर्यावरणीय जोखिम को दूर करने हेतु नवाचारों को बढ़ावा देना, विनियमों का अनुपालन करना, निवेशकों और हितधारकों की मांगों को पूरा करना, प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करना और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है। इस संबंध में आपका बैंक हितधारकों के साथ बातचीत कर रहा है और इस पर चर्चा शुरू कर दी गई है।

8. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके बैंक ने अपने लाभ को बढ़ाया है और पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है। आस्ति गुणवत्ता एवं सीआरएआर में सुधार हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में 1,439 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 6,318 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। इसके अलावा बैंक द्वारा की जा रही विभिन्न डिजिटल पहलों के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बेहतर ग्राहक अनुभव के माध्यम से विकास की गति को तेज किया जाएगा।

सधन्यवाद

**एम.आर.कुमार**
अध्यक्ष

5. Govt. of India, in continuation of the EASE reforms in public sector banks, rolled out EASE 6.0 where under thematic approach to excellence in service through digitally enabled customer service, Digital and analytics-driven business improvement, Tech & data enabled capability building and developing people & enhancing HR operations etc., are conceived and driven by bank. Further 3 year business roadmap has also been formulated and executed in Your Bank.

6. There has been paradigm shift in Financial services business due to disruptive technology. The banking sector is at an inflection point in its journey driven by emergent technologies like Artificial Intelligence, Machine learning and data analytics and change in customer's preferences on large scale. Your bank has taken steps to ride the wave and we will proudly be part of change.

7. Bank's goals today encompasses ESG(Environment, Social and Governance) environment risk driving innovations, complying with regulations, meeting investor and stakeholder demands, achieving competitive advantage and ensuring long term financial sustainability. In that regard Your Bank is engaging with stakeholders and discussion around the same is initiated.

8. During FY 2023-24, Your Bank has strengthened its bottom line and is adequately capitalized. There has been improvement in asset quality, CRAR and above all, the Bank has posted a net profit of Rs.1,439 crore in Q4 FY 2023-24 and Rs.6,318 crore for FY 2023-24. Further, with various digital initiatives being undertaken by the Bank, the growth momentum will be accelerated through enhanced customer experience during FY 2024-25.

Thank you

**M.R.Kumar**
Chairman

# प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का वक्तव्य
# Managing Director & CEO's Statement

**प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,**

1. मुझे बैंक की 28वीं वार्षिक आम बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सभी के निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

2. वर्ष 2023-24 के दौरान भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और व्यापक आर्थिक चुनौतियों के बीच वैश्विक आर्थिक विकास परिदृश्य में धीरे-धीरे पुनरुत्थान देखा गया। यद्यपि विकास की गति धीमी और असमान थी, लेकिन घटती हुई मुद्रास्फीति और दूर होती मंदी की स्थितियों के साथ जोखिम धारणाएँ कम हो गई हैं। आईएमएफ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यह अनुमान है कि वैश्विक विकास परिदृश्य 2024 और 2025 के दौरान 3.2% रहेगा। अब से पाँच वर्षों के बाद वैश्विक विकास का पूर्वानुमान 3.1% है जो दशकों में अपने सबसे कम स्तर पर है।

3. वर्तमान परिदृश्य में, दुनिया भर में केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई मौद्रिक नीति सख्त हो गई है। भू-राजनीतिक अस्थिरता की मौजूदा स्थिति में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के साथ-साथ विकास की गति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

4. भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन वैश्विक चुनौतियों का सामना किया और अपेक्षाकृत स्थिर आर्थिक मार्ग बनाए रखते हुए आशावाद की किरण के रूप में उभरी। मजबूत घरेलू मांग और मजबूत आर्थिक प्रदर्शन की मदद से 7% से अधिक की वास्तविक जीडीपी वृद्धि प्राप्त कर भारत लगातार तीसरे वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया। इसके अलावा, खुदरा मुद्रास्फीति में भी वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो कोविड 19 महामारी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई।

**Dear Shareholders & Stakeholders,**

1. It gives me immense pleasure to present before you the Annual Report of Your Bank for the Financial Year ended March 31,2024 in the 28th Annual General Meeting of the Bank. I extend my gratitude to each one of you for your continued support.

2. The global economic growth landscape witnessed gradual resurgence during the year 2023-24 amidst prevailing geopolitical uncertainties and macroeconomic challenges. Though the pace of expansion was low and uneven but risk perceptions have softened with declining headline inflation and recessionary conditions. Global growth outlook, as per IMF latest report, is estimated at 3.2% during 2024 and 2025. The forecast for global growth five years from now at 3.1% is at its lowest in decades.

3. In the present scenario, monetary policy tightening followed by the central bank across the globe came to a halt. The focus is on sustaining growth momentum with an eye on controlling inflation in the prevailing situation of geopolitical instability.

4. Indian economy navigated these global challenges and emerged as a beacon of optimism maintaining a relatively stable economic trajectory. By clogging 7% plus real GDP growth, India became fastest growing major economy of the world in 2023-24 for the third consecutive year backed by strong domestic demand and robust economic performance. Moreover, retail inflation also witnessed a significant decline in FY 2023-24 reaching its lowest level since the covid 19 pandemic.

5. पर्याप्त पूंजी, बढ़ती लाभप्रदता और बेहतर आस्ति गुणवत्ता के साथ बैंकिंग क्षेत्र बहुत अधिक मजबूत हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुल सकल एनपीए अनुपात 4% से नीचे आ गया है। बैंकिंग प्रणाली ऋण में 20.2% की उच्च ऋण वृद्धि दर्ज की गई, जबकि जमाराशि में 13.5% की वृद्धि हुई। इसलिए बैंकों के लिए ऋण वृद्धि को निधि देने के लिए जमाराशि जुटाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

6. आरबीआई ने मुद्रास्फीति को स्थिर रखने के लिए महंगाई को दूर करने वाली मौद्रिक नीति जारी रखी और अप्रैल 2022 की 250 बीपीएस की वृद्धि के बाद सातवीं बार नीतिगत दरों को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा गया। साथ ही, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ समावेशी विकास और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की घोषणा की गई जैसे कि रूफटॉप सोलराइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना, ई-वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त कवरेज, एसएचजी के साथ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना, नीली क्रांति के लिए आवंटन में वृद्धि, पीएम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज औपचारीकरण (पीएमएफएमई) योजना आदि। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 24-25 के लिए पूंजीगत व्यय के आवंटन को 2024-25 के अन्तरिम केंद्रीय बजट में 11.1% बढ़ा दिया गया है जो निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा, निवेशकों का उत्साह बढ़ायेगा, रोजगार सृजित करेगा ओर समग्र कारोबारी वातावरण को सुधारेगा।

7. इस पृष्ठभूमि में, मैं आपके समक्ष वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के प्रदर्शन और आपके बैंक द्वारा की गई प्रमुख पहलों की मुख्य बातें प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

क. घरेलू कासा में सालाना आधार पर 7.03% की वृद्धि हुई और मार्च 2024 में कासा प्रतिशत 43.21% था।

ख. वैश्विक अग्रिमों में वित्त वर्ष 23 के दौरान 12.87% की तुलना में वित्त वर्ष 24 में सालाना आधार पर 13.52% की वृद्धि हुई।

ग. आरएएम अग्रिमों में वित्त वर्ष 24 में सालाना आधार पर 15.55% की वृद्धि हुई और कुल अग्रिमों में इसकी हिस्सेदारी 55.03% से बढ़कर 55.74%हो गई।

घ. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध लाभ में 57% सालाना वृद्धि हासिल की है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 4,023 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 6,318 करोड़ रुपये हो गई है। बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए इक्विटी शेयरों पर 28% का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

ङ. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में सालाना आधार पर 11.51% की वृद्धि हुई और यह वित्त वर्ष 24 के लिए एएनबीसी का 44.08% रहा, जिसमें कृषि ऋण 18% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 20.30%रहा।

च. बैंक का आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) वित्त वर्ष 23 में 0.49% से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 0.70% हो गया और इसी अवधि के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) भी 10.31% से बढ़कर 13.13% हो गया।

छ. ईपीएस वित्त वर्ष 23 में 9.80 रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 14.90 रुपये हो गया।

ज. मार्च 2024 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.96% रहा।

झ. वित्त वर्ष 2024 के लिए ऋण लागत 0.79% से घटकर 0.78% हो गई।

5. The banking sector has become much more resilient with adequate capital, increasing profitability and improving asset quality. The overall gross NPA ratio has declined to below 4% for banking sector. The banking system credit registered a higher credit growth of 20.2% while deposits grew by 13.5%. So mobilizing deposits has become increasingly challenging for the banks to fund credit growth.

6. RBI continued with disinflationary monetary policy to ensure anchoring of inflationary expectations and policy rates were kept unchanged at 6.5% for seventh time after 250 bps increase since April 2022. Also, with aim of Viksit Bharat by 2047, important policy measures were announced by the Government such as focus on Rooftop Solarization, strengthening e-vehicle ecosystem, Additional coverage of 2 crore houses under Pradhan mantri awas Yojana(Grameen) for next 5 years, increased target for creating Lakhpati Didis from 2Cr to 3Cr with SHGs, increased allocation for Blue Revolution, for PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme(PMFME) to foster inclusive development and sustainable growth. Along with this, the capital expenditure outlay for FY 24-25 has been increased by 11.1% in the interim Union Budget of 2024-25 which will stimulate private investment, boosts investor's confidence, generate employment and improve overall business environment.

7. In this backdrop, let me present before you the highlights of the Bank's performance and major initiatives taken by your Bank during the year 2023-24.

a. Domestic CASA went up by 7.03% YoY and CASA percentage was 43.21% in March 2024.

b. Global Advances increased by 13.52% YoY in FY24 against 12.87% during FY23.

c. RAM advances increased by 15.55% YoY in FY24 and its share in total advances went up from 55.03% to 55.74%.

d. I am happy to announce that the Bank has achieved 57% YoY growth in net profit in FY 2023-24 to Rs.6,318 Cr as compared to Rs.4,023 Cr in FY 2022-23. The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of 28% on equity shares for the year 2023-24, subject to the approval of the Shareholders at the Annual General Meeting.

e. Priority Sector Advances rose by 11.51% YoY and it constituted 44.08% of ANBC for FY24, with agriculture credit of 20.30% against mandatory target of 18%.

f. Return on Assets (RoA) of the Bank improved from 0.49% in FY23 to 0.70% in FY24 and Returns on Equity (RoE) also improved from 10.31% to 13.13% during the same period.

g. EPS improved from Rs.9.80 in FY23 to Rs. 14.90 in FY24.

h. Capital Adequacy Ratio stood at 16.96% in March 2024.

i. Credit Cost reduced from 0.79% to 0.78% for the year FY24.

ञ. स्लिपेज अनुपात वित्त वर्ष 2023 में 1.94% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 1.58% हो गया।

ट. सकल एनपीए मार्च 2023 में 37,685 करोड़ रुपये से 22.56% घटकर मार्च 2024 में 29,183 करोड़ रुपये हो गया।

ठ. सकल एनपीए अनुपात मार्च 2023 में 7.31% से सुधरकर मार्च 2024 में 4.98% हो गया।

ड. शुद्ध एनपीए अनुपात भी मार्च 2023 में 1.66% से घटकर मार्च 2024 में 1.22% हो गया।

ढ. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2023 में 89.68% के मुकाबले मार्च 2024 में 90.59% के उच्च स्तर पर रहा।

ण. बैंक ने 11.12.2023 को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट इश्यू के माध्यम से 4,500 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाई है। इससे बैंक, सार्वजनिक शेयरधारिता को 18.59% से बढ़ाकर 26.62% करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता की सेबी आवश्यकता का अनुपालन करने में सफल रहा।

त. वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में, बैंक ने एपीवाई में लक्ष्यों को पार कर लिया है और आपके बैंक को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा "अल्टिमेट अचीवर का एपीवाई वार्षिक पुरस्कार" प्रदान किया गया है।

## 8. पहल

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके बैंक ने ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने और मजबूत अनुपालन और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सतत व्यवसाय विकास के लिए कई पहलें की हैं। मैं उनमें से कुछ का सिंहावलोकन प्रस्तुत करता हूँ:

i. स्वतंत्र आय स्रोत की 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नारी-शक्ति बचत खाता शुरू किया गया। इसके अलावा, ग्राहकों और उनके परिवार के सदस्यों को विशेष सुविधा और लाभ देने के लिए "बीओआई स्टार फैमिली सेविंग खाता" शुरू किया गया है।

ii. गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में विदेशी मुद्रा व्यापार और विदेशी व्यापार वित्त संव्यवहार के प्रसंस्करण का केंद्रीकरण और डीपीआईटीटी के तहत नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप हेतु तीन समर्पित केंद्र स्थापित किए गए हैं।

iii. एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के तहत निर्यात इकाइयों को प्रतिस्पर्धी मूल्य और शुल्क के साथ त्वरित वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए बीओआई स्टार निर्यात ऋण योजना शुरू की गई।

iv. ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से तैयार हमारे उत्पाद, "बीओआईस्टार रूफटॉप सोलर पैनल फाइनेंस" को आरंभ किया गया है जो व्यक्तियों को 10 लाख रुपये तक और पंजीकृत आवासीय सोसाइटियों के लिए 100 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराता है।

v. एक्जिम बैंक के व्यापार सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के अंतर्गत सीमा पार व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्जिम बैंक के साथ गठजोड़ किया गया है।

vi. बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल) को हमारे ऋण उत्पादों के लिए बीएसए

j. Slippage ratio came down from 1.94% in FY23 to 1.58% in FY24.

k. Gross NPAs brought down by 22.56% from Rs. 37,685 Cr in March 2023 to Rs. 29,183 Cr in March 2024.

l. Gross NPA ratio improved from 7.31% in March 2023 to 4.98% in March 2024.

m. Net NPA ratio also came down from 1.66% in March 2023 to 1.22% in March 2024.

n. Provision Coverage Ratio (PCR) stood high at 90.59% in March 2024 against 89.68% in March 2023.

o. Bank has raised equity capital of Rs.4,500 crores through Qualified Institutions Placement issue on 11.12.2023. This has helped the Bank in increasing the Public Shareholding from 18.59% to 26.62% and complying with the SEBI requirement of minimum 25% public shareholding within the provided timeline.

p. In the field of Financial inclusion, the Bank has surpassed the targets in APY and your Bank has been conferred the "APY Annual award of ultimate achiever" by the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

## 8. Initiatives

During FY 2023-24, your Bank has undertaken multiple initiatives for providing quality banking services through enhanced customer's experience and for sustainable business growth with focus on robust compliance and governance. Let me recapitulate a few of them:

i. Nari-Shakti Savings Account launched aimed at catering to women aged 18 and above with an independent source of income. Moreover, BOI Star Family Savings Account" has been launched to give privileges and benefits to the customers and their family members.

ii. Centralization of forex business and processing of Trade Finance transactions at GIFT city, Gandhinagar and three dedicated centres have been set up for startups to promote innovation and entrepreneurship under DPITT.

iii. BOI Star Export Credit Scheme launched to on-board and provide quick financial solutions to Export units under MSME and Agriculture sector with competitive pricing and charges

iv. To promote Green Energy Mission, our tailored product namely BOI Star Rooftop Solar Panel Finance" has been launched with Loans upto Rs.10 lakhs for individuals and Rs.100 lakhs for registered housing societies.

v. Tie up with EXIM Bank for facilitating Cross Border Trade under Trade Assistance Programme (TAP) of EXIM Bank.

vi. BOI Shareholding Ltd.(BOISL), wholly owned subsidiary of the Bank has been mandated to act

(बिजनेस सोर्सिंग एजेंट) के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

vii. कॉरपोरेट ऋण संरचना का नये रूप में / संशोधित तथा मध्यम कॉरपोरेट व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए 18 उभरती हुई कॉरपोरेट ऋण शाखाओं (ईसीसीबी) का गठन किया गया है।

viii. बेहतर अंडरराइटिंग मानकों को बनाए रखने तथा टीएटी में कमी लाने तथा दोहरे अंकों में ऋण वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। एसएमई सिटी केंद्रों तथा एसएमई शहरी केंद्रों की संख्या 98 से बढ़ाकर 118, खुदरा व्यापार केंद्रों की संख्या 125 से बढ़ाकर 138 तथा स्टार कृषि विकास केंद्रों की संख्या 138 से बढ़ाकर 149 कर दी गई है।

ix. एनपीए के समाधान के लिए अधिक सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाने हेतु 10 नए एआरबी (आस्ति वसूली शाखाएं) का गठन किया गया है।

x. बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के साथ एचआर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट-बीओआई स्टार लाइट (मानव प्रतिभा के साथ नवाचार और संवृद्धि का नेतृत्व) की शुरुआत की गई है जो कार्यनीतिक विकास और नए युग की बैंकिंग के लिए मानव संसाधन तैयार करने में सहायता करेगी।

xi. स्टार कनेक्ट और सशक्तीकरण कार्यक्रम "स्टार समर्थ" स्टाफ को कैरियर की आकांक्षाओं, लक्ष्यों और उनके सामने आने वाली अन्य चुनौतियों को साझा करने के लिए सशक्त बनाने और सहायता करने के लिए नई पहल शुरू की गई।

xii. कारोबार प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन के लिए हमारे बैंक द्वारा आरंभ की गई विभिन्न प्रौद्योगिकीय पहलों में, बेहतर अंडरराइटिंग एवं ग्राहक अनुभव के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कारोबार हेतु एआई एवं एमएल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इंटेलीजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन (आईपीए) समाधान, एसेंचर प्रा.लि. तथा डेटा लेक के माध्यम से धोखाधड़ी रोकने का कार्य किया जा रहा है।

xiii. साइबर जोखिम का पता लगाने और उसे नियंत्रित करने पर ध्यान देने के साथ सक्रिय प्रबंधन हेतु साइबर समाधानों की खरीद की जा रही है।

xiv. विदेशी परिचालन के लिए "एएमएलओसीके" - एएमएल अनुपालन समाधान हेतु ओरेकल वेब लॉजिक एंटरप्राइज संस्करण के लाइसेंस की खरीद की गई है।

9. बैंक ऑफ इंडिया में हम सकारात्मक और रिवार्ड देने वाले कार्यस्थल वातावरण को तैयार करने में विश्वास करते हैं। हमारी "बैंक ऑफ इंडिया विविधता, समानता और समावेश (डीईआई) नीति", और "बैंक ऑफ इंडिया समान अवसर नीति", हमारे संगठन के भीतर लैंगिक विविधता, समावेशिता और गरिमा को बढ़ावा देती हैं। लगभग 29% महिला कार्यबल के साथ हमारी नीतियाँ, "स्टाफ सुविधा" केंद्रित पहल और समान अवसर सुनिश्चित करती हैं, विशेष रूप से बड़ी भूमिकाओं में। हमारे स्टाफ-खिलाड़ियों के समर्पण और जुनून को पहचानते हुए, हमने उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए सशक्त बनाने हेतु "बीओआई खिलाड़ी नीति" को मंजूरी दी है। हमारे बैंक को एक सतत मार्ग पर आगे बढ़ाने और एक हरित कल की ओर ले जाने के अंग के रूप में, हमारे पास एक व्यापक ईएसजी नीति है। हम एक सतत भविष्य के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

10. बैंक का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारे ग्राहकों के लिए बेहतर ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर सभी व्यावसायिक क्षेत्रों में परिकल्पित वृद्धि हासिल करने के लिए आश्वस्त है। बैंक

as BSA(Business Sourcing Agent) for our lending products.

vii. Revamping/ modification of Corporate Credit structure and formation of 18 Emerging Corporate Credit Branches (ECCB) to facilitate mid corporate business.

viii. For maintaining better underwriting standards and reduction of TAT and to augur double digit credit growth as well, the number of Processing Centres has been increased. The number of SME City Centres & SME Urban centre has been increased from 98 to 118, the Retail Business Centres from 125 to 138 and Star Krishi Vikash Kendras from 138 to 149.

ix. Formation of 10 New ARBs (Asset recovery branches) to have more sound approach for resolution of NPAs.

x. Initiation of HR Transformation Project-BOI STAR LIGHT(Leading Innovation and Growth with Human Talent) with Boston consulting group(BCG) which will assist in preparing human resources for strategic growth and new age banking.

xi. Star Connect and Empowerment Programme "Star Samarth" a new initiative launched to empower and assist the employees to share career aspirations, goals and other challenges faced by them.

xii. Among various technological initiatives started by our Bank, for automation of Business Process using Intelligent Process Automation(IPA) Solution, Accenture Pvt. Ltd has been on boarded to enhance AI and ML capabilities in enhancing quality business through better underwriting, customer experience and fraud prevention through DATA LAKE.

xiii. Procurement of Cyber solutions for proactive management with focus on detection and containment of cyber risk.

xiv. Procurement of Oracle Web Logic Enterprise Edition Licenses for the "AMLOCK" – AML Compliance Solution for Overseas operation.

9. We at Bank of India, believe in a positive and rewarding workplace environment. Our "Bank of India Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Policy" and "Bank of India Equal Opportunity Policy" promotes gender diversity, inclusivity, and dignity within our organization. With nearly 29% women workforce, our policies ensure "employee convenience" focused initiatives and equal opportunities, particularly in senior roles. Recognizing the dedication and passion of our employee-sportspersons, we have approved a "BOI Sportspersons Policy" to empower them to reach their full potential. As part of taking our Bank ahead in a sustainable path and towards a greener tomorrow, we have a comprehensive ESG Policy in place. We affirm our commitment to a sustainable future.

10. The Bank's management is confident to achieve envisaged growth across all business segments by leveraging the digital technology with focus on enhanced customer

आस्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता और सतत व्यावसायिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा।

11. मैं बोर्ड के सभी निदेशकों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों को समय-समय पर उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने सभी स्टाफ को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस विकास यात्रा में सभी ग्राहकों, शेयरधारकों और सभी हितधारकों, वित्तीय संस्थानों और प्रतिनिधि बैंकों का बेबाक समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। नई ऊंचाइयों को छूने की अपनी यात्रा में हम आपके निरंतर संरक्षण, समर्थन और सदाशय की कामना करते हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ

**रजनीश कर्नाटक**
एमडी एवं सीईओ

experience for our customers in financial year 2024-25. The Bank will continue its focus on asset quality, profitability and sustainable business growth.

11. I would like to acknowledge and thank all the directors of the Board for their valuable contribution. I also thank the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Reserve Bank of India, SEBI and other regulatory authorities for their continuous support and guidance from time to time. I acknowledge and thank all our employees for their hard work, dedication and commitment. The unequivocal support of all customers, Shareholders and all the Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks in this growth journey has been extremely important for us. We look forward to continued patronage, support and goodwill as we march ahead for scaling newer heights.

With warm regards

**Rajneesh Karnatak**
MD& CEO

# निदेशक रिपोर्ट

निदेशक मंडल सहर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, लेखा-परीक्षित लेखा विवरणी, लाभ एवं हानि खाता तथा कारोबार और परिचालनों की रिपोर्ट सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं -

## कार्य-निष्पादन:

### घरेलू कारोबार :

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में 12.36% वृद्धि दर्ज हुई और यह यथा 31.03.2023 को रु. 998,700 करोड़ की तुलना में बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु. 11,22,109 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 7.03% वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2024 को रु. 269,872 करोड़ रहीं। यथा 31.03.2024 को घरेलू जमाराशियों में कम लागत की जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी 43.21% रही।
- कुल जमाराशियों में 11.05% की वृद्धि हुई है और यह 31.03.2023 को रु.567,063 करोड़ की तुलना में बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु. 629,717 करोड़ हो गईं।
- सकल घरेलू अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष 14.08% की वृद्धि और यह यथा 31.03.2023 को रु. 431,637 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु. 492,392 करोड़ हो गए।
- यथा 31.03.2024 को कुल अग्रिमों में आरएएम अग्रिम की हिस्सेदारी 55.74% (अर्थात् रु.274,477 करोड़) रही जो 31.03.2023 को 55.03% (अर्थात् रु. 237,537 करोड़) थी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 44.08% रहे और यथा 31.03.2024 को समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 20.30% रही।
- रिटेल ऋण यथा 31.03.2023 को रु. 94,381 करोड़ से 18.12% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2024 को रु. 111,484 करोड़ हो गए। यथा 31.03.2024 को कुल घरेलू ऋणों में रिटेल ऋणों की हिस्सेदारी 22.64% रही।
- एमएसएमई ऋण यथा 31.03.2023 को रु. 70,777 करोड़ से 10.96% की वृद्धि करते हुए यथा 31.03.2024 को रु. 78,533 करोड़ हो गए। यथा 31.03.2024 को कुल घरेलू ऋण में से एमएसएमई ऋण का हिस्सा 15.95% था।

### विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 7.85% की वृद्धि हुई तथा यह यथा 31.03.2023 को रु.186,738 करोड़ की तुलना में यथा 31.03.2024 को रु. 201,406 करोड़ हो गया।
- कुल विदेशी जमा में 5.54% की वृद्धि दर्ज की गई तथा यथा 31.03.2023 को यह रु.1,02,523 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु. 108,203 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2024 को, विदेशी ऋण-जमा अनुपात 86.14% रहा।।

### वैश्विक कारोबार :

- बैंक के सकल कारोबार ने 11.65% की वृद्धि दर्ज की और यह यथा 31.03.2023 को रु. 11,85,438 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु. 13,23,515 करोड़ हो गया।
- कुल जमाराशियों में 10.21% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2023 को रु. 669,586 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु. 737,920 करोड़ हो गईं।
- सकल अग्रिमों में 13.52% की वृद्धि हुई और यह यथा 31.03.2023 को रु. 515,852 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु. 585,595 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2024 को, वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 79.36% रहा।

### वित्तीय मानदण्ड :

- परिचालन लाभ में 5.05% की वृद्धि हुई और यह विव 22-23 के लिए रु.13,393 करोड़ की तुलना में विव 23-24 के लिए रु. 14,069 करोड़ हो गया।
- बैंक ने विव 23 में रु. 4,023 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में विव 24 में वर्ष-दर-वर्ष 57.05% की वृद्धि दर्शाते हुए रु. 6,318 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31.03.2023 को 16.28% की तुलना में यथा 31.03.2024 को 16.96% के बेहतर स्तर पर रहा।
- निवल मालियत (नेट वर्थ), यथा 31.03.2023 को रु. 41,127 करोड़ से 34.02% की वृद्धि के साथ यथा 31.03.2024 को रु. 55,118 करोड़ रही।
- 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिशेयर बही मूल्य रु. 121.07 रहा।
- सकल एन.पी.ए राशि में 22.56% (अर्थात् रु. 8,502 करोड़) का सुधार हुआ और यह राशि यथा 31.03.2023 को रु. 37,685 करोड़ से यथा 31.03.2024 को रु. 29,183 करोड़ हो गई।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत यथा 31.03.2023 को 7.31% से कम होकर बेहतर होते हुए यथा 31.03.2024 को 4.98% हो गया।
- निवल एन.पी.ए राशि में 15% (अर्थात् रु. 1,209 करोड़) का सुधार हुआ है और यह यथा 31.03.2023 को रु.8,054 करोड़ की तुलना में यथा 31.03.2024 को रु. 6,845 करोड़ हो गया।
- यथा 31.03.2024 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत सुधरकर 1.22% हो गया जो यथा 31.03.2023 को 1.66% था।

**वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है:**

(राशि करोड़ में )

| विवरण | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि (%) |
|---|---|---|---|
| निवल ब्याज आय | 20,275 | 23,053 | 13.70 |
| गैर-ब्याज आय | 7100 | 6095 | (14.16) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| परिचालन व्यय | 13982 | 15079 | 7.85 |
| परिचालन लाभ | 13393 | 14069 | 5.05 |
| प्रावधान/आकस्मिकताएं | 9370 | 7751 | -17.28 |
| निवल लाभ/हानि | 4023 | 6318 | 57.05 |
| प्रति शेयर आय (रु.) | 9.80 | 14.90 | |
| प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) | 100.20 | 121.05 | |
| इक्विटी पर प्रतिफल (%) | 10.31 | 13.13 | |
| औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%) | 0.49 | 0.70 | |

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

(प्रतिशत) (%)

| विवरण | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|
| अग्रिमों पर प्रतिलाभ | 7.37 | 8.38 |
| निवेशों पर प्रतिलाभ | 6.51 | 6.75 |
| निधियों पर प्रतिलाभ | 6.15 | 7.03 |
| जमा राशियों की लागत | 3.67 | 4.51 |
| निधियों की लागत | 3.53 | 4.36 |
| निवल ब्याज मार्जिन | 3.01 | 2.97 |
| परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय | 50.78 | 40.42 |
| औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय | 0.86 | 0.67 |
| औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय | 1.80 | 1.75 |
| औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय | 1.08 | 1.06 |
| औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय | 0.72 | 0.68 |
| आस्ति उपयोग अनुपात | 1.73 | 1.63 |
| कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय | 12.97 | 9.12 |
| निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय | 25.94 | 20.91 |
| लागत-आय अनुपात | 51.08 | 51.73 |

## पूंजी

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने जुटाए हैं:

1. 15.09.2023 को टियर-II बॉन्ड (सीरीज XVI) के माध्यम से **रु. 2000 करोड़**
2. 11.12.2023 को क्यूआईपी- योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से **रु. 4500 करोड़**

## पूंजी पर्याप्तता:

➢ बासेल III फ्रेमवर्क के अनुसार, बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिनांक 31.03.2024 को 16.96% था, जो नियामक आवश्यकता अर्थात 11.5% से अधिक है।

➢ पूंजी पर्याप्तता (बासेल III) का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

| विवरण | बासेल - III | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2023 | | 31.03.2024 | |
| सीईटी 1 सीआरएआर | 48,232 | 13.60% | 58,660 | 14.24% |
| एटी 1 सीआरएआर | 2,852 | 0.80% | 2,852 | 0.69% |
| टियर 1 पूंजी | 51,084 | 14.41% | 61,512 | 14.93% |
| टियर 2 पूंजी | 6,643 | 1.87% | 8,395 | 2.03% |
| कुल पूंजी | 57,727 | 16.28% | 69,907 | 16.96% |
| जोखिम भारित आस्तियां | 3,54,534 | | 4,12,078 | |

## कारोबार पहल:

➢ बैंक ऑफ इंडिया "महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र" - भारत सरकार की एक प्रमुख योजना को शुरू करने वाला पहला पीएसबी था ।

➢ बैंक ने **मोबाइल बैंकिंग ऐप- बीओआई मोबाइल ओमनी नियो बैंक, एक ओमनी चैनल डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है जिसका उपयोग ग्राहक अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।**

➢ बैंक ने भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के साथ टाई अप व्यवस्था की है जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के वित्तपोषण और किसानों को संकट में बिक्री से बचने के लिए संवेदनशील बनाना है।

➢ बैंक ने अपने ऋण प्रबंधन प्रणाली ई-प्लेटफॉर्म को जनसमर्थ पोर्टल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है और बाजार से लीड प्राप्त करने के लिए जनसमर्थ पोर्टल में तीन अनिवार्य योजनाओं को ऑनबोर्ड किया है।

➢ बैंक ने टेक सेवी ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने और डिजिटल बिजनेस के तहत बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पीएमएमवाई मुद्रा, वैयक्तिक ऋण, केसीसी, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, बचत बैंक खाते की डिजिटल यात्रा शुरू की है।

➢ बैंक ने डेटा लेक के माध्यम से बेहतर अंडरराइटिंग, ग्राहक अनुभव और धोखाधड़ी की रोकथाम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कारोबार को बढ़ाने में एआई और एमएल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक्सेंचर प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया है।

➢ बैंक ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए फीडस्टॉक से एथेनोल के उत्पादन की योजना को अपनाया है। इसके अलावा, बैंक ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना शुरू की है।

➢ बैंक ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में व्यापार वित्त लेनदेन और अन्य विदेशी मुद्रा कारोबार के प्रसंस्करण को केंद्रीकृत किया है।

➢ बैंक ने आरबीआई के ईडीपीएमएस पोर्टल पर लदान पत्र (शिपिंग बिल) और प्रविष्टि पत्र (बिल ऑफ एंट्री) के तेजी से मिलान के लिए टीआरआरएसीएस समाधान लागू किया है।

➢ पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके अनुषंगी का कोर बैंकिंग एप्लीकेशन में माइग्रेशन ।

➢ बैंक ने रुपे योजना के तहत रुपे सेलेक्ट, नया क्रेडिट कार्ड संस्करण का शुभारंभ किया है- जिसमें शॉपिंग ऐप्स, हेल्थ चेकअप, 10 लाख तक का बीमा कवर, लॉयल्टी रिवाड्र्स, लाउंज एक्सेस, वार्षिक स्वास्थ्य चेक-अप, ओटीटी सदस्यता, देश और विदेश में 24X7 कंसीयर्ज सेवाओं के ऑफर शामिल हैं।

➢ बैंक ने रीसाइकल प्लास्टिक डेबिट कार्ड, बीओआई अर्थस्मार्ट का शुभारंभ किया है, जो सभी के लिए हरित और बेहतर भविष्य की दिशा में एक कदम है

- ➢ एनआरआई ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और एनआरआई कारोबार को बढ़ाने के लिए एनआरआई हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।
- ➢ बैंक ने मानव संसाधन विभाग द्वारा शुरू किए गए **ईएसजी (पर्यावरण सामाजिक शासन)** कार्यक्रम के अंतर्गत सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण में सुधार के लिए विभिन्न कर्मचारी कल्याण पहल किया है।
- ➢ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के साथ एचआर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट- बीओआई स्टार लाइट (लीडिंग इनोवेशन एंड ग्रोथ विद ह्यूमन टैलेंट) की शुरुआत जो कार्यनीतिक विकास और नए युग की बैंकिंग के लिए मानव संसाधन को सशक्त बनाएगी।
- ➢ बैंक ने डिजिटल मोर्चे पर बैंक की पैठ में सुधार के लिए **मर्चेंट क्रेडिट कार्ड** लॉन्च किया है।
- ➢ मिड सेगमेंट कॉर्पोरेट व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 18 उभरती कॉर्पोरेट ऋण शाखाओं की स्थापना।
- ➢ बैंक ने एमएसएमई और कृषि वर्गीकृत निर्यात ग्राहकों को प्रेरित करने के लिए बीओआई स्टार निर्यात ऋण की शुरुआत की है।
- ➢ वसूली पर अधिक ध्यान देने के लिए 10 अतिरिक्त एआरबी (आस्ति वसूली शाखाओं) का परिचालन शुरू किया गया है।
- ➢ बैंक ने आईआईएफएल होम लोन फाइनेंस लिमिटेड के साथ सह-उधार उत्पाद “बीओआई- आईआईएफएल एचएफएल होम लोन” का शुभारंभ किया है।
- ➢ बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए टीएटी में सुधार और तत्काल व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 0.10 करोड़ रुपये से 1 करोड़ रुपये तक एफबी सुविधा के साथ “बीओआई स्टार ईजी बिज लोन” और 10 करोड़ तक के लिए “बीओआई स्टार इंस्टा एमएसएमई ऋण” शुरू किया है।

## पुरस्कार:

**बैंक ऑफ इंडिया को अपने यूनिवर्सल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म- ओमनी नियो मोबाइल ऐप के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के तहत 97वें स्कॉच शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है।**

- ➢ बैंक ऑफ इंडिया को 97वें स्कॉच शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कारों में इंडिया इनवॉल्व्ड रैंकिंग के अंतर्गत नं 1 परफॉर्मर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस भी मिला है।
- ➢ बैंक को नवंबर-23 के महीने में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से वि.व 2022-23 के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है।
- ➢ हमारा बैंक (वि.व 2023-2024 की तीसरी तिमाही) के दौरान 11 सितंबर'23 से 18 अक्टूबर'23 तक पीएफ़आरडीए के “एनपीएस दिवस पुरस्कार एवं सम्मान कार्यक्रम” में सभी पीएसबी के मध्य दूसरे स्थान पर रहा।
- ➢ एमएसएमई में समग्र प्रदर्शन के लिए बैंक को प्रतिष्ठित “स्कॉच अवार्ड 2023” प्राप्त हुआ।
- ➢ बैंक को पीएफआरडीए द्वारा वार्षिक एपीवाई लक्ष्य (वित्त वर्ष 2022-23) का 162% प्राप्त करने के लिए **“ऐन्यूअल एपीवाई इग्ज़ेम्प्लरी अवार्ड ऑफ एक्सलन्स”** के लिए नामित किया गया है।
- ➢ 2 जून 2023 से 30 जून 2023 की अवधि के लिए अटल पेंशन योजना में प्रदर्शन हेतु पीएफआरडीए से 'शाइन एंड सक्सेस 2023' पुरस्कार।
- ➢ अटल पेंशन योजना में 1 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक के प्रदर्शन हेतु पीएफ़आरडीए की ओर से 'राइज़ अबव द रेस्ट 2023' पुरस्कार।
- ➢ बैंक ने वि.व 2022-23 के लिए पीएसबी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक हेतु 'ओल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम' अभियान में **'न्यूमेरो उनो'** पुरस्कार प्राप्त किया है।
- ➢ पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया, हमारे बैंक की अनुषंगी को सीएनबीसी इंडोनेशिया द्वारा घोषित **“केबीएमआई I श्रेणी के अंतर्गत बेस्ट कन्वेन्शनल बैंक”** की श्रेणी में इंडोनेशिया में पहले नंबर के बैंक के रूप में स्थान दिया गया है।
- ➢ बैंक को पीएमएफ़एमई योजना के अंतर्गत वि.व 2023-24 में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से शीर्ष प्रदर्शन हेतु सराहना मिली है।

## दृष्टिकोण, कार्यनीति एवं भविष्य की योजना:

- अपने मौजूदा ग्राहक आधार का लाभ उठाकर बैंक के खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) ऋण प्रोफाइल का विस्तार करना।
- कासा जैसे कम लागत वाली जमाराशियाँ जुटाकर वित्त पोषण लागत को नियंत्रित करना जारी रखना।
- आस्ति गुणवत्ता में सुधार और एनपीए स्तर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- क्रॉस सेलिंग के अवसरों को बढ़ाने, लागत को कम करने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।
- हमारे व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना।

## निदेशक के उत्तरदायित्व कथन :

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में:

- लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का दृढ़ता से पालन किया गया है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के विषय में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू विधियों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डो के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है।
- वार्षिक लेखा, संस्था की निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं।
- समस्त लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

# DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2024.

## PERFORMANCE:

### Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank reported growth of 12.36% and reached at Rs 11,22,109 Crore as on 31.03.2024 as against Rs. 998,700 Crore as on 31.03.2023
- CASA deposits increased by 7.03% on y-o-y basis and stood at Rs. 269,872 Crore as on 31.03.2024. Share of low cost deposits (CASA), in domestic deposits stood at 43.21% as on 31.03.2024
- Total Domestic deposits increased by 11.05% and reached at Rs.629,717 Crore as on 31.03.2024 as against Rs. 567,063 Crore as on 31.03.2023
- Gross Domestic Advances registered growth of 14.08% YoY, reached at Rs 492,392 Crore as on 31.03.2024 from Rs. 431,637 Crore as on 31.03.2023
- Share of RAM Advances to Total advances is 55.74% (i.e. Rs. 274,477 Crore) as on 31.03.2024 as compared to 55.03% (i.e. Rs. 237,537 Crore) as on 31.03.2023
- Priority Sector lending constituted 44.08% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 20.30% as on 31.03.2024
- Retail Credit grew by 18.12% from Rs 94,381 Crore as on 31.03.2023 to Rs 111,484 Crore as on 31.03.2024. The share of Retail Credit to Total Domestic Credit was 22.64% as on 31.03.2024
- MSME Credit registered growth of 10.96% from Rs 70,777 Crore as on 31.03.2023 to Rs 78,533 Crore as on 31.03.2024. The share of MSME Credit to Total Domestic Credit was 15.95% as on 31.03.2024.

### Overseas Business:

- Overseas business has increased by 7.85 % and reached at Rs. 201,406 Crore as on 31.03.2024 as compared to Rs. 186,738 Crore as on 31.03.2023
- Total Foreign Deposit registered a growth of 5.54 % and reached Rs. 108,203 Crore as on 31.03.2024 from Rs. 102,523 Crore as on 31.03.2023
- The Overseas CD Ratio stood at 86.14% as on 31.03.2024

### Global Business:

- Gross Business of the Bank registered a growth of 11.65 % and reached Rs. 13,23,515 Crore as on 31.03.2024 from Rs. 11,85,438 Crore as on 31.03.2023
- Total deposits increased by 10.21% and reached Rs. 737,920 Crore as on 31.03.2024 from Rs.669,586 Crore as on 31.03.2023
- Gross Advances increased by 13.52% and reached Rs. 585,595 Crore as on 31.03.2024 from Rs. 515,852 Crore as on 31.03.2023.
- The Global CD Ratio stood at 79.36% as on 31.03.2024

### Financial Parameters:

- Operating Profit increased by 5.05% and reached Rs 14,069 Crore for FY 23-24 as against Rs. 13,393 Crore for FY 22-23
- The Bank registered Net profit of Rs 6,318 Crore in FY'24 as against Rs.4,023 Crore in FY'23 exhibiting a growth of 57.05% y-o-y
- Capital Adequacy Ratio stood at an improved level of 16.96% as on 31.03.2024 as against 16.28% as on 31.03.2023.
- Net Worth increased by 34.02% to Rs. 55,118 Crore as on 31.03.2024 from Rs. 41,127 Crore as on 31.03.2023
- Book value per share is Rs. 121.07 as of FY ended 31.03.2024
- Gross NPA improved by 22.56% (i.e. Rs. 8,502 Crore) and reached Rs 29,183 Crore as on 31.03.2024 from Rs 37,685 Crore as on 31.03.2023
- Gross NPA percentage reduced to an improved 4.98% as on 31.03.2024 from 7.31% as on 31.03.2023
- Net NPA showed an improvement by 15% (i.e. Rs. 1,209 Crore) reaching Rs 6,845 Crore as on 31.03.2024 as against Rs. 8,054 Crore as on 31.03.2023
- Net NPA percentage improved to 1.22% as on 31.03.2024 from 1.66% as on 31.03.2023

The Financial performance of the Bank for the year 2023-24 is summarized below:

(Amount in Crore)

| Particulars | 2022-23 | 2023-24 | Growth (%) |
|---|---|---|---|
| Net Interest Income | 20,275 | 23,053 | 13.70 |
| Non-Interest Income | 7100 | 6095 | (14.16) |
| Operating Expenses | 13982 | 15079 | 7.85 |
| Operating Profit | 13393 | 14069 | 5.05 |
| Provisions / Contingencies | 9370 | 7751 | -17.28 |
| Net Profit/ Loss | 4023 | 6318 | 57.05 |
| Earnings per share (Rs.) | 9.80 | 14.90 | |
| Book Value per share (Rs.) | 100.20 | 121.05 | |
| Return on Equity (%) | 10.31 | 13.13 | |
| Return on Average Assets (%) | 0.49 | 0.70 | |

**Key Financial Ratios are presented below:**

| Particulars | (Percentage) (%) | |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 |
| Yield on Advances | 7.37 | 8.38 |
| Yield on Investments | 6.51 | 6.75 |
| Yield on Funds | 6.15 | 7.03 |
| Cost of Deposits | 3.67 | 4.51 |
| Cost of Funds | 3.53 | 4.36 |

| Particulars | (Percentage) (%) | |
|---|---|---|
| | 2022-23 | 2023-24 |
| Net Interest Margin | 3.01 | 2.97 |
| Non Interest Income to Operating Expenses | 50.78 | 40.42 |
| Other Income to Average Working Fund | 0.86 | 0.67 |
| Operating Expenses to Average Working Fund | 1.80 | 1.75 |
| Staff Expenses to Average Working Fund | 1.08 | 1.06 |
| Other Operating Expenses to Average Working Fund | 0.72 | 0.68 |
| Asset Utilisation Ratio | 1.73 | 1.63 |
| Non Interest Income to Total Income | 12.97 | 9.12 |
| Non Interest Income to Net Income | 25.94 | 20.91 |
| Cost to Income Ratio | 51.08 | 51.73 |

## CAPITAL:

During the financial year 2023-24, Bank has raised:

1. **Rs 2000 Crore** by way of Tier-II bonds (Series XVI) on 15.09.2023
2. **Rs 4500 Crore** by way of QIP- Qualified Institutional Placement on 11.12.2023

## CAPITAL ADEQUACY:

➢ As per Basel III framework, Bank's Capital Adequacy Ratio was 16.96% as on 31.03.2024, which is higher than the regulatory requirement of 11.5 %.

➢ Details of Capital Adequacy (BASEL III) are as under :

(Rs. in Crore)

| Particulars | BASEL-III | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2023 | | 31.03.2024 | |
| CET1 CRAR | 48,232 | 13.60% | 58,660 | 14.24% |
| AT1 CRAR | 2,852 | 0.80% | 2,852 | 0.69% |
| Tier I Capital | 51,084 | 14.41% | 61,512 | 14.93% |
| Tier II Capital | 6,643 | 1.87% | 8,395 | 2.03% |
| Total Capital | 57,727 | 16.28% | 69,907 | 16.96% |
| Risk Weighted Assets | 3,54,534 | | 4,12,078 | |

## BUSINESS INITIATIVES:

➢ Bank of India was the first PSB to launch "Mahila Samman Saving Certificate" – a flagship scheme of GOI

➢ Bank has introduced **Mobile Banking App - BOI MOBILE OMNI NEO BANK**, an **Omni channel digital banking platform which is accessible to customers from Mobile and Internet banking**

➢ Bank has entered into tie up arrangement with the Warehouse Development and Regulatory Authority (WDRA) aimed at electronic negotiable warehouse receipts (e-NWR) financing and sensitizing farmers to avoid distress sales.

➢ Bank has successfully integrated its Loan Management System e-platform with Jansamarth portal and onboarded three mandated schemes in Jansamarth portal for capturing leads from market place

➢ Bank has launched the digital journey of PMMY MUDRA, Personal Loan, KCC, Gold Loan, Credit card, Saving Bank Account to onboard tech savvy customers and to increase the market share under Digital Business

➢ Bank has on boarded Accenture Pvt. Ltd to enhance AI and ML capabilities in enhancing quality business through better underwriting, customer experience and fraud prevention through DATA LAKE.

➢ Bank has adopted Scheme for generation of Ethanol from Feed stock which has been floated by the GOI. Further, Bank has introduced scheme for extending financial Assistance to Sugar Mills for Enhancement and Augmentation of the Ethanol Production Capacity.

➢ Bank has centralized processing of Trade Finance transactions and other FOREX business at GIFT City, Gandhinagar.

➢ Bank has implemented TRRACS solution for faster reconciliation of shipping bills and bills of entry on RBI's EDPMS Portal.

➢ Migration to Core Banking Application for PT Bank of India Indonesia Tbk subsidiary

➢ Bank has introduced a new Credit Card variant under RuPay Scheme- RuPay Select with benefits including offers on shopping Apps, Health Check up, Insurance cover of upto 10 Lakh, added Loyalty Rewards, lounge access, annual heath check-up, OTT membership, Concierge Services 24x7 domestic and internationally.

➢ Bank has introduced BOI EarthSmart, recycled plastic debit card, as one of its steps towards greener and more sustainable future for all

➢ NRI Help Desk has been established for catering to NRI customers and garnering NRI business

➢ Bank has taken various staff welfare initiatives to improve cordial working atmosphere under **ESG (Environmental Social Governance) programme** launched by Human Resources Department.

➢ Initiation of HR Transformation Project-BOI STAR LIGHT (Leading Innovation and Growth with human Talent) with Boston consulting group (BCG) which shall empower human resources for strategic growth and new age banking

➢ Bank has launched **Merchant Credit Card** to improve the penetration of bank on digital front.

➢ Establishment of 18 Emerging Corporate credit branches to augment mid segment Corporate business

➢ Bank has introduced 'BOI STAR Export Credit' for canvassing MSME & Agro classified export customers

➢ 10 additional ARBs (Asset Recovery Branches) have been operationalized for enhanced focus on recovery

➢ Bank has introduced Co-lending product "BOI- IIFL HFL Home Loan" - tie up with IIFL Home Loan Finance ltd.

➢ Bank has introduced "BOI STAR EASY BIZ Loan" with FB facility from Rs0.10 Cr. to Rs 1 Cr. and "BOI STAR INSTA MSME Loan" upto 10 Cr. to improve TAT and cater to urgent business requirements for MSME Borrowers

## AWARDS:

**Bank of India has received Gold award in 97th SKOCH summit & awards under Digital Transformation category for its Universal Application Platform- OMNI NEO mobile app.**

➢ Bank of India has also received No. 1 performer CORPORATE EXCELLENCE under India Involved Ranking in 97th SKOCH summit & awards.

➢ Bank has received National Award for outstanding performance in SHG Bank linkage for FY 2022-23 from Ministry of Rural Development, Government of India in the month of Nov-23.

➢ Our Bank stood at 2nd Position among all PSB's in the "NPS Diwas Award & Recognition Programme" of PFRDA from 11th Sept'23 to 18th Oct'23 during (Q3 of FY 2023-2024)

➢ Bank received the prestigious "SKOCH AWARD 2023" for overall performance in MSME

➢ Bank has been nominated for **"Annual APY Exemplary Award of Excellence"** for achieving 162% of Annual APY target (FY 2022-23) from PFRDA.

➢ 'Shine and Succeed 2023' award from PFRDA for performance in Atal Pension Yojana for the period 2nd June 2023 to 30th June 2023

➢ 'Rise above the Rest 2023' award from PFRDA for performance from 1st July 2023 to 16th August 2023 in Atal Pension Yojana

➢ Bank has won **"NUMERO UNO"** Award in 'Old Age Financial Freedom" Campaign for best performer Bank in PSB for FY 2022-23

➢ PT Bank of India Indonesia, the Subsidiary of our Bank has been ranked as no. 1 bank in Indonesia in the category of **"Best Conventional Bank under KBMI I Category'** as declared by CNBC Indonesia.

Bank has received appreciation from Ministry of Food Processing top performance in the FY 2023-24 under PMFME Scheme

## VISION, STRATEGY AND FUTURE OUTLOOK:

- Expand the Bank's Retail, Agriculture and MSME (RAM) lending profile by leveraging its existing customer base.
- Continue to contain funding cost by sourcing low cost deposits such as CASA.
- Focus on improving asset quality and containing NPA levels.
- Leverage technology to increase cross selling opportunities, reduce cost and enhance customer experience.
- Improving Risk Management Systems to ensure long-term sustainability of our business.

## DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2024:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2024.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

# बैंक ऑफ़ इंडिया

## सतत विकास को मज़बूती

### बैंक ऑफ़ इंडिया किस प्रकार विभिन्न पहलों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर प्रभाव डाल रहा है

# कार्यपालक सार | एक अर्थपूर्ण परिवर्तन लाना

बैंक ऑफ इंडिया में, हम उन समुदायों में एक अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्हें हम विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सामाजिक कल्याण पहलों के माध्यम से सेवा प्रदान करते हैं।

वित्त वर्ष 2024 में, हम विभिन्न वित्तीय उत्पाद और सामाजिक कल्याण पहलों के माध्यम से 50 लाख से अधिक लोगों से जुड़े। समावेशी विकास और सतत समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कृषि और आवास आदि हमारे समग्र दृष्टिकोण के प्रमुख स्तंभ थे।

हम एमएसएमई की गतिशील आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए समर्पित हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हैं। हमने वित्त वर्ष 2024 में 15 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिनमें से 55% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से थे। हमने जिन एमएसएमई को उधार दिया, उनमें से लगभग 61% सूक्ष्म उद्यम थे। हम मुद्रा योजना में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं – इस योजना के तहत हमारे उधार में हमारे कुल एमएसएमई क्रेडिट पोर्टफोलियो का 78% शामिल था – और हमने 67,000 से अधिक सामाजिक रूप से सीमांत उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

हम स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), कृषि मशीनीकरण, आदि में कृषि क्षेत्रों का समर्थन कर रहे हैं। हमने वित्त वर्ष 2024 में 3.3 लाख एसएचजी लाभार्थियों और 29 लाख किसानों को सेवा प्रदान की।

हम आवास के लिए भारत की बढ़ती मांग को लगातार पूरा कर रहे हैं। हमने वित्त वर्ष 2024 में 3.8 लाख से अधिक व्यक्तियों को आवास ऋण प्रदान किया, जिसमें 25,000+ पहली बार घर खरीदने वाले थे। इसके अतिरिक्त, 2.8 लाख से अधिक आवास ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को लक्षित थे, जिनसे निम्न आय वर्ग के लिए आवास तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

हमने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को अपनाया है। वित्त वर्ष 2024 में, हमारे कर्मचारियों में से 29% महिलाएं थीं। हमने अपनी महिला कार्यबल का समर्थन करने के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं, जिसमें मॉम का री-लॉन्च कार्यक्रम, शिशु देखभाल सुविधाएं और महिला कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण वरीयता शामिल हैं। हमने महिलाओं के अनुरूप एक उत्पाद, नारी शक्ति बचत खाता पेश किया, जो विशेष सुविधाएं और रियायतें प्रदान करता है। हमारे आवास ऋण के लगभग 86,000 ग्राहक महिलाएं हैं और यही कहानी एमएसएमई और कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सामने आती है, जहां एक चौथाई से अधिक ग्राहक महिलाएं हैं।

हम अपने कर्मचारियों से परे सभी स्तरों पर एक कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के महत्व को स्वीकार करते हैं। यथा वित्त वर्ष 2024, हमने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) कार्यक्रमों के माध्यम से 35,000 से अधिक जीवन को छुआ है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे वाले ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना है। हमने उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय उत्पादों के माध्यम से एक लाख से अधिक छात्रों को सहायता प्रदान की। हमने अपने 47% कर्मचारियों को कर्मचारियों के लिए शिक्षण एवं विकास केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षित भी किया है। वित्त वर्ष 2024 तक, हमने अपने वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केंद्रों के माध्यम से 18 लाख लोगों को सलाह दी।

हम स्थायी आधार पर सीएसआर पहल के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक संवर्धन का समर्थन करने के लिए समर्पित हैं। हमने वित्त वर्ष 2024 में सीएसआर पहल के लिए 7 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें से स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक कल्याण को 28%, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समर्थन करने वाली हमारी स्टार एंजेल योजना को लगभग 15% और दिव्यांगों का समर्थन करने वाली पहल को 4% मिला।

हमारी पर्यावरण-अनुकूल प्रथाएं पर्यावरणीय संधारणीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। हमने वित्त वर्ष 2024 में कुल 837 करोड़ रुपये के चार हरित बॉन्ड में निवेश किया। हमने खुदरा ऋण खंड में सोलर रूफटॉप पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तपोषित किया है। हमने नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को भी वित्तीय सहायता दी है। स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रति कर्मचारी वित्त वर्ष 2024 में 0.42 मीट्रिक टन/कर्मचारी है। हमने उत्सर्जन तीव्रता में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और स्वच्छ पानी की उपभोग में कमी को दूर करने के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियों के माध्यम से दुनिया भर में विभिन्न हरित पहलों का भी समर्थन किया है।

इस बीच, भारत के गतिशील वित्तीय परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरती डिजिटल क्रांति के साथ, वित्तीय संस्थानों के लिए संचालन को नया आकार देते हुए, हमने एक डिजिटल ऋण विभाग की स्थापना की है जो एक ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई, कृषि और खुदरा क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म द्वारा, जो वेब-सक्षम और सहायता-सहायता प्राप्त चैनल दोनों को सक्षम बनाता है, हमने 72 लाख से अधिक खाते जोड़े हैं। हमारी प्रमुख पहलों में से एक बीओआई मोबाइल ओमनी नियो ऐप रहा है। 300+ सुविधाओं सहित, यह सभी बैंकिंग, निवेश और भुगतान आवश्यकताओं के लिए समग्र समाधान के रूप में कार्य करता है। यूपीआई हमारी डिजिटल परिवर्तन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2022 और 2024 के बीच लेनदेन की संख्या (मात्रा के संदर्भ में) 2.4 गुना बढ़ गई है। हमारी शाखाएं/कार्यालय विश्व के 15 देशों में फैली हुई हैं जिनके माध्यम से हम घरेलू और वैश्विक दोनों ग्राहकवर्ग को सेवा प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में, विदेशी परिचालनों ने हमारे वैश्विक कारोबार मिश्र (अग्रिम और जमा) में 16% का योगदान दिया, जो अब लगभग रु. 2 लाख करोड़ के करीब है।

इस प्रभाव नोट में इन सभी पहलुओं और इनके अलावा भी कुछ पहलुओं का विवरण दिया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बहुमुखी योगदान और सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

## बुनियादी आधार पर कई गुना प्रभाव

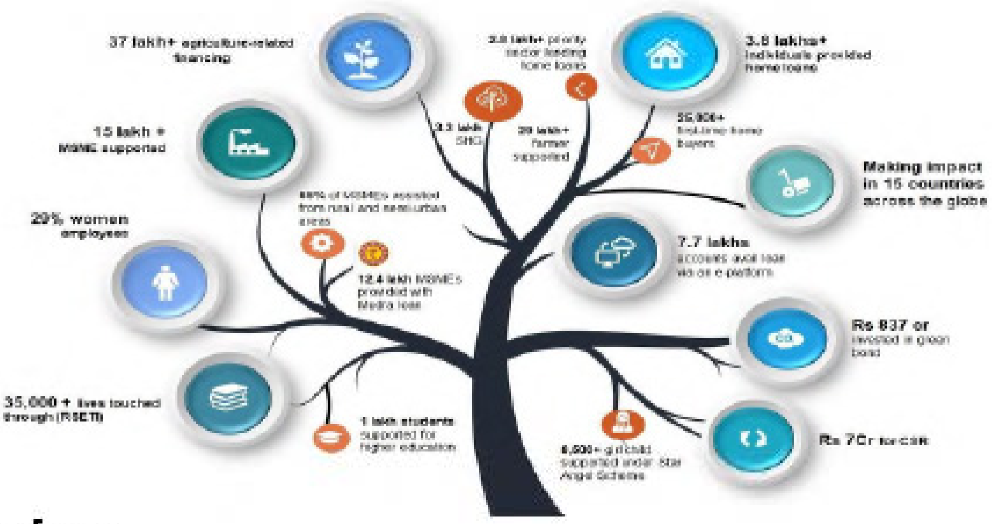


नोट : डाटा यथा वित्त वर्ष 2024

## संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखन

हमारी पहल कई यूएनएसडीजी लक्ष्यों के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो नवोन्मेषी कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण सहयोग के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और स्थिरता को बढ़ावा देती है।

| यूएनएसडीजी लक्ष्य | | बीओआई की प्रमुख गतिविधियां |
|---|---|---|
| | गरीबी उन्मूलन | • सामुदायिक विकास संगठनों के लिए वित्तीय सहायता।<br>• स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।<br>• वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करता है। |
| | भूख की समस्या को दूर करना | • सीएसआर फंडिंग का 20% स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित है<br>• वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करता है। |
| | उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली | • एमएसएमई सेगमेंट के तहत स्वास्थ्य सेवा इकाइयों को सहायता<br>• सीएसआर फंडिंग का 20% स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित है |
| | गुणवत्तापूर्ण शिक्षा | • कौशल विकास के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) कार्यक्रम<br>• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समर्थन करने वाली स्टार एंजेल योजना।<br>• कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग।<br>• वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्रों के माध्यम से लोगों को सशक्त की। |
| | लैंगिक समानता | • हमारे कार्यबल और बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि<br>• सभी वित्तीय उत्पादों में एक तिहाई से अधिक ग्राहक महिलाएं हैं<br>• महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति बचत खाते की शुरुआत<br>• हमारे संगठनों के साथ-साथ अनुषंगियों में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष कार्यक्रम और पहल<br>• स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता दी जहां प्रमुख सदस्य महिलाएं हैं |
| | स्वच्छ पानी और स्वच्छता | • सीएसआर फंडिंग का 20% स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित है<br>• विभिन्न बैंकों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण |
| | सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा | • उत्सर्जन तीव्रता में कमी और ग्रीन बॉन्ड में निवेश<br>• विभिन्न बैंकों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण<br>• उत्सर्जन में कमी के प्रयासों के लिए कार्बन ईस्ट एमिशन डेटा चेन को विनियमित किया |

| | | |
|---|---|---|
| | अच्छा काम और आर्थिक विकास | ▪ वित्तपोषण और ऋण सुविधा के माध्यम से एमएसएमई के लिए समर्थन<br>▪ विभिन्न वित्तीय उत्पादों के माध्यम से कृषि क्षेत्र को समर्थन<br>▪ वित्तीय साक्षरता संगोष्ठियों का आयोजन किया |
| 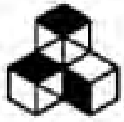 | उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा | ▪ डिजिटल ऋण सहित डिजिटल परिवर्तन पहल<br>▪ ग्रीन बॉन्ड और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी स्थायी परियोजनाओं का वित्तपोषण |
| | असमानता में कमी | ▪ समाज के विभिन्न वर्गों जैसे विकलांग व्यक्तियों, वंचित वर्ग को वित्तीय सहायता |
| 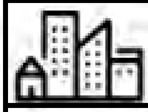 | टिकाऊ शहर और समुदाय | ▪ आवास, कृषि और एमएसएमई के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण |
| 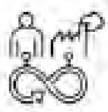 | जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन | • बैंक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित करता है, जागरूकता को बढ़ावा देता है और प्लास्टिक की वस्तुओं को रीसाइकल करता है।<br>• स्रोत पर ही गीले और सूखे कचरे को अलग करना, रीसाइक्लिंग और बिक्री को बढ़ावा देना |
| | जलवायु कार्रवाई | • उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना और ग्रीन बॉन्ड में निवेश |
| | पानी के नीचे जीवन | • एक वैश्विक फार्मास्युटिकल कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा की उपभोग और स्वच्छ पानी की उपभोग में कमी का वित्तपोषण करते हैं। |
| 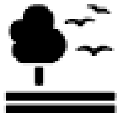 | भूमि पर जीवन | • उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाना और ग्रीन बॉन्ड में निवेश<br>• विभिन्न खंडों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तपोषण<br>• उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के लिए साउथ ईस्ट एशियन होटल चेन का वित्तपोषण किया |
| | शांति, न्याय और मजबूत संस्थान | • कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग |
| | लक्ष्य प्राप्ति के लिए साझेदारी | • स्थायी वित्त पहल के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग<br>• मुद्रा योजना जैसी सरकारी योजनाओं का निष्पादन |

# आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए एमएसएमई का समर्थन करना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार हैं और नवाचार, रोजगार और आर्थिक विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्व बैंक के अनुसार, एसएमई ने ~90% व्यवसायों का गठन किया और वैश्विक स्तर पर 50% से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जारी एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, भारत में एमएसएमई का भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हिस्सा है और ~11 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

चित्र में : भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान 2

Source: MSME Annual Report 2023

## भारत में कुल बकाया ऋण में एमएसएमई ऋणों की बढ़ती हिस्सेदारी

क्रिसिल के विश्लेषण से एमएसएमई ऋण की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत मिलता है। वित्त वर्ष 2024 में, एमएसएमई ऋण भारत में कुल ऋण का 17-19% था, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 14% था। क्रेडिट की यह लगातार बढ़ती हिस्सेदारी एमएसएमई के लिए एक अनुकूल गति का संकेत देती है, जो व्यापार विस्तार और आर्थिक विकास को चलाने में योगदान देती है।

यूके सिन्हा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए 2022 में वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 20- 25 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित एमएसएमई ऋण अंतर का सामना करना पड़ रहा है।

चित्र में :कुल ऋणों में एमएसएमई की हिस्सेदारी और वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

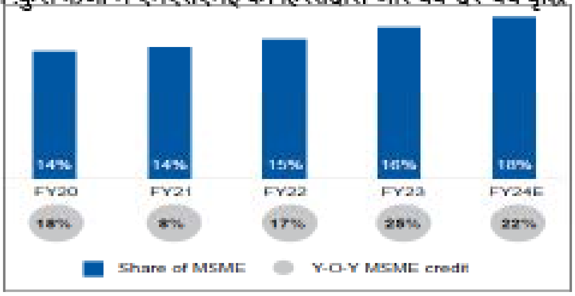


वित्त वर्ष 2024 में बैंकों ने कुल एमएसएमई ऋण का अनुमानित 75% हिस्सा लिया।

1. World Bank report, 2022
2. MSME 2023
* Total credit comprises the combined credit from both banks and NBFCs.
3. Standing Committee on Finance report in 2022
4. Pradhan Mantri Mudra Yojana, 2015, PMMY Report

चित्र में : वित्त वर्ष 2024 में एमएसएमई ऋणों में बैंकों की हिस्सेदारी

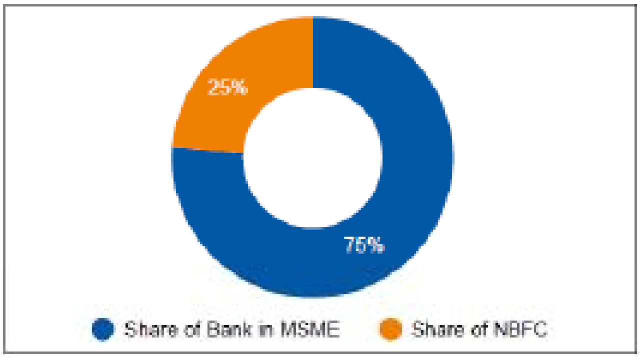


Source: CRISIL MI&A Research

## भारत के एमएसएमई ऋण में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 2015 (पीएमएमवाई) से सार्थक योगदान

वित्त वर्ष 2024 में एमएसएमई ऋण का 12- 16% हिस्सा है मुद्रा ऋण, जो संपार्श्विक-मुक्त है और 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं. ।

मुद्रा ऋण के माध्यम से औपचारिक ऋणों में वित्त वर्ष 2019-2024 में ~ 1.6 गुना वृद्धि हुई है

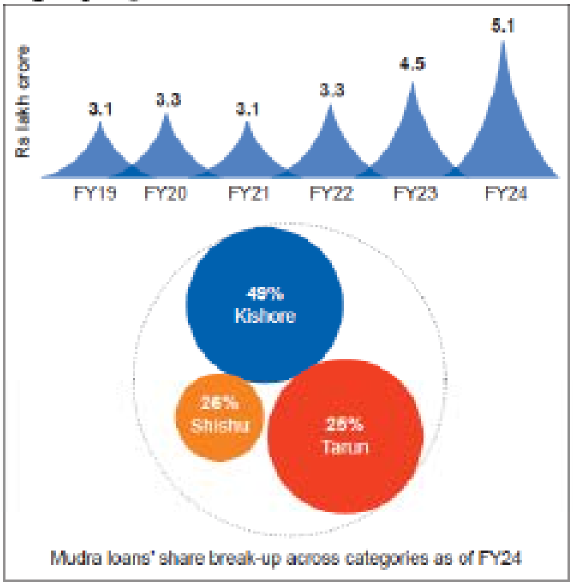


Source: PMMY

Notes:
1) Shishu: covering loans up to Rs 50,000
2) Kishor: covering loans above Rs 50,000 and up to Rs 5 lakh
3) Tarun: covering loans above Rs 5 lakh and up to Rs 10 lakh

**बीओआई का एमएसएमई क्रेडिट व्यवसायों को सशक्त बनाता है**
हम एमएसएमई सेक्टर की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो वित्त वर्ष 2024 में 10.9% से 78,533 करोड़ रुपये की क्रेडिट वृद्धि से प्रमाणित होता है। वित्त वर्ष 2024 तक कुल घरेलू ऋण में हमारा एमएसएमई क्रेडिट शेयर 16% रहा।

**चित्र में: वित्त वर्ष 2024 में हमारे एमएसएमई ऋणों के माध्यम से प्रदत्त सहायता**

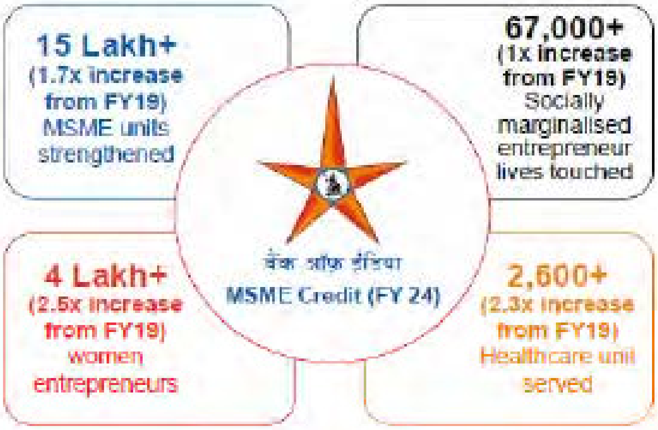

Notes: As of FY24

हमने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, भारत के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयों तक पहुंचने के लिए शहरी केंद्रों से परे एमएसएमई ऋण का विस्तार किया।
ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कुल एमएसएमई इकाइयों का 55% हिस्सा है

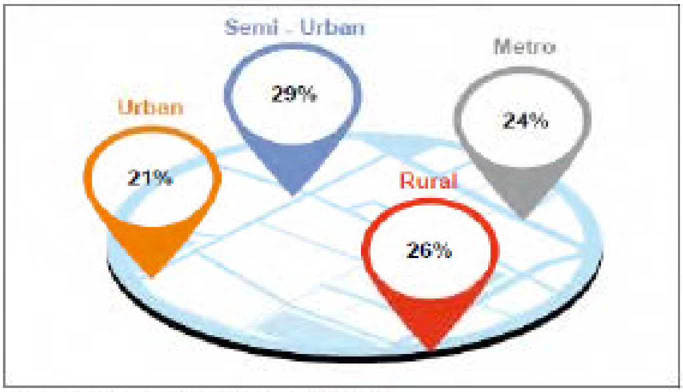


**हमारा एमएसएमई वित्तपोषण स्पेक्ट्रम**
हमारा एमएसएमई क्रेडिट काफी हद तक सेवा क्षेत्र की ओर है और अधिकांश ऋण सूक्ष्म इकाइयों को प्रदान की गई है।

**वित्तीय 2024 में हमारा एमएसएमई ऋण संवितरण**

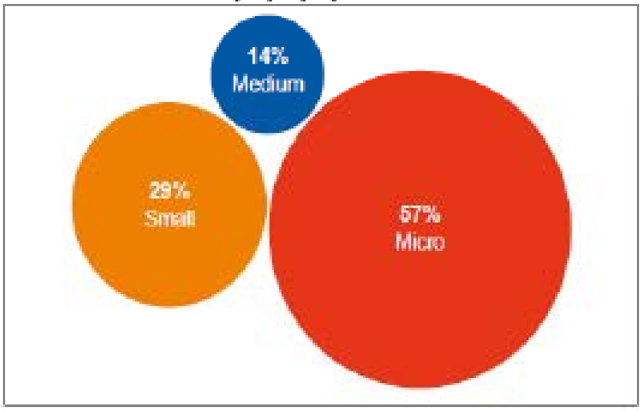


**एमएसएमई का गतिविधि-वार हिस्सा (खाते की संख्या के आधार पर)**

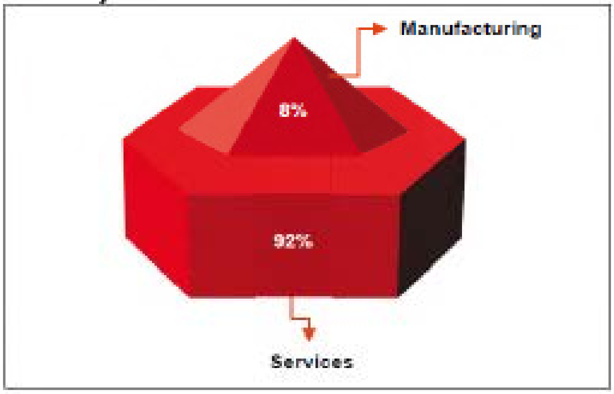


**बीओआई-वित्तपोषित एमएसएमई इकाइयों ने वृद्धि दर्ज की है, जैसा कि ऋण बढ़ाने के अनुरोधों से स्पष्ट है**

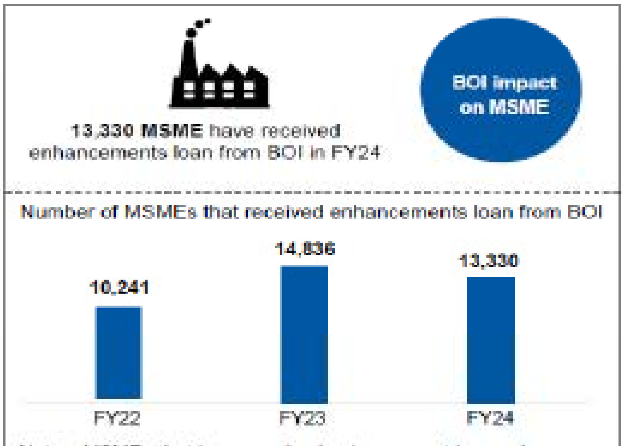


Notes: MSMEs that have received enhancement loans also reported an increase in revenue.

## मुद्रा ऋण हमारे एमएसएमई ऋण में एक बड़ा योगदानकर्ता है

वित्तीय वर्ष 2024 तक, मुद्रा एमएसएमई ऋणों में हमारे कुल एमएसएमई खातों का 79% शामिल था, जिसमें 124 लाख एमएसएमई मुद्रा ऋण प्राप्त कर रहे थे।

### पीएम स्वनिधि के माध्यम से "51 हजार+ स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता की।"

वित्तीय वर्ष 2024 में, पीएम स्वनिधि योजना के तहत कुल 51,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता की।

### सफलता की कहानियां
### बीओआई ने किस प्रकार इनकी सफलता में योगदान दिया:

**चाफेकर प्रेस टूल्स, महाराष्ट्र**

चाफेकर प्रेस टूल्स, मूल रूप से विद्युत स्विचबोर्ड ढालने वाला एक छोटा सा ग्रामीण उद्यम था। इस उद्यम को बीओआई की ओर से नकद ऋण सुविधा के रूप में रु.3 लाख की सहायता प्राप्त हुई। इस सहायता से कंपनी को व्यापार संचालन और संवर्धन कर व्यापार को बढ़ाने में मदद मिली।

जैसे इनका कारोबार बढ़ा, बीओआई ने नकद ऋण सुविधा बढ़ाकर रु.300 लाख कर दी। मधुकर चाफेकर द्वारा स्थापित, चाफेकर प्रेस टूल्स अब उद्योग क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। यह उद्यम स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है और तीन पीढ़ियों से स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे रहा है।

**होटल दलखाई, संबलपुर, ओडिशा**

मुक्तारानी दास ने आईटीआई कॉलेज में पैक भोजन की आपूर्ति कर अपना व्यवसाय शुरू किया था। मुद्रा योजना के तहत बीओआई से प्राप्त रु.1.5 लाख की वित्तीय सहायता के साथ, उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई और अपने उद्यम का विस्तार कर 'होटल दलखाई' की स्थापना की।
अब, तीन नए स्टाफ सदस्यों के साथ, उनका होटल भरपूर हलचल से युक्त रहता है। दास का व्यवसाय अब सुचारू और स्थिर रूप से निरंतर सुनिश्चित आय के साथ चल रहा है।

**ओंकार धोंडीराम पाटिल, हातकणंगले, कोल्हापुर**

ओंकार धोंडीराम पाटिल महाराष्ट्र के अर्ध-शहरी क्षेत्र में एक छोटे- से व्यवसाय के मालिक थे।
पाटिल ने अपने व्यवसाय के लिए मशीनरी खरीदने और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बीओआई से संपर्क किया। बीओआई ने रु.27 लाख (नकद ऋण के रूप में रु.2 लाख और मशीनरी की खरीद के लिए रु. 25 लाख) की पेशकश की।
अब पाटिल एक विनिर्माण इकाई, 'मेसर्स कॉपुवर कोर मेनुफेक्चरर' के मालिक हैं और रु.70,000 की मासिक आय अर्जित करते हैं। कंपनी ने आस-पास के क्षेत्र के पांच लोगों को रोजगार दिया है, जो अपने परिवार का भरण-पोषण करने लायक पर्याप्त कमा लेते हैं।

# बेहतर जीवनयापन के लिए गृह निर्माण

भारत में आवास की मांग में वृद्धि, तेजी से हो रहे शहरीकरण, उभरती प्रयोज्य आय वाली बढ़ती युवा आबादी, एकल परिवारों की बढ़ती संख्या और टियर 2 और टियर 3 शहरों में घरों की बढ़ती मांग के कारण हो रही है।

फिर भी, वर्ष 2022 में भारत का गृह ऋण (होम लोन) बुक-टू-जीडीपी अनुपात 11% है, जो अविकसित आवास वित्त क्षेत्र (हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर) को दर्शाता है, जो कि चीन, मलेशिया और सिंगापुर जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के बिल्कुल विपरीत है। यह हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में विकास की महत्वपूर्ण संभावनाओं को रेखांकित करता है।

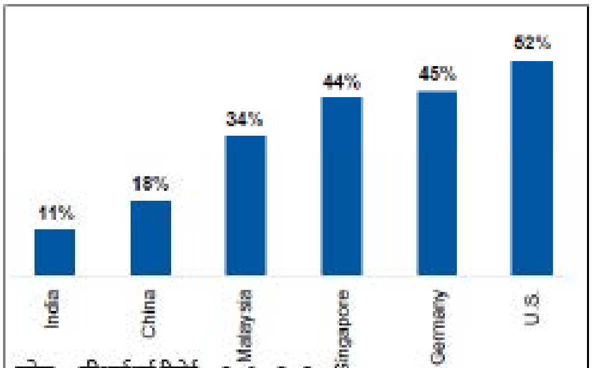

स्रोत: सीआईआई रिपोर्ट, 2022

भारत की आवास मांग में शहरीकरण से तेजी आ रही है।

क्रिसिल एमआई एंड ए अनुसंधान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में भारत के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की होम लोन बुक रु34,000-35,000 अरब थी, जिसमें बैंकों की 80% हिस्सेदारी थी।

## आवास के लिए बीओआई ऋण: लक्ष्य की ओर अग्रसर

हमारी ऋण पुस्तिका भारत में आवास की बढ़ती मांग के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2024 में हमारा गृह ऋण बकाया पांच वर्ष की सीएजीआर के 13% से बढ़कर रु59,107 करोड़ हो गया है। वास्तव में, मार्च 2024 तक, गृह ऋण खाता हमारे कुल खुदरा अग्रिम का 53% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, गृह ऋण बकाया का एक तिहाई से अधिक का भाग प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जिससे कम आय वाले समूह के व्यक्तियों को आवास प्राप्त हो सके।

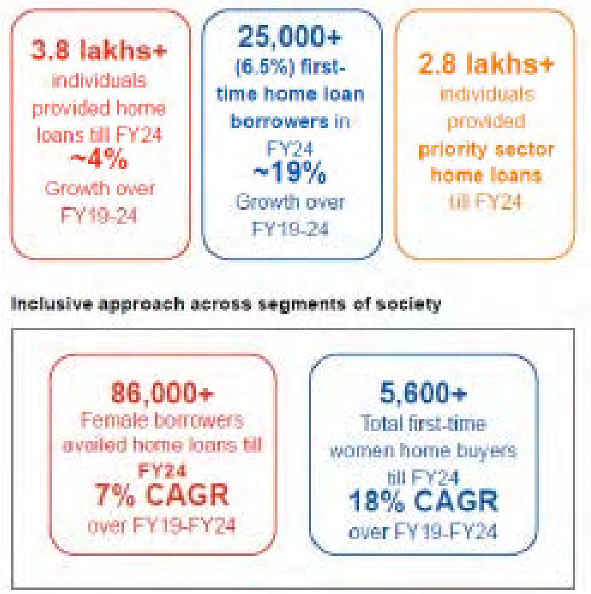

# कृषि क्षेत्र में वृद्धि का समर्थन

भारत में कृषि क्षेत्र प्राथमिक रूप से नियोक्ता के तौर पर स्थापित है। लगभग 55% आबादी कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है. वित्त वर्ष 2023[4] में देश के सकल मूल्य में इस क्षेत्र का ~18% का योगदान है। वास्तव में, पश्चवर्ती और अग्रवर्ती संबद्धता के कारण अन्य क्षेत्रों की वृद्धि तथा समग्र अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

भारत ने पिछले कई दशकों[5] में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। यह दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और चावल उत्पादन में इसका #2 स्थान है। इसके अतिरिक्त, देश गेहूं के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में श्रेणीबद्ध है, जो वर्ष 2020 में दुनिया के कुल उत्पादन का ~14% है।

चित्र 11 : खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि

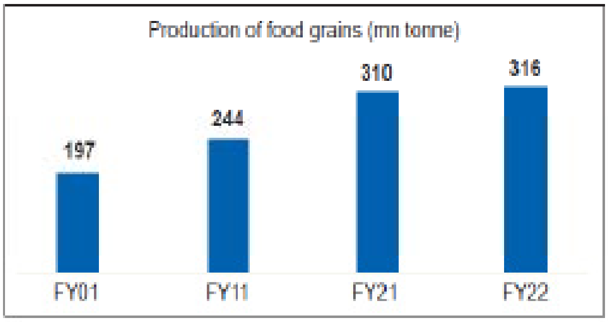


## बीओआई की कृषि संबंधी पहलों में फसलों के अलावा भी बहुत कुछ शामिल है

वित्त वर्ष 2019 और 2024 के मध्य हमारी कुल कृषि ऋण पुस्तिका 12% सीएजीआर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में रु.87,486 करोड़ हो गई है।

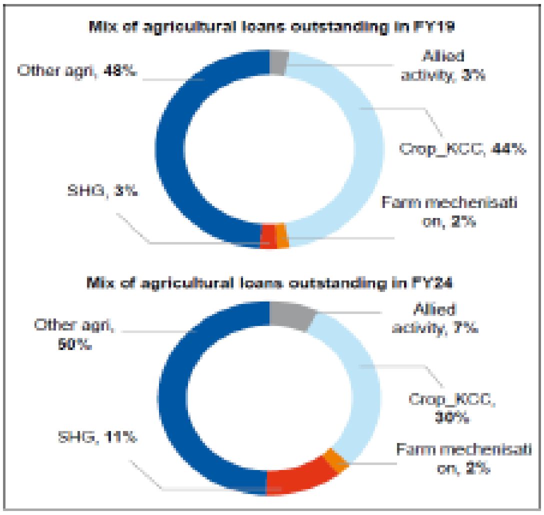


[4] कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
[5] एफएओस्टैट
[6] कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

**37 lakh+** Total lives touched through agriculture-related financial products as of FY24. This includes farmers and individuals financed under SHGs.

**3.3 lakh +** individuals benefitted from self-help groups (SHGs), to which credit of Rs 9,857 crore was extended as of FY24

**50%** CAGR of outstanding credit between FY19-FY24

## सफलता की कहानियां

### महिला उद्यमियों के नेतृत्व से कृषि पर निर्भरता कम होना

वर्ष 2016 में स्थापित, मेसर्स सत्य साई स्वशक्ति संगम की स्थापना 10 महिलाओं द्वारा की गई थी, जो अपने छोटे व्यवसाय शुरू करके अपने परिवार को संबल प्रदान करना चाहती थीं।

गुजरात के गांधीनगर के नलोडा शहर की ये महिलाएं एक साथ आई और वर्ष 2016 में इन्होंने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन किया, जिससे वे बैंक से ऋण प्राप्त करने में सक्षम हुईं। उन्होंने हाल ही में अपने व्यवसायों में निवेश करने और उन्हें बढ़ाने के लिए रू.10 लाख (प्रत्येक सदस्य को रू.1 लाख) का अपना चौथा ऋण लिया है।

सभी सदस्य महिलाएं अपनी छोटी व्यावसायिक इकाइयां जैसे कि टेलरिंग, जनरल स्टोर, सब्जी बेचने वाले स्टॉल और फोटोकॉपी एवं प्रिंटिंग की दुकानें सफलतापूर्वक चला रही हैं। इस प्रकार, बैंक से प्राप्त ऋण की सहायता से ये महिलाएँ सफल हो पाई हैं और इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है।

## सफलता की कहानियां : बीओआई ने किस प्रकार इनकी सफलता में योगदान दिया

**ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण: संजीवनी महिला बचत गट की कहानी**

कुल 351 परिवारों की 1,717 आबादी वाला खापुर गांव, मुख्य रूप से आय के लिए कृषि पर निर्भर था।

एक शिक्षित ग्रामीण, ज्योति प्रमोद तगड़े ने उद्यमिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की संभावना को महसूस किया।

वर्ष 2008 में, उन्होंने 10 सदस्यों के साथ एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संजीवनी महिला बचत गट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बचत और आंतरिक ऋण पर ध्यान केंद्रित करना था। उनकी नेतृत्व क्षमताओं को पहचानते हुए, तगड़े समूह ने वर्ष 2019 में संजीवनी रेडीमेड गारमेंट्स के रूप में परिवर्तन किया और उद्यम प्रारंभ करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से रू. 3 लाख का ऋण प्राप्त किया। कंपनी ने शुरुआत में स्कूल यूनिफॉर्म सिलना शुरू किया और बाद में महामारी के दौरान मास्क का उत्पादन शुरू किया।

पहले प्रयास की सफलता ने समूह को हमारी उमरेद शाखा से ऋण लेने के लिए प्रेरित किया, जिसने वर्ष 2022 में पीएमईजीपी योजना के तहत रू. 8 लाख का सावधि ऋण देने की पेशकश की। विस्तारित संचालन के साथ, यह एसएचजी अब 29 सदस्यों को रोजगार देता है और जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के साथ मिलकर एससी/एसटी महिला सदस्यों को प्रशिक्षित करता है। इसकी योजना इस भागीदारी के माध्यम से 600-700 महिलाओं को रोजगार देने की है। तगड़े की कहानी, ग्रामीण भारत में जमीनी (आधारभूत) स्तर पर उद्यमिता के प्रभावशील परिवर्तन को दर्शाती है।

## हमारे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करना

**29 lakh**
farmers availed credit as of FY24
**1.05x**
Growth in number of farmers between FY19-FY24

**Rs 40,634 cr**
credit provided to farmers as of FY24
**3%**
CAGR in credit provided to Farmers between FY19 to FY24

हमारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों, जिसमें गैर-कृषि गतिविधियां भी सम्मिलित हैं, के लिए अनुकूलित ऋण सहायता प्रदान करता है। फसल उत्पादन के लिए केसीसी के तहत, किसानों को फसल की खेती और कार्यशील पूंजी के लिए व्यापक ऋण सहायता मिलती है।

वित्त वर्ष 2024 तक 21 लाख से अधिक व्यक्तियों ने केसीसी के तहत लाभ उठाया है, जो कि वित्त वर्ष 2019 और 2024 के बीच 2% का सीएजीआर दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024 तक इन ऋणों की बकाया राशि रु. 27,813 करोड़ है और इसमें वित्त वर्ष 2019 और 2024 के बीच 4% की सीएजीआर की वृद्धि हुई है। जबकि, वित्तीय वर्ष 2024 तक कुल लाभार्थियों में से महिलाओं के खाते 19% हैं।

## बीमा प्रदान कर किसानों की आजीविका की रक्षा करना

**23 lakh +**
Farmers insured as of FY24
**Rs 4,986 cr**
total insurance amount of farmers insured as of FY24

## समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी (संयुक्त) दृष्टिकोण

**12.3 lakh +**
**women** to which credit was extended – amounted to **Rs 17,219** crore as of FY24

**4.6 lakh +**
**vulnerable and marginalised individuals (SC/ ST)** to whom credit was extended – amounted to **Rs 5,376** crore as of FY24

**1,200 +**
**disable individuals** to which credit was extended – amounted **Rs 21 crore** as of FY24

हम न केवल वित्तीय उत्पादों के माध्यम से बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं, पहलों एवं सुविधाओं के माध्यम से भी कृषि क्षेत्र की सहायता करते हैं, जैसा कि :

**2.6 lakh +**
**individuals benefitted from National Rural Livelihood Mission**
The Mission has a mandate of reaching 100 million rural poor in 6 lakh villages across the country. **Rs 7,925 crore** of credit was extended as of FY24.
**64%** CAGR in outstanding credit between FY19-FY24

**13,900+**
**individuals benefitted from Star Sakhi,** to which credit of ~**Rs 83 crore** was extended as of FY24

## सफलता की कहानियां

### बीओआई ने किस प्रकार इनकी सफलता में योगदान दिया

**कृषि उद्यमिता के लिए सहायता**

हमने एक किसान और हमारी मारुति मंदिर शाखा के मौजूदा ग्राहक, श्री देवेंद्र ज्ञानेश्वर झापडेकर के कृषि व्यवसाय की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना, (मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना) के माध्यम से हमने सही समय पर और समस्या रहित वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे उन्हें फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना स्थापित करने और सामुदायिक कृषि आस्तियां बनाने के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करने में सहायता मिली।

हमारे मार्गदर्शन और सहायता से, झापडेकर आम पकाने वाला एक नया कक्ष स्थापित करने में सक्षम हुए, जिससे न केवल उनकी अपनी खेती को लाभ हुआ, बल्कि रत्नागिरी और आस-पास के गांवों में साथ के अन्य आम के किसानों को कस्टम हायरिंग सेवाएं भी प्रदान की गईं।
हमने परियोजना लागत हेतु बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के रु.10 लाख का ऋण संवितरित किया, चूंकि झापडेकर के किसान क्रेडिट कार्ड की रु. 47 लाख की सीमा पहले से ही हमारी बुक में नियमित थी।

झापडेकर का आम पकाने वाले कक्ष का संचालन बहुत सफल रहा, जिससे उनकी और अन्य आम उत्पादकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह सफलता की कहानी, कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने और किसानों को उनके प्रयासों में आत्मनिर्भर बनाने एवं सतत विकास करने में उन्हें सक्षम बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

झापडेकर ने एआईएफ योजना के तहत उद्यमिता विकास कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत की और कृषि नवाचार और ग्रामीण विकास पर हमारी सहायता के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

# विकास में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना

विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महिलाओं का योगदान 18% है. कार्यबल और उद्यमिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आर्थिक विकास, नवाचार और सामाजिक उन्नति का संकेत देती है, जो राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में भारत की स्थिति, श्रम शक्ति भागीदारी दर में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2018 में 17.5% से बढ़कर वर्ष 2022 में 24.8% होने से प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है।

**Figure: India's labour force participation rate (LFPR) for women rising**

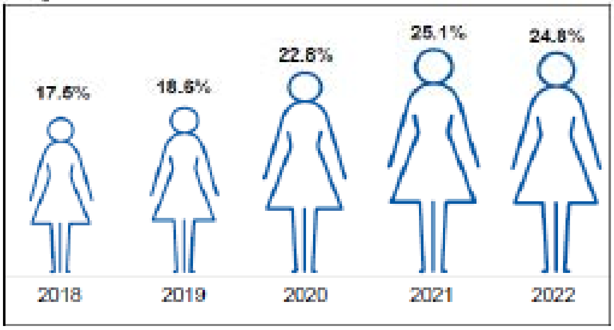


Source: MOSPI report Women[13]

यद्यपि भारत में महिला श्रमबल की भागीदारी वैश्विक मानकों से कम है, फिर भी यह विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।

**चित्र में : विश्वभर में महिला कार्यबल सहभागिता, 2022**

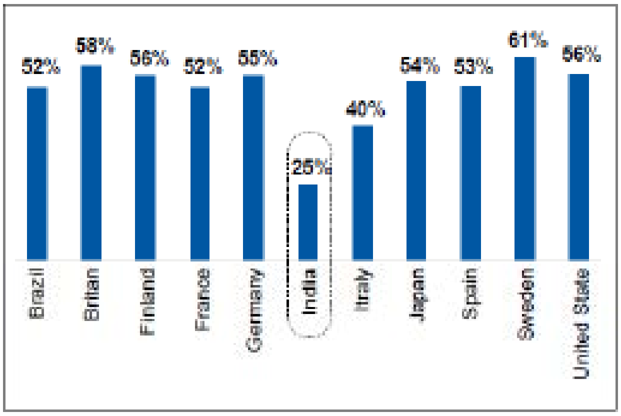


Source: World Bank, 2022[11]

### सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती सहभागिता

क्रिसिल द्वारा भारत में 950 सूचीबद्ध कंपनियों के विश्लेषण से पता चलता है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी वित्त वर्ष 2020 में 11.1% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 12.1% हो गई है, जो लैंगिक समावेशिता और आर्थिक विकास की दिशा में एक क्रमिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2022 में कंपनी बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 18% था।

[illegible]

**चित्र : 15 : भारत के स्टार्टअप में महिलाओं का बढ़ता प्रभाव12**

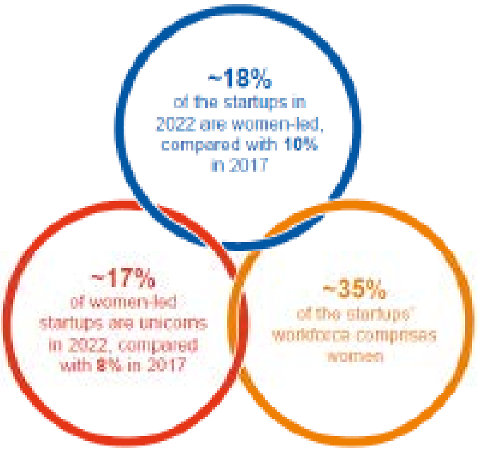


इसके अतिरिक्त, मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति और चुनावी भागीदारी में उनका बढ़ता स्तर, लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में प्रगति को दर्शाता है।

**चित्र 16 : केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिलाएं**

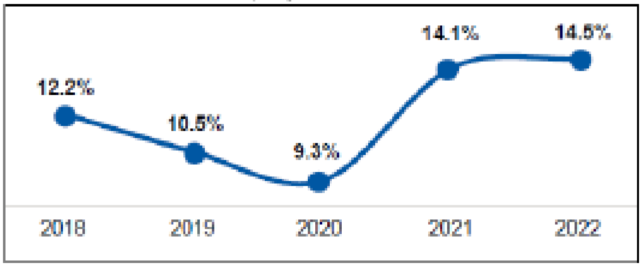


**चित्र 17 : महिला मतदाताओं की सहभागिता**

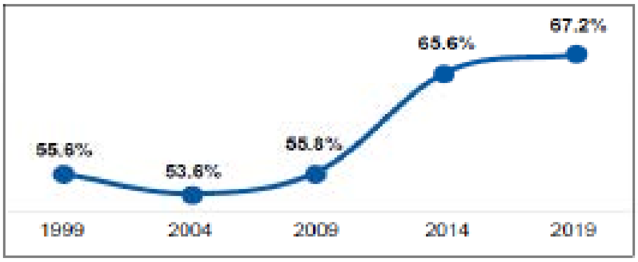


**स्रोत : एसबीआई इकोरैप रिपोर्ट**

### महिलाओं के लिए बीओआई द्वारा किए गए उपाय: उचित भागीदारी बढ़ाना

हम महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं। कुल कार्यबल में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी वर्ष 2019 में 26% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 29% हो गई है। वित्त वर्ष 2024 तक, हमारे यहाँ 14,826 महिलाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, एक स्वतंत्र महिला निदेशक के साथ-साथ, हमारे बोर्ड में एक महिला सदस्य भी सम्मिलित हैं, जो कि इस क्षेत्र में औसत भागीदारी के बराबर, कुल बोर्ड सदस्यों का 10% है।

हमारे कार्यबल में महिला कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़ रही है

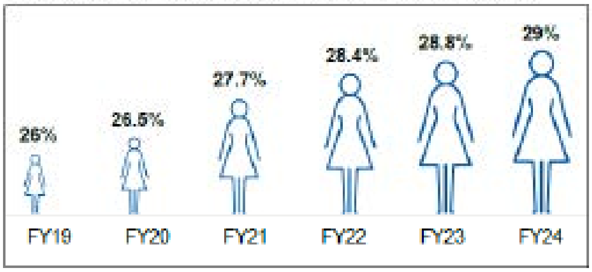


| | बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलें: |
|---|---|
| | **विराम (सबैटिकल) अवकाश**<br>महिला कर्मचारी 3 माह से 2 वर्ष तक का विराम अवकाश ले सकती है।<br>वित्त वर्ष 24 में 60% महिलाएं सबैटिकल लीव के बाद कार्य पर लौटी है। |
| | **होम-जोन स्थानांतरण**<br>महिला कर्मचारियों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाती है। |
| | **बच्चों की देखभाल संबंधी सुविधाएं**<br>बच्चों की देखभाल संबंधी सुविधाओं पर व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में पाँच वर्ष तक रु. 3,000 प्रति माह (प्रति बच्चा) प्रदान किए जाते हैं |
| | **माताओं हेतु परामर्श कार्यक्रम**<br>महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति-पश्चात परामर्श कार्यक्रम किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य महिला कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन को पुनः स्थापित करना है। |

### हमारी अनुषंगियों की पहल

हमारी अनुषंगियों में भी महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसी ही कहानियां सामने आती हैं। उदाहरण के लिए, बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टार लाइफ में लैंगिक विविधता सीमा 20-28% के बीच है, जो मुख्य तौर पर हमारे लैंगिक विविधता अनुपात के अनुरूप है।

इसके अतिरिक्त, स्टार लाइफ महिला कर्मचारियों को सहायता देने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तावित करता है, जिसमें सम्मिलित हैं

| | |
|---|---|
| | **उर्जा - महिला सशक्तिकरण मंच**<br>ऐसे मुद्दों/पहलों पर चर्चा करने का मंच है, जो हमारी महिला सहकर्मियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम करता है। |
| | **मातृत्व सुरक्षा और बचाव (कवच)**<br>मातृत्व सुरक्षा और प्रसवोत्तर सुरक्षा, महिलाओं हेतु निर्बाध भूमिका परिवर्तन एवं कार्य निरंतरता सुनिश्चित करते हैं, साथ ही कार्यस्थल चुनौतियों और पारिवारिक आवश्यकताओं के बीच महिला की प्रतिभा को बनाए रखने में सहायता करते हैं। |

विभिन्न वित्तीय उत्पादों के अतिरिक्त, हम समय-समय पर विभिन्न पहलों एवं नवोन्मेषी कार्यों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं।

कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं

### संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर

योग संस्थान, मुंबई के सहयोग से, हमने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), स्टार हाउस I और II में सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक समग्र स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। शिविर का आयोजन महिला कर्मचारियों को दैनिक जीवन में सरल योगासनों का अभ्यास करवाने और स्वास्थ्य के बारे में उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया।

### बैंक में नेतृत्व स्थान पर आसीन महिलाओं हेतु सम्मेलन

हमारे मुख्यालय द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2023 से 10 जनवरी, 2023 तक पूरे भारत की 38 महिला कार्यपालकों (सहायक महाप्रबंधक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों) के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का उद्देश्य, हमारे संगठन में महिला कार्यपालकों को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए खुद को सशक्त बनाना और इस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में उन्हें सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और परिवर्तन हेतु जागरूक करना था।

### 'इमोशनल वेलनेस' पर सत्र

हमने 'इमोशनल वेलनेस' पर एक सत्र का आयोजन किया, जिसमें राइट्टसाइड की संस्थापक और पॉश-पॉक्सो, मानवाधिकारों की जानकार एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, साथ ही सर्कल एलएक्स से 'नारी शक्ति पुरस्कार 2019' की प्राप्तकर्ता डॉ. रैना खत्री टंडन द्वारा सत्र का संचालन किया गया। इस पहल का उद्देश्य तनाव प्रबंधन और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करना था।

## सफलता की कहानियां

## बीओआई ने किस प्रकार इनकी सफलता में योगदान दिया

### संस्था में महिलाओं का सशक्तिकरण

हमारे संगठन की एक स्टाफ अधिकारी सुश्री निखत ज़रीन ने मई 2021 में बैंक में भर्ती होने के बाद से मुक्केबाज़ी में असाधारण प्रदर्शन किया है। खेलों में उनकी उपलब्धियों में हमारा समर्थन महत्वपूर्ण रहा है। प्रतिष्ठित आयोजनों जैसे महिलाओं का आईबीए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 और राष्ट्रमण्डल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतना, उनकी प्रतिभा को दर्शाता है।

हमारे पहल जैसे नकद पुरस्कार, वेतन वृद्धि और पदोन्नति, उनकी उपलब्धियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करते हैं। इस तरह का समर्थन उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन पहलों के माध्यम से, हम न केवल प्रतिभा का पोषण करते हैं बल्कि खेल को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रमाण देते हैं।

### संस्था में महिलाओं का सशक्तिकरण

सिमरनजीत कौर, जो एक सफल तीरंदाज़ हैं और जिन्होंने कई पदक अपने नाम किए हैं, अपनी असाधारण खेल उपलब्धियों के बल पर हमारे बैंक में भर्ती हुईं। उनकी प्रतिभा और क्षमता को पहचानते हुए, हमने उनके एथलेटिक प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। सिमरन को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हमसे वित्तीय सहायता मिली। बैंक में उनके काम काज के संबंध में हमारी लचीली कार्य व्यवस्था ने सिमरन को खेल के प्रति अपने जुनून के साथ अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने के लिए सशक्त बनाया। यह प्रतिभा को पोषित करने और व्यक्तियों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

### महिलाओं का समर्थन करने के लिए हमारे पास अनेकों वित्तीय उत्पाद हैं

हमने महिलाओं की ज़रूरतों के अनुरूप एक उत्पाद, नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है, विशेष सुविधाएं और रियायतें प्रदान करता है। ये शून्य-शेष खाते महिलाओं को प्रारंभिक जमा की आवश्यकता के बिना बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

इस योजना के माध्यम से मार्च 2024 तक रु. 81 करोड़ जमाराशि के साथ 71,000 से अधिक नारी शक्ति बचत खाते खोले गए।

### नारी शक्ति बचत खाते में पेश की गयी सुविधाएं

## टेबल 1 : महिला-उधारकर्ताओं का हमारा सशक्त आधार

| क्षेत्र | Lives touched | Share of women in overall lives touched | Lending to women borrowers |
|---|---|---|---|
| 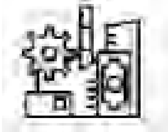 एमएसएमई | 4 lakh+ | 26% | Rs. 4,287 crore MSME credit to women as of FY24 |
| 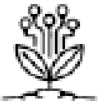 कृषि | 12.3 lakh+ | 33% | Rs. 17,219 crore Agri credit to women as of FY24 |
| आवास | 86,000+ | 22% | Rs. 13,263 crore Home Loan to Woman Borrower as of FY24 |

## सफलता की कहानियां

### बीओआई ने किस प्रकार इनकी सफलता में योगदान दिया

**समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण**

श्रीमती मनीषा संतोष खड़के, जो पहले ओम इंडस्ट्रीज के साथ कार्यरत थीं, ने इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स और घटकों के निर्माण के लिए मौली इंडस्ट्रीज की स्थापना की।

उन्होंने वित्तीय सहायता के लिए हमारी शिरोली शाखा में आवेदन किया, जिसके बाद मशीनरी के लिए 22.5 लाख रुपये और कार्यशील पूंजी के लिए 0.5 लाख रुपये प्रदान किए गए। इस समर्थन के साथ, उनका व्यवसाय काफी बढ़ गया है। उनकी आय भी 12,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर – 50,000 रुपये हो गई है, और वह तीन तकनीशियनों को रोजगार प्रदान करते हुए जीवन को भी बदलने में सक्षम रही है।

उनकी सफलता की कहानी महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को रेखांकित करता है।

# शिक्षा और कौशल विकास का प्रसार

भारत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे युवा कार्यबल का घर है। हालांकि, उपलब्ध कार्यबल और उद्योगों द्वारा अपेक्षित कौशल के बीच बहुत बड़ा अंतर है, केवल ~ 5% औपचारिक रूप से कुशल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस अंतर को पाटना आर्थिक विकास और उत्पादकता और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

ज्ञान की मजबूत नींव बनाने में शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। कुशल प्रशिक्षण किसी भी राष्ट्र में आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में कार्य करता है।

## बीओआई की प्रशिक्षण और शिक्षा पहल: क्षमता और बहुत कुछ

हम अपने कर्मचारियों से परे सभी स्तरों पर एक कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के महत्व को स्वीकार करते हैं। विभिन्न पहलों के माध्यम से, हमारा उद्देश्य जागरूकता, ज्ञान और कौशल को बढ़ाना है, विविध भूमिकाओं के लिए तत्परता सुनिश्चित करना है। शिक्षा के लिए परिचालन सहायता के अलावा, हम गरीब और वंचित व्यक्तियों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए सीएसआर गतिविधियां भी करते हैं।

चित्र 19: शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु हमारा समर्थन

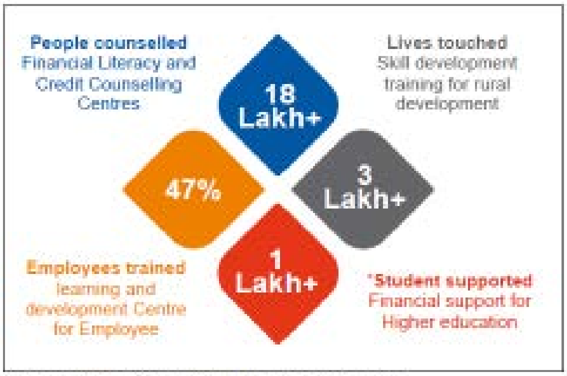


Note: *Number of accounts based on outstanding

## कौशल में अंतर को कम करने के लिए स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) की पहल

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों को शामिल करने वाली एक संयुक्त पहल है.

इस पहल के हिस्से के रूप में, बैंकों को सरकार द्वारा अपनी अग्रणी बैंक जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में अपने जिले के भीतर कम से कम एक संस्थान स्थापित करने के लिए अनिवार्य किया गया है

| | | |
|---|---|---|
| बीओआई द्वारा प्रायोजित RSETI | 42 | बीओआई द्वारा प्रायोजित सभी RSETI में वित्तीय वर्ष 2024 में निपटान और क्रेडिट लिंकेज की दर क्रमशः 78% और 60% से अधिक है। |

नोट: बीओआई आंतरिक आंकड़े

## [illegible]

#^ Indicates share of candidates settled out of total candidates trained

* Indicates share of credit linkage to total self-employed candidates

**Figure: 20 BOI – Programme under RSETI**

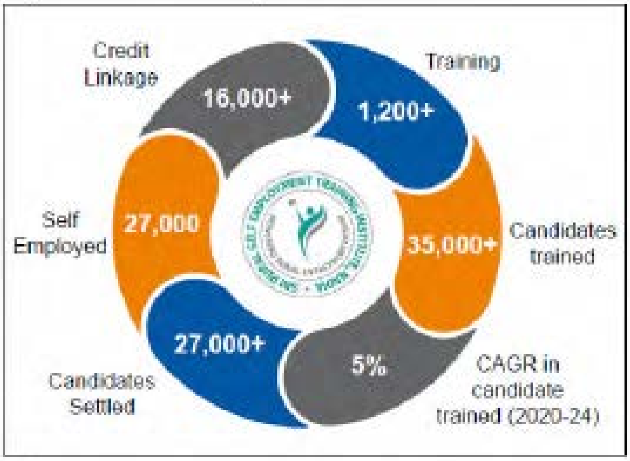


Note:
1. Candidates settled are those who got employment/business after training
2. Credit linkage are the self-employed who were provided with credit support from BOI

## सफलता की कहानियां

### बीओआई ने किस प्रकार इनकी सफलता में योगदान दिया

**विद्या सुनील संगावकर, कोल्हापुर**

विद्या ने अपने घर के पास एक छोटा फास्ट-फूड स्टॉल शुरू किया, जिसमें उन्होंने ₹ 50,000 की अपनी निधि लगाई। फास्ट-फूड व्यवसाय के बारे में ज्ञान की कमी के कारण, विद्या को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और ग्राहकों की मांग को पूरा करने में असमर्थ रहीं।

विद्या ने BOI RSETI, कोल्हापुर में फास्ट-फूड प्रशिक्षण में भाग लिया और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को तैयार करना और समय का प्रबंधन करना सीखा। उन्होंने व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण भी लिया।

प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्होंने मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया और बीओआई से ₹ 1.60 लाख का ऋण प्राप्त किया, जिसका उपयोग उन्होंने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए किया। उनके फूड स्टॉल का नाम साई भरी भेल सेंटर है। प्रशिक्षण से पहले, वह प्रति दिन रुपये 500 कमा रही थी। प्रशिक्षण के बाद, वह अब एक दिन में ₹ 3,000 – 5,000 कमाती हैं।

**आशा मालवीय, मध्य प्रदेश**

आशा ने BOI RSETI के तहत बैंक सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम में रोजगार प्राप्त किया और अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन दिया।

RSETI बैंक सखी प्रशिक्षण के माध्यम से, वह प्रभावी संचार, लक्ष्य अभिविन्यास और समय प्रबंधन में सक्षम हो गई। आशा को स्वयं सहायता समूह ऋण/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के रूप में वित्तीय सहायता मिली और उन्होंने अपना स्वयं का सामान्य सेवा केंद्र शुरू किया। उन्होंने रु 35,000 के अपने फंड के साथ एक उद्यम की स्थापना की और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से रु 25,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त की। आरएसईटीआई ने आशा को एक आश्रित से एक उद्यमी बनाया है। वह अब सक्रिय रूप से अपनी घरेलू आय में योगदान देती है और अपने परिवार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है।

## भावी प्रतिभा को आकार देने के लिए शिक्षा में निवेश

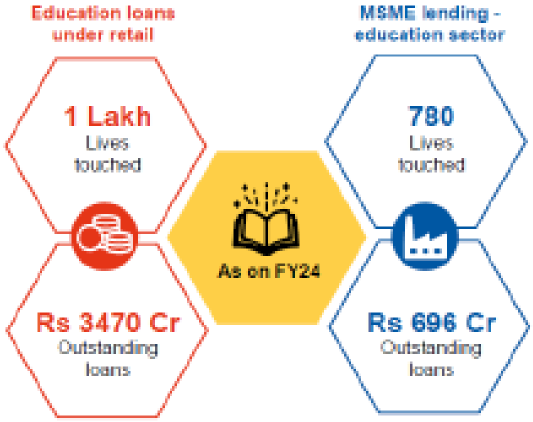


Note: Priority sector lending (PSL) accounted for about three-fourths of the education loan portfolio in the retail segment

## कर्मचारियों को उद्योग के लिए तैयार करना

हम सात प्रशिक्षण संस्थान चलाते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारियों को उद्योग भर में आवश्यकताओं के साथ अद्यतन रहने के लिए आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त हो।

हमने अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, पुणे; कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, पुणे; एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद; मणिपाल ग्लोबल, बेंगलुरु; और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग व्यवस्था की है ।

चित्र 21 : कौशल और सुरक्षा पर प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत

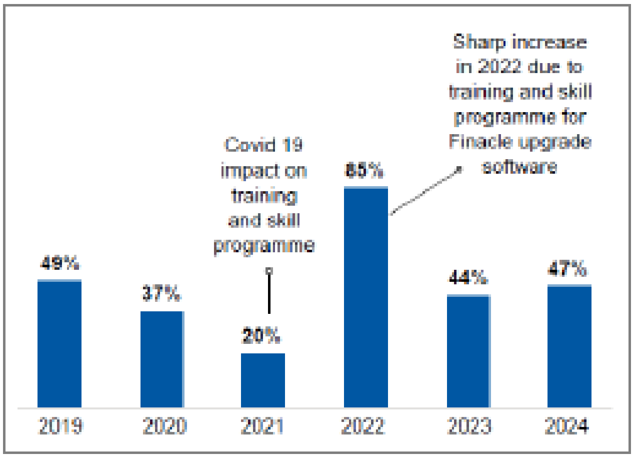


Source: CII Reports, 2022[5]

## वित्तीय साक्षरता के माध्यम से युवा सशक्तिकरण

वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी)/एफएलसी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रामीण और शहरी केंद्रों के उन जिलों में स्थापित किए जाते हैं जहां बैंक की अग्रणी बैंक जिम्मेदारी है।

हमारे 51 एफएलसी सभी 51 अग्रणी जिलों में कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अधिक लोगों को वित्त को समझने में मदद करना है, जो युवाओं को उनकी वित्तीय भलाई के लिए सूचित विकल्प बनाने के लिए सक्षम बना सकता है।

एफएलसी प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा व्यथित उधारकर्ताओं के लिए मामला-दर-मामला आधार पर उपचारी परामर्श, मीडिया, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देती हैं। वित्त वर्ष 2024 में कुल 18.67 लाख लोगों को काउंसलिंग दी गई ।

# कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां

सामाजिक चुनौतियों का सामना करने, सतत विकास को बढ़ावा देने और बेहतर समाज के निर्माण में सीएसआर अब महत्वपूर्ण हो गया है। सरकारी विनियमों के अनुसार, कंपनियों को अपने लाभ का 2% सीएसआर गतिविधियों के लिए आवंटित करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, 19,043 कंपनियों ने सामूहिक रूप से सीएसआर पहलों में रु 26,279 करोड़ का योगदान किया है।

बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की गयी थी, और इसलिए इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 लागू नहीं है। इसलिए, हमें अपने पास लाभ का 2% सीएसआर के लिए आवंटित करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, हम स्थायी आधार पर सीएसआर पहल के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक संवर्धन का समर्थन करने के लिए समर्पित हैं।

## सीएसआर के लिए बीओआई की प्रतिबद्धता: परिवर्तन लाना

हमने वित्तीय वर्ष 2024 में सीएसआर पहल के लिए रु 8 करोड़ आवंटित किए, जिनमें से रु 7.07 करोड़ खर्च किए गए। सामाजिक कल्याण के प्रति हमारा समर्पण इसकी सीएसआर पहल के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला के माध्यम से प्रदर्शित होता है।

**चित्र 22 : वित्त वर्ष 2024 हेतु वर्ग-वार सीएसआर व्यय हिस्सेदारी**

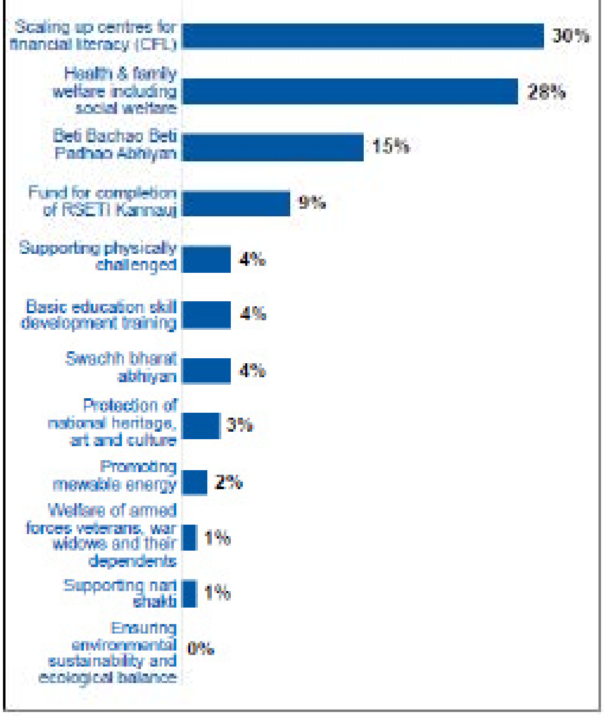


स्टार एंजेल योजना एक उल्लेखनीय कार्यक्रम है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का समर्थन करता है

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंग आधारित लिंग-चयनात्मक भ्रूण हत्या को रोकने, लड़कियों की सुरक्षा और बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है। हम प्रति ग्रामीण शाखा, पांच बालिकाओं को गोद लेते हैं और उन्हें कक्षा 1 से स्नातक तक के शैक्षिक व्यय के लिए प्रति बालिका प्रति वर्ष रु 1200 वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

## वित्तीय वर्ष 2024 में सीएसआर पहल

Financial Assistance though CSR for procurement of wheelchairs,Stretchers,Watercooler,Patient beds to PGIMER, Chandigarh

Rs 4.11 Lakh for purchase of Wheelchairs, Strechers, Water Cooler, Patient Beds for PGIMER Hospital Chandigarh. The aforesaid CSR activity falls under category of "Health and Family Welfare including Social welfare".

**Financial Assistance through CSR to The Spastics Society of Tamil Nadu (SPASTN) for rehabilitation, special education and vocational training for skill development of differently abled children, under Chennai Zone, NBG-South I**

SPASTN provides extensive rehabilitation including neuro-developmental therapy, hydrotherapy, speech & language therapy and sensory integration. They also run a community-based rehabilitation of children with special needs in Tiruvallur District.

Rs 5 Lakh for CSR Support to Spastics Society of Tamil Nadu (SPASTN) for rehabilitation, special education and vocational training for skill development of differently abled children.

**Financial Assistance through CSR for procurement of necessary items for Sahara Vridhashram, Patna**

Rs 1 lakh for purchase of water cooler, LED television, vaccum cleaner, 35 men's T-shirts, 55 ladies nighties and 250 kgs of foodgrains. The aforesaid CSR activity falls under category of "Health and family welfare including social welfare"

**Financial Assistance through CSR for procurement of 200 ceiling fans to Police Line Dhanbad**

Financial Assistance through CSR for procurement of 200 ceiling fans to Police Line Dhanbad

**Financial Assistance through CSR for procurement of Three sets of Desktop Computers for Dhanamma Devi Devasthan trust Kolhapur**

Rs1 Lakh for purchase of Three Sets of Desktop Computers for Dhanamma Devi Devasthan Trust, Guddapur in Kolhapur District. The aforesaid CSR activity falls under category of "Social Welfare".

**Financial Assistance through CSR to Vision Foundation of India (VFI)for Free Eye Surgery Camp Mumbai**

Pre Operative Photograph

Post Operative Photograph

BOI has provided 9 lakh Rs for 360 eye surgeries, with Rs 2500/- for each surgery, to the Foundation of India, for carrying out free eye checkup and Cataract surgeries of the marginalized strata of the society. The aforesaid CSR activity falls under category of "Health and Family Welfare including Social Welfare.

**Financial Assistance though CSR for procurement of Ambulance to Sansthan Shri Deo Ganapatipule Devasthan**

In collaboration with Bank of India, Sansthan Shri Deo Ganapatipule Devasthan offers a free ambulance service to those in need. BOI allocated Rs20 Lakh - to provide one ambulance to Sansthan Shri Deo Ganapatipule Devasthan, Ganapatipule, Maharashtra. This CSR initiative falls under the category of "Health and Family Welfare, including Social Welfare".

**Financial Assistance through CSR to Aatmaja Foundation working for education of girls from under privilege background under NBG-West II**

Aatmaja Foundation, a Non-profit organization committed to enabling bright young girls from disadvantaged backgrounds to become successful professionals. They seek support for 15 girls (with average spend on each girl being 40,000) i.e. Rs6 lakhs. The project name is "Udaan" and the expenses are incurred for School/ College fees, Books, Extra coaching, mentoring, counselling, training and administrative expenses related to supporting these initiatives.

# पर्यावरण की दृष्टि से सतत भविष्य का समर्थन करना

औद्योगीकरण और परिणामस्वरूप भौगोलिक उत्सर्जन ने पर्यावरण को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया है। जलवायु में हुए परिवर्तन से हमारी जीवन शैली एवं कार्य प्रणाली तेजी बदल रही है। यह संगठनों को अपनी कार्यनीतियों का पुनः आकलन करने के लिए बाध्य कर रहा है और कारोबार रूपान्तरण पर बल दे रहा है। जलवायु संबंधी मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को कम करने एवं भौगोलिक उत्सर्जन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार, भारत ने 2005 और 2019 के बीच जीडीपी से संबंधित इमिशन्स इंटेंसिटी को 33% तक कम किया है, और 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) को प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी 11 वर्ष शेष हैं। देश ने 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

## बैंक ऑफ़ इंडिया की पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धता : पर्यावरण-योजनाओं को सशक्त करना

हमारे बैंक में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम)/महाप्रबंधक (जीएम) स्तरीय ईएसजी एवं पर्यावरण जोखिम पर बैंक की पहल संबंधी ईएसजी निगरानी समिति है। हमारी बोर्ड अनुमोदित ईएसजी नीति भी है जिसमें जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन एवं उनका प्रबंधन करने के लिए प्रबंधन की भूमिका के बारे में बताया गया है।
हमारी पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथायें पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

चित्र 23 : वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के दौरान स्कोप 1 एवं 2 उत्सर्जन (emissions)

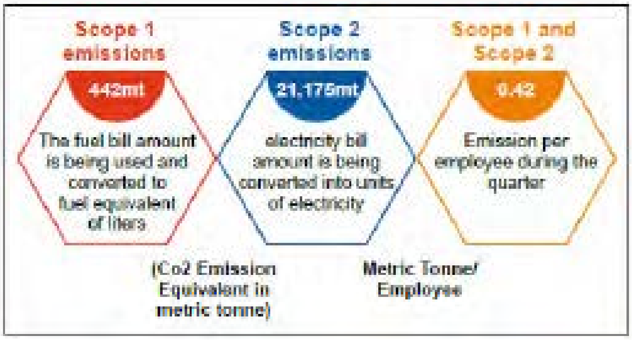


हम अपने स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन को कम करने के लिए सक्रिय उपाय कर रहे हैं। हमारे द्वारा उठाए गए कुछ कदम यहां दिए गए हैं। हमने रिटेल लोन सेगमेंट में सोलर रूफटॉप पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों का वित्तपोषण किया है। हमने कॉरपोरेट ऋणों में अक्षय ऊर्जा कंपनियों को वित्तीय सहायता भी दी है।

हमने बायो गैस, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन और वितरण में ऋण अंतरराष्ट्र किया है, वित्तीय वर्ष 2024 तक नवीकरणीय पोर्टफोलियो में कुल बकाया 2505 करोड़ रुपये है।

चित्र 24 : वित्त वर्ष 2024 के दौरान बीओआई हरित वित्तपोषण

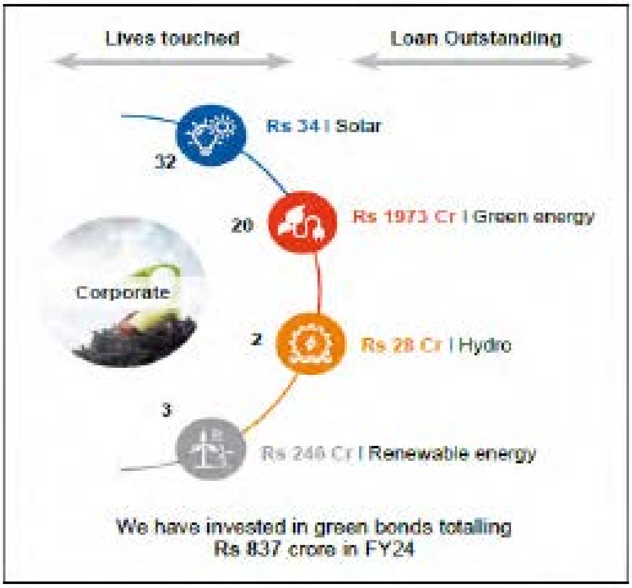


टेबल 2 : बीओआई हरित वित्तपोषण

| Renewable energy (As on FY24) | |
|---|---|
| Lives touched | 135 |
| Loan Outstanding | Rs 48 Cr |

Note: MSME renewable energy category represents loan outstanding under Star energy saver scheme which was launched in December 2023.

### टेबल 3 : रिटेल

| | | |
|---|---|---|
| E-Vehicle (As on FY24) | | |
| E-Vehicle | Lives touched | 1,314 |
| | Loan Outstanding | Rs 23 Cr |
| Solar rooftop (As on FY24) | | |
| Solar rooftop financing | Lives touched | 235 |
| | Loan Outstanding | Rs 118 Cr |

### टेबल 4 : कृषि

| | | |
|---|---|---|
| Compressed Biogas (As on FY24) | | |
| Compressed Biogas | Loan Outstanding | Rs 15 Cr |
| Agriculture Biotechnology (As on FY24) | | |
| Agriculture Biotechnology | Loan Outstanding | Rs 27 Cr |

**डिजिटल लोन सुविधा के माध्यम से 7.7 लाख लोगों को फायदा हुआ**

वित्तीय वर्ष 2024 में, हमने ई-पोर्टल के माध्यम से डिजिटली रूप से खोले गए ऋण खातों में रु. 15,516 करोड़ स्वीकृत किए, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.13 करोड़ पृष्ठों की बचत हुई। इससे लगभग 50 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान मिला।

हमने सभी उधारकर्ताओं हेतु उनके स्थान के आधार पर भौतिक जोखिम स्कोरिंग और उद्योगों के लिए उनके जीएचजी उत्सर्जन के आधार पर ट्रांज़िशन जोखिम स्कोरिंग आयोजित की है। इन स्कोरों से प्रत्येक क्षेत्र में अति संवेदनशील खातों की पहचान करने के लिए हमारे कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो के साथ तुलना की गई थी।

### टेबल 5 : हमारे हरित कार्यस्थल हेतु प्रमुख पहल

| | |
|---|---|
| | **ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन**<br>बीओआई के पास अपने प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस 2 के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र है।<br>इमारत में अच्छी तरह से सीलबंद डक्ट सिस्टम, सीलबंद दहन गैस उपकरण, बाथरूम एवं रसोई निकास पंखे और एक संतुलित/सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन प्रणाली है. |
| | **सोलर पैनल संस्थापन**<br>बैंक ने विभिन्न सुविधाओं में बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल स्थापित किए है। कुल बीओआई सुविधाओं को सौर पैनलों से सुसज्जित किया गया है, जबकि अन्य 25 सुविधाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। |
| | **सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध**<br>बैंक ने कार्यालय परिसर में एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है।जागरूकता पैदा करने के लिए, सभी प्लास्टिक वस्तुओं जैसे पानी बोतलें और अन्य कठोर प्लास्टिक को एकत्र किया जाता है और कार्यालय परिसर में प्रदर्शित किया जाता है। बाद में, उन्हें सरकार द्वारा अधिकृत रीसाइक्लिंग केंद्र में रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है। |
| | **गीले एवं सूखे कचरे का पृथक्करण**<br>बीओआई अपने गीले और सूखे कचरे को स्रोत (आवासीय और वाणिज्यिक) परिसरों में अलग करता है। सूखे कचरे को अलग करके पुनर्चक्रित (रिसाइकिल) किया जाता है या बेचा जाता है। |

## प्रभावी शासन पद्धति हेतु प्रतिबद्धता

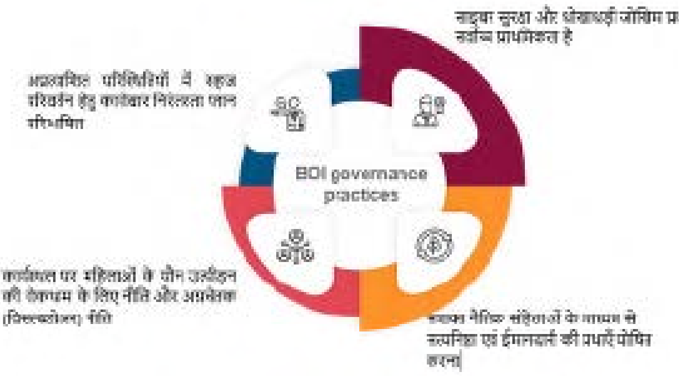

# डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ते कदम

डिजिटल क्रांति भारत के गतिशील वित्तीय पटल पर एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरी है, जिसने वित्तीय संस्थानों के संचालन को नया आकार दिया है। डिजिटल इंडिया और कैशलेस अर्थव्यवस्था जैसी पहल पर जोर देने से डिजिटल अपनाने में वृद्धि स्पष्ट है। 4जी और 5जी ग्राहकों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2019 में 79% से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 91% हो गया है, इस उपस्थिति ने पैनेट्रेशन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विविध उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हुए मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन ऋण देने वाले प्लेटफार्मों को फलने-फूलने में सक्षम बनाया है।

Figure 25: Consumers shifting to faster 5G technology

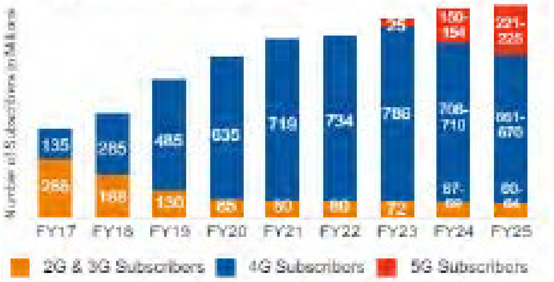


Source: TRAI, Crisil MI&A Research

इस बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचे के दम पर, भारत में भुगतान में डिजिटल रूप से किए जाने वाले लेनदेन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

Figure 26: Number of UPI transactions in India over FY13-24[17]

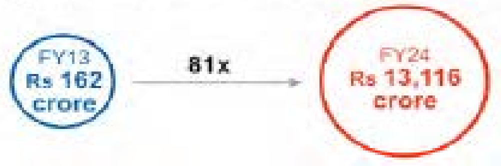


## डिजिटल लेंडिंग की लोकप्रियता में वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक के डिजिटल ऋण पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017 और 2020 के बीच डिजिटल संवितरण 12 गुना बढ़ गया है। निजी क्षेत्र के बैंक और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां 85% के साथ डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभुत्व बनाए हुए हैं, वित्तीय वर्ष 2017 और 2020 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी अपनी हिस्सेदारी 0.3% से बढ़ाकर 13.1% कर दी है।

## बीओआई की डिजिटल पहल: ट्रान्सफॉर्मेशन बाइट्स

वित्त वर्ष 2022 और 2024 के बीच संव्यवहारों की संख्या (मात्रा के संदर्भ में) 2.4 गुना बढ़कर, 607 करोड़ होने के साथ, यूपीआई हमारी डिजिटल परिवर्तन यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.

चित्र 27 : बीओआई कुल यूपीआई संव्यवहार

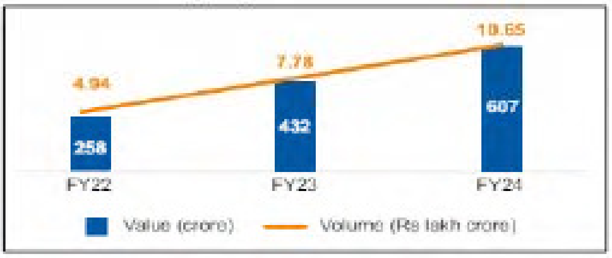


हमने एक डिजिटल ऋण विभाग स्थापित किया है जो ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई, कृषि और खुदरा क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करता है।

इस प्लेटफ़ॉर्म द्वारा संचालित, जो केन-सक्षम और मानव-सहायता प्राप्त दोनों चैनलों की अनुमति देता है, हमने 7.7 लाख खाते जोड़े हैं। ये वित्त वर्ष 2024 में ~15,500 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

---

टेबल 5 : वित्त वर्ष 2024 हेतु हमारे बैंक के डिजिटलीकृत उत्पाद पोर्टफोलियो

| क्षेत्र | प्रमुख उत्पाद | खातों की संख्या | कुल खातों का % | ग्राहक-सहायता प्राप्त सेवाओं की शुरुआत | सेल्फ सर्विस सेवाओं की शुरुआत | परिवर्तन का प्रभाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एमएसएमई (Mudra) | शिशु | 13510 | 1.7% | 2QFY23 | 3QFY23 | End-to-end digital in Shishu (existing to bank customer); disbursement time reduced from 7 days to 10 minutes |
| | किशोर | 62592 | 8.1% | 3QFY23 | 2QFY24 | |
| | तरुण | 27895 | 3.6% | 3QFY23 | 2QFY24 | |
| कृषि | केसीसी-नवीकरण | 61564 | 8.0% | 3QFY23 | 2QFY24 | Online retrieval of land records and crop reports – KCC pilot in MP |
| रिटेल | वाहन | 8346 | 1.1%/ | 2QFY23 | 4QFY23 | Recent addition of pensioner loan to web-platform |
| | पेंशनर | 640 | 0.1% | 2QFY23 | 1QFY24 | |
| | पर्सनल | 8537 | 1.1% | 3QFY23 | Not Enabled | |
| | आवास | 457 | 0.1% | 3QFY24 | Not Enabled | |
| | स्वर्ण | 584586 | 75.6% | 2QFY23 | 2QFY23 | Moving to phygital |

**चित्र 28 : डिजिटल पहल की वजह से सभी क्षेत्रों में त्वरित ऋण**

| | | |
|---|---|---|
| MSMEs (Mudra) | 10 Minutes | Shishu loans for Existing To Bank (ETB) users processed faster than Kishore and Tarun loans via web journey option, as on-site verification is waived off leading to disbursement within **10 minutes**. |
| | 1-2 Days | For **Kishore and Tarun**, the documentation process takes **15-20 minutes** for existing users; additional time is taken for site visits. The timeframe for New To Bank (NTB) users is **1-2 days**. This entire process would take ~7 days in the manual mode for all the three products under Mudra previously. |

| | | |
|---|---|---|
| Agriculture Loans | 15 Minutes | KCC's pilot project in Madhya Pradesh digitalised the collection of land records and crop reports reducing the loan disbursement time for crop loans to 15 minutes from 1-2 days earlier. |
| Gold Loans | KCC's pilot project in Madhya Pradesh digitalised the collection of land records and crop reports reducing the loan disbursement time for crop loans to 15 minutes from 1-2 days earlier. | |
| | The loan amount displayed is tentative and a branch visit is required to get the gold evaluated by professional appraisers | |

## हमारे कुछ डिजिटल पहल

हमारी प्रमुख पहलों में से एक बीओआई मोबाइल ओमनी नियो ऐप रही है। 300 से अधिक सुविधाओं से सुसज्जित, यह सभी बैंकिंग, निवेश और भुगतान आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ता एसबी, एफडी, पीपीएफ आदि के लिए शुरू से अंत तक डिजिटल खाता खोल सकते हैं और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों में निवेश कर सकते हैं। यह लेनदेन और अधिदेशों का एक सरलीकृत दृश्य भी देता है।

हमने एक तेज़ और अधिक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने के लिए एक नए अत्याधुनिक डेटा सेंटर को जोड़कर, इंट्रा-बैंक नेटवर्क को अपग्रेड करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग/जेनरेटिव एआई जैसी नई तकनीकों में निवेश करके अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में बड़ा उन्नयन किया है। इसके अलावा, व्हाट्सएप बैंकिंग अब उपयोगकर्ता अनुभव को अधिक सुविधाजनक बना रही है और व्यापारियों के लिए एक पोर्टल है जो सभी कॉरपोरेट्स के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रहा है।

# सीमाओं से परे बैंकिंग

**भारतीय रिज़र्व बैंक के एक सर्वेक्षण से पता चला कि विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं और सहायक कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017[**] में 517 से, वित्तीय वर्ष 2023[**] तक यह संख्या बढ़कर 531 हो गई। यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बाजारों में घरेलू बैंकों के क्रमिक विस्तार को इंगित करता है, जिससे ग्राहकों के सीमा पार बैंकिंग अनुभव में वृद्धि होती है और वैश्विक ग्राहक प्राप्त होते हैं।**

**विदेशों में कार्यरत शाखाओं और सहायक कंपनियों ने ऋण विस्तार में लगातार वृद्धि देखी है, जिसने वित्तीय वर्ष 2017 और 2023 के बीच ~3% सीएजीआर दर्ज किया है। वित्तीय वर्ष 2023 में, विस्तारित ऋण लगभग 10,942 बिलियन रुपये तक पहुंच गया।**

**बीओआई का वैश्विक परिचालन : उपस्थिति में विस्तार**

**मार्च 2024 तक, हमारी उपस्थिति पाँच महाद्वीपों के 15 देशों और 47 विदेशी कार्यालयों में है।**

**विदेशी परिचालन, जिसने हमारे वैश्विक कारोबार मिश्र (अग्रिम और जमा) में 15% का योगदान दिया, 2 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया, जो हमारे समग्र परिचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।**

**विश्व के महत्वपूर्ण स्थलों पर स्थित हमारी विदेशी शाखाओं ने जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 5.5% की वृद्धि दर्ज की और यथा वित्त वर्ष 2024 रु. 108,203 करोड़ रहीं.**

**हमारी वैश्विक अनुषंगियां**

**हमारी चार वैश्विक अनुषंगियां हैं, इंडोनेशिया, तंजानिया, न्यूजीलैंड और युगांडा में एक-एक। वित्तीय वर्ष 2024 में इन अनुषंगियों को कुल सकल अग्रिम राशि लगभग $418 मिलियन थी। ये अनुषंगियाँ समाज के विभिन्न वर्गों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जैसे**

Note: Total credit exposure of subsidiaries which have financed to these segments

**ऐसे उदाहरण जहां हमारी सहायक कंपनियों ने ऋण दाता**

**न्यूयॉर्क में सामुदायिक सहभागिता**

हमारी न्यूयॉर्क शाखा ने **न्यूयॉर्क सिटी, इंक. (एनएचएसएनवाईसी) की नेबरहुड हाउसिंग सर्विसेज के लिए $3 मिलियन की कार्यशील पूंजी सीमा** निर्धारित की है। क्रेडिट लाइन के माध्यम से एनएचएसएनवाईसी को सहायता सामुदायिक विकास ऋण के अंतर्गत आती है।

नेबरहुड हाउसिंग सर्विसेज ऑफ़ न्यूयॉर्क सिटी, इंक. (एनएचएसएनवाईसी) एक गैर-लाभकारी निगम है जो किफायती ऋण, आवास शिक्षा और जर्जर संपत्तियों का नवीनीकरण प्रदान करता है, जिससे कम आय वाले व्यक्तियों को लाभ होता है।

एनएचएसएनवाईसी को दी गई क्रेडिट सुविधा सामुदायिक पुनर्निवेश अधिनियम (सीआरए) के तहत दिए गए ऋण के लिए योग्य है, जो संघीय जमा बीमा निगम (एफडीआईसी) के अनुसार अनिवार्य है। हमने कैलेंडर 2024 के दौरान **$1 मिलियन** मूल्य के सीआरए जमा प्लेसमेंट आवंटित किए।

इसके अलावा, हमारी न्यूयॉर्क शाखा फेडरल नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन (एफएनएमए) और गवर्नमेंट नेशनल मॉर्टगेज एसोसिएशन (जीएनएमए) में निवेश करती है, जो निम्न और मध्यम आय वाले समूहों के लिए आवास के लिए धन उपलब्ध कराती है।

हमने **चार सामुदायिक विकास वित्तीय संस्थानों** के लिए सीडी भी खोली। हमने किफायती आवास, आर्थिक विकास और सामुदायिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए **17 सामुदायिक** विकास संगठनों को अनुदान की पेशकश की।

हमारी न्यूयॉर्क शाखा निम्न और मध्यम आय वर्ग के छात्रों के लिए **वित्तीय साक्षरता सेमिनार** आयोजित करती है, जो स्थानीय समुदायों में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है।

बीओआई सिंगापुर द्वारा संधारणीयता-लिंक्ड वित्तपोषण

वित्तीय वर्ष 2024 में, हमारी सिंगापुर शाखा, बीओआई सिंगापुर ने कुल **69 मिलियन SGD के तीन सिंडिकेटेड स्थिरता(संवहनीयता)-लिंक्ड ऋणों** को वित्तपोषित किया।

पहला ऋण (SGD 15 मिलियन) दक्षिण पूर्व एशिया में होटल और रिसॉर्ट संचालित करने वाली वित्तीय होल्डिंग कंपनी को दिया गया था। ऋण की स्थिरता के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) में **2022 बेसलाइन से 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 66% की कमी और लैंडफिल में कचरे में 50% की कटौती शामिल है।** विशेष रूप से, कंपनी ने 2023 में उत्पन्न कचरे का 23% पुनर्चक्रण(रिसाइक्लिंग) के लिए भेज दिया। भरे हुआ कमरे (आक्यूपाइड रूम) में इसका उत्सर्जन 20% कम हो गया और पानी का उपयोग 2.3% कम हो गया।

दूसरे ऋण (SGD 34 मिलियन) ने एक वैश्विक दवा कंपनी का समर्थन किया। **केपीआई में नवीकरणीय ऊर्जा की खपत बढ़ाना, मीठे पानी की खपत में कमी और कार्यस्थल में लैंगिक विविधता में सुधार शामिल है।**

तीसरे (SGD 20 मिलियन) ने अफ्रीका में एक वाणिज्यिक बैंक की सहायता की। केपीआई ने **नवीकरणीय ऊर्जा और विविधता को बढ़ाया, विशेष रूप से वरिष्ठ भूमिकाओं में अश्वेत महिलाओं को बढ़ाया।**

बैंक ऑफ़ इंडिया

# Lending strength to sustainability

## How Bank of India is making an impact on the ground through various initiatives

# Executive summary
## Making a significant difference

At Bank of India, we are committed to making a tangible difference in the communities we serve through various financial products and social welfare initiatives.

In fiscal 2024, we touched over 50 lakh lives through various financial products and social welfare initiatives. Micro, small and medium enterprises (MSMEs), agriculture, and housing were the key pillars of our holistic approach for fostering inclusive development and sustainable prosperity.

We are dedicated to support the dynamic needs of MSMEs, which form the backbone of the Indian economy. We supported over 15 lakh MSME units in fiscal 2024, of which 55% hailed from rural and semi-urban areas. Nearly 61% of the MSMEs we extended credit to were micro enterprises. We are actively participating in the Mudra scheme – our loans under the scheme comprised 78% of our total MSME credit portfolio – and have supported over 67,000 socially marginalised entrepreneurs.

We are supporting agriculture sectors across self-help groups (SHGs), farm mechanisation, etc. We served 3.3 lakh SHG beneficiaries and 29 lakh farmers in fiscal 2024.

We are continually catering to India's rising demand for housing. We provided home loans to over 3.8 lakh individuals in fiscal 2024, with 25,000+ being first-time home buyers Additionally, over 2.8 lakh home loans were directed towards priority sector lending, facilitating access to housing for low-income groups.

We have embraced the national movement for women empowerment. In fiscal 2024, 29% of our employees were women. We have launched various initiatives for supporting our women workforce, including Mom's re-launch program, childcare facilities, and relocation preference for female employees. We introduced a tailored product for women, the Nari Shakti Savings Account, offering exclusive privileges and concessions. Nearly 86,000 of our home loan customers are women, and a similar story unfolds in other segments such as MSMEs and agriculture, where more than a quarter of customers are women.

We acknowledge the importance of education and skill development to nurture a skilled workforce extending beyond our own employees. As of fiscal 2024, we have touched over 35,000 lives through Rural Self-Employment Training Institutes (RSETI) programmes, aimed at empowering rural youth below the poverty line. We supported over one lakh students through financial products for higher education. We have also trained 47% of our employees through the Learning and Development Centre for Employees. Till fiscal year 2024, we counselled 18 lakh people through our Financial Literacy and Credit Counselling Centres.

We remain dedicated to supporting environmental and social enrichment through CSR initiatives on a sustainable basis. We allocated Rs 7 crore for CSR initiatives in fiscal 2024, of which health, family and social welfare got 28%, our Star Angel Scheme that supports the Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan got around 15%, and initiatives that support the differently abled got 4%.

Our eco-conscious practices are proof of our commitment to environmental sustainability. We invested in four green bonds, totalling Rs 837 crore, in fiscal 2024. We have financed solar rooftop panels and electric vehicles in the retail loan segment. We also have financially assisted renewable energy companies. Scope 1 and Scope 2 emissions per employee is 0.42 Metric Tonne/ Employee in fiscal 2024. We have also supported various green initiatives across the globe through our international subsidiary for reduction of emissions intensity, renewable energy projects, and reduction in freshwater consumption.

Meanwhile, with the digital revolution emerging as a transformative force in India's dynamic financial landscape, reshaping operations for financial institutions, we have established a digital lending department that provides loans for MSMEs, agriculture, and retail segments via an e-platform. Driven by this platform, which enables both web-enabled and branch-assisted channels, we have added more than 72 lakh accounts. One of our key initiatives has been the BOI Mobile Omni Neo App. Equipped with 300+ features, it acts as a one-stop solution for all banking, investment and payment needs. UPI has been an important part of our digital transformation journey, with the number of transactions (in volume terms) increasing 2.4x between fiscals 2022 and 2024.

With an international presence spanning 15 countries, we are servicing both domestic and global clientele. In fiscal 2024, foreign operations contributed 16% to our global business mix (advances and deposits), closing in on the Rs 2 lakh crore mark.

This impact note details all these aspects and more, showcasing our multifaceted contributions across sectors and our commitment to social welfare and economic development.

**Figure**: On ground manifold impact

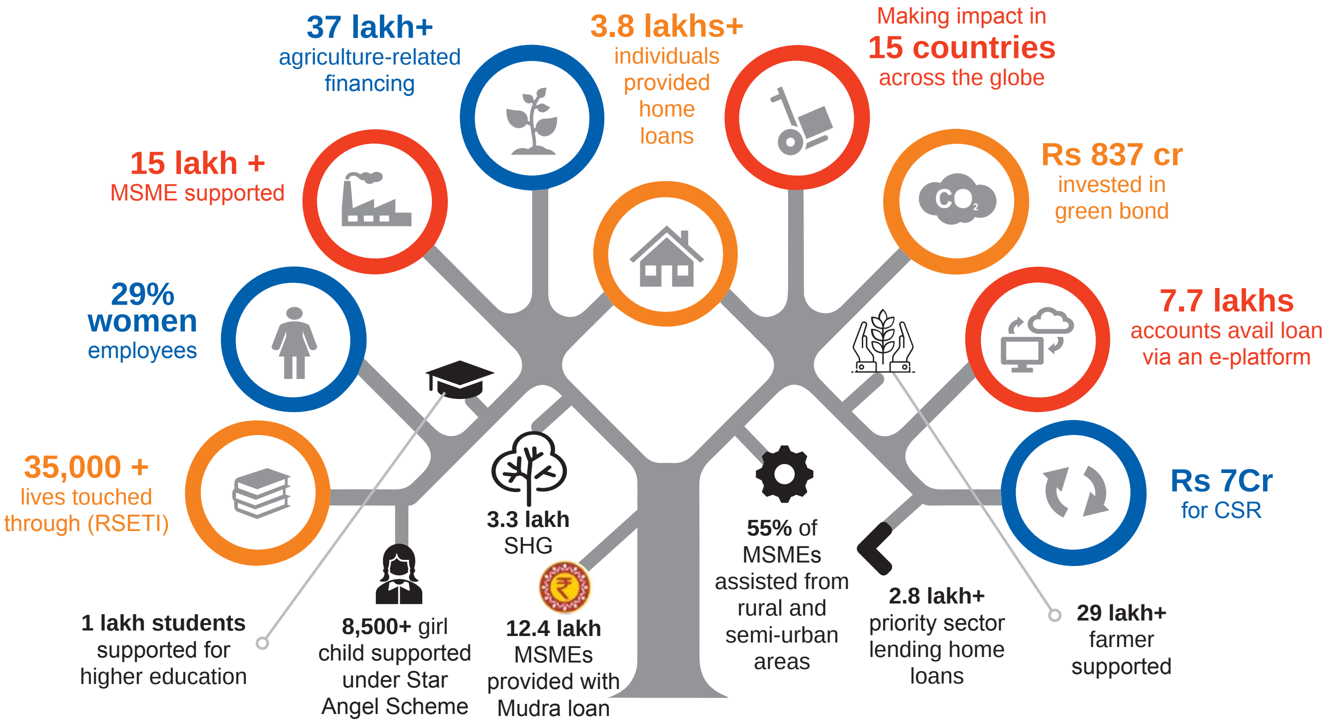


Note: Data as on fiscal 2024

**Alignment with the United Nations Sustainable Development Goals**

Our initiatives resonate with several UNSDG goals, fostering economic empowerment, gender equality, and sustainability through innovative programmes and strategic collaborations.

| UNSDG Goal | | Key activities of BOI |
|---|---|---|
| | **No Poverty** | • Financial support for community development organisations<br>• Supported self-help groups<br>• Facilitates financial inclusion |
| | **Zero Hunger** | • 28% of CSR funding is dedicated to Health, Family and Social Welfare<br>• Facilitates financial inclusion |
| | **Good Health and Well-being** | • Support to healthcare units under MSME segments<br>• 28% of CSR funding is dedicated to Health, Family and Social Welfare |
| | **Quality Education** | • Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) programme for skill development<br>• Star Angel Scheme supporting Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan<br>• Collaboration with educational institutions for employee training<br>• Counselled people through Financial Literacy and Credit Counselling Centres |
| | **Gender Equlity** | • Increase in representation of women in our workforce and board<br>• More than a quarter of customers across all financial products are women<br>• Introduction of Nari Shakti Savings Account for women empowerment<br>• Special programmes and initiatives for women employees in our organsation as well as subsidiaries<br>• Supported self-help groups where majorly beneficiaries are women |
| | **Clean Water and Sanitation** | • 28% of CSR funding is dedicated to Health, Family and Social Welfare<br>• Renewable energy projects funding under various segments |
| | **Affordable and Clean Energy** | • Reduction of emissions intensity and investment in green bonds<br>• Renewable energy projects funding under various segments<br>• Financed Southeast Asian hotel chain for emissions reduction targets |

| UNSDG Goal | | Key activities of BOI |
|---|---|---|
| | **Decent Work and Economic Growth** | • Support for MSMEs through financing and credit facilitation<br>• Support to agriculture segment through various financial products<br>• Conducted financial literacy seminars |
| | **Industry, Innovation, and Infrastructure** | • Digital transformation initiatives, including digital lending<br>• Financing of sustainable projects like green bonds and renewable energy |
| | **Reduced Inequality** | • Support to various segments of society like Disabled individuals, underprivileged segment |
| | **Sustainable Cities and Communities** | • Priority sector lending for housing, agriculture, and MSMEs |
| | **Responsible Consumption and Production** | • Bank restricts single-use plastic, promotes awareness, and recycles plastic items.<br>• Segregation of wet and dry waste at source, promoting recycling and sale |
| | **Climate Action** | • Reduction of emissions intensity and investment in green bonds |
| | **Life Below Water** | • Financing a global pharmaceutical company's consumption of renewable energy and reduction in freshwater consumption. |
| | **Life on Land** | • Reduction of emissions intensity and investment in green bonds<br>• Renewable energy projects funding under various segments<br>• Financed Southeast Asian hotel chain for emissions reduction targets |
| | **Peace, Justice, and Strong Institutions** | • Collaboration with educational institutions for employee training |
| | **Partnerships for the Goals** | • Collaborated with financial entities for sustainable finance initiatives<br>• Executing government schemes such as Mudra yojana |

# Supporting MSMEs to drive economic growth

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the backbone of the Indian economy and play an important role in driving innovation, employment, and economic growth. According to the World Bank[1], SMEs constituted ~90% of businesses and generated over 50% of employment opportunities globally. As per MSME Annual Report 2022-23 released by Ministry of MSMEs, the MSMEs in India accounted for almost 30% of India's GDP and employed ~11 crore individuals.

**Figure 1:** MSMEs' contribution to the Indian economy[2]

Source: MSME Annual Report 2023

### Rising share of MSME credit in total credit outstanding in India

CRISIL's analysis indicates a notable increase in share of MSME credit. In fiscal 2024, MSME credit constituted 17-19% of the total credit in India, compared to 14% in fiscal 2023. This consistent rising share of credit signals a favourable momentum for MSMEs, contributing to business expansion and driving economic development.

According to the report of the Standing Committee on Finance in 2022[3], referencing the UK Sinha Expert Committee report, India faces a significant MSME credit gap, estimated at Rs 20-25 lakh crore.

**Figure 2:** Share of MSMEs' credit in total credit and y-o-y growth

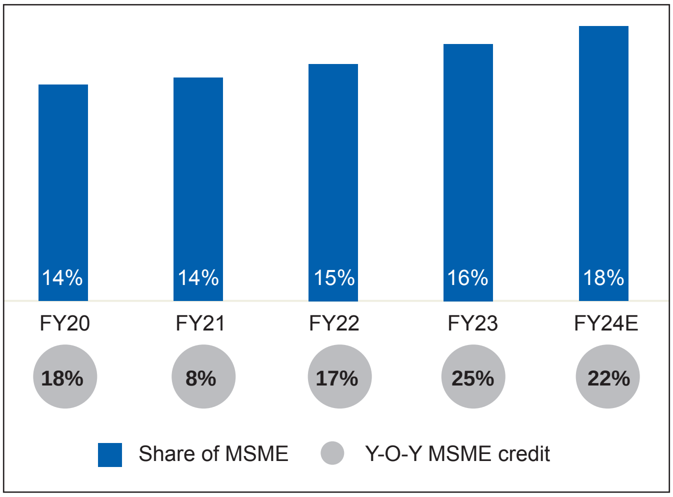


Banks accounted for an estimated 75% of overall MSME credit in fiscal 2024.

**Figure 3:** Share of banks in MSME credit in fiscal 2024

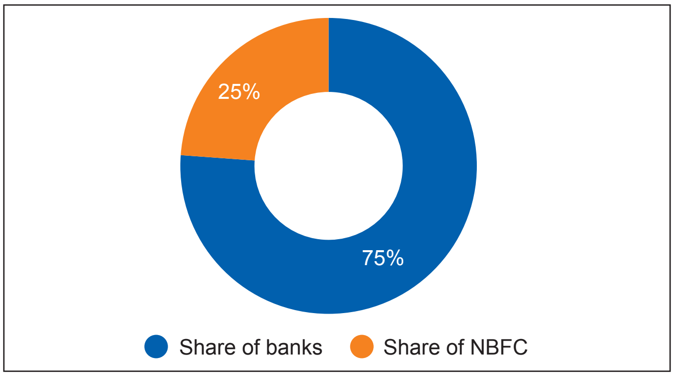


Source: CRISIL MI&A Research

### Meaningful contribution from Pradhan Mantri Mudra Yojana, 2015 (PMMY)[4] to India's MSME credit

Mudra loans, which are collateral-free and offer financial support up to Rs 10 lakh, accounted for 12-16% of MSME credit in fiscal 2024.

**Figure 4:** Formal credit via Mudra loans grew ~1.6 times over fiscals 2019-2024

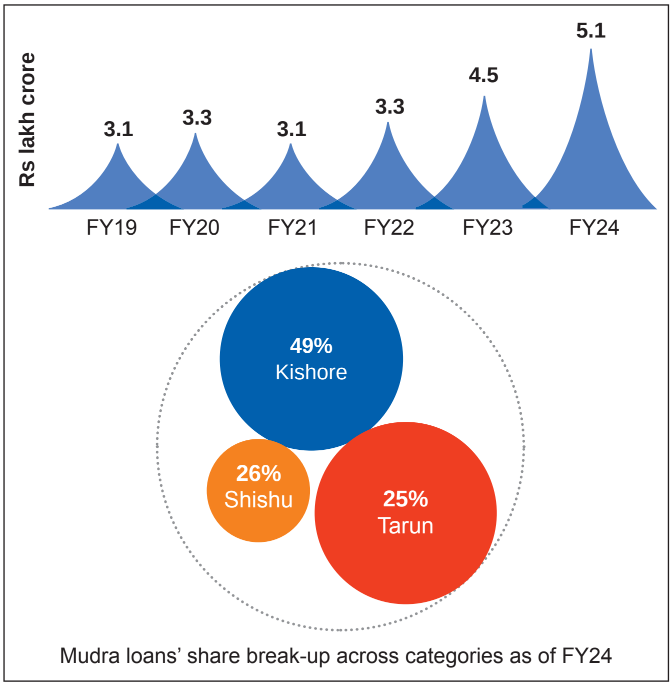


Source: PMMY

Notes:
1) Shishu: covering loans up to Rs 50,000
2) Kishor: covering loans above Rs 50,000 and up to Rs 5 lakh
3) Tarun: covering loans above Rs 5 lakh and up to Rs 10 lakh

[1] World Bank report, 2019
[2] MSME 2023
* Total credit comprises the combined credit from both banks and NBFCs.
[3] Standing Committee on Finance report in 2022
[4] Pradhan Mantri Mudra Yojana, 2023, PMMY Report

## BOI's MSME credit empowers businesses

We acknowledge the needs of the MSME sector, as evidenced by credit growth of 10.9% to Rs 78,533 crore in fiscal 2024. Our MSME credit share in total domestic credit stood at 16% as of fiscal 2024.

**Figure 5:** Support provided via our MSME credit in FY 24

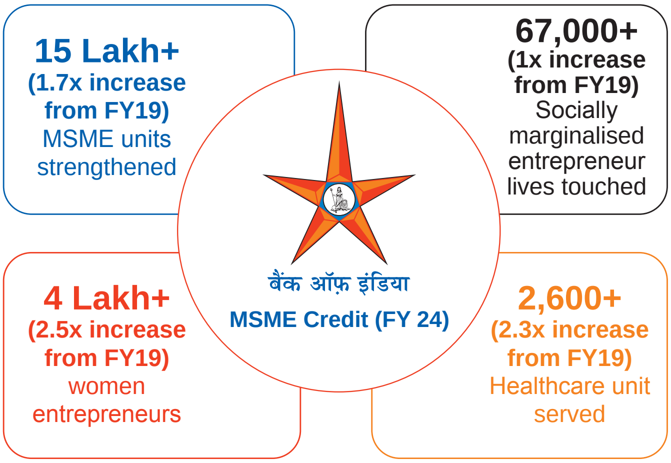


**440 differently abled MSME borrowers**

Notes: As of FY24

We extended MSME loans beyond urban centres, fostering financial inclusion, reaching out to units in semi-urban and rural areas of India.

**Figure 6:** Rural and semi-urban areas account for 55% of total MSME units

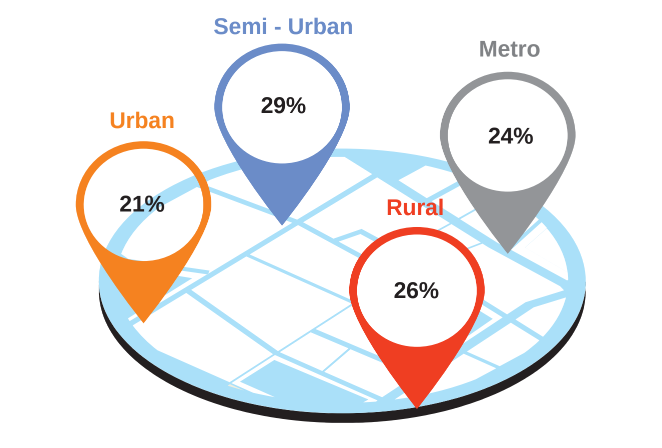


Notes: Percentage of lives touched by BOI across location

### Our MSME financing spectrum

Our MSME credit is largely towards services sector and micro units constitute bulk of lending.

**Figure 7:** Our MSME credit distribution in fiscal 2024

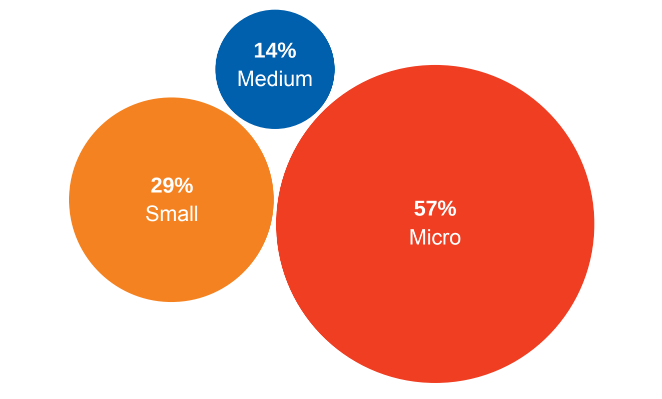


**Figure 8:** Activity-wise share of MSMEs (based on number of account)

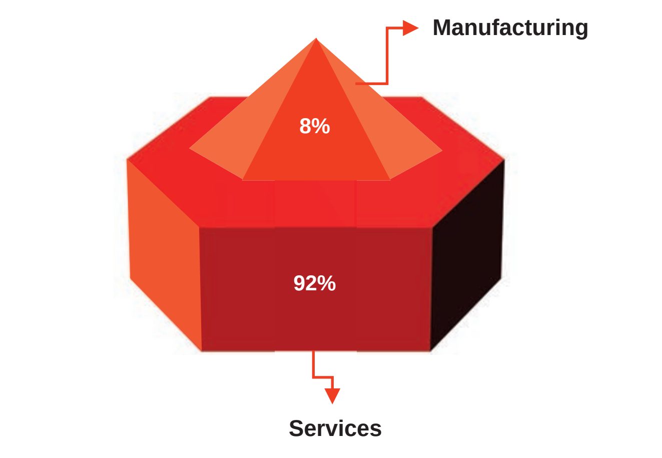


**Figure 9:** BOI-funded MSME units log growth, as evident from enhancement requests

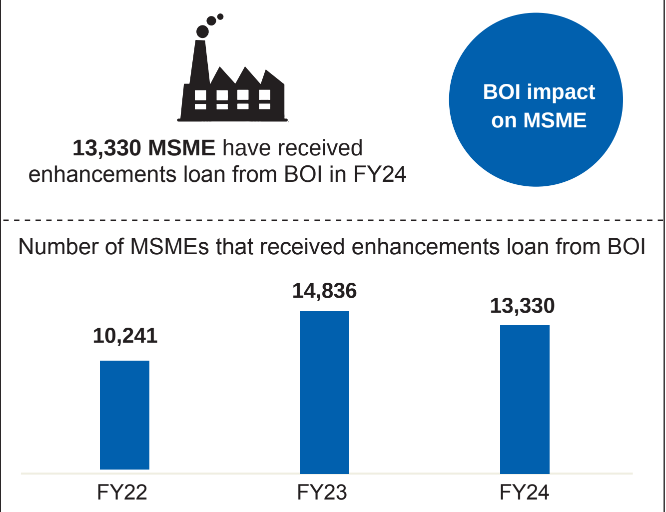


Notes: MSMEs that have received enhancement loans also reported an increase in revenue.

## Mudra loans a huge contributor to our MSME credit

As of fiscal 2024, Mudra MSME loans comprised **79%** of our total MSME accounts, with **12.4 lakh MSMEs** availing Mudra loans

## 51 thousand + street vendors supported" followed by PM Svanidhi

In the fiscal year 2024, a total of over 51,000 street vendors were supported under PM Svandihi scheme.

## Success stories

**How BOI made a difference**

**Chafekar Press Tools,** Maharashtra

Chafekar Press Tools, originally a **small village** enterprise engaged in molding electrical switchboards, received assistance from BOI in the form of a cash credit facility of Rs 3 lakhs. **With this financial support, the company experienced growth in both size and business operations**.

As their business expanded, BOI increased the cash credit facility to Rs 300 lakhs. **Founded by Mr. Madhukar Chafekar, Chafekar Press Tools has now become a renowned company in the industry, providing employment opportunities to locals and contributing to the growth of the local economy for three generations**.

**Hotel Dalkhai,** Sambalpur, Odisha

Mrs Muktarani Dash initially began her business by supplying packed meals to ITI College. With the financial backing **of Rs 1.5 Lakh from BOI under the MUDRA scheme**, she took the leap to expand her enterprise and establish a permanent hotel called "Hotel Dalkhai."

Now, with **three new staff members on board, her hotel** is bustling with activity. Mrs Dash's business runs **smoothly and steadily, ensuring a consistent income**.

**Mr. Onkar Dhondiram Patil,**
Hatkanangale,Kolhapur

Onkar Dhondiram Patil was a **small business owner** in semi urban area of Maharashtra.

Onkar Patil had approached BOI for the financial assistance for purchase of machinery and working capital requirement for business. BOI has financed Rs 27 lakhs (2 lakh cash credit & 25 lakh for purchase of machinery).

**Now Mr. onkar owns a Manufacturing unit with the name of M/S. Popular Core Manufacturers and earning the monthly income of Rs70000/. The firm has given the employment of 5 people from nearby area and helping them for generation of good household income**

# Building houses for better living

The rise in demand for housing in India is being fuelled by rapid urbanisation, growing young population with rising disposable incomes, increasing number of nuclear families, and rising demand for housing in tier 2 and 3 cities.

Still, India's home loan book-to-GDP of 11% in 2022 reveals an underdeveloped housing finance sector, contrasting starkly with other Asian economies, such as China, Malaysia and Singapore. This underscores the significant potential for growth within the housing finance space.

**Figure 10:** Home loan book-to-GDP

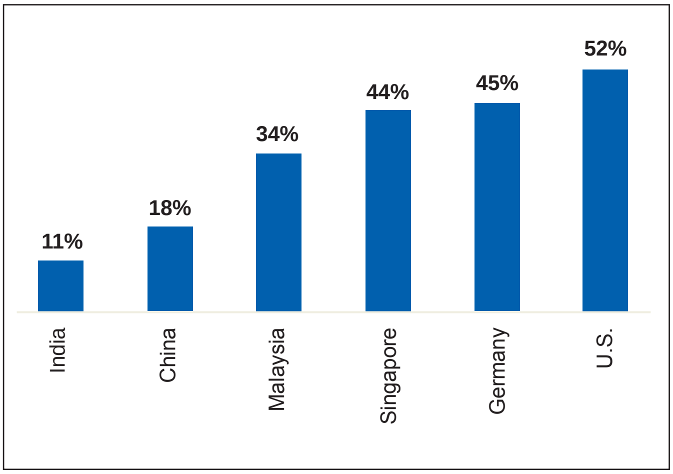


Source: CII Reports, 2022[5]

**Urbanisation accelerating India's housing demand**

According to CRISIL MI&A Research, India's housing finance sector's home loan book was Rs 34,000-35,000 billion in fiscal 2024, with banks comprising 80% share.

## BOI's loans for housing: Homing in on the goal

Our loan book is aligned with India's rising demand for housing. Our home loans outstanding grew at a five-year CAGR of 13%, to Rs 59,107 crore in fiscal 2024. In fact, as of March 2024, home loans account for 53% of the total share of our retail advances.

Also, over a third of the home loans outstanding were directed towards priority sector lending, facilitating access to housing for low-income groups.

**3.8 lakhs+** individuals provided home loans till FY24 **~4%** Growth over FY19-24

**25,000+ (6.5%) first-time home loan borrowers** in FY24 **~19%** Growth over FY19-24

**2.8 lakhs+** individuals provided **priority sector home loans** till FY24

**Inclusive approach across segments of society**

**86,000+** Female borrowers availed home loans till **FY24** **7% CAGR** over FY19-FY24

**5,600+** Total first-time women home buyers till FY24 **18% CAGR** over FY19-FY24

[5] Confederation of Indian Industry, 2022

# Supporting agricultural growth

Agriculture remains the primary employer in India. Approximately **55%** of the population is engaged in agriculture and allied activities, with the sector contributing **~18%** to the country's gross value added in fiscal 2023[6]. Indeed, growth of other sectors and the overall economy relies significantly on the performance of the agriculture sector, owing to its backward and forward linkages.

India has achieved self-reliance in food grain production over the past several decades[8]. It is the world's largest sugar-producing country and #2 in rice production. Additionally, the country ranks as the second-largest producer of wheat, accounting for ~14% of the world's total production in 2020.

**Figure 11:** Increasing food grain production

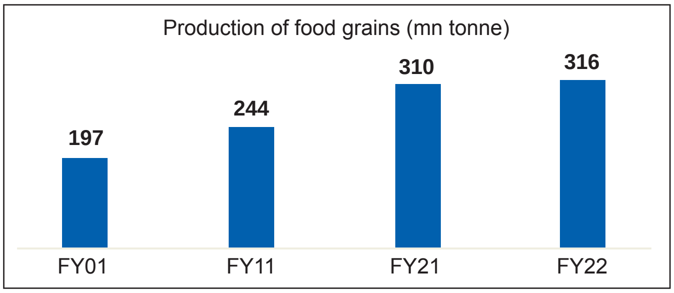


## BOI's agriculture initiatives go beyond crops

Our total agriculture loan book grew at 12% CAGR between fiscals 2019 and 2024, to Rs 87,486 crore in fiscal 2024.

**Figure 12:** Mix of agricultural loans outstanding

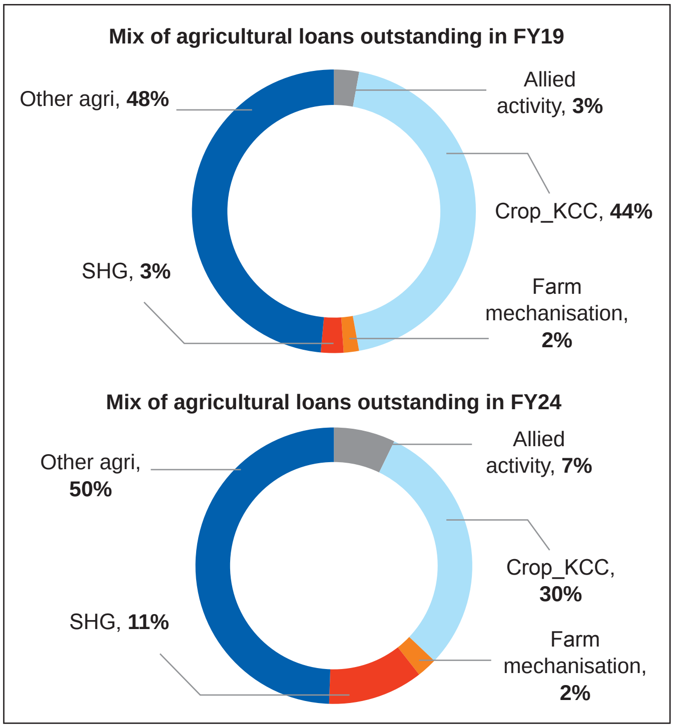


[6] Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
[7] NSO Survey
[8] Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

**37 lakh+ Total lives touched** through agriculture-related financial products as of FY24. This includes farmers and individuals financed under SHGs.

**3.3 lakh + individuals benefitted from self-help groups (SHGs)**, to which credit of **Rs 9,857** crore was extended as of FY24

**50%** CAGR of outstanding credit between FY19-FY24

## Success stories

### How BOI made a difference

### Reducing dependance on agriculture led by Women's Self-help group

Established in 2016, M/S Sathya Sai Swashakti Sangam was founded by **10 women** who wanted to support their families by starting their own small businesses.

These women from the Nalgonda town of Gandhinagar, Gujarat, came together and formed an SHG in 2016 which allowed them to avail a credit from us. They recently took their **fourth loan of Rs 10 lakh (Rs 1 lakh to each member)** to invest and grow their businesses.

All the members are successfully running their mini business units such as **tailoring, general stores, vegetable vending stalls and photocopying and printing shops**. Thus, with the help of the credit availed from the bank these women have been able to achieve remarkable growth in their economic status.

### Empowering rural women: The Sanjivani Mahila Bachat Gat story

Aaptur village, with a population of 1,717 across 361 families, primarily relied on agriculture for income.

Jyoti Pramod Tagade, an educated villager, realised the potential for female empowerment through entrepreneurship.

In 2008, she started Sanjivani Mahila Bachat Gat, an SHG, with 10 members, **focusing on savings and internal lending**. Recognised for her leadership capabilities, Tagade's group transitioned into **Sanjivani Readymade Garments in 2019, securing a Rs 3 lakh loan** from Bank of Baroda to start the venture. The company initially sewed school uniforms and later started producing masks during the pandemic.

The success of the first endeavour prompted the group to seek loan from our Umred branch, which offered a **Rs 8 lakh term loan under the PMMY scheme** in 2022. With expanded operations, **the SHG now employs 29 members and collaborates with the District Industries Centre (DIC) to train SC/ST female membeRs** It plans to scale up **employment to 600-700 women** through this partnership. Tagade's story illustrates the transformative impact of grassroots entrepreneurship in rural populace.

### Providing credit to underserved farmers

**29 lakh**
**farmers** availed credit as of FY24
**1.05x**
Growth in number of farmers between FY19-FY24

**Rs 40,634 cr**
**credit provided to farmers** as of FY24
**3%**
CAGR in credit provided to Farmers between FY19 to FY24

### Supporting farmers through our Kisan Credit Card

Our Kisan Credit Card (KCC) provides tailored credit assistance to farmers for agricultural and allied activities, including non-farm activities. Under the KCC for crop production, farmers receive comprehensive credit support for crop cultivation and working capital.

More than 21 lakh individuals have availed benefits under KCC as of fiscal 2024, representing a CAGR of 2% between fiscals 2019 and 2024. These loans amount to Rs 27,813 crore in loans outstanding as of fiscal 2024 and have grown at a CAGR of 4% between fiscals 2019 and 2024. While, women account for 19% of the total beneficiaries as of fiscal 2024.

### Safeguarding farmers‘ livelihoods by providing insurance

**23 lakh +**
Farmers insured as of FY24
**Rs 4,986 cr**
total insurance amount of farmers insured as of FY24

### Inclusive approach across segments of society

**12.3 lakh +**
**women** to which credit was extended – amounted to **Rs 17,219** crore as of FY24

**4.6 lakh +**
**vulnerable and marginalised individuals (SC/ ST)** to whom credit was extended – amounted to **Rs 5,376** crore as of FY24

**1,200 +**
**disable individuals** to which credit was extended – amounted **Rs 21 crore** as of FY24

We support the agriculture sector not only through financial products but also by facilitating various government schemes and initiatives, such as:

**2.6 lakh +**
**individuals benefitted from National Rural Livelihood Mission**

The Mission has a mandate of reaching 100 million rural poor in 6 lakh villages across the country. **Rs 7,925 crore** of credit was extended as of FY24.

**64%** CAGR in outstanding credit between FY19-FY24

**13,900+**
**individuals benefitted from Star Sakhi,** to which credit of **~Rs 83 crore** was extended as of FY24

## Success stories

### How BOI made a difference

#### Support for agricultural entrepreneurship

We played a pivotal role in the success of the agribusiness of Devendra Dnyaneshwar Zapadekar, a farmer and an existing customer of the Maruti Mandir branch. The timely and hassle-free financial assistance we provided through the **Agriculture Infrastructure Fund (AIF) scheme**, (offering medium- to long-term debt financing facility) helped him invest in viable projects to set up post-harvest management infrastructure and to create community farming assets.

With our guidance and support, Zapadekar was **able to establish a new ripening chamber for mangoes, benefiting not only his own cultivation but also offering custom hiring services to fellow mango farmers in Ratnagiri** and nearby villages.

We disbursed **Rs 10 lakh in project cost**, without the need for collateral security, as Zapadekar's **Kisan Credit Card limit of Rs 47 lakh** was already regular on our books.

Zapadekar's ripening chamber operation flourished, significantly increasing his income and that of other mango farmeRs This success story underscores our commitment to fostering agricultural entrepreneurship and empowering farmers to achieve self-reliance and sustainable growth in their endeavours.

**Zapadekar interacted with Prime Minister Narendra Modi** in a video conference during the entrepreneurship development programme under the AIF scheme, highlighting the positive impact of our support on agricultural innovation and rural development.

# Boosting women's participation in growth

According to the World Economic Forum[9], with women currently contributing 18% to India's GDP in fiscal 2023, the increasing participation of women in the workforce and entrepreneurship signals economic growth, innovation, and social advancement, essential for national development. India's journey towards gender equality and economic empowerment is evident in rising share of India's labour force participation rate for women from 17.5% in 2018 to 24.8% in 2022.

**Figure 13:** India's labour force participation rate (LFPR) for women rising

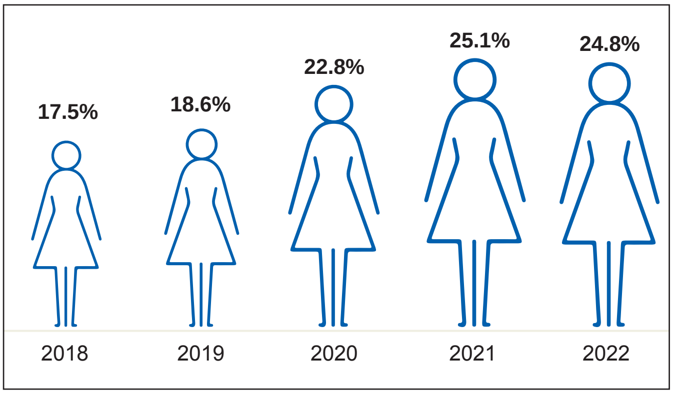


Source: MOSPI report Women[10]

India's female labour force participation, although below global standards, presents a significant opportunity for growth.

**Figure 14:** Global Female Workforce Participation, 2022

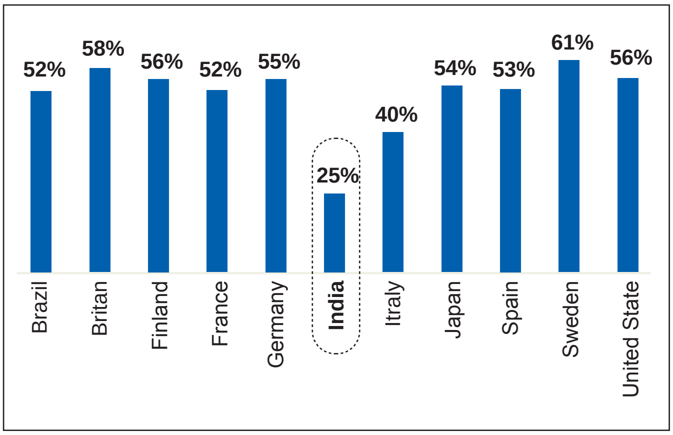


Source: World Bank, 2022[11]

**Rising participation of women across all facets**

An analysis of 950 listed companies in India conducted by CRISIL reveals that workforce participation of women is rising from 11.1% in fiscal 2020 to 12.1% in fiscal 2022, marking a gradual trend towards gender inclusivity and economic development. Moreover, the representation of women on company boards was 18% in fiscal 2022.

**Figure 15:** Women's rising influence in India's startup[12]

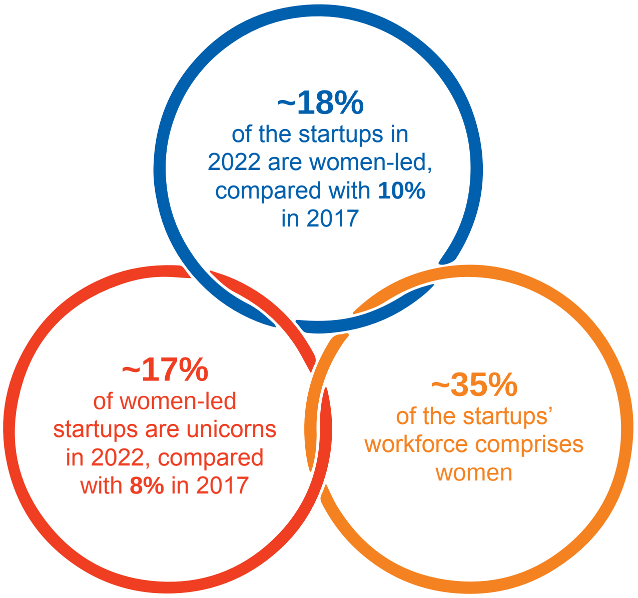


Additionally, the increasing presence of women in positions of power within ministries and higher levels of electoral participation further signifies progress towards gender equality and inclusive governance.

**Figure 16:** Women in Central council of ministers

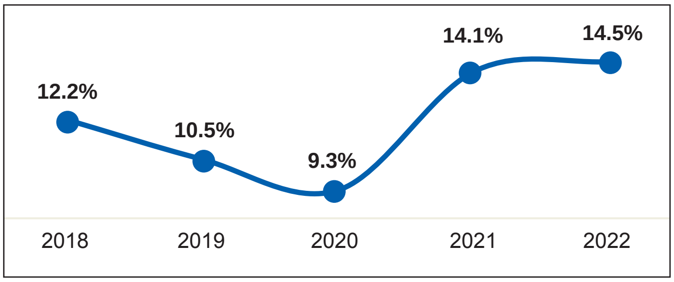


**Figure 17:** Female electors' participation

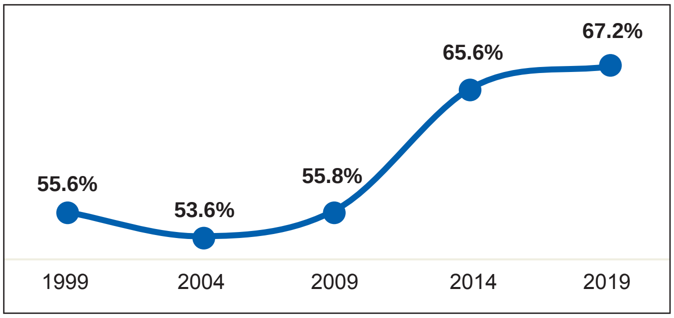


Source: MOSPI report[13]

[9] World Economic Forum, 2024
[10] MOSPI report Women, 2022
[11] World Bank, 2022
[12] Wiser's Women in India's Startup Ecosystem, 2023
[13] MOSPI report, 2022

## BOI's measures for women: Raising the fair share

We are embracing the national movement for women empowerment. The share of women employees has increased from 26% in 2019 to 29% in fiscal 2024 in the total workforce. As of fiscal 2024, we employ 14,826 women. Additionally, our Board comprises of a woman member, which is 10% of the total Board members, at par with the industry average, along with an independent woman director.

**Figure 18:** Share of women employees in our workforce on a rise

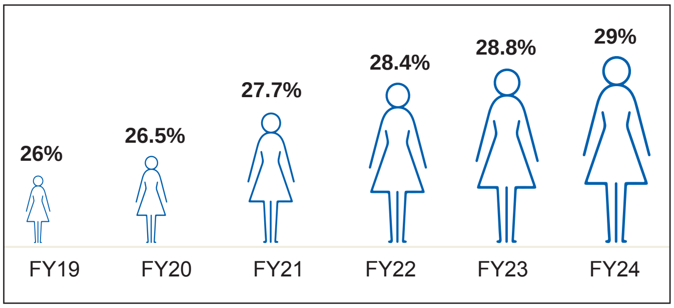


| Key initiatives for our women employees include |
|---|
| **Sabbatical leave**<br>Female employees can take a sabbatical leave from 3 months to 2 years<br>**60%**<br>Women joined duties after the sabbatical leave in FY24 |
| **Home-zone transfer**<br>Female employees are given relocation preference |
| **Childcare facilities**<br>Rs 3,000 per month for five years (per child) for reimbursement of expenses on childcare facilities |
| **Mom's re-launch programme**<br>Post-maternity counselling programme aims for returning female employees' work-life balance. |

### Initiatives across our subsidiaries

A similar story unfolds for women empowerment within our subsidiaries. For instance, in BOI Merchant bankers Ltd, Bank of India Investment Managers Pvt. Ltd and SUD Life, the gender diversity ranges from 20-26%, broadly in line with our gender-diversity ratio.

Additionally, **SUD Life offers** tailored programmes to support women employees, including:

| |
|---|
| **URJA – Women Empowerment Forum**<br>Platform to discuss issues/initiatives, which empower our women colleagues to grow in their personal and professional lives |
| **Maternity protection and cover**<br>Maternity cover and performance protection ensure seamless role transitions, aiding in retaining women talent amidst workforce challenges and family requirements. |

Apart from various financial products, we promote women empowerment through various initiatives from time to time.

### Some key initiatives include:

### Holistic Wellness Camp

In collaboration with The Yoga Institute, Mumbai, we have conducted a Holistic Wellness Camp for **all the women employees** at Star House I and II, Bandra-Kurla Complex (BKC). The camp was arranged to create awareness on the health of women employees by following simple yoga techniques in their day-to-day life.

### Women Leaders' Conclave

Women Leaders' Conclave was conducted by our head office from January 8, 2023, to January 10, 2023, for **38 women executives (AGM and above)** from across India. The purpose of the conclave is to highlight and create awareness among women executives to influence, motivate and drive transformation by enabling them to play a critical role in empowering themselves to bring about social and economic transformation in our organisation.

### Session on 'Emotional Wellness'

We organised a session on 'Emotional Wellness', featuring Dr Raina Khatri Tandon, Founder of Right2Rise and a distinguished expert in POSH-POSCO, human rights, and recipient of the Nari Shakti Award 2019 from Harvard edX. The initiative is aimed to underscore the significance of stress management and improved mental health.

## Success stories

### How BOI made a difference

#### Empowering Women within the organisation

Ms Nikhat Zareen, a Staff Officer at our organisation, has demonstrated exceptional performance in boxing since joining in May 2021. **Our support has been instrumental in her achievements in sports.** Winning gold at prestigious events, such as the 2022 IBA Women's World Boxing Championship and Commonwealth Games 2022, showcases her talent.

**Our initiatives, including cash rewards, increments, and promotions, recognise her accomplishments.** Such support not only acknowledges her dedication but also encourages her to excel further. Through these gestures, we not only nurture talent but also exemplify our commitment to promote sports and empowering individuals to achieve their goals.

#### Empowering Women within the organisation

Simranjeet Kaur, a decorated archer with numerous medals to her name, joined us on the strength of her exceptional sporting achievements. **Recognizing her talent and potential, we extended crucial support for her athletic endeavours Simran received financial assistance from us for training and competitions**. Our **flexible work arrangements** further empowered Simran to **balance her professional responsibilities with her passion for sports**. This underscores our commitment to nurture talent and foster a supportive environment for individuals.

### Our gamut of financial products to support women

We introduced a tailored product for women, the **Nari Shakti Savings Account**, which helps empower women financially and meet their diverse financial requirements, offering exclusive privileges and concessions. These zero-balance accounts enable women to access banking services without requiring an initial deposit.

Over **71,000** Nari Shakti Savings Accounts were opened, with **Rs 81 crore** deposits as of March 2024 through this scheme.

### Benefits offered to women under Nari shakti Saving Account

**Table 1:** Our strong women-borrower base

| Sector | Lives touched | Share of women in overall lives touched | Lending to women borrowers |
|---|---|---|---|
| MSME | 4 lakh+ | 26% | **Rs 4,287 crore**<br>MSME credit to women as of FY24 |
| Agriculture | 12.3 lakh+ | 33% | **Rs 17,219 crore**<br>Agri credit to women as of FY24 |
| Housing | 86,000+ | 22% | **Rs 13,263 crore**<br>Home loan to woman borrower as of FY24 |

## Success stories

### How BOI made a difference

#### Empowering women in society

Mrs Manisha Santosh Khadake, who was previously employed with Om Industries, **set up Mauli Industries** to manufacture engineering goods, auto parts and components.

**She applied to our** Shiroli Branch for **financial assistance**, following which Rs 22.5 lakh was disbursed for machinery and Rs 0.5 lakh was provided towards working capital. With this support, her business has grown considerably. **Her income has also increased from Rs 12,000 per month to ~Rs 50,000**, and she has been able to transform lives as well, providing employment to three technicians.

Her success story epitomises women empowerment and entrepreneurship.

# Spreading education and skill development

India is home to the world's largest and youngest workforce. However, a significant gap exists between the available workforce and the skills required by industries, with only ~5% recognised as formally skilled[14]. Bridging this gap is crucial for economic growth and productivity and fostering innovation in various sectors.

Education plays a crucial role in building a strong foundation of knowledge. Skilled training serves as a pivotal driver for economic growth and social advancement in any nation.

## BOI's training and education initiatives: Loans and more

We acknowledge the importance of education and skill development to cultivate a skilled workforce across levels, extending beyond its employees. Through diverse initiatives, we aim to enhance awareness, knowledge and skill sets, ensuring readiness for the diverse roles. In addition to operational support for education, we also engage in CSR activities to provide basic education to impoverished and underprivileged individuals.

**Figure 19**: Our support for education and skill development

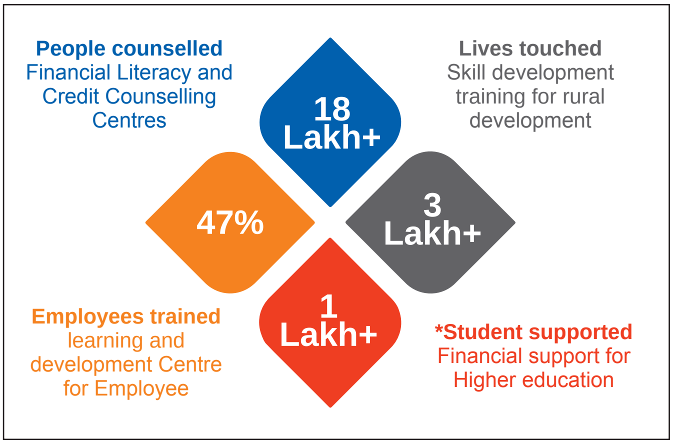


Note: *Number of accounts based on outstanding

**Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs) initiative to address skill gap**

The Rural Self Employment Training Institutes (RSETI) programme, aimed at empowering rural youth below the poverty line, is a joint initiative involving the Ministry of Rural Development (MoRD), state governments and sponsor banks.

As part of this initiative, banks are mandated by the government to establish at least one institute within their district as part of their lead bank responsibility.

| | | |
|---|---|---|
| **BOI Sponsored RSETI** | **42** | All RSETIs sponsored by BOI have settlement and credit linkage rates of over 78%^ and 60%^, respectively in fiscal 2024. |

Note: The BOI sponsored RSETI

**Figure 20**: BOI – Programme under RSETI

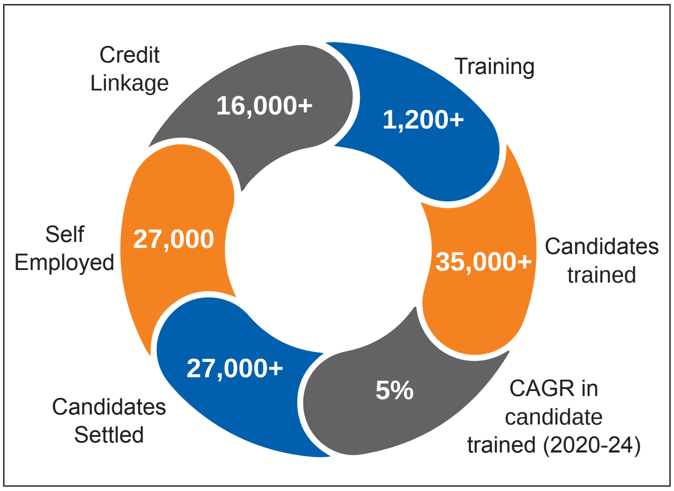


Note:
1. Candidates settled are those who got employment/business after training
2. Credit linkage are the self-employed who were provided with credit support from BOI

## Success stories

**How BOI made a difference**

**Vidya Sunil Sangaokar**, Kolhapur

Vidya has started a small fast-food stall near her house with her own funds of Rs 50,000. Due to her lack of knowledge about the fast-food business, Vidya faced several issues and was unable to meet customer demand.

Vidya attended the fast - **food training at BOI RSETI** Kolhapur and learned about a variety of fast - food items along with time management, personality development training.

**After the completion of training, she applied for a Mudra loan for her business and got Rs 1.60 lakh loan from the Bank of India and expanded her existing business** with a big stall of fast food -"LAI BHARI BHEL CENTER" Before training, she was earning Rs500 per day, but after training she started earning Rs 3,000 to Rs 5,000 rupees daily.

[14] World economic forum
^ indicates share of candidates settled out of total candidates trained
* indicates share of credit linkage to total self employed candidates

**Asha Malviya,** Madhya Pradesh

Asha wanted to support her family financially and so she has joined BOI training program under RSETI for employment.

From **RSETI Bank Sakhi training** she learned competencies and skills like effective communication, goal orientation & time management. Asha got financial support as SHG loan/ Mukhyamnatri Swarojgar Yojna, through which she started her own CSC(Common service center). **She managed to start an enterprise** with her own funds of Rs 35,000 and got finical support of Rs 25,000 from National Rural Livelihood Mission. **RSETI has empowered Asha to transition from dependency to entrepreneurship**. She now actively contributes to her household income and fulfills the financial needs of her family.

**Investing in education to shape tomorrow's talent**

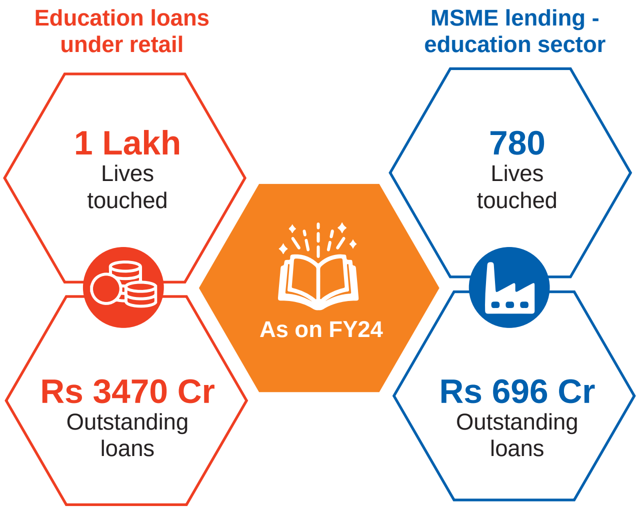


Note: Priority sector lending (PSL) accounted for about three-fourths of the education loan portfolio in the retail segment

**Equipping employees to be industry-ready**

We operate seven training institutes, ensuring employees receive essential education and training to stay updated with the requirements across industry.

We have collaborations with institutions such as National Institute of Bank Management, Pune; Indian Institute of Banking and Finance, Pune; College of Agricultural Banking, Pune; Administrative Staff College of India, Hyderabad; Manipal Global, Bengaluru; and International Management Institute, New Delhi to bolster the skills and capabilities of our staff.

**Figure 21:** Percentage of employees trained on skills and safety

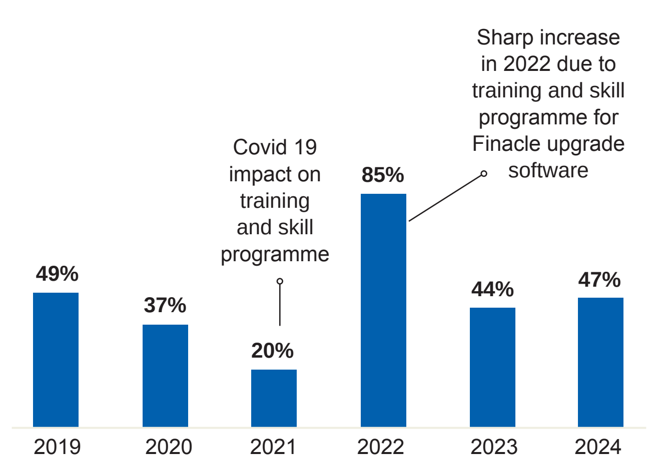


Source: CII Reports, 2022[5]

**Youth Empowerment through Financial Literacy**

Financial Literacy and credit Counselling Centres (FLCC) / FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centres at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility.

Our 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. We aim to help more people understand finances, which can empower young people to make informed choices for their financial well-being.

The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case-to-case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars Total 18.67 Lakh people were given counselling in fiscal 2024.

# Corporate social responsibility in action

CSR has become increasingly significant in addressing social challenges, fostering sustainable development and building a better society.

In line with government regulations, companies are mandated to allocate 2% of their profits towards CSR activities. During fiscal 2022, 19,043 companies collectively contributed Rs 26,279 crore to CSR initiatives[15].

Bank of India was established under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, and is not subject to the Companies Act, 2013. Hence, we do not have a mandate to allocate 2% of profits. However, we remain dedicated to supporting environmental and social enrichment through CSR initiatives on a sustainable basis.

## BOI's commitment to CSR: Driving change

We allocated Rs 8 crore for CSR initiatives in fiscal 2024, of which Rs 7.07 crore was spent. Our dedication to social welfare is demonstrated through its array of programmes under its CSR initiative.

**Figure 22:** Category-wise CSR spends share for fiscal 2024

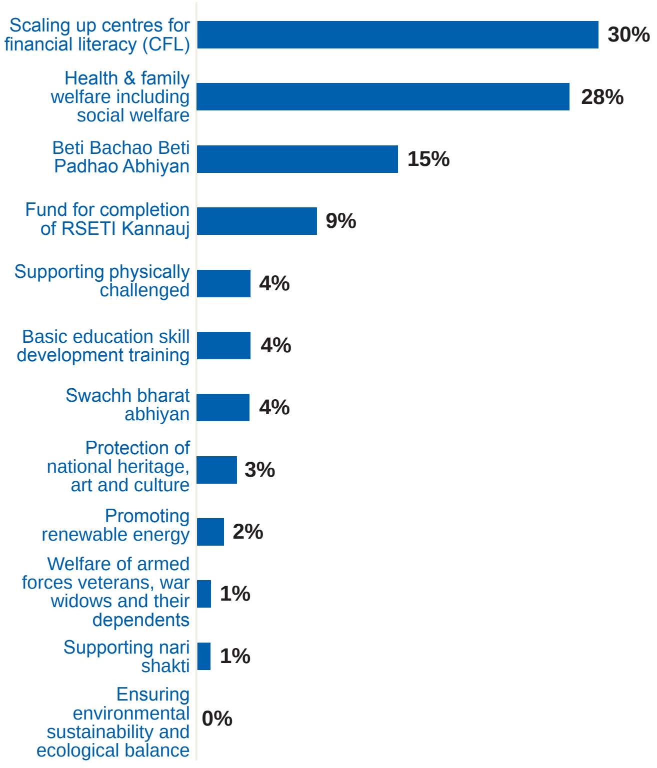


The **Star Angel Scheme is a notable programme**, supporting the **Beti Bachao Beti Padhao** Abhiyan.

**Beti Bachao Beti Padhao** is government initiative to prevent gender-based sex-selective elimination, safeguarding girls and fostering the education and participation of female children. We adopt five girl children per rural branch, providing them with extended financial support of Rs 1200 per girl child per annum for educational expenses from standard I up to graduation.

**8,500 +**
scholarship given under star angel scheme

**~Rs 103 Lakh**
Amount of scholarship given under star angel scheme

## CSR initiatives in fiscal 2024

**Financial Assistance though CSR for procurement of whe elchairs,Stretchers,Watercooler,Patient beds to PGIMER, Chandigarh**

Rs 4.11 Lakh for purchase of Wheelchairs, Strechers, Water Cooler, Patient Beds for PGIMER Hospital Chandigarh. The aforesaid CSR activity falls under category of "Health and Family Welfare including Social welfare".

[15] National CSR portal

**Financial Assistance through CSR to The Spastics Society of Tamil Nadu (SPASTN) for rehabilitation, special education and vocational training for skill development of differently abled children, under Chennai Zone, NBG-South I**

SPASTN provides extensive rehabilitation including neuro-developmental therapy, hydrotherapy, speech & language therapy and sensory integration. They also run a community-based rehabilitation of children with special needs in Tiruvallur District.

Rs 5 Lakh for CSR Support to Spastics Society of Tamil Nadu (SPASTN) for rehabilitation, special education and vocational training for skill development of differently abled children.

**Financial Assistance through CSR for procurement of necessary items for Sahara Vridhashram, Patna**

Rs 1 lakh for purchase of water cooler, LED television, vaccum cleaner, 35 men's T-shirts, 55 ladies nighties and 250 kgs of foodgrains. The aforesaid CSR activity falls under category of "Health and family welfare including social welfare"

**Financial Assistance through CSR for procurement of 200 ceiling fans to Police Line Dhanbad**

Financial Assistance through CSR for procurement of 200 ceiling fans to Police Line Dhanbad

**Financial Assistance through CSR for procurement of Three sets of Desktop Computers for Dhanamma Devi Devasthan trust Kolhapur**

Rs1 Lakh for purchase of Three Sets of Desktop Computers for Dhanamma Devi Devasthan Trust, Guddapur.in Kolhapur District. The aforesaid CSR activity falls under category of "Social Welfare".

**Financial Assistance through CSR to Vision Foundation of India (VFI)for Free Eye Surgery Camp Mumbai**

Pre Operative Photograph

Post Operative Photograph

BOI has provided 9 lakh Rs for 360 eye surgeries, with Rs 2500/- for each surgery, to the Foundation of India. for carrying out free eye checkup and Cataract surgeries of the marginalized strata of the society. The aforesaid CSR activity falls under category of "Health and Family Welfare including Social Welfare.

**Financial Assistance though CSR for procurement of Ambulance to Sansthan Shri Deo Ganapatipule Devasthan**

In collaboration with Bank of India, Sansthan Shri Deo Ganapatipule Devasthan offers a free ambulance service to those in need. BOI allocated Rs20 Lakh - to provide one ambulance to Sansthan Shri Deo Ganapatipule Devasthan, Ganapatipule, Maharashtra. This CSR initiative falls under the category of "Health and Family Welfare, including Social Welfare".

**Financial Assistance through CSR to Aatmaja Foundation working for education of girls from under privilege background under NBG-West II**

Aatmaja Foundation, a Non-profit organization committed to enabling bright young girls from disadvantaged backgrounds to become successful professionals. They seek support for 15 girls (with average spend on each girl being 40,000) i.e. Rs6 lakhs. The project name is “Udaan” and the expenses are incurred for School/ College fees, Books, Extra coaching, mentoring, counselling, training and administrative expenses related to supporting these initiatives.

# Supporting an environmentally sustainable future

Industrialisation and the resultant global warming have irreversibly damaged the environment. The change in climate is rapidly reshaping our lifestyle and work patterns, compelling organisations to reassess their strategies and undergo business transformation. Urgent actions are needed to mitigate the impact of human activities on climate and enhance resilience to global warming.

According to the Union Ministry of Environment[16], India has reduced its emissions intensity relative to GDP by 33% between 2005 and 2019, meeting the original Nationally Determined Contributions (NDC) target for 2030, 11 years ahead of schedule. The country has set a target to achieve net zero emissions by 2070.

### BOI's environmental commitment: Empowering the eco warriors

We have a Chief General Manager (CGM)/General Manager (GM) level ESG committee for oversight on the Bank's initiative in ESG as well on Climate Risk. We also have a Board Approved ESG Policy which spells out the role of management in assessing and managing climate related risks.

Our eco-conscious practices are proof of our commitment to environmental sustainability.

**Figure 23:** Scope 1 and 2 emissions during the fourth quarter of fiscal 2024

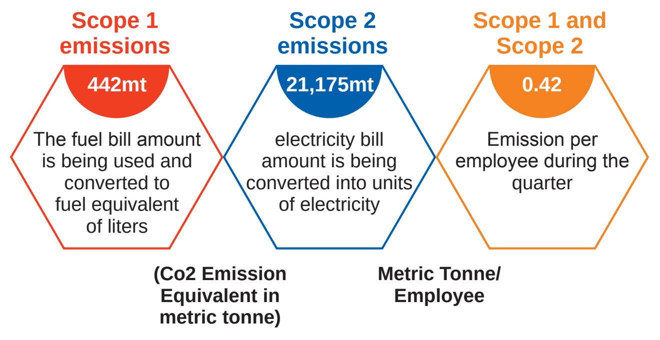


We are taking proactive measures to reduce our scope 1 and 2 emissions. Here are some of the steps we have taken. We have financed solar rooftop panels and electric vehicles in the retail loan segment. We have also financially assisted renewable energy companies in corporate loans vertical.

We have underwritten loans in the Bio Gas, Solar & wind energy generation & distribution, the total outstanding across renewables portfolio is Rs 2505 Cr as on fiscal year 2024.

**Figure 24:** BOI green financing in Corporate segment in fiscal 2024

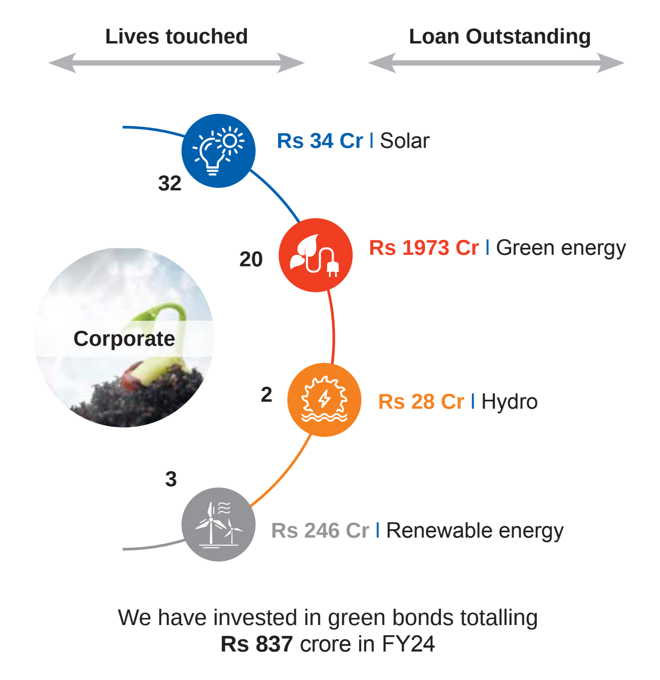


**Table 2:** Green financing in MSME

| **Renewable energy** (As on FY24) | |
|---|---|
| Lives touched | 135 |
| Loan Outstanding | Rs 48 Cr |

Note: MSME renewable energy category represents loan outstanding under Star energy saver scheme which was launched in December 2023

[16] India at COP-28: Highlights of 28th Conference of Parties. Dec 2023

**Table 3:** Green financing in retail

| | | |
|---|---|---|
| **E-Vehicle** (As on FY24) | | |
| E-Vehicle | **Lives touched** | **1,314** |
| | **Loan Outstanding** | **Rs 23 Cr** |
| **Solar rooftop** (As on FY24) | | |
| Solar rooftop financing | **Lives touched** | **235** |
| | **Loan Outstanding** | **Rs 118 Cr** |

**Table 4:** Green financing in agriculture

| | | |
|---|---|---|
| **Compressed Biogas** (As on FY24) | | |
| Compressed Biogas | **Loan Outstanding** | **Rs 15 Cr** |
| **Agriculture Biotechnology** (As on FY24) | | |
| Agriculture Biotechnology | **Loan Outstanding** | **Rs 27 Cr** |

**7.7 lakhs lives reached through digital loan facility**

In the fiscal year 2024, we sanctioned Rs15,516 Cr through digitally opened loan accounts via E-Portal, resulting in saving nearly 1.13 crores of pages. This contributed to reducing approximately 50 metric tons of carbon emissions.

We have conducted physical risk scoring for all borrowers based on their locations and transition risk scoring for industries based on their GHG emissions. These scores were then compared with our corporate portfolio to identify the most vulnerable accounts in each sector.

**Table 5:** Green workspace

| Key initiatives for our Green workspace include | |
|---|---|
| | **Green building certification**<br>BOI has Green Building certificate for Head office “Star House 2”. The building is having well-sealed duct systems, sealed combustion gas appliances, bathroom and kitchen exhaust fans, and a balanced / positive pressure ventilation system. |
| | **Solar Panel installation**<br>The bank has installed solar panels to produce electricity in various facilities. **Six BOI facilities have been equipped with solar panels while another 25 facilities in process to get installed.** |
| | **Restrictions on use of single use plastic**<br>The bank has restricted the use of single-use plastic in office premises. To create awareness, all plastic items like pet bottles and other hard plastic are collected and displayed on office premises. Later, the same is sent for recycling to a Govt-authorized recycling center. |
| | **Segregation of wet and dry waste**<br>BOI segregates its wet and dry waste at source (residential and commercial) complexes. The dry waste is segregated further and recycled or sold. |

**Commitment to effective governance practices**

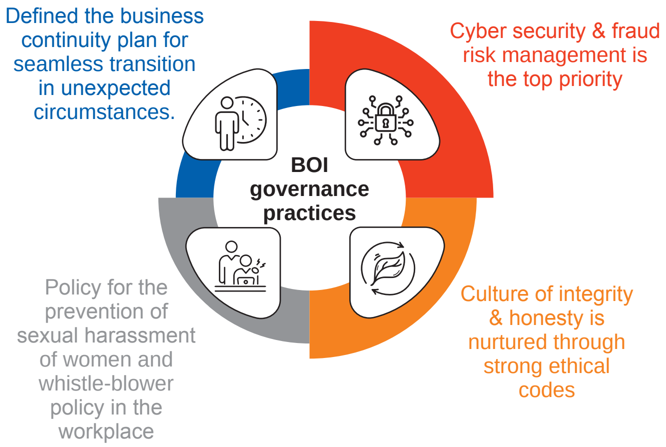

# Riding the digital revolution

The digital revolution has emerged as a transformative force in India's dynamic financial landscape, reshaping operations for financial institutions. A surge in digital adoption, driven by initiatives such as Digital India and a push for a cashless economy, is evident. The percentage of 4G and 5G subscribers has increased from 79% in FY19 to 91% in FY23, this penetration has enabled the mobile banking, digital wallets, and online lending platforms to thrive while catering to the diverse users in urban and rural areas.

**Figure 25:** Consumers shifting to faster 5G technology

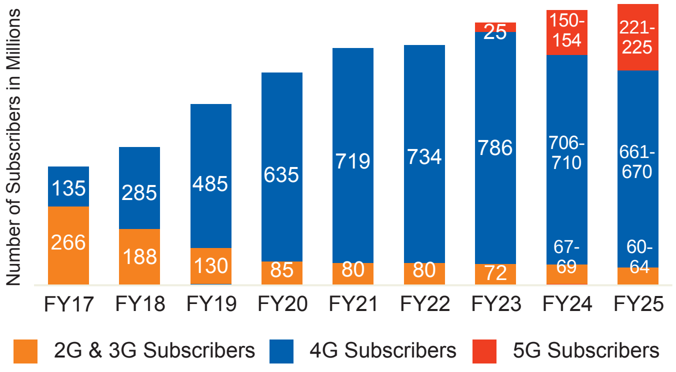


Source: TRAI, Crisil MI&A Research

On the back of this improved digital infrastructure, payments in India have witnessed remarkable growth in the number of transactions done digitally.

**Figure 26:** Number of UPI transactions in India over FY13-24[17]

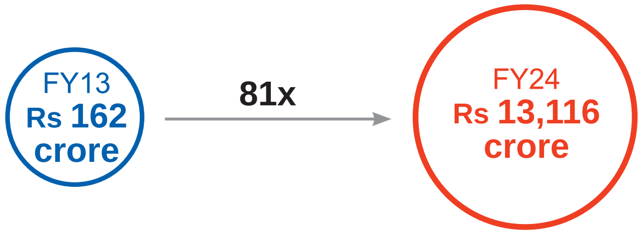


**Digital lending gaining currency**

As per the latest available figures on digital lending from the Reserve Bank of India, digital disbursements have surged 12x between fiscals 2017 and 2020. Private sector banks and non-banking finance companies dominate the digital lending ecosystem with 85%; public sector banks have also increased their share significantly from 0.3% to 13.1% between fiscals 2017 and 2020.

## BOI's digital drive: Transformation bytes

UPI has been an important part of our digital transformation journey with the number of transactions (in volume terms) increasing 2.4x to **607 crores** in between fiscals 2022 and 2024.

**Figure 27:** BOI total UPI transactions

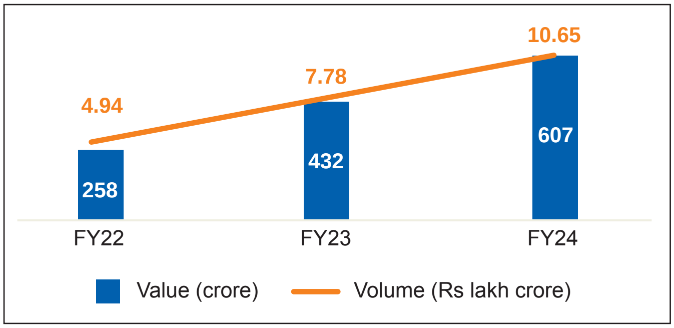


We have set up a digital lending department which provides loans for the MSMEs, agriculture and retail segments via an e-platform.

Driven by this platform, which allows both web-enabled and branch-assisted channels, we **have added 7.7 lakh accounts**. These represent a sanction amount of **~Rs 15,500 crore** in fiscal 2024.

**Table 6:** Digitalised product portfolio of our bank for fiscal 2024

| Loans | Key products | Number of accounts | % of Total Accounts | Launch of branch-assisted services | Launch of web-enabled services | Milestones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSME (Mudra) | Shishu | 13510 | 1.7% | 2QFY23 | 3QFY23 | End-to-end digital in Shishu (existing to bank customer); disbursement time reduced from 7 days to 10 minutes |
| | Kishore | 62592 | 8.1% | 3QFY23 | 2QFY24 | |
| | Tarun | 27895 | 3.6% | 3QFY23 | 2QFY24 | |
| Agriculture | KCC-Crop | 61564 | 8.0% | 3QFY23 | 2QFY24 | Online retrieval of land records and crop reports – KCC pilot in MP |
| Retail | Personal | 8346 | 1.1% | 2QFY23 | 4QFY23 | Recent addition of pensioner loan to web-platform |
| | Pensioner | 640 | 0.1% | 2QFY23 | 1QFY24 | |
| | Vehicle | 8537 | 1.1% | 3QFY23 | Not Enabled | |
| | Home | 457 | 0.1% | 3QFY24 | Not Enabled | |
| | Gold[18] | 584586 | 75.6% | 2QFY23 | 2QFY23 | Moving to phygital |

[17] National Payments Corporation of India
[18] Total Gold Loans

**Figure 28:** Faster credit delivery across segments on the back of digital initiatives

| | | |
|---|---|---|
| **MSMEs (Mudra)** | **10 Minutes** | **Shishu** loans for Existing To Bank (ETB) users processed faster than Kishore and Tarun loans via web journey option, as on-site verification is waived off leading to disbursement within **10 minutes**. |
| | **1-2 Days** | For **Kishore and Tarun**, the documentation process takes **15-20 minutes** for existing users; additional time is taken for site visits. The timeframe for New To Bank (NTB) users is **1-2 days**. This entire process would take ~7 days in the manual mode for all the three products under Mudra previously. |

| | | |
|---|---|---|
| **Agriculture Loans** | **15 Minutes** | KCC's pilot project in Madhya Pradesh digitalised the collection of land records and crop reports reducing the loan disbursement time for crop loans to 15 minutes from 1-2 days earlier. |
| **Gold Loans** | KCC's pilot project in Madhya Pradesh digitalised the collection of land records and crop reports reducing the loan disbursement time for crop loans to 15 minutes from 1-2 days earlier. | |
| | The loan amount displayed is tentative and a branch visit is required to get the gold evaluated by professional appraisers | |

**Some of our digital initiatives**

One of our key initiatives has been the **BOI Mobile Omni Neo App**. Equipped with **300+ features**, it acts as a one stop solution for all banking, investment, and payment needs. Users can make end to end digital account openings for SB, FD, PPF, etc. and can invest in Sovereign Gold Bonds, Mutual Funds and insurance products. It also gives a simplified view of transactions and mandates.

We have also made major upgrades to our digital infrastructure by adding a new state of the art **data centre**, upgrading Intra-bank networks and investing in new technologies like **Artificial Intelligence/Machine Learning/Generative AI** to ensure a faster and more robust digital platform. Apart from this, **WhatsApp** banking is now possible making the user experience more convenient and a **portal for merchants** acting as a one stop solution for all corporates.

# Banking beyond borders

A survey by the Reserve Bank of India revealed an increase in the number of branches and subsidiaries of Indian banks operating abroad. From 517 in fiscal 2017[19], the number surged to 531 by fiscal 2023[20]. This indicates a gradual expansion of domestic banks into various international markets, thereby enhancing cross-border banking experience of customers and gaining a global clientele.

The branches and subsidiaries operating abroad have witnessed a steady increase in credit extension, which logged a ~3% CAGR between fiscals 2017 and 2023. In fiscal 2023, the credit extended reached approximately Rs 10,942 billion.

## BOI's global operations: Expanding footprint

As of March 2024, we have a presence in 15 countries across five continents and 47 foreign offices.

Foreign operations which contributed 15% to our global business mix (advances and deposits), reached close to Rs 2 lakh crore, highlighting the significant role they play in our overall operations.

**21** Overseas branches

**4** Overseas subsidiaries

**1** Overseas joint ventures

Our overseas branches, located in major global hubs, witnessed a 5.5% on-year increase in deposits to Rs 108,203 crore as of fiscal 2024.

### Our global subsidiary

We have four global subsidiaries, one each in Indonesia, Tanzania, New Zealand and Uganda. The total gross advances to these subsidiaries amounted to around **$418 million in fiscal 2024**. These subsidiaries are committed to cater to diverse segments of society like:

**$5 M** For pharma/ healthcare/ hospitals in FY24

**$1.3 M** For education in FY24

Note: Total credit exposure of subsidiaries which have financed to these segments

### Instances where our subsidiaries have made an impact

#### Community engagement in New York

Our New York branch has set a **$3 million working capital limit to Neighbourhood Housing Services of New York City, Inc.** (NHSNYC). The support to NHSNYC through line of credit is covered under community development lending.

Neighbourhood Housing Services of New York City, Inc. (NHSNYC) is a non-profit corporation offering affordable loans, housing education and renovating rundown properties, thereby benefiting low-income individuals.

The credit facility given to NHSNYC qualifies for loans granted under the Community Reinvestment Act (CRA), which is mandatory as per Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). We allocated CRA deposit placements worth **$1 million** during calendar 2024.

Moreover, our New York branch invests in Federal National Mortgage Association (FNMA) and Government National Mortgage Association (GNMA), channelling funds to housing for low and moderate-income groups.

We also opened CD for **four community development financial institutions**. We offered grants to **17 community** development organisations focusing on affordable housing, economic development and community services.

Our New York branch **conducts financial literacy seminars** for students from low- and moderate-income groups, demonstrating its commitment to fostering positive change and economic empowerment in local communities.

#### Sustainability-linked financing by BOI Singapore

In fiscal 2024, BOI Singapore, our Singapore arm, financed **three syndicated sustainability-linked loans totalling SGD 69 million**.

The first loan (SGD 15 million) was extended to financial holding company operating hotels and resorts in Southeast Asia. The loan's sustainability key performance indicators (KPIs) **included a 66% reduction in greenhouse gas emissions and a 50% cut in waste to landfill by 2030 from 2022 baseline**. Notably, the company diverted 23% of the waste generated to recycling in 2023. Its emissions per occupied room decreased 20% and water usage reduced 2.3%.

The second loan (SGD 34 million) supported a global pharmaceutical company. **The KPIs included increasing the consumption of renewable energy, reduction in freshwater consumption and improvement in gender diversity in the workplace**.

The third (SGD 20 million) assisted a commercial bank in Africa. The KPIs **increased renewable energy and diversity, especially increasing black women in senior roles**.

[19] Reserve Bank of India's survey, 2018
[20] Reserve Bank of India's survey, 2023

# प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

## 1. वैश्विक परिदृश्य

वर्ष 2023-24 में दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में समग्र तेजी देखी गई। यह तेजी बार-बार झटके लगने और भू-राजनीतिक तनाव और भौगोलिक-आर्थिक पार्थक्य में वृद्धि के बावजूद बनी रही। निस्संदेह इन चुनौतियों ने विकास की गति को प्रभावित किया लेकिन सेवा क्षेत्र और विनिर्माण में बढ़ोतरी से संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुन: मजबूत होकर उभारने का संकल्प देखा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मंदी की आशंकाओं में कमी आई और मुद्रास्फीति का दबाव धीरे-धीरे कम हुआ। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई अभूतपूर्व मौद्रिक सख्ती जारी रही क्योंकि मुद्रास्फीति प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रही, परन्तु नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा गया।

आईएमएफ ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ( डब्ल्यूईओ) में अनुमान लगाया है कि 2024 में वैश्विक वृद्धि 3.2% पर स्थिर रहेगी, जैसा कि 2023 में थी और आने वाले वर्षों में भी इसी गति से वृद्धि जारी रहने की संभावना है। जहाँ एक ओर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2.7% की वृद्धि हुई, वहीं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 4.2% की वृद्धि हुई। हालाँकि विकसित देशों में मांग में कमी, व्यापार में कमज़ोरी, अस्थिर वैश्विक वित्तीय स्थितियों के साथ-साथ कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण पूरे 2023 के दौरान वैश्विक व्यापार के मूल्य में गिरावट आई है। वैश्विक मुद्रास्फीति में 2023 में 6.8 प्रतिशत से 2024 में 5.9 प्रतिशत तथा 2025 में 4.5 प्रतिशत तक की लगातार गिरावट का पूर्वानुमान है जिससे वृद्धि की संभावना को बल मिलता है।

## 2. घरेलू आर्थिक परिदृश्य:

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत बृहद आर्थिक बुनियादी स्थिति और वित्तीय स्थिरता के बल पर आशावाद का संचार किया है। मजबूत घरेलू मांग, ग्रामीण मांग में तेजी, मजबूत निवेश, निरंतर विनिर्माण गति, मजबूत बैंकिंग क्षेत्र, कम ऋणभार वाला कॉरपोरेट क्षेत्र और बेहतर उपभोक्ता और निवेशक विश्वास ने भारत की मजबूत स्थिति में योगदान दिया।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2023-24 में 7.6% की मजबूत जीडीपी वृद्धि हासिल की, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 7% की वृद्धि दर से अधिक है। इस प्रकार भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए विकास इंजन के रूप में उभरा, जिसने समग्र विकास गतिशीलता में लगभग 16% का योगदान दिया और 2023-24 में सभी क्षेत्रों में व्यापक विकास के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन में 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। खरीफ के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट और कम वर्षा के कारण यह वृद्धि बाधित हुई।

सुधारों और बेहतर कारोबारी भावनाओं से समर्थित मजबूत विनिर्माण क्षेत्र के बल पर औद्योगिक उत्पादन में तेजी जारी रही। औद्योगिक क्षेत्र में 2023-24 में 8.3% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल इसमें 5.1% की वृद्धि हुई थी। 8.5% की वृद्धि के साथ विनिर्माण, इसमें सबसे मजबूत उपक्षेत्र के रूप में उभरा। दूसरी ओर 2023-24 में खनन में 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई और बिजली उत्पादन में 7.5% की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

सेवा क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना रहा जिसने जीवीए वृद्धि में 70% से अधिक का योगदान दिया। इस क्षेत्र ने मजबूत आवास मांग द्वारा प्रेरित निर्माण गतिविधि, ट्रेड, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण तथा वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं से शक्ति पाकर अपनी गति बनाए रखी।

सीपीआई द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जो कोविड-19 फ्रेमवर्क के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। सक्रिय मौद्रिक नीति और सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई जैसे कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में कमी ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद की। हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2022-23 में 6.7% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 5.4% हो गई, जो मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे के ऊपरी वहनीयता के स्तर के भीतर है। हालांकि कोर मुद्रास्फीति अपने निम्नतम स्तर पर आ गई, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर है तथा चुनौती बनी रही है।

वैश्विक मंदी और जारी भू-राजनीतिक तनावों के कारण भारत के व्यापारिक निर्यात के साथ-साथ व्यापारिक आयात में भी कमी आई है। विदेशी व्यापार में मंदी के कारण आयात की तुलना में निर्यात में कम संकुचन के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में व्यापारिक व्यापार घाटा कम हुआ है। हालांकि, गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण व्यापारिक निर्यात ने मजबूत वापसी दिखाई है और सॉफ्टवेयर निर्यात और व्यावसायिक सेवा निर्यात में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में सेवा निर्यात में सबसे तेज़ गति से वृद्धि हुई है। इससे वित्त वर्ष 2024 के पहले नौ महीनों में भारत के चालू खाता घाटे (सीएडी) में सुधार हुआ है। इस सुधार में शुद्ध सेवा प्राप्तियों में वृद्धि और आवक प्रेषण में वृद्धि का भी योगदान है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और आरबीआई को उम्मीद है कि आने वाले समय में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सीएडी पर जीडीपी अनुपात 1% से कम हो जाएगा।

भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, अनुकूल कारोबारी माहौल और मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी स्थिति ने वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय पूंजी प्रवाह को गति दी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) 41 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले दो वर्षों में शुद्ध बहिर्वाह हुआ था। वित्त वर्ष 2014-15 के बाद एफपीआई प्रवाह का यह दूसरा उच्चतम स्तर है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उभरते बाजार प्रतिभागियों के मध्य भारत को सबसे अधिक इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ। हालांकि, पूँजी प्रत्यावर्तन में वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2023-24 के पहले दस महीनों में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), पिछले साल के 36.8 अरब अमेरिकी डॉलर से कम होकर 25.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 29 मार्च, 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 11 महीने के अनुमानित

व्यापारिक आयात और कुल विदेशी ऋण के 100 प्रतिशत से अधिक को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

राजकोषीय मोर्चे पर, व्यय को युक्तिसंगत करने और राजकोषीय मजबूती के दृष्टिकोण से वित्त वर्ष 2023-24 उल्लेखनीय रहा। अनुपालन में वृद्धि, उच्चतर अग्रिम कर संग्रह और कर आधार के विस्तार के कारण, प्रत्यक्ष कर संग्रह में दोहरे अंकों की मजबूत वृद्धि हुई, जो अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान 21.6% बढ़ा, जबकि आयकर और कॉरपोरेट कर संग्रह क्रमश: 25.8% और 17.3% बढ़ा। वस्तु और सेवा कर संग्रह और सीमा शुल्क राजस्व के कारण अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। सकल राजकोषीय घाटा, वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से सुधरकर वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% हो गया (संशोधित अनुमानों के अनुसार)।

## 3. बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रगति:

वित्त वर्ष 23-24 में भारत के तेजी से बढ़ते आर्थिक परिदृश्य को स्थिर, सुदृढ़ और पर्याप्त रूप से पूंजीकृत बैंकिंग क्षेत्र और अपेक्षाकृत स्थिर घरेलू वित्तीय बाजारों का समर्थन प्राप्त था। बैंकिंग प्रणाली ने जमाराशि विस्तार की तुलना में अधिक ऋण वृद्धि देखी। जहाँ एक ओर वित्त वर्ष 23 में अग्रिमों में 15% की तुलना में 20.18% की वृद्धि हुई, वहीं जमाराशि में वित्त वर्ष 23 के दौरान 9.6% की तुलना में 13.48% की वृद्धि दर रही जो ऋण वृद्धि की तुलना में पिछड़ गई है। सकारात्मक व्यावसायिक दृष्टिकोण, आर्थिक गतिविधि में सुधार और बड़े बैंकों के विलय ने ऋण वृद्धि को बढ़ाया। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 2023-24 में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए जाने वाले नियमित ऋण के प्रमुख चालक बने रहे। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को ऋण में फरवरी 2024 में 20.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष 15.0% थी। औद्योगिक क्षेत्र को ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष के 6.8% से फरवरी 2024 में 8.6% के स्तर पर पहुंच गई। सेवा क्षेत्र को ऋण में एक वर्ष पहले 20.5% की तुलना में फरवरी 2024 में 21.2% की मजबूत वापसी वाली वृद्धि हासिल हुई। हालांकि उच्च ऋण जमा अनुपात और बैंकों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिदृश्य में, कम लागत वाली जमाराशि जुटाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

बैंकिंग क्षेत्र ने उच्च ब्याज दरों के दौर में शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि, ऋण लागत में कमी और आस्तियों पर प्रतिफल और इक्विटी पर प्रतिफल जैसे बेहतर दक्षता अनुपातों के कारण मजबूत लाभप्रदता के साथ स्वस्थ तुलनपत्र देखा। पूरे बैंकिंग उद्योग में स्लिपेज पर नियंत्रण, बेहतर अंडरराइटिंग मानकों और जीएनपीए और एनएनपीए अनुपातों में लगातार गिरावट के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने मौद्रिक नीति में समायोजन के रुख को वापस लेना जारी रखा और रेपो दरों को अपरिवर्तित रखा। सितंबर 2023 के मध्य में पहली बार, साढ़े चार साल के अंतराल के बाद प्रणाली, चलनिधि घाटे की स्थिति में चली गई और द्वितीय अर्धवर्ष के दौरान त्यौहारी मांग और राज्य चुनावों के कारण बढ़े हुए सरकारी नकदी शेष के मद्देनजर घाटा जारी रहा। विकास पर नज़र रखते हुए चलनिधि की स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, आर.बी.आई ने द्वितीय अर्धवर्ष में चलनिधि की कमी को दूर करने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों के माध्यम से चलनिधि डाली। मार्च के अंत में सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण प्रणाली में चलनिधि सुचारू हो गई और शुद्ध चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) से प्रवाह, फरवरी 2024 में 1.78 लाख करोड़ रुपये से घटकर 0.29 लाख करोड़ रुपये रह गया।

वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट, नीतिगत दरों पर यथास्थिति तथा बेहतर मानसून पूर्वानुमानों के कारण जी-सेक यील्ड में शुरुआत में नरमी आई। हालांकि, 2023-24 की तीसरी तिमाही में यील्ड में शुरुआत में मजबूती आई, लेकिन उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, उम्मीद से कम खुदरा मुद्रास्फीति और प्रमुख वैश्विक उभरते बाजार सूचकांक में भारतीय सरकारी बॉण्ड को शामिल करने के प्रस्ताव और अमेरिकी यील्ड में गिरावट के कारण, इसमें नरमी आई। 10 वर्षीय बेंचमार्क यील्ड में वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में 7.20% से गिरावट आई और यह वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में 7.07% हो गई।

वित्तीय स्थिरता, मजबूत आर्थिक आधार और विदेशी क्षेत्र के स्थिर प्रदर्शन के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में रुपया-यूएसडी विनिमय दर में पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम अस्थिरता देखी गई और यह 82.00 से 83.15 रुपये प्रति यूएसडी के बीच रही। मजबूत अमेरिकी डॉलर और उच्च अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के बावजूद वित्त वर्ष 2023-24 में रुपया अपने उभरते बाजार प्रतिभागियों और कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर और सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में रहा।

बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, संकटों का मुकाबला करने में सक्षम भारत के निर्माण की दिशा में वर्ष 2023-24 उल्लेखनीय रहा और इसमें वित्तीय स्थिरता, जोखिम प्रबंधन और संकट की तैयारी, सुदृढ़ कॉरपोरेट प्रशासन के साथ-साथ मजबूत पर्यवेक्षण द्वारा सहायता प्राप्त एवं स्थितियों के अनुरूप ढलने वाले विनियमन को बढ़ावा देने के लिए विनियामक और सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि प्रकृति, आधुनिक बुनियादी ढांचे और सभी के लिए अवसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जाए और सार्वजनिक निजी भागीदारी विकसित की जाए। इसके अलावा, 2024-25 के अंतरिम केंद्रीय बजट में, सरकार ने रूफटॉप सोलराइजेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2 करोड़ घरों का अतिरिक्त कवरेज, स्वयं सहायता समूहों की मदद से लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ करने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की औपचारीकरण योजना (पीएमएफएमई) सहित कई उपायों की घोषणा की है जिससे व्यापक आधार पर वृद्धि और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए वर्तमान परिदृश्य में बैंक, अर्थव्यवस्था में ऋण चालक इंजन होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और इनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाने के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

## कारोबार समीक्षा:

### 1. संसाधन संग्रहण:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 7.03% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्ज करते हुए कासा में कुल रु. 17,223 करोड़ की वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान बचत जमाराशियों में वर्ष दर वर्ष 6.85% की वृद्धि के साथ रु.15,163 करोड़ की वृद्धि हुई है। बैंक ने वर्ष दर वर्ष 8.31% की वृद्धि के साथ रु. 2,560 करोड़ की वृद्धि करते हुए चालू जमाराशियों में थोड़ी उच्चतर वृद्धि दर्ज़ की गई है। बैंक की मीयादी जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 14.27% की वृद्धि के साथ रु. 44,931 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है। बैंक की कुल जमा राशियों में वर्ष-दर-वर्ष 11.05% की वृद्धि के साथ रु. 62,654 करोड़ की वृद्धि हुई है।

हमारे बचत पोर्टफोलियो में कुल 38,007 नए एचएनआई बचत ग्राहक जोड़े गए, जिनका प्रति खाता औसत शेष रु. 5,00,000/- एवं उससे अधिक है और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 6.10% की वृद्धि हुई है, जिससे बैंक के समग्र बचत पोर्टफोलियो में रु. 5823 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

इसी प्रकार, हमारे चालू खाता पोर्टफोलियो में कुल 3126 नए चालू जमा एचएनआई ग्राहक जोड़े गए, जिनका प्रति खाता औसत शेष रु. 2,00,000/- और उससे अधिक है और इसमें वर्ष-दर-वर्ष 2.47% की वृद्धि हुई है, जिससे बैंक के समग्र चालू जमा पोर्टफोलियो में रु. 2948 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।

कासा पर अपने निरंतर फोकस और ग्राहक अधिग्रहण पर जोर देने के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में बैंक का कासा अनुपात 43.21% रहा।

### 2. अग्रिम :

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम, यथा 31.03.2023 के रु.5,15,852 करोड़ से बढ़कर यथा 31.03.2024 को रु.5,85,595 करोड़ हो गया है जो वर्ष-दर-वर्ष 13.52% की वृद्धि को दर्शाता है। सकल घरेलू ऋण में 14.08% की संतुलित वृद्धि दर्ज की गयी। यह 31.03.2023 को रु.4,31,637 करोड़ था जो बढ़कर 31.03.2024 को रु. 4,92,392 करोड़ हो गया। बैंक का सकल कॉर्पोरेट ऋण 31.03.2023 को 1,94,100 करोड़ रुपये से बढ़कर 31.03.2024 को 2,17,915 करोड़ रुपये हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 12.27% की वृद्धि दर्शाता है।

बैंक 9 बृहद कॉर्पोरेट शाखाओं और एजीएम/सीएम की अध्यक्षता वाली अन्य बड़ी शाखाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट/मिड कॉर्पोरेट की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा 18 शाखाओं की पहचान प्रमुख शहरों में उभरते कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं (ईसीसीबी) के रूप में की गई है। "डिजिटल अर्थव्यवस्था" की अवधारणा के साथ खुद को जोड़ते हुए, बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी (ईबीजी) जारी करना शुरू कर दिया है।

### 3. रिटेल:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल रिटेल ऋण खंड में 18.12% और योजनाबद्ध रिटेल में 17.67% की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान हमने आवास ऋणों और वाहन ऋणों पर विशेष ध्यान दिया है।

वर्ष के दौरान आवास ऋण सेगमेंट रु. 51,737 करोड़ से बढ़कर रु. 59,107 करोड़ हो गया तथा उसमें 14.25% की वृद्धि दर्ज़ की गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण सेगमेंट रु. 13,534 करोड़ से बढ़कर रु. 16,641 करोड़ हो गया तथा इसमें 22.96% की वृद्धि दर्ज की गई।

हमारे पास वेतनभोगी ग्राहकों, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण (एलएपी) और शिक्षा ऋण का लाभ उठाने वाले मौजूदा ग्राहकों और पेंशनभोगियों के लिए स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन नाम से एक व्यक्तिगत ऋण है। इस व्यक्तिगत ऋण के साथ, बैंक के व्यक्तिगत ऋण खंड में 40.93% की वृद्धि दर्ज की गई, जो रु. 6,909 करोड़ यथा 31/03/2023 से बढ़कर रु. 9,737 करोड़ यथा 31/03/2024 हो गई है।

बैंक ने वाहन ऋणों के लिए मारुति सुज़ुकि, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एण्ड महिंद्रा तथा किआ मोटर्स के साथ टाई-अप व्यवस्था की है। इसी प्रकार, आवास ऋणों के लिए Nobroker.com एवं Prop Tiger के साथ टाई-अप व्यवस्था की है।

पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉरपोरेट्स/संस्थाओं के कर्मचारियों को, नियोक्ताओं के साथ टाई-अप व्यवस्था के तहत बैंक व्यक्तिगत ऋण भी उपलब्ध कराता है।

आवास ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋणों के अलावा हम संपत्ति पर ऋण और शिक्षा ऋण भी उपलब्ध कराते हैं।

वर्ष के दौरान रिटेल ऋण जैसे व्यक्तिगत ऋण, वाहन ऋण और आवास ऋण के लिए एक डिजिटल यात्रा शुरू की गई है।

### 4. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम):

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है तथा निम्न प्रति व्यक्ति निवेश से अर्थव्यवस्था की विकेंद्रीकृत वृद्धि द्वारा आय और रोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एमएसएमई क्षेत्र का योगदान राष्ट्र की कुल जीडीपी में 33% और कुल निर्यात में 50% है।

मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति और ईज़ रिफॉर्म जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देने के कारण बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋणों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

**एमएसएमई खंड के अंतर्गत बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-**

| सकल एमएसएमई अग्रिम (पीडबल्यूओ व यूआरआई को छोडकर) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | मार्च-23 | दिस-23 | मार्च-24 | वर्ष दर वर्ष वृद्धि | वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%) |
| सकल एमएसएमई | 70777 | 76600 | 77877 | 7100 | 10.03% |

**वित्तीय वर्ष 2023-24 की विशेषताएँ :**

- वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च 2024 तक **रु. 24,580 करोड़** की मंजूर सीमा के साथ **4,57,934 नए खाते खोले गए।** इन खातों की बकाया राशि **रु. 17,466 करोड़** है।

- **मुद्रा ऋण-** वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान, बैंक ने रु. 9121 करोड़ की कुल मंजूर राशि पर रु. 8580 करोड़ का संवितरण किया।
- **टीआरईडीएस (TReDS)-** बैंक ने रु. 4000 करोड़ की बकाया सीमा पार कर ली है और मार्च 24 में यह रु. 4142 करोड़ था।
- एमएसएमई पोर्टफोलियो का विस्तार करने और एमएसएमई ऋणों के बाजार में पैठ बनाने के उद्देश्य से एमएसएमई ऋणों की सोर्सिंग के लिए **बिजनेस सोर्सिंग एसोशिएट्स (बीएसए) संबंधी नीति** शुरू की गई है। बीएसए मार्केट में हमारे विस्तारित अंग के रूप में कार्य करेंगे और ग्राहक को बैंक से जोड़ेंगे। इस नीति द्वारा शाखाओं/एमएसएमई-यूसी हेतु एमएसएमई कारोबार लीड जनरेट करने के लिए बीएसए की नियुक्ति की अनुमति होगी। एमएसएमई कारोबार जुटाने के लिए अब तक 602 बीएसए को पैनलीकृत किया गया है।
- **एसएमईसीसी/यूसी का पुनर्गठन:** एसएमईसीसी एवं यूसी की संख्या बढ़कर 116 हो गई है और रु.10 लाख और इससे अधिक के सभी प्रस्तावों का केन्द्रीयकृत प्रसंस्करण सुगमता से हो रहा है।
- बैंक ने 3 स्टार्टअप शाखाओं की पहचान की है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की जरूरतों को पूरा करेंगी।
- विभाग को एमएसएमई में समग्र कार्यनिष्पादन के लिए प्रतिष्ठित **"स्कॉच अवार्ड 2023"** प्राप्त हुआ था।

## 5. कृषि वित्त:

**प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम** :

बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिकता और कृषि क्षेत्रों को सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक ने प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत रु. 1,83,459 करोड़ (मार्च 24 के एएनबीसी औसत का 44.10%) की बकाया राशि के शानदार स्तर को प्राप्त किया है। इसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रु. 84,445 करोड़ (मार्च 24 के एएनबीसी औसत का 20.30%) है। जिसमें से कृषि के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को रु. 53,362 करोड़ (मार्च 24 के एएनबीसी औसत का 12.83%) का ऋण शामिल है। एस.एम.ई के अंतर्गत रु. 75605 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें एम.एस.एम.ई सूक्ष्म क्षेत्र में रु. 43128 करोड़ (मार्च 24 के एएनबीसी औसत का 10.37%), शिक्षा में रु. 2,331 करोड़, आवास में रु. 21,015 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण की श्रेणी में रु. 12 करोड़ शामिल है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राथमिकता क्षेत्र, एस.एफ तथा एम.एफ, एम.एस.एम.ई - सूक्ष्म तथा कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत, विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

(राशि करोड़ में)

| मद | वास्तविक बकाया राशि मार्च -23 (लेखापरीक्षित) | वास्तविक बकाया राशि दिसंबर -23 (लेखापरीक्षित) | वास्तविक बकाया राशि मार्च -24 (लेखापरीक्षित) | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (मार्च 23/मार्च 24) | | ए.एन.बी.सी मार्च 24 तिमाहियों का % | विनियामकीय आवश्यकताएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | राशि | % | | |
| **एएनबीसी** | **3,83,380** | **4,07,346** | **4,16,035** | | | | |
| 1) कृषि | 72,379 | 80,351 | 84,445 | 12,066 | **16.67** | **20.30** | **18** |
| 2) लघु एवं सीमांत किसान | 43,253 | 51,652 | 53,362 | 10,109 | **23.37** | **12.83** | **10** |
| 3) सूक्ष्म उद्यम | 43,137 | 45,497 | 43,128 | -9 | **-0.02** | **10.37** | **7.5** |
| प्राथमिकता क्षेत्र | **1,64,445** | **1,77,877** | **1,83,459** | **19,014** | **11.56** | **44.10** | **40** |

* आरआईडीएफ एवं पीएसएलसी के बकाया सहित कुल कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र।

कृषि के अंतर्गत बैंक की शाखाओं ने रु. 43,171 करोड़ संवितरित किए जबकि वित्त वर्ष के दौरान 2023-24 के दौरान लघु एवं सीमांत किसानों को कुल रु. 32,084 करोड़ संवितरित किए गए। वर्ष के दौरान, बैंक ने लचीले रूप से ऋण उपयोग के लिए रु. 3,645 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 1.55 लाख केसीसी जारी किए हैं। यथा मार्च 2024, अल्पसंख्यक समूहों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र रु.15,865 करोड़ है (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण का 8.65%)। दिनांक 31.03.2024 को कमजोर वर्गों के अंतर्गत बकाया राशि रु. 66,287 करोड़ (विव 23-24 हेतु 15.93% है)। यथा 31.03.2024, खाद्य एवं कृषि उद्योग को बैंक का वित्तपोषण रु. 8,861 करोड़ है।

**स्वर्ण ऋण:** स्वर्ण ऋण में प्रगतिशील वृद्धि आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु. 5,387 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई और यह 31.03.2024 को रु 27553 करोड़ हो गया।

**स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)** : यथा 31.03.2024 को बैंक के पास 7.10 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है जिसमें से यथा 31.03.2024 को 3.28 लाख एस.एच.जी को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा इसमें से 2.97 लाख महिला एस.एच.जी हैं।

**राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)** : ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जीवन से गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 1.04 लाख एसएचजी को रु. 6023.81 करोड़ की राशि के ऋण मंजूर किये गये हैं।

**स्टार कृषि विकास केंद्र (एसकेवीके)-** वर्तमान में 13 एफ़जीएमओ के 62 अंचलों में 150 एसकेवीके कार्यरत हैं। एसकेवीके ने विगत विव 2023-24 में रु. 13,757 करोड़ संवितरित किए हैं। इसके अलावा, कृषि पोर्टफोलियो में केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए एसएमईसीसी/यूसी में 111 कृषि डेस्क संचालित हैं।

**अग्रणी बैंक योजना** : बैंक के पास 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है जो पाँच राज्यों यथा झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (07) तथा ओडिशा (2) - में फैले हुए हैं। बैंक झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक भी है।

## 6. वित्तीय समावेशन:

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपने दृष्टिकोण को "सीएसआर" से "आर्थिक व्यवहार्यता" की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान का प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। आईसीटी द्वारा समर्थित व्यापार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

**पीएमजेडीवाई एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:**

वित्त वर्ष (23-24) के दौरान 17.15 लाख पीएमजेडीवाई खाते खोले गए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बैंक की सक्रिय भागीदारी रही है। वर्ष (2023-24) के दौरान बैंक ने पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) के अंतर्गत 77.73 लाख खाते एवं पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना) के तहत 9.38 लाख खाते इस अवधि में कवर किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक द्वारा ए. पी. वाई. (अटल पेंशन योजना) के 7.10 लाख नए अभिदाता जोड़े गए हैं।

**स्टार हॉकर आत्मनिर्भर लोन (एसएचएएल):**

स्टार हॉकर आत्मनिर्भर लोन (एसएचएएल)- पीएमस्व:निधि की शुरुआत जून 2020 में की गयी थी ताकि श्रंखला -I के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 12 ईएमआई में चुकाने योग्य 10,000/- तक का परेशानी मुक्त कार्यशील पूंजी मांग ऋण प्रदान किया जा सके। पीएमस्वनिधि के तहत दूसरी श्रंखला उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिन्होंने अपना पहला पीएमस्व:निधि ऋण चुकाया है। किस्त -II के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 20000/-(न्यूनतम रु.15000/-) तक स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान करता है और यह 18 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है। किस्त –III के तहत, डब्ल्यूसीडीएल रु. 50000/-(न्यूनतम रु. 30000/-) तक स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान करता है और यह 36 महीने की किस्तों में चुकाने योग्य है।

दिनांक 31/03/2024 तक, हमने कुल प्राप्त 6.18 लाख आवेदनों में से 5.99 लाख आवेदन (97%) मंज़ूर किए हैं एवं कुल 5.93 लाख (99%) संवितरित किए हैं।

**पीएम विश्वकर्मा**

कारीगरों और शिल्पकारों के लिए दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ किया गया जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं, जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि जो स्व-रोजगार और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होते हैं और व्यवसायों में लगे हुए होते हैं, ये विश्वकर्मा कहलाते हैं। ये कौशल या व्यवसाय पारंपरिक प्रशिक्षण के गुरु-शिष्य मॉडल के बाद पीढ़ी-दर-पीढ़ी पारित किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत हैं। इसका लक्ष्य विश्वकर्मा (18 लक्षण) यानी कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र समर्थन प्रदान करना है, ताकि उन्हें अपने संबन्धित व्यापार में मूल्य शृंखला को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। यह योजना एमएसएमई, डीएफ़एस और वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। एमएसएमई मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। पीएम विश्वकर्मा को शुरुआत में 2027-28 तक पाँच साल के लिए लागू किया गया है। इसमें रु. 1,00,000 तक का ऋण पहली किस्त में 5% ब्याज दर (निर्धारित) पर प्रदान किया जाएगा, जिसे 18 महीने में चुकाना होगा। रु. 2,00,000 तक का ऋण दूसरी किस्त में 5% ब्याज दर (निर्धारित) पर प्रदान किया जाएगा, जो 30 महीनों में चुकाना होगा। लाभार्थी दूसरी किस्त के लिए तब पात्र होगा जब पहली किस्त का ऋण पूरी तरह से चुका दिया जाएगा। इसके अलावा, पहली किस्त के ऋण के वितरण के छह महीने से पहले दूसरा ऋण नहीं दिया जाएगा। एमओएमएसएमई बैंक को अग्रिम रूप से 8% की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगा। हमारे बैंक द्वारा 31.03.2024 तक पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया है।

**स्टार स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी):**

बैंक झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु 43 आरएसईटीआई को प्रायोजित कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आरसेटी ने 1227 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए एवं 35,448 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया और 77.00% (27249) का नियोजन सुनिश्चित करते हुए 60% (16147) अभ्यर्थियों ऋण प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। एमओआरडी द्वारा हमारी 43 आरसेटी को "AA" श्रेणी दी गई हैं।

**वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी):**

एफएलसीसी/ एफएलसी की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के जिला केंद्रों में की गई है, जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की ज़िम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ़एलसी सभी 51 अग्रणी जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा एफएलसी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों , कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। 31 मार्च 2024 तक, कुल 18.67 लाख जरूरतमंद संकटग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

**वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल): पायलट परियोजना**

आरबीआई से 10 दिसंबर 2020 के पत्र के संदर्भ में, हमें सूचित किया गया कि आरबीआई ने देश के प्रत्येक ब्लॉक में मार्च 2024 तक सीएफएल की पहुँच को चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने की घोषणा की थी। हम सीएफ़एल पायलट प्रोजेक्ट चरण-I के प्रारंभिक कार्यान्वयन के बाद से एक प्रयोजक बैंक के रूप में जुड़े हुये है, जो अब 01.12.2021 तक बढ़ गया है। हमें प्रायोजक बैंक द्वारा आंशिक वित्तपोषित करते हुए जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता (डीईए)/ वित्तीय समावेशन निधि (एफ़ईएफ) द्वारा पहले चरण में 106 सीएफएल एवं दूसरे चरण में 45 सीएफएल (दिसंबर 2022) को प्रायोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तदनुसार, हमने 1 दिसंबर 2021 से आरबीआई द्वारा पहचाने गए पाँच एन. जी. ओ. के सहयोग से पाँच राज्यों (झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश) में 151 सीएफएल खोले/बढ़ाए हैं। समग्र रूप से, 31.03.2024 तक कुल 151 सीएफएल ने 1,27,265 शिविर आयोजित किए एवं कुल 40,94,692 संकटग्रस्त लोगों को परामर्श दिया गया।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:**

विलय के पश्चात, हम 3 आरआरबी को प्रायोजित कर रहे हैं, यथा उत्तर प्रदेश में आर्यावर्त बैंक (एबी), मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (एमपीजीबी) एवं महाराष्ट्र राज्य में विदर्भ एवं कोंकण ग्रामीण बैंक (वीकेजीबी), जिनमें यथा 31.03.2024 को 82 जिलों में 2554 शाखाओं का नेटवर्क है। इन सभी प्रायोजित आरआरबी का प्रबंधन बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रतिनियुक्त अध्यक्ष द्वारा प्रबंधित किया जाता है और इनके कार्यनिष्पादन

की प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक एफआई एवं आरआरबी (प्रभाग) द्वारा निगरानी की जाती है। सिस्टम जनरेट रिपोर्ट सुविधा के साथ तीनों आरआरबी की शाखाएँ एवं प्रशासनिक कार्यालय सीबीएस प्लेटफार्म पर है। इन आरआरबी में आरटीजीएस, एनईएफटी एवं एटीएम प्लेटफार्म की सुविधा है। हमारी सभी आरआरबी का कुल मिश्रित कारोबार यथा दिनांक 31.03.2024 को रु. 1,04,765.80 करोड़ हैं।

## 7. अंतरराष्ट्रीय

बैंक की कुल 22 विदेशी शाखाएँ, जकार्ता (इंडोनेशिया) में 1 प्रतिनिधि कार्यालय, 4 समनुषंगी संस्थाएँ तथा 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं, जो कि सभी टाइम ज़ोन में स्थित 5 महाद्वीपों के 15 देशों में फैले हुये हैं। दिनांक 31.03.2024 तक बैंक के वैश्विक कारोबार मिश्र में विदेशी परिचालनों का हिस्सा 15.21% रहा है।

विदेशी समनुषंगी संस्थाएँ एवं सहयोगी :

i) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

ii) बैंक ऑफ इंडिया (तंज़ानिया) लिमिटेड

iii) बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड

iv) बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड

v) इंडो- ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबी) - संयुक्त उद्यम

## 8. ऋण निगरानी:

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने तथा ऋण जोखिम को कम करने के लिए ऋणों की निगरानी अनिवार्य है। स्वीकृत शर्तों के अनुपालन तथा निधियों के सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना ऋण निगरानी का मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करना कि ऋण आस्तियाँ मानक श्रेणी में ही रहें, चिह्नित दबावग्रस्त खातों/निगरानी के अधीन खातों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाए तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ताकि खातों को मानक श्रेणी से अवमानक श्रेणी में जाने से रोका जा सके। कमजोरी के संकेत/चूक की संभावना/डिलिक्वेंसी वाले दबावग्रस्त खातों को पहचानने तथा उनकी निगरानी करने के लिए, विभाग, विभिन्न उपकरण तथा पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से रोका जा सके तथा आस्ति की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

**प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के उपाय:-**

**पूर्व चेतावनी संकेत :**

हमारे बैंक में अगस्त, 2020 से पूर्ण रूप से तकनीकी आधारित ईडब्ल्यूएस समाधान की शुरूआत की गई है। अच्छी प्रकार से परिभाषित अंतर्निहित कार्य-प्रवाह के साथ, हमारा ईडब्ल्यूएस पूर्णत: स्वचालित समाधान है। आंतरिक (सीबीएस एवं रेटिंग डाटा) तथा बाह्य डाटा (एमसीए, सीआईसी इत्यादि) दोनों के आधार पर चेतावनी जनरेट होती है। जनरेट की गई चेतावनी आरंभिक कमजोरी को पहचानने तथा समय से सक्रिय सुधारात्मक उपाय करने में बैंक की सहायता करती है। यह उपाय खातों में धोखाधड़ी (यदि कोई हो) की शीघ्र पहचान करने में सहायता करता है। यह समाधान उपयुक्त प्रणाली / कार्रवाई के साथ खातों की सघन निगरानी हेतु शाखाओं को समर्थ भी करता है। वर्तमान में रु.1.00 करोड़ से अधिक एक्सपोजर वाले खातों में ईडब्ल्यूएस अलर्ट तैयार किए जा रहे हैं और चालू वित्त वर्ष के दौरान रु.25.00 लाख से अधिक एक्सपोजर वाले खातों के लिए इसे उत्पन्न करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

**ऋण आरएफए/धोखाधड़ी परीक्षण :**

डीएफएस के निदेशों के अनुसार रु. 50 करोड़ और इससे ऊपर के सभी एनपीए खातों का परीक्षण धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से किया जाना है। अत: विभाग अनिवार्य रूप से रु.50 करोड़ तथा इसके ऊपर के खातों का परीक्षण धोखाधड़ी के दृष्टिकोण कर रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ भी ईडब्ल्यूएस खाते में कुछ भी संदेहास्पद दिखता है तो उसे तत्काल रेड फ्लैग के लिए परीक्षित किया जाता है तथा इसके बाद विनियामकीय समय-सीमा के अंदर निर्णय के लिए धोखाधड़ी परीक्षण की प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

**क्रिलिक रिपोर्टिंग :**

एसएमए श्रेणी में खाते के चिन्हित होते ही न्यूनीकरण के कदम जैसे नियमन, पुनर्रचना आदि अनुवर्ती कार्रवाई को उत्प्रेरित करता है। आरबीआई के संशोधित दिशा-निर्देशों को अनुसार रु. 5 करोड़ तथा इससे अधिक की ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को साप्ताहिक/मासिक आधार पर क्रिलिक प्लेटफॉर्म पर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाता है।

**सिस्टम से आस्ति का वर्गीकरण (सास्कल) :**

सास्कल एक संभावना बताने वाला प्रोग्राम हैं जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो माह से अधिक की अवधि की अतिदेयता को प्रदर्शित करते हुए संभावित स्लिपेज को पहचानता है साथ ही इसमें तीन माह से अधिक तक स्टॉक / क्यूआईसी स्टेटमेंट, सीसी खातों में अपर्याप्त/कोई जमा न होना जैसी तकनीकी वित्तीय अनियमितता प्रदर्शित करने वाले खातों को भी शामिल किया जाता है। इस संबंध में यदि समय पर सुधारात्मक कार्रवाई न की जाए तो इससे खाता डाउनग्रेड हो सकता है। मानक आस्तियों की डाउनग्रेडिंग को रोकने के लिए विशेष तौर पर विभिन्न विभागों द्वारा इन खातों की निगरानी की जाती है। एक नवीन सास्कल प्रारूप बनाया गया है जो कि अधिक प्रयोगकर्ता-अनुकूल होने के साथ-साथ फील्ड के लिए अधिक सही तरीके से सूचनाएं प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हुए, हम पहली बार में सास्कल की भविष्य सूचक अवधि को कम करके एक सप्ताह करने का प्रस्ताव करते हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दैनिक रूप से सास्कल के उत्पन्न और एनपीए के चिंहांकन की ओर बढ़ने की योजना बना रहे हैं।

**एसएमए निगरानी :**

सास्कल के अतिरिक्त, इस वर्ष एसएमए निगरानी पर ध्यान दिया जाएगा। शाखाएँ एसएमए 0 खातों की निगरानी शुरू करने के लिए अनुशासित की जाएंगी ताकि आरंभ में ही उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके और संबंधित खाते एसएमए 1 या सास्कल में न जा सके। हमारी योजना है कि एसएमए डाटा एफ़जीएमओ (वर्तमान परिपाटी) के स्थान पर सीधे शाखाओं को भेजे जाएं। यह देखा गया है कि एसएमए का लगभग 50% खुदरा (रिटेल) ऋणों

द्वारा योगदान दिया जाता है और इसलिए हमारा विभाग परंपरागत खातों में ईसीएस/ईएनएसीएच अधिदेश के पंजीकरण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

**आंचलिक वसूली केंद्र (ज़ेडसीसी):**

सभी अंचलों में अगस्त 2023 में आंचलिक वसूली केंद्र (ज़ेडसीसी) का गठन किया गया था। जेडसीसी का प्राथमिक उद्देश्य अंचल के सीआरएमडी में अन्य अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले क्रेडिट निगरानी के अन्य मामलों के साथ एसएमए को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना है। जेडसीसी रु. 25 लाख और उससे अधिक के एसएमए खाते के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें एसएमए को नियमित श्रेणी में वापस लेने का लक्ष्य रखा गया है।

उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उधारकर्ताओं को खाते के एसएमए श्रेणी में जाने के परिणामों के बारे में शिक्षित करें और परामर्श दें, जिसमें बिगड़ते क्रेडिट स्कोर और ऋण राशि तथा ब्याज दरों पर समझौता वार्ता की शक्ति के कम होने पर विशेष जोर दिया जाए। ज़ेडसीसी सदस्यों को उधारकर्ता पर संपूर्ण अतिदेय और संकटपूर्ण राशि का भुगतान करने के लिए जोर देना भी आवश्यक है। शीघ्र चुकौती से बेहतर क्रेडिट स्कोर और बेहतर ब्याज दर के लिए समझौता वार्ता करने की क्षमता बढ़ेगी। जेडसीसी सदस्यों को उधारकर्ता को अपने प्राथमिक सक्रिय (ऑपरेटिव) खाते को हमारे बैंक में स्थानांतरित करने के लिए भी जोर देना चाहिए। उन्हें रिटेल उधारकर्ताओं के व्यावसायिक खातों के अधिग्रहण के लिए भी जोर देना चाहिए।

यदि उधारकर्ता अपने प्राथमिक सक्रिय खाते को हमारे बैंक में स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हैं, तो जेडसीसी सदस्यों को ईसीएस/एनएसीएच/ई-एनएसीएच प्राप्त करना चाहिए

रु. 25.00 लाख से कम एक्सपोजर वाले खातों के लिए, अनुवर्ती कार्रवाई (फॉलो-अप) की मुख्य जिम्मेदारी शाखा की है, हालांकि, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें पूर्व-स्टाफ और बीसी की सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जाती है और इसके लिए फील्ड पर कार्य करने वाले अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश दिए जाने चाहिए।

**वसूली प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) :**

हमने वसूली प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित कर दिया है, जो शाखा के अधिकारियों को डिजिटल प्लैटफार्म उपलब्ध करा कर एसएमए/डीएनपीए पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में हमारी मदद करेगा। प्रस्तावित समाधान के काम का दायरा निम्नलिखित है :-

- एसएमए जोखिम ग्रेडेशन
- सभी प्रासंगिक जानकारी जैसे अतिदेय राशि/पता/संपर्क विवरण इत्यादि के साथ एसएमए/डीएनपीए सूची
- एसएमए गतिविधि (मूव्मेंट) की ट्रैकिंग (रोल फॉरवर्ड/बैकवर्ड)
- वसूली कार्रवाई तथा भुगतान करने के वादे (पीटीपी) सहित ग्राहक की प्रतिक्रिया को अपडेट करना
- पूर्व के पत्राचार की विजिबिलिटी
- उधारकर्ता को एसएमएस/आईवीआर/ईमेल से अनुस्मारक भेजना
- सुधारात्मक सुझाव कार्रवाई
- आउटबाउंड कॉलिंग के माध्यम से ग्राहक की प्रतिक्रिया को दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर के साथ समेकन
- फील्ड अधिकारी के लोकेशन के आधार पर जियो टैगिंग तथा अगले दौरे का सुझाव
- शाखा/आंचलिक कार्यालय/एफ़जीएमओ/एचओ के लिए एमआईएस

**ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा (सीपीए):**

ऋण प्रक्रिया की लेखा परीक्षा (सीपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि स्वीकृति की संवितरण पूर्व और संवितरण पश्चात् शर्तों/अनुबंधों का अनुपालन किया जा रहा है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि संवितरण करने वाले अधिकारी द्वारा बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व, प्रतिभूति के सृजन / प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके। अब, सीपीए रियल टाइम में निगरानी के लिए फिनेकल के साथ एकीकृत किया गया है।

**पीएसआरएस संवीक्षा एवं प्रमाणपत्र:**

पीएसआरएस मंजूरी/मूल्यांकन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने और सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका आस्ति संविभाग पर असर पड़ता है और बदले में बैंक की लाभ प्रभादत्ता में वृद्धि होती है। हम एफजीएमओ स्तर पर दी गई मंजूरी के संबंध में रु.5 लाख और उससे अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों के लिए समय पर मंजूरी उपरांत समीक्षा प्रणाली की संवीक्षा भी करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि यह अभ्यास एफजीएमओ और आंचलिक स्तर पर आयोजित किया जाए।

**ऋण निरीक्षण:**

रु. 5 लाख की सीमा वाले खातों की समीक्षा के लिए ऋण निरीक्षण के माध्यम से खातों की समीक्षा की एक प्रणाली बनाई गई है।

**स्टॉक लेखापरीक्षा :**

हम पात्र खातों में स्टॉक एवं प्राप्य राशियों के संबंध में समयपूर्वक लेखापरीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। वर्तमान में स्टॉक की लेखापरीक्षा उन मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू हैं, जिनका कार्यशील पूंजी एक्सपोजर रु.5 करोड़ तथा उससे अधिक है। इसे सालाना आयोजित करना आवश्यक है। कमजोरी के अंतर्निहित संकेत दिखाने वाली आस्तियों, जैसे कि खराब स्थिति, साख पत्र के तहत अतिदेय बिल, गारंटी का लागूकरण, समीक्षा हेतु लंबित आदि, जो बैंक की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करते हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों और स्तरों पर टेलीविडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

स्टॉक ऑडिट एमआईएस के लिए फिनैकल में एक नया स्टॉक ऑडिट मेन्यू (STKADT) विकसित किया गया है जो किसी लागू खाते में स्टॉक ऑडिट

की स्थिति के विषय में समय पर जानकारी प्राप्त करने में हमें सक्षम करेगा।

**एनपीए का दैनिक अंकन :**

दिनांक 15.04.2021 से बैंक के एनपीए की पहचान और नियामक दिशानिर्देशो के अनुपालन में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु एनपीए के दैनिक अंकन को आरंभ किया गया है।

**पुनर्गठित खातों की निगरानी (आरएफसीआरएस पोर्टफोलियो) :**

आरएफसीआरएस के तहत पुनर्संरचित खातों के आस्ति की गुणवत्ता की रक्षा के लिए, प्रधान कार्यालय स्तर पर एक समर्पित टीम का गठन किया जाता है जो उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत कॉल के माध्यम से समय पर अनुस्मारक देना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, डीएनपीए उधारकर्ताओं सहित सभी आरएफसीआरएस उधारकर्ताओं को प्रधान कार्यालय स्तर से एसएमएस भेजे जा रहे हैं।

**कॉल सेंटर से रिमाइंडर कॉल:**

हमारे कॉल सेंटर में कार्यरत 50 लोगों की एक समर्पित टीम अग्रिमों की निगरानी के लिए काम कर रही है। वे एसएएससीएल और एसएमए उधारकर्ताओं को कॉलिंग करते हैं।

**विशिष्ट निगरानी के लिए एजेंसियां (एएसएम):**

आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 250 करोड़ से अधिक के कुल बैंकिंग एक्सपोजर वाले खातों और नवरत्न खातों और पीएसयू/सरकारी गारंटी खातों जैसे कुछ छूट वाले श्रेणी के खातों को छोड़कर, विशेष प्रकृति के एक्सपोजर वाले खातों में एएसएम (विशेषीकृत निगरानी के लिए एजेंसियां) को नियुक्त किया जाता है। जहां भी आवश्यक हो, हम दबावग्रस्त खातों में एएसएम की सेवाएं भी ले रहे हैं।

**आईआरएसी एवं पी स्वचालन:**

आरबीआई ने दिनांक 14.09.2020 के अपने परिपत्र सं: आरबीआई/2020-21/37 संदर्भ सं: डीओएस.सीओ.पीपीजी.एसईसी.03/11.01.005/2020-21 दिनांक 14.09.2020 के माध्यम से सभी बैंकों को सूचित किया है कि वे दिनांक 30.06.2021 तक अपनी प्रणालियों को अद्यतन (अपग्रेड) करें ताकि पहचान, आय निर्धारण, एनपीए/एनपीए के रूप में अग्रिम/निवेश का आस्ति वर्गिकरण, संबन्धित विवरणियों का अर्जन एवं प्रावधानीकरण की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित किया जा सके। तदनुसार, हमने अपने बैंक में आईआरएसी एवं पी मानक के स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं।

**बीओआई पल्स - घरेलू एमआईएस प्रणाली की शुरुआत:**

प्रका आईटी और एमआईएस के सहयोग से, हमने फील्ड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को दैनिक आधार पर एसएमए और डीएनपीए डेटा की दैनिक स्थिति की प्राप्ति के लिए घरेलू (इन-हाउस) रिपोर्टिंग सिस्टम (बीओआई-पल्स) शुरू किया है। हमारे विभाग से संबंधित इस जानकारी के अतिरिक्त, मॉड्यूल में सत्रह रिपोर्टें उपलब्ध कराई गईं, जैसे नवीनतम एसएमए, पुनरावर्ती एसएमए, मूल्यांकन समाप्ति, स्टॉक स्टेटमेंट समाप्ति, समीक्षा समाप्ति, टीएल/डीएल आदि में भविष्य की मांगें, ताकि एफजीएमएस/अंचल/शाखाएं अग्रिमों की प्रभावी निगरानी के लिए तैयार जानकारी का लाभ उठा सकें।

**वसूली प्रबंधन प्रणाली पोर्टल की शुरुआत:**

एसएमए और डीएनपीए खातों में वसूली निगरानी बढ़ाने के लिए सीएमएस पोर्टल लागू किया गया है। पोर्टल परस्पर सक्रिय है, जहां उपयोगकर्ता संपर्क, भुगतान वचन (पीटीपी) तिथि, पीटीपी स्थिति, टिप्पणियां और फील्ड विजिट रिपोर्ट अपलोड करने जैसी जानकारी प्रदान करके वसूली स्थिति को अद्यतन कर सकता है।

**पे-लिंक के माध्यम से एसएमए खातों में वसूली:** एसएमए खातों में हमारी वसूली को मजबूत करने के लिए, बैंक कई भुगतान चैनलों के माध्यम से तत्काल भुगतान करने के लिए एसएमए उधारकर्ता को अनुस्मारक एसएमएस में अनुकूलित पे-लिंक साझा करेगा। यह सुविधा हमारे एसएमए उधारकर्ता को अन्य बैंक में रखे गए खातों को डेबिट करके अपने ऋण खाते में भुगतान करने में सक्षम बनाएगी

**अन्य निगरानी उपकरण:**

- अनुपालन स्तर को मजबूत करने के लिए लागू किए गए पूर्व वितरण और वितरण के बाद के अनुबंधों की केंद्रीकृत निगरानी।
- ईडब्ल्यूएस के पालन पर खातों की रेड फ्लैगिंग और नियामक दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर धोखाधडी के दृष्टिकोण की जांच के लिए नीतियां है। एक बार खाते को धोखाधड़ी घोषित कर देने के बाद, आरबीआई के सीआरआईएलसी प्लेटफॉर्म में तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाती है।
- सभी एसएमए उधारकर्ताओं/ एवं सभी सीसी/ओडी और टीएल उधारकर्ताओं को चुकौती सूचना के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय भाषाओं में भी एसएमएस तथा आईविआर भेजे जा रहे हैं।
- खातों की अलग सूची जहां समीक्षा एक महीने से अधिक के लिए अतिदेय है और जहां स्टॉक विवरण एक महीने से अधिक के लिए देय है, तकनीकी स्लिपेजेस से बचने के लिए मासिक अंतराल पर शाखाओं को प्रदान किया जा रहा है।

## 9. अनर्जक आस्तियां

(करोड़ों में)

| मापदंड | मार्च 23 वास्तविक | मार्च 24 वास्तविक |
|---|---|---|
| सकल एनपीए | 37,686 | 29,183 |
| निवल एनपीए | 8,054 | 6,845 |
| सकल एनपीए % | 7.31% | 4.98% |
| निवल एनपीए % | 1.66% | 1.22% |

- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, सकल एनपीए में समग्र रूप से 22.56% का सुधार हुआ है जबकि जीएनपीए% में 233 बीपीएस (7.31% से 4.98%) का सुधार हुआ है। लक्षित जीएनपीए% वि व 25 के लिए 3.5% से कम है।

- निवल एनपीए में समग्र रूप से 15% का सुधार है जबकि एनएनपीए% में 44 बीपीएस (1.66% से 1.22%) का सुधार हुआ।
- नकद वसूली एवं प्रारंभिक जीएनपीए का उन्नयन इ वि व 23 में 15.86% के सुधार के साथ वि व 24 में 16.73% रहा है।
- वि व 24 के दौरान, रु. 1500 करोड़ के लक्ष्य के मुक़ाबले बट्टे खाते में नकद वसूली 98% (1467 करोड़) प्राप्त की गई ।

**वसूली में सुधार के लिए कार्यनीतियाँ :**

➢ "रिकवरी टू बी डबल द स्लिपेज" के कॉर्पोरेट मंत्र को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अभियान जैसे "स्टार इंटेंसिव रिकवरी डे", "ब्रांच अदालत", "समर ओटीएस कैंपेन", "कृषि ऋण समाधान अभियान", "फाउंडेशन डे रिकवरी कैंपेन" वि व 24 के दौरान शुरू किए गए हैं। चालू वि व में अब तक "मिशन समाधान", "मिशन 4K" और "समझौता दिवस" अभियान शुरू किए गए हैं।

➢ सीजीटीएमएसई - वि व 2023-24 में कुल 4202 दावे दूसरे दावे में निपटाए गए है, परिणामस्वरूप कुल एनपीए में रु. 317 करोड़ की कमी हुई है।

➢ गैर-विवेकाधिकार और गैर-विभेदकारी नीति शुरू होने पर एनपीए खातों में समाधान के साथ फील्ड स्तर पर वसूली में वृद्धि हुई है। ओटीएस अनुमोदन की सुविधा के लिए, विशेष ओटीएस योजनाएं जैसे स्टार संजीवनी और बीओआई ओटीएस 2024 को वर्तमान वि व 2024-25 के लिए फिर से शुरू किया गया है।

➢ एसटीपी प्रक्रिया पर आधारित संपूर्ण ई-ओटीएस मॉड्यूल प्रक्रियाधीन है।

➢ समयबद्ध तरीके से ओटीएस के पूर्ण निपटान के लिए ओटीएस दर्ज किए गए खातों में संकेन्द्रित वसूली, माइलस्टोन वसूली, अभियान शुरू किए गए हैं।

**पहल:**

➢ ई-नीलामी - मेगा ई-नीलामी मासिक आधार पर आयोजित की जाती है। विव 2023-24 के दौरान रु. 300 करोड़ की राशि की कुल 530 संपत्तियां बेची गईं है।

➢ आरए/ईए/बीसी की नियुक्ति – वसूली एजेंट्स (आरए)/ प्रवर्तन एजेंट्स (ईए)/व्यवसाय संवाददाता(बीसी)को सम्मिलित करना और उनका अधिकतम उपयोग।

➢ पीडीए नियुक्ति — भार-रहित संपत्ति के लिए पीडीए की नियुक्ति।

➢ एआरसी को बिक्री के अवसरों का पता लगाया जा रहा है ।

➢ इज पहल के हिस्से के रूप में रु. 25 लाख तक के छोटे मुल्य वाले खातों में ई - ओटीएस प्रसंस्करण।

## 10. कोषागार

**फॉरेक्स कारोबार :** ट्रेजरी, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार संभालता है तथा फॉरवर्ड तथा स्वैप के माध्यम से ग्राहकों को हेजिंग सुविधा उपलब्ध कराता है। मुंबई में केंद्रीकृत ट्रेजरी के अतिरिक्त, बैंक के नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई तथा कोलकाता में 4 सैटेलाइट डीलिंग रूम तथा गिफ्ट सिटी (अहमदाबाद) में एक केंद्रीयकृत बैंक ऑफिस है ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मर्चेंट तथा इंटरबैंक टर्नओवर क्रमश: रु. 1.26 लाख करोड़ तथा रु. 59.01 लाख करोड़ रहा। इस वित्त वर्ष के दौरान बैंक का फॉरेक्स कारोबार टर्नओवर रु. 60.27 लाख करोड़ रहा। करेंसी फ्यूचरस् की ट्रेडिंग में ट्रेजरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेंजों में अग्रणी बैंकों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान करेंसी फ्यूचरस् में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 73.41 बिलियन रहा। बैंक को करेंसी फ्यूचर (बैंक) में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन हेतु बीएसई द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पुरस्कृत किया गया था।

**ट्रेज़री परिचालन एवं निवेश :** बैंक ने 2023-24 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात-मुद्रा बाजार,फॉरेक्स, बॉण्ड तथा डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। रेपो/टीआरईपीएस विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करते हुए पर्याप्त तरलता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक आवश्यकता, जो कि एन.डी.टी.एल का 18.00% है, उससे अधिक पर बनाये रखा। यथा दिनांक 31.03.2024 को सकल एसएलआर निवेश रु.1,75,301.46 करोड़ (कुल निवेश का 78.86%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.46,967.37 करोड़ (कुल निवेश का 21.14%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में रु. 24,699 करोड़ के 'पुन:पूंजीकरण' के बॉण्ड भी शामिल हैं। एस.एल.आर ए.एफ़.एस. पोर्टफोलियो का एम-ड्यूरेशन, 31.03.2023 को 1.21% था जो कि 31.03.2024 को 2.81% रहा। यथा 31.03.2024 तक कुल एएफएस पोर्टफोलियो का एम-ड्यूरेशन 2.65% है। भारत सरकार द्वारा की गई हरित पहलों के साथ सहमति में, आरबीआई ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बिक्री के लिए अधिसूचना जारी की थी। यथा 31.03.2024 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में ट्रेजरी शाखा का कुल निवेश एक्स्पो.जर रु. 837.61 करोड़ का है। सभी निवेश,बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

## 11. सूचना प्रौद्योगिकी:

**1. वेबसाइट:**

बेहतर और समृद्ध ग्राहक अनुभव के आधार पर बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीक के साथ बैंक ऑफ इंडिया की अपनी कॉर्पोरेट और वैश्विक वेबसाइट (12 विदेशी केंद्रों) है।

इसे प्रतिक्रया देने योग्य डिज़ाइन किया गया हा तथा वर्तमान उपयोगकर्ताओं के रुझानों को ध्यान में रखते हुए आसान नेविगेशन प्रदान करने वाले उचित संरचित मेनू के साथ विकसित किया गया है।

कॉर्पोरेट वेबसाइट वर्तमान में 12 भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उड़िया, गुजराती, मलयालम, उर्दू, कन्नड़ और पंजाबी) में उपलब्ध है।

2. **इंट्रानेट पोर्टल (स्टारडेस्क):**

हमने अलग-अलग विभागीया उप-पोर्टलों के साथ इंट्रानेट पोर्टल - स्टारडेस्क को नया रूप दिया है, जो न केवल बेहतर लुक और फील से समृद्ध है, बल्कि इसमें उन्नत विशेषताएं और अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताएं भी हैं। लाइफरे डिजिटल एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म (डीएक्सपी) पर बनाया जा रहा नया पोर्टल डिवाइस एग्नोस्टिक डिजाइन अनुकूलन की किसी भी जटिलता को पूरा करने के लिए कोड इंडिपेंडेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डिवाइस एग्नोस्टिक डिजाइन को और अधिक लचीला एवं सक्षम बनाती है। नए युग का पोर्टल, प्रबंधन में सुगमता, बढ़ी हुई सुरक्षा और स्केलेबिलिटी, आसान एकीकरण सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट सर्च प्रणाली जैसे कई फायदे प्रदान करता है। यह बेहतर दस्तावे.ज प्रबंधन, ऑडिट और लॉग, वॉटरमार्किंग, इंटरैक्टिव सुविधाओं, इनबिल्ट दस्तावेज़ रीडर और मीडिया प्लेयर द्वारा उपयोगकर्ता अनुभव को और बढ़ाता है।

3. **इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन (आईपीए):**

इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन (आईपीए) का उद्देश्य रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), मशीन लर्निंग (एमएल), नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), स्मार्ट वर्कफ़्लोज़, कॉग्निटिव एजेंट, एपीआई, इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग (आईडीपी) और अन्य हाइपर ऑटोमेशन टूल्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली और बैंकिंग परिचालन के अंतर्गत मैनुअल, दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके बैंक की परिचालन दक्षता का अनुकूलन करना है। कार्यनीतिक रूप से स्वचालन समाधानों को लागू करके बैंक का उद्देश्य संचालन को सुव्यवस्थित करना, दक्षता बढ़ाना, संसाधन आवंटन का अनुकूलन करना, सटीकता में वृद्धि करना, कार्यनीतिक और मूल्य वर्धित गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधनों को मुक्त करना और बैंकिंग उद्योग के भीतर प्रौद्योगिकी प्रगति में सबसे आगे रहना है, जिससे यह बेहतर सेवाएं प्रदान करने और प्रतिस्पर्धा में बढ़त बनाए रखने में सक्षम हो सके।

4. **अकाउंट एग्रेगेटर फ्रेमवर्क**

अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम सहमति आधारित डेटा साझाकरण तंत्र है जो एए नेटवर्क में किसी व्यक्ति को एक वित्तीय संस्थान जिसमें उसका खाता है, से किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान में जानकारी को सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से प्राप्त करने और साझा करने में मदद करता है। यह उधारदाताओं/सेवा प्रदाता को ग्राहकों से प्राप्त डिजिटल डेटा का लाभ उठाने में मदद करता है जिससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।

एए फ्रेमवर्क को मैसर्स अनुमति, एनएडीएल, एफआईएनवीयू, सीएएमएस और वनमनी के साथ लाइव किया गया था।

## 12. डेटा एनालिटिक्स

1. **ई-प्लेटफार्म परियोजना:**

बैंक ने थर्ड पार्टी उत्पादों सहित सभी बैंकिंग उत्पादों (आस्ति एवं देयता उत्पादों) के स्ट्रेट थ्रू ओरिजिनेशन एंड प्रोसेसिंग हेतु एकीकृत ई-प्लेटफॉर्म परियोजना अप्रैल 2021 में शुरू की थी।

उत्पाद कार्यान्वित करने की फेज वार स्थिति निम्नानुसार है:

क. ई-प्लेटफॉर्म फेज-1 क्रियान्विति में 20+ उत्पाद शामिल हैं। एमएसएमई, रिटेल, कृषि केसीसी, क्रेडिट कार्ड और सेल्फ-ऑनबोर्डिंग बचत खाता डिजिटल प्रवास को लॉंच किया जा चुका है।

ख. ई-प्लेटफॉर्म फेज-2 का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। एमएसएमई, रिटेल और कृषि के 17+ उत्पादों को लॉंच किया जा चुका है।

ग. फिनटेक सहकार्यता – विडियो केवाईसी, बैंक विवरणी विश्लेषण, आयटिआर विशलेषण ब्यूरो नाम जांच और फिनटेक सेवाओं को एंड टू एंड डिजिटल जर्नीज् हेतु ई-प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

घ. एंड टू एंड लीड सॉर्सिंग एवं मैनेजमेंट, सहकार्यता, सेवा प्रबंधन / शिकायत प्रबंधन के साथ एकीकृत सीआरएम नैक्सट सोल्यूशन को लॉंच किया गया है। कस्टमर 360, इंटीग्रेटेड कैम्पेन मैनेजमेंट एवं बिक्री कार्यनिष्पादन लीड सोसिंग के लिए मोबईल एप्लिकेशन क्रियान्वित किए जाने के फेज में है।

ड़. बीओआई के सभी शाखाओं / कार्यालयों के लिए कस्टमर फेसिंग सोर्सेज यथा बीओआई वैबसाइट, बीओआई ई-प्लेटफॉर्म, बीओआई कस्टमर केयर, एसएमएस, मिस्सड कॉल, एनालिटिक्स, मारुति पोर्टल (टाई-अप व्यवस्था), नेशनल पोर्टल, सोशल मीडिया, बिज़नेस करेसपांडेन्ट, सिबिल, व्हाट्सऐप, चैटबोट, इंटरनेट बैंकिंग, कैम्पेन, यूनिवर्सल एप्लिकेशन, आईवीआर, कॉल सेंटर को लाइव किया गया है।

च. शिकायत मोड्यूल, कस्टमर ग्रीवन्स पोर्टल को शिकायतों के रियल टाइम अपडेट (जब और जहां स्टेटस अपडेट हो) के साथ लाइव किया गया है। इस पोर्टल का प्रयोग करके सेवाओं हेतु अनुरोध किया जा सकता है। बैंक ने डिजिटल मोड में रियल टाइम अपडेट के साथ सामान्य सेवाएँ एक्सेस, शिकायत एक्सेस को उपलब्ध करवाया है। साथ ही अन्य स्व-सेवा फ्लो पाईपलाइन में हैं।

2. **उन्नत एनालिटिक्स क्षमताओं और डेटा गवर्नेंस प्रथाओं का निर्माण**

बैंक अत्याधुनिक तकनीकों के साथ उन्नत एनालिटिक्स, गवर्नेंस और रिपोर्टिंग/डैशबोर्डिंग क्षमताओं का निर्माण कर रहा है, जिसमें डेटा गवर्नेंस सोल्यूशन, बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म, डेटा क्वालिटी सोल्यूशन, डेटा लाइनेज सोल्यूशन, डेटा कैटलॉग सोल्यूशन और एडवांस एनालिटिक्स वर्क लोड के लिए वितरित कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। बैंक GenAI तकनीकों का उपयोग करके कारोबारी उपयोग हेतु कुछ मामले भी विकसित कर रहा है।

विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के लिए निम्नलिखित एनालिटिक्स मॉडल पहले से ही मौजूद हैं:

**एनालिटिक्स**

| मॉडल नाम |
|---|
| आवास ऋण टेकओवर |
| आवास ऋण टॉप-अप मॉडल |
| एमएसएमई पूर्व-अनुमोदित पत्र |
| थर्ड पार्टी गैर जीवन बीमा |
| वैतनिक और गैर- वैतनिक ग्राहकों को पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण |
| थर्ड पार्टी म्यूचुअल फंड |
| कस्टमर रिटेन्शन मॉडल |
| सीएलटीवी- चर्न ग्राहकों हेतु |
| पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋण |
| पूर्व-बंद टीडी मॉडल |
| ग्राहक चर्न प्रेडिक्शन मॉडल |
| आवास ऋण |
| वाहन ऋण |
| अगली सर्वोत्कृष्ट कार्रवाई/ उत्पाद |
| एमएसएमई सीसीओडी नवीकरण |

3. **कार्यपालक डैशबोर्ड**

बीओआई पल्स एक कार्यपालक डैशबोर्ड पोर्टल है जिसे प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं हेतु अग्रिम, वसूली, वित्त, एसएमए (विशेष उल्लेख खाते), जमाराशियों तथा ई-प्लेटफॉर्म से संबन्धित आंकड़ों को टैबुलर और ग्राफिकल दोनों फॉर्मेट में दर्शाने, डेटा की समझ को और निर्णय लेने की प्रक्रिया को संवर्धित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एफ़जीएमओ, अंचल और शाखा स्तर पर जानकारी उपलब्ध करवाकर ग्रेनुलर डेटा एनालिसिस को सपोर्ट करता है।

4. **इन-हाउस टीम द्वारा विकसित अन्य एप्लिकेशन**

डेटा एनालिटिक्स विभाग की बैंक टीम द्वारा निम्नलिखित एप्लिकेशन विकसित किए गए हैं।

1. डेटा गुणवत्ता: यह पोर्टल ग्राहक और खाता स्तर पर एचओ/एफजीएमओ/अंचल/शाखा-वार डेटा गुणवत्ता त्रुटियाँ उपलब्ध करवाता है। इसे डेटा गुणवत्ता और डेटा निगरानी अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है। यह पोर्टल शाखाओं को संबंधित त्रुटि प्रकारों को देखने में सक्षम बनाता है, जिससे समय पर त्रुटि सुधार की सुविधा प्राप्त होती है। बैंक को सिबिल से डेटा गुणवत्ता में सुधार के लिए पुरस्कार मिला है।

2. बीओआई लक्ष्य : यह पोर्टल अंचलों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर अपनी शाखाओं को बजट आवंटित करने में मदद करता है। यह एचओ और एफजीएमओ को वास्तविक समय में शाखा बजट की निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जिससे बजट प्रबंधन में दक्षता और सटीकता बढ़ती है।

3. केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सेंट्रलाइज्ड इंफ़ॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (सीआईएमएस) नाम से अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस विकसित किया है, जिससे रिटर्न जमा करने के मौजूदा तरीके को बदलकर सिस्टम-टू-सिस्टम कर दिया गया है। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, 26-12-2023 से रिज़र्व बैंक द्वारा पहचाने गए सभी बैंक रिटर्न अब एसटीपी के माध्यम से सीआईएमएस सिस्टम से फ्लो हो रहे हैं। सीआईएमएस के तहत सभी रिटर्न जो पहले आरबीआई को जमा किए जा रहे थे, उन्हें XBRL प्रारूप/Non-XBRL प्रारूपों में सीधे प्रक्रिया (एसटीपी) के माध्यम से सीआईएमएस द्वारा जमा किया जाना है। ये रिटर्न बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सीधे प्रक्रिया के माध्यम से एंड टू एंड जमा किए जाते हैं। सभी Non-XBRL रिटर्न बैंक टीम द्वारा विकसित किए जाते हैं और नियामक को समय पर रिटर्न जमा करने हेतु XBRL रिटर्न के लिए बैंक टीम तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

## 13. डिजिटल बैंकिंग विभाग :

यथा 31.03.2024 को डिजिटल उत्पाद का आधार निम्नलिखित है :

| उत्पाद | यथा 31.03.2024 |
|---|---:|
| कुल क्रेडिट कार्ड | 75,579 |
| व्यापारी द्वारा प्राप्त (पीओएस +भीम आधार) | 43,791 |
| यूपीआई आधारित क्यूआर | 10,92,195 |
| मोबाइल बैंकिंग * | 33,67,449 |
| इंटरनेट बैंकिंग | 88,78,660 |
| यूपीआई | 1,87,79,341 |

*यथा 31.03.2024 को 33,67,449 मोबाइल बैंकिंग उपयोगकर्ता हमारे नए मोबाइल एप ओमनी नेओ से जुड़े हैं। हमारे पुराने मोबाइल एप जिससे 88,99,013 उपयोगकर्ता जुड़े थे, उसे 23 फरवरी 2023 से बंद कर दिया गया है।

**वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्पादों को योजनाबद्ध रूप से आरंभ करना**

- आरआरबी के लिए ई-कॉम संव्यवहार का कार्यान्वयन: हमने हमारे सभी तीन आरआरबी के लिए ई कॉम संव्यवहारों का कार्यान्वयन आरंभ किया है।
- भारत क्रेडिट कार्ड - बैंक के मिड सेग्मेंट के ग्राहकों के लिए एक नया वेरियंट "भारत क्रेडिट कार्ड" आरंभ कर रहे हैं। डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड में व्यापारी वार व्यय विश्लेषण के आधार पर इन कार्डों में ऑफर को शामिल किया गया है। लाभों में शामिल है - न्यूनतम

2 टिकट की खरीद पर रु.250 की छूट, अमेजन / फ्लिपकार्ट पर प्रति तिमाही रु.250 के डिस्काउंट वाउचर, रु.250 का बिग बास्केट / ब्लिंकिट छूट वाउचर, 3 माह की स्विगी लाइट योजना, लाउंज का एक्सेस (4 घरेलू तथा 2 अंतरराष्ट्रीय) तथा 2 लाख तक का बीमा कवरेज।

- रुपे एमएसएमई क्रेडिट कार्ड : बैंक, प्रीमियम ऑफर के साथ एमएसएमई ग्राहकों के लिए रुपे योजना में एमएसएमई क्रेडिट कार्ड आरंभ करने की प्रक्रिया में है। ऑफर में शामिल होगा- मेक माई ट्रीप से फ्लाइट बुक करने पर रु.1500 तक 10% की छूट, अमेजन प्राइम की वार्षिक सदस्यता, स्विगी वन लाइट की तीन महीनों की सदस्यता, 8 घरेलू लाउंज एक्सेस तथा 10 लाख तक बीमा कवर।

- यूपीआई में क्रेडिट कार्ड को लिंक करना : सरल, तत्काल तथा सुरक्षित डिजिटल भुगतान संव्यवहार करने के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई भुगतान। किसी यूपीआई ऐप में खाते के स्थान पर क्रेडिट कार्ड को लिंक करना।

- बीओआई मोबाइल ओम्नी नियो बैंक का प्रयोग करते हुए एनसीएमसी वैलेट में शेष राशि को अद्यतित करना।

- भीम आधार एप्लिकेशन के साथ आधार वॉल्ट कार्यान्वयन: "भीम आधार पे", आधार इनेबल्ड भुगतान प्रणाली (एईपीएस) का व्यापारी वर्जन है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूएडीआई) से प्रमाणीकरण के बाद ग्राहक की आधार संख्या तथा बायोमेट्रिक का प्रयोग करते हुए आधार सक्षम खाते वाले ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने को व्यापारी (आधार संख्या वाले एकल या एकल स्वामित्व) को सक्षम बनाता है।

- साउंड बॉक्स क्यूआर कोड : बीओआई भीम यूपीआई क्यूआर कोड के विरुद्ध किये गए यूपीआई भुगतान के लिए रियल टाइम ऑडियो जमा पुष्टि उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने बीओआई भीम यूपीआई क्यूआर मर्चेंट के लिए पोर्टेबल साउंड बॉक्स सिस्टम आरंभ किया है। यह पोर्टेबल साउंड बॉक्स सिस्टम बीओआई भीम यूपीआई क्यूआर कोड के विरुद्ध किये गए प्रत्येक सफल यूपीआई भुगतान पर व्यापारी को सूचित करेगा।

- यूपीआई पर स्वीकृति पूर्व ऋण सीमा : यह यूपीआई क्रेडिट उपयोगकर्ताओं को सरलीकृत यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से ऑटो पे, एक बारगी अधिदेश इत्यादि जैसी यूपीआई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब यूपीआई मर्चेंट, यूपीआई ऋण आधारित संव्यवहारों को स्वीकार कर सकते हैं।

**नए पहल - वित्त वर्ष 2023-24**

- **बीओआई ओमनी नियो ऐप**

  बीओआई मोबाइल ओमनी नियो बैंक बीओआई का डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्मार्ट मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहकों के लिए सुलभ है। यह ओमनी चैनल है। (अर्थात ऐप में की गई सारी गतिविधियां आईबी और आईबी की सारी जानकारियाँ ऐप में उपलब्ध होंगी। आईबी और ऐप दोनों में सामान विशेषताएँ और कार्यक्षमताएँ हैं।) इसमें बचत, जमा, ऋण, पीपीएफ, एसजीबी, एसएसवाई, एफआरएसबी, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, एएसबीए-आईपीओ, बीमा आदि जैसे सभी उत्पादों और सेवाओं को एक साथ एक ही प्लैटफ़ार्म पर उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं- बायोमेट्रिक और फेस आईडी लॉ गिन, चैटबॉट के माध्यम से लेनदेन, सरल यूआई / यूएक्स, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी का उपयोग करके निधि अंतरण, भुगतान को शेड्यूल करना और आवर्ती भुगतान, लेन-देन संबंधी अधिकार प्रबंधित करना, रिचार्ज और बिल भुगतान, अन्य लिंक किए गए खातों में निधि लाना।

- **यूपीआई लाइट एक्स**

  यूपीआई लाइट एक्स (ऑफ़लाइन - नियर फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन का उपयोग करके) यूपीआई लाइट का एक नया संस्करण है, जिसका उपयोग "ऑन डिवाइस वॉलेट" में ऑफ़लाइन मोड में लेनदेन के लिए किया जाता है। फोन के नेटवर्क में आते ही लाइव वॉलेट के साथ बैलेंस अपडेट हो जाता है।

- **ई-बीजी**

  बैंक गारंटी के डिजिटल प्रलेखों का निषादन एनईएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। ई-स्टांप और ई-हस्ताक्षरित बैंक गारंटी की एक प्रति वास्तविक समय के आधार पर एनईएसएल द्वारा सीधे लाभार्थी को भेजी जाएगी, जिससे दस्तावेज़ की भौतिक डिलीवरी समाप्त हो जाएगी।

- **ई-एनएसीएच**

  अब हम ई-एनएसीएच प्लेटफॉर्म पर लाइव हैं, जो अन्य बैंकों में संचालित ग्राहक के वेतन/ऑपरेटिव खाते से ईएमआई वसूली के लिए ऋण खातों में त्रुटि मुक्त कागज रहित ईसीएस अधिदेश पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा हमारे कॉर्पोरेट/एचएनआई ग्राहकों को भी प्रदान की जा सकती है ताकि वे अपने ग्राहकों से आवर्ती संग्रह कर सकें।

- **एटीएम में क्षेत्रीय भाषा कार्यान्वयन**

  हम अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ एटीएम स्क्रीन में क्षेत्रीय भाषा विकल्प लागू कर रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी को अतिरिक्त 8 क्षेत्रीय भाषाएं उपलब्ध होंगी।

- **आईसीसीडबल्यू (अंतरसंचालित कार्ड रहित नकदी आहरण) :**

  यह यूपीआई पर लाइव बैंक के ग्राहकों को किसी भी प्रतिभागी बैंक के एटीएम से कार्ड का उपयोग किए बिना नकदी आहारित करने की सुविधा देता है। हम पहले से ही जारीकर्ता और अधिग्रहणकर्ता दोनों के रूप में लाइव हैं।

- **बीओआई अर्थस्मार्ट डेबिट कार्ड**

  हम बीओआई अर्थस्मार्ट पेश कर रहे हैं, जो रीसाइकल प्लास्टिक डेबिट कार्ड की हमारी एक क्रांतिकारी कदम है। हमने 100% रीसाइकल प्लास्टिक से बने डेबिट कार्ड बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार का उपयोग किया है। हम शुरुआत में अर्थस्मार्ट डेबिट कार्ड के रुपे सेलेक्ट और प्लेटिनम वेरिएंट लॉन्च कर रहे हैं।

- **आरआरबी के लिए संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा**

  हम अपने सभी तीन आरआरबी आर्यवर्त ग्रामीण बैंक, विदर्भ ग्रामीण बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए कॉर्टेक्स के माध्यम से संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा को सक्षम कर रहे हैं। इन संपर्क रहित डेबिट कार्ड के माध्यम से आरआरबी ग्राहक आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रु 5,000/- तक के भुगतान के लिए टैप एंड पे सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

- **सीआरएम पर अंतरसंचालित कार्ड रहित नकदी आहरण**

  हमारे सीआरएम पर अन्य बैंक के ग्राहकों के लिए नकद निकासी की सुविधा प्रदान की जा रही है। निकासी सीमा नियमित एटीएम नकद निकासी के अनुरूप होगी।

- **रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड**

  हम रुपे योजना के तहत रुपे सेलेक्ट एक नया क्रेडिट कार्ड संस्करण पेश कर रहे हैं। इसमें बुक माई शो, स्विगी वन में ऑफर, अमेजन प्राइम मेंबरशिप, बिगबास्केट में ऑफर, हेल्थ चेकअप, 10 लाख तक का बीमा कवर, 2एक्स लॉयल्टी रिवॉर्ड्स, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कांसीर्ज सेवाएँ 24x7शामिल हैं।

- **रुपे प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड**

  हमने रुपे योजना में प्रीपेड कार्ड और गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे प्रीपेड कार्डों का प्रस्ताव कार्डधारकों को लचीलापन प्रदान करने के लिए किया गया है। कार्ड संपर्क रहित होगा, जो विभिन्न इन-बिल्ट सुविधाओं और ऑफ़र के साथ खुदरा क्षेत्र पर केंद्रित होगा।

- **ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट कार्ड ऑनबोर्डिंग:**

  ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रेडिट कार्ड ऑनबोर्डिंग पहले से ही लाइव है। क्रेडिट कार्ड को शाखा और वेब चैनल के माध्यम से ऑन-बोर्ड किया जा सकता है।

## 14. डिजिटल लेंडिंग

- **ई-प्लैटफ़ार्म:** बैंक ने 44% के स्तर के साथ डिजिटल ऋण उत्पादों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में रु.15516 करोड़ का नया कारोबार जुटाया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने डिजिटल ऋण कार्रवाई के अनुभव को बढ़ाने के लिए फिनटेक के साथ भागीदारी की है। बैंक प्रयोगिक तौर पर मध्य प्रदेश राज्य के भूमि रिकॉर्ड, उपग्रह की आधारित फसल पैटर्न और फसल इतिहास को प्राप्त करने, प्रायोगिक तौर पर गुजरात राज्य के अमूल सोसाइटी के लिए दूध उत्पादन का डेटा और आय से संबंधित डेटा प्राप्त करने, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के लिए केसीसी जन समर्थ के लिए सीधी कार्रवाई, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप पैनल के लिए डिजिटल कार्रवाई, पीएम कृषि उपज निधि के तहत ई-एनडब्ल्यूआर वित्तपोषण, जीएसटी आधारित ऋण के लिए डिजिटल उत्पाद, मंजूरी-पूर्व व्यक्तिगत ऋण और मंजूरी-पूर्व व्यवसाय ऋण की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

  बैंक का डिजिटल ऋण विभाग वित्त वर्ष 24-25 में 20 नए डिजिटल उत्पादों के साथ लाइव होने का लक्ष्य रखता है, जिसका उद्देश्य 60% के स्तर के साथ डिजिटल यात्रा के माध्यम से रु.30000.00 करोड़ का नया व्यवसाय जोड़ना है। विभाग कैप्स उत्पादों को ई-प्लेटफॉर्म में स्थानांतरित करके मौजूदा सीएपीएस सॉफ्टवेयर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की भी योजना बना रहा है। विभाग सोशल मीडिया पर डिजिटल उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है और उत्पाद वेब कार्रवाई के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त करने पर अधिक जोर दे रहा है। मार्केटिंग टीम / डिजिटल लेंडिंग चैंपियंस को व्यक्तिगत ऋण और केसीसी ऋण जैसे ऋणों को मंजूरी देने के लिए त्वरित कायापलट के लिए लैपटॉप और टैबलेट प्रदान किए गए हैं। यह स्वचालित कायापलट के समय को कम करेगा और ग्राहकों को समय पर मंजूरी प्रदान करेगा।

  अंचल, एसकेवीके, आरबीसी और शाखाओं को डिजिटल उत्पादों पर नियमित प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए जा रहे हैं। तकनीकी समस्याओं के लिए टर्नअराउंड समय को कम करने के लिए सहायता टीम की स्थापना की गई है। बैंक के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए डिजिटल ऋण देने वाले चैंपियन और क्षेत्र के पदाधिकारियों से प्रतिक्रिया को नोट किया गया है। वेब उत्पादों की अधूरी कार्रवाई को पूरा करने के लिए ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए एक अलग उत्पाद टीम स्थापित की गई है।

- **टीआरईडीएस व्यवसाय:** टीआरईडीएस कई फाइनेंसरों के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/बट्टे की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। बैंक ऑफ इंडिया सभी टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर एक सक्रिय भागीदार है और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन प्लेटफॉर्म पर टीआरईडीएस व्यवसाय के समग्र थ्रूपुट के 7.9% बाजार हिस्सेदारी का लाभ लेता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक का टीआरईडीएस कारोबार बकाया 94.04% बढ़ गया और 31.03.2024 को रु. 4142.00 करोड़ के स्तर पर रहा। इसके अलावा, हमारे टीआरईडीएस कारोबार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है क्योंकि कई कॉर्पोरेट खरीदार अभी भी नामांकित नहीं हैं या प्लेटफार्मों पर सक्रिय नहीं हैं। बैंक का टीआरईडीएस व्यवसाय चालू वित्तीय वर्ष में अच्छी गति से बढ़ने की उम्मीद है।

- **पूल-बाय-आउट:** वित्त वर्ष के दौरान रु.1445 करोड़ के कुल संवितरण के साथ पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 23-24 की 16% की नियमित वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में, हमारे पास पूल बाय-आउट सुविधा के लिए रु. 2400 करोड़ की अवितरित मंजूर सीमा है। इसके अलावा, रु. 4600 करोड़ का अतिरिक्त कारोबार प्रक्रियाधीन है जो वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक व्यापार वृद्धि को दोगुना कर देगा।

- **को-लेंडिंग:** - वर्तमान में, विभाग ने एमएसएमई और खुदरा उत्पादों के तहत सह-उधार देने के लिए विभिन्न एनबीएफ़सी के साथ समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान नियमित वृद्धि

रु.186 करोड़ के कुल संवितरण के साथ रु.95 करोड़ (60%) है। 31.03.2024 को कुल बकाया रु. 253 करोड़ है। हमने वित्त वर्ष 25 के अंत तक 200% की नियमित वृद्धि के साथ सह-उधार में कुल टाई-अप को दोगुना करने की योजना बनाई है।

- **आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण:** इस उत्पाद को नया रूप दिया गया है और उद्योगों के साथ नए ताल-मेल की खोज की जा रही है। हम ताल-मेल बढ़ाकर और चालू वित्त वर्ष में डिजिटल सोर्सिंग भागीदारों को शामिल करके आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के तहत कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं।

## 15. जोखिम प्रबंधन :

### जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने जोखिमों तथा प्रतिलाभों के बीच तालमेल को बनाये रखने के लिए, उधारकर्ता स्तर और पोर्टफोलियो स्तर पर प्रासंगिक जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। बैंक का निदेशक मण्डल विशिष्ट जोखिमों पर ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विशिष्ट समिति के माध्यम से बैंक में सभी जोखिमों की समग्र निगरानी करता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर. कॉम.) बोर्ड की एक उपसमिति है जो जोखिम प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई है, जिसे विभिन्न जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक स्तर की समितियों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति)और सीओआरएम (परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन के लिए समिति) से सहयोग प्राप्त होता है।

जोखिम प्रबंधन में बैंक में सभी गतिविधियों तथा उत्पादों से संबंधित जोखिम की पहचान, माप, निगरानी, शमन और सभी संभावित जोखिमों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शामिल है। इन प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियों अर्थात एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन बाज़ार जोखिम प्रबंधन, एक्सपोजर (बैंक एक्सपोजर एवं लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क), आस्ति देयता प्रबंधन, फॉरेन एक्सचेंज और डीलिंग रूम परिचालन आदि में इनके विषय में विस्तार से बताया गया है।

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, अपने परिचालनों और संस्कृति में, जोखिम प्रबंधन के पूर्ण एकीकरण पर केंद्रित है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढाँचा जोखिम प्रबंधन चक्र से आरंभ होता है, जिसमें कई चरण होते हैं: जोखिम वहन-क्षमता स्थापित करना, दबावग्रस्तता संबंधी जाँच आयोजन करना, परिस्थितियों का विश्लेषण, सभी खण्डों में जोखिम मूल्यांकन का संपूर्ण क्षेत्र तैयार करना। जोखिमों की पर्याप्त रूप से पहचान, विश्लेषण, मापन, रिपोर्ट व शमन किया जाता है। जोखिम प्रबंधन बैंक के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि सभी जोखिम क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली श्रेष्ठतम वैश्विक पद्धतियों को अपनाया जाए। इस जिम्मेदारी को मानव संसाधन और सिस्टम में निवेश करके तथा जोखिम वहन करने की संस्कृति को तैयार करके पूरा किया जा रहा है। बैंक ने जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों तथा तकनीकों जैसे विवेकपूर्ण व आंतरिक सीमाओं की निगरानी, बासेल के अनुरूप ऋण रेटिंग मॉडल, सक्रिय लिक्विडिटी प्रबंधन, ईआरएम स्कोरकार्ड, पीक्यूआई आदि का उपयोग किया है।

ऋण रेटिंग की सीमाएं विशिष्ट उद्योग/क्षेत्र के कार्य-निष्पादन पर आधारित थीं। उधारकर्ताओं की साख योग्यता का आकलन करने के लिए बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल और स्कोरकार्ड का उपयोग करता है। बदलते आर्थिक परिवेश और परिवर्तित होते व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए, जोखिम चालकों को बेहतर ढंग से दर्ज़ करने और अंडरराइटिंग मानकों को और मजबूत करने के लिए रेटिंग मॉडल का पुन: कैलिब्रेशन किया गया है।

व्यापार के सामान्य क्रम में बैंकों को मुख्य रूप से विभिन्न जोखिमों जैसे –ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम और ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है।

**ऋण जोखिम,** ऋण चुकाने या संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की संभावना है। ऋण जोखिम गणना के लिए बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) को अपनाया है।

बाजार के कारकों में उतार-चढ़ाव के कारण, बैंक को नुकसान की संभावना **बाजार जोखिम** है जैसे कि ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर, इक्विटी मूल्य आदि। बैंक ने बाजार जोखिम गणना के लिए मानकीकृत अवधि पद्धति (एसडीएम) को अपनाया है।

**परिचालन जोखिम** को अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल है, लेकिन इसमें रणनीतिक और प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है। बैंक बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए)के माध्यम से परिचालन जोखिम भारित आस्तियों की गणना करता है। बैंक आरबीआई दिशानिर्देशों के मसौदे में उल्लिखित परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियों की गणना के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए तैयार है। परिचालन जोखिमों से होने वाले नुकसान की संभावना और संभावित प्रभाव को कम करने के लिए बैंक प्रक्रियाओं के एक व्यापक दायरे, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और नीतियों के साथ परिचालन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करता है।

**आस्ति और देयता प्रबंधन :** बैंक ने आस्ति और देयता के संतुलन न होने के उपरांत आने वाले वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत एएलएम प्रथाओं को अपनाया है। जोखिम को कम करते हुए अधिक दक्षता और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए बैंक की सतत और गुणात्मक वृद्धि के लिए प्रभावी आस्ति और देयता प्रबंधन (एएलएम) आवश्यक है। आपके बैंक का एएलएम, बाजार की गतिशीलता की समीक्षा कर उससे प्राप्त संकेतों को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट को मजबूत करने का प्रयास करता है और विनियामक अपेक्षाएँ को बनाए रखता है। मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं की प्रतिबद्धता के तौर पर आपका बैंक नियमित रूप से बाजार स्थितियों में उतार-चढ़ाव को अपनाने के लिए 'ऋण और अग्रिमों हेतु मूल्य निर्धारण, 'वैश्विक आस्ति और देयता प्रबंधन', दबाव परीक्षण नीति' पर अपनी आंतरिक नीतियों की समीक्षा करता है। आपका बैंक अतिरिक्त दबावग्रस्तता परीक्षण और रिवर्स दबावग्रस्तता परीक्षण करता है ताकि सबसे खराब स्थिति में भी किसी भी

तरह की जोखिम को दूर किया जा सके। बैंक के घरेलू बैंकिंग परिचालनों के लिए लिक्विडिटी का प्रबंधन सीधे प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। बैंक की विदेशी शाखाएं और ऑफशोर इकाई प्रधान कार्यालय के समर्थन से स्वतंत्र रूप से अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं। इसी तरह, बैंक की सहायक कंपनियां स्वतंत्र रूप से आर.कॉम के मार्गदर्शन में अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं इसके अलावा, बैंक अन्य मुद्राओं में लिक्विडिटी आवश्यकताओं की निगरानी के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का रखरखाव करता है।

आपके बैंक की लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन ढांचा सुस्पष्ट बोर्ड अनुमोदित वैश्विक आस्ति देयता प्रबंधन नीति के माध्यम से निर्देशित होता है। इस प्रक्रिया के रूप में आपके बैंक ने बैंकिंग बही में लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिमों के लिए विभिन्न बोर्ड अनुमोदित सीमाएं स्थापित की हैं। आस्ति देयता समिति (एल्को) एक निर्णय लेने वाली इकाई है, जो बैंक की लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन रणनीति को अपने जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के अनुरूप लागू करने के लिए जिम्मेदार है और बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहन/सीमाओं का पालन सुनिश्चित करती है। एल्को नीति के कार्यान्वयन और सीमाओं की निगरानी की समीक्षा करता है। परिपक्वता अंतर को कम करने में बेसल III अनुपात, और स्टॉक अनुपात सीमाएं लिक्विडिटी जोखिम को प्रबंधित करने में, निवल ब्याज आय और बाजार मूल्य प्रभाव बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसे लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिम दोनों को कवर करने हेतु बोर्ड अनुमोदित व्यापक परीक्षण योजना को मंजूरी देकर मजबूती से लागू किया गया है।

मजबूत व्यवहार विश्लेषण निश्चित रूप से प्रभावी एएलएम प्रबंधन परिदृश्य का मूल है। आपके बैंक द्वारा नियमित अंतराल पर व्यवहार अध्ययन किए जाते हैं ताकि ग्राहक व्यवहार का आकलन किया जा सके ताकि गैर-संविदात्मक आस्तियों और देयताओं तथा ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्पों पर उचित कार्रवाई की जा सके जिनका उपयोग परिपक्वता अंतराल के प्रबंधन और जोखिम को दोहराते समय किया जाता है। लिक्विडिटी और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणों में बहिर्प्रवाह/अंतर्वाहों का उचित स्थापन सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार संबंधी अध्ययन किए जाते हैं, जो मीयादी ऋणों/मीयादी जमाराशियों के पूर्व भुगतान, कासा में रन-ऑफ आदि जैसे तुलन-पत्र एक्सपोजर और बीजी/एलसी आदि में लागूकरण और न्यागमन जैसे तुलन-पत्र एक्सपोजर के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। गैर-संविदागत आस्तियों और देयताओं से संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है और नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के अनुसार उनमें संशोधन किया जाता है। इसके अलावा, आपके बैंक के पास इंट्राडे लिक्विडिटी जोखिम को प्रबंधित करने और कम करने के लिए आवश्यक ढांचा और बोर्ड अनुमोदित नीति है।

विनियामक और बैंक की आंतरिक नीति बेंचमार्क द्वारा निर्धारित एलसीआर के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्ति (एचक्यूएलए) और निवल नकदी बहिर्गमन के स्टॉक की दैनिक निगरानी की जाती है। आपके बैंक ने आरबीआई के एनएसएफआर दिशानिर्देशों को लागू किया है, जो लिक्विडिटी के संदर्भ में आपके बैंक के दीर्घकालिक आघात-सहनीयता को मापते हैं। आपका बैंक अपनी बैलेंस शीट (ऑन/ऑफ) एक्सपोज़र पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से करता है। इस प्रयोजन के लिए जोखिम पर आय (ईएआर) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन पूर्व-परिभाषित टॉलरेंस सीमाओं के साथ किया जाता है, जिससे प्रबंधन एनआईआई/निवल मूल्य में क्षरण के संभावित परिदृश्य में उपयुक्त निवारक कदम शुरू करने में सक्षम होता है। आपका बैंक अपनी बेंचमार्क उधार दरों के माध्यम से पर्याप्त मौद्रिक नीति अंतरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करता है। आपके बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैलेंस शीट में आस्ति -देयता मिश्रण को संशोधित करके और समय-समय पर आस्ति और देयता के मूल्य निर्धारण को पुनर्व्यवस्थित करके लिक्विडिटी और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है। एल्को अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज दर परिदृश्यों, देयता उत्पादों के विकास पैटर्न, ऋण वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक लाभों, लिक्विडिटी स्थितियों में परिवर्तन, विनियामक निर्देशों के अनुपालन आदि की नियमित रूप से समीक्षा करती है।

आपका बैंक जून'2023 से बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) को माप रहा है और उसकी निगरानी कर रहा है। बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) बैंकों की पूंजी और ब्याज दरों में प्रतिकूल गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली आय के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो इसकी बैंकिंग बुक स्थितियों को प्रभावित करता है जिसमें आपका बैंक 6 निर्धारित विनियामक मानकीकृत ब्याज दर झटके के आधार पर इक्विटी और अर्जन (एनआईआई) के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव की गणना करता है।

बैंक वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) करता है जिसमें स्तंभ- I जोखिम, बैंक की जोखिम वहन-क्षमता और बैंकों के जोखिम प्रोफाइल के संबंध में बैंक द्वारा अपेक्षित आंतरिक पूंजी के उचित स्तर के साथ-साथ विभिन्न जोखिमों (स्तंभ II जोखिम) का आंकलन/माप शामिल है। अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंक को संभावित प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करके जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस परीक्षण प्रक्रिया मौजूद है। आईसीएएपी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बैंक यह सुनिश्चित करता है कि वह उचित स्तर की पूंजी के साथ काम करे। इसमें एक पूर्ण इंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के रूप में माने जा सकने वाले एक बड़े हिस्से को शामिल किया गया है। आईसीएएपी जोखिम और पूंजी प्रबंधन गतिविधियों को एक ऐसे रूप में एक साथ लाता है जिसका उपयोग व्यावसायिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। बैंक, स्तम्भ-II के प्रासंगिक जोखिमों की भी पहचान, आंकलन और माप करता है और जोखिम समिति को रिपोर्ट करते समय उनके प्रशमन की योजना बताता है।

पिछले डेढ़ वर्ष में जलवायु जोखिम, धारणीय वित्त और ईएसजी से संबंधित विनियम तेजी से विकसित हो रहे हैं। बैंक ने आईसीएएपी में जलवायु जोखिम की स्तम्भ-II जोखिम के रूप में पहचान कर ली है। इसके अलावा, चूंकि जलवायु जोखिम संबंधी विनियम और शासन विकसित हुए हैं अत: बैंक के बोर्ड ने बैंक के लिए ईएसजी नीति (पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन) को अपनाया है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ईएसजी नीति में प्रशासनिक ढांचे को शामिल किया गया है और बैंक के विभिन्न विभागों हेतु की जाने

वाली कार्रवाई भी निर्धारित किए गए हैं।

ईएसजी नीति में, देश की प्रतिबद्धता के अनुसार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने के बैंक इरादे और ईएसजी व तत्संबंधी प्रकटनों से संबंधित सभी विनियामकीय अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाने की रूपरेखा बनाई गई है।

इसके अतिरिक्त, बैंक के पास फील्ड स्तर पर भी जोखिम संस्कृति को समझाने के लिए सभी भौगोलिक केंद्रों (अंचलों और फील्ड महाप्रबंधक कार्यालय और विदेशों में स्थित शाखाओं)में फील्ड स्तर के जोखिम प्रबंधक हैं।

बैंक की सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य, बैंक को साइबर हमलों और साइबर सुरक्षा खतरों में तेजी के कारण सूचना सुरक्षा जोखिमों से बचाना है, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों के लिए। सूचना सुरक्षा विभाग बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्ति की सुरक्षा के लिए नियंत्रण को मजबूत करता है। बैंक अपने ग्राहकों और खाताधारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के प्रति सतर्क है और इसे साइबर हमलों से बचाने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतता है। बैंक ने कैप्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (एसओसी)स्थापित किया है। बैंक ने 24×7 आधार पर सूचना सुरक्षा उल्लंघन के प्रयासों/घटनाओं/स्थितियों की रियल-टाइम निगरानी के लिए सूचना सुरक्षा उपकरण लगाए हैं ताकि समय पर इन्हें रोका जा सके, पता लगाया जा सके और प्रत्युत्तर दिया जा सके। उन्नत सुरक्षा उपकरण जैसे एसआईईएम (सुरक्षा सूचना और घटना प्रबंधन), पीआईएम (विशेषाधिकार पहचान प्रबंधन), डीएएम (डेटाबेस गतिविधि निगरानी), डब्ल्यूएएफ (वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल), एनबीएडी (नेटवर्क व्यवहार विसंगति का पता लगाना), एंटी-एपीटी (एडवांस पर्सिस्टेंस थ्रेट) वेब और ईमेल चैनलों के लिए और एंटी-डीडीओएस, डेटा डीएलपी (डेटा लीकेज रोकथाम) प्रयोग किए जा रहे कई सुरक्षा समाधानों में से हैं। थ्रेट हंटिंग, रोकथाम, पता लगाने और प्रत्युत्तर देने पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न नए सुरक्षा समाधान भी लागू किए गए हैं। बैंक आईएसओ 27001:2013 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301:2012 (बीसीएमएस)प्रमाणित है। नकली साइटों के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को फ़िशिंग हमलों से बचाने के लिए प्रभावी ब्रांड सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध हैं। सभी सिस्टमों के लिए समय पर उपचारात्मक गतिविधियों के साथ जोखिम और अतिसंवेदनशीलता का मूल्यांकन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। सुरक्षा जागरूकता अभियान, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में, पूरे बैंक में आयोजित किये जाते हैं, जिनमें स्टाफ सदस्यों के साथ-साथ ग्राहकों को भी शामिल किया जाता है तथा अध्ययन और संप्रेषण के विभिन्न चैनलों का प्रयोग किया जाता है।

## 16. थर्ड पार्टी उत्पाद प्रभाग :

1. बैंक ऑफ इंडिया दो जीवन बीमा कंपनियों, तीन साधारण बीमा कंपनियों और तीन स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट एजेंट है।

2. बैंक ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए निष्पादन मॉडल अपनाया है। म्युचुअल फंड कारोबार में बैंक एक खुली संरचना का अनुसरण करता है, इसी कारण अधिक टाई-अप समझौते कर सकता है। इसलिए बैंक ने म्युचुअल फंड उत्पाद वितरण के लिए कई आस्ति प्रबंधन कंपनियों के साथ टाई-अप समझौते भी किए हैं।

3. बैंक बीमा और म्युचुअल फंड एएमसी के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते समय, बैंक आरबीआई/आईआरडीएआई/एएमएफआई / एसईबीआई या किसी अन्य विनियामक जो उस पर बाध्यकारी है, के संगत दिशानिर्देशों का पालन करता है।

4. प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न बीमा कंपनियों और म्युचुअल फंड एएमसी के साथ बैंक के मौजूदा टाई-अप निम्नलिखित है:

**मौजूदा टाई-अप :-**

| क्र. सं. | उत्पाद | टाई अप पार्टनर |
|---|---|---|
| i | जीवन बीमा | 1) स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.<br>2) भारतीय जीवन बीमा निगम |
| ii | साधारण बीमा | 1) रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.<br>2) बजाज अलायन्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.<br>3) फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. |
| iii | स्वास्थ्य बीमा | 1) स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.<br>2) केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.<br>3) निवा बूपा इंश्योरेंस कंपनी लि. |
| iv | म्युचुअल फंड | एएमसी का नाम<br>1) बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनजर्स प्रा. लि.<br>2) यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.<br>3) एचडीएफसी एसेट मैनजमेंट कंपनी प्रा.लि.<br>4) कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.<br>5) फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट प्रा.लि.<br>6) बंधन म्यूचुअल फ़ंड (पूर्व में आईडीएफ़सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.)<br>7) डीएसपी म्युचुअल फंड (पूर्व में डीएसपी ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनजर्स लि.)<br>8) आदित्य बिरला सन लाइफ म्युचुअल फंड (पूर्व में बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि.)<br>9) निप्पॉन इंडिया म्युचुअल फंड ( पूर्व में रिलायंस म्युचुअल फं)<br>10) एसबीआई फंड्ज मैनेजमेंट प्रा. लि. |

5. बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न क्षेत्रों (सेगमेंट) से कुल रु 200.12 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ में)

| टीपीपी अनुभाग | कमीशन आय |
|---|---|
| जीवन बीमा | 154.76 |
| साधारण बीमा | 23.32 |
| स्वास्थ्य बीमा | 17.42 |
| म्यूचुअल फ़ंड | 4.62 |
| कुल | 200.12 |

## 17. विपणन एवं प्रचार

बैंक ऑफ इंडिया का लक्ष्य आम जनता के बीच दृश्यता बढ़ाना, आम जनता, ग्राहकों और अपने सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के बीच अपने उत्पादों और अत्याधुनिक सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाना है। प्रचार और जन संपर्क गतिविधियों को सभी भौगोलिक क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न मीडिया जैसे ओओएच के साथ साइनेज, डिजिटेल होर्डिंग्स के माध्यम से कई विज्ञापन अभियान और संचार उपलब्ध कराकर मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन, बस शेल्टर, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रदर्शन कर समाज के सभी वर्गों को जागरूक करना है।

बैंक ने विभिन्न विपणन दृष्टिकोणों को लागू किया है जो न केवल प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए बल्कि ग्राहक के जुड़ाव और वफादारी को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाकर, बैंक ऑनलाइन चैनलों की क्षमता का लाभ उठाने, बड़ी आबादी तक पहुंचने, उन्हें संयोजित करने और व्यवसाय में बदलने में सक्षम है। विपणन, प्रचार, विज्ञापन और जनसंपर्क बैंक को लोगों के बीच निरंतर ब्रांड का स्मरण रखने में मदद करते हैं और इसे ब्रांड निर्माण में निवेश के रूप में माना जाता है।

## 18. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर)

बीपीआर विभाग बैंक में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और परिवर्तन प्रबंधन के अन्य पहलुओं पर काम करता है जिसमें संगठनात्मक संरचना, उत्पाद और नीतियां शामिल हैं। 2023-24 के दौरान की गई प्रमुख ग्राहक केंद्रित पहल इस प्रकार हैं: -

**वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान परियोजना कार्य/पहलें:**

1. **डिजिटल लेंडिंग विभाग का गठन:** डिजिटल ऋण देने का ढांचा स्थापित करने और डिजिटल ऋण देने की यात्रा में निर्णय लेने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये डिजिटल ऋण विभाग बनाया गया है। यह हमारे डिजिटल ऋण उत्पादों के प्रति बेहतर ग्राहक अनुभव बनाएगा और डिजिटल ऋण उत्पादों की बिक्री के मामले में मजबूत वृद्धि सुनिश्चित करेगा।

2. **मानव संसाधन रूपांतरण:** बैंक के वर्तमान ढांचे का मूल्यांकन करने के लिए एक सलाहकार का चयन करने के लिए एक प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया और मानव संसाधन गतिविधियों के परिवर्तन के उद्देश्य से बैंक द्वारा तैयार किए गए रणनीतिक रोड मैप जिसके द्वारा बैंक की मानव संसाधन प्रबंधन गतिविधियों का संपूर्ण क्षेत्र डिजिटल हो जाता है। यह बैंक के कॉर्पोरेट लक्ष्य को प्राप्त करने और ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए जनशक्ति के उचित उपयोग द्वारा प्रदर्शन प्रबंधन और लक्ष्य निर्धारण में बैंक की दक्षता में सुधार करेगा।

3. **सेवा प्रभारों को तर्कसंगत करना:** सेवा प्रभारों को युक्तिसंगत बनाया गया है ताकि इसे ग्राहक के अनुकूल बनाया जा सके, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और उद्योग की प्रवृत्तियों के साथ प्रतिस्पर्धी बना दिया जा सके।

4. **भारतीय शाखाओं का पुन:वर्गीकरण:** हमने वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया है और तदनुसार सही स्टाफिंग और ग्राहक सेवा वितरण में आसानी सुनिश्चित करने के लिए शाखाओं का पुन: वर्गीकरण किया गया है।

5. **उचित ऋण व्यवहार:** उचित ऋण प्रथाओं की पहल के तहत, हमने नए दंड प्रभार तैयार किए हैं और 01.04.2024 से आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी ऋण उत्पादों में दंडात्मक ब्याज लेना बंद कर दिया है। नए दंड प्रभार उचित, प्रतिस्पर्धी और केवल ग्राहकों के बीच ऋण अनुशासन की भावना पैदा करने के उद्देश्य से हैं।

6. **कॉर्पोरेट ऋण संरचना का सुधार/संशोधन-उभरती हुई कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं (ईसीसीबी) की पहचान** - हमने संभावित केंद्रो पर 18 शाखाओं की पहचान की है और उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में उभरते कॉर्पोरेट की जरूरतों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया है। यह कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम ग्राहक सेवाओं के लिए हमारी प्रतिबद्धता में सुधार करेगा।

7. **स्टार परामर्श-** प्रत्यक्ष परिचालन/व्यावहारिक सुझाव प्राप्त करने के लिए स्टाफ सुझाव योजना क्षेत्र से: हमने परिचालन दक्षता और सेवा प्रभावशीलता के लिए सम्मेलनों, बैठकों और प्रशिक्षण केंद्रों सहित सभी मंचों पर दिए गए स्टाफ के सभी विचारों और सुझावों को शामिल करने के लिए योजना का विस्तार किया है। वर्ष के दौरान प्राप्त 509 सुझावों में से 52 को बेहतर सेवा प्रभावकारिता के लिए कार्यान्वयन हेतु चुना गया है।

## 19. विधि एवं सूचना का अधिकार अधिनियम

बैंक का विधि विभाग सपोर्ट विभाग के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में सामने आने वाले मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों इत्यादि के संबंध में प्लैटफार्म उपलब्ध कराता है।

विभिन्न एफ़जीएमओ/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था/नये उत्पाद इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग/वेटिंग के द्वारा विशेषज्ञ विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, डिजिटल बैंकिंग विभाग, डिजिटल लेंडिंग विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संव्यवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

सूचना के अधिकार ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है तथा विभिन्न स्तरों पर बैंक के द्वारा विभिन्न आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। बैंक ने विभिन्न एफ़जीएमओ/अंचलों/एलसीबी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी निर्धारित किये हैं। विधि विभाग के उप महाप्रबंधक (विधि), प्रधान कार्यालय को बैंक का सीपीआईओ नामित किया गया है

तथा महाप्रबंधक, विधि विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया यह है कि विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी एकत्र की जाती है तथा 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान उसे आवेदकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य अंचलों/एनबीजी को भी विशिष्ट बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त स्टाफ सदस्यों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि विभाग, विधियों में संशोधन तथा नये विधानों पर एफ़जीएमओ/अंचलों को परिपत्र और दिशानिर्देश जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधि विभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य भी करता है-

- बैंक द्वारा दायर वादों के संबंध में वाद पत्र का अनुमोदन तथा वैसे वादों की निगरानी करना।
- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना, आवेदनों/शपथ पत्रों इत्यादि, जहाँ भी लागू हों, उनकी जाँच करना।
- विभिन्न अधिनियमों पर विचाराधीन संशोधनों/नये विधानों सहित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
- शेयर विभाग के शेयर अंतरण मामले पर राय देना।
- बैंक के विरुद्ध वाद/बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है/प्रावधान आवश्यकताएं/अंचलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि।
- एनबीजी/अंचलों से प्राप्त लोक अदालत के डेटा का समेकन।
- वाद दाखिल/डिक्री किए गए मामलों से संबंधित डाटा/सांख्यिकी एकत्रित तथा संकलित करना तथा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय इत्यादि को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त विधि विभाग आरबीएस डाटा से संबंधित कार्रवाई भी करता है।

## 20. अनुपालन विभाग

बैंक के पास एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी करता है जिसे समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी के नाम से संदर्भित किया जाता है। विभाग का मुख्य कार्य घरेलू और विदेशी, इन दोनों परिचालनों के लिए सांविधिक, विनियामक और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए संपर्क का एकल बिंदु है और प्रचलित एसपीएआरसी ढांचे के अनुसार जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) का सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है।

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्य नीति है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है और इसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा एवं अद्यतन किया जाता है। यह नीति निम्नलिखित घटकों से संबंधित है: i) प्रशासन ii) अनुपालन जोखिम मूल्यांकन iii) नीतियां, प्रक्रिया और संबंधित नियंत्रण iv) अनुपालन निगरानी और परीक्षण v) रिपोर्टिंग और संप्रेषण vi) अनुपालन में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण और उपयोग और vii) विनियामक संपर्क और समन्वय।

चूंकि विभाग ने पारदर्शिता, प्रभावकारिता, निरीक्षण और प्रभावशीलता में सुधार करने और अनिश्चितता से निपटने और ज्ञात और अज्ञात दोनों जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया है जो कार्यनीति, कार्यनिष्पादन और निर्णय लेने के लिए अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद कर सकता है। विभाग आरबीआई दिशानिर्देशों/अनुदेशों के अनुपालन और संधारणीय जाँच के अनुरूप समय-समय पर परीक्षण का कार्य भी कर रहा है। अनुपालन परीक्षण की संख्या वर्ष-दर-वर्ष बढ़ती जा रही है और परीक्षण परिणामों की रिपोर्टिंग समय-समय पर शीर्ष प्रबंधन को सौंपी जाती है।

अनुपालन विभाग, उन विदेशी प्रतिष्ठानों के अनुपालन कार्य की भी निगरानी कर रहा है जो अपने संबंधित देश आधारित अनुपालन नीतियों के साथ-साथ केवाईसी-एएमएल-सीएफटी नीतियों का पालन करते हैं। प्रत्येक विदेशी केंद्र/शाखा/अनुषंगी के पास संबंधित अनुपालन कार्य की देखभाल करने के लिए एक अनुपालन अधिकारी होता है। विदेशी शाखाएं, लागू नियामक आवश्यकताओं (स्वदेश/मेजबान देश के विनियामक दिशानिर्देश, इनमें से जो भी कड़े हों) का पालन करती हैं और पुष्टिकरण/अनुपालन निरंतरता रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। प्रत्येक विदेशी शाखा का अनुपालन अधिकारी, त्रैमासिक, अनुपालन परीक्षण करता है और प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। निचले स्तर पर संस्कृति विकसित करने के लिए, समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी की सीधी रिपोर्टिंग लाइन के तहत भारत भर में प्रत्येक अंचल और फील्ड महाप्रबंधक कार्यालयों (एफजीएमओ) में फील्ड स्तर के अनुपालन अधिकारियों को तैनात किया जाता है।

## 21. राजभाषा:

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित करता है। सरकार की राजभाषा नीति के योजनाबद्ध कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप हमारे बैंक द्वारा वार्षिक कार्य-योजना 2023-24 तैयार की गई जिसका विमोचन श्रीमती अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा, भारत सरकार द्वारा किया गया। राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया गया जिसे स्टाफ सदस्य उत्तीर्ण कर रहे हैं। पहली बार प्रधान कार्यालय में तैनात सभी उच्च प्रबंधन समूह के कार्यपालकों को राजभाषा कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया। विश्व हिन्दी दिवस 2024 तथा हिन्दी दिवस 2023 को पूरे उत्साह से मनाये गए। विश्व हिन्दी दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री अखिलेन्द्र मिश्र भी शामिल हुए। हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में पूरे बैंक में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें विदेशी शाखाओं से भी सहभागिता रही। इस अवसर पर बैंक के सोशल मीडिया हैंडल पर राजभाषा हिन्दी से संबंधित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया जिसमें ग्राहकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। 14 तथा 15 सितम्बर 2023 को भारत सरकार द्वारा आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (पुणे), में बैंक द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें भारत सरकार की " मेरी माटी, मेरा देश" अवधारणा पर स्टार राजभाषा कलश रखा गया। इसमें गृह राज्यमंत्री श्री

अजय कुमार मिश्र, केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान तथा अन्य गणमान्य पदाधिकारियों ने विभिन्न राज्यों से लाई गई मिट्टी डाली तथा इस मिट्टी से प्रधान कार्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस आयोजन की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजभाषा अधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं बेहतर कार्यनिष्पादन पर बल दिया गया एवं इसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय वार्षिक समीक्षा बैठक, कंठस्थ 2.0 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उन्नत राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति सप्ताह देश के महान सपूतों की जानकारी "सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व श्रृंखला" के माध्यम से भेजी जाती है। प्रधान कार्यालय में पूरे वर्ष के दौरान हिन्दी ईमेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधान कार्यालय के विभागों एवं अंचलों हेतु "राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" आयोजित की गयी। राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अंचलों द्वारा भी अनेक संदर्भ साहित्य तैयार किये गए हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अंचलों द्वारा संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है।

हमारे अंचलों एवं नराकास को भारत सरकार से क्षेत्रीय स्तर के 9 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही, वर्ष के दौरान 31 अंचलों तथा शाखाओं को नराकास से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अनेक स्टाफ सदस्यों ने व्यक्तिगत स्तर पर अखिल भारतीय अंतर बैंक प्रतियोगिताओं एवं नराकास की प्रतियोगिताओं के पुरस्कार भी प्राप्त किये हैं। इस वर्ष बैंक ने कुल 153 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 3812 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। हमारा बैंक, सरकार द्वारा निर्धारित 15 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष के दौरान हमारे 11 कार्यालयों/शाखाओं का निरीक्षण किया गया जिसमें हमारे प्रधान कार्यालय का निरीक्षण भी शामिल था। सभी निरीक्षण सुचारु रूप से संपन्न हुए। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा बैंक के परिपत्र आदि का अनुवाद तत्परतापूर्वक किया जाता है। राजभाषा में अधिक कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक द्वारा हिन्दी पत्रिका "बीओआई वार्ता" का प्रकाशन किया जा रहा है।

## 22. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास :

### ए. मानव संसाधन विभाग :

मानव संसाधन में डेटा से अधिक निर्णय लेने का लक्ष्य है ताकि विफलता तथा भेदभाव को कम किया जा सके। बैंक, क्षमता निर्माण तथा लगातार अध्ययन एवं विकास के माध्यम से सुसंगति प्राप्त करने का लक्ष्य कर रहा है।

- यथा 31.03.2024 को बैंक के रॉल पर 50,944 स्टाफ थे। इसमें से 27,136 अधिकारी, 18805 लिपिक तथा 5003 अधीनस्थ स्टाफ सदस्य हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने सामान्य बैंकिंग तथा विशेषज्ञ संवर्ग में 421 स्टाफ अधिकारी तथा लिपिकीय संवर्ग में 275 (अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत 19) नियुक्तियाँ की हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक की योजना है कि 885 स्टाफ अधिकारियों तथा 335 लिपिकीय स्टाफ की भर्ती की जाए।
- स्टाफ के प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) आरंभ की गई है ताकि अपनी दिशा में सुधार करने वाली प्रतिपुष्टि तथा इसके संबंध में कार्रवाई को सक्षम बनाया जा सके। बजटीय मूल्यांकन तथा गैर बजटीय मूल्यांकन किया जा रहा है जिसमें लक्ष्य/बजटीय आंकड़े फिनैकल से कैप्चर किये जा रहे हैं तथा वास्तविक प्रदर्शन से इनकी तुलना की जा रही है।
- आगे का भार संभालने की योजना के अंतर्गत कॉरपोरेट ऋण, ऋण निगरानी, वसूली, ट्रेजरी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत और उभरते क्षेत्रों जैसे अधोसंरचना वित्तपोषण तथा वित्तीय समावेशन में क्षमताओं के मुकाबले निर्धारित महत्वपूर्ण भूमिकाओं में कौशल की कमी को योजनबद्ध तरीके से कम करना।
- प्रतिभा प्रबंधन के क्षेत्र में ध्यान देकर तथा प्रतिभा समीक्षा विकास प्रक्रिया की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन भूमिकाओं में वर्तमान पदधारी तथा क्षमतावान स्टाफ ठीक प्रकार से प्रशिक्षित तथा तैयार किये जाएं और ये समय पर इन भूमिकाओं को ले सकें।
- कागज रहित एच.आर की दिशा में सेवांत लाभ देय आवेदन को ऑनलाइन स्वीकार करना, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन, प्रबंधन के लिए निवेश डैशबोर्ड, बीओआई पर पीओएसएच शिकायतें-शी-बॉक्स इत्यादि को कार्यान्वित किया गया है।
- महिला स्टाफ की बेहतरी के लिए सक्रियतापूर्वक कार्य करते हुए बोर्ड अनुमोदित पीओएसएच (बैंक ऑफ इंडिया कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम नीति) को कार्यान्वित किया गया है। चरणबद्ध तरीके से बैंक के सभी स्टाफ तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए नियमित कार्यशालाएं / जागरूकता कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
- ऐसे अधिकारी जिनकी रुचि है तथा ऋण, जाखिम प्रबंधन ट्रेजरी इत्यादि जैसे विशेषज्ञता क्षेत्र में काम करने का उत्साह है उन्हें 'स्टार हंट' योजना के माध्यम से पहचाना जा रहा है। चयन के बाद ऐसे अधिकारियों को चयनित वर्टिकल में प्रशिक्षित तथा निर्धारित फील्ड में तैनात किया जाता है।
- स्वाध्याय को प्रोत्साहित करने के लिए चयनित संस्थानों तथा एमओसीसी के अंतर्गत भी अनेक पाठ्यक्रम बैंक के क्षमता निर्माण में शामिल हैं। ऋण अनुपालन, इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए क्रिसल, आईआईबीएफ, सीएबी मनिपाल इंस्टीट्यूट जैसे बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये गए हैं।
- बैंक का लक्ष्य है कि विभिन्न एच.आर पहल जैसे स्टार सम्बद्धता सर्वेक्षण, जॉब फैमिली, उत्तराधिकारी योजना तथा प्रतिभा प्रबंधन प्रक्रिया एवं अधिक अभिगम तथा सेवा उत्कृष्ठता के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा (ईज़) में परिकल्पित किसी अन्य सरकारी निदेश का बाधा रहित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

- बैंक ने नैतिकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित तथा किसी प्रकार के पक्षपात / भेदभाव तथा शोषण से मुक्त कार्य वातावरण वाली संस्था सुनिश्चित करने की दिशा में "बैंक ऑफ इंडिया नैतिकता तथा हितों का टकराव नीति" को कार्यान्वित किया है।

- हमारे बैंक ने सभी स्टाफ की लगातार तथा नियमित संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए तथा इसके प्रतिफल में बैंक की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए "स्टाफ कार्य जीवन संतुलन" थीम पर स्टाफ संबद्धता सर्वेक्षण समाप्त किया है।

- हम सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन के लिए तथा सुनिश्चित करने के लिए कि दिव्यांग व्यक्ति समानता और आत्मसम्मान से रहें तथा अन्यों के बराबर प्रदर्शन करने के लिए सशक्त रहें, हम अपने बैंक में समान अवसर नीति के कड़ाईपूर्वक अनुपालन तथा कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- बीओआई स्टार लाइट (मानव प्रतिभा के साथ नवोन्मेषिता तथा संवृद्धि की दिशा) नामक एच.आर परिवर्तन परियोजना, बैंक द्वारा 01.03.2024 को आरंभ की गई जिसके लिए बैंक ने एक परामर्शदाता पैनलीकृत किया है ताकि वह बैंक में एचआर गतिविधियों को बदलने के लिए इन्पुट उपलब्ध करा सके। प्रौद्योगिकी को अपनाने, डिजिटलीकरण, ग्राहक अनुभव, स्टाफ जुड़ाव, लाभ प्रदता, अनुपालन तथा प्रशासन के क्षेत्र में बैंक शीर्ष पीएसबी के बीच रहना चाहता हैं।

- "मॉम रिलॉन्च कार्यक्रम" काम पर वापस लौटने वाली माताओं के लिए एक पहल हे जिसे बैंक द्वारा आरंभ किया गया है। इसका लक्ष्य स्टाफ सदस्यों को परामर्श उपलब्ध कराना है जो मातृत्व अवकाश के बाद लौट रही हैं।

- "बैंक ऑफ इंडिया विविधता, समानता तथा समावेशन (डीईआई)" नीति को आरंभ किया गया है जिसका लक्ष्य एक ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करना है जो समावेशी है तथा व्यक्ति के आत्मसम्मान की इज्जत करता है जिससे संस्थागत प्रदर्शन में सुधार होता है तथा कार्यस्थल पर उत्पादकता, नवाचार तथा निष्ठा को प्रोत्साहित करता है।

- बैंक द्वारा विभिन्न एच.आर. पहल किये गए हैं जिसमें सभी महिला स्टाफ तथा पात्र पुरुष स्टाफ (अकेले अभिभावक) के लिए 05 वर्ष की आयु तक के उनके आश्रित बच्चों के लिए प्रतिबालक प्रति माह रु.3000/- प्रति माह का बाल देखभाल भत्ता; सभी सेवारत स्टाफ के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा, अधिकारियों के लिए स्थानांतरण तथा रोटेशन नीति के अंतर्गत महिला केन्द्रित पहलें, आरंभ करना शामिल है।

- ईएसजी पहलों के हिस्से के रूप में 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किय गए:

  - ➢ 'तनाव बहुत बढिया हो सकता है तथा तनाव घातक भी हो सकता है' विषय पर चर्चा।
  - ➢ स्त्री रोग तथा प्रजनन, चर्म एवं केश विश्लेषण को शामिल करते हुए स्वास्थ्य जाँच कैम्प का आयोजन किया गया।
  - ➢ स्तन कैंसर जागरूकता कैम्प
  - ➢ नेत्र जाँच कैम्प आयोजित किया गया तथा इसके साथ नेत्र देखभाल में प्रगति पर चर्चा की गई।

- स्टाफ खिलाड़ी सुश्री सिमरनजीत कौर, सुप्रसिद्ध तिरंदाज तथा श्री निरंजन मुकुंदन, सुप्रसिद्ध पारा-तैराक को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय घटनाक्रमों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

- एचआरएमएस में विभिन्न नए मॉड्यूल आरंभ किये गए जैसे -

  - **'माई वॉइस'** बैंक की वृद्धि में मदद करने के लिए फीडबैक प्रस्तुत करना
  - **'स्टार ऑफ द मन्थ'** : उत्साह, पहल करने की क्षमता तथा स्टाफ की सक्रियता बढ़ाने के लिए
  - **'एच आर रैंकिंग'** : विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना
  - **'आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ'** : स्टाफ सदस्यों को उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए एक प्लैटफार्म उपलब्ध कराना।

**एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व - सैनिक के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन :**

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का कड़ाई से पालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय के साथ-साथ सभी आंचलिक कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कक्ष स्थापित किया गया है जो आरक्षण नीति को लागू करने और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्टाफ से संबंधित शिकायतों के निवारण में विशेष ध्यान रखता है। बैंक में आर्थिक रूप से कमज़ोर (ईडब्ल्यूएस) वर्गों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण 01 फरवरी 2019 से लागू किया गया था।

**यथा** 31.03.2024 **तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस स्टाफ का प्रतिनिधित्व** :

| संवर्ग | एससी | कुल स्टाफ का% | एसटी | कुल स्टाफ का % | ओबीसी | कुल स्टाफ का % | ईडब्ल्यूएस | कुल स्टाफ का % | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकारी | 4894 | 18.04% | 2504 | 9.23% | 8129 | 29.96% | 292 | 1.08% | 27136 |
| लिपिक | 2858 | 15.20% | 2226 | 11.84% | 5305 | 28.21% | 527 | 2.80% | 18805 |
| अधीनस्थ | 1711 | 34.20% | 603 | 12.05% | 1373 | 27.44% | - | 0.00 | 5003 |
| **कुल** | **9463** | **18.58%** | **5333** | **10.47%** | **14807** | **29.07%** | **819** | **1.61** | **50944** |

## 23. अध्ययन एवं विकास विभाग:

अध्ययन और विकास विभाग सभी प्रशिक्षण कॉलेजों, क्षमता निर्माण, कार्यपालक प्रशिक्षण और कोचिंग सहित सभी प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियां का समग्र रूप से देशव्यापी प्रभारी है। अध्ययन एवं विकास विभाग द्वारा आंतरिक प्रतिभा विकास एवं कक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। बैंक ने अपने स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हाइब्रिड मोड अपनाया है। बैंक के 7 प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने हाइब्रिड

मोड का उपयोग करते हुए इस वित्तीय वर्ष के दौरान 32,500 से अधिक स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैंक स्टाफ की क्षमताओं को बढ़ाने तथा विभिन्न खंडों में लगातार बदलती कारोबार परिस्थितियों को पूरा करने के लिए और उन्हें सही कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल का उपयोग कर रहा है। 19000 से अधिक अधिकारियों ने विभिन्न ई-लर्निंग मॉड्यूल उत्तीर्ण किए हैं। स्टाफ सदस्यों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बैंक ने प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे सीएएफ़आरएएल, सीएबी पुणे, एनआईबीएम पुणे, आईआईएम उदयपुर, एएससीआई हैदराबाद, आईडीबीआई प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद, आईआईबीए.फ, आईआईबीएम, बीआईआरडी लखनऊ और मैंगलोर, एनआईपीए.फपी नई दिल्ली, आईआरएमए आनंद, स्टेट बैंक अकादमी गुरुग्राम, एनआईबीएससीओएम नोएडा, नेशनल फोरेंसिक साइंस नई दिल्ली और गांधीनगर, मणिपाल ग्लोबल, आईएमआई नई दिल्ली, डेटा वाइज़ इत्यादि के साथ अनेक भागीदारियाँ की हैं। सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हाल में भर्ती हुए अधिकारियों के एक समान आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नए अधिकारियों एवं मध्यम कैरियर अधिकारियों हेतु निवारक सतर्कता संबंधी कार्यक्रम भी बैंक द्वारा अपनाया गया है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा हाल ही में 2023 में भर्ती किए गए सभी 375 अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया और पूरा कर लिया गया।

बोर्ड द्वारा अन्य चैनल से वेतनमान - I में परिवीक्षाधीन अधिकारियों (ऋण एवं सू.प्रौ.) की भर्ती का अनुमोदन किया गया है। इस चैनल के माध्यम से बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रारंभिक तौर पर अंतिम नियुक्ति दी गई है और बैंकिंग एवं वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीबीए.फ) उत्तीर्ण करने पर अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। वर्तमान में एक चयनित संस्था से 470 (327 जीबीओ और 143 सू. प्रौ.) अभ्यर्थी पीजीडीबीएफ़ कर रहे हैं।

वर्ष 2021-22 में वेतनमान IV और उससे ऊपर (1907 अधिकारियों) के लिए विकास केंद्र कवायद की गई थी और आईडीपी तैयार की गई थी। क्षमता के आधार पर, वेतनमान V और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए व्यक्तिगत कार्यपालक वन टू वन कोचिंग सितंबर 2023 में शुरू हुई है और पूरा होने तक जारी रहेगी। वेतनमान IV और उससे ऊपर के शेष अधिकारियों और नए पदोन्नत मुख्य प्रबंधकों के लिए विकास केंद्र की कवायद वर्ष 2024-25 में पूरी हो जाएगी। ईज निर्देश विशेष रूप से शीर्ष कार्यपालक ग्रेड अधिकारियों के प्रशिक्षण के दृष्टिकोण में कुछ अनिवार्य परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं। ईज फ्रेमवर्क के तहत, भारत सरकार स्टाफ सहभागिता कार्यक्रमों, नए युग की प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और व्यक्तिगत व्यवहार प्रशिक्षकों के माध्यम से वरिष्ठ प्रबंधन को तैयार करने हेतु स्टाफ की अधिक भागीदारी की इच्छुक है। यह पहलू शुरू हो चुकी है और सितंबर 2023 से हमारे बैंक में कार्यपालक वन-टू-वन कोचिंग शुरू हो गई है।

प्रत्येक शुक्रवार की शाम को प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न बैंकिंग विषयों पर साप्ताहिक वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय संयुक्त रूप से 'स्टार दर्पण' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकें जैसे कि सांदीपनि और विजेता स्टाफ के कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नॉलेज पार्टनर के परिसरों में आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों में गहन ऋण, महिला शाखा प्रमुखों, आरबीसी प्रमुखों, एसएमईसीसी प्रमुखों, स्टार कृषि विकास केंद्र प्रमुखों (एसकेवीके), आंतरिक लेखा परीक्षकों और अग्रणी जिला प्रबंधक प्रमुखों (एलडीएम) के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। 2600 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

बैंक ने 'बीओआई-स्टार लाइट' नामक एचआर परिवर्तन अभ्यास शुरू किया है जिसकी शुरुआत मार्च, 2024 से हुई है और सलाहकार के साथ अध्ययन संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की जा रही है। जहां तक कौशल मूल्यांकन का संबंध है, एक नए दृष्टिकोण पर काम किया जा रहा है।

## 24. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग विभाग

शीर्ष स्तर पर, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के रूप में एक व्यवस्था है जो ग्राहक सेवा का मूल्यांकन करने और हमारे बैंक में उसके कार्यान्वयन के लिए कार्यनीतिक निर्देश देने, अन्वेक्षण और निर्णय लेने के लिए अधिकृत है।

बैंक की ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति है, जो बैंक के विभिन्न विभागों और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के बीच सेतु का काम करती है।

बैंक ने प्रभावी निगरानी और समय पर समीक्षा के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिकायत पंजीकरण के कई चैनलों के एकीकरण के लिए विनियामक आवश्यकता के अनुसार शिकायत प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप स्टार संपर्क (सीआरएम नेक्स्ट) मॉड्यूल अपनाया है।

बैंक ने 'ग्राहक स्वीकृति, ग्राहक सेवा, ग्राहक सेवा-पृथक्करण और ग्राहक अधिकार नीति' और 'ग्राहक शिकायत निवारण नीति' सहित विभिन्न नीतियां अपनाई हैं, जिनकी विनियामक प्राधिकरणों के निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन नीतियों को सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया है। हमने पूर्णत:/आंशिक रूप से अस्वीकृत शिकायतों की समीक्षा करने और निर्णय देने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है।

बैंक के पास दो केंद्रों पर स्थित एक पूर्ण विकसित कॉल सेंटर है यथा ऐरोली (नवी मुंबई) और बेगमपेट (हैदराबाद) जो वर्तमान और भावी ग्राहकों को 24X7X365 सहायता प्रदान करते हैं।

बैंक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तर की ग्राहक सेवा प्रदान करते हुए ग्राहक श्रेष्ठता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक शाखाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के आधार पर शाखा आने वाले ग्राहकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। यह बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न बैंकिंग उत्पादों पर बैंक को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

## 25. शाखा नेटवर्क एवं विस्तार - शाखा विस्तार विभाग

भौगोलिक रूप से भारत एवं विदेश में बैंक का शाखा नेटवर्क काफी विस्तृत है। 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, बैंक की भारत में 5155 शाखाएं थी। विदेशों में बैंक की 22 शाखाएं (गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट सहित), 4 अनुषंगियाँ, 1 संयुक्त उद्यम एवं 1 प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा

सभी टाइम जोन एवं वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों पर बैंक की उपस्थिति है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने प्रस्तावित 32 शाखाओं में से 31 नई शाखाएं खोली हैं। बैंक के शाखा नेटवर्क की संरचना निम्न प्रकार है:-

| वर्ग | 31.03.2023 | | 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | शाखाओं की संख्या | कुल का % | शाखाओं की संख्या | कुल का % |
| महानगरीय | 991 | 19.32 | 992 | 19.24 |
| शहरी | 829 | 16.16 | 835 | 16.19 |
| अर्ध-शहरी | 1456 | 28.39 | 1465 | 28.41 |
| ग्रामीण | 1853 | 36.13 | 1863 | 36.13 |
| कुल घरेलू शाखाएं | 5129 | 100 | 5155 | 100 |

## 26. घरेलू अनुषंगी प्रबंधन प्रभाग

**बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल)**

बीओआईएसएल में बैंक का निवेश रु.6.65 करोड़ है, जो बैंक की 100% अनुषंगी है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.(एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करता है।

**बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.(बीओआईआईएम) तथा बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसिस प्रा.लि. (बीओआईटीएस) (पूर्व में बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा. लि. तथा बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसिस प्रा.लि.)**

ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियमन के तहत म्यूचुअल फंड और निवेश परामर्श सेवाएं के कारोबार में हैं। बैंक ऑफ़ इंडिया रु.98.10 करोड़ के सम्मलित निवेश के साथ बीओआईआईएम और बीओआईटीएस में 100% शेयरधारक है।

**बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.(बीओआईएमबीएल) :**

बीओआई मर्चेंट बैंकर्स का 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। यह बैंक की रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

**एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड**

1994 में स्थापित एसटीसीआई फाइनांस लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ़ इंडिया एसटीसीआई में रु.380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 29.96% (रु.130.10 करोड़ का निवेश) धारिता वाला सबसे बड़ा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश के अग्रणी डीलरों में से एक है।

**स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.(सुड लाइफ)**

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने "स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी" का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी, 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 28.96% (रु.132.92 करोड़ का निवेश) है, यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इन्टरनेशनल होल्डिंग्स की अंतरराष्ट्रीय धारिता 45.94% है।

**एएसआरईसी (इंडिया) लि.** को प्रतिभूतिकरण तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए विनिर्दिष्ट उपक्रम यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (एसयूयूटीआई) द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी की रु.98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02% (रु.27.60 करोड़ का निवेश) है।

**निवेश/गठबंधन:**

**नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रकशन कंपनी लि. (एनएआरसीएल)** - आईबीए ने बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए समस्या के समाधान करने के लिए बैड बैंक स्थापित किया है। बैंक ने 9% धारिता के साथ कंपनी में रु. 247.50 करोड़ क निवेश किया है।

**इंडिया डेब्ट रेज़लूशन कंपनी लि. (आईडीआरसीएल)** - आईबीए ने क्षेत्रीय विशेषज्ञ और टर्न अराउंड विशेषज्ञ सहित एनएआरसीएल को डेब्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करने के लिए आईडीआरसीएल की भी स्थापना की गई है। बैंक ने 4% शेयर धारिता सहित कंपनी में रु.0.80 करोड़ का निवेश किया है।

**नेशनल कॉलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेस लि.(एनसीएमएल)** को नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ के निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

**स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा.लि.** एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारिता 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया का इक्विटी स्टेक 2.81% है।

**एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लिमिडेट (पूर्व में एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एसएमईआरए)** एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एसएमईआरए की स्थापना की गई। कंपनी का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 1.96% है।

**अन्य महत्वपूर्ण निवेश :**

बैंक का, सिडबी (रु.45.30करोड़), मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज लि. (रु.27.50 करोड़), ओएनडीसी (रु. 20 करोड़) एनपीसीआई (रु.10 करोड़), इन्वेंट एसेट सिक्यूरिटाजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (रु.10

करोड़), एसबीआईडीएफ़एचआई (रु.5.54 करोड़), सीईआरएसएआई (रु.2.16 करोड़), एग्रीकल्चरल फाइनांस कॉरपोरेशन लि. (रु.1.26 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लि. (रु.1.11 करोड़), पीएसबी एलायंस (रु.2.14 करोड़), सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि. (रु.1 करोड़), सीसीआईएल (रु.0.50 करोड़), यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं. लि. (रु.0.15 करोड़) में भी कार्यनीतिक निवेश है।

## 27. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

उत्तम कारपेरिट शासन,धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता,लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है, जैसे कि -

- परिचालन मैनुअल एवं एसओपी द्वारा समर्थित बोर्ड - अनुमोदित नीति के अनुसार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढ़ाचा तैयार करना और उसका प्रबंधन करना,
- विनियामकों एवं बोर्ड को धोखाधडियों की समय से रिपोर्टिंग करना,
- प्रधान कार्यालय के हितधारक विभागों की मदद से धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन एवं उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करने के लिए कदम उठाना,
- परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए समान प्रवृत्ति की धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि शाखाओं में उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके,
- एएमएस के द्वारा टिकट / आवधिक संदेशों से शॉर्ट अलर्ट संदेशों के माध्यम से तथा अध्ययन एवं विकास विभाग के समन्वय से धोखाधड़ी को रोकने पर प्रशिक्षण / वीडियो कॉन् फ्रेसिंग की सहायता से स्टाफ को जागरूक करें।
- सीओआरएम अनुमोदित एसओपी से कार्ड को छोड़कर सभी नॉन-क्रेडिट वितरण चैनलों को शामिल करने वाले इंटरप्राइज वाइड धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएम) को घरेलू शाखाओं एवं विशेष विदेशी केंद्र को साथ कवर करते हुए लागू किया गया है,
- डिजिटल बैंकिंग विभाग के साथ समन्वय में, आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए एलईए द्वारा प्रबंधित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) पोर्टल पर काम करते हुए, ग्राहकों को और नुकसान से रोकने के लिए खातों को फ्रीज़ करना,
- शाखाओं/ नियंत्रक कार्यालयों द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईएएस) के पास शिकायतें दर्ज कराना।
- एम.एच.ए. (गृह मंत्रालय) के निदेशों के आधार पर आईबीए (भारतीय बैंक संघ) के मौजूदा दिशा-निर्देशानुसार एल.ओ.सी. जारी करना।

**वर्ष के दौरान विशेषताएँ:**

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रिपोर्ट की गई नई धोखाधड़ी की घटनाओं की राशि रु.131.31 करोड़ (रु.735.39 करोड़ की 7 धोखाधड़ी को छोड़कर जिसे पुन:जांच के बाद पुन: रिपोर्ट किया गया है) है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की राशि रु.582.59 करोड़ की तुलना में काफी कम है। रु. 735.39 करोड़ की राशि वाले सात मामले जिन्हें आरबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 27.03.2023 के फैसले के अनुसार निष्क्रिय कर दिया गया था, हमारे द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुन: जांच के बाद पुन: रिपोर्ट किए गए हैं। इसलिए, इन 7 मामलों को छोड़कर, जिनमें रु. 735.39 करोड़ की राशि शामिल है, वित्त वर्ष 2023-24 में रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि केवल रु.131.31 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्टाफ की भागीदारी वाली आंतरिक धोखाधड़ी रु.15.19 करोड़ थी, जो रु.131.31 करोड़ की रिपोर्ट की गई नई धोखाधड़ी का केवल 11.57% है।

## 28. सर्तकता प्रबंधन :

सर्तकता प्रबंधन : केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सामान्य निगरानी में, बैंक में सतर्कता प्रशासन के लिए, सर्तकता विभाग है जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों तथा अनुषंगियों में, बैंक के अधिकारियों के सभी सतर्कता संबंधी मामलों को सर्तकता विभाग देखता है।

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा विदर्भ-कोकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक तथा मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के सतर्कता प्रशासन की देखरेख भी सतर्कता विभाग करता है।

सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है जिनको दो उप महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं जिन्हें परिचालन, अन्वेषण तथा अनुशासनात्मक मामलों के क्षेत्र में अनुभव है। परिचालनात्मक सहायता के लिए, सतर्कता विभाग ने सतर्कता विभाग, प्रधान कार्यालय के सीधे नियंत्रण में प्रत्येक अंचल में एक सतर्कता अधिकारी तैनात किया है। विदेशी केंद्रों में काम करने वाले समवर्ती लेखा परीक्षक, विदेशी शाखाओं के लिए सतर्कता अधिकारी की भूमिका निभाते हैं।

सतर्कता प्रशासन के सभी 3 कार्यप्रणाली जैसे निवारक, दंडात्मक तथा निगरानी संबंधी सतर्कता के मूलभूत आधार पर सतर्कता विभाग कार्य करता है तथा इसका लक्ष्य यह है कि संस्था की प्रबंधकीय दक्षता के स्तर को बढ़ाया। डीएफएस, डीओपीटी, सीवीसी द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों इत्यादि के सार को शामिल करते हुये संसूचनाएं निवारक सतर्कता के अन्य संबंधित विषय के साथ-साथ समय समय पर फील्ड पदाधिकारियों/ कार्यालयों को परिचालित किया जाता है।

## 29. लाभांश वितरण नीति

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/DDP.pdf/ba6223a7-2777-012c-3ca7-f27b7f718d9a?t=1663666944772 पर उपलब्ध है।

### आभार:

बैंक का निदेशक मंडल (बोर्ड), भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा अन्य विनियामकीय प्राधिकरणों के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं प्रतिनिधि बैंकों के सहयोग एवं सहायता के लिए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों, बॉण्डधारकों एवं शेयरधारकों को उनके असीमित समर्थन हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र कार्यनिषादन के लिए स्टाफ सदस्यों की समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए उनकी प्रशंसा करता है।

बोर्ड के निदेशकों हेतु एवं उनकी ओर से

ह/-

**रजनीश कर्नाटक**

एमडी एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 मई 2024

# MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

## I. GLOBAL SCENARIO

The year 2023-24 was marked by an overall upturn in economic activity across the globe despite repeated and overlapping shocks and prevailing geopolitical tensions and increasing geo-economic fragmentation. Undoubtedly these challenges affected the pace of growth but resilience was observed in global economy driven by expansion in service sector and manufacturing. The result was fading fears of recession and gradual easing of inflationary pressure. The unprecedented monetary tightening followed by Central Banks throughout the world was continued, as inflation management continues to remain a top priority, but the policy rates were kept unchanged.

IMF, in its latest world Economic Outlook report(WEO) projected global growth to remain steady at 3.2% in 2024 as it was in 2023 and likely to maintain same pace in forthcoming years. While the advanced economies grew by 2.7%, the emerging market and developing economies grew by 4.2%. However there has been decline in the value of global trade during entire 2023 due to subdued demand in developed nations, trade weaknesses, volatile global financial conditions along with decline in commodity prices. There has been forecast of steady decline in Global Inflation from 6.8 percent in 2023 to 5.9 percent in 2024 and 4.5 percent in 2025 providing tailwind to growth impulses.

## 2. DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO:

Despite prevalence of geopolitical uncertainties, Indian economy exhibited optimism on the back of strong macroeconomic fundamentals and financial stability. Strong domestic demand, rural demand pickup, robust investment, sustained manufacturing momentum, sound banking sector, deleveraged corporate sector and improved consumer and investor confidence contributed to India's resilience.

As per the second advance estimates of the National Statistical Office (NSO), Indian economy attained robust GDP growth of 7.6% in FY 2023-24 over and above 7% growth rate in FY 2022-23. Thus India emerged as the new growth engine of the global economy contributing approximately 16% to the overall growth dynamics and became fastest growing major economy of the world in 2023-24 with broad based growth across sectors.

Agriculture and allied sector registered growth of 0.7% in gross value added in the year 2023-24. The growth was hampered on account of decline in foodgrains production during kharif season and deficient rainfall.

Industrial output remained buoyant on the back of strong manufacturing sector powered by reforms and improved business sentiments. The industrial sector grew by 8.3% in 2023-24 as compared to growth of 5.1% last year. Manufacturing emerged as the strongest subsector with growth of 8.5%. On the other hand mining recorded growth of 8.1% and electricity generation depicted good growth of 7.5% in 2023-24.

Services sector remained the backbone of Indian economy with a contribution of over 70% to GVA growth. The sector maintained its momentum with a fillip from construction activity fuelled by strong housing demand, trade, hotels, transport, communication and broadcasting and financial, real estate and professional services.

The Retail inflation measured by CPI witnessed a significant decline in FY 2023-24 reaching its lowest level since Covid-19 framework. The proactive monetary policy and positive action by the govt. such as reduction in petrol, diesel and LPG prices helped in inflation control .The headline inflation declined from 6.7% in FY 2022-23 to 5.4% in FY 2023-24 which is within the upper tolerance level of Inflation targeting framework. Though core inflation declined to its lowest level, food inflation remained a challenge at an elevated level.

Global slowdown and ongoing geopolitical tensions led to a moderation in India's merchandise exports as well as merchandise imports. The slowing of trade has resulted in the narrowing of merchandise trade deficit in FY 2023-24 on account of smaller contraction in in exports as compared to imports.However,the non-petroleum and non-gems & jewellry merchandise exports have shown resilience and services exports expanded at their fastest pace in FY 2023-24 led by rising software exports and business service exports. This has led to improvement in India's current account deficit (CAD) in the first nine months of the fiscal 2024 coupled with rising net services receipts and increasing inward remittances. Going forward, various international agencies and RBI expects the CAD to GDP to moderate below 1 % for FY 2023-24.

India's robust economic performance, favourable business environment and strong macroeconomic fundamentals spurred remarkable capital inflows in FY 2023-24.The net Foreign Portfolio Investment(FPI) during FY 2023-24 was to the tune of USD 41 billion as against net outflows in the preceding two years. This is the second highest level of FPI inflow after FY 2014-15.India received the highest equity inflows among emerging market peers during FY 2023-24. However net Foreign direct investment(FDI) moderated to USD 25.5 billion in the first ten months of FY 2023-24 from USD 36.8 billion last year on account of rise in repatriation. India's foreign Exchange reserves reached an all time high of USD 645.6 billion as of March 29,2024, adequate to cover 11 months of projected merchandise imports and more than 100 percent of total external debt.

On fiscal front, FY 2023-24 was remarkable in terms of expenditure rationalization and fiscal consolidation. The increased compliance, higher advance tax collections and widening of tax base led to robust double digit growth in direct tax collections which grew by 21.6% during April-February 2023-24, with income tax and corporate tax collections growing at 25.8% and 17.3% respectively. Indirect tax collections recorded growth of 4.8% led by Goods and Services tax collection and custom revenues. Gross fiscal deficit marked an improvement from 6.4% of GDP in FY23 to 5.9% of GDP in FY24 (as per revised estimates).

## 3. BANKING AND FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENTS:

India's buoyant economic landscape in FY 23-24 was supported by stable, sound and adequately capitalized banking sector and relatively stable domestic financial

markets. The banking system observed a higher credit offtake outpacing deposit expansion. While the advances grew by 20.18% against 15% in FY23, deposits lagged behind with growth rate of 13.48% against 9.6% during FY23. Positive business outlook, improvement in economic activity and merger of big bank enhanced credit growth. Moreover Public sector banks continued to be the major driver of incremental credit extended by all Scheduled Commercial Banks (SCBs) in 2023-24. Credit to Agriculture & allied sector registered growth of 20.1% in February 2024 from 15.0% last year, Industrial sector credit growth reached to level of 8.6%in February 2024 from 6.8% during last year and services sector credit achieved resilient growth of 21.2% in Feb 2024 as compared with 20.5% a year ago. However in the scenario of high Credit Deposit ratio and increased competition among banks, low cost deposit mobilization remains a big challenge.

The banking sector witnessed healthy balance sheet with strong profitability on the back of increase in Net Interest income during times of elevated interest rates, decline in credit costs and improved efficiency ratios like Return on assets and return on equity. With containment of slippages, better underwriting standards and consistent decline in GNPA and NNPA ratios across entire banking industry, there has been considerable improvement in asset quality of the banks in FY 2023-24.

The RBI's continued with the withdrawal of accommodative stance in the monetary policy for anchoring of inflationary expectations and kept the repo rates unchanged. For the first time in mid-September 2023, system liquidity turned into deficit mode after a gap of four and half years and the deficit continued in the wake of elevated government cash balances due to festival demand and state elections during H2. To effectively manage the situation of liquidity with an eye on growth, RBI injected liquidity through various Variable rate repo (VRR) operations to ease liquidity tightness in H2 and maintaining financial stability along with ensuring availability of adequate credit to productive sectors of the economy. The system liquidity smoothed in March end on account of increase in government spending with net liquidity adjustment facility(LAF) injection narrowing to Rs.0.29 lakh crore from Rs.1.78 lakh crore in Feburary 2024.

The G-sec yield initially softened during the first quarter of FY 2024 on account of steady decline in headline inflation, status quo on policy rates, better monsoon predictions. However in Q3 2023-24 the yields in the beginning firmed up but softened thereafter due to decline in crude oil prices, lower than expected retail inflation and proposed inclusion of Indian Government bonds in a major global emerging market index and decline in US yields. The 10 year benchmark yield declined from 7.20% in Q3 FY 24 to 7.07% in Q4 FY24.

The Rupee-USD exchange rate exhibited lowest volatility in FY 2023-24 compared to previous years and hovered in the range of Rs.82.00 to 83.15 per USD backed by financial stability, robust economic foundations and steady external sector performance. The Rupee remained relatively stable and least volatile major currencies among its emerging market peers and a few advance economies in FY 2023-24 despite a stronger US dollar and elevated US treasury yields.

The year 2023-24 was remarkable in terms of building a resilient India from a banking and economy perspective and includes numerous steps taken by the regulator and Govt. as well for promoting financial stability, risk management and crisis preparedness, sound corporate governance as well as adaptive regulation complemented by robust supervision. The endeavor of the Government is to boost capital expenditure and develop public private partnership with the vision of Viksit Bharat by 2047 in harmony with nature, modern infrastructure and opportunities for all. Further, in the interim Union Budget for 2024-25, Government has announced slew of measures including Rooftop Solarization, an additional coverage of 2 crore houses under Pradhanmantri Awas Yojana (Grameen), targeted increase in creating of Lakhpati Didis from 2Cr to 3Cr with help of Self Help Groups, specialised scheme of PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme (PMFME) which will lead to broad based growth and inclusive development. So in the present scenario, Bank being credit driver engine in the economy will play pivotal role through enhancing credit availability to different sectors fostering investment and in turn accelerating the growth rate of the economy.

## BUSINESS REVIEW :

### 1. RESOURCE MOBILISATION

There has been an overall CASA growth of Rs.17,723 crore during current FY 2023-24 with a YoY growth of 7.03%. During the period the Saving Deposits have grown by Rs.15,163 crore with YoY growth of 6.85%. Bank has registered a bit higher growth in Current Deposits which has increased by Rs. 2,560 crore with YoY growth of 8.31%. The Term Deposit of the Bank has grown by Rs.44,931 crores with YoY growth of 14.27%. The Total Deposit of the Bank has grown by Rs.62,654 crore with YoY growth of 11.05%

A total of 38,007 new HNI Savings Customer were added to our Savings Portfolio whose average balance per accounts is Rs. 5,00,000 & above and the same has increased by 6.10% YOY contributing additional growth of Rs.5823 crore in overall Savings Portfolio of the Bank.

Similarly, a total of 3126 new Current Deposit of HNI customer were added to our Current Account Portfolio whose average balance per account is Rs. 2,00,000 & above and the same has increased by 2.47% YOY contributing additional growth of Rs.2948 crore in overall Current Deposit portfolio of the Bank.

With its continued focus on CASA & thrust on customer acquisition, CASA Ratio of the Bank stood at 43.21% at the end of FY 2023-24.

### 2. ADVANCES:

Bank's Global Gross Advances improved from Rs. 5,15,852 crore as on 31.03.2023 to Rs. 5,85,595 crore as on 31.03.2024 showing an improvement of 13.52% Y-o-Y basis. Gross Domestic Credit registered a growth of 14.08% from Rs. 4,31,637 crore as on 31.03.2023 to Rs. 4,92,392 crore as on 31.03.2024. Gross Corporate Credit of the Bank improved from Rs. 1,94,100 crore as on 31.03.2023 to Rs. 2,17,915 crore as on 31.03.2024, registering growth of 12.27% Y-o-Y basis. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid Corporates through 9 Large Corporate Branches and other Large Branches headed by AGMs/

CMs. Further 18 branches have been identified as Emerging Corporate Credit Branches (ECCBs) at major cities. These Branches will cater to the needs of emerging corporates. Aligning itself with the concept "Digital Economy", Bank has started issuance of Electronic Bank Guarantee (eBG).

## 3. RETAIL:

Total Retail loan segment grew at 18.12% and schematic retail growth of 17.67% during FY 2023- 24. We kept our special focus on Home Loans and vehicle loans during the year.

The Home loan segment during the year recorded a growth of 14.25% from Rs. 51,737 crore to Rs. 59,107 crore. The Vehicle Loan segment recorded growth of 22.96% from Rs. 13,534 crore to Rs.16,641 crore during the year.

We have a personal loan variant named Star Suvidha Express Personal Loan scheme for salaried customers, existing customers who have availed Home Loan, LAP & education loan and for pensioners. With this personal loan variant, the Personal Loan segment of the Bank recorded a growth of 40.93% from Rs. 6,909 crore as on 31.03.2023 to Rs. 9,737 crore as on 31.03.2024.

Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Mahindra & Mahindra and Kia for vehicle loans. Similarly, tie-ups with Nobroker.com and Prop Tiger for home loans.

Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/ PSEs/Reputed Corporates/ Institutions under tie up arrangement with employer.

Apart from Home Loans, Vehicle loans & Personal Loans, we also extend Loan against Property and Education Loans.

Introduced a Digital journey for retail loans viz. Personal Loan, Vehicle Loan and Home Loan during the year.

## 4. MSME ( MICRO,SMALLL AND MEDIUM ENTERPRISES)

The MSME sector is the backbone of the Indian economy and plays an important role in the employment and income generation adding to the decentralize growth of the economy with low per capita investment. MSME Sector contributes 33% of GDP of Nation and around 50% of total exports.

Focus on programmes, such as Make in India, Start Up India, Digital India, Atmanirbhar Bharat and Ease Reforms have also brought major changes in MSME Credit at Bank's Level.

The performance under MSME segment of the Bank is as under:

(Amt in crore)

| GROSS MSME ADVANCES (EXCLUDING PWO & URI) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | Mar-23 | Dec-23 | Mar-24 | Growth YOY | Growth YOY (%) |
| GROSS MSME | 70777 | 76600 | 77877 | 7100 | 10.03% |

**Highlights of FY 2023-24:**

- During the financial year up to 31st March 2024, **4,57,934 new accounts** have been added with sanctioned limit of **Rs.24,580 crore**. These accounts have outstanding of **Rs.17,466 crore**.
- **Mudra Loan**-During Financial year 23-24, bank has disbursed Rs.8580 crore against total sanction of Rs.9121 crore.
- **TReDS-** Bank has crossed outstanding limit of Rs.4000.00 crore and at the end of March'24 it was Rs. 4142 crore.
- In order to amplify MSME portfolio and to penetrate the market of MSME loans, **policy on Business Sourcing Associates (BSA)** for sourcing MSME loans has started. The BSA shall work as our extended arms in the market who would connect the borrower to the Bank. The policy will allow appointment of BSAs for generating MSME business leads for the branches / SMECCs-UCs. 602 BSAs empanelled till date for mobilization of MSME business.
- **SMECC/UC Revamping:** The number of SMECCs & UCs increased to 116 and centralized processing of all proposals of Rs.10 Lakhs and above is being done smoothly.
- Bank has identified 3 Startup Branches which will cater to the needs of the Startup ecosystem.
- The department had received the prestigious **"SKOCH AWARD 2023"** for overall performance in MSME..

## 5. AGRICULTURE FINANCE: -

**Priority Sector Advances:**

The bank is serving to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches. The Bank has registered an outstanding level of Rs 1,83,459 crore (44.10 % of March-24 ANBC) under Priority Sector Advances consisting of Agriculture Rs 84,445 crore (20.30% of March-24 ANBC). Out of which SF & MF Rs.53,362 crore (12.83% of March-24 ANBC), MSME Rs 75,605 crore out of which MSME Micro Rs. 43,128 crore (10.37% of March-24 ANBC), Education Rs 2,331 crore, Housing Rs 21,015 crore and other priority sector advances is Rs 12 crore. Bank has achieved the regulatory ratios under Priority sector, SF & MF, MSME Micro and credit to weaker sections for FY 2023-24.

(Amt in crore)

| Particulars | Actual O/S Level March-23 (Audited) | Actual O/S Level Dec-23 (Audited) | Actual O/S Level March-24 (Audited) | Y-O-Y Growth (Mar 23/ Mar 24) | | % of Mar-24 Qtrs. ANBC | Regulatory Requirement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Amt | % | | |
| **ANBC** | **3,83,380** | **4,07,346** | **4,16,035** | | | | |
| 1) Agriculture | 72,379 | 80,351 | 84,445 | 12,066 | **16.67** | **20.30** | **18** |
| 2) Small & Marginal Farmers | 43,253 | 51,652 | 53,362 | 10,109 | **23.37** | **12.83** | **10** |
| 3) Micro Enterprises | 43,137 | 45,497 | 43,128 | -9 | **-0.02** | **10.37** | **7.5** |
| **Priority Sector** | **1,64,445** | **1,77,877** | **1,83,459** | **19,014** | **11.56** | **44.10** | **40** |

*Total Agriculture and Priority Sector includes outstanding of RIDF & PSLC

Under Agriculture, Bank branches disbursed Rs 43,171 crore, whereas under Small and Marginal Farmers total

disbursement during FY 2023-24 was Rs.32,084 crore. Bank has issued 1.55 lakhs Kisan Credit Cards during the year with credit limits of Rs 3,645 crore for flexible credit utilization. Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs 15,865 crores as on March 24 (8.65% of Priority Sector Lending). Amount O/s as on 31.03.2024 under weaker section is Rs. 66,287 crore (15.93 % for FY 23-24). Bank's finance to Food & Agro Industries as on 31.03.2024 is Rs. 8,861 crore.

**Gold Loan:** Gold loans registered incremental growth of Rs.5,387 crore during FY 23-24 and stood at Rs. 27,553 crore as on 31.03.2024.

**Self Help Groups (SHGs):** Bank has customer base of 7.10 lakhs Self Help Groups (SHGs) as on 31.03.2024 of which 3.28 lakhs SHGs are credit linked including 2.97 lakhs women SHGs as on 31.03.2024.

**National Rural Livelihood Mission (NRLM):** It is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year Bank has sanctioned amount of Rs 6,023.81 crore to 1.04 lakhs SHG's.

**Star Krishi Vikas Kendra (SKVK) -** Presently, 150 SKVKs are functional in 62 Zones across all 13 FGMOs. SKVK disbursed Rs.13,757 crore in last FY 2023-24. In addition to this, 111 Agri Desks are operationalized in SMECC/UC for focused & quality growth in agriculture.

**Lead Bank Scheme:** The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Odisha (2). The Bank is convener of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the state of Jharkhand.

## 6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model.

### PMJDY and Social Security Schemes:

During the FY (23-24), 17.15 Lakh PMJDY account has been opened. Bank has also actively participated in Social security schemes launched by Govt of India. During the year (2023-24), Bank has covered 77.73 Lakh account under PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) and 9.38 Lakh account has been covered under PMJJBY (Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana) in this period. 7.10 Lakh new APY subscribers (Atal Pension Yojana) have been enrolled by the Bank in FY 2023-24.

### Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)

Star Hawker Atamnirbhar Loan (SHAL)-PMSVANidhi has been launched in June 2020 to provide hassle free Working Capital Demand Loan up to 10,000/- repayable in 12 EMI to Street Vendors under Tranche I. Second Tranche under PMSVANidhi for those street vendors who have repaid/ repaid their 1st PMSVANidhi Loan. Under Tranche II, WCDL up to Rs 20000/- (Minimum Rs 15000/-) provides to street vendors and it is repayable in 18 months installments. Under Tranche III, WCDL up to Rs 50000/- (Minimum Rs 30000/-) provides to street vendors and it is repayable in 36 months installments.

Till 31/03/2024, we have sanctioned 5.99 lakh cases (97%) and total disbursed 5.93 lakhs (99%) out of 6.18 Lakhs applications received.

### PM VISHWAKARMA

PM VISHWAKARMA is launched on 17.09.2023 for the artisans and craftspeople, who work with their hands and tools, are usually self-employed and part of the informal or unorganized sector of the economy are referred to as 'Vishwakarmas' and are engaged in occupations like Blacksmiths, Goldsmiths, Potters, Carpenters, Sculptors, etc. These skills or occupations are passed from generation-to-generation following a guru-shishya model of traditional training, to ensure that are integrated with the domestic and global value chains. It is the goal to offer holistic end-to-end support to the Vishwakarmas (18 traits), i.e. the artisans and craftspeople, to enable them to move up the value chain in their respective trades. The Scheme have implemented by the Ministry of MSME, DFS & Ministry of Finance. MoMSME is the Nodal Ministry for the Scheme. PM Vishwakarma is initially implemented for five years up to 2027-28. Loan up to Rs. 1, 00,000/- will be provided at 5% interest rate (fixed) in 1st Tranche, repayable in 18 months. Loan up to Rs. 2, 00,000/- will be provided at 5% interest rate (fixed) in 2nd Tranche, repayable in 30 months. The beneficiary will be eligible for 2nd tranche when first tranche loan is fully repaid. Further, the second loan shall not be granted before six months of the disbursement of first tranche loan. MoMSME will provide interest subvention @ 8% to the Bank as upfront. No loan is sanctioned under PM VISHWAKARMA scheme as on 31.03.2024 by our Bank.

### Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Bank is sponsoring 43 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal to impart training to Rural Youth. During the Financial year 2023-2024 the RSETIs have conducted 1227 training programs and imparted training to 35,448 candidates ensuring settlement of 77.00% (27249) and providing credit linkage to 60.00% (16147) candidates to enable them for gainful employment. All of our 43 RSETIs are graded in "AA" category by MoRD.

### Financial Literacy and credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. Till 31st March 2024, total 18.67 Lakh needy distressed people were given counseling.

### Centre For Financial Literacy (CFL): Pilot Project

In terms of communication dated December 10, 2020 from RBI, we have been advised that RBI had announced expanding the reach of CFL to every block in the Country in

phased manner by March 2024. We have been associated as one of the sponsor bank since initial implementation of CFL Pilot Project which stands scaled up w.e.f. 01.12.2021. We were entrusted responsibilities for sponsoring of 106 CFL in first phase and 45 CFLs in Second Phase (w.e.f. December,2022), funded from Depositor Education and Awareness (DEA) / Financial Inclusion Fund (FIF) with some portion to be funded by sponsor bank. Accordingly, we have opened / scaled up 151 CFLs in five States (Jharkhand, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh & Uttar Pradesh) in collaboration with RBI Identified Five NGOs from 1st December, 2021. Put together, all 151 CFL have conducted 1, 27,265 camps and total 40, 94,692 distressed people have been counseled up to 31.03.2024.

**Regional Rural Banks:**

Post amalgamation, we are sponsoring 3 RRBs, Aryavart Bank (AB),- in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh Gramin Bank (MPGB) in Madhya Pradesh and Vidharbha Konkan Gramin Bank (VKGB) in Maharashtra state, covering 82 districts with a network of 2554 branches as on 31.03.2024. All these sponsored RRBs are managed by the Chairmen deputed from Bank of India and the performances are being monitored by General Manager FI & RRB (Div.) from Head Office. All three RRBs Branches and Administrative offices are on CBS platform with system generated report facility. These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platform. All our RRB have a combined business mix of Rs.1, 04,765.80 Cr as on 31.03.2024.

## 7. INTERNATIONAL

The Bank has 22 Overseas Branches, 1 Representative Office at Jakarta (Indonesia), 4 Subsidiaries, 1 Associate/ Joint Venture, all spread across 15 countries in 5 Continents of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 15.21% as on 31.03.2024.

Overseas Subsidiaries and Associates:

i) PT Bank of India Indonesia Tbk

ii) Bank of India (Tanzania) Ltd

iii) Bank of India (New Zealand) Ltd

iv) Bank of India (Uganda) Ltd

v) Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB) - Joint Venture

## 8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio is essential in order to maintain and improve the asset quality of the bank and minimize credit risks. The main objective of Credit Monitoring is to ensure Compliance of sanction terms and end use of funds. It has to further ensure that the credit assets remain in standard category, endeavor made for up-gradation of identified stressed accounts/watch list accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts from performing to non-performing. The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness / potential default/delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively.

**Tools for efficient monitoring & control process:**

**Early Warning Signal:**

A fully tech based EWS solution is implemented in our Bank since August 2020. Our EWS is fully automated solution with in built well defined work flow. Alerts are generated based on both internal (CBS and Rating Data) and External Data (MCA, CIC etc). The alerts generated helps the Bank for identifying incipient weakness and initiate proactive timely remedial measures. The solution helps the Bank in early identification of Fraud in accounts (if any). This solution also enables the branches for close monitoring of accounts. At present EWS alerts are being generated in the accounts with exposure above Rs. 1.00 crores and the same is being proposed to generate for accounts with exposure above Rs. 25.00 lakhs during the Current Financial Year.

**Credit RFA/Fraud examination:**

As per DFS directive, all NPA accounts of Rs.50 crores & above should be simultaneously be examined for fraud angle. And hence, department is mandatorily examining all the NPA accounts of Rs.50 crores and above for fraud angle. Further, the accounts wherever EWS indicates something suspicious, is immediately examined to Red Flag and thereafter, the process of fraud examination is initiated for decision within the regulatory timeframe.

**CRILC Reporting:**

Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularization, restructuring etc. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs.5 crores and above are reported to RBI on CRILC platform on weekly/ monthly basis.

**System Asset Classification (SASCL):**

A predictive program in identifying the probable slippages showing overdue of more than two months period based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/ QIS statement over three months insufficient/ no credit in CC accounts etc. This may cause downgrading of accounts if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticals for containment of downgrading of standard assets. A new SASCL format has been devised which is more user friendly and will provide more focused information to the field. Going forward, we propose to reduce the predictive SASCL period to one week at first instance and are planning to move to daily generation of SASCL and marking of NPA during the Current Financial Year.

**SMA Monitoring:**

Apart from SASCL, Focus will shift to SMA monitoring this year. Branches will be disciplined to start monitoring SMA 0 accounts so that the remedial actions can be taken at initial steps and the concerned account do not move further to SMA 1 or SASCL. We plan to push SMA data to branches directly instead of NBGs (present practice). It is observed that nearly 50% of SMA is contributed by Retail Loans and hence our Department is following up for registration of ECS / eNACH mandate in the legacy accounts.

**Zonal Collection Centre (ZCC):**

Zonal collection Centre (ZCC) was formed in August 2023 in all the Zones. The primary objective of the ZCC is to focus

on reduction of SMA with other matters of credit monitoring to be carried out by other officials in CrMD of the Zones. The ZCC will be responsible for SMA account of Rs. 25 lakhs and above, with target of roll back of SMA to regular category.

They are required to educate and counsel the borrowers regarding consequences of account moving to SMA category with emphasis on deteriorating credit scores and lesser power to negotiate loan amount and interest rates. ZCC members are also required to insist on the borrower to pay the entire overdue and the critical amount. Prompt repayment will lead to better credit scores and ability to negotiate for better rate of interest. ZCC members should also insist the borrower to shift their primary operative account to our Bank. They should also insist for takeover of business accounts of retail borrowers;

If the borrowers are not able to shift their primary operative account to our Bank, the ZCC members should obtain ECS/ NACH/e-NACH

For accounts with exposure less than Rs. 25.00 lakhs, the main responsibility of follow-up lies with the Branch, however, if necessitated, they are permitted to avail the services of ex-Staff and BC's and suitable instructions were given to the filed functionaries for the same.

**Collection Management System (CMS):**

We have already implemented Collection Management System, which will help us in managing SMA/DNPA portfolio by providing Digital Platform to Branch officials. Following are the scope of work for the proposed solution:

1. SMA Risk Gradation
2. SMA/DNPA account list with all relevant information like overdue amount / address / Contact Details etc.
3. Tracking of SMA movement (Roll Forward / Backward)
4. Updating of Collection actions & Customer response, including Promise to Pay (PTP)
5. Visibility of past communication
6. Pushing of reminder SMS/IVR/email to the borrower
7. Suggestive corrective action
8. Integrated with Call Centre to capture customer response through outbound calling
9. Geo tagging & Suggested next visits based on field officer location
10. MIS for Branch/ZO/FGMO/HO for better monitoring

**Credit Process Audit (CPA):**

Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms / covenants, where in the disbursing officer, before parting with the Banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities. Now, CPA is Finacle integrated to monitor in real-time.

**PSRS Scrutiny & Certificate:**

PSRS is an important tool to evaluate and ensure the quality of sanction/ appraisal which has a bearing on the asset portfolio and in turn a healthy bottom-line of the Bank. We also timely conduct Post Sanction Review System Scrutiny for all Accounts with exposure of Rs. 5 lakhs and above in respect of sanctions accorded at FGMO level and also ensure that this exercise is conducted at FGMO and Zonal level.

**Credit Inspection:**

A system of review of Accounts through credit inspection has been put in place for review of Accounts with limit of Rs. 5 Lakh.

**Stock Audit:**

We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is presently applicable to standard advance accounts having working capital exposure of Rs. 5 crore and above. It is required to be conducted annually. Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele / Video conferencing.

A new menu for stock audit (STKADT) has been developed in Finacle for stock audit MIS, which will enable us to get timely information about the status of Stock Audit in any applicable account.

**Daily marking of NPA**:

The Banks has migrated to daily marking of NPA w.e.f. 15.04.2021 to have more transparency in identification of NPA & for compliance of regulatory guidelines.

**Monitoring of Restructured Accounts (RFCRS portfolio):**

To guard the asset quality of accounts restructured under RFCRS, a dedicated team is formed at Head Office, NBG and Zonal Office level, which ensures close monitoring of RFCRS accounts. Apart from the same, SMS are being sent from HO level to all RFCRS borrowers including the DNPA borrowers.

**Reminder calls from Call Centre:**

A dedicated team of 50 people employed at our call Centre is working for Monitoring of advances. They are engaged in outbound calling for SASCL & SMA borrowers.

**Agencies for Specialised Monitoring (ASM):**

As per IBA guide lines ASM (Agencies for Specialised Monitoring) is appointed in accounts having total Banking exposure of above Rs. 250 Crores and accounts with exposure of a specialised nature except in some exempted category accounts like Navaratna Accounts and PSU / Government Guaranteed accounts. We are also engaging services of ASM in stressed accounts wherever required.

**IRAC&P Automation:**

RBI vide their Circular No: RBI/2020-21/37 Ref No: DoS. CO.PPG./SEC.03/11.01.005/2020-21 dated 14.09.2020 advised all the Banks to put in place and upgrade their Systems by 30.06.2021 to fully automate the processes for identification, Income recognition, Asset classification of advances / investments as NPA / NPA, provisioning and generation of related returns. Accordingly, we have initiated steps to implementation of Automation of IRAC&P Norms in our Bank.

**Introduction of in-house MIS System - BOI-Pulse:**

With the support of HO IT & MIS, we have introduced in-house reporting system (BOI-Pulse) to avail the daily position of SMA & DNPA data on daily basis to the field functionaries. In addition to this information pertaining to our Department, seventeen reports were made available in the module viz., Latest SMA, Repetitive SMA, Valuation Expiry, Stock Statement Expiry, Review Expiry, Future Demands in TL/DL etc., to enable the FGMS / Zone / Branches to take benefit of readymade information for their effective monitoring of advances.

**Introduction of Collection Management System Portal:**

CMS Portal is implemented to enhance collection monitoring in SMA and DNPA accounts. The portal is interactive, where user can update recovery status by providing information like Contacted, Promise to pay (PTP) Date, PTP Status, remarks and uploading field visit report.

**Collection in SMA account through Pay-link**: To strengthen our Recovery in SMA accounts, Bank will share customized Pay-link in Reminder SMS to the SMA borrower to make instant payment through multiple payment channel. This facility will enable our SMA borrower to make Payment in their loan account by debiting accounts maintain with other bank

**Other monitoring tools:**

➢ Centralized monitoring of Pre-disbursement & post disbursement covenants implemented for strengthening Compliance level.

➢ Policies are in place for Red Flagging of accounts on observance of EWS & examination of Fraud angle within a specified timeline in terms of regulatory guidelines. Prompt reporting is ensured once account is declared fraud, in RBI's CRILC platform.

➢ SMS & IVR are being sent to SMA borrowers and CC/OD & TL borrowers for repayment intimation. In addition to this, SMS are being sent in vernacular languages as well.

➢ Separate list of account where review is overdue for more than a month and where stock statement is due for more than a month is being provided to branches on a monthly frequency for aversion of technical slippages.

## 9. NON-PERFORMING ASSETS

(Rs. Crore)

| Parameter | Mar'23 Actual | Mar'24 Actual |
|---|---|---|
| Gross NPA | 37,686 | 29,183 |
| Net NPA | 8,054 | 6,845 |
| Gross NPA% | 7.31% | 4.98% |
| Net NPA% | 1.66% | 1.22% |

- On Y-o-Y basis Gross NPA improved by 22.56% in absolute terms whereas GNPA% improved by 233 bps (from 7.31% to 4.98%). The targeted GNPA% for FY25 is below 3.5%
- Net NPA improved by 15% in absolute terms whereas NNPA% improved by 44 bps (from 1.66% to 1.22%).
- Cash Recovery & upgradation % as of opening GNPA has improved to 16.73% for FY24 against 15.86% for FY23.
- During the FY24, 98% of cash recovery (Rs.1467 Crore) achieved in written off accounts against the target of Rs.1,500 Crore.

**Strategies to improve Recovery:**

➢ To achieve the corporate mantra of *"Recovery to be double the Slippages"* various campaigns viz. "Star Intensive Recovery Day" , "Branch Adalat", "Summer OTS Campaign", "Krishi Rin Samadhan Abhiyan", "Foundation Day Recovery Campaign" have been launched during the FY24. "Mission Samadhaan", Mission 4K" and "Samjhauta Day" campaigns have been launched so far in current FY.

➢ CGTMSE – FY 2023-24, total 4202 2nd claims settled resulting total NPA reduction is Rs. 317 Crore.

➢ Upon launch of non-discretionary and non-discriminatory policy the recovery at field level has increased with resolution in NPA accounts. To facilitate OTS approvals, special OTS schemes viz. Star Sanjeevani and BOI OTS 2024 have been re-launched for current FY 2024-25.

➢ End to end e-OTS module based on STP process, is under process.

➢ Campaigns have been launched with focused recovery in OTS entered accounts, the milestone recovery, for complete settlement of OTS in time bound manner.

Initiatives:

➢ E-Auction – Mega E-auctions are conducted on monthly basis. Total 530 properties sold involving amount of Rs. 300 Cr during FY 2023-24.

➢ RA/EA/BC Engagement – Empanelment and maximum utilization of Recovery Agents (RA)/ Enforcement Agents (EA)/ Business Correspondent (BC).

➢ PDA Appointment – PDA engagement for unencumbered property.

➢ Sale to ARC is explored.

➢ e-OTS processing for small values accounts up to Rs.25 Lakh, as part of EASE initiative.

## 10. TREASURY

Forex Business: The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 4 satellite dealing rooms situated at New Delhi, Ahmedabad, Chennai and Kolkata and one centralized back office in Gift city (Ahmedabad) so as to provide better services to the customers. During the financial year 2023-24, Merchant and Interbank turnover was Rs.1.26 lakh Crore and Rs.59.01 lakh Crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was Rs.60.27 lakh Crore. The Treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks in all the exchanges. During the Financial Year 2023-2024, Bank's Turnover in Currency Futures was USD 73.41 Bn. The Bank was awarded as the

Top performer in Currency Future (Banks) segment by BSE for FY 2022-23.

**Treasury Operations & Investments:**

Bank continued to play an active role in all segments of the market – Money market, Forex, Bonds and Derivatives 2023-24. Bank has maintained a higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 18.00% of NDTL from time to time to ensure that sufficient liquidity is available by the way of borrowing against excess SLR from Repo/TREPS windows. As on 31.03.2024 the gross SLR investments were Rs. 1,75,301.46 Crore (78.86% of total Investments) and Non-SLR investments stood at Rs. 46,967.37 Crore (21.14% of total investments). The Non- SLR investments also includes Recapitalisation bonds of Rs.24,699 Crore. M-Duration of SLR AFS portfolio stood at 2.81% as on 31.03.2024 against 1.21% as on 31.03.2023. M-duration of Total AFS portfolio as on 31.03.2024 stands at 2.65%. In concurrence with the Green initiatives taken by Government of India, RBI had issued notification for sale of Sovereign Green Bonds. As on 31.03.2024 the Treasury branch has investment exposure of Rs 837.61 Cr in Sovereign Green Bonds. All the investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

## 11. INFORMATION TECHNOLOGY:

1. **Website**

Bank of India has its Corporate and Global Website (12 Foreign Centers) with the latest Technology in the market with respect to look and feel, user experience with improved and enriched customer journey.

Designed to be responsive and developed keeping in mind the current user trends with proper structured menus to provide easy navigation.

Enriched with Google Analytics to capture the behavior of customer and to provide the better services to the customer.

Corporate Website is currently available in 12 Languages (Hindi, English and Marathi, Bengali, Tamil, Telugu, Odiya, Gujarati, Malayalam, Urdu, Kannada and Punjabi)

2. **Intranet Portal (Stardesk):**

We have revamped the Intranet Portal - Stardesk along with sub-portals, which will not only be enriched with better look and feel but also have enhanced features and state-of-the-art technological capabilities. New Portal being built on Liferay Digital Experience Platform (DXP) enables Code Independent Content Management System, device agnostic design and greater flexibility to cater to any complexity of customizations. New age Portal serves many advantages such as Ease of management, enhanced security and scalability, advance search along with easy integration facilities. It further augments user experience by better document management, audit and logs, watermarking, interactive features, inbuilt document reader and media player.

3. **Intelligent Process Automation (IPA):**

Intelligent Process Automation (IPA) aims at optimizing Bank's operational efficiency by automating manual, repetitive tasks within the Banking system and Banking operations using technologies such as Robotic Process Automation(RPA), Machine Learning(ML), Natural Language Processing(NLP), Smart Workflows, Cognitive Agents, APIs, Intelligent Document Processing (IDP) and other hyper automation tools. By strategically implementing automation solutions, the Bank aims to streamline operations, enhance efficiency, optimize resource allocation, increase accuracy, freeing up human resources to focus more on strategic and value added activities, and remain at the forefront of technology advancements within the banking industry, enabling it to deliver superior services and maintain a competitive edge.

4. **Account Aggregator Framework**

The Account Aggregator Ecosystem is consent based data sharing mechanism that helps an individual securely and digitally access and share information from one financial institution they have an account with to any other regulated financial institution in the AA network.

It helps the Lenders\Service Providers to leverage on Digital data acquired with the consent (Sahamati) from the Customers eliminating the need of physical documentation .Data cannot be shared without the consent of the individual.

AA framework was made live with M/s Anumati, NADL, FINVU, CAMS and OneMoney.

## 12. DATA ANALYTICS :

1. **E-Platform Project:**

Bank has launched Project E-Platform in April 2021 for Straight through Origination and Processing of all Banking Products (Assets & Liability products) including third party products.

Journey so far –

a. E-Platform Phase 1 implementation consists of 20+ products. MSME, Retail, Agriculture KCC, Credit Card and self-Onboarding Saving Account Digital journeys are launched.

b. E-Platform Phase-2 implementation is under underway. 17+ products of MSME, Retail and Agriculture are laun:ched.

c. Fintech Collaboration - Video KYC, Bank Statement Analysis, ITR Analysis, Bureau, name match, e-KYC Verfication, CBS, Fintech services are integrated with e-Platform LOS for end to end digital to end digital journey.

d. Integrated CRM Next Solution is launched with end to end Lead Sourcing & management, Collaboration, Service Management/ Complaint management, Customer 360, Integrated Campaign management and Sales performance. Mobile Application for lead

sourcing is in implementation phase.

e. Lead Management Portal is made live for all the branches/offices of BOI with customer facing sources, BOI web Site, BOI E-Platform, BOI Customer Care, SMS, Missed call, Analytics, Maruti Portal (tie-up arrangement), National portal, Social Media, Business Correspondent, CIBIL, Whatsapp, Chatbot, Internet Banking, Campaign, Universal Application, IVR, Call Center.

f. Complaint Module, Customer Grievance Portal made Live with real time update of complaints (as and when status updated). Service Request can also be lodged using this portal. Bank has made available the common service access, complaint access with real time update in Digital Mode. Also other self-service flows are in pipeline.

**2. Building of Advanced Analytics capabilities and Data Governance practices:**

Bank is building advanced analytics, governance and reporting/ dashboarding capabilities with state of the art technologies, including Data Governance solution, Business Intelligence Platform, Data Quality solution, Data Lineage solution, Data Catalog solution and Distributed Computing Platform for Advance Analytics work load. Bank is also developing some of the business use cases using GenAI technologies.

| Model Name |
|---|
| Home Loan TakeOver |
| Home Loan Top-Up Model |
| MSME Pre – approved Letters |
| Third Party Non Life Insurance |
| PL to Salaried and Non – salaried Customers |
| Third Party Mutual Fund |
| Customer Retention Model |
| CLTV – For Churn Customers |
| Pre-approved Personal Loan |
| Pre – closed TD model |
| Customer Churn Prediction Model |
| Home Loan |
| Vehicle Loan |
| Next Best Action/Product |
| MSME CCOD Renewal |

**3. Executive Dashboard:**

BOI Pulse is an in-house developed executive dashboard portal designed to visualize figures related to Advances, Recovery, Finance, SMA (Special Mention Accounts), Deposits, and E-platforms for authorized users in both tabular and graphical formats, enhancing data comprehension and decision-making processes. It supports granular data analysis by offering insights at FGMO, Zone, and Branch levels.

**4. Other applications developed by In-house team :**

Following applications are developed by bank team of Data Analytics Department:

1. Data Quality: This portal provides HO/FGMO/ ZONE /BRANCH-wise data quality errors at the customer and account levels. It is categorized into Data Quality and Data Monitoring sections. This portal enables branches to view respective error types, facilitating timely error rectification. Bank received award for improvement in Data Quality from CIBIL.

2. BOI Lakshya: This portal helps zones assign budgets to their branches across different parameters. It enables HO and FGMO to monitor branch budgets in real-time, enhancing efficiency and accuracy in budget management.

3. Centralised Information Management System (CIMS): Reserve bank of India (RBI) has developed its next-gen data warehouse named Centralised Information Management System (CIMS) thereby changing the return submission mode from existing submission to system-to-system. As per instructions from RBI, w.e.f 26-12-2023 all bank's returns identified by RBI are now flowing from CIMS system via STP. Under CIMS all returns which were earlier being submitted to RBI are to be submitted through CIMS via straight through process (STP) in XBRL Format/Non-XBRL formats. These returns are submitted end to end via Straight through Process without any manual intervention All Non XBRL returns are developed by bank team and for XBRL returns bank team is providing technical support for timely submission of returns to the regulator.

## 13. DIGITAL BANKING DEPARTMENT:

The Digital Product base as on 31.03.2024 is as below:

| Product | As on 31.03.2024 |
|---|---|
| Total Credit Card | 75,579 |
| Merchant Acquiring (POS + BHIM Aadhaar) | 43,791 |
| UPI based QR | 10,92,195 |
| Mobile Banking* | 33,67,449 |
| Internet Banking | 88,78,660 |
| UPI | 1,87,79,341 |

* 33,67,449 mobile banking users are on boarded on our new mobile Appl, Omni Neo Bank as on 31.03.2024. Our old mobile App which had around 88,99,013 users was discontinued from 23rd February 2023.

Planned launch of products in FY 2024-25

- Implementation of E-com Transactions for RRBs: We have initiated implementation of E-com transactions for all our three RRBs.

- Bharat Credit Card: We are introducing a New variant “Bharat Credit Card” for Bank’s mid segment customers. Offers in these card have been included, based on the Merchant wise spend analysis in debit and credit cards. Benefits includes, Rs.250 off on purchase of min 2 tickets on Book my Show, per quarter discount vouchers of Rs.250 from Amazon/ Flipkart, per quarter Big Basket/Blinkit discount voucher of Rs.250, Swiggy Lite 3month plan, lounge access (4 Domestic & 2 International) and Insurance coverage upto 2 Lakhs
- RuPay MSME Credit Card: Bank is in process to launch MSME Credit Card in Rupay Scheme for MSME Customers with premium offers. Offers includes, 10 % off upto INR 1500 on Flight Booking for Make my Trip, Amazon Prime Annual subscription, Swiggy-One Lite 3 month membership, 8 Domestic lounge access and Insurance coverage upto 10 Lakhs
- Credit Card linking in UPI: UPI Payment via Credit Card for making easy, instant and safe Digital Payment transactions. Linking of Credit Card instead of account in any UPI App.
- Updating Balance in NCMC wallet using BOI Mobile Omni Neo Bank
- Aadhar Vault Implementation with BHIM Aadhar Application : “BHIM Aadhaar Pay” is the merchant version of Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) which enables merchants (Individual or Sole Proprietor having Aadhaar Number) to accept payment from the Customer having Aadhaar enabled account using his/her Aadhaar number and Biometrics after authentication from Unique Identification Authority of India (UIDAI)
- Sound box QR Code: In order to provide real-time audio credit confirmation for UPI payments made against the BOI BHIM UPI QR Code, Bank is introducing Portable Sound Box System for BOI BHIM UPI QR Merchants. The Portable Sound Box System will notify the merchant for each successful UPI payment made against the BOI BHIM UPI QR code
- Pre-Sanctioned Credit line on UPI: This provide a simplified user interface to UPI credit users. Can leverage UPI functionality such as AutoPay, one time mandate etc. UPI merchants can now accept UPI credit based transactions.

New Initiatives Implemented – FY 2023-24

- **BOI Omni Neo App**

  BOI MOBILE OMNI NEO BANK is BOI’s digital banking platform which shall be accessible to customers from new mobile and internet banking. It is Omnichannel. (i.e. All the actions done in App will also get reflected in IB and vice versa. Both IB and App have same features and functionalities). It clubs together all the products and services such as Savings, Deposits, Loans, PPF, SGB, SSY, FRSB, NPS, Mutual Fund, ASBA-IPO, Insurance etc. into a single platform. Key features- Biometric and Face ID Login, Transactions through ChatBot, Simple UI/UX, Fund Transfer using IMPS, UPI, RTGS & NEFT, Schedule payments and Recurring payments, Manage Transactional Rights, Recharges and Bill Payments, Pull funds from other linked accounts.

- **UPI Lite X**

  UPI Lite X (Offline - using Near Frequency communication) is a new variant of UPI Lite for transacting in offline mode with “on device wallet”. Once any phone comes into the network the balance updated with the live wallet.

- **e-BG**

  Digital Document Execution of the Bank Guarantee will be done through NeSL platform. A copy of the e-stamped & e-signed Bank Guarantee will be sent to the beneficiary directly by NeSL on real time basis eliminating the physical delivery of the document

- **e-NACH**

  We are now live on e-NACH platform which facilitates error free paperless ECS mandate registration in loan accounts for EMI recovery from salary/operative account of customer maintained with other banks. The facility can also be provided to our Corporate/ HNI customers to facilitate them for doing recurring collection from their clients.

- **Regional Language implementation at ATM**

  We are implementing Regional Language option in ATM screen along with English & Hindi. In addition to Hindi & English, 8 Regional Languages will be available.

- **ICCW (Interoperable Cardless Cash Withdrawal) :**

  Facilitate bank’s customers who are live on UPI, to withdraw cash from any participating banks’ ATMs without using their card. We are already live as both issuer and acquirer.

- **BOI EarthSmart Debit Card**

  We are introducing **BOI EarthSmart**, our revolutionary line of recycled plastic debit cards. We have harnessed cutting-edge technology and innovation to create debit cards made from 100% recycled plastic. We are initially launching RuPay Select and Platinum variants of EarthSmart Debit Cards.

- **Contactless Debit Card facility for RRBs**

  We are enabling contactless Debit Card facility through Cortex for all our three RRBs Aryavrat Gramin Bank, Vidharbha Gramin Bank & Madhya Pradesh Garmin Bank. Through these contactless Debit Cards RRB customers can utilize Tap and Pay facility for payments upto Rs. 5000 as per RBI guidelines.

- **Interoperable Card-based Cash Withdrawal at CRM:**

  Facilitating cash withdrawal for customers of other bank at our CRM. Withdrawal Limits will be in line with regular ATM Cash Withdrawals.

- **Rupay Select Credit Card**

  We are introducing a new Credit Card variant under RuPay Scheme- RuPay Select. Benefits include offers in Book My Show, Swiggy One, Amazon Prime Membership, BigBasket, Health Check up, Insurance

cover of upto 10 Lakh, Loyalty Rewards 2X, Concierge Services 24x7 domestic and internationally.

- **Rupay Prepaid Card & Gift Card**

  We have launched Prepaid card & Gift Card in RuPay Scheme. RuPay Prepaid cards are proposed to provide flexibility to the card holders. The card will be contactless in nature, focusing on retail segment with various in-built features and offers.

- **Credit Card Onboarding through E-platform:**

  Credit card onboarding through e-platform is already live. Credit Card can be on-boarded through Branch and Web channel.

## 14. DIGITAL LENDING

- **E-Platform:** Bank has garnered new business of Rs.15516 crore in FY2023-24 under Digital Lending Products with adoption level of 44%. During the last financial year, Bank has partnered with fintechs for enhancing the experience of digital loan journeys. Bank is utilizing the services for fetching Land records, satellite image based cropping patterns & cropping history for Madhya Pradesh state on pilot run, fetching milk pouring data & income related data for Amul Society for Gujarat state on pilot run, complete straight through journey for KCC Jan Samarth for state of Karnataka, Uttar Pradesh & Maharashtra, digital journey for Solar Rooftop panel under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, e-NWR financing under PM Krishi Upaj Nidhi, digital product for GST based lending, pre-approved personal loans and pre-approved business loans.

  The Digital Lending Department of the Bank intends to go live with 20 new digital products in FY24-25 with the aim to add new business of Rs.30000.00 Crore through digital journeys with adoption level of 60%. Department is also planning to phase out the existing CAPS software by shifting the CAPS products into E-platform. Department is promoting the Digital products on social media emphasising more on generating business through product web journeys. The Marketing team / Digital Lending Champions have been provided with laptops and tablets for quick turn-around for sanctioning loans like Personal loans & KCC loans. This automation shall reduce the turnaround time and provide timely sanction to the customers.

  Zones, SKVK, RBC & Branches are provided regular training sessions on digital products. The support team is setup to reduce the turnaround time for technical issues. Feedback from digital lending champions and field functionaries is noted for improving the the digital ecosystem of the Bank. A separate product team has been setup to provide support to customers to complete the journey of the web products.

- **TReDS Business:** TReDS is an electronic platform for facilitating the financing / discounting of trade receivables of MSMEs through multiple financiers. Bank of India is an active participant on all TReDS platforms and enjoys 7.9% of market share of overall throughput of TReDS business on these platforms during FY 2023-24. Bank's TReDS business outstanding has grown by 94% during FY 2023-24 and stood at the level of Rs. 4142 crores as on 31.03.2024. Further, substantial potential is available to grow our TReDS business as many corporate buyers are still not enrolled or not active on the platforms. Bank's TReDS business is expected to grow at good pace in the CFY.

- **Pool Buy-out:** During the financial year 23-24 incremental growth of 16% recorded over the previous financial year with total disbursement of Rs.1445 crore Presently, we have undisbursed sanctioned limit of Rs.2400 crore for pool buy-out facility. Further, additional business of Rs.4600 crore under process which would double the business growth by the end of the FY 2024-25.

- **Co-lending**: - Presently, department has tie-up with various NBFCs for co-lending under MSME & Retail products. Incremental growth during FY24 is Rs.95 crores (60%) with total disbursement of Rs.186 crores. Total outstanding is Rs.253 crore as on 31.03.2024. We have planned to double the total tie-ups in co-lending with incremental growth of 200% by the end of FY25.

- **Supply Chain Finance**: The product has been revamped and new tie-ups are being explored across the industries. We intend to increase the business under supply chain finance by increasing the tie-ups and on boarding digital sourcing partners the current FY.

## 15. RISK MANAGEMENT:

### Risk and Control:

Bank has appropriate mechanism in place to ensure ongoing assessment of relevant risks on a Borrower Level as well as on a Portfolio level to maintain the trade-off between risks and returns. The Board of Directors of the Bank has an overall oversight of all risks in the Bank with specific Committees of the Board constituted to facilitate focused approach to specific risks. The Risk Management Committee of the Board (R.Com), is the subcommittee of the Board which is the apex body for Risk Management, supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and ORMC (Operation Risk Management Committee).

Risk Management includes process of risk identification, measurement, monitoring, mitigation and reporting of all potential risks, in all activities and products in the Bank. These processes are well elaborated under respective policies viz. on Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Exposure (Bank Exposure & Large Exposure Framework), Asset Liability Management, Foreign Exchange and Dealing Room operations etc.

Bank's Risk Management Framework is focused on full integration of risk management into its operations and culture. The integrated risk management framework starts with a risk management cycle, consisting of several steps: setting up the risk appetite, conducting stress testing, scenario analysis, preparing full scope risk assessment of

all segments. Risks are adequately identified, assessed, measured, mitigated and reported. Risk Management is one of the core focus areas of the Bank. The Bank is working to ensure that it adopts global best practices in all the risk areas. This commitment is being achieved by investing both in people & systems and building an enduring risk culture. Bank deploys various tools and techniques for achieving Risk Management objectives viz. Prudential and internal limits Monitoring, Basel Compliant Credit Rating Models, Active liquidity management, ERM Scorecards, PQI etc.

Credit Rating thresholds were based on the performance of the specific industry/sector. Bank uses different internal Credit Risk Assessment Models and scorecards for assessing borrowers credit worthiness. The Internal Rating Model is recently recalibrated in view of the changing economic environment and evolving business models, to better capture the risk drivers and further strengthen the onboarding & underwriting standards.

In the normal course of business Banks experience various risks viz. Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk and Interest Rate Risk.

**Credit Risk** is the possibility of loss resulting from a borrower's failure to repay a loan or meet contractual obligations. Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk Computation.

**Market risk** is possibility of loss to the bank due to movement in market factors viz. Interest Rate, Foreign Exchange Rate, Equity Prices etc. Bank has adopted Standardized Duration Method (SDM) for Market Risk computation.

**Operational Risk** is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or external events. Operational Risk includes legal risk, but excludes strategic and reputation risk. Bank calculates Operational Risk Weighted Assets through Basic Indicator Approach (BIA). Bank is in the readiness to adopt New standardized approach for computing Operational Risk Weighted Assets, as mentioned in the draft RBI Guidelines. The Bank monitors and manages operational risks on an ongoing basis. Comprehensive set of processes, systems of internal controls, and policies are also in place, to reduce the probability and potential impact of losses from Operational Risks.

**Asset & Liability Management:** Bank has adopted robust ALM Practices to mitigate financial risks resulting from mismatch of assets and liabilities. Effective Assets and Liabilities Management (ALM) is essential for a bank's sustainable and qualitative growth to achieve greater efficiency and profitability while reducing risk. Your Bank's ALM endeavors to strengthen the Balance Sheet by reviewing the market dynamics, picking up signals emanating therefrom, and maintaining regulatory requirements. As a part of commitment for sound Risk Management practices, your Bank regularly reviews its Internal Policies on 'Pricing for Loans & Advances, 'Global Asset and Liability Management', 'Stress Test Policy' to adapt to oscillations in market conditions. Your Bank further undertakes Stress Tests and Reverse Stress Tests to address any risks that may arise as a worst-case scenario. Liquidity for the Bank's domestic banking operations is directly managed at the Head Office. The overseas branches and offshore unit of the Bank independently manage their liquidity requirements with support from the Head Office. Similarly, the Bank's subsidiaries independently manage their liquidity requirements with adequate oversight by Risk Management committee of the Bank. Further, the Bank maintains suitable systems and processes to monitor liquidity requirements in other currencies as appropriate.

Your Bank's liquidity and interest rate risk management framework is guided through a well-defined Board approved Global Asset Liability Management Policy. As part of this process, your Bank has established various Board-approved limits for liquidity and interest rate risks in the banking book. The Asset Liability Committee (ALCO) is a decision-making unit responsible for implementing the liquidity and interest rate risk management strategy of the Bank in line with its risk management objectives and ensures adherence to the risk tolerance/limits set by the Board. ALCO reviews the policy's implementation and monitoring of limits. While the maturity gap, Basel III ratios, and stock ratio limits help manage liquidity risk, Interest rate risk in the banking book is monitored and managed by assessing & acting on the potential impact of interest rates changes on Net Interest Income and economic value of equity. This is reinforced by a comprehensive Board approved stress testing programme covering both liquidity and interest rate risk.

Robust behavioral analysis is certainly the core of effective ALM Management landscape. Behavioral Studies are carried out by your Bank at regular intervals to assess customer behavior to impart proper treatment of non-contractual assets and liabilities and embedded options available to customers, which are used while managing maturity gaps and reprising risk. Behavioral studies are conducted to ensure the proper placement of outflows/inflows in liquidity and interest rate sensitivity statements, which may result from balance sheet exposures like prepayment of Term Loans/Term Deposits, run-off in CASA etc. and Off-Balance Sheet (OBS) exposures like devolvement and invocation in BGs/LCs etc. The assumptions relating to non-contractual assets and liabilities are reviewed periodically, back-tested and revised as per the outcomes of the latest studies. Further, your Bank has the necessary framework and Board Approved policy in place to manage and mitigate intraday liquidity risk.

The stock of High-Quality Liquid Assets (HQLA) and net cash outflows are monitored daily under to ensure the maintenance of LCR as prescribed by the Regulator and Bank's internal Policy benchmarks. Your Bank has implemented the NSFR guidelines of RBI, measuring the long-term resilience of your Bank in terms of liquidity. Your Bank identifies the inherent risks associated with changing interest rates on its Balance Sheet (On/Off) exposures from both short-term and long-term perspectives. For this purpose, the impact of change in the interest rates on Earnings at Risk (EaR) and Economic Value of Equity (EVE) is assessed with pre-defined tolerance limits, enabling the management to initiate appropriate preventive steps in a likely scenario of erosion in NII/ Net Worth. Your Bank constantly strives to ensure adequate monetary policy transmission through its benchmark lending rates. Your Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) monitors and manages Liquidity and Interest Rate risks by modulating the asset-liability mix in the Balance Sheet and recalibrating the pricing of liabilities and assets from time to time. The ALCO, inter alia, regularly reviews

the interest rate scenarios, the growth pattern of liability products, credit growth, competitive advantages, evolving liquidity conditions, adherence to regulatory prescriptions, etc.

Your Bank is measuring and monitoring Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) since June'2023. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) refers to the current or prospective risk to banks' capital and earnings arising from adverse movements in interest rates that affect its banking book positions wherein your Bank compute the impact on Economic Value of Equity and earning (NII) based on the 6 prescribed regulatory standardized interest rate shocks.

The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis which contains assessment / measurement of various risks (Pillar II Risk) along with the pillar I risk, the Risk Appetite of the Bank and appropriate level of internal capital required by the bank in relation to the Banks risk profile. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme unfavorable circumstances. The ICAAP is the process by which the bank ensures that it operates with an appropriate level of capital. It encompasses a large part of what could be considered a complete Enterprise Risk Management (ERM) framework. The ICAAP brings together risk and capital management activities in a form that can be used to support business decisions. Bank also identify the Pillar II risks relevant for the Bank, assess and measure them and suggest the mitigation plan while reporting to risk committee.

In last one and half year the regulation around Climate Risk, Sustainable Finance and ESG has been evolving rapidly. Bank has already identified climate risk as an pillar II risk in ICAAP. Further, as the regulation and governance around climate risk has evolved, Bank's Board has adopted ESG Policy (Environment, Social and Governance) for the Bank. ESG policy include the governance structure for taking the cause ahead and also set deliverables for the various departments in the Bank. The ESG policy outlines the Banks intent to move in the direction of net zero as per the country's commitment and also enable to comply with all the regulatory requirement on ESG & related disclosures.

In addition, Bank has field level Risk Managers at all geographical centers (Zones, Field General Manager Office, and Overseas Branches) to inculcate the risk culture at the field functionary level also.

Bank's Information Risk Management System has clear objective to protect the bank from Information Security risks in the face of acceleration in cyber-attacks and cyber security threat, specifically to financial institutions. Information security department strengthens controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC). Bank has implemented information security tools for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis in order to timely prevent, detect and respond. Advanced security tools like SIEM (Security Information and Event Management), PIM (Privilege Identity Management), DAM (Database Activity Monitoring), WAF (Web Application Firewall), NBAD (Network Behaviour Anomaly Detection), Anti-APT (Advance Persistence Threat) for Web & Email Channels and Anti-DDoS, Data DLP (Data Leakage Prevention) are some of the many security solutions are deployed. Various new security solutions focusing on threat hunting, prevention, detection and response are also put in place. The Bank is ISO 27001:2013 (ISMS) and ISO 22301:2012 (BCMS) certified. Effective brand protection services are put in place to protect Bank's customers from Phishing attacks by way of fake sites. Risk and vulnerability assessment exercises are regularly carried out for all systems with timely remedial activities. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, are conducted across the Bank encompassing staff as well as customers through various channels of learning and communication.

## 16. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION

1. Bank of India is a Corporate Agent for Two Life Insurance companies, Three General Insurance Companies and Three Standalone Health Insurance companies.
2. Bank has adopted Execution model for distribution of Mutual Fund products. In the Mutual Funds business, Bank follows an open architecture thus can enter into multiple tie-up arrangements. Accordingly Bank has entered into a tie-up agreement with various Asset Management Companies to distribute Mutual Fund products.
3. While offering the products and services of Bancassurance & Mutual Fund AMCs, the Bank adheres to the relevant guidelines of RBI / IRDAI / AMFI /SEBI or any other regulator which is binding upon it.
4. The Existing Tie up of the Bank with various Insurance companies under each category as well as with Mutual Fund AMC is as follows:

**Existing Tie-ups:-**

| Sr.No | Products | Tie-up Partner |
|---|---|---|
| i | Life Insurance | 1) Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd.<br>2) LIC of India |
| ii | General Insurance | 1) Reliance General Insurance Co. Ltd.<br>2) Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd.<br>3) Future General India Insurance Co.Ltd. |
| iii | Health Insurance | 1) Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.<br>2) Care Health Insurance Co. Ltd.<br>3) Niva Bupa Insurance Co. Ltd. |
| iv | Mutual Funds | Name of AMCs<br>1) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd.<br>2) UTI Asset Management Co. Pvt. Ltd.<br>3) HDFC Asset Management Co. Ltd.<br>4) Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.<br>5) Franklin Templeton Asset Mgmt. Pvt. Ltd.<br>6) Bandhan Mutual Fund (Formerly IDFC Asset Management Co. Pvt. Ltd.) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 7) DSP Mutual Fund (Formerly DSP BlackRock Investment Managers Ltd.)<br>8) Aditya Birla Sun Life Mutual Fund (Formerly Birla Sun Life Asset Management Co. Ltd.)<br>9) Nippon India Mutual Fund (Formerly Reliance Mutual Fund).<br>10) SBI Funds Management Private Limited |

5. Bank has earned a total Commission of Rs.200.12 crore for FY 2023-24 from various segments as per detail is stated below:

**(Amt. in crores)**

| TPP Segment | Commission Income |
|---|---|
| Life Insurance | 154.76 |
| General Insurance | 23.32 |
| Health Insurance | 17.42 |
| Mutual Fund | 4.62 |
| TOTAL | **200.12** |

## 17. MARKETING & PUBLICITY:

Bank of India aims to increase visibility amongst general public, spread awareness of its products and state of the art services amongst general public, customers & all its stake holders. Publicity & PR activities are implemented across all geographies with an objective to cater all sections of the society by bringing out several advertisements campaigns and communications through various media available viz. OOH including signage, digital hoardings, display at metro train, local trains, bus shelters, railway stations, airports, radio, television, print, digital & social media etc.

Bank has implemented different marketing approaches which are imperative to not only stay competitive but also to foster customer engagement and loyalty. Further, by adopting social media & digital marketing strategies, Bank is able to leverage the potential of online channels to reach out larger population, engage them & to translate the same into business. Marketing, publicity, advertising & public relations help the bank towards sustained brand recall amongst population and the same is considered as an investment in the brand building.

## 18. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING (BPR)

BPR Department works on improving the existing systems and processes in the Bank and on other aspects of change management that include the organizational structure, products, & policies. The major customer centric initiatives taken during 2023-24 are as under:-

**Project works/initiatives during FY (2023-24)**:

1. **Creation of Digital Lending Department**: Digital Lending Department has been created to establish a digital lending framework and provide guidance with respect to the principles and processes to make decisions in the digital lending journey. It will make better customer experience toward our digital loan products and ensure robust growth in terms of sale of digital loan products.

2. **HR Transformation**: A Request for Proposal (RFP) floated to select a Consultant to evaluate the current set up of the Bank and the Strategic Road Map drawn by the bank aimed at Transformation of HR Activities by which the entire gambit of Human Resources Management activities of the Bank gets digitalized. It will improve Bank's efficiency in performance management and target setting by proper utilization of manpower to achieve the Bank's corporate goal and improve customer services.

3. **Rationalization of Service Charges:** Service charges have been rationalized in order to make it customer friendly, promote digitalization and remain competitive with industry trends.

4. **Re-categorization of Indian Branches:** We have revised categorization norms and accordingly re-categorization of branches has been done for ensuring right staffing and ease of customer service delivery.

5. **Fair Lending Practice**: Under the initiative of fair lending practices, we have framed new penal charges and discontinued charging penal interest in all loan products as per RBI guidelines w. e. f. 01.04.2024. The new penal charges are reasonable, competitive and only for the purpose of inculcating a sense of credit discipline among customers.

6. **Revamp / modification of Corporate Credit Structure- Identification of Emerging Corporate Credit Branches (ECCB) –** We have identified 18 branches at potential centers and empowered them to cater to the needs of emerging corporates in their respective areas. It will improve our commitment for best customer services to corporate clients.

7. **Star Paramarsh – Staff Suggestion Scheme to have firsthand operational/practical suggestions from the field:** We have expanded the scheme to cover all ideas & suggestions of staff given at all fora, including at conferences, conclaves, and training centers, for operational efficiency & service effectiveness. Out of 509 suggestions received during the year, 52 have been selected for implementation for better service effectiveness.

## 19. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT:

Legal Department of the Bank acts as support department and provides platform for various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functional departments at Head Office.

Besides attending to referral matters of various NBGs/ Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Information Technology Department, International Department, Treasury Department, Digital Banking Department, Digital Lending Department, Card Products Department, Transaction Banking Department etc. by Drafting/Vetting of documents of various contracts/Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various NBGs/

Zones/LCBs. Deputy General Manager (Law), Head Office is designated as the CPIO of the Bank and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority. The procedure for disposing of application or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other NBGs/Zones on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to NBGs/ Zones on the amendments on Statutes and New Legislations.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Opinion on Share transmission matters of Share Dept.
- Cases against Bank/Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/follow up with Zones etc.
- Consolidation of Lok Adalat data received from NBGs/ Zones
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/decreed cases/Lok Adalat and submission to various authorities like Reserve Bank of India, MOF etc. RBS data.

## 20. COMPLIANCE DEPARTMENT

Bank has an independent Compliance Department which is headed by an officer of the rank of Chief General Manager referred as Group Chief Compliance Officer. The core function of the department is to ensure compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines for both domestic as well as overseas operations. The department is the single point of contact for RBI and ensures smooth conduct of Risk Based Supervision (RBS) as per prevalent SPARC framework.

Bank has a Board approved Compliance Function Policy which is framed as per Reserve Bank of India guidelines and is reviewed & updated annually. The policy gives credence to the following components: i) Governance ii) Compliance Risk Assessment iii) Policies, Procedure and related controls iv) Compliance Monitoring and Testing v) Reporting and Communication vi) Training and use of technology to improve compliance and vii) Regulatory interaction and Co-ordination.

The department has adopted technology in compliance to improve transparency, efficacy, oversight and effectiveness and to deal with uncertainty and manage risks, both known and unknown which can help improve the strategy, performance and offer greater insight for decision making. The Department is also conducting periodic testing exercise to confirm adherence and sustenance of RBI guidelines/ instructions. The number of Compliance testing is in increasing trend year on year and reporting of test results are submitted to Top Management on periodic basis.

The Compliance Department is also overseeing compliance function of overseas establishments which follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas centre/ branch/subsidiary has an independent compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country /host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officer of each overseas branch undertakes monthly compliance testing and submits report to Head Office. To inculcate culture at down the level, field level compliance officers are posted in each zones and Field General Manager Offices (FGMOs) across India under direct reporting line of Group Chief Compliance Officer.

## 21. OFFICIAL LANGUAGE:

The Bank has a well established Official Language Department which ensures implementation of the provisions related to the Official Language Policy of the Government of India and progressive use of Hindi in the Bank. In accordance with the annual programme of the Government of India, for the planned implementation of the Official Language Policy of the Government, the Annual Karya Yojana 2023-24 was prepared by our bank, which was released by Mrs. Anshuli Arya, Secretary, Official Language Department, Government of India. An e-learning module was prepared on the quarterly progress report of the official language which the staff members are passing. For the first time, all the top management group executives posted at the Head Office were trained in the Official Language Workshop. World Hindi Day 2024 and Hindi Day 2023 were celebrated with full enthusiasm. Famous actor Shri Akhilendra Mishra also participated in the seminar organized on the occasion World Hindi Day. On the occasion of Hindi Diwas, many competitions were organized across the bank in which foreign branches also participated. On this occasion, a quiz related to the official language Hindi was organized on the social media handles of the bank in which customers also participated enthusiastically. An exhibition was organized by the Bank in the 3rd All India Official Language Conference (Pune), organized by the Government of India on 14th and 15th September 2023 in which the Star Rajbhasha Kalash was kept on the concept of “Meri Mati, Mera Desh” of the Government of India. In this, Minister of State for Home Affairs Shri Ajay Kumar Mishra, Governor of Kerala Shri Arif Mohammed Khan and other dignitaries put soil brought from different states and trees were planted in the head office with this soil. This event has been greatly appreciated.

In the financial year 2023-24, emphasis was laid on capacity building and better performance of Official Language Officers and keeping this in mind, All India Annual Review Meeting, training program on Kanthasth 2.0 and Advanced level Official Language Workshop were organised. At the All India level, information about the great sons of the country is sent every week in hindi through the “Eminent Personalities Series”. Hindi email competition was organized in the head office throughout the year. “Rajbhasha Shield Competition”

was organized for the departments of the head office and Zones. Many reference literature have also been prepared by the Zones to encourage the use of the official language. Seminars have been organized by the zones on various important topics.

Our Zones and TOLIC have received 9 regional level awards from the Government of India. Also, 31 zones and branches have received awards from TOLIC during the year. Many staff members have also received awards at individual level in All India Interbank competitions and TOLIC competitions. This year the Bank has organized a total of 153 Official Language workshops in which 3812 staff members have been trained. Our Bank is successfully carrying out the responsibility of convenorship of 15 TOLIC as prescribed by the Government. Our 11 offices/branches were inspected by the Parliamentary Committee on Official Language during the year which also included inspection of our Head Office. All inspections were completed smoothly. To ensure the use of official language Hindi, the department promptly translates bank circulars etc. To encourage more work in the official language, the Bank is publishing Hindi magazine “BOI Varta”.

## 22. HUMAN RESOURCES, LEARNING AND DEVELOPMENT:

### A. HUMAN RESOURCES:

Decision making in HR is aimed to be more data- driven to reduce the likelihood of failure and bias. Bank aims to achieve consistency through building capability and continuous learning and development.

- As on 31.03.2024, there were 50,944 employees on the rolls of the Bank. Out of this, there are 27,136 Officers, 18805 Clerks and 5003 Subordinate Staff. During FY 2023-24, Bank recruited 421 Staff Officers in General Banking and Specialist cadre and 275 (19 under compassionate appointment) in Clerical cadre. During FY24-25, the Bank plans to recruit 885 Staff Officers and 335 clerical staff.
- Performance Management System (PMS) has been introduced for achieving an objective assessment of employee performance to enable course correction feedback and action thereof. Budgetary Appraisal and Non-Budgetary Appraisal is being undertaken wherein Target / budget figures are being captured from the FINACLE and compared vis-à-vis actual performance.
- In Succession Planning, endeavour is being made to bridge systematically the gaps of skill shortage in critical areas of Corporate Credit, Credit Monitoring, Recovery, Treasury etc and also in the emerging areas such as Infrastructure Financing and Financial Inclusion, through mapping of competencies vis-à-vis critical roles identified.
- In Talent Management sphere, a focussed Talent Review & Development Process is being undertaken to ensure that the current incumbents and potential employees in these roles will be suitably trained and groomed to assume these roles in time.
- Towards paperless HR, various digitisation initiatives such as Online acceptance of terminal dues applications, complaint handling, Investment dashboard for the management, POSH complaints on BOI – She Box etc. have been implemented.
- Board Approved Policy on POSH (Bank of India Prevention of Sexual Harassment at Work Place Policy) has been implemented to proactively work towards betterment of all employees. Regular Workshops/ Awareness sessions are being conducted for all employees & Senior Executives of the Bank in a phased manner.
- Officers who are interested and are having flair of working in specialized areas like Credit, Risk Management, Treasury etc., are being identified through ‘Star Hunt’ scheme. After selection, such officers are trained in the vertical they are selected for and are posted in identified fields.
- To promote self-learning many courses from identified institutes as well as under MOOCS were included in the Bank’s Capacity Building. Customized training programmes have also been formulated in collaboration with external training institutes like CRISIL, IIBF, CAB Manipal Institute etc. for imparting trainings in areas like Credit, Compliance etc.
- Bank aims to ensure seamless implementation of various HR initiatives like Employee Engagement Survey, Job Family, Succession Planning & Talent Management Process and any other Government directive envisaged in PSB Reforms Agenda for Enhanced Access & Service Excellence (EASE).
- Bank has implemented ‘Bank of India Code of Ethics & Conflict of Interest Policy’ towards ensuring an organization based on ethics and moral values and a work environment free of any kind of bias/ discrimination and harassment.
- Our Bank has concluded employee engagement survey on the theme `Employee Work Life Balance’ to ensure constant and regular growth of all employees and in turn, of our organization.
- We are committed to strict compliance and implementation of Equal Opportunity Policy in our bank towards eliminating all forms of discrimination and ensure that the persons with disabilities enjoy equality, dignity and are empowered and better equipped to perform at par with others.
- HR Transformation project named BOI STAR LIGHT (Leading Innovation and Growth with Human Talent) was Kicked-off in the Bank on 01.03.2024 for which bank has empaneled a Consultant to provide inputs for Transformation of HR Activities in the Bank. Bank intends to be amongst the top PSBs in the areas of tech adoption, digitization, customer experience, employee engagement, profitability, compliance and governance.
- `Mom’s Relaunch Program’ an initiative for returning mothers has been introduced by the Bank which is aimed at providing counselling to staff members who have returned post maternity leave.
- Bank has introduced the `Bank of India Diversity, Equity and Inclusion (DEI)’ Policy with an aim to promote a culture that is inclusive and respects individual dignity leading to improvement in organisational performance

and fostering productivity, innovation and loyalty at the workplace.

- Various HR initiatives have been undertaken by the Bank including introduction of Child Care Allowance of Rs.3000/- per month per child (max. 2 children) for all female employees and eligible Male employees (single parent) for their dependent children upto the age of 5 years; Telemedicine Facility for all serving employees; Women centric initiatives taken under the Transfer & Rotation Policy for Officers.

- As a part of the ESG initiatives, various events were organized during the year ended 31.03.2024:-

  ➢ Talk on the topic `Stress can be Fabulous, Stress can be Fatal".

  ➢ Health Check-up Camp on gynaecology & fertility, skin & hair analysis

  ➢ Breast Cancer Awareness Camp.

  ➢ Eye check-up camp was organized along with a talk on advancement in Eye Care.

- Felicitation of Sportsperson Employees - Ms. Simranjeet Kaur, a renowned Archer and Mr. Niranjan Mukundan, a renowned para-swimmer for their stellar performance at various International and National events.

- Various new modules have been introduced in HRMS such as –

  - ***`MY VOICE'*** : To submit feedback to help in the growth of the bank.

  - ***'Star of the Month'*** : To encourage zeal, initiative taking ability and enhance pro-activeness of employees.

  - ***'HR Ranking'*** : To inculcate a culture of development

  - **'How am I feeling today?'** : To provide a platform to staff to express their feelings.

Compliance with Reservation Policy for representation of SC/ST/OBC/EWS/PwD/Ex-SM:

The Bank is strictly complying with the reservation policy of Government of India. Separate cell for SC/ST and OBC has been set up at Head Office as well as in all Zonal Offices which takes exclusive care in implementing the reservation policy and redressal of grievances related to SC/ST/OBC Employees. EWS reservation in Direct Recruitment was implemented in the Bank since 01st February 2019.

| Cadre | SC | % to total staff | ST | % to total staff | OBC | % to total staff | EWS | % to total staff | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFFICER | 4894 | 18.04 | 2504 | 9.23 | 8129 | 29.96 | 292 | 1.08 | 27136 |
| CLERK | 2858 | 15.20 | 2226 | 11.84 | 5305 | 28.21 | 527 | 2.80 | 18805 |
| SUBSTAFF | 1711 | 34.20 | 603 | 12.05 | 1373 | 27.44 | | 0.00 | 5003 |
| TOTAL | 9463 | 18.58 | 5333 | 10.47 | 14807 | 29.07 | 819 | 1.61 | 50944 |

## 23. LEARNING AND DEVELOPMENT:

Learning and Development Department is overall countrywide in-charge of all the training colleges, all training related activities including capacity building, executive training and coaching. In house talent development and imparting of class room trainings are being taken care of by the Learning and Development Department. Bank has adopted Hybrid mode of training to train its employees. Bank's 7 training colleges have imparted training to 32,500+ employees during the financial year using Hybrid mode. Bank has been using E-Learning modules for enhancing competencies of employees and to equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments, 19,000+ officers have done various e learning modules. To enhance the capabilities of employees, bank has made several collaborations with Training Institutes viz. CAFRAL, CAB Pune, NIBM Pune, IIM Udaipur, ASCI Hyderabad, IDBI Training College Hyderabad, IIBF, IIBM, BIRD Lucknow & Mangalore, NIPFP New Delhi, IRMA Anand, State Bank Academy Gurugram, NIBSCOM Noida, National Forensic Science New Delhi and Gandhinagar, Manipal Global, IMI New Delhi, Datawise etc. As per CVC guidelines, uniform Induction Training Programme of Newly Recruited Officers and also programme on preventive vigilance for newly joined officers and mid-career officers have been adopted by the Bank. Induction training for all the 375 newly recruited officers in 2023 has been undertaken and completed by training colleges.

Another channel of recruitment of Probationary Officers (Credit & IT) in Scale-I has been approved by board. The candidates joining the Bank through this channel, have been given provisional appointment initially and final appointment shall be given after passing Post Graduate Diploma in Banking and Finance(PGDBF). At present 470 (GBO Credit - 327 & IT Specialist – 143) candidates are undergoing PGDBF at an identified institute.

Development Centre was conducted for Scale IV and above (1907 officers) in 2021-22 and IDPs were created. Based on the competencies personalized executive one to one coaching for executives' scale V and above has commenced in September 2023 and will continue till it is completed. The Development Centre exercise for the remaining officers in scale IV and above and newly promoted CMs will be completed in the year 2024-25. EASE directives propel some of the mandatory changes in approach to training especially of top executive grade officers. Under EASE Framework, Government of India is desirous of more involvement of staff by way of Employee Engagement Programs, training in new age technology and grooming of Senior Management by way of personal behavioral coaches. This aspect has begun in and executive one-to-one coaching has begun in our bank since September 2023.

Weekly webinars are conducted on various banking topics by training colleges in the evening hours of every Friday. All training colleges are collectively bringing out monthly magazine, Star Darpan. Other publications like Sandeepani and Vijeta by training colleges are instrumental in the skill upgradation of employees.

Customized trainings are being conducted at knowledge partner's campuses. These trainings include important subjects like Intensive Credit, Leadership Training programme for Women Branch Heads, RBC Heads, SMECC Heads, Star Krishi Vikas Kendra Heads (SKVK), Internal Auditors and Lead District Managers Heads (LDMs). 2600+ participants attended various programmes.

Bank has embarked upon HR Transformation exercise called 'BOI-Star Light' which commenced from March, 2024

and learning related activity/areas are being discussed with the consultant. As regards skill assessment, a new approach is being worked out.

## 24. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

At apex level, Customer Service Committee of the Board is in place for governance which is empowered to evaluate the Customer Service and provides strategic direction, oversight and make decisions for implementation in our Bank.

The Bank has a Standing Committee on Customer Service, which acts as the bridge between the various departments of the Bank and the Customer Service Committee of the Board.

The Bank has adopted Star Sampark (CRM Next) module in line with Complaint Management System as per the regulatory requirement for integration of multiple channels of complaints registration on a common digital platform, for effective monitoring and timely review.

Bank has adopted various Policies including 'Customer Acceptance, Customer Care, Customer Severance and Customer Rights Policy' and 'Customer Grievance Redressal Policy', which are reviewed from time to time as per the directions/ guidelines of the regulatory authorities. These policies are placed on public domain. We have appointed Internal Ombudsman as per the RBI guidelines to review the wholly/ partly rejected complaints and give decision.

The Bank has a full-fledged Call Centre located at two centre viz. Airoli (Navi Mumbai) and Begumpet (Hyderabad) providing 24X7X365 assistance to the existing and prospective customers.

Bank is committed to bring in customer excellence while extending Customer Service of a high order in a transparent manner. Bank obtains feedback from branch visiting customers based on the services rendered by the branches. This enables the Bank to take appropriate decision on different banking products offered by the Bank.

## 25. BRANCH NETWORK & EXPANSION

Bank has a geographically well spread branch network in India and abroad. Bank had 5155 branches in India as on 31.03.2024. In the foreign countries, 22 branches (including IFSC Banking Unit at GIFT City), 4 Subsidiaries, 1 Joint Venture and 1 representative offices keep Bank's presence felt in all times Zones and important financial centers of the globe. During the year 2023-24, Bank has opened 31 new branches out of proposed 32 branches. Composition of Bank's Branch Network is as under:

| Category | 31.03.2023 | | 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | No of Branches | % to total | No of Branches | % to total |
| Metropolitan | 991 | 19.32 | 992 | 19.24 |
| Urban | 829 | 16.16 | 835 | 16.19 |
| Semi-Urban | 1456 | 28.39 | 1465 | 28.41 |
| Rural | 1853 | 36.13 | 1863 | 36.13 |
| Total Domestic Branches | 5129 | 100 | 5155 | 100 |

## 26. DOMESTIC SUBSIDIARY MANAGEMENT DIVISION:

**BOI Shareholding Limited (BOISL):**

Bank has investment of Rs. 6.65 Crore in BOISL, a wholly owned subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL).

**Bank of India Investment Managers Pvt. Ltd. (BOIIM) & Bank of India Trustee Services Pvt. Ltd. (BOITS) (Erstwhile BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd. and BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd.):**

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Investment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 100% stake in BOIIM and BOITS with investment of Rs. 98.10 crore.

**BOI Merchant Bankers Limited (BOIMBL):**

BOI Merchant Bankers Limited was promoted on 31.10.2014 to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs. 10 crore.

**STCI Finance Limited:**

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non-deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding (investment of Rs. 130.10 Crore) is the largest stakeholder in STCI with equity share capital of Rs 380 Crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations in June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

**Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd. (SUDLIFE):**

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life International Holdings, Japan have formed a Joint Venture "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96% (investment of Rs. 132.92 crore), UBI holds 25.10%, and Dai-Ichi Life International Holdings holds 45.94% stake of the Company.

**ASREC (India) Ltd.** was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake (investment of Rs. 27.60 crore), in the equity capital of the company of Rs. 98 crore.

**INVESTMENT / ALLIANCES:**

**National Asset Reconstruction Company Ltd (NARCL)** – IBA has set up of Bad Bank to resolve the NPA issue in Banking Sector. Bank has invested Rs 247.50 Crore in the company with 9.00% holding.

**India Debt Resolution Company Ltd (IDRCL)** - IBA has also set up of IDRCL to provide debt management service to NARCL comprising of sectorial experts and turnaround specialists. Bank has invested Rs. 0.80 crore in the company with 4% holding.

**National Commodities Management Services Ltd. (NCML)** is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of Rs. 3.00 crore.

**SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd.** a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55% equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 2.81% in the company with Rs. 7.71 crore Investment.

**Acuite Ratings & Research Limited (Earlier SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA))** was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank holds a stake of 1.96% in the equity capital with investment of Rs. 0.28 crore.

**OTHER STRATEGIC INVESTMENTS:**

Bank also has strategic investments in SIDBI (Rs. 45.30 crore), Metropolitan Stock Exchange of India (Rs. 27.50 crore), ONDC (Rs. 20.00 crore), NPCI (Rs. 10.00 crore), Invent Assets Securitization and Reconstruction Pvt. Ltd. (Rs.10.00 crore), SBIDFHI (Rs. 5.54 crore), CERSAI (Rs. 2.16 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (Rs. 1.26 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (Rs. 1.11 crore), PSB Alliance (Rs. 2.14 crore), CSC e-Governance services India Ltd. (Rs. 1.00 crore), CCIL (Rs. 0.50 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (Rs.0.15 crore).

## 27. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework such as -

- Devising and managing Fraud Risk Management Framework with board approved Policy supported by Operational Manual & SOPs,
- Timely Reporting of Frauds to Regulators and Board,
- Diagnosis and root cause analysis of fraud cases and implementation of remedial measures and steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies with support from stake-holders departments at HO,
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud by way of Circulars / instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature, at branches,
- Sensitizing staff through short alert messages through tickers / periodical messages through MMS and training/ Video Conferencing on Fraud prevention in coordination with Learning & Development Dept,
- Enterprise wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) encompassing all non-credit delivery channels except cards; which is being monitored through separate solution, has been implemented covering domestic branches and one overseas centre, with CORM approved SOP.
- Working on 'Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) portal managed by LEAs to provide required data in coordination with Digital Banking Department and Freezing of the accounts for blocking further damage to customers,
- Filing of Complaints with Law Enforcement Agencies (LEAs) by branches/ controlling offices.
- Issuance of LOCs as per extent guidelines of IBA (Indian Banks' Association) basing on direction from MHA (Ministry of Home Affairs).

**Highlight during the year:**

✓ Perpetration of **new** frauds reported during the FY 2023-24 is **Rs.131.31 crore** (excluding 7 frauds of Rs.735.39 Crore which are re-reported on re-examination) which shows significant reduction on comparing with frauds reported in FY 2022-23 amounting to **Rs.582.59** crore Seven cases with amount involved Rs.735.39 crore which were de-activated by RBI as per Supreme Court verdict dated 27.03.2023 are re-reported by us during FY 2023-24 after re-examination, complying with Principle of Natural Justice. Hence, excluding these 7 cases, involving amount of Rs.735.39 crore, total amount of fraud reported in FY 2023-24 is **Rs.131.31** crore only.

✓ Internal frauds due to staff involvement was amounting to Rs.15.19 crore in FY 2023-24 which consist of 11.57% of newly reported frauds of Rs.131.31 crore.

## 28 VIGILANCE MANAGEMENT:

Vigilance department is headed by Chief Vigilance Officer for vigilance administration in the Bank under the general superintendence of Central Vigilance Commission (CVC). The vigilance department covers all vigilance related matters of bank's officials in domestic operation, overseas operations, and subsidiaries.

The vigilance administration of three Regional Rural banks sponsored by Bank of India, viz. Vidharbha-Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank and Madhya Pradesh Gramin Bank are also supervised by Vigilance Department.

The Vigilance Department works under Chief vigilance Officer assisted by two Deputy General Managers and other officials having background/experience in the field of operations, investigation and disciplinary matters. For operational convenience, Vigilance Department has stationed one Vigilance Officer in each zone under the direct control of Vigilance Department, Head Office. Concurrent Auditors, working at overseas centres, perform the role of Vigilance Officer for overseas branches.

The Vigilance department deals with all 3 functions of vigilance administration such as, Preventive, Punitive and Surveillance vigilance with the objective of enhancing the level of managerial efficiency and effectiveness in the organisation. Communications covering gist of circulars, guidelines, and instructions etc., issued by the DFS, DoPT, CVC are circulated to field functionaries/offices from time to time along with other related subjects of preventive vigilance.

## 29. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of Regulation 43A of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website –

https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/DDP.pdf/ba6223a7-2777-012c-3ca7-f27b7f718d9a?t=1663666944772



## ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks the financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates, bondholders and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank.


For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**Rajneesh Karnatak**
MD & CEO

Place : Mumbai
Date : 10 May, 2024

## कारोबार दायित्व और धारणीयता रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) के अनुसार कारोबार दायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट हमारी वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक कॉर्नर - कारोबार दायित्व एवं धारणीयता रिपोर्ट के अंतर्गत उपलब्ध है। वेब लिंक निम्नानुसार है:

https://bankofindia.co.in/business-responsibility

## BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT

In terms of Regulation 34 (2)(f) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Business Responsibility and Sustainability Report is available on our website - www.bankofindia.co.in under Investor Corner ➜ Business Responsibility and Sustainability Report. The web link is as under:

https://bankofindia.co.in/business-responsibility

# कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर बैंक के कॉर्पोरेट दर्शन को बनाने, बैंक के लिए मूल्य और छवि निर्माण करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के साथ वित्तीय उद्देश्य को संतुलित करने के लिए बैंक का एक अभिन्न अंग है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बैंक पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और समाज की बेहतरी हेतु योगदान देने के महत्व को समझता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत, जरूरतमंद, वंचित और समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक गतिविधियां/ परियोजनाएं/कार्यक्रम किए गए हैं। बैंक जरूरतमंदों और वंचितों के लिए सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से समाज को वापस देने के दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं में सहायता की है। इन परियोजनाओं को निम्नानुसार विभाजित किया गया है:

1. स्वच्छ भारत अभियान
2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान
3. पर्यावरणीय धारणीयता एवं पारिस्थितिकी संतुलन
4. सामाजिक कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5. आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण
6. स्थानीय सामुदायिक सेवा/सामाजिक गतिविधियां
7. दिव्यांगों की सहायता करना

बैंक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए ''स्टार एंजेल स्कीम'' नामक ब्रांड के अंतर्गत अपनी फ्लैगशिप सीएसआर गतिविधियों को भी जारी रखे हुए है। इस कार्यक्रम में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं की पहली कक्षा में ही पहचान की जाती है तथा उन्हें स्नातक तक उनके शिक्षा संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष रु.1200/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बैंक ऑफ इंडिया ने गरीब एवं वंचित नागरिकों हेतु स्वास्थ्य कैम्प प्रायोजित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता की है। हमारे बैंक ने गरीब मरीजों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों को चिकित्सा संबंधी उपकरण, एंबुलेंस आदि भी उपलब्ध कराए हैं। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक होने के नाते, हमारा बैंक शिक्षा को प्रायोजित कर, शिक्षा संबंधी सामग्री दान कर, दिव्यांगजनों तथा अनाथों को सहायता प्रदान आधारभूत शिक्षा को सहायता प्रदान कर रहा है। तथा गरीबों एवं वंचितों को जीवन जीने के बेहतर अवसरों के लिए कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है।

सीएसआर सिद्धांतों को अपनाकर, बैंक ऑफ इंडिया सतत विकास, हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के साथ विश्वास बनाने और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता और आघात को सहने की क्षमता बढ़ा रहा है।

# CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CSR is an integral part of Bank to balance financial objectives with social and environmental impact to create Bank's corporate philosophy, deriving value and image building for the Bank. As a responsible corporate citizen, Bank is deeply committed and recognizes the importance of contributing towards betterment of society.

Under the Corporate Social Responsibility (CSR) activities, various welfare and social activities/ projects/ programmes are undertaken by the Bank to raise the quality of life for needy, deprived & under privileged sections of the society. Bank is committed to the philosophy of giving back to the society by way of undertaking CSR activities for the needy & deprived.

During financial year 2023-24, Bank has assisted in various CSR projects. These projects are bifurcated as under:

1. Swachh Bharat Abhiyan
2. Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan
3. Environmental Sustainability and Ecological balance
4. Health and Family Welfare including Social welfare
5. Basic Education, Skill development training
6. Local community service/ social activity
7. Supporting differently abled.

Bank is also continuing its flagship CSR activities under brand name "Star Angel Scheme" for promoting 'Beti Bachao Beti Padhao' Abhiyan. In this program, girl students from economically weaker sections are identified in Standard I and selected for extending financial support of Rs.1200/- per annum for meeting their educational expenses up to graduation.

Bank of India has assisted in health sector by sponsoring health camps for poor and underprivileged citizen. Our Bank has also provided medical equipments, ambulance, etc to hospitals catering medical services to poor patients. As a responsible corporate citizen, our Bank has been continuing to support basic education by sponsoring education, donating education materials, extending assistance to differently abled and orphans, and also providing skill training for better life opportunities to poor and underprivileged.

By embracing CSR principles, Bank of India is contributing to sustainable development, build trust with stakeholders, and enhance long term competitiveness and resilience.

# कॉरपोरेट प्रशासन प्रणाली

## प्रशासन प्रणाली संहिता पर बैंक का दर्शन:

बैंक का कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस, दक्षता में सुधार और विकास के साथ-साथ निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में एक प्रमुख तत्व है। बैंक, कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानक प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों और आत्म-अनुशासन में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है और पारदर्शिता, हितधारकों, सरकार और बैंक के साथ काम करने वाले अन्य लोगों के प्रति जवाबदेही के माध्यम से कारोबार संचालन में उत्कृष्ट प्रयास करना जारी रखे हुए है। तदनुसार, कॉरपोरेट गवर्नेंस दर्शन को निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है:

**"नैतिक व्यवसाय प्रथाओं के माध्यम से हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करना"।**

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कार्यान्वयन के मूल में बोर्ड है, जो इस बात की देखरेख करता है कि प्रबंधन कैसे बैंक के सभी हितधारकों के दीर्घकालिक हितों को पूरा तथा इसकी रक्षा कर रहा है। बैंक का मानना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय, अच्छी तरह से सूचित और स्वतंत्र बोर्ड आवश्यक है। बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं का उद्देश्य भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, बीआईएस-कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके अलावा पेशेवर निकायों द्वारा अनुशंसित अच्छी प्रथाओं या भारत में अग्रणी बैंकों / कंपनियों द्वारा प्रथाओं के पालन पर भी ध्यान दिया जाता है।

बोर्ड, कार्यपालकों और अन्य पदाधिकारियों के बीच अंतर-संबंध इस प्रकार से रखा गया है कि इनकी भूमिकाओं का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाए और कॉरपोरेट प्रदर्शन में सुधार हो। बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों और पारदर्शिता का पालन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, बैंक ने व्यवसाय के हर पहलू की निगरानी के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

## बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (राष्ट्रीयकरण अधिनियम) के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। निदेशक मंडल की संरचना राष्ट्रीयकरण अधिनियम के उपबंधों, यथासंशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970, यथासंशोधित द्वारा शासित होती है।

बोर्ड की जिम्मेदारियों में बैंक के समग्र कार्यसंचालन की निगरानी करना शामिल है, जिसमें व्यवसाय के संचालन के लिए नीतियों के अनुमोदन, व्यवसाय समीक्षा, लेखा परीक्षा और जोखिम कार्य की स्वतंत्रता का आकलन करना, त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच, एनपीए प्रबंधन और प्रावधान में सत्यनिष्ठा, नियामक और वैधानिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधनों का समग्र पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं परन्तु यह इतने तक सीमित नहीं है।

बोर्ड ने विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है और इसने बोर्ड की समितियों को विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। बोर्ड तथा इसकी समितियां समय-समय पर बैठक करती हैं।

31 मार्च 2024 तक, बोर्ड में पांच पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् एमडी एवं सीईओ, भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार कार्यपालक निदेशक और छः गैर-कार्यपालक निदेशक (एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष, दो नामिती निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक) शामिल थे, जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। उनका समृद्ध और विविध अनुभव बैंक को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति और उपलब्धियों में मार्गदर्शन करता है।

केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कामगार कर्मचारी निदेशक और अधिकारी कर्मचारी निदेशक के पद वर्ष के दौरान रिक्त थे। केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए श्रेणी के निदेशक और दो अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के पद 31.03.2024 तक खाली थे।

बैंक के मामलों और कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन अध्यक्ष की प्रधानता वाले निदेशक मंडल में निहित है। 14 अगस्त, 2020 को, अध्यक्ष ने अपना कार्यकाल पूरा होने पर कार्यालय रिक्त कर दिया था। भारत सरकार द्वारा 21.02.2024 को नए गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई।

### 31.03.2024 तक, बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

| क्र. सं. | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी | नियुक्ति दिनांक | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की होल्डिंग | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एम आर कुमार, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष और अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (गैर-कार्यपालक स्वतंत्र) | 21.02.2024 | एलवीएफसी, एनआरसी, आईडीसी पीई, जीजीयूसी | - | 0 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, 21.02.2024 से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो विशेषज्ञता का क्षेत्र हो: बीमा। |

| क्र. सं. | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी | नियुक्ति दिनांक | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की होल्डिंग | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | रजनीश कर्नाटक, प्रबंध निदेशक और सीईओ (कार्यपालक) | 29.04.2023 | एमसीओएम, डीपीसी, डीपीसीबी, एसटीसी, एलवीएफसी, आरएमसी, सीएससी, आईटी एवं डीपीडीसी, सीएसी, आईएससी, एससीएचआर, आरसीडब्ल्यूडी, एचवीएनपीए, सीएसआरसी, जीजीयूसी, डीएनसीबीसी | -- | -- | -- | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें 29.04.2023 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद धारण करना है।<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र: बैंकिंग। |
| 3. | श्री पी.आर.राजगोपाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 18.03.2020 | एमसीओएम एसआरसी एसटीसी एलवीएफसी आरएमसी सीएससी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएससी एससीएचआर एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीयूसी | -- | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, 18.03.2020 से पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 29.02.2024 तक के लिए पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने कार्यकाल को 29.02.2024 से 02 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक कार्यकाल बढ़ा दिया है।<br>विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग. |
| 4. | श्री एम. कार्तिकेयन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक) | 10.03.2021 | एमसीओएम, एसआरसी एसटीसी एलवीएफसी आरएमसी सीएससी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएससी एससीएचआर एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीजीयूसी | - | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 10.03.2021 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए था। केंद्र सरकार ने कार्यकाल को 09.03.2024 से आगे 31.03.2025 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया है।<br>विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग |

| क्र. सं. | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी | नियुक्ति दिनांक | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की होल्डिंग | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | श्री सुब्रत कुमार<br>कार्यपालक निदेशक<br>(कार्यपालक) | 21-11-2022 | एमसीओएम, एसआरसी एसटीसी एलवीएफसी आरएमसी सीएससी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एसएचआर एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीयूसी | - | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (ए) के तहत पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 21.11.2022 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो।<br>विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग |
| 6. | श्री राजीव मिश्रा<br>कार्यपालक निदेशक<br>(कार्यपालक) | 01.03.2024 | एमसीओएम, एसआरसी एसटीसी एलवीएफसी आरएमसी सीएससी आईटी और डीपीडीसी सीएसी आईएसी एससीएचआर एचवीएनपीए सीएसआरसी जीजीजीयूसी | - | 1 | 0 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए, 01.03.2024 से प्रभावी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के रूप में नियुक्त किया गया है।<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र: बैंकिंग। |
| 7. | श्री अशोक नारायण<br>आरबीआई नामित निदेशक<br>(गैर-कार्यपालक) | 14.07.2023 | एमसीओएम, डीपीसी डीपीसीबी | - | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा 14.07.2023 से अगले आदेश तक आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त।<br>विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग |
| 8. | श्री भूषण कुमार सिन्हा<br>सरकार नामिती निदेशक<br>(गैर कार्यपालक) | 11.04.2022 | एसीबी डीपीसी डीपीसीबी एलवीएफसी सीएसी आईटीएस और डीपीडीसी एनआरसी एससीएचआर एचवीएनपीए पीई | - | 1 | 0 | बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निदेशक के रूप में नामित, 11.04.2022 से पद धारण करने के लिए, अगले आदेश तक।<br>विशेषज्ञता के क्षेत्र: वित्त |

| क्र. सं. | निदेशक का पूरा नाम, पदनाम और श्रेणी | नियुक्ति दिनांक | बैंक की समितियों में सदस्यता $ | बैंक के शेयरों की होल्डिंग | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी की सदस्यता की संख्या | बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी और एसआरसीबी के अध्यक्षों की संख्या | टिप्पणियां (बैंक/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति की प्रकृति और विशेषज्ञता का क्षेत्र) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | सुश्री वेणी थापर<br>शेयरधारक निदेशक<br>(स्वतंत्र निदेशक) | 04.12.2021 | एसीबी एसआरसीबी एसटीसी एलवीएफसी आरएमसी आईटीएस और डीपीडीसी एनआरसी आईडीसी सीएसआरसी पीई जीजीयूसी | 300 | 4 | 2 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत 04.12.2021 से 03.12.2024 तक की अवधि के लिए तीन साल की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने गए।<br>विशेषज्ञता का क्षेत्र: लेखा परीक्षा |
| 10 | श्री मुनीश कुमार रल्हन<br>अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक<br>(स्वतंत्र निदेशक) | 21.03.2022 | एसीबी<br>एलवीएफसी<br>आरएमसी<br>सीएससी<br>एनआरसी<br>एससीएचआर<br>आरसीडब्ल्यूडी<br>एचवीएनपीए<br>आईडीसी<br>पीई<br>जीजीयूसी<br>डीएनसीबीसी | - | 0 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (h) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रूप में अधिसूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए यानी 21.03.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नामित किया गया है।<br>विशेषज्ञता का क्षेत्र: विधि |
| 11 | श्री विश्वनाथ वी शेनॉय<br>शेयरधारक निदेशक<br>(स्वतंत्र निदेशक) | 29.11.2022 | एमसीओएम,<br>डीपीसी डीपीसीबी<br>एनआरसी<br>एससीएचआर<br>आरसीडब्ल्यूडी<br>आईडीसी<br>सीएसआरसी<br>पीई जीजीयूसी<br>डीएनसीबीसी | 2000 | 1 | 0 | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत 29.11.2022 से 28.11.2025 तक तीन साल की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित।<br>विशेषज्ञता का क्षेत्र: बैंकिंग |

$ समिति के नामों का संक्षिप्त रूप

एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

एमसीओएम - बोर्ड की प्रबंधन समिति

डीपीसी - निदेशक पदोन्नति समिति

डीपीसीबी - बोर्ड की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति

एसआरसी - हितधारक संबंध समिति

एसटीसी-शेयर ट्रांसफर कमेटी

एलवीएफसी - बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए निदेशकों की समिति

आरएमसी - जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति

सीएससी - ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति

आईटीएस और डीपीडीसी - आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति

एनआरसी - निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति

सीएसी - बोर्ड की क्रेडिट स्वीकृति समिति

आईएसी - निवेश अनुमोदन समिति

एससीएचआर - एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति

आरसीडब्ल्यूडी - इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

एचवीएनपीए - उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्ति की निगरानी के लिए समिति

आईडीसी - बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति

सीएसआरसी - कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

पीई - प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/कार्यपालक निदेशकों/महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड समिति

जीजीयूसी - ग्रुप गवर्नेंस यूनिट कमेटी

डीएनसीबीसी - गैर सहयोगी उधारकर्ता की घोषणा के लिए समीक्षा समिति

प्रबंध निदेशक और सीईओ और कार्यपालक निदेशकों के अलावा सभी निदेशक बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक और एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक, सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अर्थ में स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए जाने वाले परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं। कोई भी निदेशक किसी अन्य निदेशक का संबंधी नहीं है।

### वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान और अब तक नियुक्तियां/समाप्तियां:

| क्र सं | नाम | उम्र | नियुक्ति की तरीख | वर्तमान अवधि की समाप्ति तिथि | विशेषज्ञता की प्रकृति | संक्षिप्त प्रोफ़ाइल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रजनीश कर्नाटक, एमडी और सीईओ | 52 | 29.04.2023 | 28.04.2026 | बैंकिंग | श्री रजनीश कर्नाटक के पास 29 वर्षों से अधिक का व्यापक बैंकिंग अनुभव है और उनके पास विभिन्न शाखा और प्रशासनिक कार्यालयों का अनुभव है। वे 21.10.2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे। इससे पहले वे पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने बृहद कॉर्पोरेट क्रेडिट शाखाओं और क्रेडिट समीक्षा और निगरानी, और कॉर्पोरेट क्रेडिट जैसे कार्यक्षेत्रों का नेतृत्व किया है।<br><br>वे यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड, यूबीआई (यूके) लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी थे। वे भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम) गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने आईएएमसीएल (आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) पर बोर्ड ट्रस्टी के रूप में भी कार्य किया। |
| 2. | श्री अशोक नारायण | 62 | 14-07-2023 | अगले आदेश तक | बैंकिंग | पर्यवेक्षी नियामकीय क्षेत्र में लगभग 18 वर्षों सहित 33 वर्षों की सेवा के बाद 2022 में पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बैंकों की कई ऑन-साइट परीक्षणों का नेतृत्व किया और वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के ऑफ-साइट पर्यवेक्षण की प्रगति को भी आकार दिया।<br><br>उन्हें आरबीआई के लिए एंटरप्राइज वाइज रिस्क मैनेजमेंट को लागू करने के लिए सौंपा गया था और उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के लिए ईआरएम आर्किटेक्चर के विकास का भी मार्गदर्शन किया था। उन्हें आरबीआई द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूहों में नामित किया गया था, साथ ही वे निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक के बोर्ड में सदस्य भी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्य समूह (आईओआरडब्ल्यूजी) 2014-16, वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण (2017 और 2018) पर जी20-ओईसीडी टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में और 2019-22 के दौरान वित्तीय स्थिरता बोर्ड बेसल के गैर-बैंकिंग निगरानी विशेषज्ञ समूह की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की टीम (क्रेडिट संस्थानों के लिए) के सह-नेतृत्व के रूप में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया।<br><br>वे 2022 से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में सूचीबद्ध हैं। |

| क्र सं | नाम | उम्र | नियुक्ति की तरीख | वर्तमान अवधि की समाप्ति तिथि | विशेषज्ञता की प्रकृति | संक्षिप्त प्रोफ़ाइल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | श्री एम आर कुमार | 63 | 21-02-2024 | 20.02.2027 तक | बैंकिंग | श्री कुमार मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। उन्होंने मार्च 2019 से मार्च 2023 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वे 1983 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए थे। साढ़े तीन दशक से अधिक के करियर में, उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम के तीन क्षेत्रों, अर्थात दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र का नेतृत्व करने का अनूठा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके मुख्यालय क्रमश: चेन्नई, कानपुर और दिल्ली में हैं।<br><br>कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने कार्मिक विभाग के साथ-साथ निगम के पेंशन और समूह बीमा विभाग का नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल के दौरान, कर्मचारियों के लाभ के लिए कई पहल शुरू की गईं। इसके अलावा, जीवन बीमा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं जैसे प्रशासनिक, विपणन, समूह और सामाजिक प्रतिभूतियों में काम करने से उन्हें जीवन बीमा उद्योग में प्रक्रियाओं और पद्धतियों पर का समृद्ध ज्ञान और स्पष्टता के दोहरे लाभ मिले हैं।<br><br>एलआईसी के अध्यक्ष होने के अलावा, वे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी लिमिटेड, एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी लंका लिमिटेड, एलआईसी (इंटरनेशनल) बीएससी, बहरीन, एलआईसी नेपाल लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष भी थे। आईडीबीआई बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में, वे आईडीबीआई बैंक को घाटे में चल रही इकाई से लाभदायक इकाई में बदलने की रणनीति बनाने में शामिल थे।<br><br>उन्होंने केन्या के केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारत के एसीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी पद संभाला।<br><br>वे राष्ट्रीय बीमा अकादमी के शासी बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय बीमा संस्थान के अध्यक्ष और बीमा लोकपाल परिषद के अध्यक्ष भी थे।<br><br>वर्तमान में वे अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, मेसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड (01.04.2024 से प्रभावी) के बोर्ड में निदेशक और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (01.05.2024 से) हैं। |
| 4. | श्री राजीव मिश्रा | 52 | 01-03-2024 | 28-02-2027 | बैंकिंग | श्री राजीव मिश्रा ने एमबीए, बीई के साथ स्नातकोत्तर किया है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमाणित एसोसिएट हैं। वे बीबीबी और आईआईएम-बैंगलोर के साथ वरिष्ठ पीएसबी प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का हिस्सा थे।<br><br>श्री मिश्रा को डिजिटल, एनालिटिक्स और आईटी, रिटेल और एमएसएमई ऋण और वसूली में 24 वर्षों का व्यापक और विविध अनुभव है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए डिजिटल यात्रा परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें उनके प्रमुख मोबाइल ऐप व्योम का शुभारंभ भी शामिल है।<br><br>श्री मिश्रा ने विभिन्न फ़ील्ड और वर्टिकल में कई नेतृत्व पदों पर अपनी सेवाएँ दी हैं। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इकाइयों जैसे कि मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और वाराणसी के अंचल प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में सफल व्यावसायिक प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने डिजिटल, आईटी और एनालिटिक्स, वसूली और देयता का भी नेतृत्व किया है। श्री मिश्रा काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी और उत्तर प्रदेश सरकार, सिडबी व पीएसबी और यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड द्वारा स्थापित यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड के बोर्ड में भी रहे हैं। |

**सेवा समाप्ति :** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित सदस्यों का निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ:

| क्रं. सं | निदेशक का नाम | श्रेणी | समाप्ति की तारीख | कारण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री सुब्रत दास | आरबीआई नामित निदेशक | 14.07.2023 | कार्यकाल पूरा होना |
| 2. | श्री स्वरूप दासगुप्ता | कार्यपालक निदेशक | 29.02.2024 | सेवानिवृत्ति |

## निदेशकों का पारस्परिक संबंध:

निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

## निदेशकों की समिति की सदस्यता:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के अनुसार इस प्रकटीकरण के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) और हितधारक की संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता और सदस्यता पर विचार किया जाता है।

बैंक का कोई भी निदेशक बतौर निदेशक वर्ष 2023-24 के दौरान 10 से अधिक समितियों में सदस्य के तौर पर या किसी भी सूचीबद्ध संस्थाओं/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया।

बैंक और अन्य सूचीबद्ध/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों में निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण निम्नलिखित है जहां वे 31.03.2024 तक निदेशक थे:

| क्र. सं. | निदेशक का नाम एवं पदनाम | कंपनी का नाम | समिति का नाम (एसीबी/एसआरसी) | सदस्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एम.आर.कुमार (गैर-कार्यपालक अध्यक्ष) | बैंक ऑफ इंडिया<br>अंबुजा सीमेंट कंपनी लिमिटेड | शून्य<br>शून्य | शून्य<br>शून्य |
| 2. | श्री रजनीश कर्नाटक (एमडी एवं सीईओ) | बैंक ऑफ इंडिया | शून्य | शून्य |
| 3. | श्री पी.आर.राजगोपाल (कार्यपालक निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 4. | श्री एम. कार्तिकेयन (कार्यपालक निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 5. | श्री सुब्रत कुमार (कार्यपालक निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 6. | श्री राजीव मिश्रा (कार्यपालक निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 7. | श्री भूषण कुमार सिन्हा (सरकार द्वारा नामित निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया<br>इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड | एसीबी<br>शून्य | सदस्य<br>शून्य |
| 8. | सुश्री वेणी थापर (गैर - कार्यपालक निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया<br>एसजेएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड.<br>योकोगावा इंडिया लिमिटेड | एसीबी, एसआरसी<br>एसीबी, एसआरसी<br>शून्य | अध्यक्ष<br>सदस्य<br>शून्य |
| 9. | श्री मुनीश कुमार रल्हन (गैर- कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |
| 10. | श्री विश्वनाथ वी. शेनॉय (गैर - कार्यपालक निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया | एसआरसी | सदस्य |
| 11. | श्री अशोक नारायण (आरबीआई नामित निदेशक) | बैंक ऑफ इंडिया | एसीबी | सदस्य |

## बोर्ड बैठकों का संचालन:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को 21 (इक्कीस) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2023 | 06.05.2023 | 30.05.2023 | 03.06.2023 | 23.06.2023 | 28.07.2023 |
| 04.08.2023 | 29.08.2023 | 25.09.2023 | 20.10.2023 | 04.11.2023 | 16.11.2023 |
| 25.11.2023 | 08.12.2023 | 20.12.2023 | 24.01.2024 | 02.02.2024 | 23.02.2024 |
| 29.02.2024 | 13.03.2024 | 28.03.2024 | | | |

वित्त वर्ष 2023-24 में बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

| निदेशकों का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | उपस्थिति अभिलेख | अवधि (से – तक) |
|---|---|---|---|
| एमआर कुमार | 3 | 3 | 21.02.2024 से 31.03.2024 तक |
| रजनीश कर्नाटक | 20 | 20 | 29.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| पी.आर. राजगोपाल | 21 | 20 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| स्वरूप दासगुप्ता | 19 | 17 | 01.04.2023 से 29.02.2024 तक |
| एम. कार्तिकेयन | 21 | 19 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| सुब्रत कुमार | 21 | 20 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| राजीव मिश्रा | 2 | 2 | 01.03.2024 से 31.03.2024 तक |
| सुब्रत दास | 5 | 3 | 01.04.2023 से 14.07.2023 तक |
| भूषण कुमार सिन्हा | 21 | 12 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| वेणी थापर | 21 | 21 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| एमके रल्हन | 21 | 21 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| विश्वनाथ वी. शेनॉय | 21 | 21 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| अशोक नारायण | 16 | 16 | 14.07.2023 से 31.03.2024 तक |

## बोर्ड समितियां

कॉरपोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियाँ इस प्रकार हैं:

| क्र. सं. | समिति का नाम |
|---|---|
| 1. | बोर्ड की प्रबंधन समिति |
| 2. | बोर्ड की ऋण स्वीकृति समिति |
| 3. | बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति |
| 4. | हितधारकों के संबंध समिति |
| 5. | शेयर ट्रांस्फर समिति |
| 6. | जोखिम प्रबंधन पर निदेशकों की समिति |
| 7. | ग्राहक सेवा पर निदेशकों की समिति |
| 8. | निदेशकों पर नामांकन और पारिश्रमिक समिति |
| 9. | निवेश अनुमोदन समिति |
| 10. | बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति |
| 11. | आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति |
| 12. | निदेशकों पदोन्नति समिति |
| 13. | मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति |
| 14. | उच्च मूल्य एनपीए और हानि संपत्तियों की निगरानी के लिए समिति |
| 15. | इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति |
| 16. | बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति |
| 17. | अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति |
| 18. | कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति |
| 19. | एमडी और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों और महाप्रबंधकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए समिति |
| 20. | असहयोगी उधारकर्ता की घोषणा के लिए समिति |
| 21. | समूह शासन यूनिट समिति |

### 1. बोर्ड की प्रबंधन समिति :

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते लिखने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। यथा दिनांक 31.03.2024 इस समिति में एमडी एवं सीईओ, 4 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 1 शेयरधारक निदेशक सहित 7 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय-वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नलिखित 26 बैठकें हुई :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2023 | 26-04-2023 | 12-05-2023 | 25-05-2023 | 09-06-2023 | 22-06-2023 |
| 14-07-2023 | 26-07-2023 | 10-08-2023 | 25-08-2023 | 05-09-2023 | 11-09-2023 |
| 25-09-2023 | 13-10-2023 | 26-10-2023 | 10-11-2023 | 28-11-2023 | 12-12-2023 |
| 20-12-2023 | 11-01-2024 | 20-01-2024 | 09-02-2024 | 16-02-2024 | 02-03-2024 |
| 19-03-2024 | 28-03-2024 | | | | |

वित्त वर्ष 2023-24 में प्रबंधन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित है:

| निदेशकों के नाम | संबंधित अवधि के दौरान हुई बैठकें | उपस्थिति का रिकॉर्ड | अवधि (से – तक) |
|---|---|---|---|
| रजनीश कर्नाटक | 24 | 24 | 29.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| पी.आर. राजगोपाल | 26 | 23 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| स्वरूप दासगुप्ता | 23 | 18 | 01.04.2023 से 29.02.2024 तक |
| एम. कार्तिकेयन | 26 | 20 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| सुब्रत कुमार | 26 | 22 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| राजीव मिश्रा | 3 | 3 | 01.03.2024 से 31.03.2024 तक |
| सुब्रत दास | 7 | 5 | 01.04.2023 से 14.07.2023 तक |
| एम के रल्हन | 2 | 2 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| विश्वनाथ वी.शेनॉय | 26 | 25 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| अशोक नारायण | 19 | 19 | 14.07.2023 से 31.03.2024 तक |

### 2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नयी दिल्ली की संसूचना संदर्भ सं.13/1/2006-130.1 दिनांक 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.800 करोड़ तक किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और ऋण के प्रभारी सीजीएम/महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित 30 बैठकें हुई:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2023 | 26-04-2023 | 12-05-2023 | 25-05-2023 | 09-06-2023 | 23-06-2023 |
| 14-07-2023 | 26-07-2023 | 04-08-2023 | 10-08-2023 | 25-08-2023 | 06-09-2023 |
| 11-09-2023 | 16-09-2023 | 05-10-2023 | 12-10-2023 | 26-10-2023 | 10-11-2023 |
| 15-11-2023 | 23-11-2023 | 06-12-2023 | 12-12-2023 | 20-12-2023 | 04-01-2024 |
| 18-01-2024 | 25-01-2024 | 13-02-2024 | 28-02-2024 | 18-03-2024 | 28-03-2024 |

### 3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी निर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन की देखरेख भी करती है।

यथा दिनांक 31.03.2024, लेखा परीक्षा समिति में 4 सदस्य हैं, अर्थात शेयरधारक निदेशक, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक।

निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखने से पहले बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित तिमाही परिणामों और लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा की गई थी।

वित्तीय-वर्ष 2023-24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की निम्नलिखित 14 बैठकें हुई:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2023 | 06-05-2023 | 15-07-2023 | 28-07-2023 | 18-08-2023 | 20-09-2023 |
| 06-10-2023 | 21-10-2023 | 04-11-2023 | 23-11-2023. | 16-01-2024 | 02-02-2024 |
| 03-02-2024 | 12-03-2024 | | | | |

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बैठक में निदेशकगण की उपस्थिती का विवरण निम्नानुसार है

| निदेशकों के नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | उपस्थिति दर्ज की गई | अवधि (से – तक) |
|---|---|---|---|
| वेणी थापर | 14 | 14 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| सुब्रत दास | 2 | 2 | 01.04.2023 से 14.07.2023 तक |
| भूषण कुमार सिन्हा | 14 | 10 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| एम के रल्हन | 13 | 13 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| अशोक नारायण | 11 | 11 | 14.07.2023 से 31.03.2024 तक |

## 4. स्टेक होल्डर संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉरपोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भो का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। निवेशकों की शिकायतों का आम तौर पर प्रासंगिक सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर समाधान किया जाता है। समिति में बैंक के चार कार्यकारी निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक शामिल हैं।

श्री राजेश वी. उपाध्याय, कंपनी सचिव, इस प्रयोजन के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक को 161 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी का निवारण कर दिया गया है।

समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 2 बार बैठक हुई:

| | |
|---|---|
| 05.08.2023 | 08.12.2023 |

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | उपस्थिति दर्ज की गई | अवधि (से - तक) |
|---|---|---|---|
| पी.आर. राजगोपाल | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| स्वरूप दासगुप्ता | 02 | 02 | 01.04.2023-29.02.2024 |
| एम कार्तिकेयन | 02 | 01 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| सुब्रत कुमार | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| वेणी थापर | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| विश्वनाथ वी शेनॉय | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |

## 5. शेयर अंतरण समिति:

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में कोई कार्यपालक निदेशक और दो शेयरहोल्डर निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 2 बैठकें हुई :

| | |
|---|---|
| 05.08.2023 | 08.12.2023 |

## 6. जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति:

इस समिति का गठन बैंक द्वारा उठाए गए समग्र जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इसमें प्रबंध निदेशक और सीईओ, चार कार्यपालकगण निदेशक, एक सरकारी नामिती निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 11 बार बैठक हुई।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | 23.06.2023 | 28.07.2023 | 05.08.2023 | 11.09.2023 | 06.10.2023 |
| 16.11.2023 | 07.12.2023 | 05.01.2024 | 17.02.2024 | 13.03.2024 | |

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | उपस्थिति अभिलेख | अवधि (से - तक) |
|---|---|---|---|
| रजनीश कर्नाटक | 10 | 09 | 29.04.2023-31.03.2024 |
| पी.आर. राजगोपाल | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| स्वरूप दासगुप्ता | 10 | 06 | 01.04.2023-29.02.2024 |
| एम कार्तिकेयन | 11 | 07 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| सुब्रत कुमार | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| राजीव मिश्रा | 01 | 01 | 01.03.2024-31.03.2024 |
| वेणी थापर | 11 | 11 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| मुनीश कुमार रल्हन | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| विश्वनाथ वी शेनॉय | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |

### 7. ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति:

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन सितंबर 2004 में किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना और ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें पूर्णकालिक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक, एक शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | 07.09.2023 | 08.12.2023 | 28.02.2024 |

### 8. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। इस समिति को रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71/मास्टर निदेश डीबीआर-आवेदन क्र. : 09/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त 2019 को बनाया गया। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में 3 स्वतन्त्र निदेशक और एक सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक बार 05.01-2024 को बैठक हुई।

सदस्यों का उपस्थिति अभिलेख निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | उपस्थिति अभिलेख | अवधि (से - तक) |
|---|---|---|---|
| भूषण कुमार सिन्हा | 1 | 0 | 01.04.2023 - 31.03.2024 |
| वेणी थापर | 1 | 1 | 01.04.2023 - 31.03.2024 |
| विश्वनाथ वी शेनॉय | 1 | 1 | 01.04.2023 -31.03.2024 |
| मुनीश कुमार रल्हन | 1 | 1 | 01.04.202 3-31.03.2024 |

### 9. निवेश अनुमोदन समिति:

निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया था। इसमें प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक - वित्त, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (ऋण) और मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 19 बार बैठक हुई।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2023 | 09-06-2023 | 14-07-2023 | 26-07-2023 | 10-08-2023 | 25-08-2023 |
| 06-09-2023 | 05-10-2023 | 26-10-2023 | 10-11-2023 | 23-11-2023 | 12-12-2023 |
| 15-12-2023 | 20-12-2023 | 18-01-2024 | 09-02-2024 | 28-02-2024 | 05-03-2024 |
| 18-03-2024 | | | | | |

### 10. बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए समिति:

इस समिति का गठन बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए किया गया था । इस समिति में अध्यक्ष (21.02.2024 से प्रभावी), प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 4 बार बैठक हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-06-2023 | 29-08-2023 | 07-12-2023 | 12-03-2024 |

### 11. आईटी रणनीति और डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति:

आईटी कार्यनीतियों पर निर्णय लेने और आईटी परियोजनाओं के क्षेत्र में विकास की निगरानी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में समिति गठित की गयी थी। आईटी कार्यनीति समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो अन्य गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की 8 बार बैठक हुई।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2023 | 15-07-2023 | 18-08-2023 | 20-10-2023 | 07-12-2023 | 25-01-2024 |
| 17-02-2024 | 27-03-2024 | | | | |

### 12. निदेशकों की पदोन्नति समिति:

इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय (डीएफएस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया था। इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, भारत सरकार के नामित निदेशक और आरबीआई के नामित निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, इसकी एक बार 22-03-2024 को बैठक हुई।

### 13. मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति:

इस समिति का गठन मानव संसाधन से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक, अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इसकी 7 बार बैठक हुई।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2023 | 04-08-2023 | 16-09-2023 | 20-10-2023 | 14-12-2023 | 24-01-2024 |
| 27-03-2024 | | | | | |

### 14. उच्च मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी के लिए समिति:

समिति वसूली की निगरानी और उच्च 50 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। इस समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक, अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। वसूली विभाग के महाप्रबंधक संयोजक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, इसकी 4 बार बैठक हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-06-2023 | 29-08-2023 | 07-12-2023 | 12-03-2024 |

### 15. इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, इसकी 4 बार बैठक हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-05-2023 | 07-09-2023 | 14-12-2023 | 13-03-2024 |

### 16. स्वतंत्र निदेशक समिति:

दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। बोर्ड की स्वतंत्र निदेशक समिति की एक बार बैठक 19.04.2023 को हुई।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैठक हेतु स्वतंत्र निदेशकों की समिति की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

| निदेशकों का नाम | उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें | उपस्थिति अभिलेख | अवधि (से - तक) |
|---|---|---|---|
| वेणी थापर | 1 | 1 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| एम के रल्हन | 1 | 1 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |
| विश्वनाथ वी.शेनॉय | 1 | 1 | 01.04.2023 से 31.03.2024 तक |

### 17. अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ, सरकार द्वारा नामित निदेशक, आरबीआई द्वारा नामित निदेशक और एक शेयरधारक निदेशक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इसकी 4 बार बैठक हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-05-2023 | 07-09-2023 | 14-12-2023 | 13-03-2024 |

### 18. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ शामिल हैं , चार कार्यपालक निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक हुई।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-05-2023 | 07-09-2023 | 08-12-2023 | 27-03-2024 |

### 19. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशकों और महाप्रबंधकों के कार्य निष्पादन के लिए समिति

यह समिति भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश एफ. संख्या 9/5/2009-आईआर दिनांक 30.08.2019 के अनुसार गठित की गई है। इस समिति के सदस्य दो शेयरधारक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और एक गैर-अशासकीय अंशकालिक निदेशक हैं। इस समिति की बैठक 23.05.2023 को हुई।

### 20. सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं संबंधी घोषणा के लिए समिति

यह समिति आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2014-15/362-डीबीआर संख्या सीआईडी.बीसी.54/20.16.064/2014-15 के अनुपालन में गठित की गई थी। इस समिति में प्रबंध निदेशक और सीईओ, एक शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक शामिल हैं। वर्ष के दौरान, समिति ने निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक की।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-05-2023 | 07-09-2023 | 14-12-2023 | 13-03-2024 |

### 21. समूह प्रशासन इकाई समिति

इस समिति में अध्यक्ष (21.02.2024 से प्रभावी), प्रबंध निदेशक और सीईओ, चार कार्यपालक निदेशक और दो शेयरधारक निदेशक और एक अंशकालिक गैर- शासकीय निदेशक शामिल हैं । समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर 4 बार बैठक की।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-05-2023 | 05-08-2023 | 07-12-2023 | 12-03-2024 |

### विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति:

श्री रजनीश कर्नाटक, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक- श्री पीआर राजगोपाल, श्री स्वरूप दासगुप्ता श्री एम कार्तिकेयन, श्री सुब्रत कुमार, शेयरधारक निदेशक - श्रीमती वेणी थापर , विश्वनाथ वी. शेनॉय और गैर-कार्यपालक निदेशक श्री मुनीश कुमार रल्हन ने 27 जून, 2023 को आयोजित बैंक की विगत वार्षिक आम बैठक अर्थात् सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया।

### वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण

बैंक ने सभी मुख्य महाप्रबंधकों का चयन किया है, जो पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे हैं, उन्हें वरिष्ठ प्रबंधन का हिस्सा माना गया है। 31.03.2024 तक वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं | नाम | नियुक्ति की तिथि | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री अभिजीत बोस | 28-01-2022 | धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन, सामान्य परिचालन, परिसर, कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास |
| 2. | श्री अशोक कुमार पाठक | 28-01-2022 | रिटेल, ग्रामीण, एमएसएमई, वित्तीय समावेशन |
| 3. | श्री सुधिरंजन पाढ़ी | 31-03-2023 | सूचना प्रौद्योगिकी |
| 4. | श्री पी.के गिरि | 31-03-2023 | अनुपालन |
| 5. | श्री पी. हरिकिशन | 01-04-2023 | जोखिम प्रबंधन |
| 6. | श्री शारदा भूषण राय | 01-04-2023 | संसाधन संग्रहण, प्रचार एवं जनसंपर्क, विपणन, अन्य पक्ष उत्पाद एवं सरकारी कारोबार, सीईबीबी, कॉल सेंटर |
| 7. | श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद | 01-07-2023 | निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण |
| 8. | श्री राजेश इंगळे | 06-11-2023 | मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास, वित्त, आयोजना |
| 9. | श्री नितिन जी. देशपांडे | 01-04-2023 | अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अनुषंगी, कॉरपोरेट ऋण, कोषागार, विदेशी कारोबार |
| 10. | श्री प्रशांत थपलियाल | 01-03-2024 | वसूली और ऋण निगरानी, दबावग्रस्त आस्तियों की वसूली, विधि |

**सेवा समाप्ति :** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन के निम्नलिखित सदस्य सेवानिवृत्त हुए:

| क्र.सं. | नाम | विभाग | नियुक्ति की तिथि | सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री मनोज दास | अंतरर्राष्ट्रीय, अंतरर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कॉरपोरेट ऋण, कोषागार, विदेशी कारोबार | 22-01-2022 | 30-06-2023 |
| 2. | श्री पी.के सिन्हा | वसूली एवं ऋण निगरानी, दबावग्रस्त आस्तियां वसूली, विधि | 28-01-2022 | 29-02-2024 |
| 3. | श्री शिव बजरंग सिंह | मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास, वित्त, आयोजना | 31-03-2023 | 09-10-2023 (इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नति पर) |

### शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के हस्तांतरण और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड की शेयर ट्रांसफर समिति का गठन किया है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों और 03.12.2018 की सेबी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 31.03.2019 के बाद शेयरों के भौतिक हस्तांतरण की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे एक डीमैट खाता खोलें और अपनी भौतिक शेयरधारिता को डिमटेरियलाइज करें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में लेन-देन को आसान बनाने की दृष्टि से, एसईआईबी ने अपने दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के माध्यम से यह निर्णय लिया कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय ही अभौतिकीकृत मोड में शेयर जारी करेंगी:

- डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करना;
- अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण / विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाण पत्र का सब डिवीजन/विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र/फोलियो का समेकन;
- ट्रांसमिशन;
- ट्रांसपोजीशन

शेयरधारक/दावेदार फॉर्म आईएसआर-4 विधिवत भरकर जमा करेगा और आरटीए/ सूचीबद्ध इकाई सेवा अनुरोधों को प्रोसेस करने के पश्चात् यदि कोई आपत्तियां होती हैं तो उनको हटाने के बाद ही ऐसे अनुरोधों की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक/ दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टि पत्र" जारी करेगी।

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, इतने समय के भीतर शेयरधारक/ दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डिमटेरियलाइज करने के लिए डिपॉजिटरी भागीदार से अनुरोध करेगा।

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद एक अनुस्मारक जारी करेगा, जिसमें प्रतिभूति धारक/ दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने हेतु सूचित किया जाएगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाणपत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को प्रोसैस करने के बाद प्रमाणपत्र के मुखपृष्ठ/ पिछले पृष्ठ पर "पुष्टि पत्र जारी किया गया" की मुहर के साथ प्रमाण पत्र को विरूपित करेगा।

डिपॉजिटरी प्रतिभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध उत्पन्न करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/ आरटीए को अग्रेषित करेगा।

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के एस्क्रो उचंत डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बैंक ने मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों के हस्तांतरण, ट्रांसमिशन, लाभांश, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग और शेयरों के मामलों से संबंधित अन्य गतिविधियों के बीच शेयरधारकों की शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया के लिए अधिदेशित है। शेयरधारकों और निवेशकों से उक्त से किसी भी दस्तावेज को दर्ज करने के लिए और पूछताछ/ शिकायतों/ सुझावों के लिए संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है:

**इक्विटी शेयरों और डिबेंचर/बॉण्ड्स के लिए :**

बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लि.,
ईकाई : बैंक ऑफ इंडिया, कार्यालय सं एस6-2, छठवां तल,
पिनाकल बिजनेस पार्क अहुरा सेंटर से आगे, महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400093,
ई-मेल: investor@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वां तल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई- 400 051,
फोन 022-66684491, फैक्स- 022-66684491,
ई-मेल:headoffice.share@india.co.in

### आम सभा बैठकें :

| क्रं सं | बैठक का स्वरूप | दिनांक एवं समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|---|
| 1. | सत्ताईसवीं वार्षिक आम बैठक | मंगलवार, 27 जून, 2023 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से (ओएवीएम) | प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 | 1) बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री मुनीश कुमार रल्हन की नियुक्ति।<br>2) नए इक्विटी शेयर जारी करके और/या बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार टियर I और टियर II पूंजी जारी करके पूंजी जुटाना। |
| 2. | असाधारण आम बैठक | बुधवार, 28 नवंबर, 2022 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो – विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) | प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 | केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव |
| 3. | छब्बीसवीं वार्षिक आम बैठक | मंगलवार, 15 जुलाई, 2022 को दोपहर 12.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो – विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) | प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 | नई इक्विटी पूंजी जारी करने हेतु अनुमोदन |

| क्र सं | बैठक का स्वरूप | दिनांक एवं समय | स्थान | विशेष संकल्प |
|---|---|---|---|---|
| 4. | असाधारण आम बैठक | बुधवार, 15 दिसंबर, 2021 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो – विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) | प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 | केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव |
| 5. | पच्चीसवीं वार्षिक आम बैठक | मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को सुबह 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस(वीसी)/अन्य ऑडियो – विजुअल के माध्यम से (ओएवीएम) | प्रधान कार्यालय बैंक ऑफ़ इंडिया स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 | नई इक्विटी पूंजी और टियर-I/टियर-II बांड्स/जारी करने हेतु अनुमोदन |

**प्रकटन:**

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक ने सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के जिन प्रावधानों की राष्ट्रीयकरण अधिनियम और आरबीआई तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ समरूपता नहीं है उनको छोड़कर सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है।

### i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक, अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

| क्र सं | विवरण | बैठक के अनुसार राशि |
|---|---|---|
| 1. | बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए | रु. 70,000/- |
| 2. | बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने के लिए | रु. 35,000/- |
| 3. | बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए | रु. 20,000/- उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त. |
| 4. | बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए | रु. 10000/- उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त. |

*प्रति निदेशक प्रतिवर्ष रु.25 लाख की सम्पूर्ण सीमा के अधीन

बैठक में रहने के शुल्क के अलावा, बैंक के कार्य के संबंध में यात्रा करने वाले ऐसे प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 17 के प्रावधानों के अनुसार यात्रा और विराम व्यय, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आधार पर की जाएगी।

### ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन:

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर- कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की उपसमतियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनसे उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो ।

### iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों, टियर 2 बांड्स आदि की आगम राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित पूंजी जुटाई है

बेसल III अपरिवर्तनीय बांड्स जारी करके : दिनांक 15/09/2023 को टियर II बॉन्ड के माध्यम से रु. 2000 करोड़

दिनांक 11.12.2023 को रु. 4500 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके :

| आवंटन की तिथि | विवरण | शेयर/बांड्स की संख्या | निर्गम आकर |
|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | अरक्षित, गौण गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, पूर्णत: प्रदत्त, प्रतिदेय बेसल III अपरिवर्तनीय 7.88% टियर II बांड्स, श्रृंखला XVI अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में प्रत्येक रु. 1 करोड़ ("बांड्स") | 2000 | रु. 2000 करोड़ |
| 11.12.2023 | सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2018, यथा संसोधित ("सेबी आईसीडीआर विनियम") के अध्याय VI के प्रावधानों के तहत प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन । | प्रत्येक रु.10 के 44,91,01,796 | रु. 4500 करोड़ |

iv. पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्त्रोतो को विकसित करने के लिए सीईटी-1 और टियर-II पूंजी संवर्धित करने के प्राथमिक उद्देश्य से निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

v. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

vi. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक वर्ष में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

vii. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

viii. वर्तमान में बैंक का कोई महत्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।

ix. **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक –** स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 19.04.2023 को आयोजित की गयी।

x. **गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:**

गैर-कार्यपालक निदेशकगण को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया

| क्रं सं | गैर कार्यपालक निदेशक का नाम | प्रशिक्षण विवरण |
|---|---|---|
| 1. | श्री एम.के. रल्हन | लेखापरीक्षा समिति की प्रभावशीलता के लिए प्रमाणन कार्यक्रम<br>निदेशक उन्नयन कार्यक्रम |
| 2. | श्री विश्वनाथ शेनॉय | निदेशक उन्नयन कार्यक्रम |
| 3. | सुश्री वेणी थापर | लेखापरीक्षा समिति की प्रभावशीलता के लिए प्रमाणन कार्यक्रम |
| 4. | श्री अशोक नारायण | केवाईसी/एएमएल पर कार्यक्रम |

xi. निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता बैंक की वेबसाइट- https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347 पर पोस्ट किया गया है।

xii. **व्हिसल ब्लोअर नीति बैंक की वेबसाइट -** https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/POLICY.pdf/944036f2-d687-0f16-3169-7cec618d3028?t=1663586343555 पर पोस्ट किया गया है।

xiii. **संबंधित नीति संव्यवहार** - संबंधित पार्टी संव्यवहार की सूचना लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है। संबंधित पार्टी संव्यवहार पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/Policy_on_Related_Party_Transactions.pdf पर पोस्ट की जाती है - संबंधित पार्टी के संव्यवहार का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiv. **पारिश्रमिक नीति -** प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण आईबीए के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

xv. **अधिग्रहण कोड:** बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 2011 का अनुपालन किया गया है।

xvi. **सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम 2015 का अनुपालन:** विनियमों के आलोक में बैंक ने भेदिया व्यापार को रोकने के लिए पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों हेतु बैंक के शेयरों में व्यापार करने के लिए आचार संहिता तैयार की है। नामित कर्मचारियों और बैंक के निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रपत्र तैयार किए गए हैं, जैसा कि इन विनियमों के संदर्भ में अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो को बैंक के निदेशकों और नामित कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बंद रखा गया था:

| ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तिथियां | बंद करने का उद्देश्य |
|---|---|
| शनिवार, 01.04.2023 से शुक्रवार 12.05.2023 तक | 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा। |
| शुक्रवार, 30.06.2023 से शनिवार 30.07.2023 तक | 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा। |
| शनिवार, 30.09.2023 से सोमवार 06.11.2023 तक | 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा। |
| सोमवार, 01.01.2024 से रविवार 04.02.2023 तक | 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा। |

xvii. कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :

बैंक ने निर्धारित समय सीमा के भीतर बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

xviii. सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:

| क्र. सं. | विवरण | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1. | वर्ष 2023-24 हेतु बैंक के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि | 99.39 |
| 2. | वर्ष 2023-24 हेतु बैंक एवं उसके अनुषंगियों के लेखापरीक्षकों को प्रदत्त राशि | 101.98 |

xix) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण।

| | |
|---|---|
| वि.व 2023-24 के दौरान दायर शिकायतों की संख्या | 12 |
| वर्ष 2023-24 के दौरान समाधान की गई शिकायतें | 12 |
| समाधान के लिए लंबित शिकायतें वित्तीय वर्ष 2023-24 | 0 |

xx) बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगी का विवरण: बैंक की कोई भी अनुषंगी, महत्वपूर्ण अनुषंगी नहीं है।

### संचार के माध्यम:

तिमाही और अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित लेकिन सांविधिक लेखा परीक्षा और परिक्षित वार्षिक परिणाम बिजनेस स्टेंडर्ड में अंग्रेजी, बिजनेस स्टेंडर्ड में हिंदी और लोकसत्ता में मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी एलओडीआर विनियमों द्वारा यथा अपेक्षानुसार, बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेज के वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फाइल करता है।

### वित्तीय कैलेंडर: 1 अप्रैल, 2024 से :

| | |
|---|---|
| बैंक ऑफ इंडिया के वार्षिक लेखा परीक्षित खातों तथा लाभांश की अनुशंसा, पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक, यदि कोई हो | 10.05.2024 |
| वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण | ईमेल / स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा |

| | |
|---|---|
| बही बंद करने की तिथि (दोनों दिन सम्मिलित) | 19.06.2024 से 25.06.2024 |
| प्राधिकृत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि | 18.06.2024 |
| लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि | 18.06.2024 |
| 28वीं एजीएम की तिथि, समय, स्थल | 25.06.2024(मंगलवार) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 400 051 |
| प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक | संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर। |

### स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण

बैंक के शेयरों का बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं:

| | |
|---|---|
| बीएसई लि. (बीएसई) | 532149 |
| नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) | BANKINDIA |
| आईएसआईएन क्रमांक | INE084A01016 |

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर डिबेंचर के रूप में बेसल III अपरिवर्तनीय बॉड (अतिरिक्त टियर I एवं टियर II पूंजी) जारी किये हैं। तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

### टीयर I और टीयर II बॉन्ड की बकाया स्थिति यथा 31.03.2024

| निर्गम का विवरण | | कुल मूल्य (रु. करोड़ में) | आईएसआईएन संख्या |
|---|---|---|---|
| **अतिरिक्त टियर I** | **कूपन दर** | | |
| श्रृंखला - VI | 9.04% | 750 | INE084A08136 |
| श्रृंखला VII | 9.30% | 602 | INE084A08144 |
| श्रृंखला VIII | 8.57% | 1500 | INE084A08169 |
| **टियर II बॉन्ड** | | | |
| श्रृंखला XII | 8.52% | 3,000 | INE084A08060 |
| श्रृंखला XV | 7.14% | 1,800 | INE084A08151 |
| श्रृंखला XVI | 7.88% | 2000 | INE084A08177 |
| **कुल** | | **9,652** | |

इन सभी बॉन्डों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया हैं तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2023-24 का वार्षिक शुल्क अदा किया है।

### क्रेडिट रेटिंग (दृष्टिकोण):

| क्र. सं. | जारीकर्ता रेटिंग | कॉरपोरेट रेटिंग (दीर्घ/लघु) | बैंक सावधि जमा | अतिरिक्त टियर I बॉन्ड | टियर II बॉन्ड | जमा प्रमाणपत्र |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | फिच रेटिंग्स | BBB- (स्थिर) | - | - | - | - |
| 2. | क्रिसिल लिमिटेड | - | - | AA (स्थिर) | AA + (स्थिर) | A1 + |
| 3. | इंडिया रेटिंग्स | AA + (स्थिर) | - | - | - | - |
| 4. | इन्फोमेरिक वैल्यूएशन और रेटिंग | AAA (स्थिर) | - | - | AAA (स्थिर) | - |
| 5. | एक्यूट रेटिंग | | | AA (पॉज़िटिव) | AA + (पॉज़िटिव) | - |
| 6. | केयर रेटिंग्स लिमिटेड | | AA + (स्थिर) | | AA + (स्थिर) | |

### शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में ही किया जाता है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया गया है।

यथा 31/03/2024 को शेयरधारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

| क्षेणी | शेयरधारकों की संख्या | शेयरधारकों का % | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता का % |
|---|---|---|---|---|
| **एनएसडीएल** | 1,80,855 | 28.78 | 1,05,04,57,392 | 23.07 |
| **सीडीएसएल** | 3,59,471 | 57.20 | 3,48,91,53,120 | 76.64 |
| **मूर्त** | 88,077 | 14.02 | 1,30,57,354 | 0.29 |
| **कुल** | **6,28,403** | **100.00** | **4,55,26,67,866** | **100.00** |

### इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश/ब्याज भुगतान:

जहां कहीं भी निवेशकों द्वारा अधिदेश दिया जाता है, बैंक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से निवेशकों को शेयरों पर लाभांश/बॉन्डों पर ब्याज का भुगतान कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज (एनईसीएस), आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी और डायरेक्ट क्रेडिट आदि की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

निवेशक इस रिपोर्ट में दिए गए पते पर अपना जनादेश बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को दर्ज़ करा सकते हैं।

### लाभांश का भुगतान/रिकॉर्ड दिनांक :

बैंक के निदेशक मंडल ने एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्येक शेयरधारक को रु.10 के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रु. 2.80 प्रति (अर्थात 28%) प्रति शेयर लाभांश की सिफारिश की है। उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा दिनांक 18.06.2024 (बाद में रिकॉर्ड तिथि के रूप में संदर्भित) के अनुसार शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज़ हैं। वार्षिक आम बैठक में घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

### अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2021-22, एवं 2022-23 के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है / लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उन्हें लाभांश प्राप्त करने हेतु बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 10बी के अनुसार, सात साल की अवधि के लिए बकाया या अदावाकृत लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईडीपीएफ) में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। सात वर्षों की अवधि (वित्त वर्ष 2014-15 तक) के लिए सभी अदावाकृत लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए गए हैं। बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

### अदावाकृत शेयर:

शून्य

### उचंत निलंब (सस्पेंस एस्क्रो) खाता:

सेबी ने परिपत्र संख्या: सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25.01.2022 के माध्यम से सूचीबद्ध संस्थाओं को विभिन्न निवेशक सेवा अनुरोधों जैसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का अंतरण आदि पर कार्रवाई करते समय प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रूप में जारी करने का निर्देश दिया था।

इस संबंध में, ऊपर उल्लिखित सेबी परिपत्र के पैरा 3.सी में यह प्रावधान है कि यदि प्रतिभूति धारक/दावेदार पुष्टि पत्र (एलओसी) जारी होने की तिथि से 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो आरटीए/जारीकर्ता कंपनी प्रतिभूतियों को कंपनी के उचंत निलंब (सस्पेंस एस्क्रो) डीमैट खाते में जमा कर देगी। बैंक ने 2023 में सस्पेंस एस्क्रो खाता खोला है। यथा 31.03.2024 तक इसके विवरण निम्नानुसार है:

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | शेयरों की संख्या |
|---|---|---|
| यथा 01.04.2023 को शेष | 2 | 500 |
| शेयरधारक जिनके शेयर वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरित किए गए हैं | 1 | 300 |
| यथा 31.03.2024 को शेष | 1 | 200 |

### शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2024:

| शेयरधारकों की श्रेणी | शेयरधारकों की संख्या | शेयर की संख्या | शेयरधारिता का % | लॉक-इन के तहत शेयर | लॉक-इन के तहत शेयरों का % |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रवर्तक (भारत सरकार) | 1 | 3,34,08,61,720 | 73.38 | 42,11,70,854 | 12.61 |
| म्यूचुअल फंड | 96 | 22,01,05,915 | 4.83 | 0 | 0 |
| वैकल्पिक निवेश निधि | 13 | 2,62,41,212 | 0.58 | 0 | 0 |
| वित्तीय संस्थान/बैंक | 9 | 8,42,158 | 0.02 | 0 | 0 |
| बीमा कंपनियां | 60 | 46,20,76,290 | 10.15 | 0 | 0 |
| कॉरपोरेट निकाय | 1,513 | 2,04,04,467 | 0.45 | 0 | 0 |
| विदेशी वित्तीय संस्था निवेशक | 8 | 5,000 | 0.00 | 0 | 0 |
| भारतीय जनता | 6,17,856 | 25,48,37,181 | 5.60 | 0 | 0 |
| अन्य | 8,847 | 22,72,91,223 | 4.99 | 0 | 0 |
| **कुल** | **6,28,403** | **4,55,26,65,166** | **100.00** | **42,11,70,854** | **12.61** |

### एकल व्यक्तियों (जन सामान्य) की शेयरधारिता जिनके पास कुल शेयरों की संख्या का 1% से अधिक हो:

| शेयरधारक का नाम | शेयरों की संख्या | शेयरधारिता % |
|---|---|---|
| भारतीय जीवन बीमा निगम | 28,92,87,324 | 7.05% |

### शेयरधारिता का वितरण यथा 31 मार्च, 2024:

| धारित इक्विटी शेयरों की संख्या | फोलियो | | शेयर | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 500 तक | 5,59,223 | 88.99 | 5,96,31,112 | 1.31 |
| 501 से 1000 | 33,531 | 5.34 | 2,68,08,090 | 0.59 |
| 1001 से 5000 | 29,578 | 4.71 | 6,64,26,171 | 1.46 |
| 5001 से 10000 | 3,349 | 0.53 | 2,51,55,011 | 0.55 |
| 10001 एवं इससे अधिक | 2,722 | 0.43 | 4,37,46,47,482 | 96.09 |
| **कुल** | 6,28,403 | 100.00 | 4,55,26,67,866 | 100.00 |

## शेयर मूल्य / मात्रा:

| महीना | बीएसई | | | एनएसई | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च | कीमत | वॉल्यूम (शेयरों की संख्या) | उच्च | कीमत | वॉल्यूम (शेयरों की संख्या) |
| अप्रैल-23 | 84.50 | 74.10 | 1,80,36,828 | 84.50 | 74.10 | 16,84,18,853 |
| मई-23 | 89.15 | 72.05 | 1,61,46,784 | 89.20 | 72.00 | 19,83,57,942 |
| जून-23 | 75.85 | 69.41 | 1,68,56,731 | 75.90 | 65.50 | 11,68,38,595 |
| जुलाई-23 | 86.84 | 74.00 | 1,96,93,297 | 86.80 | 74.00 | 28,46,24,599 |
| अगस्त-23 | 91.89 | 82.50 | 1,89,86,628 | 91.90 | 82.55 | 2,70,291,883 |
| सितंबर-23 | 114.02 | 85.27 | 3,80,11,898 | 113.80 | 85.25 | 56,36,66,323 |
| अक्तूबर-23 | 113.80 | 86.40 | 2,04,25,896 | 113.80 | 86.40 | 25,42,98,171 |
| नवंबर-23 | 110.75 | 95.00 | 1,03,08,799 | 110.80 | 95.05 | 17,59,51,799 |
| दिसंबर-23 | 120.95 | 104.30 | 4,02,58,147 | 120.90 | 104.20 | 68,12,45,774 |
| जनवरी-24 | 141.35 | 111.95 | 4,73,88,117 | 141.40 | 111.95 | 55,23,12,363 |
| फरवरी-24 | 156.35 | 124.35 | 4,23,08,365 | 156.25 | 124.45 | 53,31,64,973 |
| मार्च-24 | 149.40 | 125.40 | 2,27,69,648 | 149.45 | 125.10 | 28,21,03,714 |
| **अंतिम मूल्य यथा 31.03.2024** | **137.00** | | | **137.85** | | |
| **बाजार पूंजीकरण** | **रु.62,371 करोड़** | | | **रु.62,758 करोड़** | | |

## व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन:

**वैंक ऑफ इंडिया बनाम सेंसेक्स**

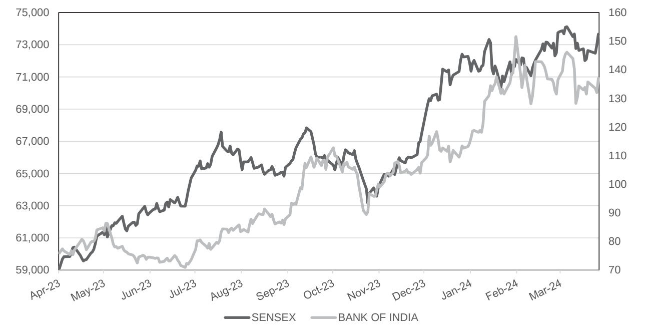


**वैंक ऑफ इंडिया बनाम निफ्टी फिफ्टी**

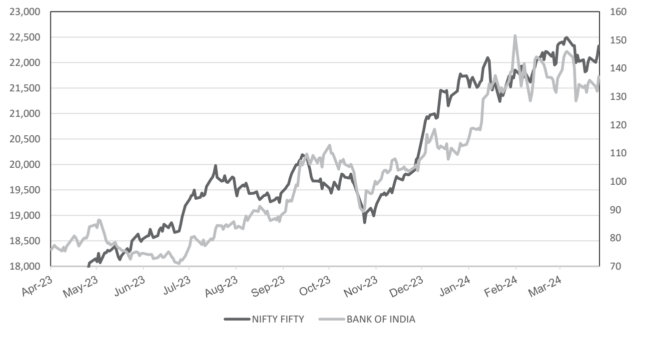


## अन्य अनुपालन:

1 स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

2. कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को कंपनी के निदेशक मंडल/कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है ।

3. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट:

सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 24A के अनुपालन में वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (फॉर्म एमआर 3) संलग्न है।

4. अनुषंगियों के वित्तीय विवरण:

सेबी एलओडीआर 2015 के विनियम 46(2) के अनुपालन में, अनुषंगियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण हमारी वेबसाइट यानी www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

## अनिवार्य / गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी सूचीकरण करार, 2015 की अनुसूची II के भाग-ई की निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है:

| क्र. सं. | गैर-अनिवार्य अपेक्षाएं | कार्यान्वयन की स्थिति |
|---|---|---|
| 1. | बोर्ड - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार है। | अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक का है और बैंक में उनका प्रथक कार्यालय है। |
| 2. | शेयरधारकों के अधिकार- विगत छ: महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। | तिमाही/वर्ष के यथातिथि/ वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को भेजे जाते हैं और अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। अत: शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिश: नहीं भेजी जाती है। |
| 3. | लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा मत वाली वित्तीय विवरणों की व्यवस्था का चयन कर सकती है। | बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखापरीक्षा मत के साथ हैं। |
| 4 | आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग | सभी आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति हमारे निरीक्षण और लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की जाती है, जो लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है। |
| 5. | अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। | बैंक के पास यह पद है। भारत सरकार ने गैर-कार्यपालक अध्यक्ष श्री एम. आर. कुमार को 21.02.2024 को नियुक्त किया है। |

# CORPORATE GOVERNANCE

## Bank's Philosophy on Code of Governance:

The Bank's Corporate Governance philosophy stems from the belief that Corporate Governance is a key element in improving efficiency and growth as well as enhancing investor confidence. The Bank strongly believes in ethical values and self-discipline to achieve higher standard of Corporate Governance and continues to strive for excellence in business operations through transparency, accountability to stakeholders, Government and others who deal with the Bank. Accordingly, the Corporate Governance philosophy has been scripted as under:

**"Enhancing stakeholders' value through ethical business practices".**

At the core of its Corporate Governance practice is the Board, which oversees how the management serves and protects the long-term interests of all the stakeholders of the Bank. The Bank believes that an active, well informed and independent Board is necessary to ensure the highest standards of Corporate Governance. The Bank's Corporate Governance practices are aimed at meeting the Corporate Governance requirements as per the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities Exchange Board of India (SEBI) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, BIS-Corporate Governance Guidelines, besides good practices either recommended by professional bodies or practices by leading Banks / Companies in India.

The interrelation between the Board, the Executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various Committees of the Board to monitor every aspect of business.

## Board of Directors:

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, (the Nationalisation Act) as amended from time to time. The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Nationalisation Act, as amended and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The responsibilities of the Board include monitoring overall functioning of Bank including but not limiting to approval of policies for conduct of business, business reviews, assessing the independence of the audit and risk function, detailed scrutiny of quarterly and annual financial results, NPA Management and provisioning integrity, compliance of regulatory and statutory guidelines, customer protection, financial inclusion, overall supervision of human resources, etc.

The Board has constituted various Sub-Committees and delegated its powers for different functional areas to the Committees of the Board. The Board as well as its Committees meet at periodic intervals.

As on 31st March 2024, the Board comprised of five whole time Directors viz. MD & CEO, Four Executive Directors appointed by the Government of India and six Non-Executive Directors (One Non-Executive Chairman, two Nominee Directors and three Independent Directors) who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience guides the Bank in its progress and achievements in various spheres.

The positions of Workmen Employee Director and Officer Employee Director to be nominated by the Central Government were vacant during the year. The Positions of CA category Director and two Part-Time Non Official Directors to be nominated by the Central Government were vacant as on 31.03.2024.

The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. On 14th August, 2020, the Chairman has vacated the office on completion of his term. New Non-Executive Chairman was appointed by Government of India on 21.02.2024.

### As on 31.03.2024, the Composition of the Board was as under:

| Sr. No | Full Name of the Director, Designation & Category | Appointment Date | Membership in Committees of the Bank $ | Holding of Bank's shares | Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Number of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Remarks (Nature of appointment in the Bank/ Other Listed Companies and Area of Expertise) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri M R Kumar Non-Executive Chairman & Part-Time Non-Official Director (Non-Executive Independent) | 21.02.2024 | LVFC, NRC, IDC PE, GGUC | - | 0 | 0 | Appointed as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman by Central Government u/s 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, for a term of three years, from 21.02.2024, or until further orders, whichever is earlier Area of Expertise: Insurance. |

| Sr. No | Full Name of the Director, Designation & Category | Appointment Date | Membership in Committees of the Bank $ | Holding of Bank's shares | Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Number of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Remarks (Nature of appointment in the Bank/ Other Listed Companies and Area of Expertise) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Rajnish Karnatak<br>Managing Director & CEO<br>(Executive) | 29.04.2023 | MCOM<br>DPC<br>DPCB<br>STC<br>LVFC<br>RMC<br>CSC<br>IT& DPDC<br>CAC<br>IAC<br>SCHR<br>RCWD<br>HVNPA<br>CSRC<br>GGUC<br>DNCBC | -- | -- | -- | Appointed as Managing Director and CEO by Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office for a period of three years w.e.f. 29.04.2023 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking. |
| 3. | Shri P.R.Rajagopal<br>Executive Director<br>(Executive) | 18.03.2020 | MCOM<br>SRC<br>STC<br>LVFC<br>RMC<br>CSC<br>IT& DPDC<br>CAC<br>IAC<br>SCHR<br>HVNPA<br>CSRC<br>GGUC | -- | 1 | 0 | Appointed as whole Time Director by Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office w.e.f.18.03.2020 till 29.02.2024. The Central Govt. has extended the term beyond 29.02.2024 for a period of two years or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking. |
| 4. | Shri M.Karthikeyan<br>Executive Director<br>(Executive) | 10.03.2021 | MCOM<br>SRC<br>STC<br>LVFC<br>RMC<br>CSC<br>IT& DPDC<br>CAC<br>IAC<br>SCHR<br>HVNPA<br>CSRC<br>GGUC | - | 1 | 0 | Appointed as a whole Time Director by Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office for a period of three years from 10.03.2021. The Central Govt. has extended the term beyond 09.03.2024 till 31.03.2025 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking. |
| 5. | Shri Subrat Kumar<br>Executive Director<br>(Executive) | 21-11-2022 | MCOM<br>SRC<br>STC<br>LVFC<br>RMC<br>CSC<br>IT& DPDC<br>CAC<br>IAC<br>SCHR<br>HVNPA<br>CSRC<br>GGUC | - | 1 | 0 | Appointed as a Whole Time Director Central Government u/s 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold office for a period of three years from 21.11.2022 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking. |

| Sr. No | Full Name of the Director, Designation & Category | Appointment Date | Membership in Committees of the Bank $ | Holding of Bank's shares | Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Number of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Remarks (Nature of appointment in the Bank/ Other Listed Companies and Area of Expertise) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Shri Rajiv Mishra<br>Executive Director<br>(Executive) | 01.03.2024 | MCOM<br>SRC<br>STC<br>LVFC<br>RMC<br>CSC<br>IT& DPDC<br>CAC<br>IAC<br>SCHR<br>HVNPA<br>CSRC<br>GGUC | - | 1 | 0 | Appointed as Whole Time Director by Central Government u/s 9(3)(a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 for a period of three years, with effect from 01.03.2024 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise: Banking. |
| 7. | Shri Ashok Narain<br>RBI Nominee Director<br>(Non-Executive) | 14.07.2023 | MCOM<br>ACB<br>DPC<br>DPCB | - | 1 | 0 | Appointed as RBI Nominee Director by Central Government u/s 9(3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 from 14.07.2023 until further orders.<br>Area of expertise – Banking |
| 8. | Shri Bhushan Kumar Sinha<br>Govt.Nominee Director<br>(Non-Executive) | 11.04.2022 | ACB<br>DPC<br>DPCB<br>LVFC<br>CSC<br>ITS& DPDC<br>NRC<br>SCHR<br>HVNPA<br>PE | - | 1 | 0 | Nominated as Director by Central Government u/s 9(3) (b) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post w.e.f.11.04.2022 until further orders.<br>Area of Expertise: Finance |
| 9. | Ms.Veni Thapar<br>Shareholder Director<br>(Independent Director) | 04.12.2021 | ACB<br>SRC<br>STC<br>LVFC<br>RMC<br>ITS& DPDC<br>NRC<br>IDC<br>CSRC<br>PE<br>GGUC | 300 | 4 | 2 | Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from 04.12.2021 to 03.12.2024.<br>Area of Expertise : Audit |
| 10 | Shri Munish Kumar Ralhan<br>Part-time non-official Director<br>(Non-Executive Independent Director) | 21.03.2022 | ACB<br>LVFC<br>RMC<br>CSC<br>NRC<br>SCHR<br>RCWD<br>HVNPA<br>IDC<br>PE<br>GGUC<br>DNCBC | - | 0 | 0 | Nominated as Part Time Non-Official Director by Central Government u/s 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 for a period of three years from 21.03.2022 or until further orders, whichever is earlier.<br>Area of Expertise : Legal |

| Sr. No | Full Name of the Director, Designation & Category | Appointment Date | Membership in Committees of the Bank $ | Holding of Bank's shares | Number of memberships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Number of Chairmanships of ACB & SRCB in Public Ltd. Companies including the Bank | Remarks (Nature of appointment in the Bank/ Other Listed Companies and Area of Expertise) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Shri Vishwanath V.Shenoy Shareholder Director (Independent Director) | 29.11.2022 | MCOM<br>DPC<br>DPCB<br>NRC<br>SCHR<br>RCWD<br>IDC<br>CSRC<br>PE<br>GGUC<br>DNCBC | 2000 | 1 | 0 | Elected as Shareholder Director u/s 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 for a period of three years from 29.11.2022 to 28.11.2025.<br>Area of Expertise : Banking |

$ Abbreviations of Committee Names

ACB – Audit Committee of the Board

MCOM – Management Committee of the Board

DPC – Director Promotion Committee

DPCB – Disciplinary Proceedings Committee of the Board

SRC – Stakeholders Relationship Committee

STC –Share Transfer Committee

LVFC – Committee of Directors for Monitoring of Large Value Frauds

RMC – Committee of Directors for Risk Management

CSC – Committee of Directors for Customer Service

ITS & DPDC – IT Strategy & Digital Payment Promotion Committee

NRC – Nomination & Remuneration Committee of Directors

CAC – Credit Approval Committee of Board

IAC – Investment Approval Committee

SCHR– Steering Committee of the Board on HR

RCWD – Review Committee for Wilful Defaulters

HVNPA – Committee for monitoring High Value NPAs & Loss Assets

IDC – Independent Directors Committee of the Board

CSRC – Corporate Social Responsibility Committee

PE – Board Committee for Performance evaluation of Managing Director & CEOs/Executive Directors/ General Managers

GGUC – Group Governance Unit Committee

DNCBC – Review Committee for Declaration of Non Co-operative Borrower

All Directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-Executive Directors on the Board. Two Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government and two Part-time non-official Directors are Independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to Independent Directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

In the opinion of the Board, independent directors fulfil the conditions specified in these Regulations and are independent of the Management.

## Appointments/Cessations during the Financial Year 2023-24 and till date:

| Sr. No. | Name | Age | Date of Appointment | Expiry date of Current term | Nature of Expertise | Brief Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Rajneesh Karnatak, MD & CEO | 52 | 29.04.2023 | 28.04.2026 | Banking | Shri Rajneesh Karnatak has a rich banking experience of over 29 years and carries varied branch and Administrative office experience. He was Executive Director at Union Bank of India since 21.10.2021. Earlier he was Chief General Manager at Punjab National Bank. He has headed Large Corporate Credit Branches and verticals such as Credit Review & Monitoring, and Corporate Credit.<br>He was also on the boards of UBI Services Ltd., UBI (UK) Limited, PNB Housing Finance Ltd., and India SME Asset Reconstruction Company Limited. He was a member of the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM) Guwahati. He also served as Board Trustee on IAMCL (IIFCL Asset Management Co. Ltd). |
| 2. | Shri Ashok Narain | 62 | 14-07-2023 | Till further orders | Banking | Retired as Chief General Manager, Department of Supervision, Reserve Bank of India in 2022 after 33 years of service including about 18 years in supervisory regulatory domain. He led several on-site examination of banks and also shaped the development of off-site supervision of commercial banks and urban cooperative banks.<br>He was entrusted to implement Enterprise wise Risk Management for the RBI and he also guided the development of ERM architecture for the Central Bank of Sri Lanka. He was nominated by RBI in various national and international working groups, as well as a member in the board of private sector commercial bank. He represented the RBI as a member of International Operational Risk Working Group (IORWG) 2014-16, the G20-OECD Task Force on Financial Consumer Protection (2017 and 2018) and as co-lead of Non-Banking Financial Institutions team (for credit institutions) of the Non-Banking Monitoring Expert Group of Financial Stability Board Basel during 2019-22.<br>He is empanelled by the International Monetary Fund as a Financial Sector Specialist since 2022. |
| 3 | Shri M. R. Kumar | 63 | 21-02-2024 | 20-02-2027 | Banking | Shri Kumar is a Science graduate from University of Madras. He has served as Chairman, LIC of India from March 2019 to March 2023. He joined LIC of India in 1983 as a Direct Recruit Officer. In a career spanning more than three and a half decades, he has had the unique privilege of heading three Zones of LIC of India, viz. Southern Zone, North Central Zone and Northern Zone, head quartered at Chennai, Kanpur and Delhi, respectively.<br>As an Executive Director, he headed the Personnel Department as well as the Pension and Group Insurance vertical of the Corporation. During his tenure, several initiatives were rolled out for the benefit of the employees. Moreover, working in different streams of life insurance management viz., administrative, marketing, group and social securities, has given him the twin advantages of enriched knowledge and clarity on processes and procedures in the life insurance industry.<br>In addition to being Chairman of LIC, he was also the Non-Executive Chairman of LIC Housing Finance Ltd., LIC Pension Fund Ltd, LIC Mutual Fund AMC Ltd., LIC Cards Services Ltd., IDBI Bank, LIC Singapore Pte. Ltd., LIC Lanka Ltd., LIC (International) BSC, Bahrain, LIC Nepal. Ltd. As Non-executive Chairman of IDBI Bank, he was involved in strategizing the turnaround of IDBI Bank from a loss making entity to profitable one.<br>He also held position as Director on the Board of Kenindia Assurance Co. Ltd, Kenya and ACC Ltd., India.<br>He was also Chairman of the Governing Board of National Insurance Academy, President of Insurance Institute of India and Chairman of Council of Insurance Ombudsman. |

| Sr. No. | Name | Age | Date of Appointment | Expiry date of Current term | Nature of Expertise | Brief Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | | | | | | Currently, he is Director on the Board of Ambuja Cements Ltd., M/s. Aurobindo Pharma Limited (w.e.f. 01.04.2024) and Non-executive Independent Director in Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (w.e.f. 01.05.2024). |
| 4. | Shri Rajiv Mishra | 52 | 01-03-2024 | 28-02-2027 | Banking | Shri Rajiv Mishra has completed his post-graduation with an MBA, B.E, and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers and the Insurance Institute of India. He was part of the Leadership Development Program for Senior PSB Management with BBB and IIM-Bangalore.<br>Shri Mishra has 24 years of deep and diverse experience across Digital, Analytics & IT, Retail and MSME Credit and Recovery. He spearheaded the digital journey transformation for Union Bank of India, including the launch of their flagship mobile app VYOM.<br>Shri Mishra has occupied multiple leadership positions across field and verticals. He led the successful business performance of Union Bank of India's largest and critical units viz., Mumbai, Lucknow, Kolkata and Varanasi as Zonal Head and Regional Head. He has also headed Digital, IT & Analytics, Recovery and Liabilities. Shri Mishra has also served on the boards of Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi, UP Industrial Consultant Ltd, established by Govt. of UP, SIDBI & PSBs and UBI Services Ltd. |

**Cessation :** The following members ceased to be the Directors during the financial year 2023-24 :

| Sr. No. | Name of Director | Category | Date of Cessation | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Subrata Das | RBI Nominee Director | 14.07.2023 | Completion of tenure |
| 2. | Shri Swarup Dasgupta | Executive Director | 29.02.2024 | Superannuation |

### Inter-se relationship of Directors :

There is no inter-se relationship amongst the Directors.

### Committee Membership of Directors :

In terms of regulations 26(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Chairpersonship and Membership of Audit Committee of the Board (ACB) and Stakeholders Relationship Committee (SRC) are considered for this disclosure.

No Director of the Bank was a member in more than 10 committees or acted as Chairperson of more than 5 Committees across all listed entities/public limited companies in which he/she was a Director during the year 2023-24.

Details of Membership/Chairmanship held by the Directors on the Committees of the Bank and other listed/public limited companies where he/she was a Director as on 31.03.2024 are as given here under:

| Sr. No. | Name & Designation of Director | Name of the Company | Name of the Committee (ACB/SRC) | Member |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri M.R.Kumar (Non-Executive Chairman) | Bank of India<br>Ambuja Cement Co.Ltd. | Nil<br>Nil | Nil<br>Nil |
| 2. | Shri Rajneesh Karnatak (MD & CEO) | Bank of India | Nil | Nil |
| 3. | Shri P.R.Rajagopal (Executive Director) | Bank of India | SRC | Member |
| 4. | Shri M. Karthikeyan (Executive Director) | Bank of India | SRC | Member |
| 5. | Shri Subrat Kumar (Executive Director) | Bank of India | SRC | Member |
| 6. | Shri Rajiv Mishra (Executive Director) | Bank of India | SRC | Member |
| 7. | Shri Bhushan Kumar Sinha (Government Nominee Director) | Bank of India<br>India Infrastructure Co. Ltd. | ACB<br>Nil | Member<br>Nil |

| Sr. No. | Name & Designation of Director | Name of the Company | Name of the Committee (ACB/SRC) | Member |
|---|---|---|---|---|
| 8. | Ms.Veni Thapar (Non-Executive Director) | Bank of India<br>SJS Enterprises Ltd.<br>Yokogawa India Limited | ACB, SRC<br>ACB, SRC<br>Nil | Chairman<br>Member<br>Nil |
| 9. | Shri Munish Kumar Ralhan (Non-Executive Independent Director) | Bank of India | ACB | Member |
| 10. | Shri Vishwanath V. Shenoy (Non-Executive Director) | Bank of India | SRC | Member |
| 11. | Shri Ashok Narain (RBI Nominee Director) | Bank of India | ACB | Member |

## Conduct of Board Meetings:

During the FY 2023-24, 21 (Twenty One) Board Meetings were held on the following dates:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2023 | 06.05.2023 | 30.05.2023 | 03.06.2023 | 23.06.2023 | 28.07.2023 |
| 04.08.2023 | 29.08.2023 | 25.09.2023 | 20.10.2023 | 04.11.2023 | 16.11.2023 |
| 25.11.2023 | 08.12.2023 | 20.12.2023 | 24.01.2024 | 02.02.2024 | 23.02.2024 |
| 29.02.2024 | 13.03.2024 | 28.03.2024 | | | |

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2023-24 are as follows:

| Name of Directors | Meetings held during their tenure | Attendance Recorded | Period (From —To) |
|---|---|---|---|
| M R Kumar | 3 | 3 | 21.02.2024 to 31.03.2024 |
| Rajneesh Karnatak | 20 | 20 | 29.04.2023 to 31.03.2024 |
| P.R. Rajagopal | 21 | 20 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Swarup Dasgupta | 19 | 17 | 01.04.2023 to 29.02.2024 |
| M. Karthikeyan | 21 | 19 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Subrat Kumar | 21 | 20 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Rajiv Mishra | 2 | 2 | 01.03.2024 to 31.03.2024 |
| Subrata Das | 5 | 3 | 01.04.2023 to 14.07.2023 |
| Bhushan Kumar Sinha | 21 | 12 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Veni Thapar | 21 | 21 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| M K Ralhan | 21 | 21 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Vishwanath V.Shenoy | 21 | 21 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Ashok Narain | 16 | 16 | 14.07.2023 to 31.03.2024 |

## Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

| Serial No. | Name of the Committee |
|---|---|
| 1. | Management Committee of the Board |
| 2. | Credit Approval Committee of the Board |
| 3. | Audit Committee of the Board |
| 4. | Stakeholders' Relationship Committee |
| 5. | Share Transfer Committee |
| 6. | Committee of Directors for Risk Management |
| 7. | Committee of Directors for Customer Services |
| 8. | Nomination and Remuneration Committee of Directors |
| 9. | Investment Approval Committee |
| 10. | Committee for Monitoring of Large Value Frauds |
| 11. | IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee |
| 12. | Directors Promotion Committee |
| 13. | Steering Committee of the Board on HR |

| Serial No. | Name of the Committee |
|---|---|
| 14. | Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets |
| 15. | Review Committee for Wilful Defaulters |
| 16. | Independent Directors' Committee of the Board |
| 17. | Disciplinary Proceeding Committee |
| 18. | Corporate Social Responsibility Committee |
| 19. | Committee for Performance Evaluation of MD&CEO, Executive Directors and General Managers |
| 20. | Committee for declaration of Non Co-operative Borrower |
| 21. | Group Governance Unit Committee |

## 1. The Management Committee of the Board

It is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2024, it comprised of 7 members consisting of MD & CEO, 4 Executive Directors, RBI Nominee Director and One Shareholder Director.

The Management Committee of the Board met 26 times during the FY 2023-24 on the following dates:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2023 | 26-04-2023 | 12-05-2023 | 25-05-2023 | 09-06-2023 | 22-06-2023 |
| 14-07-2023 | 26-07-2023 | 10-08-2023 | 25-08-2023 | 05-09-2023 | 11-09-2023 |
| 25-09-2023 | 13-10-2023 | 26-10-2023 | 10-11-2023 | 28-11-2023 | 12-12-2023 |
| 20-12-2023 | 11-01-2024 | 20-01-2024 | 09-02-2024 | 16-02-2024 | 02-03-2024 |
| 19-03-2024 | 28-03-2024 | | | | |

Details of attendance of the Directors at the Meetings of the Management Committee in FY 2023-24 are as follows:

| Name of Directors | Meetings held during their tenure | Attendance Recorded | Period (From —To) |
|---|---|---|---|
| Rajneesh Karnatak | 24 | 24 | 29.04.2023 to 31.03.2024 |
| P.R. Rajagopal | 26 | 23 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Swarup Dasgupta | 23 | 18 | 01.04.2023 to 29.02.2024 |
| M. Karthikeyan | 26 | 20 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Subrat Kumar | 26 | 22 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Rajiv Mishra | 3 | 3 | 01.03.2024 to 31.03.2024 |
| Subrata Das | 7 | 5 | 01.04.2023 to 14.07.2023 |
| M K Ralhan | 2 | 2 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Vishwanath V.Shenoy | 26 | 25 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Ashok Narain | 19 | 19 | 14.07.2023 to 31.03.2024 |

## 2. Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-130.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs.800 Crore in case of our Bank and exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the Committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, The General Manager in-charge of Finance, General Manager in-charge of Risk Management and CGM/General Manager in charge of Credit. The Committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 30 times during the FY 2023-24 on the following dates:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2023 | 26-04-2023 | 12-05-2023 | 25-05-2023 | 09-06-2023 | 23-06-2023 |
| 14-07-2023 | 26-07-2023 | 04-08-2023 | 10-08-2023 | 25-08-2023 | 06-09-2023 |
| 11-09-2023 | 16-09-2023 | 05-10-2023 | 12-10-2023 | 26-10-2023 | 10-11-2023 |
| 15-11-2023 | 23-11-2023 | 06-12-2023 | 12-12-2023 | 20-12-2023 | 04-01-2024 |
| 18-01-2024 | 25-01-2024 | 13-02-2024 | 28-02-2024 | 18-03-2024 | 28-03-2024 |

### 3. Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

As on 31.03.2024, the Audit Committee comprises of 4 members viz. Shareholder Director, Part-time Non-Official Director, Government Nominee Director and Reserve Bank of India Nominee Director.

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to placing before the Board of Directors for approval.

During the FY 2023-24, the Audit Committee met 14 times on the following dates.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2023 | 06-05-2023 | 15-07-2023 | 28-07-2023 | 18-08-2023 | 20-09-2023 |
| 06-10-2023 | 21-10-2023 | 04-11-2023 | 23-11-2023. | 16-01-2024 | 02-02-2024 |
| 03-02-2024 | 12-03-2024 | | | | |

Details of attendance of the Directors at the Meetings of the Audit Committee of the Board are as follows:

| Name of Directors | Meetings held during their tenure | Attendance Recorded | Period (From —To) |
|---|---|---|---|
| Veni Thapar | 14 | 14 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Subrata Das | 2 | 2 | 01.04.2023 to 14.07.2023 |
| Bhushan Kumar Sinha | 14 | 10 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| M K Ralhan | 13 | 13 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Ashok Narain | 11 | 11 | 14.07.2023 to 31.03.2024 |

### 4. Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Four Executive Directors and Two Shareholder Directors of the Bank.

Shri Rajesh V Upadhya, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2023-24, Bank has received 161 Complaints. All of these have been resolved.

The Committee met 2 times during the FY 2023-24 on the following dates:

| | |
|---|---|
| 05.08.2023 | 08.12.2023 |

The attendance record of the members in the above meetings is shown below:

| Name of Director | Meetings held during their tenure | Attendance Recorded | Period (From – To) |
|---|---|---|---|
| P R Rajagopal | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Swarup Dasgupta | 02 | 02 | 01.04.2023-29.02.2024 |
| M Karthikeyan | 02 | 01 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Subrat Kumar | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Veni Thapar | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Vishwanath V Shenoy | 02 | 02 | 01.04.2023-31.03.2024 |

### 5. Share Transfer Committee:

It comprises of Managing Director & CEO or in his absence any Executive Director and two Shareholder Directors. The Committee met 2 times during the FY 2023-24 on the following dates:

| | |
|---|---|
| 05.08.2023 | 08.12.2023 |

### 6. Committee of Directors for Risk Management:

This Committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of MD & CEO, four Executive Directors, One Government Nominee Director, One Shareholder Director and One Part time non official director (Independent Director). The Committee met 11 times during the FY 2023-24.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2023 | 23.06.2023 | 28.07.2023 | 05.08.2023 | 11.09.2023 | 06.10.2023 |
| 16.11.2023 | 07.12.2023 | 05.01.2024 | 17.02.2024 | 13.03.2024 | |

The attendance record of the members in the above meetings is shown below:

| Name of Director | Meetings held during their tenure | Attendance Recorded | Period (From – To) |
|---|---|---|---|
| Rajneesh Karnatak | 10 | 09 | 29.04.2023-31.03.2024 |
| P R Rajagopal | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Swarup Dasgupta | 10 | 06 | 01.04.2023-29.02.2024 |
| M Karthikeyan | 11 | 07 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Subrat Kumar | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Rajiv Mishra | 01 | 01 | 01.03.2024-31.03.2024 |
| Veni Thapar | 11 | 11 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Munish Kumar Ralhan | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Vishwanath V Shenoy | 11 | 10 | 01.04.2023-31.03.2024 |

### 7. Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the Committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the Head Office). It comprises of Whole Time Directors, GOI Nominee Director, one Shareholder's Director and one Part time non official director. The Committee met 4 times during the FY 2023-24.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18.05.2023 | 07.09.2023 | 08.12.2023 | 28.02.2024 |

### 8. Nomination and Remuneration Committee:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down 'Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as Directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Committee was formed in terms of Reserve Bank of India Notification No: RBI/DBR/2019-20/71/ Master Direction DBR-Appl. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019. The NRC consists of Three Independent Director and one Govt. Nominee Director. The Committee met once during the FY 2023-24 on 05.01-2024.

The attendance record of the members are as under:

| Name of Director | Meetings held during their tenure | Attendance Recorded | Period (From – To) |
|---|---|---|---|
| Bhushan Kumar Sinha | 1 | 0 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Veni Thapar | 1 | 1 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Vishwanath V Shenoy | 1 | 1 | 01.04.2023-31.03.2024 |
| Munish Kumar Ralhan | 1 | 1 | 01.04.2023-31.03.2024 |

### 9. Investment Approval Committee:

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the MD & CEO, Executive Directors, Chief General Manager/General Manager – Finance, Chief General Manager/General Manager (Credit) and Chief General Manager/General Manager (Risk Management) The Committee met 19 times during the FY 2023-24.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2023 | 09-06-2023 | 14-07-2023 | 26-07-2023 | 10-08-2023 | 25-08-2023 |
| 06-09-2023 | 05-10-2023 | 26-10-2023 | 10-11-2023 | 23-11-2023 | 12-12-2023 |
| 15-12-2023 | 20-12-2023 | 18-01-2024 | 09-02-2024 | 28-02-2024 | 05-03-2024 |
| 18-03-2024 | | | | | |

### 10. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

The Committee was formed to monitor large value frauds. This Committee consist of Chairman (w.e.f.21.02.2024), Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and three other Non-Executive Directors. The Committee met 4 times during the FY 2023-24.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-06-2023 | 29-08-2023 | 07-12-2023 | 12-03-2024 |

### 11. IT Strategy and Digital Payment Promotion Committee:

The Committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Managing Director & CEO, Executive Directors, Government Nominee Director and two other Non-Executive Independent Directors. During the FY 2023-24, the Committee met 8 times.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-04-2023 | 15-07-2023 | 18-08-2023 | 20-10-2023 | 07-12-2023 | 25-01-2024 |
| 17-02-2024 | 27-03-2024 | | | | |

## 12. Directors Promotion Committee:

The Committee was formed on Ministry of Finance (DFS) Guidelines. The members of this Committee are Managing Director & CEO, GOI Nominee Director and RBI Nominee Director. During the FY 2023-24, it met once on 22-03-2024.

## 13. Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director, Part time non-official Director and one Shareholder Director. During the FY 2023-24 it met 7 times on.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-05-2023 | 04-08-2023 | 16-09-2023 | 20-10-2023 | 14-12-2023 | 24-01-2024 |
| 27-03-2024 | | | | | |

## 14. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 50 NPAs. This Committee consist of Managing Director & CEO,Executive Directors, Govt. Nominee Director, Part Time Non official Director. General Manager – Recovery Department is the convener. During the FY 2023-24, it met 4 times on

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-06-2023 | 29-08-2023 | 07-12-2023 | 12-03-2024 |

## 15. Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Two Shareholder Directors and one Part time non official Director. During the FY 2023-24, it met 4 times on

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-05-2023 | 07-09-2023 | 14-12-2023 | 13-03-2024 |

## 16. Independent Directors' Committee:

Two Shareholder Directors and one part time non-official Director are the members of this Committee. The Independent Directors' Committee of the Board met once on 19.04.2023.

Details of attendance of the Independent Directors' Committee for Meetings in FY 2023-24 are as follows:

| Name of Directors | Meetings held during their tenure | Attendance Recorded | Period (From —To) |
|---|---|---|---|
| Veni Thapar | 1 | 1 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| M K Ralhan | 1 | 1 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |
| Vishwanath V.Shenoy | 1 | 1 | 01.04.2023 to 31.03.2024 |

## 17. Disciplinary Proceedings Committee:

The Members of this Committee are Managing Director & CEO, Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and one Shareholder Director. During the FY 2023-24, it met on 4 times on

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-05-2023 | 07-09-2023 | 14-12-2023 | 13-03-2024 |

## 18. Corporate Social Responsibility Committee:

Committee consist of Managing Director & CEO, four Executive Directors and two Independent Director are members of this Committee. The Committee met 4 times during the FY 2023-24 on following dates.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-05-2023 | 07-09-2023 | 08-12-2023 | 27-03-2024 |

## 19. Committee for Performance Evaluation of Managing Director & Chief Executive Officer, Executive Directors and General Managers

This Committee is constituted as per Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services directives F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019. The Members of this Committee are two Shareholder Directors, Govt. Nominee Director and one non official part time Director. The Committee met on 23.05.2023

## 20. Committee for declaration of Non Co-operative Borrower

The Committee was constituted as per RBI Circular RBI/2014-15/362- DBR No. CID.BC.54/20.16.064/2014-15. The Committee consists of Managing Director & CEO, one Shareholder Director and one Part time Non official Director. During the year, the Committee met 4 times

on the following dates.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18-05-2023 | 07-09-2023 | 14-12-2023 | 13-03-2024 |

## 21. Group Governance Unit Committee

The Committee consists of Chairman (w.e.f.21.02.2024), Managing Director & CEO, four Executive Directors and Two Shareholder Directors and one Part Time Non Official Director. The Committee met 4 times during the Financial Year 2023-24 on the following dates.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23-05-2023 | 05-08-2023 | 07-12-2023 | 12-03-2024 |

## Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

Shri Rajneesh Karnatak, MD & CEO, Executive Directors- Shri P R Rajagopal, Shri Swarup Dasgupta, Shri M Karthikeyan, Shri Subrat Kumar, Shareholder Directors - Smt. Veni Thapar, Vishwanath V. Shenoy and Non-Executive Director Shri Munish Kumar Ralhan attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty Seventh Annual General Meeting of the Bank held on 27th June, 2023.

## Details of Senior Management

Bank has identified all the Chief General Managers, who are one level below the whole time directors, as part of the Senior Management. The details of the Senior Management as on 31.03.2024 is as under:

| Sr. No. | Name | Date of Appointment | Department |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Abhijit Bose | 28-01-2022 | Fraud Risk Management, General Operations, Premises, Business Process Reengineering |
| 2. | Shri Ashok Kumar Pathak | 28-01-2022 | Retail, Rural, MSME, Financial Inclusion |
| 3. | Shri Sudhiranjan Padhi | 31-03-2023 | Information Technology |
| 4. | Shri P.K.Giri | 31-03-2023 | Compliance |
| 5. | Shri P.Hari Kishan | 01-04-2023 | Risk Management |
| 6. | Shri Sharda Bhushan Rai | 01-04-2023 | Resource Mobilisation, Publicty & PR, Marketing, Third Party Products & Govt. Business, CEBB, Call Centre |
| 7. | Shri Gyaneshwar Prasad | 01-07-2023 | Inspection & Audit |
| 8. | Shri Rajesh Ingle | 06-11-2023 | Human Resources, Learning & Development, Finance, Planning |
| 9. | Shri Nitin G. Deshpande | 01-04-2023 | International, International Subsidiaries, Corporate Credit, Treasury, Foreign Business |
| 10. | Shri Prashant Thapliyal | 01-03-2024 | Recovery & Credit Monitoring, Stressed Assets Recovery, Legal |

**Cessation :** The following members of Senior Management retired during the financial year 2023-24:

| Sr. No. | Name | Department | Date of Appointment | Date of Retirement/cessation |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Manoj Das | International, International Subsidiaries, Corporate Credit, Treasury, Foreign Business | 22-01-2022 | 30-06-2023 |
| 2. | Shri P.K.Sinha | Recovery & Credit Monitoring, Stressed Assets Recovery, Legal | 28-01-2022 | 29-02-2024 |
| 3. | Shri Shiv Bajrang Singh | Human Resources, Learning & Development, Finance, Planning | 31-03-2023 | 09-10-2023 (On elevation as Executive Director of Indian Bank) |

## Share Transfers and Redressal of Shareholders/Investors Grievances:

The Bank has constituted the Share Transfer Committee of the Board to consider the transfer of shares and other related matters. In terms of SEBI guidelines dated 08-06-2018 and SEBI Press Release dated 03-12-2018, physical transfer of shares is not permitted after 31-03-2019. Thus, shareholders are requested to open a demat account and dematerialise their physical shareholding.

Further, in the interest of investors and with a view to enhance ease of dealing in securities markets by investors, SEBI, vide its circular dated 25-01-2022, decided that the listed entities shall henceforth issue the shares in dematerialised mode only while processing the following service requests:

- Issue of duplicate securities certificate;
- Claim from Unclaimed Suspense Account;
- Renewal / Exchange of securities certificate;
- Endorsement;
- Sub-division / Splitting of securities certificate;
- Consolidate of securities certificate / folios;
- Transmission;
- Transposition

The shareholder / claimant shall submit duly filled up Form ISR-4 and the RTA / listed entity shall, after processing the service requests, issue a "Letter of Confirmation" instead of physical certificates to the shareholder / claimant within 30 days of such requests after removing objections, if any.

The Letter of confirmation shall be valid for 120 days from the date

of its issuance within which the shareholder / claimant shall lake a request to the depository participant for dematerialising the said securities.

The RTA shall issue a reminder after the end of 45 days and 90 days from the date of issuance of Letter of Confirmation, informing the securities holder / claimant to submit the demat request.

The RTA shall retain the physical share certificate as per the existing procedure and deface the certificate with a stamp "Letter of Confirmation issued" on the face / reverse of the certificate, subsequent to processing the service request.

Depository Participant shall generate the demat request on the basis of the Letter of Confirmation and forward the same to the Listed entity / RTA for processing the demat request.

If demat request is not received within 120 days of the Letter of Confirmation, shares shall be credited to the Suspense Escrow Demat Account of the entity.

In compliance with SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank has appointed M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., as its Registrar and Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of Shares, transmission, dividend, recording of shareholders' requests, and solution of shareholders' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

**For Equity Shares and Debentures/ Bonds:**

Bigshare Services Pvt. Ltd.,

Unit: Bank of India,

Office No S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,

Andheri (East) Mumbai – 400093

E-mail: investor@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051, Phone: 022 – 6668 4491, Fax: 022 - 6668 4491,

E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in.

## General Body Meetings:

| Sr. No. | Nature of Meeting | Dat & Time | Venue | Special Resolution |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Twenty Seventh Annual General Meeting | Tuesday, 27th June 2023 at 11.00 am through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) | Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051 | 1) Appointment of Shri Munish Kumar Ralhan as part-time Non-Official Director of the Bank.<br>2) Raising of capital by way of issuing fresh equity shares and/ or by way of issuance of Tier I & Tier II Capital as per BASEL III guidelines. |
| 2. | Extraordinary General Meeting | Wednesday, 28th November, 2022 at 11.00 A.M through Video Conference (VC)/Other Audio Visual Means (OAVC). | Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051 | Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. |
| 3. | Twenty Sixth Annual General Meeting | Tuesday, 15th July 2022 at 12.00 noon through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) | Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051 | Approval to issue Fresh Equity Capital |
| 4. | Extraordinary General meeting | Wednesday 15th December, 2021 at 11.00. a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) | Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051 | Election of One Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government. |
| 5. | Twenty Fifth Annual General Meeting | Tuesday 20th July, 2021 at 11.00 A.M through Video Conference (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) | Bank of India Head Office, Star House, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai — 400 051 | Approval to issue fresh Equity Capital and Tier-I/Tier-II Bonds |

## Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Bank has complied with the provisions of SEBI (LODR) Regulations, 2015 except where the provisions of these regulations are not in conformity with the Nationalisation Act and the guidelines issued by RBI and Government of India.

### i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other Directors except sitting fees which is as under:

| Sr | Particulars | Sitting Fees * |
|---|---|---|
| 1. | For attending Board Meeting. | Rs.70, 000/- |
| 2. | For attending meeting of Board Committee | Rs.35, 000/- |
| 3. | For Chairing Board Meeting | Rs.20,000/- [in addition to (a) above] |
| 4. | For Chairing meeting of Board Committee | Rs.10,000/- [in addition to (b) above] |

*Subject to an overall ceiling of Rs.25.00 lakhs per annum per Director.

In addition to sitting fees, every such director travelling in connection with the work of the Bank shall be reimbursed Travelling & Halting expenses, if any, in terms of the provisions of clauses 17 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, on such basis as may be fixed by Central Government from time to time.

### ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc., which may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the Non-Executive Director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

### iii) Proceeds from Public issues, Right issues, Preferential issues, Tier 2 bonds, etc.

During the year under review, the Bank has raised the following capital

By Issue of Basel III compliant Bonds: Rs 2000 Crores through Tier II bonds on 15/09/2023

By issue of Equity Shares: Rs.4500 Crores on 11.12.2023,

| Date of Allotment | Particulars | Number of Shares/ Bonds | Issue Size |
|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | Unsecured, Subordinate Non-Convertible, Taxable, fully paid-up,Redeemable Basel III compliant 7.88 % Tier II Bonds, Series XVI in the nature of debentures of face value Rs.1 Crore each (the "Bonds") | 2000 | Rs.2000 Crore |
| 11.12.2023 | Qualified Institutions Placement of equity shares of face value of Rs.10 each under the provisions of Chapter VI of SEBI(Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations 2018, as amended (the "SEBI ICDR Regulations") | 44,91,01,796 of Rs.10/- each | Rs.4500 Crore |

iv) The funds were raised with the primary objective of augmenting CET-1 and Tier-II Capital for Strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

v) No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

vi) As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every Year from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vii) In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Share Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositories and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

viii) At present, the Bank does not have any material subsidiary.

ix) **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 19.04.2023.

x) **Training of Non-Executive Directors:**

Following training was imparted to Non-Executive Directors

| Sr. No. | Name of Non-Executive Director | Training details |
|---|---|---|
| 1. | Shri M.K.Ralhan | Certification Programme for Effectiveness of Audit Committee<br>Director Development Programme |
| 2. | Shri Vishwanath Shenoy | Director Development Programme |
| 3. | Ms.Veni Thapar | Certification Programme for Effectiveness of Audit Committee |
| 4. | Shri Ashok Narain | Programme on KYC/AML |

xi) Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/BOI_Code_of_Conduct_Dir_19042021.pdf/c54b5953-f8df-6d80-0b31-19b3bc4d3cdc?t=1663586179347

xii) Whistle Blower Policy is posted at Bank's website – https://bankofindia.co.in/documents/20121/442930/POLICY.pdf/944036f2-d687-0f16-3169-7cec618d3028?t=1663586343555

xiii) Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee of the Bank. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website-

https://bankofindia.co.in/documents/20121/0/Policy_on_Related_Party_Transactions.pdf Details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiv) Remuneration Policy - The Remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of other staff members is as per the Tripartite Agreement of the IBA.

xv) Takeover Code: The Bank has also complied, from time to time, with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended.

xvi) **Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:**

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in shares of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was kept closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

| Dates of closure of trading window | Purpose of closure |
|---|---|
| w.e.f Saturday, 01.04.2023 To Friday 12.05.2023 | Declaration of Financial Results for the year ended 31st March, 2023. |
| w.e.f Friday, 30.06.2023 To Saturday 30.07.2023 | Declaration of Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2023. |
| w.e.f Saturday, 30.09.2023 To Monday 06.11.2023 | Declaration of Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2023. |
| w.e.f Monday, 01.01.2024 To Sunday 04.02.2024 | Declaration of Financial Results for the Quarter ended 31st December, 2023. |

xvii) **Compliance Report on Corporate Governance :**

The Bank has submitted quarterly compliance reports on Corporate Governance in the specified format to BSE Ltd. (BSE) & National Stock Exchange of India Ltd.(NSE) within stipulated timeline.

xviii) **Details of fees paid to Auditors:**

| Sr. No. | Particulars | Amount (Rs. In Crore) |
|---|---|---|
| 1. | Amount paid to Auditors of the Bank for the year 2023-24 | 99.39 |
| 2. | Amount paid to Auditors of the Bank and its subsidiaries for the year 2023-24 | 101.98 |

xix) Disclosure in relation to the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

| | |
|---|---|
| No of Complaints Filed during the FY2023-24 | 12 |
| Complaints resolved during the year FY 2023-24 | 12 |
| Complaints Pending for Resolution FY 2023-24 | 0 |

xx) Details of Material Subsidiaries of the Bank: None of the Subsidiaries of the Bank is a Material Subsidiary.

## Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Business Standard in English, Business Standard in Hindi and Loksatta in Marathi (Regional language). The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to Institutional Investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI LODR Regulations, Bank of India files its financial and other information online on the web portals of the Stock Exchange.

## Financial Calendar: From 1st April, 2024:

| | |
|---|---|
| Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend, if any | 10.05.2024 |
| Posting of Annual Report | By Email /Speed Post/ Courier. |
| Book Closure dates (both days inclusive) | 19.06.2024 to 25.06.2024 |
| Last date for receipt of Authorised Representation | 18.06.2024 |
| Record Date for payment of dividend | 18.06.2024 |
| Date, Time, Venue of 28th AGM | 25.06.2024 (Tuesday) through VC / OAVM<br>Bank of India, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051. |
| Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters | Within 45 days of the relevant quarter. |

## Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd., and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

| | |
|---|---|
| The BSE Ltd. (BSE) | 532149 |
| National Stock Exchange of India Limited (NSE) | BANKINDIA |
| ISIN Number | INE084A01016 |

Annual listing fee for 2023-24 has been paid to both the Stock Exchanges.

The Bank has issued Basel III Compliant Non-Convertible Bonds in the nature of Debentures (Additional Tier I and Tier II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

## TIER I and TIER II BONDS OUTSTANDING POSITION AS ON 31.03.2024

| Particulars of the Issue | | Total Value (Rs. in Crores) | ISIN No. |
|---|---|---|---|
| **Additional Tier I** | **Coupon Rate** | | |
| Series - VI | 9.04% | 750 | INE084A08136 |
| Series VII | 9.30% | 602 | INE084A08144 |
| Series VIII | 8.57% | 1,500 | INE084A08169 |
| **Tier II Bonds** | | | |
| Series-XII | 8.52% | 3,000 | INE084A08060 |
| Series XV | 7.14% | 1,800 | INE084A08151 |
| Series XVI | 7.88% | 2,000 | INE084A08177 |
| **TOTAL** | | **9,652** | |

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2023-24 to the Stock Exchange.

## Credit Ratings (Outlook):

| Sr. No. | Issuer Rating | Corporate Rating (Long/ Short) | Bank Fixed Deposit | Additional Tier I Bonds | Tier II Bonds | Certificate of Deposit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fitch Ratings | BBB- (Stable) | - | - | - | - |
| 2. | CRISIL Limited | - | - | AA (Stable) | AA+ (Stable) | A1+ |
| 3. | India Ratings | AA+ (Stable) | - | - | - | - |
| 4. | InfomericValuation & Rating | AAA (Stable) | - | - | AAA (Stable) | - |
| 5. | Acuite Ratings | | | AA (Positive) | AA+ (Positive) | - |
| 6. | Care Ratings Ltd., | | AA+ (Stable) | | AA+ (Stable) | |

## Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2024 are as under:

| Category | No. of Shareholders | Shareholders In % | No. of Shares | Share holding % |
|---|---|---|---|---|
| **NSDL** | 1,80,855 | 28.78 | 1,05,04,57,392 | 23.07 |
| **CDSL** | 3,59,471 | 57.20 | 3,48,91,53,120 | 76.64 |
| **Physical** | 88,077 | 14.02 | 1,30,57,354 | 0.29 |
| **Total** | **6,28,403** | **100.00** | **4,55,26,67,866** | **100.00** |

## DIVIDEND / INTEREST PAYMENT THROUGH ELECTRONIC MODES

The Bank is paying Dividend on Shares / Interest on Bonds to the Investors through various electronic modes, wherever mandate is given by the Investors. For this purpose, Bank is using the services of National Automated Clearing House (NACH), National Electronic Clearing Services (NECS), RTGS, NEFT and Direct Credit, etc.

Investors may lodge their mandate with Bank's Registrar and Transfer Agent, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., at the address given in this report.

## PAYMENT OF DIVIDEND / RECORD DATE:

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of Rs.2.80 per equity share (i.e. 28%) of face value of Rs.10/- each to the Shareholders for the year 2023-24, subject to the approval of the Shareholders at the AGM. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL as on, 18.06.2024 (hereinafter referred to as Record Date). The dividend will be paid to the shareholders within 30 days from the date of declaration at the Annual General Meeting.

## UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for the year 2021-22, & 2022-23 are requested to contact the Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Bank, M/s Bigshare Services Pvt. Ltd., for receiving the dividend.

As per Section 10B of the Nationalisation Act, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 125 of the Companies Act, 2013. All the dividends unclaimed for a period of seven years (pertaining to FY upto 2014-15) have been transferred to the IEPF Authority. Bank has not declared any dividend during FY 2015-16 to FY 2020-21.

## UNCLAIMED SHARES:

Nil.

## SUSPENSE ESCROW A/c.:

SEBI vide Circular No: SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25.01.2022 had directed listed entities to issue the securities in dematerialized form only while processing various investor service requests like issue of duplicate share certificate, transmission of shares, etc.

2. In this regard, para 3.c of the above mentioned SEBI circular provides that in case the securities holder / claimant fails to submit the demat request within 120 days from the date of issuance of Letter of Confirmation (LOC), RTA/Issuer company shall credit the securities to the Suspense Escrow Demat Account of the Company. Bank has opened the Suspense Escrow A/c. in 2023. The details of the same as on 31.03.2024 is as under :

| Particulars | No.of shareholders | No.of shares |
|---|---|---|
| Balance as on 01.04.2023 | 2 | 500 |
| Shareholders to whose shares were transferred during the year 2022-23 | 1 | 300 |
| Balance as on 31.03.2024 | 1 | 200 |

## Shareholding Pattern as on 31.03.2024:

| Category of Shareholders | Number of Shareholders | Number of Shares | % of Holding | Shares under Lock- in | % of Shares under Lock-in |
|---|---|---|---|---|---|
| Promoter (Government of India) | 1 | 3,34,08,61,720 | 73.38 | 42,11,70,854 | 12.61 |
| Mutual Funds | 96 | 22,01,05,915 | 4.83 | 0 | 0 |
| Alternate Investment Funds | 13 | 2,62,41,212 | 0.58 | 0 | 0 |
| Financial Institution/Bank | 9 | 8,42,158 | 0.02 | 0 | 0 |
| Insurance Company | 60 | 46,20,76,290 | 10.15 | 0 | 0 |
| Bodies Corporate | 1,513 | 2,04,04,467 | 0.45 | 0 | 0 |
| Foreign Financial Institution Investor | 8 | 5,000 | 0.00 | 0 | 0 |
| Indian public | 6,17,856 | 25,48,37,181 | 5.60 | 0 | 0 |
| Others | 8,847 | 22,72,91,223 | 4.99 | 0 | 0 |
| **Total** | **6,28,403** | **4,55,26,65,166** | **100.00** | **42,11,70,854** | **12.61** |

## Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

| Name of the Shareholder | Number of Shares | % of Holding |
|---|---|---|
| LIC OF INDIA | 28,92,87,324 | 7.05% |

## Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2024:

| No. of Equity Shares held | Folio | | Shares | |
|---|---|---|---|---|
| | Nos. | % age | Nos. | % age |
| Upto 500 | 5,59,223 | 88.99 | 5,96,31,112 | 1.31 |
| 501 to 1000 | 33,531 | 5.34 | 2,68,08,090 | 0.59 |
| 1001 to 5000 | 29,578 | 4.71 | 6,64,26,171 | 1.46 |
| 5001 to 10000 | 3,349 | 0.53 | 2,51,55,011 | 0.55 |
| 10001 & Above | 2,722 | 0.43 | 4,37,46,47,482 | 96.09 |
| **Total** | 6,28,403 | 100.00 | 4,55,26,67,866 | 100.00 |

## SHARE PRICE/VOLUME:

| Months | BSE | | | NSE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | High Price | Low Price | Volume (No.of Shares) | High Price | Low Price | Volume (No.of Shares) |
| Apr-23 | 84.50 | 74.10 | 1,80,36,828 | 84.50 | 74.10 | 16,84,18,853 |
| May-23 | 89.15 | 72.05 | 1,61,46,784 | 89.20 | 72.00 | 19,83,57,942 |
| Jun-23 | 75.85 | 69.41 | 1,68,56,731 | 75.90 | 65.50 | 11,68,38,595 |
| Jul-23 | 86.84 | 74.00 | 1,96,93,297 | 86.80 | 74.00 | 28,46,24,599 |
| Aug-23 | 91.89 | 82.50 | 1,89,86,628 | 91.90 | 82.55 | 2,70,291,883 |
| Sep-23 | 114.02 | 85.27 | 3,80,11,898 | 113.80 | 85.25 | 56,36,66,323 |
| Oct-23 | 113.80 | 86.40 | 2,04,25,896 | 113.80 | 86.40 | 25,42,98,171 |
| Nov-23 | 110.75 | 95.00 | 1,03,08,799 | 110.80 | 95.05 | 17,59,51,799 |
| Dec-23 | 120.95 | 104.30 | 4,02,58,147 | 120.90 | 104.20 | 68,12,45,774 |
| Jan-24 | 141.35 | 111.95 | 4,73,88,117 | 141.40 | 111.95 | 55,23,12,363 |
| Feb-24 | 156.35 | 124.35 | 4,23,08,365 | 156.25 | 124.45 | 53,31,64,973 |
| Mar-24 | 149.40 | 125.40 | 2,27,69,648 | 149.45 | 125.10 | 28,21,03,714 |
| **Closing Price as on 31.03.2024** | **137.00** | | | **137.85** | | |
| **Market Cap** | **Rs.62,371 crore** | | | **Rs.62,758 crore** | | |

## Performance in comparison to Broad Based Indices:

| Bank of India vs Sensex | Bank of India vs Nifty Fifty |
|---|---|
| 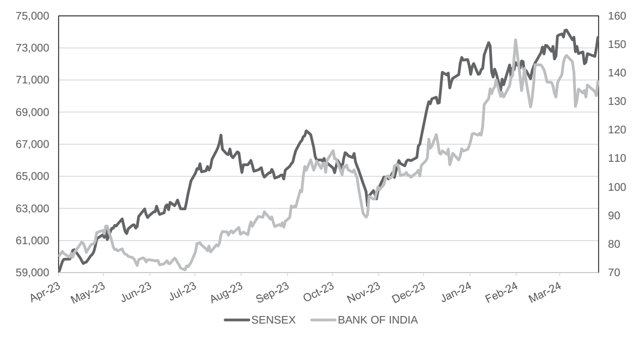 | 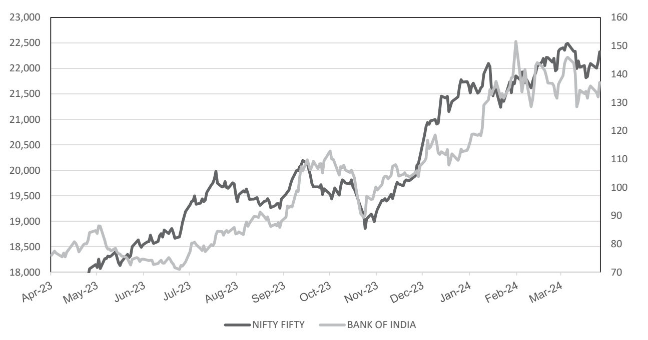 |





## Other Compliances:

1. The certificate issued by the practicing Company Secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

2. A Certificate from a Company Secretary in practice that none of the Directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Board / Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is enclosed.

3. Secretarial Audit Report:

   In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015, the Annual Secretarial Compliance Report (Form MR 3) is enclosed.

4. Financial Statements of Subsidiaries:

   In compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015, the Audited Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

## Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations, 2015:

| Sr. No. | Non Mandatory requirements | Status of implementation |
|---|---|---|
| 1. | The Board – A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses | The Chairman's Position is Non- Executive and there is a separate office in the Bank. |
| 2. | Shareholder's Rights- A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders. | The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually. |
| 3. | Modified Opinion (s) in Audit Report –The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. | The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion. |
| 4 | Reporting of Internal Auditor | All internal auditors are appointed by our Inspection and Audit Department, which reports to Audit Committee. |
| 5. | Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer- The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer. | The Bank is having this position. GOI has appointed Non-Executive Chairman Shri M.R.Kumar on 21.02.2024. |

# सावंत एंड एसोसिएट्स

## प्रैक्टीस करने वाले कंपनी सचिव

## कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

**सदस्यगण**
**बैंक ऑफ इंडिया**
**स्टार हाउस,सी-5,जी ब्लॉक**
**बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स**
**बांद्रा (पूर्व)**
**मुंबई-400 051**

हमने 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्सचेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है,के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया (''दी बैंक/कंपनी'') के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाणत्र न कोई लेखा परीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

**यूडीआईएन : A041210F000244325**

**कृते सावंत एंड एसोसिएट्स**
प्रैक्टीस करने वाले कंपनी सचिव

**प्राची प्रकाश सावंत**
सदस्य सं.: ए41210
सीओपी नं: 16317
पीआर: 2615/2022

स्थान: मुंबई
दिनांक : 25.04.2024

# SAWANT & ASSOCIATES

## PRACTISING COMPANY SECRETARY

## CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

**The Members**
**Bank of India**
**Star House, C-5, `G' Block,**
**Bandra-Kurla Complex,**
**Bandra (East)**
**Mumbai 400 051**

We have examined all the relevant records of the Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliance with the conditions of the Corporate Governance under Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited (Stock Exchanges) for the financial year from April 01, 2023 to March 31, 2024.

The compliance with conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation processes adopted by the bank to ensure compliance with the conditions of Corporate Governance. This Certificate is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations and information furnished to us, we certify that the Bank has complied with all the conditions of Corporate Governance as stipulated in the SEBI (LODR) 2015.

**UDIN: A041210F000244325**

**For Sawant & Associates**
Practising Company Secretaries

**Prachi Prakash Sawant**
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai
Date: 25/04/2024

# सावंत एंड एसोसिएट्स

## प्रैक्टीस करने वाले कंपनी सचिव

### निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V, पैरा सी, खण्ड(10)(i)के अनुसार.

प्रति,

बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य

हमने बैंक ऑफ़ इंडिया, जिसका प्रधान कार्यालय, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 (इसके बाद इसे " बैंक" कहा जाएगा), है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न तथा प्रकटनों की जांच की है, जिन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची V पैरा सी, खण्ड 10(i) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन से बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और यथा आवश्यक माने गए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर उपलब्ध सत्यापनों(निदेशकों की पहचान संख्या(डीआईएन) सहित) एवं बैंक, और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे बताये गए अनुसार बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड/कॉरपोरेट मामले मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/भारतीय रिज़र्व बैंक या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखे जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

| क्रं सं. | निदेशक का नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | त्यागपत्र देने/ सेवा समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एम.आर. कुमार | गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष | 21/02/2024 | - |
| 2. | श्री रजनीश कर्नाटक | कार्यपालक निदेशक, सीईओ - प्रबंध निदेशक | 29/04/2023 | - |
| 3. | श्री पी.आर. राजगोपाल | कार्यपालक निदेशक | 18/03/2020 | - |
| 4. | श्री स्वरूप दासगुप्ता | कार्यपालक निदेशक | 10/03/2021 | 29/02/2024 |
| 5. | श्री एम. कार्तिकेयन | कार्यपालक निदेशक | 10/03/2021 | - |
| 6. | श्री सुब्रत कुमार | कार्यपालक निदेशक | 02/11/2022 | |
| 7. | श्री राजीव मिश्रा | कार्यपालक निदेशक | 01/03/2024 | - |
| 8. | श्री भूषण कुमार सिन्हा | गैर-कार्यपालक, नामिति निदेशक | 11/04/2022 | - |
| 9. | सुश्री वेणी थापर | गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक, | 04/12/2021 | - |
| 10. | श्री मुनीश कुमार रल्हन | गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक, | 21/03/2022 | - |

# SAWANT & ASSOCIATES

## PRACTISING COMPANY SECRETARY

### CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

*(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para Clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)*

To,

The Members of Bank of India.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of India having its Head office at Star House, C-5, `G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 (hereinafter referred to as 'the Bank'), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2024 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Bank / Companies by the Securities and Exchange Board of India / Ministry of Corporate Affairs / Ministry of Finance / Reserve Bank of India or any such statutory authority.

| Sr. No. | Name of Director | Category | Date of Appointment | Date of Resignation/ Cessation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. M. R. Kumar | Non-Executive - Independent Director, Chairperson | 21/02/2024 | - |
| 2 | Mr. Rajneesh Karnatak | Executive Director, CEO- MD | 29/04/2023 | - |
| 3 | Mr. P. R. Rajgopal | Executive Director | 18/03/2020 | - |
| 4 | Mr. Swarup Dasgupta | Executive Director | 10/03/2021 | 29/02/2024 |
| 5 | Mr. M. Karthikeyan | Executive Director | 10/03/2021 | - |
| 6 | Mr. Subrat Kumar | Executive Director | 02/11/2022 | - |
| 7 | Mr. Rajiv Mishra | Executive Director | 01/03/2024 | - |
| 8 | Mr. Bhushan Kumar Sinha | Non-Executive, Nominee Director | 11/04/2022 | - |
| 9 | Ms. Veni Thapar | Non-Executive - Independent Director | 04/12/2021 | - |
| 10 | Mr. Munish Kumar Ralhan | Non-Executive - Independent Director | 21/03/2022 | - |

| क्रं सं. | निदेशक का नाम | पद | नियुक्ति की तिथि | त्यागपत्र देने/ सेवा समाप्ति की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 11. | श्री विश्वनाथ वी. शेनॉय | गैर-कार्यपालक, स्वतंत्र निदेशक, | 29/11/2022 | - |
| 12. | श्री अशोक नारायण | गैर-कार्यपालक, नामिति निदेशक | 14/07/2023 | - |
| 13. | श्री सुब्रत दास | गैर-कार्यपालक, नामिति निदेशक | 13/08/2019 | 14/07/2023 |

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, बैंक के बोर्ड में निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

नियुक्ति की पात्रता को सुनिश्चित करना/ बोर्ड में प्रत्येक निदेशक को जारी रखना, बैंक के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर, विचार प्रकट करना है।

**यूडीआईएन: A041210F000367954**

**कृते सावंत एंड एसोशिएट्स**
प्रैक्टीस करने वाले कंपनी सचिव

**प्राची प्रकाश सावंत**
सदस्यता सं.: A41210
कॉप सं.: 16317
पीआर:2615/2022

स्थान: मुंबई
दिनांक : 14/05/2024

| Sr. No. | Name of Director | Category | Date of Appointment | Date of Resignation/ Cessation |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Mr. Vishwanath V Shenoy | Non-Executive - Independent Director | 29/11/2022 | - |
| 12 | Mr. Ashok Narain | Non-Executive - Nominee Director | 14/07/2023 | - |
| 13 | Mr. Subrata Das | Non-Executive, Nominee Director | 13/08/2019 | 14/07/2023 |

The Bank, being a nationalised bank, is governed by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, and the Banking Regulation Act, 1949. The provisions of the Companies Act, 2013, do not apply to the Bank. Hence, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

**UDIN: A041210F000367954**

**For Sawant & Associates**
Practising Company Secretaries

**Prachi Prakash Sawant**
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai
Date: 14/05/2024

## फार्म संख्या एमआर-3
## सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 9 के साथ पठित सेबी के परिपत्र संख्या आईआर/सीएफ़डी/सीएमडी1/27/2009 दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में]

सेवा में,

**सदस्यगण,**
**बैंक ऑफ़ इंडिया**

हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया** (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जायेगा) के द्वारा, लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा- परीक्षा इस प्रकार से की गयी कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/ विधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है। सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान **बैंक ऑफ़ इंडिया** के बही, दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर भी,

हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया और इसके अतिरिक्त बैंक के पास उचित प्रक्रियाएं तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है- उक्त व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि यहाँ इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है :

(i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970;

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970;

(iii) बैंककारी विनियमन, 1949 और बैंकिंग विनियमन (कंपनी) नियम, 1949 (समय-समय पर संशोधित);

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945 और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निदेश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश;

(v) बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007;

(vi) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(vii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996, और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(viii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

   (ए) भारतीय प्रतिभूतिएवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

   (बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

## Form No. MR-3
## SECRETARIAL AUDIT REPORT
## For The Financial Year Ended 31st March 2024.

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 read along with SEBI circular No. IR/CFD/CMD1/27/2019 DATED 08.02.2019]

To,

**The Members of**
**Bank of India,**
**Mumbai.**

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Bank of India**, (hereinafter called the 'Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon. Based on our verification of the **Bank of India** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank officials during the conduct of secretarial audit,

We hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March 2024 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Processes and compliance- mechanisms in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2024 according to the provisions of:

(i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

(ii) The Nationalised Banks' (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;

(iii) The Banking Regulation Act, 1949 & Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 (as amended from time to time);

(iv) The Reserve Bank of India Act, 1945 and Master Directions, Notifications and Guidelines, etc., issued by RBI from time to time;

(v) The Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007;

(vi) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1957 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(vii) The Depositories Act, 1996, and the Regulations and Byelaws framed thereunder;

(viii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'): -

   a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

   b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ई) सेबी (निक्षेपागार एवं सहभागी) विनियम, 2018

(एफ़) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबधी नियम एवं विनियम; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(आई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्णय और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2021

(जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्वटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

(के) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित लागू उपबंधों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है :-

i. भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण संबंधी करार। समीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि**

बैंक ऑफ़ इंडिया बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम,1970 (अधिनियम) के तहत गठित एक नया तदनुरूप बैंक है। बैंक के निदेशक मंडल की संरचना इस अधिनियम द्वारा शासित होती है।

वर्तमान में, बैंक में दो शेयरधारक निदेशक है जिन्हें स्वतंत्र निदेशकों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त दो गैर-शासकीय निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बैंक के निदेशक मंडल में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ई) और 9 (3) (फ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो कर्मचारी निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (जी) के अनुसार, बोर्ड में एक निदेशक होगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट रहा हो, जिसे रिज़र्व बैंक के परामर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। यह पद 21/06/2019 से खाली है।

c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

d) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

e) SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

f) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment, and External Commercial Borrowings; (Not Applicable during the year under review)

g) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014; (Not Applicable during the year under review)

h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008; (Not Applicable during the year under review).

i) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

j) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; (Not Applicable during the year under review)

k) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 (Not Applicable during the year under review)

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Ltd (BSE) and the National Stock Exchange of India Ltd (NSE). During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

**We further report that**

Bank of India is a corresponding new bank constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act). Composition of the Board of Directors of the Bank is governed by this Act.

At present, Bank is having two Shareholder's Directors who are also classified as Independent Directors. Two Non-Official Directors appointed by Government of India are classified as Independent Directors.

The Board of Directors of the Bank was not comprised of two Employee Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(e) and 9(3) (f) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

In terms of section 9 (3) (g) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board shall have one Director who has been a Chartered Accountant for not less than fifteen years, to be nominated by the Central Government after consultation with the Reserve Bank. The post has been vacant since 21/06/2019.

बैंक के निदेशक मंडल में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो निदेशक शामिल नहीं थे।

बैंक अधिकारियों ने बोर्ड स्तर पर विभिन्न रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार अन्य निदेशकों को नामित करने की प्रक्रिया में है। भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति होने पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है। एजेंडा और एजेंडे पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को लिया जाता है और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

**हम आगे सूचित करते हैं** कि नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा निगरानी रखने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप बैंक के पास उचित प्रणाली एवं प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान:**

1. बैंक ने 27 जून, 2023 को आयोजित वर्ष 2022-2023 की अपनी वार्षिक आम बैठक में अपेक्षित बहुमत के साथ निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:

   ए) प्रति इक्विटी शेयर रु. 2.00 (20%) की दर से वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश घोषित किया।

   बी) रु. 2000 करोड़ (केवल रु. दो हजार करोड़) की राशि तक बेसल III के अनुरूप टियर II बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी।

   सी) रु. 4500 करोड़ (केवल रु. चार हजार पांच सौ करोड़) तक की राशि ऐसे प्रीमियम पर नकद हेतु प्रत्येक रु. 10 की अंकित मूल्य की नई इक्विटी पूंजी जारी करने की मंजूरी दी।

   डी) निदेशकों की नियुक्ति इस प्रकार है:

   श्री भूषण कुमार सिन्हा गैर-कार्यपालक नामिति निदेशक

   श्री सुब्रत कुमार कार्यपालक निदेशक

   श्री रजनीश कर्नाटक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में

   श्री मनीष कुमार रल्हन बैंक के अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में

2. बैंक ने 4 जुलाई, 2023 को वर्ष 2022-23 के लिए रु. 2.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से लाभांश का भुगतान किया है।

3. बैंक, बेसल III पूंजी विनियमों पर आरबीआई द्वारा जारी आरबीआई मास्टर परिपत्र-बेसल III पूंजी विनियम, आरबीआई/2023-24/31डीओआर.सीएपी.आरईसी15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मई, 2023 के अनुपालन में दिनांक 15 सितंबर 2023 को रु. 2000 करोड़ की राशि के रु.1 करोड़ के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में प्रतिभूति रहित, अधीनस्थ स्थाई, कर योग्य, पूर्ण रूप से भुगतान किए गए बेसल III अनुपालन वाले 7.88% अतिरिक्त टियर II बॉन्ड आवंटित किए गए हैं।

The Board of Directors of the Bank was not comprised of two Directors required to be nominated by the Government of India under section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The Bank officials have taken up with the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for immediate filling up of various vacancies at the Board level and the Central Government is in the process of nominating other Directors. The vacancies shall be filled in as and when the Directors are appointed by the Government of India.

Adequate notice is given to all the directors to schedule the Board Meetings. Agenda and detailed notes on the agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. The majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

**We further report** that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations, and guidelines.

**We further report that during the audit period:**

1. The Bank in its Annual General Meeting for the year 2022-2023 held on 27th June 2023 passed the following resolutions with the requisite majority:

   a) Declared dividend for the year 2022-23@ Rs. 2.00 (20%) per equity share.

   b) Approval for the issue of Basel III compliant Tier II bonds upto an amount of Rs.2,000 crores (Rupees Two Thousand Crore only).

   c) Approval to issue of fresh equity capital of face value of 10 each for cash at such premium up to an amount of Rs. 4500 crore (Rupees Four Thousand Five Hundred Crore Only).

   d) Appointment of Directors as follows:

      - Shri Bhushan Kumar Sinha as Non- executive Nominee Director
      - Shri Subrat Kumar as Executive Director
      - Shri Rajneesh Karnatak as MD& CEO of the Bank
      - Shri Munish Kumar Ralhan as part-time non–official Director of the Bank.

2. The Bank has paid the dividend for the year 2022-23 @ Rs.2.00 per equity share on 4th July 2023.

3. The Bank, in compliance with RBI Master Circular – Basel III Capital Regulation RBI/2023-24/31DOR.CAP.REC15/21.06.201/2023-24 dated 12th May 2023 issued by Reserve Bank of India (RBI) on Basel III Capital Regulations, has allotted Unsecured, Redeemable, Non-Cumulative, Taxable, Non-Convertible, Basel III Compliant 7.88% Tier II Bonds in the nature of debentures of the face value of Rs. 1 Crore each amounting to Rs. 2,000 Crore (Rupees Two Thousand Crores Only) on 15th September 2023.

4. बैंक ने बेसल III के अनुरूप 10,000 (9.80%) बीओआई टीयर II बॉन्ड सीरीज एक्स और 5,000 (9.80%) बीओआई टीयर II बॉन्ड सीरीज XI को रु.1,000 करोड़ (केवल रु. एक हजार करोड़) और 500 करोड़ (रु. पाँच सौ करोड़ मात्र) क्रमश: 25 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2023 को प्राप्त किया।
5. बैंक ने 11 दिसंबर 2023 को योग्य संस्थागत स्थानन मुद्दों के माध्यम से योग्य संस्थागत खरीदारों को रु.100.20 (शेयर प्रीमियम सहित) की कीमत पर 44,91,01,796 नए इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।
6. 21 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के साथ-साथ गैर कार्यपालक अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में श्री एम. आर. कुमार की नियुक्ति।
7. 1 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा श्री राजीव मिश्रा को कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया।

यूडीआईएन: A041210F000385708

**कृते सावंत एण्ड एसोशिएट्स**
प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सेक्रेटरी

**प्राची प्रकाश सावंत**
मेम्बरशिप सं. A41210
सीओपी सं.: 16317
पीआर: 2615/2022

स्थान : मुंबई
दिनांक: 16/05/2024

4. The Bank, has redeemed Basel III compliant 10,000 (9.80%) BOI Tier II Bonds Series X and 5,000 (9.80%) BOI Tier II Bonds Series XI amounting to Rs.1,000 crores (Rupees One Thousand Crores only) and Rs. 500 Crores (Rupees Five Hundred Crores Only) on 25th September 2023 and 30th September 2023, respectively.
5. The Bank has allotted 44,91,01,796 fresh equity shares at a price of Rs.100.20 (including share premium) to Qualified Institutional Buyers through a Qualified Institutional Placement issue on 11th December 2023.
6. Appointment of Shri M.R. Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman (Independent Director) by the Central Government on 21st February 2024.
7. Appointment of Shri. Rajeev Mishra as Executive Director by the Central Government on 1st March 2024.

UDIN: A041210F000385708

**For Sawant & Associates**
Practising Company Secretaries

**Prachi Prakash Sawant**
Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

सेवा में,

**सदस्यगण, बैंक ऑफ़ इंडिया,**

सम तिथि की हमारी सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के लिए लागू सभी नियमों, कानूनों, विनियमनों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करने के प्रयोजन से परीक्षण जांच आधार पर रिकॉड्र्स और कार्यप्रणाली के सत्यापन तक सीमित थी।
2. सचिवीय तथा अन्य लागू नियमों के रिकॉर्डस् का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरणों सहित रखे गए तथा प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉड्र्स की लेखा-परीक्षा पर आधारित, सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।
3. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत, आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉड्र्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। सचिवीय तथा हमें प्रस्तुत अन्य रिकॉड्र्स में सही तथ्य दर्शाए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण जांच आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि सचिवीय रिपोर्ट जारी करने के लिए, हमारे द्वारा पालन की गई प्रक्रियाएँ एवं प्रणालियाँ हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।
4. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
5. जहाँ भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियम एवं विनियमों के अनुपालन तथा लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान घटित घटनाओं के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

**यूडीआईएन: A041210F000385708**

**कृते सावंत एण्ड एसोशिएट्स**

प्रेक्टिस करने वाले कंपनी सेक्रेटरी

**प्राची प्रकाश सावंत**

मेम्बरशिप सं. A41210

सीओपी सं.: 16317

**पीआर:** 2615/2022

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16/05/2024

**नोट: हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के साथ दस्तावेजों, अभिलेखों और जानकारी के आधार पर वार्षिक सचिवीय लेखा परीक्षा की गयी थी।**

## Annexure-I to the Secretarial Audit Report for the Financial Year Ended 31st March 2024

To,

**The Members of Bank of India,**

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The Compliances of provisions of all laws, rules, regulations, standards applicable to Bank of India (The Bank) is the responsibility of the Management of the Bank. Our Examination was limited to the verification of records and procedures on test check basis for the purpose of the issue of the Secretarial Audit report.
2. Maintenance of the secretarial and other records of the applicable laws is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to issue a Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant records maintained and furnished to us by the Bank, along with the explanations where so required.
3. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on a test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial Records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts as reflected in secretarial and other records produced to us. We believe that the process and practices we followed, provides reasonable basis for our opinion for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.
4. We have not verified the correctness and appropriateness of the Financial Records and Books of Accounts of the Bank.
5. Wherever required, we have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules, and regulations and the happening of events during the Audit period.

UDIN: A041210F000385708

**For Sawant & Associates**
Practising Company Secretaries

**Prachi Prakash Sawant**

Membership No.: A41210
COP No.: 16317
PR: 2615/2022

Place: Mumbai
Date: 16/05/2024

***Note: Annual Secretarial audit was conducted based on the documents, records and information along with explanations provided through hybrid mode.***

## सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

प्रति,

निदेशक मंडल,

बैंक ऑफ़ इंडिया,

मुंबई

**विषय :** सेबी (एलओडीआर) विनियमन-2015 के विनियम 17(8) तथा अनुसूची II भाग बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र

एतद्-द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि :

(क) हमने संबंधित वर्ष (2023-24) के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में तथ्यपूर्ण रूप से कोई गलत कथन नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हों।

(ii) ये सभी विवरण कुल मिलाकर बैंक की गतिविधियों की सही और उचित स्थिति दर्शाती हैं और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

(ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा-परीक्षक और लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

(घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है :

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में किया गया है; तथा

(iii) ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो तथा जिसमें प्रबंधन अथवा कोई कर्मचारी शामिल हो जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

**कृते बैंक ऑफ इंडिया**

| | |
|---|---|
| **(बी कुमार)**<br>महाप्रबंधक एवं<br>मुख्य वित्तीय अधिकारी | **(रजनीश कर्नाटक)**<br>प्रबंध निदेशक एवं<br>मुख्य कार्यपालक अधिकारी |

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10.05.2024

## CEO / CFO CERTIFICATION

To

The Board of Directors,

Bank of India,

Mumbai.

**Re : Certificate Under Regulation 17(8) & Schedule II Part B of SEBI (LODR) Regulations, 2015**

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2023-24) and that to the best of our knowledge and belief

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee –

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

**For Bank of India**

| | |
|---|---|
| **(B Kumar)**<br>General Manager &<br>Chief Financial Officer | **(Rajneesh Karnatak)**<br>Managing Director &<br>Chief Executive Officer |

Place: Mumbai

Date: 10.05.2024

## मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है, जिसका पाठ बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। निदेशकों एवं कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

**(रजनीश कर्नाटक)**

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10.05.2024

## DECLARATION BY CEO

Bank has laid down a Code of Conduct for all the Directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management has affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2024.

**(Rajneesh Karnatak)**

Managing Director &

Chief Executive Officer

Place: Mumbai

Date: 10.05.2024

## हमारे बैंक में सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को अपनाना और कार्यान्वित करना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य वित्तीय संस्थाओं और स्वायत्त निकायों आदि द्वारा सभी प्रमुख खरीदों के संबंध में स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) के आवश्यक अवयवों को रेखांकित करते हुए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

हमारे बैंक ने सीवीसी के अनुमोदन से 28.08.2018 से नियुक्त आईईएम के माध्यम से हमारे बैंक में आईपी का कार्यान्वयन शुरू किया। हमारे बैंक की वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद (अनुमानित मूल्य रु. 1.0 करोड़ और उससे अधिक) की आईईएम द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की गई है। हमारे बैंक के लिए वर्तमान आईईएम (28.08.2021 से) निम्नानुसार हैं:

| | आईईएम-1 | आईईएम-2 |
|---|---|---|
| नाम | श्री पी.के.दाश,<br>आईएएस (सेवानिवृत्त) | श्री सलिल कुमार झा,<br>पूर्व प्रबंध निदेशक, एचएएल |
| पता | एच-83, बागमुगलिया एक्सटेंशन,<br>लहरपुर बांध के पास,<br>भोपाल- 462043<br>ईमेल: pkdash81@gmail.com | सी 300, एसकेएस फ्लैट्स,<br>शेख सराय फेज -1<br>नई दिल्ली - 110017<br>ईमेल: skjha_lck@rediffmail.com |
| संपर्क ब्यौरे | ईमेल : pkdash81@gmail.com | ईमेल : skjha_ick@rediffmail.com |

## Adoption and Implementation of Integrity Pact (IP) in our Bank

Central Vigilance Commission has prepared the Standard Operative Procedure (SOP) outlining the essential ingredients of Integrity Pact (IP) for implementation of the same through Independent External Monitors (IEMs) in respect of all major procurements by the Govt. organizations, Public Sector Enterprises, Public Sector Banks, Insurance Companies, Other Financial Institutions and Autonomous bodies etc.

Our Bank started implementation of IP in our Bank through IEMs appointed w.e.f 28.08.2018 with the approval of CVC. Our Bank's all procurement of goods and services (estimated value Rs. 1.0 Crore and above) have been reviewed by the IEMs on quarterly basis. Present IEMs for our Bank (w.e.f 28.08.2021) are as under:

| | IEM-1 | IEM-2 |
|---|---|---|
| Name | Shri P.K. Dash, IAS (Retired) | Shri Salil Kumar Jha, Ex-MD, HAL |
| Address | H-83, Bagmugalia Extension Near Laharpur Dam Bhopal- 462043 E-mail: pkdash81@gmail.com | C 300, SKS Flats, Sheikh Sarai Phase-1 New Delhi — 110017 |
| Contact details | Email : pkdash81@gmail.com | Email : skjha_ick@rediffmail.com |

# बैंक ऑफ़ इंडिया

## तुलन-पत्र

### यथा 31 मार्च, 2024

### एवं

## लाभ एवं हानि खाता

### 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

# BANK OF INDIA

## BALANCE SHEET

### As at 31st March, 2024

### &

## PROFIT AND LOSS ACCOUNT

### For the Year Ended 31st March, 2024

# तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2024
# BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

| विवरण | Particulars | अनुसूची Schedule No. | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|---|
| I. पूंजी और देयताएं | CAPITAL AND LIABILITIES | | | |
| पूंजी | Capital | 1 | 45,534,070 | 41,043,052 |
| आरक्षिती एवं अधिशेष | Reserves and Surplus | 2 | 643,272,643 | 548,663,088 |
| जमाराशियां | Deposits | 3 | 7,379,202,058 | 6,695,857,713 |
| उधार | Borrowings | 4 | 809,240,678 | 649,790,232 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | Other Liabilities and Provisions | 5 | 248,729,799 | 220,202,058 |
| कुल | **TOTAL** | | **9,125,979,248** | **8,155,556,143** |
| II. आस्तियां | ASSETS | | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष | Cash and balances with Reserve Bank of India | 6 | 385,562,687 | 440,345,054 |
| बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि | Balances with Banks and money at call and short notice | 7 | 443,808,637 | 403,608,131 |
| निवेश | Investments | 8 | 2,271,444,677 | 2,043,978,771 |
| अग्रिम | Advances | 9 | 5,631,446,654 | 4,858,996,352 |
| अचल आस्तियां | Fixed Assets | 10 | 102,264,640 | 99,610,019 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 11 | 291,451,953 | 309,017,816 |
| कुल | **TOTAL** | | **9,125,979,248** | **8,155,556,143** |
| आकस्मिक देयताएं | Contingent Liabilities | 12 | 4,475,915,977 | 3,789,703,359 |
| वसूली के लिए बिल | Bills for Collection | | 285,527,054 | 291,747,325 |
| विशेष लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 17 | | |
| लेखे पर नोट | Notes to Accounts | 18 | | |

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलनपत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **बी कुमार** | **राजेश एस इंगले** | **राजीव मिश्रा** | **सुब्रत कुमार** | **एम.कार्तिकेयन** | **पी आर राजगोपाल** | **रजनीश कर्नाटक** | **एम.आर. कुमार** |
| **B Kumar** | **Rajesh S Ingle** | **Rajiv Mishra** | **Subrat Kumar** | **M. Karthikeyan** | **P. R. Rajagopal** | **Rajneesh Karnatak** | **M.R. Kumar** |
| महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी | मुख्य महाप्रबंधक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | अध्यक्ष |
| General Manager & Chief Financial Officer | Chief General Manager | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Managing Director & CEO | Chairman |

**निदेशकगण DIRECTORS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **डॉ. भूषण कुमार सिन्हा** | **अशोक नारायण** | **वेणी थापर** | **मुनीष कुमार रल्हन** | **वी वी शेनॉय** |
| **Dr. Bhushan Kumar Sinha** | **Ashok Narain** | **Veni Thapar** | **Munish Kumar Ralhan** | **V V Shenoy** |

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी<br>For Mukund M Chitale & Co.<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफ़आरएन: 106655W)(FRN: 106655W) | कृते एस. जयकिशन<br>For S.Jaykishan<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E) | कृते ए. बाफना एवं कंपनी<br>For A. Bafna & Co<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C) | कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी<br>For SCV & Co. LLP<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफ़आरएन:000235N/N500089)<br>(FRN: 000235N/N500089) |
| नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 114749 | रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 062410 | मुकेश कुमार गुप्ता Mukesh Kumar Gupta<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 073515 | अनुज धींगरा Anuj Dhingra<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 512535 |

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 10 मई, 2024 / Date : May 10, 2024

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

| विवरण | Particulars | अनुसूची Schedule No. | को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2024 ₹ | को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|---|
| I. आय | INCOME | | | |
| अर्जित ब्याज | Interest earned | 13 | 607,094,904 | 476,477,223 |
| अन्य आय | Other income | 14 | 60,948,538 | 70,998,904 |
| कुल | TOTAL | | 668,043,442 | 547,476,127 |
| II. व्यय | EXPENDITURE | | | |
| व्यय किया गया ब्याज | Interest expended | 15 | 376,565,746 | 273,728,195 |
| परिचालनगत व्यय | Operating expenses | 16 | 150,791,633 | 139,821,724 |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | Provisions and Contingencies | | 77,506,897 | 93,696,808 |
| कुल | TOTAL | | 604,864,276 | 507,246,727 |
| III. लाभ/(हानि) | PROFIT/(LOSS) | | | |
| वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) | Net Profit/(Loss) for the Year | | 63,179,166 | 40,229,400 |
| जोड़े :आगे लाया गया लाभ/(हानि) | Add: Profit/(Loss) brought forward | | 36,626,670 | 19,986,503 |
| कुल | TOTAL | | 99,805,836 | 60,215,903 |
| IV. विनियोग | APPROPRIATIONS | | | |
| सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण | Transfer to Statutory Reserve | | 15,800,000 | 10,060,000 |
| निवेश घट-बढ आरक्षिति को अंतरण | Transfer to Investment Fluctuation Reserve | | 2,063,554 | 1,514,286 |
| निवेश आरक्षिति खाते में अंतरण | Transfer to Investment Reserve Account | | 257,803 | 3,807,815 |
| राजस्व आरक्षिति को/(से) अंतरण | Transfer to Revenue Reserve | | - | - |
| पूंजी आरक्षितियों को अंतरण | Transfer to Capital Reserve | | 695,900 | - |
| राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों को अंतरण | Transfer to Revenue & Other Reserves | | - | - |
| लाभांश का भुगतान | Dividend paid | | 8,207,132 | 8,207,132 |
| आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | Transfer to Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961 | | - | - |
| लाभ और हानि खाते में शेष | Balance in Profit and Loss Account | | 72,781,447 | 36,626,670 |
| कुल | TOTAL | | 99,805,836 | 60,215,903 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | Significant accounting policies | 17 | | |
| लेखे पर नोट | Notes to Accounts | 18 | | |
| प्रति शेयर अर्जन (मूलभुत एवं तनुकृत) | Earnings Per Share (Basic and Diluted) ₹ | | 14.90 | 9.80 |

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

**बी कुमार**
**B Kumar**
महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी
General Manager & Chief Financial Officer

**राजेश एस इंगले**
**Rajesh S Ingle**
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

**राजीव मिश्रा**
**Rajiv Mishra**
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

**सुब्रत कुमार**
**Subrat Kumar**
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

**एम.कार्तिकेयन**
**M. Karthikeyan**
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

**पी आर राजगोपाल**
**P. R. Rajagopal**
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

**रजनीश कर्नाटक**
**Rajneesh Karnatak**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO

**एम.आर. कुमार**
**M.R. Kumar**
अध्यक्ष
Chairman

**निदेशकगण DIRECTORS**

**डॉ. भूषण कुमार सिन्हा** — **Dr. Bhushan Kumar Sinha**
**अशोक नारायण** — **Ashok Narain**
**वेणी थापर** — **Veni Thapar**
**मुनीष कुमार रल्हन** — **Munish Kumar Ralhan**
**वी वी शेनॉय** — **V V Shenoy**

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी
For Mukund M Chitale & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन: 106655W)(FRN: 106655W)

नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi
भागीदार Partner
एम.नं. M. No. 114749

कृते एस. जयकिशन
For S.Jaykishan
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E)

रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal
भागीदार Partner
एम.नं. M. No. 062410

कृते ए. बाफना एवं कंपनी
For A. Bafna & Co
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C)

मुकेश कुमार गुप्ता Mukesh Kumar Gupta
भागीदार Partner
एम.नं. M. No. 073515

कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी
For SCV & Co. LLP
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफ़आरएन:000235N/N500089)
(FRN: 000235N/N500089)

अनुज धींगरा Anuj Dhingra
भागीदार Partner
एम.नं. M. No. 512535

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 10 मई, 2024 / Date : May 10, 2024

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
## Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2024

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

| विवरण | | Particulars | वर्षान्त/ Year ended 31-03-2024 | वर्षान्त Year ended 31-03-2023 |
|---|---|---|---|---|
| क. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह : | A. | **Cash Flow from Operating Activities:** | | |
| करपूर्व निवल लाभ | | **Net Profit before taxes** | 100,990,706 | 62,293,107 |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन : | | **Adjustments for:** | | |
| निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यह्रास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि) | | (Profit)/Loss on Revaluation of investments (including depreciation on performing investments) | 853,983 | (15,745,053) |
| अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | | Depreciation on Fixed Assets | 4,985,907 | 4,209,160 |
| अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि | | (Profit)/Loss on sale of Fixed Asset | (284,569) | (1,340,510) |
| एनपीए के लिए प्रावधान | | Provision for NPAs | 41,094,906 | 36,018,530 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान एवं प्रावधान निवेश | | Provision for Standard Assets and Provision on Investment | (1,803,398) | 9,506,807 |
| अन्य मदों के लिए प्रावधान | | Provision for Other items | 1,939,446 | 6,991,403 |
| एटी 1 एवं टियर II बॉण्ड पर ब्याज (पृथक माना गया) | | Interest on AT 1 & Tier II Bonds (treated separately) | 7,941,056 | 6,971,690 |
| अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from Subsidaries/Joint Ventures/Associates | (154,276) | (212,456) |
| निम्नलिखित के लिए समायोजन : | | **Adjustments for:** | | |
| जमाराशियों में वृद्धि /(कमी) | | Increase /( Decrease) in Deposits | 683,344,345 | 416,898,122 |
| उधार में वृद्धि /(कमी) | | Increase /( Decrease) in Borrowings | 154,450,446 | 367,186,566 |
| अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि /(कमी) | | Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions | 30,209,476 | (47,181,331) |
| निवेश में (वृद्धि)/कमी | | (Increase) / Decrease in Investments | (219,149,254) | (288,689,127) |
| अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी | | (Increase )/ Decrease in Advances | (813,545,208) | (686,596,975) |
| अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी | | (Increase) / Decrease in Other Assets | (32,870,735) | 46,941,198 |
| प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी | | Direct Taxes (Paid)/Refund | 12,664,140 | 4,148,792 |
| परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ए) | | **Net Cash Flow from Operating Activities (A)** | **(29,333,029)** | **(57,994,179)** |
| ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह: | B. | **Cash Flow from Investing Activities:** | | |
| अचल सम्पत्तियों की खरीद | | Purchase of Fixed Assets | (8,302,669) | (6,419,407) |
| अचल सम्पत्ति की बिक्री | | Sale of Fixed Assets | 173,442 | 1,384,412 |
| अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में (अतिरिक्त) निवेश/ बिक्री/ मोचन (निवल) | | Sale / Redemption / (Additional) investment in Subsidiaries/Jt Ventures/Associates (Net) | (10,927,270) | (8,627,665) |
| अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from Subsidiaries, Joint Venture & Associates | 154,276 | 212,457 |
| निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (बी) | | **Net Cash Flow from Investing Activities (B)** | **(18,902,221)** | **(13,450,203)** |
| सी. वित्तपोषण गतिविधयों से नकदी प्रवाह : | C. | **Cash Flow from Financing Activities:** | | |
| शेयर पूंजी | | Share Capital | 4,491,018 | - |
| शेयर प्रीमियम | | Share Premium | 40,310,559 | - |
| टियर II पूंजी बांड (निवल) का निर्गम / (मोचन) | | Issue/(redemption) of Tier II Capital bonds (Net) | 5,000,000 | 15,000,000 |
| लाभांश (अंतरिम और अंतिम) का भुगतान | | Dividend (Interim & Final) paid | (8,207,132) | (8,207,132) |
| एटी 1, टियर II बॉण्ड पर ब्याज | | Interest on AT 1 & Tier II Bonds | (7,941,056) | (6,971,690) |
| वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (सी) | | **Net Cash Flow from Financing Activities (C)** | **33,653,389** | **(178,822)** |
| नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+ (सी) | | **Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)** | **(14,581,861)** | **(71,623,204)** |
| वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य | | **Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year** | **843,953,185** | **915,576,389** |

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
## Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2024

(000's छोड़े गए हैं 000's Omitted)

| विवरण | Particulars | वर्षान्त/ Year ended 31-03-2024 | वर्षान्त Year ended 31-03-2023 |
|---|---|---|---|
| वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य | **Cash and Cash Equivalents as at the end of the year** | **829,371,324** | **843,953,185** |
| वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान | **Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) | Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6) | 385,562,687 | 440,345,054 |
| बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7) | Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7) | 443,808,637 | 403,608,131 |
| वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य | **Cash and Cash Equivalents as at the end of the period** | **829,371,324** | **843,953,185** |

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वी कुमार | राजेश एस इंगले | राजीव मिश्रा | सुब्रत कुमार | एम.कार्तिकेयन | पी आर राजगोपाल | रजनीश कर्नाटक | एम.आर. कुमार |
| **B Kumar** | **Rajesh S Ingle** | **Rajiv Mishra** | **Subrat Kumar** | **M. Karthikeyan** | **P. R. Rajagopal** | **Rajneesh Karnatak** | **M.R. Kumar** |
| महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी | मुख्य महाप्रबंधक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | अध्यक्ष |
| General Manager & Chief Financial Officer | Chief General Manager | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Managing Director & CEO | Chairman |

**निदेशकगण DIRECTORS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| डॉ. भूषण कुमार सिन्हा | अशोक नारायण | वेणी थापर | मुनीष कुमार रल्हन | वी वी शेनॉय |
| **Dr. Bhushan Kumar Sinha** | **Ashok Narain** | **Veni Thapar** | **Munish Kumar Ralhan** | **V V Shenoy** |

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

| | | | |
|---|---|---|---|
| कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी | कृते एस. जयकिशन | कृते ए. बाफना एवं कंपनी | कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी |
| For Mukund M Chitale & Co. | For S.Jaykishan | For A. Bafna & Co | For SCV & Co. LLP |
| सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants |
| (एफ़आरएन: 106655W)(FRN: 106655W) | (एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E) | (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C) | (एफ़आरएन:000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089) |
| नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi | रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal | मुकेश कुमार गुप्ता Mukesh Kumar Gupta | अनुज धींगरा Anuj Dhingra |
| भागीदार Partner | भागीदार Partner | भागीदार Partner | भागीदार Partner |
| एम.नं. M. No. 114749 | एम.नं. M. No. 062410 | एम.नं. M. No. 073515 | एम.नं. M. No. 512535 |

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 10 मई, 2024 / Date : May 10, 2024

## तुलनपत्र की अनुसूची
## SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोड़े गए हैं) / **(000's Omitted)**

| | | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 1 : पूँजी** | **SCHEDULE - 1 : CAPITAL** | | |
| **प्राधिकृत पूँजी** | **AUTHORISED CAPITAL** | | |
| प्रत्येक ₹ 10 के 600,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष अंत में 600,00,00,000) | 600,00,00,000 (Previous year ended 600,00,00,000) Equity Shares of ₹10 each | **60,000,000** | **60,000,000** |
| **जारी पूँजी** | **ISSUED CAPITAL** | | |
| प्रत्येक ₹ 10 के 455,38,44,966 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 410,47,43,170) | Equity Shares 455,38,44,966 (Previous year 410,47,43,170) of ₹10 each | 45,538,450 | 41,047,432 |
| **कुल** | **TOTAL** | **45,538,450** | **41,047,432** |
| **अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी** | **SUBSCRIBED & PAID-UP CAPITAL** | | |
| प्रत्येक ₹ 10 के 455,26,67,866 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 410,35,66,070 ) | 455,26,67,866 Equity Shares (Previous year 410,35,66,070 ) of ₹10 each | 45,526,679 | 41,035,661 |
| जोडें: जब्त शेयरों की राशि | Add: Amount of shares forfeited | 7,391 | 7,391 |
| **कुल *** | **TOTAL *** | **45,534,070** | **41,043,052** |
| * उपर्युक्त में से प्रत्येक रु. 10 के पूर्णत: प्रदत्त 334,08,61,720 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 334,08,61,720) जिनकी कीमत ₹ 3340.86 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹3340.86 करोड़) है, भारत सरकार द्वारा धारित हैं। | * Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720 ) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹3340.86 crore (Previous year ended ₹3340.86 crore) is held by Central Government; | | |
| **अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष** | **SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS** | | |
| **I. सांविधिक आरक्षितियां :** | **I. Statutory Reserve:** | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 94,858,842 | 84,798,842 |
| वर्ष के दौरान संवर्धन | Additions during the year | 15,800,000 | 10,060,000 |
| **कुल ( I )** | **TOTAL ( I )** | **110,658,842** | **94,858,842** |
| **II. पूँजी आरक्षितियां :** | **II. Capital Reserves:** | | |
| ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति : | A) Revaluation Reserve : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 68,960,298 | 69,266,159 |
| जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़ | Add: Addition during the year on Revaluation of Premises | - | 222,192 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन | Less: Adjustments during the year | (84,156) | (360,150) |
| घटाएं : राजस्व आरक्षिति को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve | 857,424 | 888,203 |
| **(ए) का कुल** | **Total of (A)** | **68,187,030** | **68,960,298** |
| बी) अन्य | B) Others: | | |
| i. निवेश को बिक्री पर लाभ - परिपक्वता तक धारित | i. Profit on sale of Investments - "Held to Maturity" | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 33,520,679 | 33,520,679 |
| अवधि के दौरान संवर्धन | Additions during the period | 695,900 | - |
| **(i) का उप-जोड** | **Sub-total of (i)** | **34,216,579** | **33,520,679** |
| ii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति | ii. Foreign Currency Translation Reserve | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 23,608,337 | 19,857,393 |
| जोड़ें/(घटाएं) : अवधि के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल) | Add/ (Less) : Additions / adjustments during the year (Net) | (753,419) | 3,750,944 |
| **(ii) का उप-जोड़** | **Sub-total of (ii)** | **22,854,918** | **23,608,337** |
| **(बी) का कुल** | **Total of (B)** | **57,071,497** | **57,129,016** |
| **कुल (II)** | **TOTAL (II)** | **125,258,527** | **126,089,314** |

# तुलनपत्र की अनुसूची
# SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

| | | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी) | SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.) | | |
| **III. शेयर प्रीमियम :** | **III. Share Premium :** | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 162,545,324 | 162,545,324 |
| जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धित | Add : Additions during the year | 40,508,982 | - |
| कम : वर्ष के दौरान कटौती / (उपयोग) | Less : Deductions/ Utilization during the year | 198,423 | - |
| **कुल (III)** | **TOTAL (III)** | **202,855,883** | **162,545,324** |
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :** | **IV. Revenue and Other Reserves :** | | |
| i) राजस्व आरक्षिति : | i) Revenue Reserve : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 87,744,906 | 84,818,508 |
| जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन | Add: Additions during the period | 853,649 | 2,926,398 |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | Less: Deductions during the period | - | - |
| **IV(i) का उप-जोड** | **Sub-total of IV(i)** | **88,598,555** | **87,744,906** |
| ii) निवेश आरक्षिति खाता | ii) Investment Reserve Account : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 3,807,815 | - |
| जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन संवर्धन | Add: Additions during the year | 257,803 | 3,807,815 |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | Less: Deductions during the year | - | - |
| **IV (ii) का उप-जोड** | **Sub-total of IV(ii)** | **4,065,618** | **3,807,815** |
| iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति | iii) Investment Fluctuation Reserve : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 10,790,217 | 9,275,931 |
| जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धन | Add: Additions during the year | **2,063,554** | 1,514,286 |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | Less: Deductions during the year | - | - |
| **IV (iii) का उप-जोड** | **Sub-total of IV(iii)** | **12,853,771** | **10,790,217** |
| iv) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति | iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 26,200,000 | 26,200,000 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन | Add: Additions during the year | - | - |
| **IV (iv) का कुल-जोड़** | **Sub-total of IV(iv)** | **26,200,000** | **26,200,000** |
| **कुल (IV)** | **TOTAL (IV)** | **131,717,944** | **128,542,938** |
| **V. लाभ-हानि खाते में शेष :** | **V. Balance in Profit and Loss Account :** | **72,781,447** | **36,626,670** |
| **कुल ( I से V)** | **TOTAL ( I TO V)** | **643,272,643** | **548,663,088** |
| अनुसूची - 3 : जमाराशियां | SCHEDULE - 3 : DEPOSITS | | |
| **ए. I. मांग जमाराशियां :** | **A. I. Demand Deposits :** | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 6,980,450 | 13,155,027 |
| ii) अन्यों से | ii) From Others | 362,346,157 | 336,260,434 |
| **कुल (I)** | **TOTAL (I)** | **369,326,607** | **349,415,461** |
| **II. बचत बैंक जमाराशियां** | **II. Savings Bank Deposits** | **2,374,040,532** | **2,222,777,608** |
| **III. मीयादी जमाराशियां :** | **III. Term Deposits :** | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 461,506,285 | 501,172,088 |
| ii) अन्यों से | ii) From Others | 4,174,328,634 | 3,622,492,556 |
| **कुल (III)** | **TOTAL (III)** | **4,635,834,919** | **4,123,664,644** |
| **कुल ए (I से III)** | **TOTAL A (I to III)** | **7,379,202,058** | **6,695,857,713** |
| ब. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां | B. i) Deposits of branches in India | 6,297,171,298 | 5,670,627,884 |
| ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां | ii) Deposits of branches outside India | 1,082,030,760 | 1,025,229,829 |
| **कुल (बी)** | **TOTAL (B)** | **7,379,202,058** | **6,695,857,713** |

## तुलनपत्र की अनुसूची
## SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

| | | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 4 : उधार** | **SCHEDULE - 4 : BORROWINGS** | | |
| I. भारत में उधार: | **I. Borrowings in India:** | | |
| i. भारतीय रिज़र्व बैंक | i. Reserve Bank of India | 145,000,000 | 26,920,000 |
| ii. अन्य बैंक | ii. Other Banks | | |
| ए. टियर I पूँजी | a. Tier I Capital | 7,740,000 | 7,540,000 |
| बी. टियर II पूँजी | b. Tier II Capital | 6,340,000 | 3,370,000 |
| सी. अन्य | c. Others | - | 89,565 |
| **कुल (ii)** | **Total ( ii )** | **14,080,000** | **10,999,565** |
| **III) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां** | **III) Other Institutions and Agencies** | | |
| ए . टियर I पूँजी | a. Tier I Capital | 20,780,000 | 20,980,000 |
| बी. टियर II पूँजी | b. Tier II Capital | 61,660,000 | 59,630,000 |
| सी. अन्य | c. Others | 487,232,170 | 503,773,826 |
| **कुल (iii)** | **Total (iii)** | **569,672,170** | **584,383,826** |
| **कुल (I)** | **Total (I)** | **728,752,170** | **622,303,391** |
| **II. भारत के बाहर उधार** | **II. Borrowings outside India** | | |
| ए. टियर I पूँजी | a. Tier I Capital | - | - |
| बी. अपर टियर II पूँजी | b. Upper Tier II Capital | - | - |
| सी. अन्य | c. Others | 80,488,508 | 27,486,841 |
| **कुल (II)** | **Total (II)** | **80,488,508** | **27,486,841** |
| **कुल ( I, II )** | **Total ( I, II )** | **809,240,678** | **649,790,232** |
| **उपर्युक्त I & II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार** | **Secured borrowings included in I & II above** | **213,870,541** | **220,825,176** |
| **अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान** | **SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | |
| I. देय बिल | I. Bills Payable | 16,576,093 | 16,225,591 |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | II. Inter-office adjustments (net) | - | - |
| III. उपचित ब्याज | III. Interest accrued | 31,806,765 | 25,651,647 |
| IV. आस्थगित कर देयता | IV. Deferred Tax Liabilities | - | - |
| V. अन्य (प्रावधान सहित)* | V. Others (Including Provisions)* | 200,346,941 | 178,324,820 |
| **कुल** | **TOTAL** | **248,729,799** | **220,202,058** |
| *मानक आस्तियों के लिए प्रावधान ₹ 48,976,713 (पिछले वर्ष ₹ 52,524,117) शामिल | * Includes provision for Standard Assets ₹ 48,976,713 (Previous Year ₹ 52,524,117) | | |
| **अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि** | **SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | |
| **I. हाथ में नकदी** (विदेशी करेंसी नोट सहित) | **I. Cash in hand** (including foreign currency notes) | **21,270,221** | **21,343,258** |
| **II. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :*** | **II. Balances with Reserve Bank of India : *** | | |
| i) चालू खातों में | i) In Current Account | 364,216,414 | 365,182,605 |
| ii) अन्य खातों में | ii) In Other Accounts | 76,052 | 53,819,191 |
| **कुल (II)** | **TOTAL (II)** | **364,292,466** | **419,001,796** |
| **कुल (I, II)** | **TOTAL (I, II)** | **385,562,687** | **440,345,054** |
| *भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेष राशि को मिलाकर | * Including balances with Central Banks outside India | | |

## तुलनपत्र की अनुसूची
## SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

| | | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन** | **SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE** | | |
| **I. भारत में :** | **I. In India :** | | |
| i) बैंकों में शेषराशि | i) Balances with Banks | | |
| ए) चालू खातों में | a) in Current Accounts | 290,740 | 406,830 |
| बी) अन्य जमाराशि खातों में | b) in Other Deposit Accounts | 24,104,045 | 6,162,750 |
| ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन | ii) Money at call and short notice | | |
| ए) बैंकों में | a) With Banks | 1,020,300 | - |
| बी) अन्य संस्थाओं में | b) With Other Institutions | - | 301,669 |
| **कुल (I)** | **TOTAL ( i and ii )** | **25,415,085** | **6,871,249** |
| **II. भारत के बाहर :** | **II. Outside India :** | | |
| i) चालू खातों मे | i) In Current Accounts | 6,131,102 | 4,756,530 |
| ii) अन्य जमाराशि खातों में | ii) In Other Deposit Accounts | 247,209,947 | 259,688,429 |
| iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन | iii) Money at call and short notice | 165,052,503 | 132,291,923 |
| **कुल (II)** | **TOTAL (II)** | **418,393,552** | **396,736,882** |
| **कुल ( I & II )** | **TOTAL ( I & II )** | **443,808,637** | **403,608,131** |
| **अनुसूची - 8 : निवेश** | **SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS** | | |
| **I. भारत में निवेश :** | **I. Investments in India :** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | i) Government Securities | 1,999,990,694 | 1,797,257,779 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | ii) Other approved Securities | - | - |
| iii) शेयर | iii) Shares | 7,157,950 | 10,334,035 |
| iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स | iv) Debentures and Bonds | 110,726,870 | 99,787,051 |
| v) अनुषंगिया और/अथवा संयुक्त उद्यम (सहायक कंपनियाँ सहित) | v) Subsidiaries and/or Joint ventures (including Associates) | 14,536,931 | 12,058,644 |
| vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज़, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, स्वर्ण इत्यादि ) | vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund, Gold etc.) | 26,461,809 | 19,935,443 |
| **कुल ( I )** | **TOTAL ( I )** | **2,158,874,254** | **1,939,372,952** |
| सकल | Gross | 2,199,703,730 | 1,980,964,874 |
| घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन | Less: Depreciation and Amortisation | 40,829,476 | 41,591,922 |
| **निवल** | **Net** | **2,158,874,254** | **1,939,372,952** |
| **II. भारत के बाहर निवेश:** | **II. Investments outside India :** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | i) Government Securities (including local authorities) | 75,768,923 | 74,407,006 |
| ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में | ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad | 22,965,905 | 14,722,376 |
| iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बॉण्ड आदि) | iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.) | 13,835,595 | 15,476,437 |
| **कुल (II)** | **TOTAL (II)** | **112,570,423** | **104,605,819** |
| सकल | Gross | **116,308,983** | **107,345,161** |
| घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन | Less: Depreciation and Amortisation | **3,738,560** | **2,739,342** |
| **निवेश** | **Net** | **112,570,423** | **104,605,819** |
| **कुल (I & II)** | **TOTAL ( I & II)** | **2,271,444,677** | **2,043,978,771** |

## तुलनपत्र की अनुसूची
## SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

| | | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 9 : अग्रिम** | **SCHEDULE - 9 : ADVANCES** | | |
| ए. i) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल | A. i) Bills Purchased and Discounted | 429,032,826 | 361,983,161 |
| ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand | 2,123,189,127 | 1,859,855,164 |
| iii) मीयादी ऋण | iii) Term Loans | 3,079,224,701 | 2,637,158,027 |
| **कुल (ए)** | **TOTAL (A)** | **5,631,446,654** | **4,858,996,352** |
| **बी. अग्रिमों का विवरण :** | **B. Particulars of Advances :** | | |
| i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित) | i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts) | 3,943,203,635 | 3,346,735,660 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया | ii) Covered by Bank/Government Guarantees | 552,871,419 | 478,631,983 |
| iii) अप्रतिभूत | iii) Unsecured | 1,135,371,600 | 1,033,628,709 |
| **कुल (बी)** | **TOTAL (B)** | **5,631,446,654** | **4,858,996,352** |
| **सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :** | **C. Sectoral Classification of Advances :** | | |
| **I. भारत में अग्रिम** | **I. Advances in India** | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | i) Priority Sector | 1,689,173,691 | 1,494,683,925 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | ii) Public Sector | 1,302,094,408 | 1,204,704,107 |
| iii) बैंक | iii) Banks | 142,231,724 | 178,024 |
| iv) अन्य | iv) Others | 1,568,562,170 | 1,351,019,236 |
| **कुल (सी-I)** | **Total (C-I)** | **4,702,061,993** | **4,050,585,292** |
| **II. भारत के बाहर अग्रिम :** | **II Advances outside India :** | | |
| i) बैंकों से देय | i) Due from Banks | 380,731,883 | 369,097,116 |
| II) अन्य से देय | II) Due from others | | |
| ए) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल | a) Bills Purchased and Discounted | 102,826,124 | 113,536,084 |
| बी) समूहनकृत ऋण | b) Syndicated Loans | 237,577,531 | 134,725,824 |
| सी) अन्य | c) Others | 208,249,123 | 191,052,037 |
| **कुल (सी-II)** | **TOTAL (C-II)** | **929,384,661** | **808,411,061** |
| **कुल (सी - I, सी - II )** | **TOTAL ( C - I, C - II )** | **5,631,446,654** | **4,858,996,353** |
| **अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां** | **SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS** | | |
| **I. परिसर :** | **I. PREMISES :** | | |
| लागत पर आरंभिक शेष | Opening Balance, at cost | 21,115,362 | 18,699,604 |
| वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन | Additions / Adjustments during the year | 213,117 | 2,419,268 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन | Less:Deductions / Adjustments during the year | - | 3,510 |
| उप-जोड | **Sub-total** | 21,328,479 | 21,115,362 |
| पुनर्मूल्यांकन के कारण अब तक संवर्धन | Addition to date on account of revaluation | 70,241,372 | 70,156,030 |
| घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन सहित) | Less : Depreciation to date (including on account of revaluation) | 6,982,477 | 5,774,217 |
| **कुल ( I )** | **TOTAL ( I )** | **84,587,374** | **85,497,175** |
| **II. अन्य अचल आस्तियां : (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)** | **II. OTHER FIXED ASSETS : (including Furniture and Fixtures)** | | |
| लागत पर आरंभिक शेष | Opening Balance at cost | 47,786,619 | 42,944,931 |
| वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन | Additions / Adjustments during the year | 7,007,891 | 5,768,384 |
| घटाएं :वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन | Less:Deductions / Adjustments during the year | 173,442 | 926,696 |
| **उप-जोड** | **Sub-total** | **54,621,068** | **47,786,619** |
| घटाएं: तिथि पर मूल्यह्रास | Less: Depreciation to date | 38,420,304 | 34,759,500 |
| **जोड ( II )** | **TOTAL ( II )** | **16,200,764** | **13,027,119** |
| **III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य** | **III. CAPITAL WORK IN PROGRESS** | **1,476,502** | **1,085,725** |
| **कुल ( I, II से III )** | **TOTAL ( I, II to III )** | **102,264,640** | **99,610,019** |

# तुलनपत्र की अनुसूची
# SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

| | | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां** | **SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS** | | |
| I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) | I. Inter-office adjustments (net) | 37,718,785 | 20,715,175 |
| II. उपचित ब्याज | II. Interest accrued | 55,500,099 | 36,452,715 |
| III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल) | III. Tax paid in advance/tax deducted at source | 55,342,554 | 68,610,640 |
| IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प | IV. Stationery and Stamps | 131,912 | 112,378 |
| V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल) | V. Deferred Tax Assets (Net) | 28,798,233 | 66,378,837 |
| VI. अन्य* | VI. Others* | 113,960,370 | 116,748,071 |
| **कुल** | **TOTAL** | **291,451,953** | **309,017,816** |
| * इसमें नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी के पास ₹43,265,948 की राशि की जमा राशि (पिछले वर्ष ₹ 53,815,757) शामिल है | * Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 43,265,948 (Previous Year ₹ 53,815,757) | | |
| **अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं** | **SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES** | | |
| I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है | I. Claims against the Bank not acknowledged as debts | 41,231,772 | 17,039,174 |
| II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता | II. Liability for partly paid Investments | 886,789 | 947,055 |
| III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता | III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts | 3,915,070,219 | 3,263,331,139 |
| IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी: | IV. Guarantees given on behalf of Constituents : | | |
| ए. भारत में | a. In India | 246,954,054 | 216,842,851 |
| बी. भारत के बाहर | b. Outside India | 35,523,950 | 27,485,360 |
| V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं | V. Acceptances, endorsements and other obligations | 196,832,952 | 224,434,843 |
| VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा डेरिवेटिव संविदाएं | VI. Derivative contracts other than listed at III above | 5,900,000 | 8,411,272 |
| VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है | VII. Other items for which the Bank is contingently liable | 33,516,241 | 31,211,665 |
| **कुल** | **TOTAL** | **4,475,915,977** | **3,789,703,359** |

## लाभ एवं हानि खाता की अनुसूची
## SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

| | | | | को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2024 ₹ | को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज** | **SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED** | | | | |
| I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा | I. Interest/Discount on advances/bills | | | 428,810,103 | 333,676,070 |
| II. निवेशों पर आय | II. Income on Investments | | | 141,226,796 | 119,431,951 |
| III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां | III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds | | | 28,908,924 | 16,663,845 |
| IV. अन्य | IV. Others | | | 8,149,081 | 6,705,357 |
| **कुल** | **TOTAL** | | | **607,094,904** | **476,477,223** |
| **अनुसूची - 14 : अन्य आय** | **SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME** | **31-03-2024** | **31-03-2023** | | |
| I. कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज | I. Commission, exchange and brokerage | | | 17,496,075 | 13,681,969 |
| II. निवेशों की बिक्री पर लाभ | II. Profit on sale of Investments | 7,147,711 | 2,622,807 | | |
| घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि | Less : Loss on sale of Investments | 16,171 | 9,273 | 7,131,540 | 2,613,534 |
| III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ | III. Profit on revaluation of Investments | 500,169 | 179,982 | | |
| घटाएं : निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि | Less : Loss on revaluation of Investments | 1,354,152 | (15,565,070) | (853,983) | 15,745,052 |
| IV. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ | IV. Profit on sale of land, buildings and other assets | 291,287 | 1,355,613 | | |
| घटाएं: जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि | Less : Loss on sale of land, buildings and other assets | 6,718 | 15,103 | 284,569 | 1,340,510 |
| V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ | V. Profit on exchange transactions | 5,125,977 | 10,045,229 | | |
| घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि | Less: Loss on Exchange Transactions | 335 | 7,626 | 5,125,642 | 10,037,603 |
| VI. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा विदेश/भारत में संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | VI. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India | | | 154,276 | 212,456 |
| VII. विविध आय* | VII. Miscellaneous Income* | | | 31,610,419 | 27,367,780 |
| **कुल** | **TOTAL** | | | **60,948,538** | **70,998,904** |

* बट्टे खाते में की गई वसूली राशि रु. 14,670,443 (पिछले वर्ष ₹ 12,068,537) शामिल है

* Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 14,670,443 (Previous Year ₹ 12,068,537)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज** | **SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED** | | |
| I. जमाराशियों पर ब्याज | I. Interest on Deposits | 312,419,921 | 236,270,317 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज | II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings | 56,250,429 | 30,166,921 |
| III. अन्य: | III. Others | 7,895,396 | 7,290,957 |
| **कुल** | **TOTAL** | **376,565,746** | **273,728,195** |
| **अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे** | **SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES** | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान | I. Payments to and provisions for employees | 91,884,722 | 83,918,350 |
| II. किराया, कर एवं लाइटिंग | II. Rent, Taxes and Lighting | 9,242,571 | 8,535,770 |
| III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री | III. Printing and Stationery | 972,045 | 957,455 |
| IV. विज्ञापन एवं प्रचार | IV. Advertisement and Publicity | 410,156 | 280,529 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास | V. Depreciation on Bank's property | 4,985,907 | 4,209,160 |
| VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे | VI. Directors' fees, allowances and expenses | 11,355 | 9,110 |
| VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित) | VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses) | 993,937 | 1,195,005 |
| VIII. विधि प्रभार | VIII. Law Charges | 426,546 | 381,408 |
| IX. डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि | IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc. | 2,864,075 | 2,817,696 |
| X. मरम्मत एवं रखरखाव | X. Repairs and Maintenance | 916,027 | 782,403 |
| XI. बीमा | XI. Insurance | 8,305,286 | 7,938,260 |
| XII. अन्य खर्चे | XII. Other Expenditure | 29,779,006 | 28,796,578 |
| **कुल** | **TOTAL** | **150,791,633** | **139,821,724** |

## अनुसूची 17 :

## महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

### 1. तैयार करने का आधार:

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामकीय नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है।

### 2. आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

### 3. राजस्व का निर्धारण: (एएस 9 - राजस्व का निर्धारण)

क. यदि अन्यथा न उल्लिखित हो तो आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय/व्यय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर, आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तब उसका आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर बट्टे के रूप में प्राप्त किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है::

i.) ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इनका निर्धारण किया जाता है।

ii.) जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को, लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार, "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

## SCHEDULE-17

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

### 2. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

### 3. REVENUE RECOGNITION: (AS 9 - Revenue Recognition)

a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.

c. Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

e. Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

f. Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI Guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

**झ. एन.पी.ए. के संबंध में वसूलियों का विनियोजन :**

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम से प्रभावी की जाती है :-

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार,
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किए तो गए परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया,
- न वसूले गये ब्याज,
- अप्रभारित ब्याज,
- मूलधन

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार की गई वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

## 4. अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "अर्जक" और "अनर्जक अग्रिमों" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान (बकाया अग्रिमों पर), निम्नलिखित दर पर किए जाते हैं :

g. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.

h. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

i. **Appropriation of recoveries in NPAs:**

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) Compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's. are to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account,
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited,
- Unrealised interest,
- Uncharged interest,
- Principal

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

## 4. ADVANCES:

a. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

b. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

c. In respect of domestic branches, NPA Provisions(On the Outstanding Advances) are made at the rates given as under:

| **एनपीए की श्रेणी** | **Category of NPAs** | **निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत**<br>**Provision % on net outstanding advance** |
|---|---|---|
| अवमानक आस्ति: | Sub Standard: | |
| ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं | Exposures, which are unsecured ab initio | 25% |
| आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान,जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा) | Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra) | 20% |
| अन्य | Others | 15% |
| संदिग्ध : | Doubtful: | |
| जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा) | Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category) | |
| - एक वर्ष तक | - Upto one year | 25% |
| - एक वर्ष से तीन वर्ष तक | - One year to three years | 40% |
| - तीन वर्ष से अधिक | - More than three years | 100% |
| गैर जमानती हिस्सा | Unsecured portion | 100% |
| हानि | Loss | 100% |

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होंगे।

d. In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches,

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार, शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु, कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्त ब्याज, ईसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्निधारित/पुन:संरचित अग्रिमों के संबंध में, मौजूदा मूल्य में आकलित, पुनर्संरचित अग्रिम के फेयर वैल्यू में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है। शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु उक्त प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में, यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो, इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है, उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु किसी भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी), प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआर/पीटीसी के रिडेम्पशन के द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल, आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों हेतु प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किए जाते हैं।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, निवल निधीकृत कंट्री एक्सपोज़र का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष), ग्रेड किए गए स्केल के आधर पर प्रावधान किए जाते हैं।

## 5. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है। निवल एनपीए ज्ञात करने के लिए इन प्रावधानों को सकल एनपीए में से घटा दिया जाता है।

## 6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान, एक्चुरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान, जमा हुए बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

## 7. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को, निपटान की तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को, ट्रेड की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

whichever is stringent.

e. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

f. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

g. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

h. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

i. Provision for net funded country exposures (Direct/Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

## 5. FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

## 6. DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

## 7. INVESTMENTS:

a. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण, 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणियों में किया गया है। तुलन पत्र में अनुसूची 8 में (I) 'भारत में निवेश' को 6 वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जैसे क) सरकारी प्रतिभूतियां, ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर, घ) डिबेंचर और बॉण्ड, ङ) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और च) अन्य। इसके अतिरिक्त भारत के बाहर के निवेशों को निम्नलिखित 03 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है - क) सरकारी प्रतिभूतियां, ख) विदेशों की अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और ग) अन्य निवेश।

### क) वर्गीकरण का आधार

किसी निवेश का वर्गीकरण, उसके अर्जन के समय किया जाता है।

#### (i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की इक्विटी में किए गए निवेशों को भी, परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

#### (ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश शामिल हैं जिन्हें अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेच दिया जाना है।

#### (iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश शामिल हैं जिनका वर्गीकरण "परिपक्वता तक धारित" अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

### ख) निवेश के अधिग्रहण की लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) कर्ज निवेशों पर ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

### ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं द्वारा किए गए निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार जो मूल्य है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जो मूल्य है इन दोनों में जो भी कम हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

#### (i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, तो उसे स्थिर प्रतिफल पद्धति का प्रयोग

b. Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, (I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Subsidiaries and Joint Ventures and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government Securities, ii.) Subsidiaries and Joint Ventures abroad and iii.) Other Investments.

### A. Basis of classification

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

#### (i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

#### (ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

#### (iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

### B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/ income and is excluded from cost/sale consideration.

(iii) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

### C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all other discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition).

#### (i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity

करते हुए परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश, पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के, जिन्हें कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) का प्रावधान किया जाता है।

**(ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध:**

1. इस श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन, विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर, एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

"कारोबार के लिए धारित" और "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणियों में उद्धत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेशों के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

| वर्गीकरण | मूल्यांकन का आधार |
|---|---|
| सरकारी प्रतिभूतियां | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स | अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1 |
| अधिमानी शेयर | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| पीएसयू/कॉरपोरेट बॉन्ड | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| म्यूचुअल फंड की यूनिट | अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर |
| वेंचर पूँजी निधि (वीसीएफ) की यूनिट | ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी जो 18 महीनों से पुरानी नहीं हो। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु. 1/- प्रति वीसीएफ। |
| प्रतिभूति रसीद | प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर, जो 6 माह से अधिक पुराना न हो। |

**घ) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:**

**ए) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी -**

i) यदि किसी डिस्काउंट पर मूलतः प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद, इन

using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

**(ii) Held for Trading / Available for Sale:**

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/ quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

| Classification | Basis of Valuation |
|---|---|
| Government Securities | on Yield to Maturity basis |
| Other Approved Securities | on Yield to Maturity basis |
| Equity Shares, PSU and Trustee shares | at break-up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company. |
| Preference Shares | on Yield to Maturity basis |
| PSU/Corporate Bonds | on Yield to Maturity basis |
| Units of Mutual Funds | at the latest repurchase price/ NAV declared by the fund in respect of each scheme |
| Units of Venture Capital Funds (VCF) | declared NAV or break-up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF. |
| Security Receipts | at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old. |

**D. Transfer of Securities between Categories:**

**A) HTM to AFS/HFT –**

i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-

प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है।

ii) यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइजेशन की लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है।

बी) **एएफएस/एचएफटी से एचटीएम -** बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किए गए मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

सी) **एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत -** एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत, प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में, अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो, उसे एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, के विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

### ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किए जाते हैं।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में “अन्य आस्तियों” के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

### च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन, संपार्श्विक ऋण और ऋण के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता की तारीख पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### छ) आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश:-

24 सितंबर, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के माध्यम से जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति को संशोधित किया है।

valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

B) **AFS/HFT TO HTM-** Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

C) **AFS TO HFT AND VICE-VERSA** - In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

### E. Non-performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non-performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under ‘Other Assets’ Schedule11 (Net of Provision).

### F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the Balance sheet.

### G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no RBI/DOR/2021-22/86DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization,

ए) बैंकों द्वारा एआरसी द्वारा जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करके किया जाएगा।

बशर्ते कि जब बैंक, एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर/पीटीसी में उनके द्वारा एआरसी को अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में निवेश करते हैं, तो बैंक निवेश को अपनी बहियों में निरंतरता के आधार पर तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उसका हस्तांतरण या वसूली नहीं हो जाती है। यह ऊपर दिए गए एनएवी के आधार पर एसआर को मोचन मूल्य और अंतरण के समय हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के एनबीवी के आधार पर, इन दोनों में जो भी कम हो पर बही में रखा जाता है।

जब बैंक द्वारा एसआर में उसके द्वारा अंतरित दबावग्रस्त ऋणों द्वारा समर्थित निवेश, उसके अंतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक हो और उस प्रभूतिकरण के तहत जारी किया गया हो, तो बैंक द्वारा ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य के फ्लोर के अधीन होगा जिसे अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर से कम किया जाएगा यदि बैंक की बही में ऋण जारी रहते या जो एसआर का एनएवी है।

बी) एसआरएस/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात पांच साल या आठ साल जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें बैंक की बही में नुकसान की संपत्ति के रूप में माना जाएगा और पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।

सी) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बांड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपरोक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

## 8) डेरिवेटिव

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किए जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - ऑप्शन, करेन्सी स्वैप तथा करेन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकॉर्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

a) Investments by banks in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Provided that when bank invest in the SRs/PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the bank shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

When the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans the valuation of such SRs by the bank will be lower of face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the underlying loans, had the loans continued in the books of the bank or NAV of the SRs.

b) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) shall be treated as loss asset in books of the bank and fully provided for.

c) The valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time shall be applicable to bank investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank shall reckon the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

## 8. DERIVATIVES:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

b. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

c. Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

d. MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के अलावा, ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसको लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। शुद्ध लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च) व्यापार के उद्देश्य से प्रविष्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का, संबंधित एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित बाजार दरों पर अंकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को, लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से, लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर, किसी भी लाभ/हानि को, उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की बची हुई अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खण्ड में उसे निर्धारित किया जाता है।

ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर, ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

## 9. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण: (एएस 10 संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण)

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आई वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

ख. खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय लागत में शामिल हैं। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा, जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, ऐसे कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग हैं), जहाँ संबंधित आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित की जाती है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

e. Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

f. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

g. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

h. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

## 9. PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT: (AS 10 Property, Plant & Equipment)

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Mobile Phones, Computers and Computer Software forming integral part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण | Particulars | मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation | बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank | मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **भवन एवं भूमि** | **Land & Building:** | | | |
| a. क. | भूमि (फ्री होल्ड) | Land (Freehold) | शून्य NIL | | |
| b. ख. | पट्टाधारित भूमि | Leasehold Land | | पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease | |
| c. ग. | भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है) | Building (including cost of land if not ascertained separately) | 1.58% | 60 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण | Particulars | मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation | बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank | मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अन्य अचल आस्तियां:- | Other Fixed Assets:- | | | |
| a. क. | फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण | Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipment's | 9.50% | 10 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| b. ख. | इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण | Electrical Fitting and Equipment's | 9.50% | 10 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| c. ग. | एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें | Air-conditioning plants, etc. and business machines | 6.33% | 15 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| d. घ. | मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें | Motor cars, Vans & Motor cycles | 11.88% | 8 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| e. ङ. | साइकल | Cycle | 20.00% | 5 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| f. च. | मोबाइल फोन | Mobile phones | 33.33% | 3 वर्ष Years | Straight Line |
| g. छ. | कम्प्यूटर तथा कंम्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है। | Computers and Computer Software forming integral part of hardware | 33.33% | 3 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| h. ज. | सर्वर | Servers | 20% | 5 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| i. झ. | कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है। | Computer Software, which do not form integral part of computer hardware | 20% | 5 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |

ङ. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

च. जैसा कि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित किया गया, उक्त आस्ति के बचे हुए, उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास किया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

ज. कम्प्युटर सॉफ्टवेयर जो कि कम्प्युटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, को अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उसे 5 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

झ. पट्टे पर धारित भूमि के संबंध में यदि कोई पट्टा प्रीमियम हो तो उसे पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

## 10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार किया जाता है:

**क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

h. Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.

i. In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.

## 10. TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

**A. Translation in respect of Integral Foreign operations:** Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such

परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखी गयी आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुआ।

viii. मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान, दैनिक आधार पर, विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को, लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

**ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:** विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर, एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसत क्लोजिंग दर पर परिवर्तित किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को, संबंधित विदेशी शाखाओं में, निवल निवेशों के निपटान तक, एक अलग खाते -'विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व' में संचित किया जाता है।

operations are translated as under:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

**B. Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:** Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तिओं और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित जाता है।

## 11. कर्मचारी लाभ : (एएस 15 कर्मचारी लाभ)

### क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है, उसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

### ख. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

#### क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

**i.) उपदान (ग्रैच्युटी):**

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ, निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है। यह राशि, प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय, 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई उपदान निधि नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में, जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक, निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही आधार पर एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

**ii.) पेंशन**

बैंक, सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक, पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता, स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

#### ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

**i.) भविष्य निधि:**

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक, एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

## 11. EMPLOYEE BENEFITS: (AS 15 Employee Benefits)

### A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

### B. Long Term Employee Benefits:

#### a. Defined Benefit Plan:-

**i.) Gratuity:**

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules,1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

**ii.) Pension:**

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

#### b. Defined Contribution Plan:

**i.) Provident Fund:**

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible

करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii.) **पेंशन**

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक, ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

### सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i.) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii.) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बिमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व हैं जो एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

iii.) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना, संबंधित देशों में विद्यमान कानूनों के आधार पर की जाती है।

### 12. सेग्मेंट रिपोर्टिंग: (एएस 17 सेग्मेंट रिपोर्टिंग)

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

### 13. पट्टा(लीज) संव्यवहार : (एएस 19 पट्टा)

पट्टा जहां स्वामित्व के जोखिम और रिवार्ड पट्टेदार द्वारा प्रतिधारित किए जाते हैं, को एएस 19 (पट्टा) के अनुसार परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे पट्टे पर पट्टा व्यय लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किए जाते हैं।

### 14. प्रति शेयर अर्जन : (एएस 20 प्रति शेयर अर्जन)

एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट किए जाते हैं। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना, कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii.) **Pension:**

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

### C. Other Long term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

### 12. SEGMENT REPORTING: (AS 17 Segment reporting)

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

### 13. LEASE TRANSACTIONS: (AS 19 Leases)

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease expenses on such lease are recognised in Profit & Loss Account.

### 14. EARNINGS PER SHARE: (AS 20 Earnings per Share)

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

### 15. आय पर कर: (एएस 22 आय पर कर हेतु लेखांकन)

बैंक द्वारा किये गये वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि, आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखांकन" के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित, भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में, वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर, समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर, आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव, लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

### 16. आस्तियों का ह्रास: (एएस 28 आस्तियों का ह्रास)

"स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो तो, एएस 28 'आस्तियों का ह्रास' के अनुरूप, लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक, एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।"

### 17. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां: (एएस 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां)

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने की आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

### 18. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किया जाता है।

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

### 15. TAXES ON INCOME: (AS 22 Accounting for taxes on Income)

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

### 16. IMPAIRMENT OF ASSETS: (AS 28 Impairment of Assets)

"Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset."

### 17. PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS: (AS 29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

### 18. SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो, सभी आंकड़े ₹ करोड़ में हैं, कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

## लेखा के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ

आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी गयी है:

### 1. पूंजी (बेसल-III के अनुसार):

**(ए) नियामकीय पूंजी की संरचना :**

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) | 58,660.28 | 48,231.94 |
| ii) | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 2,852.00 | 2,852.00 |
| iii) | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 61,512.28 | 51,083.94 |
| iv) | टियर 2 पूंजी | 8,394.53 | 6,643.48 |
| v) | कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2) | 69,906.81 | 57,727.42 |
| vi) | कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) | 4,12,078 | 3,54,534 |
| vii) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (सीईटी1) (%) | 14.24% | 13.60% |
| viii) | टियर I पूंजी अनुपात (%) | 14.93% | 14.41% |
| ix) | टियर II पूंजी अनुपात (%) | 2.04% | 1.87% |
| x) | पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 16.96% | 16.28% |
| xi) | लीवरेज अनुपात | 6.45% | 6.04% |
| xii) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | 73.38% | 81.41% |
| xiii) | वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि | 4,500* | 0.00 |
| xiv) | आवंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन राशि | 0.00 | 0.00 |
| xv) | वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से: | | |
| | ए) बेसल III अनुवर्ती स्थायी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर | 0.00 | 0.00 |
| | बी) बेसल III अनुवर्ती स्थायी अतिरिक्त टियर- I ऋण लिखत | 0.00 | 1,500.00 |
| xvi) | वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से | | |
| | ए) स्थायी संचयी अधिमान्य शेयर | 0.00 | 0.00 |
| | बी) बेसल III अनुवर्ती प्रतिदेय टियर-II बॉन्ड | 2,000.00 | 0.00 |

पूंजी - जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात और लीवरेज अनुपात की उक्त गणना 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी कए रूप में लगाई गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड के निवल वर्तमान मूल्य के प्रभाव पर विचार करने के बाद की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 15/21.06.201/2023-24 दिनांक 12 मार्च 2023 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च 2024 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिति और आस्थगित कर पर विचार किया है।

*बैंक ने 05 दिसंबर, 2023 को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के माध्यम से ₹4,500 की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है। बैंक ने निवेशक को ₹ 90.20 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक के 44,91,01,796 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।

(ए1) टियर-1 पूंजी को बढ़ाने हेतु जुटाए गए अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बांड के बकाया का विवरण निम्नानुसार है: -

यथा 31.03.2024

| जिस वर्ष में जुटाये | स्वरूप | राशि | सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III) |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | अतिरिक्त टियर 1 | 1,352.00 | 1,352.00 |
| 2022-23 | अतिरिक्त टियर 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | **कुल** | **2,852.00** | **2,852.00** |

2 दिसंबर, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 1,500 के बेसल III अनुपालित अतिरिक्त टियर I बॉन्ड श्रृंखला VIII जुटाए हैं।

(ए2) टियर-II पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए टियर-II लिखतों के बकाया ब्यौरे निम्नानुसार है:

यथा 31.03.2024

| जिस वर्ष जुटाया गया | स्वरूप | राशि | सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III) |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | टियर II | 3,000.00 | 600.00 |
| 2020-21 | टियर II | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2023-24 | टियर II | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | **कुल** | **6,800.00** | **4,400.00** |

बैंक ने क्रमशः 25 सितंबर, 2023 और 30 सितंबर, 2023 को टियर II बांड सीरीज X और सीरीज XI को रिडीम किया है जो ₹ 1,000 करोड़ और ₹ 500 करोड़ की राशि के हैं।

बैंक ने 15 सितंबर, 2023 को बेसल III अनुवर्ती टियर II बांड सीरीज XVI से ₹ 2,000 करोड़ की राशि जुटाई है।

**(बी) आरक्षितियों से आहरण:**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, लाभ एवं हानि खाता में आरक्षितियों से कोई आहरण नहीं हुआ है।

### 2. आस्ति देयता प्रबंधन

**(ए) 31 मार्च, 2024 को आस्ति एवं देयताओं की कुछ वस्तुओं के परिपक्वता का स्वरूप**

| विवरण | दिन 1 | 2 से 7 दिन | 8 से 14 दिन | 15 से 30 दिन | 31 दिन से 2 महीने | 2 महीने से अधिक और 3 महीने तक | 3 महीने से अधिक और 6 महीने तक | 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक | 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 5 साल से अधिक | कुल (1 से 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमा$ | 9,775.46 | 13,539.73 | 13,828.73 | 15,032.43 | 29,326.33 | 31,425.89 | 46,051.04 | 47,227.88 | 53,037.26 | 42,534.90 | 4,36,140.58 | 7,37,920.21 |
| | (15,098.03) | (30,623.99) | (14,760.12) | (23,575.73) | (33,643.64) | (31,307.38) | (42,998.77) | (41,465.53) | (95,110.29) | (82,018.12) | (258,984.17) | (669,585.77) |
| अग्रिम# | 16,593.69 | 6,791.71 | 7,769.95 | 15,329.67 | 16,888.05 | 18,083.48 | 26,146.71 | 39,381.37 | 2,22,060.13 | 58,512.27 | 1,35,587.64 | 5,63,144.67 |
| | (12,281.81) | (6,442.18) | (5,573.66) | (6,229.10) | (11,889.69) | (12,739.22) | (21,999.18) | (26,535.89) | (195,895.35) | (59,244.19) | (127,069.35) | (485,899.64) |
| निवेश | 200.68 | 2,143.41 | 1,577.50 | 2,885.21 | 523.08 | 564.32 | 4,473.23 | 4,993.62 | 17,872.31 | 32,402.84 | 1,59,508.26 | 2,27,144.47 |
| | (0.00) | (1,601.92) | (236.07) | (1,028.47) | (3,514.19) | (2,630.91) | (5,609.36) | (3,782.43) | (14,328.30) | (24,704.52) | (146,961.70) | (204,397.88) |

| विवरण | दिन 1 | 2 से 7 दिन | 8 से 14 दिन | 15 से 30 दिन | 31 दिन से 2 महीने | 2 महीने से अधिक और 3 महीने तक | 3 महीने से अधिक और 6 महीने तक | 6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक | 1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक | 3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक | 5 साल से अधिक | कुल (1 से 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| उधारियां | 8.59 | 22,289.64 | 308.04 | 80.47 | 10,957.70 | 5,852.26 | 11,990.93 | 9,818.03 | 13,199.42 | 6,419.00 | 0.00 | 80,924.07 |
| | (404.43) | (20,127.49) | (1,395.07) | (1,635.34) | (11,186.99) | (953.22) | (13,229.68) | (2,339.49) | (10,407.32) | (1,500.00) | (1,800.00) | (64,979.02) |
| विदेशी मुद्रा | 1,652.46 | 3,547.51 | 1,627.08 | 9,524.27 | 9,917.85 | 11,118.86 | 15,745.47 | 12,466.81 | 23,593.31 | 17,992.02 | 9,501.57 | 1,16,687.23 |
| आस्तिया## | (2,127.21) | (8,812.03) | (3,455.75) | (13,963.56) | (11,338.04) | (19,125.07) | (16,843.18) | (20,210.23) | (22,361.09) | (20,883.28) | (6,851.22) | (145,970.66) |
| विदेशी मुद्रा | 1,753.01 | 4,320.33 | 6,716.39 | 6,541.70 | 16,480.77 | 16,952.48 | 24,584.71 | 12,354.49 | 17,016.65 | 12,182.31 | 4,263.47 | 1,23,166.32 |
| देयताएं$$ | (2,615.12) | (17,781.88) | (2,761.91) | (11,045.63) | (20,002.16) | (10,135.08) | (15,889.42) | (11,469.50) | (7,749.00) | (6,875.97) | (189.33) | (106,515.00) |

**$विदेशी मुद्रा में जमा सहित**

#विदेशी मुद्रा में अग्रिम सहित

## बैलेन्स शीट परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा, अग्रिम और निवेश को प्रतिपादित करती हैं।

$$ बैलेन्स शीट देयताओं पर विदेशी मुद्रा, ऋण और जमा को प्रतिपादित करती हैं।

नोट : 31 मार्च 2024, तक जमा, उधार, अग्रिम और निवेश का परिपक्वता पैटर्न निम्नलिखित पर आधारित है:

एएलएम पर आरबीआई के दिशानिर्देश।

आस्तियों और देयताओं का व्यवहारिक अध्ययन जिनकी निश्चित परिपक्वता नहीं होती है और अंतर्निहित वैकल्पिकता के लिए

**(बी) चलनिधि कवरेज अनुपात: प्रबंधन द्वारा यथा समेकित**

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

| क्र. सं. | राशि रु. करोड़ में | वित्तीय वर्ष 2023-24* | | वित्तीय वर्ष 2022-23* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अभारित मूल्य (औसत) @ | कुल भारित मूल्य (औसत) @ | कुल अभारित मूल्य (औसत) @ | कुल भारित मूल्य (औसत) @ |
| **उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियाँ** | | | | | |
| 1 | कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) | | 1,55,585.17 | | 1,41,772.51 |
| **नकदी प्रवाह** | | | | | |
| 2 | खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की जमाराशियां, जिसमें से | 5,18,171.71 | 45,101.08 | 4,90,439.65 | 42,687.67 |
| (i) | स्थिर जमाराशियां | 1,34,321.76 | 6,716.09 | 1,27,125.93 | 6,356.30 |
| (ii) | कम स्थिर जमाराशियां | 3,83,849.94 | 38,384.99 | 3,63,313.73 | 36,331.37 |
| 3 | अप्रतिभूत थोक निधियां, जिसमें से : | 1,01,480.07 | 57,036.96 | 82,100.09 | 46,746.70 |
| (i) | परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | गैर-परिचालनगत जमाराशियां ( सभी प्रतिपक्षकार ) | 74,071.86 | 29,628.74 | 58,922.31 | 23,568.93 |
| (iii) | अरक्षित ऋण | 27,408.21 | 27,408.21 | 23,177.77 | 23,177.77 |
| 4 | जमानती थोक निधियन | | 208.94 | | 2,975.64 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से | 76,157.78 | 18,813.14 | 31,037.31 | 10,727.82 |
| (i) | ब्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन | 6,826.93 | 6,826.93 | 5,414.68 | 5,414.68 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं | 69,330.85 | 11,986.21 | 25,622.63 | 5,313.14 |
| 6 | अन्य संविदागत निधियन दायित्व | 17,974.56 | 17,974.56 | 14,865.49 | 14,865.49 |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व | 34,733.24 | 1,042.00 | 37,109.90 | 1,113.29 |
| 8 | कुल नकदी बहिर्गमन | | 1,40,176.67 | | 1,19,116.61 |
| **नकदी अंतर्वाह** | | | | | |
| 9 | जमानती उधार (उदा:रिवर्स रेपो) | 3,595.18 | 2,421.74 | 5,533.88 | 3,487.53 |
| 10 | पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से अंतर्वाह | 26,038.22 | 20,583.85 | 27,354.34 | 21,745.10 |
| 11 | अन्य नकदी अंतर्वाह | 16,835.62 | 15,562.34 | 15,855.87 | 15,685.38 |

| क्र. सं. | राशि रु. करोड़ में | वित्तीय वर्ष 2023-24* | | वित्तीय वर्ष 2022-23* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल अभारित मूल्य (औसत) @ | कुल भारित मूल्य (औसत) @ | कुल अभारित मूल्य (औसत) @ | कुल भारित मूल्य (औसत) @ |
| 12 | कुल नकदी अंतर्वाह | 46,469.03 | 38,567.94 | 48,744.10 | 40,918.00 |
| 13 | कुल एचक्यूएलए | | 1,55,585.17 | | 1,41,772.51 |
| 14 | कुल निवल नकदी बहिर्गमन | | 1,01,608.74 | | 78,198.61 |
| 15 | चलनिधि कवरेज अनुपात (%) | | 153.12 | | 181.30 |

**टिप्पणी:-**

*समेकित आधार पर (घरेलू परिचालन, विदेशी केंद्र और विदेशी अनुषंगियां शामिल)

@ दिनांक 31.03.2024 साथ-साथ 31.03.2023 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर (अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 क्रमश: हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह आरबीआई के दिशा-निर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 के अनुरूप है।

**एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटीकरण**

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) अधिक मजबूत बैंकिंग क्षेत्र विकसित करने के लिए बेसल समिति के प्रमुख सुधारों में से एक है। एलसीआर, एक वैश्विक मानक है जिसका उपयोग आपके बैंक की तरलता स्थिति को मापने के लिए भी किया जाता है। एलसीआर यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है जिसे 30-दिवसीय कैलेंडर तरलता दबाव परिदृश्य के अन्दर अपनी तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। एलसीआर, वित्तीय और आर्थिक तनाव से उत्पन्न झटकों को अवशोषित करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने में मदद करता है, चाहे इसका कुछ भी स्रोत हो। इस प्रकार यह वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैलने के जोखिम को कम करता है। बेसल छ्छ मानदंडों के आधार पर, आपके बैंक का औसत एलसीआर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समेकित आधार पर 153.12 प्रतिशत था, जबकि नियामकीय सीमा 100 प्रतिशत थी।

एलसीआर मानक का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एलसीआर) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता रहे जिससे अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अंतर्गत 30 कैलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने हेतु एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सके। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक, कम से कम अगले 30 कैलेंडर दिवस गुजर सके।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च कोटी की चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहां,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाजार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है। लेवल 1 एसेट 0% हेयरकट के साथ हैं, लेवल 2A और लेवल 2B एसेट क्रमश: 15% और 50% हेयरकट के साथ हैं।
- आरबीआई/बासेल की परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अंतर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह, निवल नकदी बहिर्गमन है। निवल नकदी बहिर्गमन के परिकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट पर माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ फैक्टर पर माना जाता है। नकदी बहिर्वाह का निर्धारण करने के लिए, बैंक अपनी जमाओं को विभिन्न ग्राहक खंडों में अलग करता है, जैसे खुदरा (जिसमें व्यक्तियों से जमा शामिल हैं), लघु व्यवसाय ग्राहक (7.5 करोड़ रुपये तक जमा वाले), और थोक (जो सभी अवशिष्ट जमा को कवर करेंगे)। थोक के भीतर, जमा जो समाशोधन, अभिरक्षा और नकदी प्रबंधन सेवाओं के कारण होते हैं, उन्हें परिचालन जमा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य संविदात्मक धन, जिसमें अन्य देनदारियों का एक हिस्सा शामिल है, जो 30 दिन की समय सीमा में नीचे चलने की उम्मीद है, नकदी बहिर्वाह में शामिल हैं। मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर ये वर्गीकरण, बैंक के एलसीआर ढांचे का हिस्सा हैं, और आरबीआई को भी प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह की गणना संविदात्मक प्राप्तियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष को उन दरों से गुणा करके की जाती है, जिन पर उन्हें कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह के 75% की कुल सीमा तक प्रवाह करने की उम्मीद है। यदि दबावग्रस्त अंतर्वाह दबावग्रस्त बहिर्वाह से अधिक है, तो एलसीआर पर गणना के लिए कुल बहिर्वाह का 25% कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के रूप में लिया जाएगा।

**एलसीआर के मुख्य संचालक** : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता को चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। की पर्याप्तता और खुदरा ग्राहकों से उच्च वित्त पोषण स्रोतों के कारण कम शुद्ध नकदी बहिर्वाह हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायता की है।

**एचक्यूएलए की संरचना:** उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा) होता है।

मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रकटीकरण के अनुसार औसत एचक्यूएलए की संरचना नीचे दी गई है:

| | |
|---|---|
| हाथ में नकदी | 1.83% |
| अतिरिक्त सीआरआर शेष | 3.66% |
| न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां | 20.23% |
| एमएसएफ (वर्तमान में एमएसएफ के लिए अनुमत एनडीटीएल के 2 प्रतिशत की सीमा तक) के अंतर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियाँ | 7.67% |
| बासेल छ्छ के मानक दृष्टिकोण के तहत 0% जोखिम भार वाले विदेशी सरकार द्वारा जारी या गारंटीकृत विपणन योग्य प्रतिभूतियां और रेपो / रिवर्स रेपो संव्यवहार के कारण अन्य प्रतिभूति समायोजन | 3.60% |

| | |
|---|---|
| चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि का लाभ उठाने की सुविधा | 62.56% |
| लेवल 2 आस्तियां | 1.12% |
| तरलता अंतरण प्रतिबंधों को प्रतिबिंबित करने के लिए एचक्यूएलए में समायोजन | (0.67%) |

**निधीयन स्रोत का संकेंद्रीकरण :** बैंक के अधिकांश फंडिंग स्रोत खुदरा ग्राहकों और छोटे व्यवसाय के ग्राहकों से हैं, इसलिए तनावग्रस्त बहिर्वाह तुलनात्मक रूप से कम हैं। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। भारतीय संदर्भ में, दबावग्रस्त परिदृश्यों के लिए रन-ऑफ कारक आरबीआई द्वारा देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों (जैसे, जमा, गैर जमानती और जमानती थोक उधार), अनाहरित प्रतिबद्धताओं, डेरिवेटिव-संबंधित एक्सपोजर, और उसी समय अवधि के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से उत्पन्न अंतर्वाहों के साथ ऑफसेट के लिए निर्धारित किए जाते हैं। नीचे दी गई जमा के लिए रन-ऑफ कारकों की एक तालिका है:

| विवरण | रन-ऑफ कारक |
|---|---|
| खुदरा जमाराशि | 5% - 10% |
| लघु व्यवसाय ग्राहक | 5% - 10% |
| परिचालन जमाराशि | 5% - 25% |
| गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, संप्रभु, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम | 40% |
| अन्य विधिक संस्थाएँ | 100% |

**डेरिवेटिव एक्सपोजर और संभाव्य संपार्श्विक कॉल:** डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम एक्सपोजर है जो उल्लेखनीय नहीं है।

**एलसीआर में मुद्रा असंतुलन:** आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में, यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है।

**चलनिधि प्रबंधन के संकेंद्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाइयों में पारस्परिक क्रिया :** उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इसपर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की आवधिक निगरानी की जाती है । बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की ग्लोबल एएलएम नीति से शासित होती है। घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। बैंक की विदेशी शाखाएं और ऑफशोर इकाई प्रधान कार्यालय के समर्थन से स्वतंत्र रूप से अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं। इसी तरह, बैंक की सहायक कंपनियां स्वतंत्र रूप से आर.कॉम के मार्गदर्शन में अपनी तरलता आवश्यकताओं का प्रबंधन करती हैं, जो सहायक कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ, सहायक कंपनियों में महत्वपूर्ण जोखिमों के जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा, बैंक अन्य मुद्राओं में चलनिधि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं का रखरखाव करता है।

मार्च 31, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए तीन महीने (ति4 वि.व. 2023-24) के दैनिक औसत पर आधारित औसत एलसीआर दिसंबर 31,2023 को समाप्त तिमाही के लिए 148.08% के मुकाबले 126.41% था और 100% की वर्तमान निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से काफी ऊपर था। मार्च 31, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए औसत एचक्यूएलए रु. 155,585.17 करोड़ था, जिसमें 99.55% लेवल 1 एसेट थे जबकि लेवल 2ए और लेवल 2बी एसेट क्रमशः 0.82% और 0.29% थे। औसत एचक्यूएलए में समायोजन (0.67%) है। वित्त वर्ष के दौरान, भारित औसत एचक्यूएलए स्तर में 13,813 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण एसएलआर शेष में अतिरिक्त वृद्धि है। इसके अलावा, वित्त वर्ष के दौरान भारित औसत शुद्ध नकदी बहिर्वाह की स्थिति में 23,410 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण गैर जमानती थोक वित्तपोषण शीर्ष के तहत नकदी बहिर्वाह में वृद्धि है।

बैंक एचक्यूएलए का रखरखाव अनिवार्य आवश्यकताओं के अलावा मुख्य रूप से एसएलआर निवेश के रूप में कर रहा है। खुदरा जमाएं कुल वित्तपोषण स्रोतों का प्रमुख हिस्सा हैं, जिनमें विविधता है। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास अपनी संभावित भविष्य की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता कवर है।

### (सी) निवल स्थिर निधीयन अनुपात

| ₹ करोड़ में | | अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य | | | | भारित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परिपक्वता नहीं | <6 महीने | 6 महीने से <1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| एएसएफ मद | | | | | | |
| 1 | पूंजी (2+3) | 74,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,113.60 |
| 2 | विनियामक पूंजी | 74,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,113.60 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा: (5+6) | 2,52,381.03 | 1,58,818.89 | 95,500.27 | 0.00 | 4,60,949.93 |
| 5 | स्थिर जमा | 38,740.17 | 32,870.28 | 26,784.71 | 0.00 | 93,475.40 |
| 6 | कम स्थिर जमा | 2,13,640.86 | 1,25,948.61 | 68,715.55 | 0.00 | 3,67,474.53 |
| 7 | थोक निधीयन (8+9) | 23,880.77 | 28,619.11 | 29,007.45 | 0.00 | 40,753.66 |
| 8 | परिचालन जमा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधीयन | 23,880.77 | 28,619.11 | 29,007.45 | 0.00 | 40,753.66 |
| 10 | अन्य देयताएं: (11+12) | 1,191.00 | 85,078.02 | 917.46 | 1,66,286.33 | 81,142.72 |

| ₹ करोड़ में | | अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य | | | | भारित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परिपक्वता नहीं | <6 महीने | 6 महीने से <1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| 11 | एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | अन्य सभी देयताएं और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 1,191.00 | 85,078.02 | 917.46 | 1,66,286.33 | 81,142.72 |
| 13 | कुल एएसएफ (1+4+7+10) | | | | | 6,56,959.91 |
| आरएसएफ़ मद | | | | | | |
| 14 | कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) | | | | | 7,595.35 |
| 15 | परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां | 4,368.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.08 |
| 16 | ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादन (17+18+19+21+23) | 23)<br>0.00 | 3,08,431.35 | 73,849.40 | 1,80,995.62 | 3,12,101.90 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना और वित्तीय संस्थानों को असुरक्षित प्रदर्शन करने वाले ऋण | 0.00 | 13,231.35 | 18,933.63 | 0.00 | 11,451.52 |
| 19 | गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण देना, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, जिनमें से: | 0.00 | 2,95,200.00 | 54,915.77 | 1,15,326.74 | 2,50,020.26 |
| 20 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | 0.00 | 2,95,200.00 | 54,915.77 | 1,15,326.74 | 2,50,020.26 |
| 21 | आवासीय बंधक प्रदर्शन करना, जिनमें से: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,942.14 | 16,862.39 |
| 22 | क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,942.14 | 16,862.39 |
| 23 | प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,726.74 | 33,767.73 |
| 24 | अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) | 4,312.99 | 28,954.39 | 1,371.22 | 1,52,874.76 | 1,78,126.17 |
| 25 | सोना सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | एनएसएफआर डेरिवेटिव एसेट्स | | 23,507.05 | 239.95 | 605.84 | 24,352.84 |
| 28 | पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं | | 299.37 | 30.78 | 1.50 | 331.65 |
| 29 | अन्य सभी संपत्तियां उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं | 4,312.99 | 5,147.97 | 1,100.49 | 1,52,267.43 | 1,53,441.68 |
| 30 | ऑफ-बैलेंस शीट मदें | | 12,491.01 | 46,990.00 | 90,184.62 | 6,492.00 |

| ₹ करोड़ में | | अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य | | | | भारित मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कोई परिपक्वता नहीं | <6 महीने | 6 महीने से <1 वर्ष | ≥ 1 वर्ष | |
| 31 | कुल आरएसएफ | | | | | 5,06,499.50 |
| 32 | एनएसएफ़आर (%) | | | | | 129.71% |

#'नो मेच्योरिटी' टाइम बकेट में रिपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स की कोई निश्चित परिपक्वता नहीं होती है। इनमें स्थायी परिपक्वता वाली पूंजी, गैर-परिपक्वता जमा, शॉर्ट पोजीशन, खुली परिपक्वता स्थिति, गैर-एचक्यूएलए इक्विटी, और भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं शामिल हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की चलनिधि जोखिम प्रोफाइल की, विपरीत परिस्थितियों से फिर से उभरने की क्षमता को बढ़ावा देना और लंबे समय तक फिर से उभरने की क्षमता वाले बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। एनएसएफआर के लिए बैंकों को उनकी परिसंपत्तियों की संरचना और तुलन पत्र में शामिल न होने वाली गतिविधियों के संबंध में पूंजी और देयताएं के रूप में एक स्थिर निधियन प्रोफाइल बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} \; \frac{\text{स्थिर निधियन की उपलब्ध राशि (एएसएफ़)}}{\text{स्थिर निधियन की अपेक्षित राशि (आरएसएफ़)}} \geq 100\%$$

आरबीआई ने मई 2018 में कम से कम 100% के बराबर की न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधियन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियम जारी किए। कार्यान्वयन 1 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है और इसकी गणना स्टैंडअलोन और समेकित स्तर पर की जाती है।

उपलब्ध स्थिर निधियन (एएसएफ) को पूंजी और देयताओं के विश्वसनीय होने की उम्मीद के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 100% भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली देनदारियों के साथ देनदारियों की प्रकृति और परिपक्वता के अनुसार विभिन्न कारक भार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अपेक्षित स्थिर निधियन (आरएसएफ) को बैलेंस शीट और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सतत आधार पर वित्त पोषित करने की आवश्यकता होती है। ऐसी आवश्यक स्थिर निधि की राशि चलनिधि विशेषताओं और धारित विभिन्न परिसंपत्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का एक कार्य है।

### बैंक के एनएसएफआर के बारे में संक्षिप्त

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) के मुख्य चालक पूंजी आधार, खुदरा जमा आधार, और गैर-वित्तीय कंपनियों से वित्त पोषण और संस्थागत ग्राहकों से दीर्घकालिक वित्त पोषण हैं। संबंधित भार को लागू करने के बाद, पूंजी आधार लगभग 11%, खुदरा जमा (छोटे आकार के व्यावसायिक ग्राहकों से जमा सहित) का गठन 70% और थोक वित्त पोषण कुल उपलब्ध स्थिर फंडिंग का 6% बनता है।

स्थिर निधीयन में मुख्य रूप से कॉरपोरेट, खुदरा ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों को उधार देना शामिल था, जो प्रासंगिक भार लागू करने के बाद कुल आरएसएफ का 62% था। उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का स्टॉक जिसमें प्रमुख रूप से आरबीआई के साथ नकद और आरक्षित शेष शामिल हैं, सरकारी ऋण जारी करने से उनकी उच्च गुणवत्ता और तरल विशेषता के कारण स्थिर वित्त पोषण की मात्रा कम या कम नहीं हुई। तदनुसार, प्रासंगिक भारों को लागू करने के बाद एचक्यूएलए, आवश्यक स्थिर निधीयन का केवल 2% है। अन्य परिसंपत्तियां और आकस्मिक फंडिंग दायित्व, जैसे कि प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाएं, गारंटी और साख पत्र, आवश्यक स्थिर फंडिंग का 36% है।

बैंक का एनएसएफआर 31 मार्च 2024 को समेकित आधार पर 129.71% पर है और आरबीआई द्वारा निर्धारित 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से ऊपर है। 31 मार्च 2024 तक, भारित बिक्री के लिए उपलब्ध (एएसएफ) स्थिति ₹6,56,960 करोड़ और भारित आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (RSF) स्थिति ₹5,06,499 करोड़ थी।

3. निवेश

(ए) निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31.03.2024 के अनुसार निवेश

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर एवं बॉण्ड | अनुषंगी एवं/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | अनुषंगी एवं/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत से बाहर कुल निवेश | |
| **परिपक्वता के लिए आयोजित** | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 162,669.92 | 0.00 | 1.11 | 805.21 | 1,496.06 | 61.66 | 165,033.95 | 0.00 | 2,298.46 | 0.00 | 2,298.46 | 167,332.41 |
| घटाएँ: अनर्जक हेतु प्रावधान (एनपीआई) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 1.86 |
| निवल | 162,669.92 | 0.00 | 1.11 | 805.21 | 1,496.06 | 61.66 | 165,033.95 | 0.00 | 2,296.60 | 0.00 | 2,296.60 | 167,330.55 |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 36,056.78 | 0.00 | 1,676.47 | 11,839.68 | 0.00 | 4,077.28 | 53,650.21 | 7,875.06 | 0.00 | 1,457.38 | 9,332.44 | 62,982.65 |
| घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 805.33 | 694.12 | 0.00 | 1,099.97 | 2,599.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599.42 |
| निवल | 36,056.78 | 0.00 | 871.14 | 11,145.56 | 0.00 | 2,977.31 | 51,050.79 | 7,875.06 | 0.00 | 1,457.38 | 9,332.44 | 60,383.23 |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 1,273.76 | 0.00 | 2.47 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 |
| घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| निवल | 1,273.76 | 0.00 | 2.47 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 |
| **कुल निवेश** | 200,000.46 | 0.00 | 1,680.05 | 12,654.86 | 1,496.06 | 4,138.93 | 219,970.36 | 7,875.06 | 2,298.46 | 1,457.38 | 11,630.90 | 231,601.26 |
| घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 805.33 | 694.12 | 0.00 | 1,099.97 | 2,599.42 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 2,601.28 |
| घटाएं: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 1.39* | 0.00 | 159.26 | 930.42 | 42.38 | 350.08 | 1,483.52 | 298.17 | 0.00 | 73.82 | 371.99 | 1,855.51 |
| **निवल** | **199,999.07** | **0.00** | **715.46** | **11,030.32** | **1,453.68** | **2,688.88** | **215,887.42** | **7,576.89** | **2,296.60** | **1,383.56** | **11,257.05** | **227,144.47** |

ओआईएस के लिए प्रावधान सरकारी प्रतिभूतियों से घटाया गया है।

**31.03.2023 के अनुसार निवेश**

| | भारत में निवेश | | | | | | | भारत के बाहर निवेश | | | | कुल निवेश |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां | अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां | शेयर | डिबेंचर एवं बॉण्ड | अनुषंगी एवं/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत में कुल निवेश | सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | अनुषंगी एवं/ या संयुक्त उद्यम | अन्य | भारत से बाहर कुल निवेश | |
| **परिपक्वता के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 148,812.37 | 0.00 | 1.11 | 3,342.28 | 1,227.70 | 72.35 | 153,455.81 | 0.00 | 1,474.10 | 0.00 | 1,474.10 | 154,929.92 |
| घटाएँ: अनर्जक हेतु प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 1.87 |
| निवल | 148,812.37 | 0.00 | 1.11 | 3,342.28 | 1,227.70 | 72.35 | 153,455.81 | 0.00 | 1,472.24 | 0.00 | 1,472.24 | 154,928.05 |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध** | | | | | | | | | | | | |
| कुल | 30,943.50 | 0.00 | 2,262.36 | 7,928.22 | 0.00 | 3,484.97 | 44,619.05 | 7,628.18 | 0.00 | 1,632.24 | 9,260.41 | 53,879.46 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 1,028.88 | 778.43 | 0.00 | 1,207.42 | 3,014.73 | 187.47 | 0.00 | 84.59 | 272.07 | 3,286.80 |
| निवल | 30,943.50 | 0.00 | 1,233.48 | 7,149.79 | 0.00 | 2,277.55 | 41,604.32 | 7,440.70 | 0.00 | 1,547.64 | 8,988.34 | 50,592.66 |
| **ट्रेडिंग के लिए धारित** | | | | | | | | | | | | |
| कुल | -29.92 | 0.00 | 1.55 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.62 |
| घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| निवल | -30.09 | 0.00 | 1.55 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 |
| **कुल निवेश** | 179,725.95 | 0.00 | 2,265.02 | 11,320.50 | 1,227.70 | 3,557.32 | 198,096.48 | 7,628.18 | 1,474.10 | 1,632.24 | 10,734.52 | 208,831.00 |
| घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान | 0.17 | 0.00 | 1,028.88 | 778.43 | 0.00 | 1,207.42 | 3,014.90 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 3,016.77 |
| हेतुघटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान | 0.00 | 0.00 | 202.73 | 563.36 | 21.83 | 356.36 | 1,144.28 | 187.47 | 0.00 | 84.59 | 272.07 | 1,416.35 |
| **निवल** | 179,725.78 | 0.00 | 1,033.41 | 9,978.71 | 1,205.87 | 1,993.54 | 193,937.30 | 7,440.70 | 1,472.24 | 1,547.64 | 10,460.58 | 204,397.88 |

(i) राशि ₹35,489.39 (पिछले वर्ष ₹ 32,964.87) की सरकारी प्रतिभूतियाँ (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, क्लियरिंग हाउस और एक्सचेंजों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

(ii) बैंक ने अपनी अनुषंगी पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके में ₹675.63 निवेश कर 4.92% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल की है, जिसके परिणामस्वरूप ₹65.51 के समेकन पर सद्भावना हुई है और इसे वर्ष के दौरान समायोजित और बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(iii) बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड में ₹148.72 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड में ₹ 19.20 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

(iv) बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अतिरिक्त आनुपातिक पूंजी का निवेश किया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023-24 में आवंटन हुआ:

ए. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक में ₹110.09

बी. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ₹139.08

(v) बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में आर्यावर्त बैंक में ₹152.04 की अतिरिक्त आनुपातिक पूंजी का निवेश किया है जो आवंटन के लिए लंबित है।

**(ब) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन**

| विवरण | यथा 31.03.2024 तक | यथा 31.03.2023 तक |
|---|---|---|
| **i) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन** | | |
| ए) प्रारंभिक जमा | 4,433.13 | 5,212.11 |
| बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 939.93 | 2,075.29 |
| सी) कम: बट्टे खाते डाली राशि/ वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक | 871.11 | 2,879.43 |
| घ) जोड़ें/(कम): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन | (-)45.14 | 25.16 |
| इ)अंतिम शेष | 4,456.81 | 4,433.13 |
| **ii) निवेश में उतार-चढ़ाव रिजर्व का संचलन** | | |
| ए) प्रारंभिक जमा | 1,079.02 | 927.59 |
| बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि | 206.36 | 151.43 |
| सी) कम: ड्राडाउन | 0.00 | 0.00 |
| डी) अंतिम शेष | 1,285.38 | 1,079.02 |
| **iii) एएफएस और एचएफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेश 13 के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेष** | 2.00% | 2.00% |

**(सी) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और हस्तांतरण :**

1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का कुल मूल्य, यथा 31 मार्च, 2023 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5% से ज्यादा नहीं है। उपर्युक्त उल्लिखित 5 प्रतिशत की सीमा में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

(a) निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारम्भ में बैंको द्वारा एचटीएम श्रेणी में/से जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है;

(b) पूर्व-घोषित ओपन मार्केट नीलामियों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को बिक्री।

(c) बैंकों से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

(d) लेखांकन वर्ष के आरंभ में अनुमति प्राप्त अंतरण के अतिरिक्त, एचटीएम के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर उच्चतम सीमा में कमी के कारण एएफएस/एचएफटी में अंतरण या प्रतिभूतियों की बिक्री ।

| | | |
|---|---|---|
| वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा) | 5,050.27 | बिक्री % में (<5%) = 3.88% |
| यथा 31.03.2023 को एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियां | 130,180.92 | |

**(d) गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

**i. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश**

| क्र. सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (ए) | प्रारंभिक जमा | 3,016.60 | 2228.00 |
| (बी) | 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन | 233.83 | 1,515.34 |
| (सी) | उक्त अवधि के दौरान कटौती | 649.14 | 726.74 |
| (इ) | अंतिम शेष | 2,601.29 | 3,016.60 |
| (एफ) | धारित कुल प्रावधान | 2,601.29 | 3,016.60 |

**ii. गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना**

| क्र. सं. | जारीकर्ता | राशि | निजी निवेश की मात्रा | 'निवेश ग्रेड' प्रतिभूतियों से कम की मात्रा* | 'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की मात्रा* | 'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| i. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों | 1,628.73 | 30.50 | 0.00 | 469.81 | 469.81 |
| | | (1,777.34) | (1,704.69) | (0.00) | (497.89) | (0.00) |
| ii. | वित्तीय संस्थाओं | 6,378.58 | 422.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (3,340.89) | (2,816.02) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| iii. | बैंकों | 1,426.99 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 631.74 |
| | | (1,450.47) | (709.12) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| iv. | निजी कॉर्पोरेट | 1,878.57 | 1,427.10 | 884.75 | 948.18 | 1,427.10 |
| | | (4,571.13) | (4,338.98) | (1,440.11) | (56.35) | (0.00) |
| v. | सहायक/ संयुक्त उपक्रम# | 3,794.53 | 3,794.53 | 0.00 | 0.00 | 3,794.53 |
| | | (2,701.81) | (2,701.81) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| vi. | अन्य *$ | 41,192.41 | 24,961.08 | 0.00 | 24,699.00 | 24,709.00 |
| | | (39,962.44) | (32,273.04) | (0.00) | (24,699.00) | (0.00) |
| | **कुल** | **56,299.82** | **30,636.92** | **884.75** | **26,118.14** | **31,032.18** |
| | | **(53,804.08)** | **(44,543.66)** | **(1,440.11)** | **(554.24)** | **(0.00)** |
| vii. | घटा: मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान | 4,455.41 | 4,083.42 | 732.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | (4,432.96) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| | निवल | 51,844.40 | 26,553.50 | 151.77 | 26,118.14 | 31,032.18 |
| | | (49,371.12) | (44,543.66) | (1,440.11) | (554.24) | (0.00) |

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, रेटेड एसेट्स बेक्ड प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत अलग नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हे वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

# अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

$ ₹24,699 (पिछले वर्ष ₹ 24,699) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूंजीकरण बांड में निवेश शामिल है।

**iii. वर्ष के दौरान किए गए रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में):**

| विवरण | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | बकाया यथा 31 मार्च, 2024 |
|---|---|---|---|---|
| रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां: | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | 0.00 | 22,089.60 | 4,692.40 | 15,374.38 |
| | (0.00) | (7,753.15) | (3,739.83) | (2,692.00) |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां: | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | 0.00 | 745.00 | 105.17 | 0.00 |
| | (0.00) | (9,208.00) | (319.10) | (0.00) |
| ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |

iv. सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य शर्तों में)

यथा 31 मार्च 2024

| | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा | 31 मार्च, 2024 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |

यथा 31 मार्च 2023

| | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया | वर्ष के दौरान लेनदेन की कुल मात्रा | 31 मार्च, 2023 तक बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |
| जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |
| जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां | शून्य | | | | |

(e) परिपक्व एनपीआई (अनुसूची 11 'अन्य आस्ति' में शामिल):

(i) निवेश का मूल्य:

| विवरण | | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (i) | निवेश का सकल मूल्य | 1,857.75 | 1,854.36 |
| | (ए) भारत में | 1,348.14 | 1,351.17 |
| | (बी) भारत के बाहर | 509.61 | 503.19 |
| (ii) | मूल्यह्रास के लिए प्रावधान | 1,857.75 | 1,854.36 |
| | (ए) भारत में | 1,348.14 | 1,351.17 |
| | (बी) भारत के बाहर | 509.61 | 503.19 |
| (iii) | निवेश का निवल मूल्य | | |
| | (ए) भारत में | 0.00 | 0.00 |
| | (बी) भारत के बाहर | 0.00 | 0.00 |

(ii) निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन:

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| प्रारंभिक शेष | 1,854.36 | 1,364.38 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 140.47 | 598.11 |
| उप-जोड़ | 1,994.83 | 1,962.49 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते में डालना/राइट-बैक करना | 143.57 | 138.61 |
| जोड़ें/(घटाएँ): विनिमय अंतर के कारण समायोजन | 6.49 | 30.48 |
| अंतिम शेष | 1,857.75 | 1,854.36 |

(f) अनर्जक निवेश (परिपक्व निवेश सहित)

| विवरण | | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (i) | निवल निवेश की तुलना में निवल एनपीए (%) | 0.00% | 0.00% |
| (ii) | एनपीआई (सकल) का उतार-चढ़ाव | | |
| | (ए) आरंभिक शेष | 4,870.97 | 3,641.98 |
| | (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन | 370.79 | 2,143.94 |
| | (सी) वर्ष के दौरान कमी | 792.72 | 914.95 |
| | (डी) अंतिम शेष | 4,449.04 | 4,870.97 |
| (iii) | एनपीआई हेतु प्रावधान का उतार चढ़ाव | | |
| | (ए) आरंभिक शेष | 4,870.97 | 3,580.46 |
| | (बी) वर्ष के दौरान परिवर्धन | 370.79 | 2,084.86 |
| | (सी) वर्ष के दौरान कमी | 792.72 | 794.35 |
| | (डी) अंतिम शेष | 4,449.04 | 4,870.97 |
| (iv) | एनपीआई (निवल) का उतार-चढ़ाव | | |
| | (ए) आरंभिक शेष | 0.00 | 61.52 |
| | (बी) राइट ऑफ/अतिरिक्त प्रावधान का राइट बॅक | 0.00 | 59.08 |
| | (सी) राइट ऑफ/अतिरिक्त प्रावधान का राइट बॅक | 0.00 | 120.60 |
| | (डी) अंतिम शेष | 0.00 | 0.00 |

4. **आस्ति गुणवत्ता**

(सी) धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण

**यथा 31.03.2024**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| **सकल मानक अग्रिम और एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 4,78,166.92 | 4,984.33 | 15,105.96 | 17,595.27 | 37,685.56 | 5,15,852.48 |
| जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | | | 7,550.76 | |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती* | | | | | 16,053.55 | |
| अंतिम शेष | 5,56,412.13 | 4,633.65 | 12,401.91 | 12,147.21 | 29,182.77 | 5,85,594.90 |
| *निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटौती: | | | | | | |
| (i) उन्नयन | | | | | 1,043.61 | |
| (ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से वसूली को छोड़कर) | | | | | 5,260.89 | |
| (iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना | | | | | 3,218.84 | |
| (iv) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना | | | | | 6,530.21 | |
| **प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष | | 1,392.48 | 10,644.20 | 17,595.27 | 29,631.95 | |
| जोडें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 4,109.49 | |
| घटाएं: रिवर्स किए गए अतिरिक्त प्रावधान/बट्टे खाते डाले गए ऋण | | | | | 3,184.95 | |
| धारित प्रावधानों का अंतिम शेष | | 923.21 | 9,267.09 | 12,147.21 | 22,337.51 | |
| **निवल अनर्जक आस्तियां** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | 3,591.85 | 4,461.76 | 0.00 | 8,053.61 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन | | | | | 3,441.27 | |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियाँ | | | | | 12,868.60 | |
| अंतिम शेष | | 3,710.44 | 3,134.82 | 0.00 | 6,845.26 | |

नोट: एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (विव 2023-24 ₹ 1149.02/विव 2022-23 ₹1048.64) आंशिक भुगतान प्राप्त और उचंत खाते में रखा गया (विव 2023-24 ₹ 106.23/विव 2022-23 ₹64.51), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (विव 2023-24 ₹860.96/विव 2022-23 ₹877.02) और पुन:संरचित अनर्जक आस्तियों के उचित मूल्य में ह्रास के एवज में किए गए प्रावधान (विव 2023-24 ₹42.55/ विव 2022-23 ₹51.87)

**अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2024**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| प्रारंभिक शेष | | | | | | 0.00 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | | | | | | 0.00 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान आहरण | | | | | | 0.00 |
| अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष | | | | | | 0.00 |

**तकनीकी आधार पर बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2024**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| तकनीकी/विवेकपूर्ण आधार पर बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष | | | | | | 40,352.25 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गएङ | | | | | | 8,136.04 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली | | | | | | 4,917.20 |
| अंतिम शेष | | | | | | 43,571.09 |

*विनिमय अंतर सहित

**यथा 31.03.2024**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| **सकल मानक अग्रिम और एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | 4,11,408.26 | 4,365.69 | 21,921.99 | 19,317.71 | 45,605.39 | 4,57,013.65 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | | | | | 7,968.83 | |
| घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतीङ | | | | | 15,888.66 | |
| अंतिम शेष | 4,78,166.92 | 4,984.33 | 15,105.96 | 17,595.27 | 37,685.56 | 5,15,852.48 |
| *निम्नलिखित के कारण सकल एनपीए में कटौती: | | | | | | |
| (i) अपग्रेडेशन | | | | | 1,204.45 | |
| (ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोडक़र) | | | | | 6,029.33 | |
| (ग्ग) तकनीकी/विवेकपूर्ण16 आधार पर बट्टे खाते में डालना | | | | | 5,438.76 | |
| (ग) ऊपर (iii) के तहत के अलावा अन्य बट्टे खाते में डालना | | | | | 3,216.12 | |
| **प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)** | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष | | 820.39 | 15,615.37 | 19,317.71 | 35,753.47 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान | | | | | 3,601.85 | |
| घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान उलटे/बट्टे खाते में डाले गए ऋण | | | | | 9,723.37 | |
| धारित प्रावधानों का अंतिम शेष | | 1,392.48 | 10,644.20 | 17,595.27 | 29,631.95 | |
| **निवल एनपीए** | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | 3,545.30 | 6,306.62 | 0.00 | 9,851.92 | |
| जोडें; वर्ष के दौरान नए परिवर्धन | | | | | 4,366.98 | |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौती | | | | | 6,165.29 | |
| अंतिम शेष | | 3,591.85 | 4,461.76 | 0.00 | 8,053.61 | 8,053.61 |

**नोट:** एनपीए के प्रावधानों के प्रारंभिक और अंतिम शेष में प्राप्त ईसीजीसी दावे शामिल हैं (विव 2022-23 ₹ 1048.64/ वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹ 977.60) आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ और उचंत खाते में रखा गया (वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 64.51/वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 59.36), एनपीए खातों के संबंध में विविध खातों में शेष (वित्त वर्ष 2022-23 ₹877.02/वित्त वर्ष 2021-22 ₹ 922.04) और पुनर्रचित एनपीए के उचित मूल्य ह्रास के एवज में किए गए प्रावधान (वित्त वर्ष 2022-23 ₹ 51.87/ वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹19.18)

**अस्थायी प्रावधान यथा 31.03.2023**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| प्रारंभिक शेष | | | | | | 0.00 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | | | | | | 0.00 |
| वर्ष के दौरान घटाई गई 15 राशि | | | | | | 0.00 |
| अस्थायी प्रावधानों का अंतिम शेष | | | | | | 0.00 |

**तकनीकी बट्टे खाते में डालना और उस पर की गई वसूली यथा 31.03.2023**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अवमानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| तकनीकी/प्रूडेंशियल बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष | | | | | | 34,913.49 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए* | | | | | | 8,182.77 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गए खातों से की गई वसूली | | | | | | 2,744.01 |
| अंतिम शेष | | | | | | 40,352.25 |

**अनुपात**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए (% में) | 4.98 | 7.31 |
| निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (% में) | 1.22 | 1.66 |
| प्रावधान कवरेज अनुपात (% में) | 90.59 | 89.68 |

**(ए) क्षेत्र-वार अग्रिम (विवेकपूर्ण/तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)**

| सं. | क्षेत्र | 2023-24 | | | 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया सकल अग्रिमों | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % | बकाया सकल अग्रिमों | सकल एनपीए | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का % |
| ए | **प्राथमिकता क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ | 84,554.77 | 9,672.78 | 11.44 | 71,387.57 | 9,408.13 | 13.18 |
| 2 | उद्योगों को अग्रिम जो प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पात्र हैं | 27,270.73 | 3,301.62 | 12.11 | 25,478.00 | 3,459.00 | 13.58 |
| 3 | सेवाएं | 47,078.04 | 5,768.04 | 12.25 | 41,523.22 | 5,323.26 | 12.82 |
| 4 | वैयक्तिक ऋण | 22,678.67 | 922.40 | 4.07 | 22,441.03 | 909.92 | 4.05 |
| | **उप-जोड़ (ए)** | 1,81,582.21 | 19,664.84 | 10.83 | 160,829.82 | 19,100.31 | 11.88 |
| बी | **गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** | | | | | | |
| 1 | कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ | 45.54 | 0.01 | 0.02 | 30.45 | 1.13 | 3.71 |
| 2 | उद्योग | 1,45,063.01 | 3,767.23 | 2.60 | 143,215.73 | 8,568.53 | 5.98 |
| 3 | सेवाएं | 1,66,889.13 | 4,382.07 | 2.63 | 139,449.09 | 8,861.52 | 6.35 |
| 4 | वैयक्तिक ऋण | 92,015.03 | 1,368.62 | 1.49 | 72,327.39 | 1,154.07 | 1.60 |
| | **उप-जोड़ (बी)** | 4,04,012.70 | 9,517.93 | 2.36 | 355,022.66 | 18,585.25 | 5.23 |
| | **कुल (ए+बी)** | 5,85,594.91 | 29,182.77 | 4.98 | 515,852.48 | 37,685.56 | 7.31 |

(सी) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व:

| क्रमांक | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1 | कुल आस्तियां | 1,30,485.16 | 1,16,673.69 |
| 2 | कुल एनपीए | 6,799.87 | 8,243.92 |
| 3 | कुल राजस्व | 8,554.65 | 4,636.88 |

(डी) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण

(i) समाधान योजना का विवरण

दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क पर 7 जून 2019 के आरबीआई परिपत्र सं डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक 20 उधारकर्ता खातों (एक्सपोजर ₹ 6,412.15) के संबंध में बैंक के पास ₹ 2,102.49 का अतिरिक्त प्रावधान है, जहां व्यवहार्य समाधान योजना समीक्षा अवधि के 180 दिनों/365 दिनों के भीतर लागू नहीं की गई है।

(ii) दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटीकरण

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटीकरण:

| अवधि | कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया | लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की राशि | | लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | लचीली पुन:संरचना लागू करने से पूर्व | लचीली पुन:संरचना लागू करने के पश्चात |
| पिछला वित्तीय वर्ष | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संरचना योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं):

| खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है | रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि | | जिन खातों में ऋण का एक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि | | जिन खातों में ऋण का एक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| शून्य | | | | | | |

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं) :

| उन खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है | रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि | | रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जहां ऋण को शेयरों में परिवर्तित किया गया है/गिरवी इक्विटी शेयरों की बिक्री लंबित है | | रिपोर्टिंग तारीख को उन खातों में बकाया राशि जहां ऋण को शेयरों में परिवर्तित किया गया है/गिरवी इक्विटी शेयरों की बिक्री हो चुकी है | | रिपोर्टिंग तारीख को वो खाते जहां नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटी की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत | मानक के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| शून्य | | | | | | | | |

(4) **कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं):**

| परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है | रिपोर्टिंग तिथि को बकाया राशि | | |
|---|---|---|---|
| | मानक के रूप में वर्गीकृत | मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत | एनपीए के रूप में वर्गीकृत |
| शून्य | | | |

(5) **दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना(एस4ए) की योजना संबंधी प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो:**

| क्रं. सं. | कुल बकाया राशि | बकाया राशि | | प्रावधान किए गए |
|---|---|---|---|---|
| | | भाग ए में | भाग बी में | |
| **मानक के रूप में वर्गीकृत** | | | | |
| 3<br>(3) | 236.84<br>(280.27) | 111.80<br>(112.05) | 125.04<br>(168.22) | 126.57<br>(76.68) |
| एनपीए के रूप में वर्गीकृत | | | | |
| 3<br>(3) | 270.22<br>(281.83) | 59.86<br>(71.33) | 210.36<br>(210.49) | 270.22<br>(278.52) |
| कुल | | | | |
| 6<br>(6) | 507.06<br>(562.10) | 171.66<br>(183.38) | 335.40<br>(378.71) | 396.79<br>(355.20) |

(ई) **आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन:**

वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण, परिसंपत्ति के वर्गिकरण में विचलन तथा प्रावधान पर आरबीआई के दिनांक 30 अगस्त, 2021 (यथा 01.04.2024 अद्यतन) के मास्टर निदेश संख्या.डीओआर.एसीसी.आरईसी. सं.45/21.04.018/2021-22 प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटन- आस्तियों के वर्गीकरण एवं प्रावधान में विचलन के अनुसार यदि निम्नलिखित में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी होती हैं वर्गीकरण और प्रावधान, बैंकों को विचलन का प्रकटीकरण करना है:

(ए) संदर्भ अवधि के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित एनपीए हेतु अतिरिक्त प्रावधान, प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं से पूर्व लाभ के 5% से अधिक होने पर, उसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाएँ।

(बी) आरबीआई द्वारा चिन्हित अतिरिक्त सकाल एनपीए, संदर्भ अवधि हेतु रिपोर्ट की गई वर्धित सकल एनपीए से 5% अधिक है।

बैंक में विचलन उपरोक्त विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है। इसलिए आस्ति वर्गिकरण और प्रावधानीकरण मेन विचलन के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(एफ) **ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण :**

दिनांक 24 सितंबर, 2021 के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर. एसटीआर.आरईसी.51/21.04.048/2021-22 के अनुसार ऋण खातों (एसएमए और एनपीए) के अंतरण का प्रकटीकरण :

ए. बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी ऐसे ऋण का अंतरण नहीं किया है जिसमें चूक नहीं हुआ है या विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) में नहीं है।

बी. ऐसे ऋण जिनमें चूक नहीं हुआ है, असमुदेशन द्वारा उनके अधिग्रहण का विवरण निम्नानुसार है:

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| अधिगृहित ऋणों की कुल राशि (रु करोड़ में) | 1,440.85 | 667.43 |
| भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता(महीनों में) | 102.28 | 65.07 |
| प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (महीनों में) | 9.01 | 15.28 |
| प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण | 11.04% | 10% |
| मूर्त प्रतिभूति कवरेज | 198.11%* | 130% |

* मूर्त प्रतिभूति कवरेज केवल ₹ 1093.75 करोड़ की राशि वाले प्रतिभूत पूल के मामले में है।

सी. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी दबावग्रस्त (अनर्जक) आस्ति का अधिग्रहण नहीं किया है।

डी. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋण (एनपीए) का विवरण:**

| क्रं. सं. | विवरण | एआरसी को | अनुमत अंतरिती को | अन्य अंतरिती को |
|---|---|---|---|---|
| ए. | खातों की संख्या | 12<br>(4) | --<br>(2) | -- |
| बी. | अंतरित ऋणों का कुल मूलधन | 1,759.92*<br>(274.80) | --<br>(39.45) | -- |
| सी. | अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि | --<br>(--) | --<br>(--) | -- |
| डी. | अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) | 188.87<br>(--) | --<br>(--) | -- |
| ई. | कुल राशि | 498.21<br>(124.63) | --<br>(14.76) | -- |
| एफ. | पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली | --<br>(--) | --<br>(--) | -- |
| जी. | दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा | 84.66<br>(124.63) | --<br>(14.76) | -- |

*इसमें ₹ 280.02 का निवेश शामिल है

इ. यथा 31 मार्च 2024 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को दी गई रिकवरी रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का वितरण:

| रिकवरी रेटिंग बैंड | बही मूल्य 2023-24 | बही मूल्य 2022-23 |
|---|---|---|
| आरआर1+ | 0.00 | 0.00 |
| आरआर1 | 0.01 | 219.69 |
| आरआर2 | 253.72 | 43.48 |
| आरआर3 | 0.00 | 0.00 |
| आआरआर4 | 0.00 | 0.00 |
| आरआर5 | 55.14 | 64.37 |
| रेटिंग वापस ले ली गई | 1,541.23 | 1,658.97 |
| **कुल** | **1,850.09** | **1,986.51** |

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 साल के बाद रेटिंग लागू नहीं होती है। बैंक ने उपर्युक्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर) के लिए पूर्ण रूप से प्रावधान किया है।

**(एफ ए) एनपीए की बिक्री से लाभ:**

| क्रं. सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1 | एनपीए की बिक्री से प्राप्त लाभ | 84.66 | 139.39 |

**(जी) धोधोखाधड़ी खाते**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या | *209 | 208 |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि | *866.70 | 582.59 |
| वर्ष के दौरान ऐसी धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि $ | 32.64 | 68.93 |
| ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान $ | *653.73 | 561.69 |
| वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि | निरंक | निरंक |

*इसमें पिछले वर्षों से संबंधित 7 मामले शामिल हैं, जिन्हें आरबीआई द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया था और जिन्हें पुन: जांच करने पर धोखाधड़ी के मामलों के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें ₹ 735.39 की राशि शामिल थी और 31 मार्च, 2024 तक ₹ 543.33 का बकाया शेष था। बैंक इस संबंध में 100% प्रावधान रखता है।

(एच) समाधान फ्रेमवर्क 2.0 सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों (MSME) के कोविड-19 संबंधी दबाव का समाधान विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर.REC.12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 तथा परिपत्र सं डीओआर.एसटीआर.REC.21/21.04.048/2021-22 दिनांक 4 जून, 2021, के अनुरूप पुन: संचरित खातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(खातों की संख्या के अलावा राशि करोड़ में)

| खातों की संख्या | दिनांक 31.03.2024 को राशि | धारित प्रावधान |
|---|---|---|
| 50,148 | 1,790.69 | 179.06 |

आरबीआई परिपत्र सं डीओआर.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर.एसटीआर.REC.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), यथा दिनांक 30 सितंबर, 2023 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

| उधारकर्ता का प्रकार | संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) यथा: 31 मार्च 2023 (ए) | (ए) में से, कुल ऋण 30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया | (ए) में से, 30 सितंबर 2023 को समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि | (ए) में से, 30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि | संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति यथा 30 सितंबर 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| वैयक्तिक ऋण | 4,974.07 | 236.86 | 0.94 | 209.62 | 4,499.18 |
| कॉर्पोरेट व्यक्तिड | 2,840.70 | 339.18 | 2.15 | 262.61 | 2,631.84 |
| जिनमें से, एमएसएमई | 2,446.74 | 339.18 | 2.15 | 212.64 | 2,252.25 |
| अन्य | 25.87 | 0.44 | 0.00 | 3.99 | 27.54 |
| कुल | 7,840.64 | 576.48 | 3.09 | 476.23 | 7,158.56 |

आरबीआई परिपत्र सं डीओआर.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) और डीओआर.एसटीआर.REC.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 (रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0), यथा दिनांक 30 सितंबर, 2023 के अनुसार समाधान योजना का विवरण:

मार्च 31, 2024

| उधारकर्ता का प्रकार | संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) यथा: 30 सितंबर 2023 (ए) | (ए) में से, कुल ऋण 31 मार्च 2024 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया | (ए) में से, 31 मार्च 2024 को समाप्त अर्ध-वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि | (ए) में से, 31 मार्च 2024 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि | संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति यथा 31 मार्च 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| वैयक्तिक ऋण | 4,499.18 | 181.48 | 0.74 | 529.51 | 4,094.48 |
| कॉर्पोरेट व्यक्तिङ | 2,631.84 | 225.05 | 1.12 | 408.44 | 2,050.24 |
| जिनमें से, एमएसएमई | 2,252.25 | 225.05 | 1.12 | 349.65 | 1,790.69 |
| अन्य | 27.54 | 0.18 | 0.00 | 2.31 | 25.35 |
| कुल | 7,158.56 | 406.71 | 1.86 | 940.26 | 6,170.07 |

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में यथा परिभाषित

मार्च 31, 2023

| उधारकर्ता का प्रकार | संकल्प फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर - पिछले छमाही के अंत में स्थिति (ए) यथा: 30 सितंबर 2022 (ए) | (ए) में से, कुल ऋण जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए हो गया | (ए) में से,31 मार्च, 2023 को समाप्त छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि | (ए) में से,31 मार्च, 2023 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि | समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर - इस छमाही के अंत में स्थिति, अर्थात 31 मार्च, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| वैयक्तिक ऋण | 5,285.68 | 190.90 | 1.27 | 274.33 | 4,974.07 |
| कॉर्पोरेट व्यक्ति | 3,403.71 | 337.73 | 2.07 | 331.45 | 2,840.70 |
| जिनमें से, एमएसएमई | 2,704.86 | 241.04 | 2.07 | 210.20 | 2,446.74 |
| अन्य | 31.08 | 4.00 | 0.00 | 1.93 | 25.87 |
| कुल | 8,720.47 | 532.63 | 3.34 | 607.71 | 7,840.64 |

*जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 3(7) में यथा परिभाषित

**5. एक्सपोज़र**

बैंक ऐसे क्षेत्रों को उधार दे रहा है, जो आस्तियों की कीमत के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है।

**i. रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र, प्रबंधन द्वारा यथा संकलित**

| क्र.सं. | प्रवर्ग | | | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रत्यक्ष एक्सपोज़र | | | 64,376.66 | 64,810.01 |
| | (क) | आवासीय बंधक | | 59,299.09 | 59,232.26 |
| | | (i) | आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ii) के अलावा) | 41,952.77 | 39,718.49 |
| | | (ii) | प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण | 17,346.32 | 19,513.77 |
| | (ख) | वाणिज्यिक रियल इस्टेट | | 4,828.94 | 5,329.12 |
| | | वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी-फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी। | | 4,828.89 | 5,329.12 |
| | (ग) | गिरवी रखी गयी ड्यूटी (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर में निवेश | | 248.63 | 248.63 |
| | | क) | आवासीय | 0.00 | 0.00 |
| | | ख) | व्यवसायिक रियल इस्टेट | 248.63 | 248.63 |
| 2) | अप्रत्यक्ष एक्सपोजर | | | 17,067.95 | 28,482.99 |
| | नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज्) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर | | | 17,067.95 | 28,482.99 |
| रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2)0 | | | | 81,444.61 | 93,293.00 |

**ii. पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर**

| क्र.सं. | प्रवर्ग | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है; | 683.43 | 1,182.40 |
| ii) | शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित)परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम; | 791.32 | 3.15 |
| iii) | अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है; | 1.45 | 833.00 |
| iv) | शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम; | 1.75 | 0.00 |
| v) | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ; | 902.04 | 1,598.37 |
| vi) | संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण; | 0.12 | 0.00 |
| vii) | अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण; | 0.00 | 0.00 |
| viii) | शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं; | 0.00 | 0.00 |
| ix) | मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण; | 0.00 | 0.00 |
| x) | उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)को इक्विटी के बराबर माना जाएगा और इस प्रकार पूंजी बाजार निवेश सीमा(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों)के अनुसार गणना की जाएगी। | 228.17 | 247.29 |
| **पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र** | | **2,608.28** | **3,864.21** |

**iii. जोखिम श्रेणी-वार देश का एक्सपोज़र**

आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक का देश में एक्सपोजर को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत कर निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है ।

| क्र. सं. | जोखिम श्रेणी | यथा दिनांक 31.03.2024 | | यथा दिनांक 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | एक्सपोज़र (निवल) | धारित प्रावधान | एक्सपोज़र (निवल) | धारित प्रावधान |
| 1 | नगण्य | 54,110.54 | 38.34 | 74,144.61 | 65.21 |
| 2 | न्यून | 18,610.70 | 8.41 | 21,833.59 | 12.19 |
| 3 | साधारण | 7,321.81 | 0.00 | 1,392.11 | 0.00 |
| 4 | उच्च | 228.84 | 0.00 | 176.39 | 0.00 |
| 5 | बहुत उच्च | 2,580.82 | 0.00 | 5,597.18 | 0.00 |
| 6 | प्रतिबंधित | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 7 | ऑफ क्रेडिट | 21.84 | 0.00 | 14.67 | 0.00 |
| | **कुल** | **82,874.54** | **46.75** | **1,03,158.95** | **77.40** |

**iv. गैर-जमानती अग्रिम :**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| **बैंक का कुल गैर-जमानती अग्रिम** | 1,13,537.16 | 1,03,362.87 |
| जिसमें से | | |
| i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को सांपार्श्विक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि. | 0.00 | 0.00 |
| ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (ग)) | 0.00 | 0.00 |

**v. फैक्टरिंग एक्सपोजर**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने गैर-आश्रय आधार पर कोई निर्यात फैक्टरिंग नहीं लिया है।

**vi. इंट्रा-ग्रुप एक्सपोजर (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है):**

| क्र. सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| ए | इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 5,210.97 | 4,278.71 |
| बी | शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि | 5,210.97 | 4,278.71 |
| सी | उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर काइ | 0.62% | 0.58% |
| डी | इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण। | शून्य | शून्य |

**vii. अप्रतिबंधित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

| क्र. सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| ए | शेष राशि प्रावधान खाता खोलना | 70.58 | 76.26 |
| बी | लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा | 16.77 | 8.56 |
| सी | लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स राशि | 15.27 | 14.24 |
| डी | प्रावधान खाते में शेष राशि | 72.09 | 70.58 |

गैर-हेज किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) के साथ संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधान आवश्यकताओं के संबंध में बैंक की नीति है जो आरबीआई परिपत्रों पर आधारित है।

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों और उधारकर्ताओं से घोषणा के आधार पर, जहां कहीं भी पॉलिसी के अनुसार प्राप्त हुआ, इस एक्सपोजर पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए ₹ 535.49 (पिछले वर्ष ₹ 134.46) है। इसके विपरीत, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता ₹61.58 (पिछला वर्ष ₹15.46) है।

**viii. एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के ब्यौरे, जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया:**

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमा के अंदर एकल उधारकर्ता एक्सपोजर तथा समूह उधारकर्ता एक्सपोजर लिया था।

| क्र. सं | उधारकर्ता का नाम | एक्सपोज़र सीमा | स्वीकृत सीमा | बकाया यथा 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एकल उधारकर्ता | | | |
| | कुछ नहीं | शून्य (शून्य) | शून्य (शून्य) | शून्य (शून्य) |
| 2. | सामूहिक उधारकर्ता | | | |
| | कुछ नहीं | शून्य (शून्य) | शून्य (शून्य) | शून्य (शून्य) |

**6. जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण**

**(क) जमाराशियों का संकेंद्रण-**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां | 44,030.38 | 51,369.55 |
| बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत | 5.97% | 7.67% |

**(ख) अग्रिमों का संकेंद्रण -**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम | 1,02,423 | 92,152 |
| बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत | 16.17% | 16.38% |

**(ग) एक्सपोज़र का संकेंद्रण:**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र | 102,688 | 99,146 |
| बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े धारकर्ताओं / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत | 11.87% | 12.85% |

**(घ) एनपीए संकेंद्रण**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| बीस शीर्ष एनपीए खातों* का कुल एक्सपोज़र | 3,310 | 7,415 |
| कुल सकल एनपीए में बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर का प्रतिशत | 11.34% | 19.68% |

* निवल विवेकपूर्ण बट्टे खाते (पीडब्लूओ) में गए का निवल एवं अप्राप्त ब्याज (यूआरआई)

**7. डेरिवेटिव**

**(क) वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप**

| क्र. सं. | विवरण | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | स्वैप अनुबंध की नोशनल मूल राशि | 590.00 | 841.13 |
| ii) | संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां | 0.22 | 1.27 |
| iii) | स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति | स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट थे। | |

| क्र. सं. | विवरण | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| iv) | स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण | वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है। | वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है। |
| v) | स्वैप बही का उचित मूल्य | 0.22 | 1.80 |

**(ख) विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव**

| क्र. सं. | विवरण | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| (i) | वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि (लिखत-वार) | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार) | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की नोशनल मूल राशि और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखत वार) | 0.00 | 0.00 |
| (iv) | बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो ''बहुत प्रभावी'' नहीं हो (लिखत वार) | 0.00 | 0.00 |

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई में आरआरसी खाता में तथा रेपो/रिजर्व रेपो संव्यवहार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई चूक एवं दंड नहीं लगाया गया है।

**(ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन**

**i. गुणात्मक प्रकटन**

बैंक, तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर डेरिवेटिव, मुद्रा स्वैप और मुद्रा आप्शन। ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा प्रतिफल बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक अनिवार्य भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर, अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन, जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में ट्रेडिंग गतिविधियों के एक्सपोजर का आकार तथा जोखिमों के विषय में पर्याप्त जागरूकता है। बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है जिसका सभापतित्व अध्यक्ष करते हैं।

हेज/गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग डेरिवेटिव पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार पर चिह्नित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार पर चिह्नित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित अवधि अथवा निर्धारित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि, इनमें से जो भी कम हो, से संबद्ध किया जाता है।

ऑप्शन संविदा के परिपक्वता काल पर आप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है। इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश हैं। डेरिवेटिव लेन-देन समवर्ती, आंतरिक, सांविधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के शर्तों के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक, प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स इकाइयाँ हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत चालू ऋण जोखिम विधि अपनाई है। चालू ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम को जोड़ है।

चालू ऋण एक्सपोज़र, इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वैप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

| अवशिष्ट परिपक्वता | कुल नोशनल मूल राशि पर लगाया जाने वाला ऋण परिवर्तनकारक तत्व | |
|---|---|---|
| | ब्याज दर संविदा | विनिमय दर संविदा |
| एक वर्ष या उससे कम | 0.50% | 2.00% |
| एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक | 1.00% | 10.00% |
| पाँच वर्ष से अधिक | 3.00% | 15.00% |

ऋण जोखिम की गणना करते समय "बिक्रीगत ऑप्शन" को वहाँ छोड़ दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती है। इस पर संबंधित प्रतिपक्षकार की "मानक" श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान आवश्यकताएं भी लागू हैं। वर्तमान में जोखिम वाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

**ii. मात्रात्मक प्रकटन**

| क्र. सं. | विवरण | मुद्रा डेरिवेटिव | ब्याजदर डेरिवेटिव |
|---|---|---|---|
| 1 | डेरिवेटिव (नोशनल मूल राशि) | | |
| | क) हेजिंग हेतु | 7467.49 | 0.00 |
| | | (5,742.84) | (241.13) |
| | ख) कारोबार हेतु | 0.25 | 590.00 |
| | | (142.98) | (600.00) |
| 2 | मार्क्ड टू मार्केट स्थिति (1) | | |
| | क)आस्ति [+] | 29.30 | 0.00 |
| | | (4.47) | (1.80) |
| | ख) देकाता (-) | 38.91 | 0.22 |
| | | (52.92) | (0.91) |
| 3 | क्रेडिट एक्सपोजर [2] | 170.99 | 6.12 |
| | | (118.24) | (8.41) |
| 4 | ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01) | | |
| | क) हेजिंग डेरिवेटिव पर | 0.00 | 0.00 |
| | | (0.00) | (0.06) |
| | ख)ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर | 0.00 | 22.48 |
| | | (0.00) | (3.66) |

| क्र. सं. | विवरण | मुद्रा डेरिवेटिव | | ब्याजदर डेरिवेटिव | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम | **अधिकतम** | **न्यूनतम** | **अधिकतम** | **न्यूनतम** |
| | क) हेजिंग पर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (0.00) | (0.00) | (0.02) | (0.00) |
| | | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 2.07 |
| | ख) ट्रेडिंग पर | (0.00) | (0.00) | (1.84) | (1.82) |

**(d) क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :**

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नहीं किया है।

**8. प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :**

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वि.व 2022-2023 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

**9. ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी**

| स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम | |
|---|---|
| स्वदेशी | विदेशी |
| शून्य | शून्य |

**10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण :**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि | 2,599.00 | 1,756.66 |
| जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि | 629.84 | 887.06 |
| घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति | 279.64 | 44.72 |
| डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष | 2,949.20 | 2,599.00 |

**11. शिकायतों का प्रकटन**

(क) ग्राहकों तथा ओबीओ (बैंकिंग लोकपाल कार्यालय) से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों की सूचना का सार

| क्र.सं. | | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| **अपने ग्राहकों से बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतें** | | | | |
| 1 | | वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | 1,517 | 2,724 |
| 2 | | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 2,32,265 | 2,34,355 |
| 3 | | वर्ष के दौरान निपटाई गइ्र शिकायतों की संख्या | 2,32,752 | 2,35,562 |
| | 3.1 | उनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या | 12,963 | 13,367 |
| 4 | | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 1,030 | 1,517 |

| क्र.सं. | विवरण | | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| **ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतें** | | | | |
| 5 | | ओबीओ से बैंक द्वारा प्राप्त रखरखाव योग्य शिकायतों की संख्या | 4,602 | 4,636 |
| | 5.1 | 5 में से, बीओ के द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाये गए शिकायतों की संख्या | 1,514 | 1,435 |
| | 5.2 | 5 में से बीओ द्वारा जारी समझौता/मध्यस्थता/एडवायजरी के माध्यम से समाधान की गई शिकायतें | 3,088# | 3,201* |
| | 5.3 | 5 में से बैंक के विरुद्ध निर्णय पारित करने के बाद समाधान की गई शिकायतों की संख्या | 0 | 0 |
| 6 | | निर्धारित समय में कार्यान्वयन किये गये निर्णयों की संख्या (अपीलीय को छोड़कर) | 0 | 0 |

नोट: रखरखाव योग्य शिकायतें वे हैं जो विशेष रूप से आरबीआईओ योजना 2021 में उल्लिखित हैं तथा योजना के क्षेत्र के अंतर्गत कवर की गई हैं।

* इसमें से एक मामले में दूसरे बैंक पर एक पुरस्कार जारी किया गया था।

# इसमें से, एक मामले में एक दण्ड जारी किया गया था, जो कि बैंक के खिलाफ नहीं था क्योंकि दण्ड जारी करने से पहले ही सलाहकार के माध्यम से मामला सुलझा लिया गया था।

**(ख) बैंक को ग्राहकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पाँच आधार**

| शिकायत का आधार (अर्थात् शिकायत किस से संबंधित है) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी/कमी का ॾ | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या | 5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| एटीएम/डेबिट कार्ड संबंधित | 1195<br>(2566) | 128585<br>(194544) | (-)33.90<br>((-)57.38) | 428<br>(1195) | 0<br>(0) |
| इंटरनेट/मोबाईल/ इलेक्ट्रानिक बैंकिंग | 114<br>(0) | 42382<br>(12158) | +248.59<br>((-)16.13) | 315<br>(114) | 0<br>(0) |
| खाता परिचालन संबंधित | 126<br>(1) | 27227<br>(13120) | +107.52<br>(+38.92) | 36<br>(126) | 0<br>(0) |
| अग्रिम/ऋण संबंधी | 36<br>(4) | 4123<br>(2746) | +50.14<br>(+52.39) | 5<br>(36) | 0<br>(0) |
| प्रभार संबंधी लेवी | 2<br>(0) | 3141<br>(1976) | +58.95<br>(+14.48) | 3<br>(2) | 0<br>(0) |
| अन्य | 44<br>(153) | 26807<br>(9811) | +173.23<br>(+14.47) | 243<br>(44) | 0<br>(0) |
| **कुल** | **1517<br>(2724)** | **232265<br>(234355)** | **(-)0.89<br>((-)52.41)** | **1030<br>(1517)** | **0<br>(0)** |

**12. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य विनियामकों द्वारा लगाए गए जुर्मानों (पेनल्टीज़) का प्रकटन**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी | 1.68 | 1.01 |

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, उपरोक्त में से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक पर रू 1.66 (रू 1.01) का जुर्माना लगाया गया है।

**13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण**

(राशि रू. में)

| क्र.सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री अतनु कुमार दास | 0 | 28,89,579 |
| 2 | श्री रजनीश कर्नाटक | 33,70,597 | 0 |
| 2 | श्री पी.आर.राजगोपाल | 41,86,980 | 38,99,430 |
| 3 | श्री एम कार्तिकेयन | 33,34,464 | 30,32,883 |
| 4 | श्री स्वरूप दासगुप्ता | 30,29,208 | 30,32,833 |

| क्र.सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 5 | श्रीमती मोनिका कालिया | 0 | 18,93,147 |
| 6 | श्री सुब्रत कुमार | 34,84,956 | 11,55,336 |
| 7 | श्री राजीव मिश्रा | 2,81,400 | 0 |

**14. अन्य प्रकटीकरण**

**(क) कारोबार अनुपात**

| क्र. सं | विवरण | 31.03.2024 (%में) | 31.03.2023 (%में) |
|---|---|---|---|
| (i) | औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय | 6.68 | 5.77 |
| (ii) | औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय | 0.67 | 0.86 |
| (iii) | जमा लागत | 4.51 | 3.67 |
| (iv) | निवल ब्याज मार्जिन | 2.97 | 3.01 |
| (v) | औसत कार्यशील पूंजी के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | 1.55 | 1.62 |
| (vi) | संपत्ति पर वापसी | 0.70 | 0.49 |
| (vii) | प्रति कर्मचारी व्यवसाय (₹में) (जमा और इंटरबैंक जमा सहित अग्रिम) | 25.87 | 22.47 |
| (viii) | प्रति कर्मचारी लाभ (₹में) | 0.123 | 0.076 |

**(ख) बैंकएश्योरेंस बिजनेस से प्राप्त फीस, पारिश्रमिक**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| जीवन बीमा व्यवसाय | 154.76 | 140.36 |
| गैर-जीवन बीमा व्यवसाय | 23.32 | 21.75 |
| स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय | 17.42 | 11.99 |
| **कुल** | **195.50** | **174.10** |

**(ग) विपणन और वितरण से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| म्यूचुअल फंड्स | 4.62 | 4.14 |
| **कुल** | **4.62** | **4.14** |

**(घ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) का प्रकटीकरण (जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है):**

| वर्ष के दौरान खरीदा गया | वर्ष के दौरान बेचा गया |
|---|---|
| 850.00<br>(3,000.00) | 3,300.00<br>(4,800.00) |

बैंक ने छोटे किसान और सीमांत किसान के लिए रु. 3,300 के प्राथमिकता प्राप्त ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) को बेचकर रू.61.50 कमाया है और कुल व्यय के रू.1.76 के साथ रू.850 के पीएसएलसी कृषि खरीदे। निवल आमदनी रू.59.74 है।

**(ङ) प्रावधान और आकस्मिकताएं**

लाभ और हानि खाते में प्रदर्शित होने वाले "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण निम्नानुसार है:

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान | 72.13 | 1,207.76 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 4,109.49 | 3,601.85 |
| आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 3,781.15 | 2,206.37 |
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | (-)406.03 | 1,654.56 |
| **अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं** | | |
| पुनर्रचित खातों में हानि का प्रावधान | (-)217.48 | (-)64.80 |
| देश के जोखिम के लिए प्रावधान | (-)30.64 | 14.72 |
| अन्य प्रावधान | 442.07 | 749.22 |
| **कुल** | **7,750.69** | **9,369.68** |

**(च) आईएफ़आरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)**

आरबीआई ने दिनांक 22 मार्च, 2019 के अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी. बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 के माध्यम से इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है, क्योंकि आरबीआई द्वारा अनुशंसित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में विधायी संशोधन हैं जो की भारत सरकार के विचाराधीन है। हालांकि, सभी बैंकों को आरबीआई को हर छमाही में प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) जमा करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बैंक में इंड-एएस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, बैंक सितंबर-2021 से आरबीआई प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण (पीएफएस) तैयार कर रहा है और प्रस्तुत कर रहा है। पीएफएस को सूचना और रिपोर्टिंग के लिए बोर्ड एवं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

**(छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**

| क्र. सं | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| i) | डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान | 808.25 | 770.64 |
| ii) | डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया | शून्य | शून्य |

**(ज) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी जाने वाली सुविधाएं**

केवल यूसीबी पर लागू

**(झ) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण**

दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 ने बैंकों को पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है। प्रत्येक वर्ष व्यय की जाने वाली कुल

राशि का न्यूनतम 1/5 भाग । बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण ₹ 612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पांच वर्षों से अधिक की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

तदनुसार, बैंक ने रू 142.40 (रू. 306.04) को मान्यता दी है, क्रमश: 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में और शेष गैर-परिशोधित देयता रू. 41.22 (रू.183.63) को आगे बढ़ाया गया है। यदि बैंक द्वारा गैर-परिशोधित देयता को लाभ और हानि खाते में पूरी तरह से मान्यता दी गई होती, तो 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए शुद्ध लाभ (कर पश्चात) रू. 30.84 (रू.119.46) कम होता ।

(ञ) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र - अग्रिमों की पुनर्रचना" पर दिनांक 1 जनवरी, 2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीआरएनओ.बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2024 तक समय-समय पर एमएसएमई पुनर्रचित खातों का विवरण निम्नानुसार है:

| पुनर्रचित खातों की संख्या | राशि | प्रावधान धारित |
|---|---|---|
| 19,844<br>(43,194) | 530.71<br>(1,202.39) | 26.54<br>(60.12) |

(ट) **बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज्) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)**

वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड लि. के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2024 तक, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

(ठ) **आयकर :**

i. आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत रु 2909.92 (विगत वर्ष रु. रु 355.86) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादित देयताओं के विरुद्ध भुगतान/समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

ii. लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों पर यथोचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

(ड) बैंक के पास 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशकों की शिकायतों की संख्या का विवरण है: शुरुआत में लंबित: शून्य; प्राप्त: 162; निपटारा: 161 और अंत में लंबित: 01।

(ढ) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को ₹ 3259.70 (बही मूल्य रु.3,264.70) के अंकित मूल्य के साथ और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को ₹ 3576.06 (बही मूल्य 3,580.31) के अंकित मूल्य के साथ एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा, बैंक ने एएफएस से एचटीएम श्रेणी में किसी भी प्रतिभूति का स्थानांतरण नहीं किया है। रु. 2.53 करोड़ के यूनिट वेंचर कैपिटल फंड को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ण) 31 मार्च, 2024 तक आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 और 2) के संबंध में, बैंक के पास ₹ 3,265.74 के बकाया मूल्य का 100% प्रावधान है।

(त) 1 नवंबर, 2022 से वेतन संशोधन पर द्विपक्षीय समझौते के अनुसरण में, बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु ₹110 और ₹837 का अंतिम प्रावधान किया है, और 31 मार्च, 2024 तक बैंक द्वारा ₹ 1,101 की कुल प्रावधान राशि रखी गई है।

(थ) अन्य आय में कमीशन और ब्रोकरेज आय, संपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि, निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि (निवल) (निवेश प्रदर्शन पर मूल्यह्रास सहित), विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव लेनदेन से आय, पहले से बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूली, लाभांश आय, आदि

(द) निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित अनुमोदन के अधीन ₹ 2.80 प्रति इक्विटी शेयर (28%) के लाभांश की सिफारिश की है।

(ध) सहायक खाताबही खातों का संतुलन, विदेशी शाखाओं के साथ शेष राशि की पुष्टि/समाधान, अंतर-कार्यालय खाते, नोस्ट्रो खाते, उचंत, देय ड्राफ्ट, समाशोधन अंतर, अन्य कार्यालय खाते आदि निरंतर आधार पर प्रगति पर हैं। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, लंबित अंतिम मंजूरी/उपरोक्त के समायोजन के महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है।

(न) **कुल आय का 1% से अधिक वाले अन्य आय/व्यय**

अन्य आय: अन्य आय में बैंक की कुल आय के 1% से अधिक की निम्नलिखित आय शामिल हैं।

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| बट्टे खाते डाले गए खातों में वसूली | 1,467.04 | 1,206.85 |

**लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन :**

**6.1 लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :**

(i) **पूर्व अवधि मद :**

वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(ii) **लेखांकन नीति में परिवर्तन :**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के दौरान अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

**6.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण**

लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के पैरा 3: प्रमुख लेखांकन नीतियां के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के आधार पर गिना जाता है। तथापि, उक्त आय को गिनने लायक नहीं माना जाता है।

**6.3 लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी लाभ :**

| क्र. सं. | विवरण | वि.व. 2023-2024 | | वि.व. 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेन्शन | उपदान | पेन्शन |
| (i) | **प्रयुक्त महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमान:** | | | | |
| | छूट की दर | 7.22% | 7.21% | 7.51% | 7.39% |
| | योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.77% | 7.47% | 6.87% | 7.67% |
| | वेतन वृद्धि दर | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| | एट्रिशन रेट करंट | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| (ii) | **परिनिश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :** | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में देयता | 2,070.55 | 18,996.40 | 1,898.52 | 17,889.53 |
| | ब्याज लागत | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | विगत सेवा लागत | 0.00 | 326.05 | 0.00 | 122.42 |
| | भुगतान किया गया लाभ | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 197.28 | 725.63 | 211.81 | 719.43 |
| | वर्ष के अंत में देयता | 2,289.02 | 20,430.10 | 2,070.55 | 18,996.40 |
| | पिछली सेवा लागत जिनकी गणना नहीं की गई | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 183.62 |
| | **कुल परिभाषित लाभ दायित्व** | **2,289.02** | **20,471.32** | **2,070.55** | **19,180.02** |
| (iii) | **योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :** | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 2,055.47 | 18,459.42 | 1,887.32 | 17,604.64 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |
| | योगदान | 238.96 | 2,111.16 | 320.89 | 1,439.17 |
| | भुगतान किया गया लाभ | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 2,223.34 | 19,922.68 | 2,055.47 | 18,459.42 |
| | **कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) जिसकी गणना की गई** | **(185.76)** | **(756.92)** | **(217.68)** | **(764.95)** |
| (iv) | **योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :** | | | | |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |
| | योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | **प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिलाभ** | **171.09** | **1,351.79** | **125.25** | **1,288.14** |
| (v) | **बैलेंस शीट में शामिल राशि:** | | | | |
| | वर्ष के अंत में देयता | 2,289.02 | 20,471.32 | 2,070.55 | 19,180.02 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 2,223.34 | 19,922.68 | 2,055.47 | 18,459.42 |
| | पिछली सेवा लागत जिसे शामिल नहीं किया गया है | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 183.62 |
| | **बैलेंस शीट में शामिल राशि** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| (vi) | **आय विवरणी में शामिल व्यय** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | ब्याज लागत | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | (159.58) | (1,383.08) | (131.13) | (1,333.66) |
| | पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जिसे शामिल किया गया है | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| क्र. सं. | विवरण | वि.व. 2023-2024 | | वि.व. 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेन्शन | उपदान | पेन्शन |
| | विगत सेवा लागत | 0.00 | 142.42 | 0.00 | 306.04 |
| | बीमांकिक (लाभ) या हानि | 185.76 | 756.92 | 217.68 | 764.95 |
| | **लाभ-हानि खाते में शामिल व्यय** | **289.55** | **1,897.97** | **324.78** | **1,874.89** |
| (vii) | **तुलनपत्र समाधान** | | | | |
| | आरंभिक निवल देयता (गत वर्ष तुलना पत्र में शामिल निवल राशि ) | 15.09 | 536.98 | 11.20 | 284.88 |
| | अतिरिक्त विगत सेवा लागत | 0.00 | 183.63 | 0.00 | 0.00 |
| | यथोक्त व्यय | 289.55 | 1,897.97 | 324.78 | 1,874.89 |
| | नियोक्ता का अंशदान | (238.96) | (2,111.16) | (320.89) | (1,439.17) |
| | अतिरिक्त विगत सेवा लागत | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (183.62) |
| | **तुलनपत्र में शामिल राशि** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| (viii) | **आस्तियों की श्रेणीडङ :** | | | | |
| | भारत सरकार की प्रतिभूतियां | 15.24 | 2,597.01 | 15.30 | 2,329.69 |
| | इक्विटी | 0.00 | 813.33 | 0.00 | 759.33 |
| | कॉरपोरेट बाण्ड | 42.26 | 6,158.30 | 94.98 | 6,095.69 |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | 0.00 | 3,064.92 | 55.48 | 3,057.14 |
| | बीमा | 2090.00 | 6,740.13 | 1,852.39 | 5,810.69 |
| | अन्य | 75.84 | 548.99 | 37.32 | 406.88 |
| | **कुल** | **2,223.34** | **19,922.68** | **2,055.47** | **18,459.42** |
| (ix) | **अनुभव समायोजन :** | | | | |
| | योजना दायित्व (लाभ)/हानि | 124.29 | 410.04 | 240.77 | 843.92 |
| | योजनागत संपत्ति (हानि)/लाभ | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |

**अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ**

| विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | देयता | वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/(डबल्यू/बैक) | देयता | वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/( डबल्यू/बैक) |
| अवकाश नकदीकरण | 1,206.35 | 5.31 | 1,201.04 | 17.28 |
| छुट्टी यात्रा रियायत | 62.79 | 0.21 | 62.58 | 0.17 |
| पुनर्वास लाभ | 8.52 | 0.45 | 8.07 | 0.36 |
| माइलस्टोन अवार्ड | 4.64 | 0.05 | 4.59 | 0.04 |
| बीमारी छुट्टी ** | 3.08 | 0.08 | 3.00 | 0.00 |

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए एक्चूरियल अनुमान ग्रैच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही हैं।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए रु. 445.17 (विगत वर्ष रु. 391.94) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 2356.36 (विगत वर्ष रु. 2215.86) और ग्रैच्युटी के लिए रु.25.38 (विगत वर्ष रु. 22.78) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

**योजना में अधिशेष/घाटा:**

| विवरण | ग्रैच्युटी योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वि.व. 2023-24 | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 | वि.व. 2020-21 | वि.व. 2019-20 |
| परिभाषित लाभ देयता | 2,289.02 | 2,070.55 | 1,898.52 | 1,935.33 | 1,747.81 |
| प्लान आस्तियां | 2,223.34 | 2,055.47 | 1,887.32 | 1,930.63 | 1,649.47 |
| अनिर्धारित संक्रमणशील देयता | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अधिशेष / (घाटा) | (-)65.68 | (-)15.09 | (-)11.20 | (-)4.70 | 98.34 |
| प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन | 124.29 | 240.77 | 152.27 | 315.39 | (-)86.04 |
| प्लान आस्ति (हानि)/लाभ पर अनुभव समायोजन | 11.51 | (-)5.88 | (-)42.37 | 86.25 | 100.21 |

| विवरण | पेन्शन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वि.व. 2023-24 | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 | वि.व. 2020-21 | वि.व. 2019-20 |
| परिभाषित लाभ देयता | 20,471.32 | 19,180.02 | 18,379.20 | 16,837.05 | 16,065.92 |
| प्लान आस्तियां | 19,922.68 | 18,459.42 | 17,604.64 | 16,531.02 | 15,827.60 |
| अनिर्धारित संक्रमणशील देयता | 41.22 | 183.62 | 489.67 | 0.00 | 0.00 |
| अधिशेष / (घाटा) | (-)507.42 | (-)536.99 | (-)284.88 | (-)306.03 | (-)238.32 |
| प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन | 410.04 | 843.92 | 1,092.69 | 791.71 | 808.90 |
| प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन | (-)31.29 | (-)45.52 | (-)694.35 | (-)620.28 | 155.64 |

**6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग**

**भाग क : कारोबार खंड**

| कारोबार खण्ड | कोषागार परिचालन (1) | | थोक बैंकिंग परिचालन (2) | | खुदरा बैंकिंग परिचालन (3) | | डिजिटल बैंकिंग (3) (i) | | अन्य रिटेल बैंकिंग (3) (ii) | | (*)अन्य बैंकिंग परिचालन (4) | | कुल (1+2+3+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| राजस्व | 18,170.64 | 16,465.87 | 23,097.82 | 17,648.87 | 25,955.95 | 20,731.92 | 0.26 | 0 | 25,955.69 | 20,731.92 | 0.00 | 0.00 | 67,224.41 | 54846.66 |
| गैर-आबंटित राजस्व | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 646.53 | 490.44 |
| घटा : अंतर खंड राजस्व | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1,066.60 | 589.49 |
| **कुल राजस्व** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **66,804.34** | **54,747.61** |
| परिणाम | 4,706.80 | 5,295.52 | 784.06 | 166.71 | 6,759.91 | 2,392.35 | (-)0.75 | (-)0.38 | 6,760.66 | 2,392.73 | 0.00 | 0.00 | 12,250.77 | 7,854.58 |
| गैर-आबंटित व्यय | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | (-)2,151.70 | (-)1,625.27 |
| कर पूर्व लाभ/ (हानि) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10,099.07 | 6,229.31 |
| आयकर | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3,781.15 | 2,206.37 |
| असाधारण लाभ/ (हानि) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| निवल लाभ/(हानि) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6,317.92 | 4,022.94 |
| **अन्य जानकारी :** | | | | | | | | | | | | | | |
| खंड आस्तियां | 308,765.24 | 283,230.98 | 333,854.50 | 293,202.27 | 252,894.05 | 215,949.71 | 7.16 | 2.02 | 227,710.31 | 215,947.69 | 0.00 | 0.00 | 895,513.79 | 792,382.96 |
| गैरआबंटित आस्तियां | | | | | | | | | | | | | 17,084.13 | 23,172.65 |
| कुल आस्तियां | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 912,597.92 | 815,555.61 |
| खंड देयताएं | 287,690.56 | 267,321.61 | 319,774.68 | 287,056.88 | 227,748.20 | 193,707.89 | 7.89 | 2.40 | 227,740.31 | 193,705.49 | 0.00 | 0.00 | 835,213.44 | 748,086.38 |
| गैर आबंटित देयताएं | | | | | | | | | | | | | 8,503.81 | 8,498.62 |
| **कुल देयताएं** | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 843,717.25 | 756,585.00 |

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण “अन्य बैंकिंग परिचालन” नहीं है।

**भाग ख : भौगोलिक खण्ड**

| भौगोलिक खण्ड | घरेलू | | अंतर्राष्ट्रीय | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| राजस्व | 58,249.70 | 50,110.74 | 8,554.64 | 4,636.87 | 66,804.34 | 54,747.61 |
| आस्तियां | 782,112.76 | 698,881.93 | 130,485.16 | 116,673.68 | 912,597.92 | 815,555.61 |

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

**प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड**

क) **कोषागार** : कोषागार खंड में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियों की डीलिंग, डिरिवेटिव कांट्रैक्ट सहित मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग :** थोक बैंकिंग में वह सभी उधार गतिविधियां सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग :** खुदरा बैंकिंग खंड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं :

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयूज् द्वारा अधिग्रहित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में सभी आवास ऋण खाते और रु. 7.50 करोड़ तक एक्स्पोज़र वाले उधारकर्ता खाते शामिल हैं।

**अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की पूर्ति जमाराशियों और उधार राशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

**लागत का विनियोजन :**

क)- किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख)- जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

**गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड**

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.5 **लेखांकन मानक 18 - संबंधित पक्ष से संव्यवहार :** (प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया।)

I) **संबंधित पक्षकारों की सूची**

(क) **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :**

| | |
|---|---|
| प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : | श्री अतनु कुमार दास (19.01.2023 को सेवानिवृत्त)<br>श्री रजनीश कर्नाटक (29.04.2023 से) |
| कार्यपालक निदेशक गण : | श्री पी. आर. राजगोपाल<br>श्री स्वरूप दासगुप्ता (29.02.2024 को सेवानिवृत्त)<br>श्री एम. कार्तिकेयन<br>श्रीमती मोनिका कालिया (15.11.2022 तक)<br>श्री सुब्रत कुमार<br>श्री राजीव मिश्रा (01.03.2024 से) |

(ख) **अनुषंगियाँ:**

i. बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

ii. बैंक ऑफ इंडिया इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.

iii. बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.

iv. बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.

v. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके

vi. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.

vii. बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.

viii. बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.

(ग) **सहायक कंपनियां:**

i. एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड

ii. एएसआरईसी (इंडिया) लि.

iii. इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

(घ) **बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

i. मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक

ii. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

iii. आर्यावर्त बैंक

(ङ.) **संयुक्त उद्यम**

स्टार यूनियन दाई- ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

**क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वासित)**

| विवरण | अनुषंगियाँ/ सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम | | प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | वर्षांत 31.03.2024 | वर्षांत 31.03.2023 | वर्षांत 31.03.2024 | वर्षांत 31.03.2023 | वर्षांत 31.03.2024 | वर्षांत 31.03.2023 |
| वर्ष के दौरान संव्यवहार | | | | | | |
| प्राप्त ब्याज | - | - | - | - | - | - |
| प्रदत्त ब्याज | 698.96 | 745.65 | - | - | 698.96 | 745.65 |
| प्राप्त लाभांश | 8.61 | 6.82 | - | - | 8.61 | 6.82 |
| अन्य आय | 394.44 | 150.67 | - | - | 394.44 | 150.67 |
| सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की बिक्री | - | - | - | - | - | - |
| सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की खरीद | - | - | - | - | - | - |
| कार्पोरेट बॉन्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की ख़रीद | - | - | - | - | - | - |
| प्राप्त की गयी जमराशि | (18.04) | (90.59) | - | - | (18.04) | (90.59) |
| परिपक्व जमाराशियां | - | - | - | - | - | - |
| दिये गए ऋण | - | - | - | - | - | - |
| चुकाए गए ऋण | - | - | - | - | - | - |
| एनपीए की बिक्री | - | - | - | - | - | - |
| किए गए निवेश | - | 57.92 | - | - | - | 57.92 |
| कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर | - | - | - | - | - | - |

| वर्ष के समाप्त में यथा बकाया | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 | यथा 31.03.2024 | यथा 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| देय | - | - | - | - | - | - |
| जमाराशियां स्वीकार्य | 118.61 | 136.65 | - | - | 118.61 | 136.65 |
| उधार | - | - | - | - | - | - |
| दिये गए ऋण | 10.00 | 10.00 | - | - | 10.00 | 10.00 |
| जमाराशियों का नियोजन | - | - | - | - | - | - |
| अन्य देयताएं | - | - | - | - | - | - |
| प्राप्त राशियाँ(अग्रिम) | - | - | - | - | - | - |
| निवेश | 180.51 | 180.51 | - | - | 180.51 | 180.51 |
| गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता | - | - | - | - | - | - |
| प्राप्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था | - | - | - | - | - | - |
| प्रदत्त पट्टे पर/एचपी व्यवस्था | - | - | - | - | - | - |
| अचल संपत्तियों की खरीद | - | - | - | - | - | - |
| अंचल संपबिाकाों की बिक्री | - | - | - | - | - | - |
| अन्य अस्तियाँ | 7.16 | 7.66 | - | - | 7.16 | 7.66 |

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार नहीं किया गया है जिसमें 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों' को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' के साथ उनके संव्यवहारों से संबंधित कोई भी प्रकटन करने से छूटप्राप्त है, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

6.6 **लेखांकन मानक 19 - पट्टाः** - परिचालनगत पट्टे बैंक के विकल्प पर रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालनगत पट्टों हेतु लाभ एवं हानी खाते में निर्धारित किए गए पट्टा व्ययों की राशि ₹ 717.00 (पिछले वर्ष ₹ 676.84) है।

### 6.7 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में)

| क्र.सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1. | बेसिक ईपीएस | 14.90 | 9.80 |
| 2. | डाइल्यूटेड ईपीएस | 14.90 | 9.80 |

**मूलभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन**

| क्र.सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (क) | वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि) | 6317.92 | 4,022.94 |
| (ख) | इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़ में) | 424.10 | 410.36 |
| (ग) | मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (रु.) | 14.90 | 9.80 |
| (घ) | इक्विटी शेयरों की डायल्यूटिव क्षमता सहित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में) | 424.10 | 410.36 |
| (ड.) | प्रतिशकयर डायल्यूटिव आय (क/ड.) (रु.) | 14.90 | 9.80 |
| (च) | प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (रु.) | 10.00 | 10.00 |

### 6.8 लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन

### 6.8.1 आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| | आस्थागित कर आस्तियां | | |
| i) | संदेहास्पद कर्ज तथा अग्रिमों के संबंध में प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण | 3,716.83 | 7,735.86 |
| ii) | अन्य प्रावधान/मदों के निमित्त समय अन्तर के कारण | 234.23 | 165.61 |
| iii) | विदेशी मुद्रा अंतरण रिजर्व के कारण (FCTR) | 176.22 | 271.00 |
| iv) | अन्य | 394.70 | 579.34 |
| | **कुल आस्थगित कर आस्तियाँ** | **4,521.98** | **8,751.81** |

| क्र.सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| | **आस्थगित कर देयता** | | |
| i) | स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण | 151.25 | 96.26 |
| ii) | प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण | 831.51 | 1,102.14 |
| iii) | आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(01)(viii) के कारण कटौतीङ | 659.40 | 915.53 |
| | **कुल आस्थगित कर देयताएं** | **1,642.16** | **2,113.93** |
| | **निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)** | **2,879.82** | **6,637.88** |

* 431.67 पुरानी आरक्षितियों में से और लाभ में से शेष

**6.8.2 वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों की राशि**

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| मौजूदा कर | 23.09 | 136.86 |
| आस्थगित कर | 3,758.06 | 2,069.51 |
| कुल कर व्यय | 3,781.15 | 2,206.37 |

30 सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुरानी कर व्यवस्था से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया, जो आकलन वर्ष 2023-24 से प्रभावी होगा । परिणामस्वरूप, 30 जून, 2023 तक स्थगित कर परिसंपत्तियों (शुद्ध) को नई व्यवस्था के अनुसार लागू कर दर के आधार पर फिर से मापा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष में लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त एकमुश्त शुल्क रू.1459.89 लगाया गया है।

**6.9 लेखांकन मानक 24 - परिचालन बंद करना:**

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप और विदेशी परिचालन को युक्तिसंगत बनाने के लिए रणनीतिक पहल के एक भाग के रूप में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में, बैंक ने अपनी विदेशी सहायक कंपनी यानी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लिमिटेड को रू.14.64 के मूल्य पर बेच दिया है और रू.19.18 की निवेश की शेष लागत पूरी तरह से प्रावधान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, हम पुष्टि करते हैं कि हमारी विदेशी सहायक कंपनियों का कोई विनिवेश नहीं है।

**6.10 लेखांकन मानक 27- संयुक्त उद्यमों में निवेश :**

निवेशों में रु.98.17 (पिछले वर्ष रु.98.17) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है :-

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | राशि | निवास देश | होल्डिंग % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि., | 98.17 | भारत | 28.96% |

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **देयताएं** | | |
| पूंजी एवं आरक्षितियां | 353.62 | 307.51 |
| जमाराशियां | - | - |
| उधार | - | - |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 6,972.39 | 5,405.48 |
| **कुल** | **7,326.01** | **5,712.99** |
| **आस्तियां** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां | 94.04 | 90.85 |
| बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन | - | - |
| निवेश | 6,939.28 | 5,419.83 |
| अग्रिम | 12.54 | 7.17 |
| अचल आस्तियां | 19.52 | 14.75 |
| अन्य आस्तियां | 260.63 | 180.39 |
| **कुल** | **7,326.01** | **5,712.99** |

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| पूंजीगत प्रतिबद्धताएं | - | - |
| अन्य आकस्मिक देयताएं | 39.26 | 33.69 |
| **आय** | | |
| अर्जित ब्याज | 22.63 | 17.14 |
| अन्य आय | 57.83 | 38.23 |
| **कुल** | **80.46** | **55.37** |
| **व्यय** | | |
| व्यय किया गया ब्याज | - | - |
| परिचालन व्यय | 33.19 | 18.34 |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | (-)0.48 | 0.21 |
| **कुल** | **32.71** | **18.55** |
| **लाभ / (हानि)** | **47.75** | **36.82** |

**6.11 परिसंपत्तियों की हानि (लेखांकन मानक 28) : रु. शून्य**

**6.12 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" ( लेखांकन मानक 29)**

**क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार-चढ़ाव :**

| विवरण | विधिक मामले/आकस्मिकताएं* | |
|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 |
| प्रारंभिक शेष | 64.09 | 61.02 |
| वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 26.74 | 4.07 |
| वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि | 2.23 | 1.00 |
| अंतिम शेष | 88.60 | 64.09 |
| बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं | समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन | |

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

**ख. आकस्मिक देयताएं**

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता / न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, संबंधित पक्षों द्वारा की गई मांग एवं विस्तार, जैसा भी मामला हो, पर क्रमश: निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

7. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक समझे जाने पर पुनर्वर्गीकृत/पुन:श्रेणीबद्ध किया गया है।

## SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

## NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

**1. Capital (As per BASEL-III):**

**(a) Composition of Regulatory Capital:**

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | Common Equity Tier 1 capital (CET 1) | 58,660.28 | 48,231.94 |
| ii) | Additional Tier 1 capital | 2,852.00 | 2,852.00 |
| iii) | Tier 1 capital (i + ii) | 61,512.28 | 51,083.94 |
| iv) | Tier 2 capital | 8,394.53 | 6,643.48 |
| v) | Total capital (Tier 1+Tier 2) | 69,906.81 | 57,727.42 |
| vi) | Total Risk Weighted Assets (RWAs) | 4,12,078 | 3,54,534 |
| vii) | Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%) | 14.24% | 13.60% |
| viii) | Tier I Capital ratio (%) | 14.93% | 14.41% |
| ix) | Tier II Capital ratio (%) | 2.04% | 1.87% |
| x) | Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) | 16.96% | 16.28% |
| xi) | Leverage Ratio | 6.45% | 6.04% |
| xii) | Percentage of the shareholding of Government of India | 73.38% | 81.41% |
| xiii) | Amount of paid-up equity capital raised during the year | 4,500* | 0.00 |
| xiv) | Share application money pending for allotment | 0.00 | 0.00 |
| xv) | Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: | | |
| | a) Basel III compliant Perpetual Non-Cumulative Preference Shares | 0.00 | 0.00 |
| | b) Basel III compliant Perpetual Additional Tier-I Debt Instruments | 0.00 | 1,500.00 |
| xvi) | Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which | | |
| | a) Perpetual Cumulative Preference Shares | 0.00 | 0.00 |
| | b) Basel III Compliant redeemable Tier-II Bond Series | 2,000.00 | 0.00 |

The said computation of Capital to Risk weighted asset Ratio & Leverage ratio is arrived at after considering the effect of Net Present Value of non-interest bearing recapitalization bond infused as capital by the Government of India during the FY ended 31.03.2021.

Pursuant to RBI Circular No. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2024.

*The Bank has raised Equity Share Capital of ₹ 4,500 through Qualified Institutional Placement on December 05, 2023. The Bank has issued and allotted 44,91,01,796 equity shares of face value ₹ 10 each at a premium of ₹ 90.20 per share to the investors.

(a1) Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:

As on 31.03.2024

| Raised during the year | Nature | Amount | Reckoned for the purpose of CRAR computation |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | Additional Tier 1 | 1,352.00 | 1,352.00 |
| 2022-23 | Additional Tier 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | **Total** | **2,852.00** | **2,852.00** |

The Bank has raised Additional Tier I Bonds Series VIII amounting to ₹ 1,500 crore on December 02, 2022.

(a2) Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

As on 31.03.2024

| Raised during the year | Nature | Amount | Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III) |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | Tier-II | 3,000.00 | 600.00 |
| 2020-21 | Tier-II | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2023-24 | Tier-II | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | **Total** | **6,800.00** | **4,400.00** |

Bank has redeemed Tier II Bonds Series X & Series XI amounting to ₹ 1,000 & ₹ 500 on September 25, 2023 and September 30, 2023 respectively.

Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVI amounting to ₹ 2,000 on September 15, 2023.

**(b) Draw down from Reserves:**

During the year ended March 31, 2024, there has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss Account.

**2. Asset Liability Management**

(a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March, 2024

| Details | Day 1 | 2to 7 days | 8 to 14 days | 15 to 30 Days | 31 Days to 2 months | Over 2 months and up to 3 months | Over 3 months and up to 6 months | Over 6 months and up to 1 year | Over 1 year and upto 3 years | Over 3 years and up to 5years | Over 5 years | TOTAL (1 TO 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposits$ | 9,775.46 | 13,539.73 | 13,828.73 | 15,032.43 | 29,326.33 | 31,425.89 | 46,051.04 | 47,227.88 | 53,037.26 | 42,534.90 | 4,36,140.58 | 7,37,920.21 |
| | (15,098.03) | (30,623.99) | (14,760.12) | (23,575.73) | (33,643.64) | (31,307.38) | (42,998.77) | (41,465.53) | (95,110.29) | (82,018.12) | (258,984.17) | (669,585.77) |
| Advances# | 16,593.69 | 6,791.71 | 7,769.95 | 15,329.67 | 16,888.05 | 18,083.48 | 26,146.71 | 39,381.37 | 2,22,060.13 | 58,512.27 | 1,35,587.64 | 5,63,144.67 |
| | (12,281.81) | (6,442.18) | (5,573.66) | (6,229.10) | (11,889.69) | (12,739.22) | (21,999.18) | (26,535.89) | (195,895.35) | (59,244.19) | (127,069.35) | (485,899.64) |
| Investments | 200.68 | 2,143.41 | 1,577.50 | 2,885.21 | 523.08 | 564.32 | 4,473.23 | 4,993.62 | 17,872.31 | 32,402.84 | 1,59,508.26 | 2,27,144.47 |
| | (0.00) | (1,601.92) | (236.07) | (1,028.47) | (3,514.19) | (2,630.91) | (5,609.36) | (3,782.43) | (14,328.30) | (24,704.52) | (146,961.70) | (204,397.88) |
| Borrowings | 8.59 | 22,289.64 | 308.04 | 80.47 | 10,957.70 | 5,852.26 | 11,990.93 | 9,818.03 | 13,199.42 | 6,419.00 | 0.00 | 80,924.07 |
| | (404.43) | (20,127.49) | (1,395.07) | (1,635.34) | (11,186.99) | (953.22) | (13,229.68) | (2,339.49) | (10,407.32) | (1,500.00) | (1,800.00) | (64,979.02) |
| Foreign Currency Assets## | 1,652.46 | 3,547.51 | 1,627.08 | 9,524.27 | 9,917.85 | 11,118.86 | 15,745.47 | 12,466.81 | 23,593.31 | 17,992.02 | 9,501.57 | 1,16,687.23 |
| | (2,127.21) | (8,812.03) | (3,455.75) | (13,963.56) | (11,338.04) | (19,125.07) | (16,843.18) | (20,210.23) | (22,361.09) | (20,883.28) | (6,851.22) | (145,970.66) |
| Foreign Currency Liabilities$$ | 1,753.01 | 4,320.33 | 6,716.39 | 6,541.70 | 16,480.77 | 16,952.48 | 24,584.71 | 12,354.49 | 17,016.65 | 12,182.31 | 4,263.47 | 1,23,166.32 |
| | (2,615.12) | (17,781.88) | (2,761.91) | (11,045.63) | (20,002.16) | (10,135.08) | (15,889.42) | (11,469.50) | (7,749.00) | (6,875.97) | (189.33) | (106,515.00) |

$ including deposits in Foreign Currency

# including advances in Foreign Currency

## Foreign Currency on Balance Sheet Assets represent Advances and Investments

$$ Foreign Currency on Balance Sheet Liabilities represent Borrowings and Deposits

**Note:** The maturity pattern of Deposits, Borrowings, Advances and Investment as of 31st March 2024 is based on the following:

RBI Guidelines on ALM

Behavioural studies of Assets & Liabilities which do not have definite maturity and for embedded optionality

**(b) Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management**

**Quantitative Disclosure:**

| Sr. No. | AMOUNT IN RS CRS | FY 2023-24* | | FY 2022-23* | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total Unweighted Value (average) @ | Total Weighted Value(average) @ | Total Unweighted Value (average) @ | Total Weighted Value(average) @ |
| **HIGH QUALITY LIQUID ASSETS** | | | | | |
| 1 | Total High Quality Assets(HQLA) | | 1,55,585.17 | | 1,41,772.51 |
| **CASH OUTFLOW** | | | | | |
| 2 | Retail deposits and deposits from small business customers, of which: | 5,18,171.71 | 45,101.08 | 4,90,439.65 | 42,687.67 |
| (i) | Stable deposits | 1,34,321.76 | 6,716.09 | 1,27,125.93 | 6,356.30 |
| (ii) | Less stable deposits | 3,83,849.94 | 38,384.99 | 3,63,313.73 | 36,331.37 |
| 3 | Unsecured wholesale funding of which: | 1,01,480.07 | 57,036.96 | 82,100.09 | 46,746.70 |
| (i) | Operational deposits (all counterparties) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | Non -operational deposits (all counterparties) | 74,071.86 | 29,628.74 | 58,922.31 | 23,568.93 |
| (iii) | unsecured debts | 27,408.21 | 27,408.21 | 23,177.77 | 23,177.77 |
| 4 | Secured wholesale funding | | 208.94 | | 2,975.64 |
| 5 | Additional requirements, of which | 76,157.78 | 18,813.14 | 31,037.31 | 10,727.82 |
| (i) | Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement | 6,826.93 | 6,826.93 | 5,414.68 | 5,414.68 |
| (ii) | Outflows related to loss of funding on debt products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | Credit and liquidity facilities | 69,330.85 | 11,986.21 | 25,622.63 | 5,313.14 |
| 6 | Other contractual funding obligations | 17,974.56 | 17,974.56 | 14,865.49 | 14,865.49 |
| 7 | Other contingent funding obligations | 34,733.24 | 1,042.00 | 37,109.90 | 1,113.29 |
| 8 | TOTAL CASH OUTFLOWS | | 1,40,176.67 | | 1,19,116.61 |
| **CASH INFLOW** | | | | | |
| 9 | Secured lending (e.g. reverse repos) | 3,595.18 | 2,421.74 | 5,533.88 | 3,487.53 |
| 10 | Inflows from fully performing exposures | 26,038.22 | 20,583.85 | 27,354.34 | 21,745.10 |
| 11 | Other cash inflows | 16,835.62 | 15,562.34 | 15,855.87 | 15,685.38 |
| 12 | TOTAL CASH INFLOWS | 46,469.03 | 38,567.94 | 48,744.10 | 40,918.00 |
| 13 | TOTAL HQLA | | 1,55,585.17 | | 1,41,772.51 |
| 14 | TOTAL NET CASH OUTFLOWS | | 1,01,608.74 | | 78,198.61 |
| 15 | LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%) | | 153.12 | | 181.30 |

**Note:-**

*On consolidated basis (including domestic operations, overseas centres and overseas subsidiaries)

@ Disclosure as on 31.03.2024 as well as 31.03.2023 has been done by taking simple averages of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2023-24 & FY 2022-23 respectively). This is as per RBI guidelines ref. no. DBR. No.BP.BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

**Qualitative disclosures with regard to LCR**

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is one of the Basel Committee's key reforms to develop a more resilient banking sector. The LCR, a global standard, is also used to measure your Bank's liquidity position. LCR seeks to ensure that the Bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs under a 30-day calendar liquidity stress scenario. The LCR helps in improving the banking sector's ability to absorb shocks arising from financial and economic stress, whatever the source, thus reducing the risk of

spill over from the financial sector to the real economy. Based on Basel III norms, your Bank's average LCR stood at 153.12 per cent on a consolidated basis for financial year 2023-24 as against the regulatory threshold at 100 per cent.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Liquid assets comprise of high-quality assets that can be readily encashed or used as collateral to obtain cash in a range of stress scenarios.

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need. While Level 1 assets are with 0% haircut, Level 2A and Level 2B assets are with 15% and 50% haircuts respectively.
- Net cash outflows are excess of total outflow over total inflow under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors. In order to determine cash outflows, the Bank segregates its deposits into various customer segments, viz., Retail (which include deposits from individuals), Small Business Customers (those with deposits upto Rs 7.5 crore), and Wholesale (which would cover all residual deposits). Within Wholesale, deposits that are attributable to clearing, custody, and cash management services are classified as Operational Deposits. Other contractual funding, including a portion of other liabilities which are expected to run down in a 30 day time frame are included in the cash outflows. These classifications, based on extant regulatory guidelines, are part of the Bank's LCR framework, and are also submitted to the RBI.
- Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in up to an aggregate cap of 75% of total expected cash outflows. In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.

**Main Drivers of LCR:** The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

**Composition of HQLA:** The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR, Securities under MSF and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

The composition of Average HQLA for the financial year ended March 2024 of disclosure is given below:

| | |
|---|---|
| Cash in hand | 1.83% |
| Excess CRR balance | 3.66% |
| Government securities in excess of minimum SLR Requirement | 20.23% |
| Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent of allowed by RBI under MSF (presently to the extent of 2 percent of NDTL as allowed for MSF) | 7.67% |
| Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions | 3.60% |
| Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio | 62.56% |
| Level 2 Assets | 1.12% |
| Adjustment in HQLA to reflect liquidity transfer restrictions | (0.67%) |

**Concentration of funding sources:** Majority of Bank's funding sources are from retail customers & small business customers therefore the stressed outflows are comparatively lower. Bank does not have significant funding concentration from any counterparty. In the Indian context, the run-off factors for the stressed scenarios are prescribed by the RBI, for various categories of liabilities (viz., deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), undrawn commitments, derivative-related exposures, and offset with inflows emanating from assets maturing within the same time period. Given below is a table of run-off factors for deposits:

| Particulars | Run-off factors |
|---|---|
| Retail Deposits | 5% - 10% |
| Small Business Customers | 5% - 10% |
| Operational deposits | 5% - 25% |
| Non-financial corporates, sovereigns, central banks, multilateral development banks, and PSEs | 40% |
| Other legal entities | 100% |

**Derivative Exposures and potential collateral calls:** Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

**Currency mismatch in the LCR:** In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, USD is the only significant currency.

**Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:** The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO at regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by Global ALM Policy of the Bank. Liquidity for the Bank's domestic banking operations is directly managed at the Head Office. The overseas branches and offshore unit of the Bank independently manage their liquidity

requirements with support from the Head Office. Similarly, the Bank's subsidiaries independently manage their liquidity requirements under guidance of the R.COM, which, along with senior management of the subsidiaries, reviews the risk assessment of material risks at the subsidiaries. Further, the Bank maintains suitable systems and processes to monitor liquidity requirements in other currencies as appropriate.

The average LCR based on daily average of three months (Q4 FY 2023-24) for the quarter ended March 31, 2024 was at 126.41% as against 148.08% for the quarter ended December 31,2023 and well above the present prescribed minimum regulatory requirement of 100%. The average HQLA for the financial year ended March 31, 2024 was Rs.155,585.17 crore with 99.55% being Level 1 Assets whereas Level 2A and level 2B assets constitute 0.82% and 0.29% respectively. The adjustment in average HQLA is (0.67%). During the financial year, the weighted average HQLA level has increased by Rs 13,813 primarily on account of increase in excess SLR balance. Further, weighted average net cash outflows position has increased by Rs 23,410 during the financial year, mainly on account of increase in cash outflows under the head unsecured wholesale funding.

The Bank has been maintaining HQLA mainly in the form of SLR investments over and above the mandatory requirements. Retail deposits constitute major portion of total funding sources, which are well diversified. Management is of the view that the Bank has sufficient liquidity cover to meet its likely future commitments.

**(c) Net Stable Funding Ratio:**

| | | Unweighted value by residual maturity | | | | Weighted value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amount in (Rs. Crores) | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1 yr | ≥1 yr | |
| ASF Item | | | | | | |
| 1 | Capital: (2+3) | 74,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,113.60 |
| 2 | Regulatory Capital | 74,113.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,113.60 |
| 3 | Other Capital Instruments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Retail Deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 2,52,381.03 | 1,58,818.89 | 95,500.27 | 0.00 | 4,60,949.93 |
| 5 | Stable Deposits | 38,740.17 | 32,870.28 | 26,784.71 | 0.00 | 93,475.40 |
| 6 | Less Stable Deposits | 2,13,640.86 | 1,25,948.61 | 68,715.55 | 0.00 | 3,67,474.53 |
| 7 | Wholesale Funding (8+9) | 23,880.77 | 28,619.11 | 29,007.45 | 0.00 | 40,753.66 |
| 8 | Operational Deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Other wholesale funding | 23,880.77 | 28,619.11 | 29,007.45 | 0.00 | 40,753.66 |
| 10 | Other Liabilities: (11+12) | 1,191.00 | 85,078.02 | 917.46 | 1,66,286.33 | 81,142.72 |
| 11 | NSFR Derivative Liabilities | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | All other liabilities and equity not included in the above categories | 1,191.00 | 85,078.02 | 917.46 | 1,66,286.33 | 81,142.72 |
| 13 | Total ASF (1+4+7+10) | | | | | 6,56,959.91 |
| RSF Item | | | | | | |
| 14 | Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 7,595.35 |
| 15 | Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 4,368.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,184.08 |
| 16 | Performing Loans and securities (17+18+19+21+23) | 23) 0.00 | 3,08,431.35 | 73,849.40 | 1,80,995.62 | 3,12,101.90 |
| 17 | Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 0.00 | 13,231.35 | 18,933.63 | 0.00 | 11,451.52 |
| 19 | Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which: | 0.00 | 2,95,200.00 | 54,915.77 | 1,15,326.74 | 2,50,020.26 |
| 20 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 2,95,200.00 | 54,915.77 | 1,15,326.74 | 2,50,020.26 |
| 21 | Performing residential mortgages, of which: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,942.14 | 16,862.39 |

| Amount in (Rs. Crores) | | Unweighted value by residual maturity | | | | Weighted value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No maturity | < 6 months | 6 months to < 1 yr | ≥1 yr | |
| 22 | With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,942.14 | 16,862.39 |
| 23 | Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,726.74 | 33,767.73 |
| 24 | Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 4,312.99 | 28,954.39 | 1,371.22 | 1,52,874.76 | 1,78,126.17 |
| 25 | Physical traded commodities, including gold | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | NSFR derivative assets | | 23,507.05 | 239.95 | 605.84 | 24,352.84 |
| 28 | NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | | 299.37 | 30.78 | 1.50 | 331.65 |
| 29 | All other assets not included in the above categories | 4,312.99 | 5,147.97 | 1,100.49 | 1,52,267.43 | 1,53,441.68 |
| 30 | Off-balance sheet items | | 12,491.01 | 46,990.00 | 90,184.62 | 6,492.00 |
| 31 | Total RSF | | | | | 5,06,499.50 |
| 32 | Net Stable Funding Ratio (%) | | | | | 129.71% |

# Items to be reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These may include, but are not limited to, items such capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions, non-HQLA equities, and physical traded commodities.

The objective of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) is to promote the resilience of bank's liquidity risk profiles and to incentivize a more resilient banking sector over a longer time horizon. The NSFR guidelines ensure reduction in funding risk over a longer term horizone by requiring banks to fund their activites with sufficientyl stable sources of funding in order to mitigate the risk of future stress. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding.

$$\text{NSFR} = \frac{\text{Available Amount of Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Amount of Stable Funding (RSF)}} \geq 100\%$$

RBI issued the regulations on the implementation of the Net Stable Funding Ratio in May 2018 with minimum requirement of equal to at least 100%. The implementation is effective from 1st October, 2021. NSFR is computed at Bank's standalone and consolidated level.

Available Stable Funding (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable which is determined by various factors/ weights according to the nature and maturity of liabilities with liabilities having maturity of 1 year or more receiving 100% weight.

Required Stable Funding (RSF) is defined as the portion of on balance sheet and off-balance sheet exposures which requires to be funded on an ongoing basis. The amount of such stable funding required is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held.

**Brief about NSFR of the Bank**

The main drivers of the Available Stable Funding (ASF) are the capital base, retail deposit base, and funding from non-financial companies and long-term funding from institutional clients. The capital base formed around 11%, retail deposits (including deposits from small sized business customers) formed 70% and wholesale funding formed 6% of the total Available Stable Funding, after applying the relevant weights.

The Required Stable Funding primarily comprised lending to corporates, retail clients and financial institutions which constituted 62% of the total RSF after applying the relevant weights. The stock of High-Quality Liquid Assets which majorly includes cash and reserve balances with the RBI, government debt issuances attracted no or low amount of stable funding due to their high quality and liquid characteristic. Accordingly, the HQLA constituted only 2% of the Required Stable Funding after applying the relevant weights. Other assets and Contingent funding obligations, such as committed credit facilities, guarantees and letters of credit constituted 36% of the Required Stable Funding.

Bank's NSFR comes to 129.71% at consolidated basis as on 31st March 2024 and is above the minimum regulatory requirement of 100% set out in the RBI. As on 31st March 2024, the weighted Available Stable Funding (ASF) position stood at ₹ 6,56,960 and weighted Required Stable Funding (RSF) position stood at ₹ 5,06,499.

3. **Investments**

(a) **Composition of Investment Portfolio**

Investments as at 31.03.2024

| | Investments in India | | | | | | | Investments outside India | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Government Securities | Other Approved Securities | Shares | Debentures and Bonds | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total investments in India | Government securities (including local authorities) | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total Investments outside India | Total Investments |
| **Held to Maturity** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 162,669.92 | 0.00 | 1.11 | 805.21 | 1,496.06 | 61.66 | 165,033.95 | 0.00 | 2,298.46 | 0.00 | 2,298.46 | 167,332.41 |
| Less: Provision for non--performing investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 1.86 |
| Net | 162,669.92 | 0.00 | 1.11 | 805.21 | 1,496.06 | 61.66 | 165,033.95 | 0.00 | 2,296.60 | 0.00 | 2,296.60 | 167,330.55 |
| **Available for Sale** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 36,056.78 | 0.00 | 1,676.47 | 11,839.68 | 0.00 | 4,077.28 | 53,650.21 | 7,875.06 | 0.00 | 1,457.38 | 9,332.44 | 62,982.65 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 805.33 | 694.12 | 0.00 | 1,099.97 | 2,599.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599.42 |
| Net | 36,056.78 | 0.00 | 871.14 | 11,145.56 | 0.00 | 2,977.31 | 51,050.79 | 7,875.06 | 0.00 | 1,457.38 | 9,332.44 | 60,383.23 |
| **Held for Trading** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 1,273.76 | 0.00 | 2.47 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Net | 1,273.76 | 0.00 | 2.47 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,286.20 |
| **Total Investments** | 200,000.46 | 0.00 | 1,680.05 | 12,654.86 | 1,496.06 | 4,138.93 | 219,970.36 | 7,875.06 | 2,298.46 | 1,457.38 | 11,630.90 | 231,601.26 |
| Less: Provision for non-performing investments | 0.00 | 0.00 | 805.33 | 694.12 | 0.00 | 1,099.97 | 2,599.42 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 2,601.28 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 1.39* | 0.00 | 159.26 | 930.42 | 42.38 | 350.08 | 1,483.52 | 298.17 | 0.00 | 73.82 | 371.99 | 1,855.51 |
| **NET** | **199,999.07** | **0.00** | **715.46** | **11,030.32** | **1,453.68** | **2,688.88** | **215,887.42** | **7,576.89** | **2,296.60** | **1,383.56** | **11,257.05** | **227,144.47** |

*Provision for OIS has been netted from Government Securities under HFT.

Investments as at 31.03.2023

| | Investments in India | | | | | | | Investments outside India | | | | Total Investments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Government Securities | Other Approved Securities | Shares | Debentures and Bonds | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total investments in India | Government securities (including local authorities) | Subsidiaries and/or joint ventures | Others | Total Investments outside India | |
| **Held to Maturity** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 148,812.37 | 0.00 | 1.11 | 3,342.28 | 1,227.70 | 72.35 | 153,455.81 | 0.00 | 1,474.10 | 0.00 | 1,474.10 | 154,929.92 |
| Less: Provision for non-performing investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 1.87 |
| Net | 148,812.37 | 0.00 | 1.11 | 3,342.28 | 1,227.70 | 72.35 | 153,455.81 | 0.00 | 1,472.24 | 0.00 | 1,472.24 | 154,928.05 |
| **Available for Sale** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | 30,943.50 | 0.00 | 2,262.36 | 7,928.22 | 0.00 | 3,484.97 | 44,619.05 | 7,628.18 | 0.00 | 1,632.24 | 9,260.41 | 53,879.46 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 1,028.88 | 778.43 | 0.00 | 1,207.42 | 3,014.73 | 187.47 | 0.00 | 84.59 | 272.07 | 3,286.80 |
| Net | 30,943.50 | 0.00 | 1,233.48 | 7,149.79 | 0.00 | 2,277.55 | 41,604.32 | 7,440.70 | 0.00 | 1,547.64 | 8,988.34 | 50,592.66 |
| **Held for Trading** | | | | | | | | | | | | |
| Gross | -29.92 | 0.00 | 1.55 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.62 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| Net | -30.09 | 0.00 | 1.55 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.45 |
| **Total Investments** | 179,725.95 | 0.00 | 2,265.02 | 11,320.50 | 1,227.70 | 3,557.32 | 198,096.48 | 7,628.18 | 1,474.10 | 1,632.24 | 10,734.52 | 208,831.00 |
| Less: Provision for non-performing investments | 0.17 | 0.00 | 1,028.88 | 778.43 | 0.00 | 1,207.42 | 3,014.90 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 3,016.77 |
| Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 202.73 | 563.36 | 21.83 | 356.36 | 1,144.28 | 187.47 | 0.00 | 84.59 | 272.07 | 1,416.35 |
| Net | 179,725.78 | 0.00 | 1,033.41 | 9,978.71 | 1,205.87 | 1,993.54 | 193,937.30 | 7,440.70 | 1,472.24 | 1,547.64 | 10,460.58 | 204,397.88 |

(i) Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 35,489.39 (previous year ₹ 32,964.87) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.

(ii) Bank has acquired additional stake of 4.92% for ₹ 675.63 in its subsidiary namely, PT Bank of India Indonesia TBK which resulted in goodwill on consolidation of ₹ 65.51, and the same has been adjusted and written off during the year.

(iii) Bank has infused additional capital of ₹ 148.72 in its subsidiary namely, Bank of India (Uganda) Limited and ₹ 19.20 in Bank of India Investment Managers Private Limited during the year ended March 31, 2024.

(iv) Bank has infused additional proportionate capital in FY 2022-23 in the following associate Regional Rural Banks whereby allotment happened in FY 2023-24:

a. ₹110.09 in Vidharbha Konkan Gramin Bank.

b. ₹139.08 in Madhya Pradesh Gramin Bank.

(v) Bank has infused additional proportionate capital in FY 2022-23 of ₹ 152.04 in Aryavrat Bank which is pending for allotment.

**(b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve**

| | Particulars | As at 31.03.2024 | As at 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| **i)** | **Movement of provisions held towards depreciation on investments** | | |
| a) | Opening balance | 4,433.13 | 5,212.11 |
| b) | Add: Provisions made during the year | 939.93 | 2,075.29 |
| c) | Less: Write off / write back of excess provisions during the year | 871.11 | 2,879.43 |
| d) | Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference | (-)45.14 | 25.16 |
| e) | Closing balance | 4,456.81 | 4,433.13 |
| **ii)** | **Movement of Investment Fluctuation Reserve** | | |
| a) | Opening balance | 1,079.02 | 927.59 |
| b) | Add: Amount transferred during the year | 206.36 | 151.43 |
| c) | Less: Drawdown | 0.00 | 0.00 |
| d) | Closing balance | 1,285.38 | 1,079.02 |
| **iii)** | **Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/ Current category** | 2.00% | 2.00% |

**(c) Sale and transfers to/from HTM category during the financial year 2023-24:**

The total value of sale and transfers of securities from HTM category during April 1, 2023 to March 31, 2024 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on March 31, 2023. The 5 per cent threshold referred to above will exclude:

(a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

(b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

(c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

(d) Sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

| | | |
|---|---|---|
| Sale of Securities from HTM during FY 2023-24 (Other than one time Shifting & sale under OMO) | 5,050.27 | Sale in % (<5%) =3.88% |
| Securities held in HTM Category as on 31.03.2023 | 130,180.92 | |

**(d) Non-SLR investment portfolio**

**i. Non-performing non-SLR investments**

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (a) | Opening balance | 3,016.60 | 2228.00 |
| (b) | Additions during the year since 1st April | 233.83 | 1,515.34 |
| (c) | Reductions during the above period | 649.14 | 726.74 |
| (d) | Closing balance | 2,601.29 | 3,016.60 |
| (e) | Total provisions held | 2,601.29 | 3,016.60 |

**ii. Issuer Composition of non-SLR Investments**

| Sr. No. | Issuer | Amount | Extent of Private Placement | Extent of 'Below Investment Grade' Securities* | Extent of 'Unrated' Securities* | Extent of 'Un-listed' Securities* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| i. | PSUs | 1,628.73 | 30.50 | 0.00 | 469.81 | 469.81 |
| | | (1,777.34) | (1,704.69) | (0.00) | (497.89) | (0.00) |
| ii. | FIs | 6,378.58 | 422.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (3,340.89) | (2,816.02) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| iii. | Banks | 1,426.99 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 631.74 |
| | | (1,450.47) | (709.12) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| iv. | Private Corporates | 1,878.57 | 1,427.10 | 884.75 | 948.18 | 1,427.10 |
| | | (4,571.13) | (4,338.98) | (1,440.11) | (56.35) | (0.00) |
| v. | Subsidiaries/ Joint Ventures# | 3,794.53 | 3,794.53 | 0.00 | 0.00 | 3,794.53 |
| | | (2,701.81) | (2,701.81) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| vi. | Others *$ | 41,192.41 | 24,961.08 | 0.00 | 24,699.00 | 24,709.00 |
| | | (39,962.44) | (32,273.04) | (0.00) | (24,699.00) | (0.00) |
| | **Total** | **56,299.82** | **30,636.92** | **884.75** | **26,118.14** | **31,032.18** |
| | | **(53,804.08)** | **(44,543.66)** | **(1,440.11)** | **(554.24)** | **(0.00)** |
| vii. | Less: Provision held towards Depreciation | 4,455.41 | 4,083.42 | 732.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | (4,432.96) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) |
| | Net | 51,844.40 | 26,553.50 | 151.77 | 26,118.14 | 31,032.18 |
| | | (49,371.12) | (44,543.66) | (1,440.11) | (554.24) | (0.00) |

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

# Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates/RRBs have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

$ includes investment in GOI Non-SLR re-capitalisation bonds of ₹ 24,699 (previous year ₹ 24,699)

**iii. Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:**

| Particulars | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily Average outstanding during the year | Outstanding as on March 31, 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Securities sold under repo: | | | | |
| i) Government Securities | 0.00<br>(0.00) | 22,089.60<br>(7,753.15) | 4,692.40<br>(3,739.83) | 15,374.38<br>(2,692.00) |
| ii) Corporate Debt Securities | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |
| Securities purchased under reverse repo: | | | | |
| i) Government Securities | 0.00<br>(0.00) | 745.00<br>(9,208.00) | 105.17<br>(319.10) | 0.00<br>(0.00) |
| ii) Corporate Debt Securities | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) | 0.00<br>(0.00) |

**iv. Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms)**

**As at 31st March 2024**

| | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily average outstanding during the year | Total volume of transactions during the year | Outstanding as on March 31, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Securities lent through GSL transactions | Nil | | | | |
| Securities borrowed through GSL transactions | Nil | | | | |
| Securities placed as collateral under GSL transactions | Nil | | | | |
| Securities received as collateral under GSL Transactions | Nil | | | | |

**As at 31st March 2023**

| | Minimum outstanding during the year | Maximum outstanding during the year | Daily average outstanding during the year | Total volume of transactions during the year | Outstanding as on March 31, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Securities lent through GSL transactions | Nil | | | | |
| Securities borrowed through GSL transactions | Nil | | | | |
| Securities placed as collateral under GSL transactions | Nil | | | | |
| Securities received as collateral under GSL Transactions | Nil | | | | |

**(e) Matured Investment (included in Schedule 11 'Other Assets'):**

**(i) Value of Investments:**

| Particular | | | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| (i) | Gross Value of Investments | | 1,857.75 | 1,854.36 |
| | (a) | In India | 1,348.14 | 1,351.17 |
| | (b) | Outside India | 509.61 | 503.19 |
| (ii) | Provision for Depreciation | | 1,857.75 | 1,854.36 |
| | (a) | In India | 1,348.14 | 1,351.17 |
| | (b) | Outside India | 509.61 | 503.19 |
| (iii) | Net Value of Investments | | | |
| | (a) | In India | 0.00 | 0.00 |
| | (b) | Outside India | 0.00 | 0.00 |

**(ii) Movement of provisions held towards depreciation on investments:**

| Particular | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Opening Balance | 1,854.36 | 1,364.38 |
| Add: Provisions made during the year | 140.47 | 598.11 |
| Sub-total | 1,994.83 | 1,962.49 |
| Less: Write off/ write-back of excess provision during the year | 143.57 | 138.61 |
| Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Diff | 6.49 | 30.48 |
| Closing Balance | 1,857.75 | 1,854.36 |

**(f) Non performing Investments (Including Matured Investments):**

| Particulars | | | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| (i) | Net NPIs to Net Investment (%) | | 0.00% | 0.00% |
| (ii) | Movement of NPIs (Gross) | | | |
| | a) | Opening balance | 4,870.97 | 3,641.98 |
| | b) | Additions during the year | 370.79 | 2,143.94 |
| | c) | Reductions during the year | 792.72 | 914.95 |
| | d) | Closing balance | 4,449.04 | 4,870.97 |
| (iii) | Movement Provision for NPIs | | | |
| | a) | Opening balance | 4,870.97 | 3,580.46 |
| | b) | Additions during the year | 370.79 | 2,084.86 |
| | c) | Reductions during the year | 792.72 | 794.35 |
| | d) | Closing balance | 4,449.04 | 4,870.97 |
| (iv) | Movement of NPIs (Net) | | | |
| | a) | Opening balance | 0.00 | 61.52 |
| | b) | Provisions made during the year | 0.00 | 59.08 |
| | c) | Write-off/write-back of excess provisions | 0.00 | 120.60 |
| | d) | Closing balance | 0.00 | 0.00 |

**4. Asset Quality**

(a) Classification of Advances and Provisions held

**As on 31.03.2024**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| **Gross Standard Advances and NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | 4,78,166.92 | 4,984.33 | 15,105.96 | 17,595.27 | 37,685.56 | 5,15,852.48 |
| Add: Additions during the year | | | | | 7,550.76 | |
| Less: Reductions during the year* | | | | | 16,053.55 | |
| Closing balance | 5,56,412.13 | 4,633.65 | 12,401.91 | 12,147.21 | 29,182.77 | 5,85,594.90 |
| *Reductions in Gross NPAs due to: | | | | | | |
| (i) Upgradation | | | | | 1,043.61 | |
| (ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts) | | | | | 5,260.89 | |
| (iii) Technical/ Prudential Write-offs | | | | | 3,218.84 | |
| (iv) Write-offs other than those under (iii) above | | | | | 6,530.21 | |
| **Provisions (excluding Floating Provisions)** | | | | | | |
| Opening balance of provisions held | | 1,392.48 | 10,644.20 | 17,595.27 | 29,631.95 | |
| Add: Fresh provisions made during the year | | | | | 4,109.49 | |
| Less: Excess provision reversed/ Write-off loans | | | | | 3,184.95 | |
| Closing balance of provisions held | | 923.21 | 9,267.09 | 12,147.21 | 22,337.51 | |
| **Net NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | | 3,591.85 | 4,461.76 | 0.00 | 8,053.61 | |
| Add: Fresh additions during the year | | | | | 3,441.27 | |
| Less: Reductions during the year | | | | | 12,868.60 | |
| Closing Balance | | 3,710.44 | 3,134.82 | 0.00 | 6,845.26 | |

Note: Opening and closing balances of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2023-24 ₹ 1149.02/ FY 2022-23 ₹ 1048.64) part payment received and kept in suspense account (FY 2023-24 ₹ 106.23 / FY 2022-23 ₹ 64.51), balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2023-24 ₹ 860.96 /FY 2022-23 ₹ 877.02) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2023-24 ₹ 42.55 /FY 2022-23 ₹ 51.87)

**Floating Provisions as on 31.03.2024**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Opening Balance | | | | | | 0.00 |
| Add: Additional provisions made during the year | | | | | | 0.00 |
| Less: Amount drawn down during the year | | | | | | 0.00 |
| Closing balance of floating provisions | | | | | | 0.00 |

**Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2024**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts | | | | | | 40,352.25 |
| Add: Technical/ Prudential write-offs during the year* | | | | | | 8,136.04 |
| Less: Recoveries made from previously technical/ pru-dential written-off accounts during the year | | | | | | 4,917.20 |
| Closing balance | | | | | | 43,571.09 |

*including exchange difference

**As on 31.03.2023**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| **Gross Standard Advances and NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | 4,11,408.26 | 4,365.69 | 21,921.99 | 19,317.71 | 45,605.39 | 4,57,013.65 |
| Add: Additions during the year | | | | | 7,968.83 | |
| Less: Reductions during the year* | | | | | 15,888.66 | |
| Closing balance | 4,78,166.92 | 4,984.33 | 15,105.96 | 17,595.27 | 37,685.56 | 5,15,852.48 |
| *Reductions in Gross NPAs due to: | | | | | | |
| (i) Upgradation | | | | | 1,204.45 | |
| (ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts) | | | | | 6,029.33 | |
| (iii) Technical/ Prudential16 Write-offs | | | | | 5,438.76 | |
| (iv) Write-offs other than those under (iii) above | | | | | 3,216.12 | |
| **Provisions (excluding Floating Provisions)** | | | | | | |
| Opening balance of provisions held | | 820.39 | 15,615.37 | 19,317.71 | 35,753.47 | |
| Add: Fresh provisions made during the year | | | | | 3,601.85 | |
| Less: Excess provision reversed/ Write-off loans | | | | | 9,723.37 | |
| Closing balance of provisions held | | 1,392.48 | 10,644.20 | 17,595.27 | 29,631.95 | |
| **Net NPAs** | | | | | | |
| Opening Balance | | 3,545.30 | 6,306.62 | 0.00 | 9,851.92 | |
| Add: Fresh additions during the year | | | | | 4,366.98 | |
| Less: Reductions during the year | | | | | 6,165.29 | |
| Closing Balance | | 3,591.85 | 4,461.76 | 0.00 | 8,053.61 | 8,053.61 |

**Note:** Opening and closing balances of provisions for NPAs include ECGC claims received (FY 2022-23 ₹ 1048.64/FY 2021-22 ₹ 977.60) part payment received and kept in suspense account (FY 2022-23 ₹ 64.51 /FY 2021-22 ₹ 59.36), balance in sundries account in respect of NPA accounts (FY 2022-23 ₹ 877.02 /FY 2021-22 ₹ 922.04) and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured NPAs (FY 2022-23 ₹ 51.87 /FY 2021-22 ₹ 19.18)

**Floating Provisions as on 31.03.2023**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Opening Balance | | | | | | 0.00 |
| Add: Additional provisions made during the year | | | | | | 0.00 |
| Less: Amount drawn down15 during the year | | | | | | 0.00 |
| Closing balance of floating provisions | | | | | | 0.00 |

**Technical write-offs and the recoveries made thereon as on 31.03.2023**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts | | | | | | 34,913.49 |
| Add: Technical/ Prudential write-offs during the year* | | | | | | 8,182.77 |
| Less: Recoveries made from previously technical/ pru-dential written-off accounts during the year | | | | | | 2,744.01 |
| Closing balance | | | | | | 40,352.25 |

**Ratios**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Gross NPA to Gross Advances (in %) | 4.98 | 7.31 |
| Net NPA to Net Advances (in %) | 1.22 | 1.66 |
| Provision coverage ratio (in %) | 90.59 | 89.68 |

**(b) Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)**

| Sr. No. | Sector | 2023-24 | | | 2022-23 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | O/S Gross Advances | Gross NPAs | % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector | O/S Gross Advances | Gross NPAs | % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector |
| **A** | **Priority sector** | | | | | | |
| 1 | Agriculture and allied activities | 84,554.77 | 9,672.78 | 11.44 | 71,387.57 | 9,408.13 | 13.18 |
| 2 | Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 27,270.73 | 3,301.62 | 12.11 | 25,478.00 | 3,459.00 | 13.58 |
| 3 | Services | 47,078.04 | 5,768.04 | 12.25 | 41,523.22 | 5,323.26 | 12.82 |
| 4 | Personal loans | 22,678.67 | 922.40 | 4.07 | 22,441.03 | 909.92 | 4.05 |
| | **Sub-total (A)** | 1,81,582.21 | 19,664.84 | 10.83 | 160,829.82 | 19,100.31 | 11.88 |
| **B** | **Non Priority Sector** | | | | | | |
| 1 | Agriculture and allied activities | 45.54 | 0.01 | 0.02 | 30.45 | 1.13 | 3.71 |
| 2 | Industry | 1,45,063.01 | 3,767.23 | 2.60 | 143,215.73 | 8,568.53 | 5.98 |
| 3 | Services | 1,66,889.13 | 4,382.07 | 2.63 | 139,449.09 | 8,861.52 | 6.35 |
| 4 | Personal loans | 92,015.03 | 1,368.62 | 1.49 | 72,327.39 | 1,154.07 | 1.60 |
| | **Sub-total (B)** | 4,04,012.70 | 9,517.93 | 2.36 | 355,022.66 | 18,585.25 | 5.23 |
| | **Total (A+B)** | 5,85,594.91 | 29,182.77 | 4.98 | 515,852.48 | 37,685.56 | 7.31 |

**(c) Overseas Assets, NPAs and Revenue:**

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1 | Total Assets | 1,30,485.16 | 1,16,673.69 |
| 2 | Total NPAs | 6,799.87 | 8,243.92 |
| 3 | Total Revenue | 8,554.65 | 4,636.88 |

**(d) Particulars of resolution plan and restructuring**

**(i) Particulars of Resolution Plan**

As per RBI Circular No.DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets, as on March 31, 2024, Bank holds additional Provision of ₹ 2,102.49 in respect of 20 borrower accounts (exposure ₹ 6,412.15), where the viable Resolution Plan has not been implemented within 180 days / 365 days of review period.

**(ii) Disclosure on Stressed Assets:**

**(1) Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans:**

| Period | No. of borrowers taken up for flexible structuring | Amount of loans taken up for flexible structuring | | Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Classified as Standard | Classified as NPA | Before applying flexible structuring | After applying flexible structuring |
| Previous Financial Year | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Current Financial Year (From April 2023 to March 2024) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |

**(2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):**

| No. of accounts where SDR has been invoked | Amount outstanding as on the reporting date | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA |
| Nil | | | | | | |

**(3) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period):**

| No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership | Amount outstanding as on the reporting date | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place | | Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA | Classified as Standard | Classified as NPA |
| Nil | | | | | | | | |

**(4) Disclosure on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period):**

| No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership | Amount outstanding as on the reporting date | | |
|---|---|---|---|
| | Classified as Standard | Classified as Standard restructured | Classified as NPA |
| Nil | | | |

**(5) Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented:**

| Sr. No. | Aggregate Amount Out-standing | Amount Outstanding | | Provision Held |
|---|---|---|---|---|
| | | In Part A | In Part B | |
| **Classified as Standard** | | | | |
| 3<br>(3) | 236.84<br>(280.27) | 111.80<br>(112.05) | 125.04<br>(168.22) | 126.57<br>(76.68) |
| **Classified as NPA** | | | | |
| 3<br>(3) | 270.22<br>(281.83) | 59.86<br>(71.33) | 210.36<br>(210.49) | 270.22<br>(278.52) |
| Total | | | | |
| 6<br>(6) | 507.06<br>(562.10) | 171.66<br>(183.38) | 335.40<br>(378.71) | 396.79<br>(355.20) |

**(e) Divergence in asset classification and provisioning:**

As per RBI Master Direction No. RBI/DOR/2021-22/83 DOR.ACC.REC.No.45/21.04.018/2021-22 dated August 30, 2021 (updated as on 01.04.2024) on Financial statements – Presentation and Disclosures, divergence in the asset classification and provisioning, Banks should disclose divergences, if either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for non-performing assets (NPAs) assessed by RBI exceeds 5% of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period, and;

(b) the additional Gross NPAs identified by the RBI exceeds 5% of reported incremental Gross NPAs for the reference period.

Divergences are within threshold limits in the Bank as specified above. Hence, no disclosure is required with respect to Divergence in Asset Classification and Provisioning.

**(f) Disclosure of transfer of loan exposures:**

Disclosure of Transfer of Loan Accounts (SMAs & NPAs) in terms of RBI Circular No. DOR.STR.REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24, 2021:

a. The Bank has not transferred any loans not in default or Special Mention Accounts (SMA) during the year ended March 31, 2024.

b. Details of loans not in default acquired through pool buyout via assignment are given below:

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Aggregate amount of loans acquired (₹ in crore) | 1,440.85 | 667.43 |
| Weighted average residual maturity (in months) | 102.28 | 65.07 |
| Weighted average holding period by the originator (in months) | 9.01 | 15.28 |
| Retention of beneficial economic interest by the originator | 11.04% | 10% |
| Tangible security coverage | 198.11%* | 130% |

*The tangible security cover is only in case of secured pool amounting to ₹ 1093.75 crore.

c. During the year ended March 31, 2024 the Bank has not acquired any stressed (Non-Performing) Assets.

d. Details of Stressed Loans (NPAs) transferred during the year ended March 31, 2024:

| Sr. No. | Particulars | To ARCs | To permitted transferees | To other transferees |
|---|---|---|---|---|
| a. | No. of accounts | 12<br>(4) | --<br>(2) | -- |
| b. | Aggregate principal outstanding of loans transferred | 1,759.92*<br>(274.80) | --<br>(39.45) | -- |
| c. | Weighted average residual tenor of the loans transferred | --<br>(--) | --<br>(--) | -- |
| d. | Net book value of the loans trans-ferred (at the time of transfer) | 188.87<br>(--) | --<br>(--) | -- |
| e. | Aggregate consideration | 498.21<br>(124.63) | --<br>(14.76) | -- |
| f. | Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | --<br>(--) | --<br>(--) | -- |
| g. | Quantum of excess provisions re-versed to the Profit & Loss account on account of sale of stressed loans | 84.66<br>(124.63) | --<br>(14.76) | -- |

*includes Investment exposure of ₹ 280.02

e. Distribution of the Security Receipts (SRs) held across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2024:

| Recovery Rating Band | Book Value 2023-24 | Book Value 2022-23 |
|---|---|---|
| RR1+ | 0.00 | 0.00 |
| RR1 | 0.01 | 219.69 |
| RR2 | 253.72 | 43.48 |
| RR3 | 0.00 | 0.00 |
| RR4 | 0.00 | 0.00 |
| RR5 | 55.14 | 64.37 |
| Ratings Withdrawn | 1,541.23 | 1,658.97 |
| **Total** | **1,850.09** | **1,986.51** |

As per RBI guidelines Rating is not applicable post 8 years. The Bank has provided in full for the above Security Receipts.

**(fa) Profit from sale of NPA:**

| Sr. No. | Particular | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1 | Profit booked in respect of sale of NPA | 84.66 | 139.39 |

**(g) Fraud Accounts**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Number of frauds reported | *209 | 208 |
| Amount involved in fraud | *866.70 | 582.59 |
| Amount of provision made during this year for such frauds $ | 32.64 | 68.93 |
| Amount of provision made for such frauds $ | *653.73 | 561.69 |
| Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year | Nil | Nil |

*This includes 7 cases pertaining to earlier years, which were deactivated by RBI and which were re-reported as fraud cases on re-examination, with amount involved of ₹ 735.39 and outstanding balance as on 31st March, 2024 of ₹ 543.33. The Bank is holding 100% provision in this regard.

(h) In accordance with RBI circular No. DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 & RBI Circular No. DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated June 4, 2021 on Resolution Framework 2.0 –Resolution of COVID-19 related stress of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), the details of accounts restructured is as under:

(₹ in Crore except number of accounts)

| No. of Accounts | Amount as on 31.03.2024 | Provision Held |
|---|---|---|
| 50,148 | 1,790.69 | 179.06 |

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on September 30, 2023:

| Type of borrower | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of the previous half-year, i.e, March 31, 2023 (A) | Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended September 30, 2023 | Of (A) amount written off during the half-year ended September 30, 2023 | Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended September 30, 2023 | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e, September 30, 2023. |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Loans | 4,974.07 | 236.86 | 0.94 | 209.62 | 4,499.18 |
| Corporate persons* | 2,840.70 | 339.18 | 2.15 | 262.61 | 2,631.84 |
| Of which MSMEs | 2,446.74 | 339.18 | 2.15 | 212.64 | 2,252.25 |
| Others | 25.87 | 0.44 | 0.00 | 3.99 | 27.54 |
| Total | 7,840.64 | 576.48 | 3.09 | 476.23 | 7,158.56 |

In terms of RBI Circular No. DOR.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and DOR. STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0), the details of resolution plan as on March 31, 2024:

**March 31, 2024**

| Type of borrower | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of previous half year, i.e. September 30, 2023 (A) | Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2024 | Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2024 | Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ended March 31, 2024 | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e. March 31, 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Loans | 4,499.18 | 181.48 | 0.74 | 529.51 | 4,094.48 |
| Corporate persons* | 2,631.84 | 225.05 | 1.12 | 408.44 | 2,050.24 |
| Of which MSMEs | 2,252.25 | 225.05 | 1.12 | 349.65 | 1,790.69 |
| Others | 27.54 | 0.18 | 0.00 | 2.31 | 25.35 |
| **Total** | **7,158.56** | **406.71** | **1.86** | **940.26** | **6,170.07** |

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016

**March 31, 2023**

| Type of borrower | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan– Position as at the end of previous half year, i.e. September 30, 2022 (A) | Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ended March 31, 2023 | Of (A) amount written off during the half-year ended March 31, 2023 | Of (A) amount paid by the borrowers during the half- year ended March 31, 2023 | Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of this half-year, i.e. March 31, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Loans | 5,285.68 | 190.90 | 1.27 | 274.33 | 4,974.07 |
| Corporate persons* | 3,403.71 | 337.73 | 2.07 | 331.45 | 2,840.70 |
| Of which MSMEs | 2,704.86 | 241.04 | 2.07 | 210.20 | 2,446.74 |
| Others | 31.08 | 4.00 | 0.00 | 1.93 | 25.87 |
| **Total** | **8,720.47** | **532.63** | **3.34** | **607.71** | **7,840.64** |

*As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

## 5. Exposures

The Bank is lending to sectors, which are sensitive to asset price fluctuation.

**i. Exposure to Real Estate Sector, as compiled by management**

| Sr. No. | Category | | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direct Exposure | | 64,376.66 | 64,810.01 |
| | (a) | Residential Mortgages (include non-fund based (NFB) limits) | 59,299.09 | 59,232.26 |
| | | (i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below); | 41,952.77 | 39,718.49 |
| | | (ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector | 17,346.32 | 19,513.77 |
| | (b) | Commercial Real Estate- | 4,828.94 | 5,329.12 |
| | | Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include NFB limits; | 4,828.89 | 5,329.12 |
| | (c) | Investments in Mortgage Backed duties and other securitised Exposures | 248.63 | 248.63 |
| | | a) Residential | 0.00 | 0.00 |
| | | b) Commercial Real Estate | 248.63 | 248.63 |
| 2 | Indirect Exposure | | 17,067.95 | 28,482.99 |
| | Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank and Housing Finance Companies | | 17,067.95 | 28,482.99 |
| Total exposure to Real Estate Sector (1+2) | | | 81,444.61 | 93,293.00 |

**ii. Exposure to Capital Market**

| Sr. No | Category | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; | 683.43 | 1,182.40 |
| ii) | Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds; | 791.32 | 3.15 |
| iii) | Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; | 1.45 | 833.00 |
| iv) | Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | 1.75 | 0.00 |

| Sr. No | Category | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| v) | Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; | 902.04 | 1,598.37 |
| vi) | Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources; | 0.12 | 0.00 |
| vii) | Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues; | 0.00 | 0.00 |
| viii) | Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | 0.00 | 0.00 |
| ix) | Financing to stockbrokers for margin trading; | 0.00 | 0.00 |
| x) | All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | 228.17 | 247.29 |
| **Total Exposure to Capital Market** | | **2,608.28** | **3,864.21** |

**iii. Risk Category-wise Country Exposure:**

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table:

| Sr. No. | Risk Category | As at 31.03.2024 | | As at 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Exposure (Net) | Provision held | Exposure (Net) | Provision held |
| 1 | Insignificant | 54,110.54 | 38.34 | 74,144.61 | 65.21 |
| 2 | Low | 18,610.70 | 8.41 | 21,833.59 | 12.19 |
| 3 | Moderate | 7,321.81 | 0.00 | 1,392.11 | 0.00 |
| 4 | High | 228.84 | 0.00 | 176.39 | 0.00 |
| 5 | Very High | 2,580.82 | 0.00 | 5,597.18 | 0.00 |
| 6 | Restricted | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 7 | Off Credit | 21.84 | 0.00 | 14.67 | 0.00 |
| | **Total** | **82,874.54** | **46.75** | **1,03,158.95** | **77.40** |

**iv. Unsecured Advances**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| **Total Unsecured Advances of the Bank** | 1,13,537.16 | 1,03,362.87 |
| Out of which<br>i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral | 0.00 | 0.00 |
| ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above) | 0.00 | 0.00 |

**v. Factoring exposures:**

Bank has not taken any Export Factoring on non-recourse basis exposure during the financial year 2023-24.

**vi. Intra-group exposures** (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| A | Total amount of intra group exposures | 5,210.97 | 4,278.71 |
| B | Total amount of top 20 intra group exposure | 5,210.97 | 4,278.71 |
| C | % of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/ Customers | 0.62% | 0.58% |
| D | Details of breach of limits on intra group expo-sures and regulatory action thereon, if any. | Nil | Nil |

**vii. Unhedged Foreign Currency Exposure**

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| A | Opening balance provisions account | 70.58 | 76.26 |
| B | The quantum of provisions made in the accounting year | 16.77 | 8.56 |
| C | Amount Reverse during the accounting year | 15.27 | 14.24 |
| D | Closing balance in the provisions account | 72.09 | 70.58 |

The bank has a policy with regard to capital and provisioning requirements for exposure to entities with unhedged foreign currency exposure (UFCE) which is based on RBI Circulars.

As on 31.03.2024, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the additional Risk Weighted Assets on this

exposure is ₹ 535.49 (Previous Year ₹ 134.46). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 61.58 (Previous Year ₹ 15.46).

**viii. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:**

The Bank had taken single borrower exposure and Group Borrower exposure within the prudential limit prescribed by RBI.

| Sr. No. | Name of the Borrower | Exposure Ceiling | Limit Sanctioned | Outstanding as on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Single Borrower | | | |
| | None | NIL<br>(NIL) | NIL<br>(NIL) | NIL<br>(NIL) |
| 2. | Group Borrower | | | |
| | None | NIL<br>(NIL) | NIL<br>(NIL) | NIL<br>(NIL) |

**6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs**

**(a) Concentration of deposits:**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Total Deposits of twenty largest depositors | 44,030.38 | 51,369.55 |
| Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank | 5.97% | 7.67% |

**(b) Concentration of advances:**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Total Advances to twenty largest borrowers | 1,02,423 | 92,152 |
| Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank | 16.17% | 16.38% |

**(c) Concentration of exposures**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Total Exposure to twenty largest borrowers/customers | 102,688 | 99,146 |
| Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers | 11.87% | 12.85% |

**(d) Concentration of NPAs:**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Total Exposure to top twenty NPA accounts* | 3,310 | 7,415 |
| Percentage of exposure to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs | 11.34% | 19.68% |

* Net of Prudential Write-off (PWO) and Unrealised Interest (URI)

**7. Derivatives**

**(a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap**

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2024 | As at 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | The notional principal of swap agreements | 590.00 | 841.13 |
| ii) | Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements | 0.22 | 1.27 |
| iii) | Collateral required by the bank upon entering into swaps | No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premier corporate | |
| iv) | Concentration of Credit Risk arising from the swaps | There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year | There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year |
| v) | The fair value of the swap book | 0.22 | 1.80 |

**(b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

| Sr. No. | Particulars | As at 31.03.2024 | As at 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| (i) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise) | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | 0.00 | 0.00 |
| (iv) | Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | 0.00 | 0.00 |

There was no default and penalty imposed by Reserve Bank of India in Repo/Reverse Repo transactions and in RRC Account with RBI during the Financial year 2023-24.

### (c) Disclosures on risk exposure in derivatives

### i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit and Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

| Residual Maturity | Credit Conversion factor applied on Notional Principal Amount | |
|---|---|---|
| | Interest Rate Contract | Exchange Rate Contract |
| One year or less | 0.50% | 2.00% |
| Over one year to five years | 1.00% | 10.00% |
| Over five years | 3.00% | 15.00% |

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

### ii. *Quantitative Disclosures*

| Sr. No. | Particulars | Currency Derivatives | Interest Rate Derivatives |
|---|---|---|---|
| 1 | Derivatives (Notional Principal Amount) | | |
| | a) For hedging | 7467.49 | 0.00 |
| | | (5,742.84) | (241.13) |
| | b) For trading | 0.25 | 590.00 |
| | | (142.98) | (600.00) |
| 2 | Marked to Market Positions | | |
| | a) Asset (+) | 29.30 | 0.00 |
| | | (4.47) | (1.80) |
| | b) Liability (-) | 38.91 | 0.22 |
| | | (52.92) | (0.91) |
| 3 | Credit Exposure | 170.99 | 6.12 |
| | | (118.24) | (8.41) |

| Sr. No. | Particulars | Currency Derivatives | | Interest Rate Derivatives | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | | | | |
| | a) On hedging derivatives | 0.00 | | 0.00 | |
| | | (0.00) | | (0.06) | |
| | b) On trading derivatives | 0.00 | | 22.48 | |
| | | (0.00) | | (3.66) | |
| 5 | Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year | **Max** | **Min** | **Max** | **Min** |
| | a) On hedging | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (0.00) | (0.00) | (0.02) | (0.00) |
| | b) On trading | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 2.07 |
| | | (0.00) | (0.00) | (1.84) | (1.82) |

**(d) Credit Default Swaps**

The bank has not dealt with any Credit Default Swap in current as well as in the previous year.

**8. Disclosures relating to Securitisation**

The Bank has not floated any Special Purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2023-24 as well as during FY 2022-23.

**9. Off balance sheet SPVs sponsored**

| Name of the sponsored SPV | |
|---|---|
| Domestic | Overseas |
| NIL | NIL |

**10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Opening balance of amounts transferred to DEAF | 2,599.00 | 1,756.66 |
| Add : Amounts transferred to DEAF during year | 629.84 | 887.06 |
| Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims | 279.64 | 44.72 |
| Closing balance of amounts transferred to DEAF | 2,949.20 | 2,599.00 |

**11. Disclosure of Complaints**

(a) Summary information on complaints received by the bank from customers and from the OBOs [Offices of the Banking Ombudsman]

| Sr. No | | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| **Complaints received by the bank from its customers** | | | | |
| 1 | | Number of complaints pending at begin-ning of the year | 1,517 | 2,724 |
| 2 | | Number of complaints received during the year | 2,32,265 | 2,34,355 |
| 3 | | Number of complaints disposed during the year | 2,32,752 | 2,35,562 |
| | 3.1 | Of which, number of complaints rejected by the bank | 12,963 | 13,367 |
| 4 | | Number of complaints pending at the end of the year | 1,030 | 1,517 |
| **Maintainable complaints received by the bank from OBOs** | | | | |
| 5 | | Number of maintainable complaints re-ceived by the bank from OBOs | 4,602 | 4,636 |
| | 5.1 | Of 5, number of complaints resolved in fa-vour of the bank by BOs | 1,514 | 1,435 |
| | 5.2 | Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by BOs | 3,088# | 3,201* |
| | 5.3 | Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by BOs against the bank | 0 | 0 |
| 6 | | Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those ap-pealed) | 0 | 0 |

Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in RBIO Scheme 2021 and covered within the ambit of the Scheme.

* Out of this, one award was issued in one case against other bank

#Out of this, one Award was issued in one case but not against the Bank as the same was resolved through Advisory before the passing of Award.

**(b) Top five grounds of complaints received by the bank from customers**

| Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | Number of complaints pending at the beginning of the year | Number of complaints received during the year | % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year | Number of complaints pending at the end of the year | Of 5, number of complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ATM/Debit Cards | 1195 (2566) | 128585 (194544) | (-)33.90 ((-)57.38) | 428 (1195) | 0 (0) |
| Internet/ Mobile/ Electronic Banking | 114 (0) | 42382 (12158) | +248.59 ((-)16.13) | 315 (114) | 0 (0) |
| Account operation related | 126 (1) | 27227 (13120) | +107.52 (+38.92) | 36 (126) | 0 (0) |
| Advances/ Credit Related | 36 (4) | 4123 (2746) | +50.14 (+52.39) | 5 (36) | 0 (0) |
| Levy of charges | 2 (0) | 3141 (1976) | +58.95 (+14.48) | 3 (2) | 0 (0) |
| Others | 44 (153) | 26807 (9811) | +173.23 (+14.47) | 243 (44) | 0 (0) |
| **Total** | **1517 (2724)** | **232265 (234355)** | **(-)0.89 ((-)52.41)** | **1030 (1517)** | **0 (0)** |

**12. Disclosure of Penalties imposed by the Reserve Bank of India and other regulators**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949 and under other regulations | 1.68 | 1.01 |

During the year ended March 31, 2024, out of the above, penalty of ₹ 1.66 (₹ 1.01) has been imposed on the Bank by the Reserve Bank of India.

**13. Disclosure on remuneration:**

**(Amount in ₹)**

| Sr. No | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri Atanu Kumar Das | 0 | 28,89,579 |
| 2 | Shri Rajneesh Karnatak | 33,70,597 | 0 |
| 2 | Shri P. R. Rajagopal | 41,86,980 | 38,99,430 |
| 3 | Shri M Karthikeyan | 33,34,464 | 30,32,883 |
| 4 | Shri Swarup Dasgupta | 30,29,208 | 30,32,833 |
| 5 | Smt. Monika Kalia | 0 | 18,93,147 |
| 6 | Shri Subrat Kumar | 34,84,956 | 11,55,336 |
| 7 | Shri Rajiv Mishra | 2,81,400 | 0 |

**14. Other Disclosures**

**(a) Business Ratios**

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2024 (in %) | 31.03.2023 (in %) |
|---|---|---|---|
| (i) | Interest Income as a percentage to average Working Funds | 6.68 | 5.77 |
| (ii) | Non-interest income as a percentage to average Working Funds | 0.67 | 0.86 |
| (iii) | Cost of Deposits | 4.51 | 3.67 |
| (iv) | Net Interest Margin | 2.97 | 3.01 |
| (v) | Operating Profit as a percentage to aver-age Working Funds | 1.55 | 1.62 |
| (vi) | Return on Assets | 0.70 | 0.49 |
| (vii) | Business per employee (in ₹) | 25.87 | 22.47 |
| (viii) | Profit per employee (in ₹) | 0.123 | 0.076 |

**(b) Fees, remuneration received from Bancassurance Business:**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Life Insurance Business | 154.76 | 140.36 |
| Non-Life Insurance Business | 23.32 | 21.75 |
| Health Insurance Business | 17.42 | 11.99 |
| **Total** | **195.50** | **174.10** |

**(c) Fees, remuneration received from Marketing and Distribution:**

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Mutual Funds | 4.62 | 4.14 |
| **Total** | **4.62** | **4.14** |

**(d) Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):**

| Purchased during the year | Sold During the Year |
|---|---|
| 850.00<br>(3,000.00) | 3,300.00<br>(4,800.00) |

Bank has earned ₹ 61.50 by selling ₹ 3,300 in Priority Sector Lending Certificate (PSLCs) for Small Farmer & Marginal Farmer and purchased ₹ 850 in PSLC Agriculture with total expenses of ₹ 1.76. The net earning is ₹ 59.74.

**(e) Provisions and Contingencies:**

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Provision for Non-Performing Investments | 72.13 | 1,207.76 |
| Provision towards NPA | 4,109.49 | 3,601.85 |
| Provision made towards Income Tax<br>(including Deferred Tax) | 3,781.15 | 2,206.37 |
| Provision towards Standard Assets | (-)406.03 | 1,654.56 |
| **Other Provision & Contingencies** | | |
| • Provision for Sacrifice in Restructured Accounts | (-)217.48 | (-)64.80 |
| • Provision for Country Risk | (-)30.64 | 14.72 |
| • Other Provisions | 442.07 | 749.22 |
| **Total** | **7,750.69** | **9,369.68** |

**(f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS):**

RBI vide its circular DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 as recommended by RBI are under consideration of the Government of India. However, RBI requires all banks to submit Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) every half year. Accordingly, the Bank has been preparing and submitting to RBI Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) half-yearly with effect from September-2021, after seeking approval of Steering Committee formed for monitoring of implementation of Ind-AS in the Bank. The PFS are also presented to Audit Committee of Board and Board for information and reporting.

**(g) Payment of DICGC Insurance Premium:**

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| i) | Payment of DICGC Insurance Premium | 808.25 | 770.64 |
| ii) | Arrears in payment of DICGC premium | Nil | Nil |

**(h) Facilities granted to Directors and their relatives:**

Applicable only to UCBs

**(i) Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks**

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

Accordingly, Bank has recognised ₹ 142.40 (₹ 306.04) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2024 and the balance unamortised liability of ₹ 41.22 (₹183.63) has been carried forward. If the unamortised liability had been fully recognised in the Profit & Loss account by the Bank, the Net Profit (after tax) for the year ended March 31, 2024 would have been lower by ₹ 30.84 (₹119.46).

**(j)** In accordance with RBI circular no.DBRNo. BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 1, 2019, on "Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector – Restructuring of Advances", as amended from time to time, the details of MSME restructured accounts as on March 31, 2024 is as under:

| No. of accounts restructured | Amount | Provision held |
|---|---|---|
| 19,844<br>(43,194) | 530.71<br>(1,202.39) | 26.54<br>(60.12) |

**(k) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management):**

During the year 2023-24, the bank has not issued any Letter of Comfort on behalf of Subsidiaries.

During the year 2010-11, the bank had issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2024, no financial obligations have arisen on the above commitments.

**(l) Income Tax:**

i. Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 2,909.92 (previous year ₹ 355.86) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

ii. Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

**(m)** The Details of Number of Investors complaints for the year ended March 31, 2024: Pending at Beginning: Nil;

Received: 162; Disposed off: 161 and Pending at the end: 01.

**(n)** In accordance with the RBI guidelines, during the year ended March 31, 2024, Bank has shifted Central Government securities with a face value of ₹ 3,259.70 (Book Value ₹ 3,264.70) and State Government securities with a face value of ₹ 3,576.06 (Book Value ₹ 3,580.31) from HTM to AFS category. Further, Bank has not shifted any security from AFS to HTM category. Units of Venture Capital Fund for an amount of ₹ 2.53 Crore has been shifted from HTM to AFS category.

**(o)** In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2024, Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 3,265.74.

**(p)** Pursuant to bipartite agreement on wage revision with effect from November 1, 2022, Bank has made final provision of ₹ 110 Crore and ₹ 837 Crore for the quarter and year ended March 31, 2024, and total provision amount of ₹ 1,101 Crore has been held by the Bank as on March 31, 2024.

**(q)** Other Income includes commission and brokerage income, profit/loss on sale of assets, profit/loss on revaluation of investments (net) (including depreciation on performing investments), earnings from foreign exchange and derivative transactions, recoveries from accounts previously written off, dividend income, etc.

**(r)** The Board of Directors has recommended a dividend of ₹ 2.80 per equity share (28%) for the year ended March 31, 2024 subject to requisite approvals.

**(s)** Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall unadjusted impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/ adjustment of the above, is not likely to be significant.

**(t)** **Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income**

Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total income of the Bank.

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Recovery in written off accounts | 1,467.04 | 1,206.85 |

**Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS):**

**6.1 Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:**

**(i) Prior Period Items:**

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

**(ii) Change in accounting policy:**

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2023 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2022.

**6.2 Accounting Standard 9 – Revenue recognition**

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

**6.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:**

| Sr. No. | Particulars | FY 2023-2024 | | FY 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| **(i)** | **Principal actuarial assumptions used :** | | | | |
| | Discount Rate | 7.22% | 7.21% | 7.51% | 7.39% |
| | Rate of Return on Plan Assets | 7.77% | 7.47% | 6.87% | 7.67% |
| | Salary Escalation Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| | Attrition Rate Current | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| **(ii)** | **Table showing changes in Present value of Defined Benefit Obligation :** | | | | |
| | Liability at the beginning of the year | 2,070.55 | 18,996.40 | 1,898.52 | 17,889.53 |
| | Interest Cost | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | Current Service Cost | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | Past Service Cost | 0.00 | 326.05 | 0.00 | 122.42 |
| | Benefit Paid | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | Actuarial (gain)/loss on Obligation | 197.28 | 725.63 | 211.81 | 719.43 |
| | Liability at the end of the year | 2,289.02 | 20,430.10 | 2,070.55 | 18,996.40 |
| | Unrecognised past service cost | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 183.62 |
| | **Total Defined Benefit obligation** | **2,289.02** | **20,471.32** | **2,070.55** | **19,180.02** |
| **(iii)** | **Table showing changes in Fair value of Plan Assets :** | | | | |
| | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 2,055.47 | 18,459.42 | 1,887.32 | 17,604.64 |
| | Expected return on Plan Assets | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |

| Sr. No. | Particulars | FY 2023-2024 | | FY 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gratuity | Pension | Gratuity | Pension |
| | Contributions | 238.96 | 2,111.16 | 320.89 | 1,439.17 |
| | Benefit Paid | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 2,223.34 | 19,922.68 | 2,055.47 | 18,459.42 |
| | **Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised** | **(185.76)** | **(756.92)** | **(217.68)** | **(764.95)** |
| **(iv)** | **Actual return on Plan Assets :** | | | | |
| | Expected Return on Plan Assets | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | **Actual return on Plan Assets** | **171.09** | **1,351.79** | **125.25** | **1,288.14** |
| **(v)** | **Amount recognised in the Balance Sheet :** | | | | |
| | Liability at the end of the year | 2,289.02 | 20,471.32 | 2,070.55 | 19,180.02 |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 2,223.34 | 19,922.68 | 2,055.47 | 18,459.42 |
| | Unrecognised past service cost | 0.00 | 41.22 | 0.00 | 183.62 |
| | **Amount Recognised in the Balance Sheet** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| **(vi)** | **Expenses recognised in the Income-Statement :** | | | | |
| | Current Service Cost | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | Interest Cost | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | Expected Return on Plan Assets | (159.58) | (1,383.08) | (131.13) | (1,333.66) |
| | Expenses recognized relating to prior years | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Past Service Cost | 0.00 | 142.42 | 0.00 | 306.04 |
| | Actuarial (Gain) or Loss | 185.76 | 756.92 | 217.68 | 764.95 |
| | **Expense Recognised in P & L** | **289.55** | **1,897.97** | **324.78** | **1,874.89** |
| **(vii)** | **Balance Sheet Reconciliation :** | | | | |
| | Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet) | 15.09 | 536.98 | 11.20 | 284.88 |
| | Additional Past Service Cost | 0.00 | 183.63 | 0.00 | 0.00 |
| | Expenses as above | 289.55 | 1,897.97 | 324.78 | 1,874.89 |
| | Employer's Contribution | (238.96) | (2,111.16) | (320.89) | (1,439.17) |
| | Additional Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (183.62) |
| | **Amount Recognised in Balance Sheet** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| **(viii)** | **Category of Assets :** | | | | |
| | Central Government of India Securities | 15.24 | 2,597.01 | 15.30 | 2,329.69 |
| | Equity | 0.00 | 813.33 | 0.00 | 759.33 |
| | Corporate Bonds | 42.26 | 6,158.30 | 94.98 | 6,095.69 |
| | State Government Securities | 0.00 | 3,064.92 | 55.48 | 3,057.14 |
| | Insurance | 2090.00 | 6,740.13 | 1,852.39 | 5,810.69 |
| | Other | 75.84 | 548.99 | 37.32 | 406.88 |
| | **Total** | **2,223.34** | **19,922.68** | **2,055.47** | **18,459.42** |
| **(ix)** | **Experience Adjustment :** | | | | |
| | On Plan Liability (Gain)/Loss | 124.29 | 410.04 | 240.77 | 843.92 |
| | On Plan Asset (Loss)/Gain | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |

**Other long term employee benefits*:**

| Particulars | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liability | Provisions made/ (w/back) during the year | Liability | Provisions made/ (w/back) during the year |
| Leave Encashment | 1,206.35 | 5.31 | 1,201.04 | 17.28 |
| Leave Travel Concession | 62.79 | 0.21 | 62.58 | 0.17 |
| Resettlement Benefits | 8.52 | 0.45 | 8.07 | 0.36 |
| Milestone Awards | 4.64 | 0.05 | 4.59 | 0.04 |
| Sick Leave** | 3.08 | 0.08 | 3.00 | 0.00 |

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 445.17 (Previous Year ₹ 391.94) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 2,356.36(Previous Year ₹ 2,215.86) and towards Gratuity is ₹ 25.38 (Previous Year: ₹ 22.78).

**Surplus /Deficit in the Plan:**

| | Gratuity Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Particular** | **FY2023-24** | **FY2022-23** | **FY2021-22** | **FY2020-21** | **FY2019-20** |
| Defined benefit obligation | 2,289.02 | 2,070.55 | 1,898.52 | 1,935.33 | 1,747.81 |
| Plan assets | 2,223.34 | 2,055.47 | 1,887.32 | 1,930.63 | 1,649.47 |
| Unrecognised Transitional liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Surplus/(deficit) | (-)65.68 | (-)15.09 | (-)11.20 | (-)4.70 | 98.34 |
| Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss | 124.29 | 240.77 | 152.27 | 315.39 | (-)86.04 |
| Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain | 11.51 | (-)5.88 | (-)42.37 | 86.25 | 100.21 |

| | Gratuity Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Particular** | **FY2023-24** | **FY2022-23** | **FY2021-22** | **FY2020-21** | **FY2019-20** |
| Defined benefit obligation | 20,471.32 | 19,180.02 | 18,379.20 | 16,837.05 | 16,065.92 |
| Plan assets | 19,922.68 | 18,459.42 | 17,604.64 | 16,531.02 | 15,827.60 |
| Unrecognised Transitional liability | 41.22 | 183.62 | 489.67 | 0.00 | 0.00 |
| Surplus/(deficit) | (-)507.42 | (-)536.99 | (-)284.88 | (-)306.03 | (-)238.32 |
| Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss | 410.04 | 843.92 | 1,092.69 | 791.71 | 808.90 |
| Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain | (-)31.29 | (-)45.52 | (-)694.35 | (-)620.28 | 155.64 |

### 6.4 Accounting Standard 17 - Segment Reporting

**Part A: Business Segment**

| Business Segment | Treasury Operations (1) | | Wholesale Banking Operations (2) | | Retail Banking Operations (3) | | Digital Banking (3) (i) | | Other Retail Banking (3)(ii) | | (*)Other Banking Operations (4) | | Total (1+2+3+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| Revenue | 18,170.64 | 16,465.87 | 23,097.82 | 17,648.87 | 25,955.95 | 20,731.92 | 0.26 | 0 | 25,955.69 | 20,731.92 | 0.00 | 0.00 | 67,224.41 | 54846.66 |
| Unallocated revenue | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 646.53 | 490.44 |
| Less: Inter segment revenue | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1,066.60 | 589.49 |
| **Total Revenue** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **66,804.34** | **54,747.61** |
| Results | 4,706.80 | 5,295.52 | 784.06 | 166.71 | 6,759.91 | 2,392.35 | (-)0.75 | (-)0.38 | 6,760.66 | 2,392.73 | 0.00 | 0.00 | 12,250.77 | 7,854.58 |
| Unallocated Expenses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | (-)2,151.70 | (-)1,625.27 |
| Profit/(Loss) Before Tax | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 10,099.07 | 6,229.31 |
| Income Tax | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3,781.15 | 2,206.37 |
| Extraordinary Profit/ (Loss) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Net Profit/(Loss) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6,317.92 | 4,022.94 |
| **Other Information :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Segment Assets | 308,765.24 | 283,230.98 | 333,854.50 | 293,202.27 | 252,894.05 | 215,949.71 | 7.16 | 2.02 | 227,710.31 | 215,947.69 | 0.00 | 0.00 | 895,513.79 | 792,382.96 |

| Business Segment | Treasury Operations (1) | | Wholesale Banking Operations (2) | | Retail Banking Operations (3) | | Digital Banking (3) (i) | | Other Retail Banking (3)(ii) | | (*)Other Banking Operations (4) | | Total (1+2+3+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| Unallocated Assets | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17,084.13 | 23,172.65 |
| Total Assets | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 912,597.92 | 815,555.61 |
| Segment Liabilities | 287,690.56 | 267,321.61 | 319,774.68 | 287,056.88 | 227,748.20 | 193,707.89 | 7.89 | 2.40 | 227,740.31 | 193,705.49 | 0.00 | 0.00 | 835,213.44 | 748,086.38 |
| Unallocated Liabilities | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8,503.81 | 8,498.62 |
| **Total Liabilities** | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 843,717.25 | 756,585.00 |

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

**Part B: Geographical Segment**

| Geographical Segments | Domestic | | International | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | **2023-24** | **2022-23** | **2023-24** | **2022-23** | **2023-24** | **2022-23** |
| Revenue | 58,249.70 | 50,110.74 | 8,554.64 | 4,636.87 | 66,804.34 | 54,747.61 |
| Assets | 782,112.76 | 698,881.93 | 130,485.16 | 116,673.68 | 912,597.92 | 815,555.61 |

The Bank has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

**Primary Segment: Business Segments**

**a)** **Treasury:** 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.

**b)** **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities which are not included under Retail Banking.

**c)** **Retail Banking:** Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking.

Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs.

Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50 crore.

**Pricing of Inter-Segmental transfers**

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

**Allocation of Costs:**

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

**Secondary Segment: Geographical Segments**

a) Domestic Operations

b) International Operations

**6.5 Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):**

**I) List of Related Parties:**

**a. Key Managerial Personnel:**

| | |
|---|---|
| Managing Director & CEO: | Shri Atanu Kumar Das (superannuated on 19.01.2023)<br>Shri Rajneesh Karnatak (from 29.04.2023) |
| Executive Directors: | Shri P R Rajagopal<br>Shri Swarup Dasgupta (superannuated on 29.2.2024)<br>Shri M. Karthikeyan<br>Smt Monica Kalia (up to 15.11.2022)<br>Shri Subrat Kumar<br>Shri Rajiv Mishra (from 01.03.2024) |

**b. Subsidiaries**

i. BOI Shareholding Limited

ii. BOI Star Investment Managers Private Limited

iii. BOI Star Trustee Services Private Limited

iv. BOI Merchant Bankers Limited

v. PT Bank of India Indonesia Tbk

vi. Bank of India (Tanzania) Limited

vii. Bank of India (New Zealand) Limited

viii. Bank of India (Uganda) Limited

**c. Associates**

i. STCI Finance Limited

ii. ASREC (India) Limited

iii. Indo Zambia Bank Limited

**d. Regional Rural Banks sponsored by the Bank**

i. Madhya Pradesh Gramin Bank

ii. Vidharbha Konkan Gramin Bank

iii. Aryavart Bank

**e. Joint Venture:**

Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

**Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)**

| Particulars | With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures | | Key Management Personnel & their relatives | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Year ended 31.03.2024 | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2024 | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2024 | Year ended 31.03.2023 |
| Transactions during the period | | | | | | |
| Interest Received | - | - | - | - | - | - |
| Interest Paid | 698.96 | 745.65 | - | - | 698.96 | 745.65 |
| Dividend received | 8.61 | 6.82 | - | - | 8.61 | 6.82 |
| Other Income | 394.44 | 150.67 | - | - | 394.44 | 150.67 |
| Sale of Govt. Securities/Treasury Bills | - | - | - | - | - | - |
| Purchase of Govt. Securities/Treasury Bills | - | - | - | - | - | - |
| Puchase of Corporate Bonds and Other money market instruments | - | - | - | - | - | - |
| Deposits accepted | (18.04) | (90.59) | - | - | (18.04) | (90.59) |
| Matured Deposits | - | - | - | - | - | - |
| Loans Provided | - | - | - | - | - | - |
| Loans Repaid | - | - | - | - | - | - |
| Sale of NPA | - | - | - | - | - | - |
| Investments made | - | 57.92 | - | - | - | 57.92 |
| Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme | - | - | - | - | - | - |
| **Outstanding** | **As on 31.03.2024** | **As on 31.03.2023** | **As on 31.03.2024** | **As on 31.03.2023** | **As on 31.03.2024** | **As on 31.03.2023** |
| Payable | - | - | - | - | - | - |
| Deposits accepted | 118.61 | 136.65 | - | - | 118.61 | 136.65 |
| Borrowing | - | - | - | - | - | - |
| Loans given | 10.00 | 10.00 | - | - | 10.00 | 10.00 |
| Placement of the Deposits | - | - | - | - | - | - |
| Other Liabilities | - | - | - | - | - | - |
| Receivables (Advances) | - | - | - | - | - | - |
| Investments | 180.51 | 180.51 | - | - | 180.51 | 180.51 |

| Particulars | With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures | | Key Management Personnel & their relatives | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Year ended 31.03.2024 | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2024 | Year ended 31.03.2023 | Year ended 31.03.2024 | Year ended 31.03.2023 |
| Non Funded Commitment | - | - | - | - | - | - |
| Leasing / HP arrangements availed | - | - | - | - | - | - |
| Leasing / HP arrangements provided | - | - | - | - | - | - |
| Purchase of fixed assets | - | - | - | - | - | - |
| Sale of fixed assets | - | - | - | - | - | - |
| Other Assets | 7.16 | 7.66 | - | - | 7.16 | 7.66 |

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

6.6 **Accounting Standard 19 – Leases:-** Operating leases are cancellable at the option of the Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 717.00 (Previous Year: ₹ 676.84).

### 6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1. | Basic EPS | 14.90 | 9.80 |
| 2. | Diluted EPS | 14.90 | 9.80 |

**Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:**

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (A) | Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders | 6317.92 | 4,022.94 |
| (B) | Weighted Average Number of Equity shares (in crore) | 424.10 | 410.36 |
| (C) | Basic Earnings per Share (A/B) (₹) | 14.90 | 9.80 |
| (D) | Weighted Average Number of Equity shares including dilutive potential equity shares (in crore) | 424.10 | 410.36 |
| (E) | Dilutive Earnings per Share (A/D) (₹) | 14.90 | 9.80 |
| (F) | Nominal Value per Share (₹) | 10.00 | 10.00 |

### 6.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

#### 6.8.1 The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| | Deferred Tax Assets | | |
| i) | On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances | 3,716.83 | 7,735.86 |
| ii) | On account of timing difference towards other provisions/items | 234.23 | 165.61 |
| iii) | On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR) | 176.22 | 271.00 |
| iv) | Others | 394.70 | 579.34 |
| | **Total Deferred Tax Assets** | **4,521.98** | **8,751.81** |
| | **Deferred Tax Liabilities** | | |
| i) | On account of Depreciation on fixed assets | 151.25 | 96.26 |
| ii) | On account of interest accrued but not due on investments | 831.51 | 1,102.14 |
| iii) | On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961* | 659.40 | 915.53 |
| | **Total Deferred Tax Liabilities** | **1,642.16** | **2,113.93** |
| | **Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)** | **2,879.82** | **6,637.88** |

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

### 6.8.2 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Current Tax | 23.09 | 136.86 |
| Deferred Tax | 3,758.06 | 2,069.51 |
| Total Tax Expense | 3,781.15 | 2,206.37 |

During quarter ended September 30, 2023, the Bank exercised the irreversible option to shift from old tax regime under the Income-tax Act, 1961 to the new tax regime under section 115BAA of the Income-tax Act, 1961, effective from Assessment Year 2023-24. Resultantly, the deferred tax assets (net) as at June 30, 2023 has been re-measured based on the applicable tax rate as per the new regime, resulting in additional one-time charge ₹ 1,459.89 in the Profit and Loss Account in quarter ended September 30, 2023 and year ended March 31, 2024.

### 6.9 **Accounting Standard 24 -** Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of Overseas Operations, in Financial year 2019-20, the Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botaswana) Ltd. for consideration of ₹14.64 and remaining cost of investment of ₹ 19.18 has been fully provided.

For the Financial year 2023-24, we confirm that there is no disinvestment of our overseas subsidiaries.

### 6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹ 98.17) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

| Sr. No. | Name of the Company | Amount | Country of Residence | Holding % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd. | 98.17 | India | 28.96% |

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **Liabilities** | | |
| Capital & Reserves | 353.62 | 307.51 |
| Deposits | - | - |
| Borrowings | - | - |
| Other Liabilities & Provisions | 6,972.39 | 5,405.48 |
| **Total** | **7,326.01** | **5,712.99** |
| **Assets** | | |
| Cash and Balances with Reserve Bank of India | 94.04 | 90.85 |
| Balances with Banks and Money at call and short notice | - | - |
| Investments | 6,939.28 | 5,419.83 |
| Advances | 12.54 | 7.17 |
| Fixed Assets | 19.52 | 14.75 |
| Other Assets | 260.63 | 180.39 |
| **Total** | **7,326.01** | **5,712.99** |
| Capital Commitments | - | - |
| Other Contingent Liabilities | 39.26 | 33.69 |
| **Income** | | |
| Interest Earned | 22.63 | 17.14 |
| Other Income | 57.83 | 38.23 |
| **Total** | **80.46** | **55.37** |
| **Expenditure** | | |
| Interest Expended | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| Operating Expenses | 33.19 | 18.34 |
| Provisions & Contingencies | (-)0.48 | 0.21 |
| **Total** | **32.71** | **18.55** |
| **Profit / (Loss)** | **47.75** | **36.82** |

**6.11 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil**

**6.12 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)**

**A. Movement of Provisions for contingent liabilities:**

| Particulars | Legal cases/contingencies* | |
|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 |
| Opening Balance | 64.09 | 61.02 |
| Provided during the year | 26.74 | 4.07 |
| Amounts used during the year | 2.23 | 1.00 |
| Closing Balance | 88.60 | 64.09 |
| Timing of outflow/uncertainties | Outflow on settlement /Crystallization | |

*Excluding provisions for others

**B. Contingent Liabilities:**

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals and the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. Figures of the previous period have been regrouped / reclassified, wherever considered necessary to conform to the current period's classification.

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में,**
**बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्य**

## एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

### मत

1) हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक')** के एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र, संबंधित वर्ष के अंत में लाभ-हानि विवरणी तथा नकद प्रवाह की विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित एकल वित्तीय विवरणियों पर नोट्स एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं जिसमें उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के विवरण शामिल हैं:

(i) हमारे द्वारा 20 घरेलू शाखाओं, ट्रेजरी शाखाओं तथा डिजिटल बैंकिंग विभागों और 14 अन्य कार्यालयों (प्रधान कार्यालय और एनबीजी कार्यालय) की लेखापरीक्षा की गई;

(ii) संबंधित सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 2860 घरेलू शाखाओं तथा 84 प्रसंस्करण केन्द्रों की लेखापरीक्षा की गई; और

(iii) संबंधित स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा 22 विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा की गई।

बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 2267 घरेलू शाखाओं तथा 01 विदेशी शाखा की विवरणी भी शामिल है जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं से 7.24% अग्रिम, 17.68% जमाराशियाँ, 5.95% ब्याज आय तथा 14.29% ब्याज व्यय संबंधित है।

2. हमारे विचार से एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियाँ, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुरूप जानकारी देती हैं तथा यह भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं और

क) तुलन पत्र, उस पर दिए गए नोट्स सहित, एक सम्पूर्ण और स्पष्ट तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, इसे उपयुक्त ढंग से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च 2024 तक के बैंक के मामलों की स्थिति का सही और स्पष्ट नजरिया प्रदर्शित किया जा सके;

ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी के संबंध में सही व उचित स्थिति।

### मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी "लेखा-परीक्षा पर मानक"(एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें आईसीएआई लेखांकन मानक शामिल हैं, जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन यथासंशोधित हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत का आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### मामलों का प्रभाव

4. हम ध्यान आकर्षित करते हैं:

(i) संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची-18 का नोट संख्या 14 (i), जो रु.612.09 करोड़ की राशि फैमिली पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में है। बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए रु. 142.40 करोड़ लाभ तथा हानि खाते को प्रभारित किया है तथा रु. 41.22 करोड़ के शेष अपरिशोधित व्यय को आगे ले जाया गया है।

(ii) संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची-18 का नोट संख्या 6.8.2, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए बैंक के अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करने के बारे में है, 31 मार्च, 2023 और उसके बाद के वित्तीय वर्षों के लिए प्रभावी है और परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों (निवल) के पुनर्मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि खाते में रु. 1,459.89 करोड़ के अतिरिक्त एकमुश्त प्रभार के संबंध में है।

इस मामले में हमारा मत परिवर्तित नहीं है।

### महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

5. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है,

जिनका विवरण निम्नलिखित है:

| क्र. सं. | महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले | महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी मानदंडों (आईआरएसी मानदंड) का अनुपालन।<br><br>**अग्रिम :**<br><br>बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के संबंध में हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है।<br><br>अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण के लिए खातों की पहचान करता है तथा प्रावधानीकरण करता है।<br><br>यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।<br><br>बैंक ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से एनपीए खातों की पहचान तथा वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को कार्यान्वित किया है। | भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों /परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है।<br><br>**अग्रिम:** हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:<br><br>क) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना।<br><br>ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं।<br><br>ग) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों को आईआरएसी मानदंडों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है।<br><br>घ) हमें आबंटित शाखाओं की, लेखा-परीक्षण के दौरान, हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है।<br><br>ङ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। |
| | **निवेश :** भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वर्गीकृत करना है।<br><br>निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है।<br><br>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएसई/एनएसई, एफआईएमडीए/ एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।<br><br>यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।<br><br>बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 61.71% तथा 24.89% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामकीय अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है। | **निवेश:**<br><br>हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:<br><br>क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना।<br><br>ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।<br><br>ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।<br><br>घ) आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा किया गया है। |

| क्र. सं. | महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले | महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया |
|---|---|---|
| 2 | **अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन**<br>आयकर मुकदमों सहित बैंक अनेक मुकदमों में शामिल है। जिनमें उन मुकदमों के खिलाफ विवादित दावे शामिल हैं, जो विभिन्न न्यायालयों/फोरम में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। बैंक के अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की प्रयोज्यता के बारे में भी विवादित मामले हैं।<br>परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है और कोई भी अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और बैलेंस शीट में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। | हमारे लेखा-परीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है:<br>क) मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। साथ ही प्रबंधन से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण किए गए कर निर्धारणों और नवीनतम आदेशों, विभिन्न कर अधिकारियों से प्राप्त संचार और दायर अपीलों का विवरण प्राप्त किया।<br>ख) कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का मूल्यांकन करना। इसमें इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर विचार करना शामिल है।<br>ग) सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों की स्थिति और वर्ष में प्रबंधन के निर्णयों में किसी भी बदलाव को समझने के लिए प्रबंधन की कर टीम के साथ चर्चा की। दर्ज किए गए अनुमानों के हमारे आकलन का मूल्यांकन करने और दर्ज किए गए प्रावधानों की पूर्णता का मूल्यांकन करने और इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, इसके लिए कर अधिकारियों और कंपनी के बाहरी कर सलाहकारों/वकीलों के साथ पत्राचार का भी अध्ययन किया। |
| 3. | **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:**<br>क) संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरणी तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट देना आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर बहुत अधिक निर्भर है।<br>हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। | हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:<br>क) बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश तथा लेखापरीक्षा अवधि के दौरान हुए प्रमुख परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की, जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।<br>ख) बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न आईएस लेखा परीक्षकों/परामर्शदाताओं की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा आईआरएसी स्वचालन नियंत्रण सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की गई।<br>ग) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।<br>घ) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाएं निष्पादित करने की आवश्यकता को पहचाना, हमने मैनुअल प्रतिपूरक नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे कि प्रणालियों और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य स्थापित करना या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमने अपने नमूना आकार को बढ़ाया। |

## वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से भिन्न जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो हमें अनुमानतः इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

एकल वित्तीय विवरणी पर हमारा मत, अन्य जानकारियों तथा बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटनों को शामिल नहीं करता है तथा इस पर हम किसी प्रकार के आश्वासन एवं निष्कर्ष, व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी, अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करने में यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारियाँ वित्तीय विवरणियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से असंगत तो नहीं है या लेखा-परीक्षा या अन्यथा प्राप्त हमारा ज्ञान गंभीर रूप से गलत प्रस्तुत किया गया तो नहीं लग रहा है।

जब हम अन्य जानकारी का अध्ययन करते हैं तथा यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई गलत जानकारी है तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रशासन के प्रभारी को उक्त मामले के विषय में बताएं तथा लागू कानूनों एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

## एकल वित्तीय विवरणी के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी

7. बैंक का निदेशक मण्डल, इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा बैंक के नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। उक्त विवरणी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों एवं समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों के अनुसरण में हैं। इस जिम्मेदारी में, निम्नलिखित शामिल हैं - बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधड़ियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग; विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

8. एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, संबंधित निदेशक मंडल, बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता का मूल्यांकन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों का प्रकटन, जो भी लागू हो तथा लेखांकन में संस्था की निरंतरता के आधार का प्रयोग, जब तक कि बैंक का प्रबंधन बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद न करना चाहते हों या ऐसे करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न हो, हेतु उत्तरदायी है।

9. बैंक के निदेशक मंडल, बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

## एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

10. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि एकल वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण, यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा, यदि अलग-अलग या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होते हैं।

11. मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम लेखा-परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों का ध्यान रखन वाली लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरुद्ध कार्य करना शामिल हो सकते हैं।

- वर्तमान परिस्थितियों में उचित लेखा-परीक्षा प्रक्रिया को तैयार करने के लिए लेखा-परीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण को समझना। आरबीआई के पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 के अपेक्षानुसार, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं निदेशक मण्डल द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करना।

- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी, प्रबंधन के उपयोग को उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक को संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक को संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन।

गंभीरता, वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्वता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ

सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण में लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

## अन्य मामले

12. हमने बैंक की एकल वित्तीय विवरणी में शामिल 2860 शाखाओं तथा 84 प्रोसेसिंग केन्द्रों सहित 22 विदेशी शाखाओं की वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी, यथा 31 मार्च 2024 को रु. 4,17,244.17 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु. 29,148.86 करोड़ के कुल राजस्व दर्शाते हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों में विचारित हैं। ये शाखाएं तथा प्रोसेसिंग केन्द्र यथा 31 मार्च 2024 को 55.66%अग्रिमों, 80.78% जमाराशियों तथा 52.11% अनर्जक आस्तियों और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए 44.42% राजस्व को कवर करते हैं। इन शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखापरीक्षा, शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा हमारी राय, जो इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है वह पूर्णरूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

13. अपने लेखापरीक्षण में, हमने 2267 घरेलू शाखाओं और एक विदेशी शाखा के संबंध में संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित विवरणों पर ध्यान दिया है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएँ 31 मार्च 2024 तक अग्रिमों का 7.24%, जमाराशियों का 17.68% और अनर्जक आस्तियों का 6.74% और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के लिए राजस्व का 6.72% कवर करती हैं।

14. विवरण में 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े शामिल हैं, जिनका लेखापरीक्षण तीन लेखापरीक्षा फर्मों के के रूप में एक संयुक्त लेखापरीक्षकों के समूह द्वारा किया गया है, जिन्होंने 6 मई, 2023 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है, और उन तीन लेखापरीक्षा फर्मों में से एक ऑडिट फर्म सतत है।

इस मामले के संदर्भ में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

## अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

15. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

16. उपर्युक्त लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों (पैरा 10, 11), प्रबंधन जिम्मेदारियों (पैरा 7,8,9) और अन्य मामलों (पैरा 12,13,14) पर पैराग्राफ में बताई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है तथा वे संतोषजनक हैं;

   ख. हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं, और

   ग. बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रही हैं।

17. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं" पर पत्र सं. डीओएस.एआरजी. सं. 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020, जिसे आरबीआई द्वारा जारी अनुवर्ती संप्रेषण दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाए, की अपेक्षानुसार, हम उपर्युक्त पत्र के अनुच्छेद 2 में विनिर्दिष्ट मामलों पर रिपोर्ट देते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

   क. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणयां, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन करती हैं, उस सीमा तक जहां तक वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों के साथ असंगत नहीं है।

   ख. ऐसे वित्तीय संव्यवहारों/मामलों पर कोई अवलोकन या टिप्पणी नहीं हैं, जिससे बैंक के कार्य निष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

   ग. जैसा कि बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने की अयोग्यता बैंक पर लागू नहीं होती है।

   घ. खातों के प्रबंधन और उनसे संबंधित अन्य मामलों के संदर्भ में कोई शर्त, शंका या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

   ङ. आर.बी.आई के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 के द्वारा यथा आवश्यक, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा परिचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दी गई है। हमारी रिपोर्ट यथा 31 मार्च, 2024 को वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपरिवर्तित मत प्रकट करता है।

18. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क. संबंधित बहियों के हमारे परीक्षण से हमारी राय में, यह प्रतीत होता है कि विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ, बैंक द्वारा उचित रूप से रखी गई हैं और जिन शाखाओं एवं प्रसंस्करण केन्द्रों का हमने दौरा नहीं किया है, उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं।

ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं तथा प्रसंस्करण केन्द्रों से प्राप्त बही खातों और विवरणियों से मेल खाते हैं,

ग. बैंकिग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है, और

घ. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखांकन मानकों का, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक, अनुपालन करते हैं।

| | |
|---|---|
| कृते **मुंकुद एम चितले एवं कंपनी**<br>**सनदी लेखाकार,**<br>**(एफआरएन: 106655डब्ल्यू)**<br><br>**नीलेश आरएस जोशी**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 114749**<br>**यूडीआईएन: 24114749बीकेसीबीवाईआई6008** | कृते **एस. जयकिशन**<br>**सनदी लेखाकार**<br>**(एफआरएन: 309005ई)**<br><br>**रितेश अगरवाल**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 062410**<br>**यूडीआईएन: 24062410बीकेसीवाईएमटी3957** |
| कृते **ए. बाफना एंड कं.**<br>**सनदी लेखाकार,**<br>**(एफआरएन: 003660सी)**<br><br>**मुकेश कुमार गुप्ता**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 073515**<br>**यूडीआईएन: 24073515बीकेजीक्यूजीवी2357** | कृते **एससीवी एवं कं. एलएलपी**<br>**सनदी लेखाकार,**<br>**(एफआरएन: 000235एन/एन500089)**<br><br>**अनुज ढींगरा**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 512535**<br>**यूडीआईएन: 24512535बीकेसीएक्सडीवी4697** |

स्थान - मुंबई
दिनांक - 10 मई, 2024

## स्वतंत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

(31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों को सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 17 (ड़) का संदर्भ लें।)

**भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे "आरबीआई") के पत्र डीओएस.एआरजी.संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संप्रेषण") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

### मत

1. हमने संबंधित तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) की इस एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के साथ तथा 31 मार्च, 2024 को बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा की है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है।

2. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे पैराग्राफ "अन्य मामले" में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, बैंक के पास, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. बैंक का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार होगा जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उक्त आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित किया गया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल होगा जो उसके कारोबार के व्यवस्थित तथा दक्ष परिचालन को सुनिश्चित करते हुए प्रभावी रूप से परिचालित बनाये हुए था। इस जिम्मेदारी में बैंक की नीतियों का पालन, बैंक की आस्तियों की रक्षा, धोखाधडियों एवं गलतियाँ की रोकथाम तथा पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता तथा पूर्णता तथा बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के अंतर्गत यथा आवश्यक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परीपत्र तथा दिशा-निर्देशों द्वारा जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समयपूर्वक तैयारी भी शामिल है।

### लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (""आईसीएआई"") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा-परीक्षा पर गइडेंस नोट (""गाइडेंस नोट"") तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन पर मानक (एस.ए), आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा-परीक्षा पर लागू होने की सीमा तक के अनुसरण में अपनी लेखा-परीक्षा की है। उन मानकों तथा उक्त गाइडेंस नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा यह सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ तथा लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा क्या सभी महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में ऐसे नियंत्रणों ने ठीक प्रकार से काम किया है।

5. हमारी लेखा-परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा उनकी परिचालनात्मक प्रभावशीलता के विषय में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल थी। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का मूल्यांकन करना कि कोई गंभीर कमजोरी मौजूद है तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जाँच एवं उसका मूल्यांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा-परीक्षा में शामिल था। चयनित प्रक्रिया, लेखा-परीक्षक के निर्णय पर आश्रित होगी, जिसमें धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरणियों की गंभीर गलती के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है।

6. हम मानते हैं कि निम्नलिखित अन्य मामले शीर्षक के निम्नलिखित अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

### एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर भरोसे तथा सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त भरोसे को उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं तथा यह पर्याप्त विस्तार से बैंक की आस्तियों की प्रकृति तथा संबंधित संव्यवहारों को ठीक प्रकार से तथा सही रूप में बताती हैं; (2) पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने को संभव बनाने के लिए यथा आवश्यक संव्यवहारों को दर्ज किया जाता है तथा बैंक की प्राप्तियाँ तथा व्यय बैंक के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किये जाते हैं तथा (3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अर्जन, प्रयोग या डिस्पोजिशन की समयपूर्वक पहचान या बचाव के संबंध में पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराना,

जिसका वित्तीय विवरणियों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है।

### वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

8. आपसी मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन के नियंत्रणों के ऊपर हावी होने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय कंट्रोल की अंतर्निहित सीमाओं के कारण गलती से या धोखाधड़ी के कारण गंभीर गलत विवरणी की प्रस्तुति हो सकती है तथा ऐसा भी संभव है कि यह पकड़ी न जाए। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का पूर्वानुमान जोखिमों के अध्यधीन है। उक्त जोखिम यह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या पॉलिसियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर कम हो सकता है।

### अन्य मामले

9. हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहाँ तक कि वह भारत में स्थित 2860 घरेलू शाखाओं और 84 प्रोसेसिंग केंद्रों तथा 22 विदेशी शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा-परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं।

इसके अतिरिक्त अंतर कार्यालय खातों के परिचालन पर नियंत्रण को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

इस संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

| | |
|---|---|
| कृते **मुंकुद एम चितले एवं कंपनी**<br>**सनदी लेखाकार,**<br>**(एफआरएन: 106655डब्ल्यू)**<br><br>**नीलेश आरएस जोशी**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 114749**<br>**यूडीआईएन: 24114749बीकेसीबीवाईआई6008** | कृते **एस. जयकिशन**<br>**सनदी लेखाकार**<br>**(एफआरएन: 309005ई)**<br><br>**रितेश अगरवाल**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 062410**<br>**यूडीआईएन: 24062410बीकेसीवाईएमटी3957** |
| कृते **ए. बाफना एंड कं.**<br>**सनदी लेखाकार,**<br>**(एफआरएन: 003660सी)**<br><br>**मुकेश कुमार गुप्ता**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 073515**<br>**यूडीआईएन: 24073515बीकेजीक्यूजीवी2357** | कृते **एससीवी एवं कं. एलएलपी**<br>**सनदी लेखाकार,**<br>**(एफआरएन: 000235एन/एन500089)**<br><br>**अनुज ढींगरा**<br>**भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 512535**<br>**यूडीआईएन: 24512535बीकेसीएक्सडीवी4697** |

स्थान - मुंबई
दिनांक - 10 मई, 2024

# INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The Members of Bank of India

## Report on Audit of the Standalone Financial Statements

### Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Standalone Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

    (i) 20 Domestic branches, Treasury Branch, Digital Banking department and 14 other offices (Head-office and NBG Offices) audited by us;

    (ii) 2860 domestic branches and 84 processing centres audited by respective Statutory Branch Auditors and

    (iii) 22 Foreign branches audited by respective local Auditors.

    The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement are the returns from 2267 domestic branches and one foreign branch which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 7.24% of advances, 17.68% of deposits, 5.95% of interest income and 14.29% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for the bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

    a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2024;

    b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit; and

    c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

### Emphasis of Matter

4. We draw attention to:

    (i) Note No. 14 (i) of Schedule-18 of the accompanying Standalone Financial Statements, regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 612.09 Crores. The Bank has charged an amount of Rs. 142.40 Crores to the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024, and balance unamortized expense of Rs. 41.22 Crores has been carried forward.

    (ii) Note No. 6.8.2 of Schedule-18 of the accompanying Standalone Financial Statements, regarding Bank's exercising the irreversible option to shift to the new tax regime under section 115BAA of the Income-tax Act, 1961, effective for the financial year ended March 31, 2023, and onwards and resultant additional one-time charge of Rs. 1,459.89 Crores in the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024 on account of remeasurement of deferred tax assets (net).

    Our opinion is not modified in respect of this matter.

### Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

| S. No. | Key Audit Matters | Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| 1 | Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)<br><br>Advances: Bank has to classify the accounts as performing advances or non-performing advances based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning.<br><br>Identification of performing and non-performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India.<br><br>The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.<br><br>The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software.<br><br>Investments: Bank has to classify the investments as performing or non-performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India.<br><br>Identification of performing and non-performing investments is generally system driven.<br><br>The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc.<br><br>The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.<br><br>Advances and Investments constitute 61.71% and 24.89% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter. | We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank.<br><br>Advances: Our audit procedure included:<br><br>a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances.<br><br>b) Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.<br><br>c) Communication to the Statutory Branch Auditors (SBAs) to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the SBAs.<br><br>d) Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us.<br><br>e) Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank.<br><br>Investments: Our audit procedure included:<br><br>a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments.<br><br>b) Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.<br><br>c) Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines.<br><br>d) Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank. |
| 2 | Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities<br><br>The Bank has various litigations including Income-tax litigations, involving disputed claims against those litigations, which are pending at various courts / forums and are at various stages in the judicial process. Bank has also disputes regarding availability of input credits / applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. | Our audit procedure included:<br><br>a) Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Also obtained details of completed tax assessments and latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed till the year ended March 31, 2024, from the management.<br><br>b) Evaluating the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. This includes considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions. |

| S. No. | Key Audit Matters | Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning and any unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. | c) Discussed with management's tax team to understand the status of all significant provisions, and any changes to management's judgements in the year. Also read the correspondence with tax authorities and Company's external tax advisors / lawyers to evaluate our assessment of recorded estimates and evaluate the completeness of the provisions recorded and whether any change was required to management's position on these uncertainties. |
| 3 | <u>Assessment of Information Technology (IT):</u><br>a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.<br>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. | <u>Our audit procedure included:</u><br>a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.<br>b) Reviewed the Reports of various IS Auditors / Consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls.<br>c) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.<br>d) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence. |

## Information Other than the Financial Statements and Auditors Report thereon

6. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the Other Information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement (including annexures in the Annual Report) but does not include the Standalone Financial Statements and our Auditor's report thereon, which is expected to be made available for us after the date of this Auditors' Report.

   Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements. or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

   Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

8. In preparing the Standalone Financial Statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

9. The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

10. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

11. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. As required by the RBI letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended), we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls with reference to the Standalone Financial Statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

## Other Matter

12. We did not audit the financial statements / financial information of 2860 branches and 84 processing centres including 22 foreign branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose financial statements/financial information reflects total assets of Rs.4,17,244.17 Crore at March 31, 2024 and total revenue of Rs. 29,148.86 Crore for the year ended on that date as considered in the Standalone Financial Statements. These branches and processing centres cover 55.66% of advances, 80.78 % of deposits and 52.11% of Non-performing assets as on March 31 2024 and 44.42 % of revenue for the period April 1, 2023 to March 31, 2024.The Financial statements/financial information of these branches and processing centres have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches and processing centres, are solely based on the report of such branch auditors.

13. In conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 2267 domestic branches and one foreign branch certified by the respective branch's management. These unaudited branches cover 7.24% % of advances, 17.68 % of deposits and 6.74 % of non-performing assets as on March 31 2024 and 6.72% of revenue for the period April 1, 2023 to March 31 2024.

14. The accompanying Standalone Financial Statements includes comparative figures for the year ended March 31, 2023, which have been audited by an earlier set of three audit firms as joint auditors, who have expressed unmodified opinion vide their audit report dated May 6, 2023, and one of those three audit firms is a continuing audit firm.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

15. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

16. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs on Auditor's Responsibilities (para 10, 11), Management Responsibilities (para 7,8,9) and Other matters (para 12,13,14) above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

    a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

    b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

    c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

17. As required by letter No. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks–Reporting obligations for SCAs from FY: 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

    a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

    b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

    c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

    d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

    e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting as required by the RBI Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) is given in Annexure-A to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting as at March 31, 2024.

18. We further report that:

    a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches and processing centres not visited by us;

    b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches and processing centres not visited by us;

    c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

    d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

| | |
|---|---|
| **For Mukund M Chitale & Co.<br>Chartered Accountants<br>(FRN: 106655W)<br><br>Nilesh RS Joshi<br>Partner // ICAI M. No. 114749<br>UDIN: 24114749BKCBYI6008** | **For S. Jaykishan<br>Chartered Accountants<br>(FRN: 309005E)<br><br>Ritesh Agarwal<br>Partner // ICAI M. No. 062410<br>UDIN: 24062410BKCYMT3957** |
| **For A. Bafna & Co.<br>Chartered Accountants<br>(FRN: 003660C )<br><br>Mukesh Kumar Gupta<br>Partner // ICAI M. No. 073515<br>UDIN: 24073515BKGQGV2357** | **For SCV & Co. LLP<br>Chartered Accountants<br>(FRN:000235N / N500089)<br><br>Anuj Dhingra<br>Partner // ICAI M. No. 512535<br>UDIN: 24512535BKCXDV4697** |

Place: Mumbai
Date: May 10, 2024

## Annexure-A to Independent Auditors' Report

**Referred to in Paragraph 17 (e) of the Independent Auditors' Report of even date to the members of Bank of India on the Standalone Financial Statements for the year ended March 31, 2024**

**Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")**

### Opinion

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of Bank of India ("the Bank") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements of the Bank's branches.

2. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements and such Internal Financial Controls over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements were operating effectively as at March 31, 2024, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI").

### Management's Responsibility for Internal Financial Controls

3. The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

### Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

5. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

6. We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

### Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting with reference to Standalone Financial Statements

7. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

### Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

8. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements to future periods are

subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting with reference to Standalone Financial Statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

## Other Matters

9. Our aforesaid report, insofar as it relates to the operating effectiveness of internal financial controls over financial reporting of 2860 domestic branches and 84 processing centres and 22 foreign branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Further the control over operations of inter office accounts need to be further strengthened.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

| | |
|---|---|
| **For Mukund M Chitale & Co.**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN: 106655W)**<br><br>**Nilesh RS Joshi**<br>**Partner // ICAI M. No. 114749**<br>**UDIN: 24114749BKCBYI6008** | **For S. Jaykishan**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN: 309005E)**<br><br>**Ritesh Agarwal**<br>**Partner // ICAI M. No. 062410**<br>**UDIN: 24062410BKCYMT3957** |
| **For A. Bafna & Co.**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN: 003660C )**<br><br>**Mukesh Kumar Gupta**<br>**Partner // ICAI M. No. 073515**<br>**UDIN: 24073515BKGQGV2357** | **For SCV & Co. LLP**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN:000235N / N500089)**<br><br>**Anuj Dhingra**<br>**Partner // ICAI M. No. 512535**<br>**UDIN: 24512535BKCXDV4697** |

Place: Mumbai
Date: May 10, 2024

# बैंक ऑफ़ इंडिया

## समेकित

## तुलन-पत्र

### यथा 31 मार्च, 2024

### एवं

### 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

## लाभ एवं हानि खाता

# BANK OF INDIA

## CONSOLIDATED
## BALANCE SHEET

### As at 31st March, 2024

### &

## PROFIT AND LOSS ACCOUNT

### For the Year Ended 31st March, 2024

# 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र
# CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2024

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

| विवरण | Particulars | अनुसूची Schedule No. | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|---|
| I. पूँजी एवं देयताएं | I. CAPITAL AND LIABILITIES | | | |
| पूँजी | Capital | 1 | 45,534,070 | 41,043,052 |
| आरक्षिती एवं अधिशेष | Reserves & Surplus | 2 | 660,278,476 | 563,286,363 |
| शेयर आवेदन राशि, जो आबंटन हेतु लंबित है | Share Application Money, pending allotment | | - | - |
| अल्पसंख्यक हित | Minorities Interest | 2A | 1,608,093 | 1,565,135 |
| जमाराशियां | Deposits | 3 | 7,406,114,377 | 6,721,941,223 |
| उधार | Borrowings | 4 | 809,602,697 | 650,152,251 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | Other liabilities and provisions | 5 | 319,665,827 | 282,369,474 |
| कुल | TOTAL | | 9,242,803,540 | 8,260,357,498 |
| II. आस्तियां | II. ASSETS | | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष | Cash and balances with Reserve Bank of India | 6 | 388,939,466 | 443,815,490 |
| बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि | Balances with Banks and money at call and short notice | 7 | 442,290,155 | 403,017,298 |
| निवेश | Investments | 8 | 2,345,919,824 | 2,113,235,522 |
| अग्रिम | Advances | 9 | 5,666,437,802 | 4,886,876,989 |
| अचल आस्तियां | Fixed Assets | 10 | 103,275,275 | 100,605,567 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 11 | 295,941,018 | 312,806,632 |
| कुल | TOTAL | | 9,242,803,540 | 8,260,357,498 |
| आकस्मिक देयताएं | Contingent Liabilities | 12 | 4,477,177,272 | 3,791,178,859 |
| वसूली के लिए बिल | Bills for collection | | 285,543,510 | 291,895,113 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां | Significant Accounting Policies | 17 | | |
| लेखों पर टिप्पणियां | Notes to Accounts | 18 | | |

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

तुलनपत्र बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तुलनपत्र तैयार किया गया है।

The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

| वी कुमार<br>**B Kumar**<br>महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी<br>General Manager & Chief Financial Officer | राजेश एस इंगले<br>**Rajesh S Ingle**<br>मुख्य महाप्रबंधक<br>Chief General Manager | राजीव मिश्रा<br>**Rajiv Mishra**<br>कार्यपालक निदेशक<br>Executive Director | सुब्रत कुमार<br>**Subrat Kumar**<br>कार्यपालक निदेशक<br>Executive Director | एम.कार्तिकेयन<br>**M. Karthikeyan**<br>कार्यपालक निदेशक<br>Executive Director | पी आर राजगोपाल<br>**P. R. Rajagopal**<br>कार्यपालक निदेशक<br>Executive Director | रजनीश कर्नाटक<br>**Rajneesh Karnatak**<br>प्रबंध निदेशक एवं सीईओ<br>Managing Director & CEO | एम.आर. कुमार<br>**M.R. Kumar**<br>अध्यक्ष<br>Chairman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**निदेशकगण DIRECTORS**

| डॉ. भूषण कुमार सिन्हा<br>**Dr. Bhushan Kumar Sinha** | अशोक नारायण<br>**Ashok Narain** | वेणी थापर<br>**Veni Thapar** | मुनीष कुमार रल्हन<br>**Munish Kumar Ralhan** | वी वी शेनॉय<br>**V V Shenoy** |
|---|---|---|---|---|

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

| कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी<br>For Mukund M Chitale & Co.<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफ़आरएन: 106655डब्ल्यू)(FRN: 106655W) | कृते एस. जयकिशन<br>For S.Jaykishan<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफआरएन: 309005ई) (FRN: 309005E) | कृते ए. बफना एवं कंपनी<br>For A. Bafna & Co<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफ़आरएन: 003660सी) (FRN: 003660C) | कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी<br>For SCV & Co. LLP<br>सनदी लेखाकार Chartered Accountants<br>(एफ़आरएन:000235एन/एन500089)<br>(FRN: 000235N/N500089) |
|---|---|---|---|
| नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 114749 | रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 062410 | मुकेश कुमार गुप्ता Mukesh Kumar Gupta<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 073515 | अनुज धींगरा Anuj Dhingra<br>भागीदार Partner<br>एम.नं. M. No. 512535 |

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 10 मई, 2024 / Date : May 10, 2024

## 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता
## CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

| | विवरण | Particulars | अनुसूची Schedule | को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2024 ₹ | को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | आय | INCOME | | | |
| | अर्जित आय | Interest earned | 13 | 610,733,406 | 479,316,901 |
| | अन्य आय | Other income | 14 | 62,331,331 | 72,111,671 |
| | कुल | TOTAL | | 673,064,737 | 551,428,572 |
| II. | व्यय | EXPENDITURE | | | |
| | व्यय किया गया ब्याज | Interest expended | 15 | 377,567,814 | 274,406,383 |
| | परिचालन व्यय | Operating expenses | 16 | 153,061,997 | 143,735,386 |
| | प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | Provisions & Contingencies | | 78,589,616 | 94,465,924 |
| | कुल | TOTAL | | 609,219,427 | 512,607,693 |
| | सहयोगी कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा | Share of earnings/(loss) in Associates | 16A | 1,820,433 | (427,474) |
| | अल्पसंख्यको के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि) | Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest | | 65,665,743 | 38,393,405 |
| | घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित | Less: Minorities' Interest | | 21,121 | 13,793 |
| | वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि) | Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group | | 65,644,622 | 38,379,612 |
| | जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि) | Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group | | 34,767,772 | 19,977,393 |
| | कुल | TOTAL | | 100,412,394 | 58,357,005 |
| III. | विनियोजन / उपयोग | APPROPRIATIONS | | | |
| | सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण | Transfer to Statutory Reserve | | 15,800,000 | 10,060,000 |
| | निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण | Transfer Investment Fluctuation Reserve | | 2,063,554 | 1,514,286 |
| | राजस्व आरक्षिति को/(से) अंतरण | Transfer to/ (from) Revenue Reserve | | - | - |
| | पूँजी आरक्षिति को अंतरण | Transfer to Capital Reserve | | 695,900 | - |
| | निवेश आरक्षिति खाते में अंतरण | Transfer to Investment Reserve Account | | 257,803 | 3,807,815 |
| | अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) | Final Dividend ( including dividend tax ) | | 8,207,132 | 8,207,132 |
| | सहयोगी कंपनी हेतु लाभांश कर | Dividend Tax - for Subsidiary | | - | - |
| | आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति | Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961 | | - | - |
| | समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष | Balance carried over to consolidated Balance sheet | | 73,388,004 | 34,767,772 |
| | कुल | TOTAL | | 100,412,394 | 58,357,005 |
| | विशेष लेखांकन नीतियां | Significant accounting policies | 17 | | |
| | लेखा पर नोट | Notes to Accounts | 18 | | |
| | प्रति शेयर आय (₹) मूल | Earnings Per Share (₹) (Basic) | | 15.48 | 9.35 |
| | प्रति शेयर आय (₹) (डायल्यूटेड) | Earnings Per Share (₹) (Diluted) | | 15.48 | 9.35 |

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

| बी कुमार | राजेश एस इंगले | राजीव मिश्रा | सुब्रत कुमार | एम.कार्तिकेयन | पी आर राजगोपाल | रजनीश कर्नाटक | एम.आर. कुमार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B Kumar** | **Rajesh S Ingle** | **Rajiv Mishra** | **Subrat Kumar** | **M. Karthikeyan** | **P. R. Rajagopal** | **Rajneesh Karnatak** | **M.R. Kumar** |
| महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी | मुख्य महाप्रबंधक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | अध्यक्ष |
| General Manager & Chief Financial Officer | Chief General Manager | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Managing Director & CEO | Chairman |

**निदेशकगण DIRECTORS**

| डॉ. भूषण कुमार सिन्हा | अशोक नारायण | वेणी थापर | मुनीष कुमार रल्हन | वी वी शेनॉय |
|---|---|---|---|---|
| **Dr. Bhushan Kumar Sinha** | **Ashok Narain** | **Veni Thapar** | **Munish Kumar Ralhan** | **V V Shenoy** |

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

| कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी | कृते एस. जयकिशन | कृते ए. बफना एवं कंपनी | कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी |
|---|---|---|---|
| For Mukund M Chitale & Co. | For S.Jaykishan | For A. Bafna & Co | For SCV & Co. LLP |
| सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants |
| (एफ़आरएन: 106655डब्ल्यू))(FRN: 106655W) | (एफआरएन: 309005ई) (FRN: 309005E) | (एफ़आरएन: 003660सी) (FRN: 003660C) | (एफ़आरएन:000235एन/एन500089) (FRN: 000235एन/एन500089) |
| नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi | रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal | मुकेश कुमार गुप्ता Mukesh Kumar Gupta | अनुज धींगरा Anuj Dhingra |
| भागीदार Partner | भागीदार Partner | भागीदार Partner | भागीदार Partner |
| एम.नं. M. No. 114749 | एम.नं. M. No. 062410 | एम.नं. M. No. 073515 | एम.नं. M. No. 512535 |

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 10 मई, 2024 / Date : May 10, 2024

# 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
# Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2024

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

| विवरण | | Particulars | | वर्षान्त/ Year ended 31-03-2024 | वर्षान्त Year ended 31-03-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| क. | **परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :** | A. | **Cash Flow from Operating Activities:** | | |
| | कर के पहले निवल लाभ | | **Net Profit before taxes** | 103,730,585 | 60,545,762 |
| | **निम्नलिखित के लिए समायोजन:** | | **Adjustments for:** | | |
| | अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास | | Depreciation on Fixed Assets | 5,086,998 | 4,265,105 |
| | आस्तियों की बिक्री पर लाभ | | Profit on sale of Fixed Assets | (284,569) | (1,340,510) |
| | निवेशों के (निष्पादन कर रहे निवेशों पर मूल्यह्रास सहित) पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ/हानि) | | (Profit) / Loss on Revaluation of Investments (Incl depn performing inv) | 853,983 | (15,745,053) |
| | एनपीए के लिए प्रावधान | | Provision for NPA | 41,630,074 | 36,679,013 |
| | मानक आस्तियों के लिए प्रावधान एवं निवेश | | Provision for Standard Assets and Investments | (1,530,270) | 30,118,895 |
| | अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान | | Provision for Other Items | 1,939,446 | 6,991,403 |
| | एटी-I, टियर -II बॉण्ड पर ब्याज | | Interest on AT I & Tier II bonds | 7,941,056 | 6,971,690 |
| | सहायक कंपनियां से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from Associates | (136,605) | (212,456) |
| | **निम्नलिखित के लिए समायोजन:** | | **Adjustments for:** | | |
| | जमाराशियों में बढ़/(घट) | | Increase / (Decrease) in Deposits | 684,173,154 | 422,133,712 |
| | उधार में बढ़/(घट) | | Increase/ (Decrease) in Borrowings | 154,450,446 | 366,941,091 |
| | अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट) | | Increase / (Decrease) in Other Liabilities & Provisions | 33,687,694 | (35,287,189) |
| | निवेश में (बढ़)/घट | | (Increase) / Decrease in Investments | (233,474,488) | (308,745,558) |
| | अग्रिमों में (बढ़)/घट | | (Increase) / Decrease in Advances | (821,255,643) | (693,537,560) |
| | अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट | | (Increase) / Decrease in Other Assets | (33,580,490) | 46,210,848 |
| | प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी | | Taxes (Paid) / Refund | 12,399,221 | 3,560,381 |
| | **परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)** | | **Net Cash Flow from Operating Activities (A)** | **(44,369,408)** | **(70,450,426)** |
| ख. | **निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | B. | **Cash Flow from Investing Activities:** | | |
| | अचल सम्पत्ति की खरीद | | Purchase of Fixed Assets | (8,505,335) | (6,232,927) |
| | अचल सम्पत्ति की बिक्री | | Sale of Fixed Assets | 235,713 | 996,158 |
| | सहायक कंपनियां से प्राप्त लाभांश | | Dividend received from Associates | 136,605 | 212,456 |
| | समेकन का प्रभाव | | Impact of Consolidation | (1,820,431) | (459,260) |
| | अल्पसंख्यक हित | | Minority Interest | 42,958 | 270,185 |
| | **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)** | | **Net Cash Flow from Investing Activities (B)** | **(9,910,490)** | **(5,213,388)** |
| ग. | **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | C. | **Cash Flow from Financing Activities:** | | |
| | शेयर पूंजी | | Equity Share Capital | 4,491,018 | - |
| | शेयर प्रीमियम | | Share Premium | 45,333,901 | 5,586,523 |
| | शेयर आवेदन रकम | | Share Application Money | - | - |
| | टियर I और टियर II कैपिटल बांड का निर्गम/(मोचन) (निवल) | | Issue / (Redemption) of Tier I and Tier II Capital Bonds (Net) | 5,000,000 | 15,000,000 |
| | प्रदत्त लभांश | | Dividend Paid | (8,207,132) | (8,207,132) |
| | एटी 1, टियर II बॉण्ड पर ब्याज | | Interest on AT I & Tier II bonds | (7,941,056) | (6,971,690) |
| | **वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)** | | **Net Cash Flow from Financing Activities (C)** | **38,676,731** | **5,407,701** |
| | **नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)** | | **Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)** | **(15,603,167)** | **(70,256,113)** |

# 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
# Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2024

(000 छोड़े गए है) / (000's Omitted)

| विवरण | Particulars | वर्षान्त/ Year ended 31-03-2024 | वर्षान्त Year ended 31-03-2023 |
|---|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य | Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year | **846,832,788** | **917,088,901** |
| वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य | Cash and Cash Equivalents as at the end of the year | **831,229,621** | **846,832,788** |
| वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य का समाधान | **Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) | Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6) | 388,939,466 | 443,815,490 |
| बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7) | Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7) | 442,290,155 | 403,017,298 |
| वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य | **Cash and Cash Equivalents as at the end of the year** | 831,229,621 | 846,832,788 |

नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धनराशि जिसे तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

| बी कुमार | राजेश एस इंगले | राजीव मिश्रा | सुब्रत कुमार | एम.कार्तिकेयन | पी आर राजगोपाल | रजनीश कर्नाटक | एम.आर. कुमार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B Kumar** | **Rajesh S Ingle** | **Rajiv Mishra** | **Subrat Kumar** | **M. Karthikeyan** | **P. R. Rajagopal** | **Rajneesh Karnatak** | **M.R. Kumar** |
| महाप्रबंधक और मुख्य वित्तीय अधिकारी | मुख्य महाप्रबंधक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | कार्यपालक निदेशक | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | अध्यक्ष |
| General Manager & Chief Financial Officer | Chief General Manager | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Executive Director | Managing Director & CEO | Chairman |

**निदेशकगण DIRECTORS**

| डॉ. भूषण कुमार सिन्हा | अशोक नारायण | वेणी थापर | मुनीष कुमार रल्हन | वी वी शेनॉय |
|---|---|---|---|---|
| **Dr. Bhushan Kumar Sinha** | **Ashok Narain** | **Veni Thapar** | **Munish Kumar Ralhan** | **V V Shenoy** |

**सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached**

| कृते मुकुंद एम चितले एंड कंपनी | कृते एस. जयकिशन | कृते ए. बाफना एवं कंपनी | कृते एससीवी एवं कंपनी एलएलपी |
|---|---|---|---|
| For Mukund M Chitale & Co. | For S.Jaykishan | For A. Bafna & Co | For SCV & Co. LLP |
| सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants | सनदी लेखाकार Chartered Accountants |
| (एफ़आरएन: 106655W)(FRN: 106655W) | (एफआरएन: 309005E) (FRN: 309005E) | (एफ़आरएन: 003660C) (FRN: 003660C) | (एफ़आरएन:000235N/N500089) (FRN: 000235N/N500089) |
| नीलेश आर एस जोशी Nilesh R S Joshi | रितेश अग्रवाल Ritesh Agarwal | मुकेश कुमार गुप्ता Mukesh Kumar Gupta | अनुज धींगरा Anuj Dhingra |
| भागीदार Partner | भागीदार Partner | भागीदार Partner | भागीदार Partner |
| एम.नं. M. No. 114749 | एम.नं. M. No. 062410 | एम.नं. M. No. 073515 | एम.नं. M. No. 512535 |

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 10 मई, 2024 / Date : May 10, 2024

# समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

| | | यथा<br>As at 31-03-2024<br>₹ | यथा<br>As at 31-03-2023<br>₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 1 : पूँजी** | **SCHEDULE - 1 : CAPITAL** | | |
| **प्राधिकृत पूँजी** | **AUTHORISED CAPITAL** | | |
| प्रत्येक ₹10 के 600,00,00,000 ( पिछले वर्ष 600,00,00,000) इक्विटी शेयर | 600,00,00,000 ( Previous year 600,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each | **60,000,000** | **60,000,000** |
| **जारी पूँजी** | **ISSUED CAPITAL** | | |
| प्रत्येक रु 10 के 455,38,44,966 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 410,47,43,170) | Equity Shares 455,38,44,966 (Previous year ended 410,47,43,170) of ₹10 each | 45,538,450 | 41,047,432 |
| **कुल** | **TOTAL** | **45,538,450** | **41,047,432** |
| **अभिदत्त और प्रदत्त पूँजी** | **SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL** | | |
| पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक रु 10 के 455,26,67,866 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 410,35,66,070 ) | 455,26,67,866 Equity Shares (Previous year 410,35,66,070 ) of '₹ 10 each fully paid-up. | 45,526,679 | 41,035,661 |
| जोड़ें: जब्त शेयरों की राशि | Add: Amount of shares forfeited | 7,391 | 7,391 |
| **कुल** | **TOTAL*** | **45,534,070** | **41,043,052** |
| * उपर्युक्त में से 334,08,61,720 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 334,08,61,720) प्रत्येक रु.10 के रु.3340.86 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर रु.3340.86 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित हैं। | * Of the above, 334,08,61,720 Equity Shares (Previous year ended 334,08,61,720 ) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹3340.86 crore (Previous year ended ₹3340.86 crore) is held by Central Government. | | |
| **अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष** | **SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS** | | |
| **I. सांविधिक आरक्षितियां :** | **I. Statutory Reserve :** | 95,025,156 | 84,968,244 |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 15,860,256 | 10,056,912 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन | Add: Additions/adjustments during the year | | |
| **कुल (I)** | **TOTAL (I)** | **110,885,412** | **95,025,156** |
| **II. पूँजी आरक्षितियां :** | **II. Capital Reserves :** | | |
| ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति : | A) Revaluation Reserve : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 69,549,554 | 69,817,289 |
| जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए | Add : Addition during the year on Revaluation of Premises | - | 222,192 |
| घटाएं : अवधि के दौरान समायोजन | Less: Adjustments during the year | (59,940) | (398,276) |
| घटाएं : पुनर्मूल्यांकन की वजह से मूल्यह्रास/समायोजन | Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation | 857,424 | 888,203 |
| **(ए) का कुल** | **Total of (A)** | **68,752,070** | **69,549,554** |
| बी) अन्य | B) Others: | | |
| i) पूंजी मोचन आरक्षिति | i) Capital Redemption Reserve | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 5,000 | 5,000 |
| जोड़ें/घटाएं: परिवर्धन/कटौतियां | Add /Less: Additions/deductions | - | - |
| (i) का उप-जोड | Sub-total of (i) | **5,000** | **5,000** |
| ii) "परिपक्वता तक धारित" निवेशों को बिक्री पर लाभ | ii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity" | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 33,520,679 | 33,520,679 |
| जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन | Add: Additions during the year | 695,900 | - |
| (ii) का उप-जोड | Sub-total of (ii) | **34,216,579** | **33,520,679** |
| iii) समेकन पर पूँजी आरक्षिति | iii) Capital Reserve on Consolidation | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | - | 886,734 |
| जोड़े/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन | Add/ (Less) : Adjustment during the year | - | (886,734) |
| (iii) का उप-जोड | Sub-total of (iii) | **-** | **-** |
| iv) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति | iv) Foreign Currency Translation Reserve | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 24,093,619 | 19,704,850 |
| जोड़े/ (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन (निवल) | Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net) | (1,468,690) | 4,388,769 |
| (iv) का उप-जोड | Sub-total of (iv) | **22,624,929** | **24,093,619** |
| **जोड (बी)** | **Total of (B)** | **56,846,508** | **57,619,298** |
| **जोड (II)** | **TOTAL (II)** | **125,598,578** | **127,168,852** |
| **III. शेयर प्रीमियम :** | **III. Share Premium :** | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 173,847,002 | 168,260,479 |
| वर्ष के दौरान परिवर्धन | Additions during the year | 45,532,324 | 5,586,523 |
| घटाएं :वर्ष के दौरान कटौतियां/ उपयोग | Less : Deductions / Utilization during the year | 198,423 | - |
| **जोड (III)** | **TOTAL (III)** | **219,180,903** | **173,847,002** |

# समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

| | | यथा<br>As at 31-03-2024<br>₹ | यथा<br>As at 31-03-2023<br>₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 2 : आरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)** | **SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)** | | |
| **IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :** | **IV. Revenue and Other Reserves :** | | |
| i) राजस्व आरक्षिति: | i) Revenue Reserve : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 91,679,548 | 91,558,855 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | Add: Addition during the year | 853,648 | 2,926,398 |
| जोड़े: विलय पर पूँजी आरिक्षिती अधिशेष से अतंरण | Add: Transfer from Capital Reserve-Surplus on Merger | | |
| जोड़/ (घटाएं): समायोजन | Add / (Less): Adjustments | (4,376,133) | (2,467,466) |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां | Less: Deductions during the year | 50,873 | 338,238 |
| (i) का उप जोड़ | Sub-total of (i) | 88,106,190 | 91,679,549 |
| ii) निवेश आरक्षितियाँ : | ii) Investment Reserve : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 3,807,815 | - |
| जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन | Add: Addition during the year | 257,803 | 3,807,815 |
| घटाएँ:वर्ष के दौरान कटौतियां | Less:Deduction during the year | - | - |
| (ii) का उप- जोड़ | Sub-total of (ii) | 4,065,618 | 3,807,815 |
| iii) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति : | iii) Investment Fluctuation Reserve : | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 10,790,217 | 9,275,931 |
| जोडें: :वर्ष के दौरान परिवर्धन | Add: Additions during the year | 2,063,554 | 1,514,286 |
| घटाएँ: वर्ष के दौरान कटौतियां | Less: Deductions during the year | - | - |
| (iii) का उप-जोड़ | Sub-total of (iii) | 12,853,771 | 10,790,217 |
| iv) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति | iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961 | | |
| प्रारंभिक शेष | Opening Balance | 26,200,000 | 26,200,000 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन | Add: Additions during the year | - | - |
| (iv) का कुल-जोड़ | **Sub-total of (iv)** | **26,200,000** | **26,200,000** |
| जोड (IV) | TOTAL (IV) | 131,225,579 | 132,477,581 |
| **V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष** | V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account | 73,388,004 | 34,767,772 |
| **जोड ( I से V)** | **TOTAL ( I TO V)** | **660,278,476** | **563,286,363** |
| **अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित** | **SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST** | | |
| उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्व में आए | Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence | 1,565,135 | 1,294,950 |
| तदुपरांत वृद्धि/(कमी) | Subsequent increase / (decrease) | 42,958 | 270,185 |
| तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित | Minority interest on the date of Balance sheet | **1,608,093** | **1,565,135** |
| **अनुसूची - 3 : जमाराशियां** | **SCHEDULE - 3 : DEPOSITS** | | |
| **ए. I. माँग जमा राशियाँ :** | **A. I. Demand Deposits :** | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 6,998,182 | 13,173,184 |
| ii) अन्य से | ii) From Others | 365,832,692 | 338,401,842 |
| **जोड (I)** | **TOTAL (I)** | **372,830,874** | **351,575,026** |
| **II. बचत बैंक जमाराशियां** | **II. Savings Bank Deposits** | **2,375,675,782** | **2,224,686,437** |
| **III. मीयादी जमाराशियां :** | **III. Term Deposits :** | | |
| i) बैंकों से | i) From Banks | 463,751,385 | 504,885,192 |
| ii) अन्य से | ii) From Others | 4,193,856,335 | 3,640,794,568 |
| **जोड (III)** | **TOTAL (III)** | **4,657,607,720** | **4,145,679,760** |
| जोड ए (I to III) | **TOTAL A (I to III)** | **7,406,114,376** | **6,721,941,223** |
| **बी.** i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां | B) i) Deposits of branches in India | 6,296,462,068 | 5,669,924,502 |
| ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां | ii) Deposits of branches outside India | 1,109,652,309 | 1,052,016,721 |
| **जोड (बी)** | **TOTAL (B)** | **7,406,114,377** | **6,721,941,223** |

# समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

| | | यथा<br>As at 31-03-2024<br>₹ | यथा<br>As at 31-03-2023<br>₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 4 : उधार** | **SCHEDULE - 4 : BORROWINGS** | | |
| **I. भारत में उधार:** | **I. Borrowings in India:** | | |
| i) भारतीय रिज़र्व बैंक | i. Reserve Bank of India | 145,000,000 | 26,920,000 |
| ii) अन्य बैंक | ii. Other Banks | | |
| क. टियर I पूँजी | a. Tier I Capital | 7,740,000 | 7,540,000 |
| ख. टियर II पूँजी | b. Tier II Capital | 6,340,000 | 3,370,000 |
| घ. अन्य | c. Others | 362,019 | 451,584 |
| **जोड (ii)** | **Total (ii)** | **14,442,019** | **11,361,584** |
| iii) **अन्य संस्थाएं और अभिकरण** | III) **Other Institutions and Agencies** | | |
| क. टियर I पूँजी | a. Tier I Capital | 20,780,000 | 20,980,000 |
| ख. टियर II पूँजी | b. Tier II Capital | 61,660,000 | 59,630,000 |
| घ. अन्य | c. Others | 487,232,170 | 503,773,826 |
| **जोड (iii)** | **Total (iii)** | **569,672,170** | **584,383,826** |
| **जोड (I)** | **Total (I)** | **729,114,189** | **622,665,410** |
| **II. भारत के बाहर से उधार** | **II. Borrowings outside India** | | |
| क. टियर I पूँजी | a. Tier I Capital | - | - |
| ख. टियर II पूँजी | b. Tier II Capital | - | - |
| ग. अन्य | c. Others | 80,488,508 | 27,486,841 |
| **जोड (II)** | **Total (II)** | **80,488,508** | **27,486,841** |
| **जोड (I एवं II)** | **Total ( I & II )** | **809,602,697** | **650,152,251** |
| ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार | Secured borrowings included in above | **213,870,541** | **220,825,176** |

| | | As at 31-03-2024 | As at 31-03-2023 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान** | **SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS** | | |
| I. देय बिल | I. Bills Payable | 16,576,874 | 16,228,810 |
| II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | II. Inter-office adjustments (net) | - | - |
| III. उपार्जित ब्याज | III. Interest Accrued | 32,008,951 | 25,795,820 |
| VI. आस्थगित कर देयता | IV. Deferred Tax liability | - | - |
| VII. अन्य | V. Others | 271,080,002 | 240,344,844 |
| **जोड** | **TOTAL** | **319,665,827** | **282,369,474** |

*मानक आस्तियों हेतु ₹ 49,473,017 (गत वर्ष ₹ 52,923,368) का प्रावधान शामिल हैं

* Includes provision for Standard Assets ₹ 49,473,017 (Previous Year ₹52,923,368),

| | | As at 31-03-2024 | As at 31-03-2023 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष** | **SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA** | | |
| **I. हाथ में नकदी**<br>(विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित) | **I. Cash in hand**<br>(including foreign currency notes & Gold ) | 21,529,801 | 21,672,603 |
| **II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:** | **II. Balances with Reserve Bank of India : *** | | |
| i) चालू खातों में | i) In Current Account | 367,238,272 | 368,053,653 |
| ii) अन्य खातों में | ii) In Other Accounts | 171,393 | 54,089,234 |
| जोड (II) | TOTAL (II) | **367,409,665** | **422,142,887** |
| **जोड (I एवं II)** | **TOTAL ( I & II)** | **388,939,466** | **443,815,490** |

* भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों के शेष सहित

* Including balances with Central Banks outside India

| | | As at 31-03-2024 | As at 31-03-2023 |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि** | **SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE** | | |
| **I. भारत में :** | **I. In India :** | | |
| i) बैंकों में शेष | i) Balances with Banks | | |
| क) चालू खातों में | a) in Current Accounts | 291,798 | 408,195 |
| ख) अन्य जमाराशि खातों में | b) in Other Deposit Accounts | 23,886,204 | 5,929,699 |
| ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि | ii) Money at call and short notice | | |
| क) बैंकों में | a) With Banks | 1,020,300 | - |
| ख) अन्य संस्थाओं में | b) With Other Institutions | - | 301,669 |
| **जोड (I)** | **TOTAL ( I )** | **25,198,302** | **6,639,563** |

# समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

| | | यथा<br>As at 31-03-2024<br>₹ | यथा<br>As at 31-03-2023<br>₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि** | **SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE** | | |
| II. **भारत के बाहर :** | II. **Outside India :** | | |
| i) चालू खातों में | i) In Current Accounts | 5,537,025 | 6,060,725 |
| ii) अन्य जमाराशि खातों में | ii) In Other Deposit Accounts | 247,330,545 | 259,585,340 |
| iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि | iii) Money at call and short notice | 164,224,283 | 130,731,670 |
| **जोड (II)** | **TOTAL ( II )** | **417,091,853** | **396,377,735** |
| **जोड (I एवं II)** | **TOTAL ( I & II )** | **442,290,155** | **403,017,298** |
| **अनुसूची - 8 : निवेश** | **SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS** | | |
| I. **भारत में निवेश:** | I. **Investments in India :** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां | i) Government Securities | 2,026,584,300 | 1,820,401,632 |
| ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | ii) Other approved Securities | 17,441,681 | 10,513,115 |
| iii) शेयर | iii) Shares | 12,383,898 | 13,732,852 |
| iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र | iv) Debentures and Bonds | 117,177,208 | 105,048,140 |
| v) सहायक कंपनियों में निवेश | v) Investment in Associates | 23,576,293 | 19,654,520 |
| vi) अन्य | vi) Others | 40,657,625 | 32,191,853 |
| **जोड ( I )** | **TOTAL ( I )** | **2,237,821,005** | **2,001,542,112** |
| II. **भारत के बाहर निवेश:** | II. **Investments outside India :** | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) | i) Government Securities (including local authorities) | 91,508,768 | 93,844,592 |
| ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र | ii) Debentures & Bonds | - | - |
| iii) सहायक कंपनियों में निवेश | iii) Investment in Associates | 2,560,206 | 2,169,806 |
| iv) अन्य | iv) Others | 14,029,845 | 15,679,012 |
| **जोड ( II )** | **TOTAL ( II )** | **108,098,819** | **111,693,410** |
| **जोड ( I & II)** | **TOTAL ( I & II)** | **2,345,919,824** | **2,113,235,522** |
| III. **भारत में निवेश :** | III. **Investments in India :** | | |
| i) निवेश का सकल मूल्य | i) Gross value of Investments | 2,278,650,481 | 2,043,134,034 |
| ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान | ii) Aggregate provisions for depreciation | 40,829,476 | 41,591,922 |
| iii) निवल निवेश | iii) Net Investments | **2,237,821,005** | **2,001,542,112** |
| IV **भारत के बाहर निवेश:** | IV. **Investments outside India :** | | |
| i) निवेश का सकल मूल्य | i) Gross value of Investments | 111,837,379 | 114,432,752 |
| ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान | ii) Aggregate provisions for depreciation | 3,738,560 | 2,739,342 |
| iii) निवल निवेश | iii) Net Investments | **108,098,819** | **111,693,410** |
| **जोड (III & IV)** | **TOTAL ( III & IV)** | **2,345,919,824** | **2,113,235,522** |
| **अनुसूची - 9 : अग्रिम** | **SCHEDULE - 9 : ADVANCES** | | |
| ए. i) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल | A. i) Bills Purchased and Discounted | 429,032,826 | 361,983,161 |
| ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण | ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand | 2,146,312,426 | 1,876,178,744 |
| iii) मीयादी ऋण | iii) Term Loans | 3,091,092,550 | 2,648,715,084 |
| **कुल (ए)** | **TOTAL (A)** | **5,666,437,802** | **4,886,876,989** |
| बी. **अग्रिम का विवरण** | B. **Particulars of Advances :** | | |
| i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है) | i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts) | 3,978,128,989 | 3,374,359,639 |
| ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित | ii) Covered by Bank/Government Guarantees | 552,877,938 | 478,798,579 |
| iii) अप्रतिभूत | iii) Unsecured | 1,135,430,875 | 1,033,718,771 |
| **जोड (बी)** | **TOTAL (B)** | **5,666,437,802** | **4,886,876,989** |
| सी. **अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण** | C. **Sectoral Classification of Advances :** | | |
| I. **भारत में अग्रिम** | I. **Advances in India** | | |
| i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र | i) Priority Sector | 1,689,173,691 | 1,494,683,925 |
| ii) सार्वजनिक क्षेत्र | ii) Public Sector | 1,302,094,408 | 1,204,704,107 |
| iii) बैंक | iii) Banks | 142,231,724 | 178,024 |
| iv) अन्य | iv) Others | 1,568,687,548 | 1,351,090,890 |
| **कुल(I)** | **TOTAL (I)** | **4,702,187,371** | **4,050,656,946** |

# समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

| अनुसूची | SCHEDULE | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 9 : अग्रिम** | **SCHEDULE - 9 : ADVANCES** | | |
| **II. भारत के बाहर अग्रिम** | **II Advances outside India :** | | |
| i) बैंकों से देय | i) Due from Banks | 380,731,883 | 369,097,116 |
| II) अन्यों से देय | II) Due from others | | |
| क) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल | a) Bills Purchased and Discounted | 102,826,124 | 113,536,084 |
| ख) समूहनकृत ऋण | b) Syndicated Loans | 237,577,531 | 134,725,824 |
| ग) अन्य | c) Others | 243,114,893 | 218,861,019 |
| **जोड (II)** | **TOTAL (II)** | **964,250,431** | **836,220,043** |
| **जोड (I एवं II)** | **TOTAL (I & II)** | **5,666,437,802** | **4,886,876,989** |
| **अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां** | **SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS** | | |
| **I. परिसर :** | **I. PREMISES :** | | |
| लागत पर आरंभिक शेष | Opening Balance at cost | 21,905,892 | 19,485,487 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन | Add: Additions /Adjustments during the year | 192,605 | 2,449,134 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन | Less: Deductions/ Adjustments during the year | 600 | 28,729 |
| उप-जोड | Sub-total | 22,097,897 | 21,905,892 |
| पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक परिवर्धन | Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve | 70,241,372 | 70,156,030 |
| घटाएं : इस तारीख तक मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित) | Less : Depreciation to date (including on account of revaluation) | 7,096,472 | 5,869,165 |
| **जोड ( I )** | **TOTAL ( I )** | **85,242,797** | **86,192,757** |
| **II. अन्य अचल आस्तियां** | **II. OTHER FIXED ASSETS :** | | |
| (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित हैं) | (including Furniture and Fixtures) | | |
| लागत पर प्रारंभिक शेष | Opening Balance at cost | 48,803,747 | 43,790,599 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन | Add: Additions /Adjustments during the year | 7,157,039 | 5,980,576 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन | Less: Deductions/ Adjustments during the year | 235,114 | 967,429 |
| उप-जोड | Sub-total | 55,725,672 | 48,803,746 |
| घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास | Less: Depreciation to date | 39,193,346 | 35,495,227 |
| **जोड ( II )** | **TOTAL ( II )** | **16,532,326** | **13,308,519** |
| **III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य** | **III. CAPITAL WORK IN PROGRESS** | **1,500,152** | **1,104,291** |
| जोड ( I से III ) | **TOTAL ( I to III )** | **103,275,275** | **100,605,567** |
| **अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां** | **SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS** | | |
| I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) | I. Inter Office Adjustment (Net) | 37,718,785 | 20,715,175 |
| II. उपचित ब्याज | II. Interest Accrued | 57,301,670 | 37,833,578 |
| III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल) | III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net) | 55,345,186 | 68,620,019 |
| IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प | IV. Stationery and Stamps | 132,262 | 113,183 |
| V. आस्थगित कर आस्तियां | V. Deferred Tax Assets | 29,003,746 | 66,587,109 |
| VI. अन्य | VI. Others | 116,439,369 | 118,937,568 |
| **जोड** | **TOTAL** | **295,941,018** | **312,806,632** |

* नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गई ₹43,265,948 (गत वर्ष ₹53,815,757) की जमाराशियां शामिल हैं:

* Includes Deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB amounting to ₹ 43,265,948 (Previous Year ₹ 53,815,757)

# समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

| | | यथा As at 31-03-2024 ₹ | यथा As at 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं** | **SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES** | | |
| I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है | I. Claims against the Bank not acknowledged as debts | 41,242,902 | 17,039,174 |
| II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं | II. Liability for partly paid Investments | 886,789 | 947,055 |
| III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं | III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts | 3,915,136,810 | 3,263,626,681 |
| IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां: | IV. Guarantees given on behalf of Constituents : | | |
| क) भारत में | a. In India | 246,978,369 | 216,862,100 |
| ख) भारत के बाहर | b. Outside India | 35,849,403 | 27,918,368 |
| V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व | V. Acceptances, endorsements and other obligations | 197,274,107 | 224,823,917 |
| VI. ब्याज दर स्वैप | VI. Interest Rate Swaps | 5,900,000 | 8,411,272 |
| VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है | VII. Other items for which the Bank is contingently liable | 33,908,892 | 31,550,292 |
| **जोड** | **TOTAL** | **4,477,177,272** | **3,791,178,859** |

# समेकित लाभ एवं हानि खाता की अनुसूचियां
# SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

| | | समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2024 ₹ | समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2023 ₹ |
|---|---|---|---|
| **अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश** | **SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED** | | |
| I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा | I. Interest/Discount on advances/bills | 431,257,725 | 335,488,878 |
| II. निवेशों पर आय | II. Income on Investments | 142,463,897 | 120,341,146 |
| III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज | III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds | 28,862,703 | 16,745,628 |
| IV. अन्य | IV. Others | 8,149,080 | 6,741,249 |
| **जोड** | **TOTAL** | **610,733,406** | **479,316,901** |
| **अनुसूची - 14 : अन्य आय** | **SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME** | | |
| I. कमीशन, विनिमय और दलाली | I. Commission, exchange and brokerage | 17,645,377 | 13,823,154 |
| II. निवेशों के विक्रय पर लाभ /(हानि) | II. Profit/(Loss) on sale of Investments | 7,173,990 | 2,652,069 |
| III निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) - निवल | III. Profit /(Loss) on Revaluation of Investments - net | (853,983) | 15,745,052 |
| IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ /(हानि) | IV. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets | 284,569 | 1,340,510 |
| V. विनिमय लेनदेन पर लाभ / (हानि) | V. Profit / (Loss) on exchange transactions | 5,281,738 | 10,082,052 |
| VI. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय | VI Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries/ companies and /or/ joint ventures | 136,605 | 212,456 |
| VII. विविध आय | VII. Miscellaneous Income | 32,663,035 | 28,256,378 |
| **जोड** | **TOTAL** | **62,331,331** | **72,111,671** |
| * बट्टे खाते में डाले गए खातों में ₹ 14,670,443 (गत वर्ष ₹ 12,068,537) की राशि की वसूली शामिल है | * Includes Recoveries made in write-off accounts amounting to ₹ 14,670,443 (Previous Year ₹ 12,068,537). | | |
| **अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज** | **SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED** | | |
| I. जमाओं पर ब्याज | I. Interest on Deposits | 313,547,707 | 237,000,625 |
| II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज | II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings | 56,124,704 | 30,198,595 |
| III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज | III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.. | 7,895,404 | 7,207,163 |
| **जोड** | **TOTAL** | **377,567,814** | **274,406,383** |
| **अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय** | **SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES** | | |
| I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान | I. Payments to and provisions for employees | 92,626,796 | 84,529,032 |
| II. किराया, कर एवं बिजली | II. Rent, Taxes and Lighting | 9,311,660 | 8,664,225 |
| III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री | III. Printing and Stationery | 984,769 | 966,437 |
| IV. विज्ञापन एवं प्रचार | IV. Advertisement and Publicity | 430,518 | 296,977 |
| V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास | V. Depreciation on Bank's property | 5,086,998 | 4,265,105 |
| VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय | VI. Directors' fees, allowances and expenses | 63,152 | 58,179 |
| VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) | VII. Auditors' fees and expenses ( Including Branch Auditors' Fees & Expenses ) | 1,019,852 | 1,214,078 |
| VIII. विधि प्रभार | VIII. Law Charges | 510,533 | 419,920 |
| IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि | IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc. | 2,922,223 | 2,929,726 |
| X. मरम्मत एवं रखरखाव | X. Repairs and Maintenance | 927,499 | 796,057 |
| XI. बीमा | XI. Insurance | 8,348,652 | 7,976,535 |
| XII. अन्य खर्च | XII. Other Expenditure | 30,829,345 | 31,619,115 |
| **जोड** | **TOTAL** | **153,061,997** | **143,735,386** |
| **अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि में हिस्सेदारी** | **SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES** | | |
| I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) | I. Regional Rural Banks (RRBs | 628,936 | (1,241,298) |
| II. अन्य | II. Others | 1,191,497 | 813,824 |
| **जोड** | **TOTAL** | **1,820,433** | **(427,474)** |

## कार्यसूची 17 :
## महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
## (समेकित वित्तीय विवरणियां)

1) **लेखांकन परिपाटी :**

संस्था की निरंतरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व की लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) तैयार किये गये हैं जो वस्तुत: 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी कार्यालयों/शाखाओं/सहायकों/सहयोगियों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में उपयोग किये गये आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्यलक्षी प्रभाव से चालू और भविष्य की अवधियों में निर्धारित किया जाता है।

2) **समेकन का आधार:**

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं:-

क) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की ''समेकित वित्तीय विवरणियाँ'', भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 ''समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार की गई हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा आंतर समूह संव्यवहारों, शेष राशि, उगाही रहित लाभ/हानि को हटाकर इसमें समान प्रकार की आस्ति, देयताएं, आय तथा व्ययों को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

ख) अनुषंगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर में अंतर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। यदि कुछ गुडविल हो तो उसे निर्धारित होने के तुरंत बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्पसंख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में हैं।

घ) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

ङ) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन, आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 27 'संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर किया जाता है।

## SCHEDULE 17:

### SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
### (Consolidated Financial Statements)

1) **ACCOUNTING CONVENTION:**

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/branches/subsidiaries/associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) **BASIS OF CONSOLIDATION:**

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

d) Accounting for investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

e) Accounting for investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3) राजस्व का निर्धारण: (एएस-9- राजस्व निर्धारण)

3.1 बैंकिंग संस्थाएं :

क. आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में, संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर ब्याज आय का निर्धारण, समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण, बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों को उगाही होने पर आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ङ. ''परिपक्वता तक धारित''श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर प्राप्त बट्टे के बाद खरीदा गया था, वह निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती है:-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इसका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर, प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार ''परिपक्वता तक धारित'' श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि को छोड़कर), इसके बराबर की राशि ''आरक्षित पूँजी खाते'' से विनियोजित की जाती है।

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

**झ. एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन:**

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन - इन तीन मामलों को छोड़कर, एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :

- विविध जमाराशियों में रखे गए न उगाही किये गए अन्य प्रभारों का रिवर्सल
- विविध जमाराशियों में रखे गए न उगाही किये गए ब्याज
- खाते में अप्रभारित ब्याज
- बकाया मूलधन जिसमें जबरन नामे जैसे जारी एलसी/गारंटी का न्यागमन शामिल हैं।

अन्य मामलों में प्रासंगिक प्राधिकारी के आदेश के अनुसार कृत वसूलियों को विनियोजित किया जाता है।

3) REVENUE RECOGNITION: (AS-9- Revenue Recognition)

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in “Held to Maturity” category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. on interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. on zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under ‘Held to Maturity’ category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to ‘Capital Reserve Account’.

(g) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) **Appropriation of recoveries in NPAs:**

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC’s/SC’s are to be made in the following order:-

- Reversal of unrealised other charges kept in Sundry credits
- Unrealised interest kept in Sundry credits.
- Uncharged interest in the account.
- Principal outstanding, which includes forced debits like devolvement of LCs/guarantees issued.

In other cases, the recoveries made are appropriated as per the order of relevant authority.

## 3.2 गैर बैंकिंग निकाय-बीमा:

क) **प्रीमियम आय:**

पॉलिसीधारक से देय होने पर, गैर-लिंक्ड व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। लिंक्ड व्यवसाय के लिए प्रीमियम, सहायक इकाइयों के सृजित होने पर निर्धारित किया जाता है। यथा लागू वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काटकर, प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है।

ऐसे उत्पाद जिनकी सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि तथा/या पूर्व निर्धारित पॉलिसी अवधियों के साथ नियमित प्रीमियम भुगतान योजनाएँ हैं, उन्हें नियमित कारोबार माना जाता है तथा प्रीमियम का वर्गीकरण समुचित रूप से प्रथम वर्ष तथा नवीकरण के रूप में किया जाता है। पूर्वोक्त से भिन्न उत्पादों पर प्रीमियम आय, एकल प्रीमियम के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब पॉलिसियाँ पुन: आरंभ की जाती हैं।

लिंक्ड कारोबार में टॉप-अप प्रीमियम को एक सिंगल प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयाँ सृजित करने पर उन्हें आय के रूप में माना जाता है।

पीएमजेजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, प्रशासनिक प्रभार तथा मध्यवर्तियों को देय व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

ख) पॉलिसी के विरुद्ध ऋणों पर ब्याज, उपचय के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

ग) अन्य आय को तब निर्धारित किया जाता है जब कंपनी अंतिम वसूली के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित होती है।

घ) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचानी जाती है। इसका अपवाद अनर्जक निवेशों पर ब्याज आय है जिसे यथा निर्दिष्ट आईआरडीएआई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राप्ति पर निर्धारित किया गया है।

ङ) प्रीमियम का निर्धारण, जोखिम को स्वीकार करते समय किया जाता है।

च) **परिशोधित आय/लागत:**

गैर-लिंक्ड निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित अवधि पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

छ) **लाभांश:**

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख पर पहचानी जाती है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचानी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

ज) **लिंक्ड निधियों से आय:**

लिंक्ड निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रशासनिक प्रभार, मॉर्टैलिटी प्रभार, अन्य प्रभार, जहाँ भी लागू है, शामिल है, उन्हें पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लिंक्ड फंड से वसूला जाता है तथा देयता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

## 3.2 Non-Banking entities- Insurance:

a) **Premium Income:**

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due from policyholders. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of Goods and Services Tax (GST) as applicable.

Products having regular premium paying plans with limited premium payment term and/or pre-determined policy terms are treated as a regular business with the due classification of premium into the first year and renewal. Premium income on products other than aforesaid is classified as a single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered as single premium and recognised as income when the associated units are created.

Premium in case of PMJJBY Scheme is recognised at Gross of administrative charges and reimbursement of expenses (as applicable) payable to intermediaries.

b) Interest on loans against policies is recognized on accrual basis.

c) Other income recognised when due, where the company is reasonably certain of ultimate collection.

d) Interest income on investments is recognised on accrual basis except interest income on non-performing investments, which is recognised upon receipt as specified in IRDAI guidelines.

e) Premium is recognised at the time of acceptance of risks.

f) **Amortised Income/Cost:**

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding.

g) **Dividend:**

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

h) **Income from linked funds:**

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges, other charges, wherever applicable, are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

उपर्युक्त यूनिट लिक्ड प्रभारों से वसूल किया गया वस्तु एवं सेवा कर राजस्व खाते के अंतर्गत "यूलिप प्रभारों पर वस्तु एवं सेवा कर" (जीएसटी) के रूप में दिखाया जाता है जैसा की आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के द्वारा आवश्यक किया गया है।

झ) **लिंक्ड कारोबार हेतु कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि):**

व्यय को छोड़कर बिक्री राशि तथा बही लागत का अंतर लिंक्ड व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। बही लागत को बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

ञ) **गैर लिंक्ड कारोबार हेतु कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि):**

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर, असम्बद्ध व्यवसाय के लिए कर्ज प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। परिशोधन लागत को बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

ट) **इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/ अतिरिक्त टियर 1 बॉण्ड (एटी1)/इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी)/रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(आरईआईटी)/ की बिक्री पर लाभ/हानि:**

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर,इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉण्ड/ आईएनवीआईटी/ आरईआईटी की बिक्री पर लाभ/(हानि) है।

गैर-लिंक्ड व्यवसाय के मामले में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत, पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में उपचित परिवर्तन, लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

ठ) **लिंक्ड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि):**

लिंक्ड कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है तथा पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य में परिवर्तन पर अंतरण/लाभ के रूप में दिखाया जाता है।

ड) **उधार पर प्रतिभूति लेने और देने से आय:**

उधार पर प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को देने की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

ढ़) **प्रदत्त पुनर्बीमा प्रीमियम:**

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ/कमीशन को घटा दिया जाता है।

### 3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं:

क) निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया

Goods and Services Tax ("GST") recovered on above Unit Linked charges are shown in the Revenue account under "Goods and Services tax ("GST") on ULIP charges" as required by IRDAI guidelines.

i) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

j) **Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:**

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

k) **Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1)/ Infrastructure Investment Trust (InvIT)/ Real Estate Investment Trust (REIT):**

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds/ InvIT/ REIT is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale.

In respect of non-linked business the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

l) **Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:**

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognised in the Revenue account of respective fund and shown under transfer / Gain on revaluation / change in fair value.

m) **Income from Security Lending and Borrowing:**

Fees received for lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending.

n) **Reinsurance Premium ceded:**

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit/ commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance..

### 3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

a) Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded

है, यह निवल आस्ति मूल्य पर आश्रित है। निवेश प्रबंधन फीस को उपचय आधार पर जीएसटी हटाकर निर्धारित किया जाता है। यह म्यूचुअल फंड योजनाओं के औसत दैनिक शुद्ध आस्तियों के प्रतिशत (योजना में कंपनी द्वारा किये गए निवेश को छोड़कर) के रूप में होता है। यह इस प्रकार से रखा जाता है कि विनियमों या बाद के किन्हीं अन्य संशोधनों द्वारा निर्धारित सीमा का अतिक्रमण न करें।

ख) व्यापार की तारीख पर, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एएस-13 के अनुसार विशेष प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 **गैर-बैंकिंग संस्थाएं - मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं:**

(क) कूपन वाली डेट प्रतिभूतियों के आउटराइट आधार पर खरीद या बिक्री में भुगतान या प्राप्ति पर कुल राशि, मूलधन राशि तथा उपचित ब्याज के रूप में अलग-अलग पहचाना जाएगा। ऐसी प्रतिभूति की खरीद पर उपचित / भुगतान राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि, व्यय के माध्यम से व्यय या आय के रूप में घटाई तथा परिकलित की जाएगी।

(ख) यदि कंपनी के द्वारा किसी अंडररिटन इश्यू के संबंध में इक्विटी शेयरों का कुछ डिवोल्वमेंट होता है तो इसे निवेश माना जायेगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के मूल्य के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

(ग) सेकेन्ड्री मार्केट परिचालन पर अर्जित ब्रोकरेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर ब्रोक्रेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में ब्रोकरेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा। तुलन पत्र की तारीख तक लाभांश को तब पहचाना जाएगा जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाएगा। सेवा कर जहां भी वसूली गया है उसे राजस्व से हटा दिया जाएगा।

(घ) निवेशों की बिक्री पर लाभ को निपटान की तारीख पर पहचाना जाएगा। यह बिक्री/मोचन आगम एवं अधिग्रहण के बीच अंतर को दिखता है। लागत को भारांक औसत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। निवेशों की बिक्री पर लाभ को निवेशों की बिक्री पर हानि से घटाया जाएगा।

(ड़) सेवाओं से राजस्व, पूरे हुए काम को समापन तथा प्राप्य राशि की निश्चितता से सम्बद्ध करके आनुपातिक समापन पद्धति से निर्धारित किया जाता है।

(च) तुलन पत्र की तारीख पर धारित निश्चित कूपन कर्ज प्रतिभूतियों पर ब्याज, खण्डित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होगी। अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दर पर समुपचित होगी।

by the schemes of BOI Mutual fund. . Investment Management Fees are recognized net of GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the mutual fund schemes (excluding investments made by the Company in the schemes) such that it does not exceed the limit prescribed by the Regulations and any further amendments.

b) Profit or loss on sale of investment is recognised in the statement of Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security as per AS-13.

3.4 **Non-Banking entities– Merchant Banking Services:**

a) Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities shall be identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities shall be netted and reckoned as expense or income by way of interest.

b) Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.

c) Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis. Dividend shall be recognised when the company's right to receive payment shall be established by the balance sheet date. Revenue shall exclude Service Tax, wherever recovered.

d) Profit on Sale of Investments shall be recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale/Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost shall be determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments shall be netted with loss on sale of Investments.

e) Revenue from services is recognised on proportionate completion method by relating revenue with work accomplish and certainty of consideration receivable.

f) Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, shall be accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities shall be accrued at rates determined as per the terms of the issue

## 4) गैर बैंकिंग संस्थाएं - बीमा : अन्य नीतियां

**ए. बीमा**

**क) भुगतान किये गये लाभ:**

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत सरेन्डर में व्यपगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। सरेंडर और समापन को निवल प्रभार के आधार पर लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

**ख) अधिग्रहण लागत:**

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो बदलती रहती है तथा यह मुख्य रूप से नये बीमा करारों या उसके नवीनीकरण से संबंधित है तथा इसमें बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, रिवार्ड तथा प्रोत्साहन, सेल्स स्टाफ लागत, चिकित्सा जांच लागत, पॉलिसी प्रकाशन व्यय, स्टांप ड्यूटी तथा अन्य संबंधित खर्चे शामिल हैं। इन्हें उस अवधि में खर्चे किया गया माना जाता है जिसमें ये होते हैं।

भुगतान किय गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त होती है।

**ग) पॉलिसी देयताएं:**

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ पॉलिसी के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ रखी जाती हैं। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किन्हीं संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण द्वारा संबद्ध वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में, अनर्जित प्रीमियम रिजर्व पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती हैं। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता, पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा, व्ययों आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं - बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई अधिनियम 1999, आईआरडीएआई (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता अंतर) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा

## 4) NON BANKING ENTITIES: Other Policies:

**A. Insurance:**

**a) Benefits paid:**

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender & withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed/discontinued policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted net of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

**b) Acquisition Costs:**

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of new and renewal insurance contracts and consist of cost like commission to insurance intermediaries, rewards and incentives, sales staff costs, medical examination costs, policy printing expenses, stamp duty and other related expenses. These are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

**c) Policy Liabilities:**

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. Adequate reserves are made for all the policyholder's benefits for various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for in force policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets,

मार्गदर्शन टिप्पणियाँ एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

**घ) ऋण:**

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा अर्जित ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी मूल्यह्रास, यदि कुछ हो तो, के अधीन है। तुलन पत्र की तारीख से 12 माह से कम परिपक्वता के मामले में ऋणों को अल्पावधि में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक ऋणों को छोड़कर, अन्य ऋण, दीर्घावधि ऋण में वर्गीकृत किए जाते हैं।

**ङ) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि:**

सहभागिता खण्ड में, भविष्य में विनियोजनों के लिए निधि (एफएफए), ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। इस निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण, अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में भी अंतरण को आवश्यक करेगा।

**च) बंद पॉलिसी निधि:**

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि, जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है -

क) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ख) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम, 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

**छ) पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि:**

आईआरडीएआई की परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/लाइफ/सीआईआर/एमआईएससी/412/2024 दिनांक 16.02.2024 की आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि के लिए अदावाकृत आस्तियों को रखा गया है और उन्हें निम्नानुसार प्रबंधित किया गया है:

i. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि का निवेश मुद्रा बाज़ार लिखतों, लिक्विड म्यूचुअल फंड और/या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों में किया जाता है जिसे पूर्व की लागत से वैल्यू किया जाता है, यह परिपक्वता/धारिता की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रीमियम के परिशोधन या डिस्काउंट की अनुवृद्धि के अध्यधीन है।

ii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि पर प्राप्त आय को संबंधित दावा न किए गए फंड में जोड़ दिया जाता है और फंड प्रबंधन प्रभारों को घटाकर उपचय आधार पर लेखांकन किया जाता है।

iii. पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि की देयता, यथा वैल्यूएशन तारीख को, बकाया इकाइयों के एनएवी के आधार पर निर्धारित की जाती है।

Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

**d) Loans:**

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any. Loans are classified as short term in case the maturity is less than 12 months from the date of balance sheet. Loans other than short term are classified as long term.

**e) Funds for Future Appropriation:**

The Funds for Future Appropriations (FFA), in the participating segment, represents surplus, which is not allocated to policyholders or to shareholders as at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the required proportion.

**f) Discontinued Policies fund:**

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

a) Non-payment of contracted premium

b) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

**g) Unclaimed amount of policyholders:**

Assets held for unclaimed amount of policyholders is created and maintained in accordance with the requirement of IRDAI circular no. IRDAI/Life/CIR/Misc/412/2024 dated February 16, 2024.

i. Unclaimed amount of policyholders is invested in money market instruments, Liquid mutual funds and/ or fixed deposits of scheduled banks which is valued at historical cost, subject to amortisation of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. Income on unclaimed amount of policyholders is accreted to respective unclaimed fund and is accounted for on an accrual basis, net of fund management charges.

iii. Unclaimed amount of policyholders' liability is determined on the basis of NAV of the units outstanding as at the valuation date

बी. म्यूचुअल फंड एवं ट्रस्टी सेवाएँ:

i. निधि व्यय

बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड की योजनाओं को लाँच करने संबंधी व्ययों को कंपनी अवशोषित करती है तथा ऐसे व्यय सेबी विनियमों के अनुसार अनुमति प्राप्त हैं।

ii. ब्रोकेज

22 अक्टूबर, 2018 से प्रभावी होकर ट्रेल ब्रोकेज सहित सभी ब्रोकरेजों तथा योजना संबंधी व्ययों का वहन म्यूचुअल फंड द्वारा किया जाता है।

5) अग्रिम:

i. लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों को ''अर्जक'' और ''अनर्जक अग्रिमों'' (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. इसके अतिरिक्त, लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि प्राप्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

iii. घरेलू शाखाओं के संबंध में एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते है:

**B. Mutual fund and Trustee services:**

**i. Fund expenses**

The Company absorbs the expenses relating to the launch of the schemes of Bank of India Mutual Fund and such expenses which are allowed as per the SEBI regulations.

**ii. Brokerage**

W.e.f from October 22, 2018 all brokerages & scheme related expenses including trail brokerage are being booked in scheme books.

**5) ADVANCES:**

i. Advances are classified into “Performing” and “Non-Performing Advances” (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

ii. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

iii. In respect of domestic entities, NPA Provisions are made at the rates given as under:

| एनपीए की श्रेणी | Category of NPAs | निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान का प्रतिशत<br>Provision % on net outstanding advance |
|---|---|---|
| अवमानक आस्ति:* | Sub Standard:* | |
| ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं | Exposures, which are unsecured ab-initio | 25% |
| आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति-इंफ्रा) | Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra) | 20% |
| अन्य | Others | 15% |
| संदिग्ध : | Doubtful: | |
| जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में रहा) | Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category) | |
| - एक वर्ष तक | - Upto one year | 25% |
| - एक वर्ष से तीन वर्ष तक | - One year to three years | 40% |
| - तीन वर्ष से अधिक | - More than three years | 100% |
| गैर जमानती हिस्सा | Unsecured portion | 100% |
| हानि | Loss | 100% |

* बकाया अग्रिम पर

On the outstanding advance

iv. विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान, संबंधित विदेशी देश में लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा बैंक के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होंगे।

v. भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार निवल अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, इसीजीसी दावा इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

vi. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में मौजूदा मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के उचित मूल्य में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। निवल अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

iv. In respect of foreign entities, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to bank, whichever is stringent.

v. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

vi. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

vii. आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जा सकता है। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल अथवा एसआरएस/पीटीसी का रीडेम्पशन द्वारा) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

viii. पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत मानक आस्तियों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी देशों में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार होगा।

ix. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधिक विदेशी एक्सपोज़र (प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष) के लिए श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

### 6) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित किये जाने वाले अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है। शुद्ध एन.पी.ए की गणना के लिए इन प्रावधानों को सकल एन.पी.ए से घटाया जाता है।

### 7) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट:

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चवेरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

### 8) निवेश:

#### I. बैंकिंग निकाय:

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. निवेशों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु धारित' श्रेणियों में किया गया है। भारत में किए गए निवेशों के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार (I) भारत में किए गए निवेश को छह वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे-i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, iii) शेयर, iv) डिबेंचर और बॉण्ड, v) अनुषंगियों और सहायक

vii. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset

viii. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to the Bank, whichever is stringent.

ix. Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

### 6) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes. These provisions are netted off from gross NPAs to arrive at Net NPAs.

### 7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for reward points on credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

### 8) INVESTMENTS:

#### I. Banking Entities:

a) Transactions in Government Securities are recognised on settlement date and all other Investments are recognised on trade date.

b) Investments are classified under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure in the Balance Sheet in Schedule 8, (I) 'Investments in India' are classified under six categories viz. i.) Government Securities, ii.) Other Approved Securities, iii.) Shares, iv.) Debentures and Bonds, v.) Subsidiaries and Joint Ventures and vi.) Others and (II) 'Investments outside India' are classified under three categories viz. i.) Government

कंपनियों में निवेश और vi) अन्य तथा (II) 'भारत के बाहर किए गए निवेशों' को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है यथा i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ii) विदेशी सहायक कंपनियों में निवेश, iii) डिबेंचर और बॉण्ड और iv) अन्य निवेश।

### क. वर्गीकरण का आधार

निवेश का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) **परिपक्वता तक धारित**

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) **कारोबार के लिए धारित**

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें अल्प मीयादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेचा जाना है।

(iii) **बिक्री के लिए उपलब्ध**

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा 'कारोबार के लिए धारित' के रूप में नहीं किया गया है, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

### ख. निवेश की अधिग्रहण लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर, इत्यादि लागत में शामिल हैं।

(ii) ब्रोकरेज, कमीशन, डेब्ट निवेश पर भुगतान/प्राप्त किए गए खंडित अवधि के ब्याज को आय/व्यय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन को लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

### ग. मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार मूल्य अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य, इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत तथा प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

**(i) परिपक्वता तक धारित:**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, को सतत अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन,

Securities, ii) Subsidiaries and Joint Ventures abroad and iii) Other Investments.

### A. Basis of classification:

Classification of an investment is done at the time of its acquisition.

**(i) Held to Maturity:**

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

**(ii) Held for Trading:**

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

**(iii) Available for Sale:**

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

### B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

(iii) Brokerage and commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

### C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

**(i) Held to Maturity:**

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

आय में 'निवेशों पर ब्याज' शीर्ष के तहत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में निवेश (भारत तथा विदेश दोनों में) पूर्व की लागत के आधार पर किया जाता है। इसका अपवाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश हे जिसे कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थाई प्रकृति से भिन्न प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया जाता है।

(ii) **कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध:**

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास का प्रावधन किया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने पर, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

''कारोबार के लिए धारित''और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में उद्धत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है उनका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है:

| वर्गीकरण | मूल्यांकन का आधार |
|---|---|
| सरकारी प्रतिभूतियां | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर | ब्रेक अप वैल्यू पर नवीनतम तुलन पत्र (18 महीनें से अधिक पुरानी नही), अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1 |
| अधिमानी शेयर | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| पीएसयू/कॉर्पोरेट बॉण्ड | परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर |
| म्यूचुअल फंड के यूनिट | नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर |
| वेंचर पूँजी निधि (वीसीएफ) के यूनिट | 18 महीनें से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी जो 18 महीनें से ज्यादा पुराने नहीं हैं। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनें से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ। |
| प्रतिभूति रसीद | प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो। |

## घ. विभिन्न श्रेणियों के मध्य प्रतिभूतियों का अंतरण:

(i) **एचटीएम से एएफएस/एचएफटी:**

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India abd abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) **Held for Trading / Available for Sale:**

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

| Classification | Basis of Valuation |
|---|---|
| Government Securities | on Yield to Maturity basis |
| Other Approved Securities | on Yield to Maturity basis |
| Equity Shares, PSU and Trustee shares | at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company. |
| Preference Shares | on Yield to Maturity basis |
| PSU/Corporate Bonds | on Yield to Maturity basis |
| Units of Mutual Funds | at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme |
| Units of Venture Capital Funds (VCF) | declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF. |
| Security Receipts | at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old. |

## D. Transfer of Securities between Categories:

i. **HTM to AFS/HFT :**

a. If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After

क. यदि मूलत: प्रतिभूति को किसी डिस्काउंट पर एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइज्ड लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

**(ii)** **एएफ़एस/एचएफटी से एचटीएम में अंतरण :** बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो, उस पर एएफएस, एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजारमूल्य, बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजारमूल्य पर अंतरित किया जाता है।

**(iii)** **एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत:** एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन:मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा रखे गये संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, इनके विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

### ङ. अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

(i) निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं।

(ii) अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रि. जर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किया जाता है।

(iii) परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में ''अन्य आस्तियों'' के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

### च. रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक कृत ऋण और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागतों तथा राजस्वों का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर धन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### छ. आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

24 सितंबर, 2021 के परिपत्र संख्या आरबीआई/ डीओआर/2021-22/86 डीओआर.एसटीआर. आरईसी.51

transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

b. If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

**ii.** **AFS/HFT TO HTM:** Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

**iii.** **AFS TO HFT AND VICE-VERSA :** In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

### E. Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

### F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

### G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no RBI/DOR/2021-22/86 DOR.STR. REC.51/21.04.048/2021-22 dated September 24,

21.04.048/2021-22 के माध्यम से जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति को संशोधित किया है।

ए) बैंकों द्वारा एआरसी से जारी एसआर/पीटीसी/अन्य प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन समय-समय पर ऐसे लिखत के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग के आधार पर एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) की गणना के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि जब बैंक, एआरसी द्वारा जारी किए गए एसआर/पीटीसी में उनके द्वारा एआरसी को अंतरित किए गए दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में निवेश करते हैं, तो बैंक निवेश को अपनी बहियों में निरंतरता के आधार पर तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उसका हस्तांतरण या वसूली नहीं हो जाती है। यह ऊपर दिए गए एनएवी के आधार पर एसआर को मोचन मूल्य और अंतरण के समय हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋण के एनबीवी के आधार पर, इन दोनों में जो भी कम हो पर बही में रखा जाता है।

जब बैंक द्वारा एसआर में उसके द्वारा अंतरित दबावग्रस्त ऋणों द्वारा समर्थित निवेश, उसके अंतरित ऋणों द्वारा समर्थित सभी एसआर के 10 प्रतिशत से अधिक हो और उस प्रभूतिकरण के तहत जारी किया गया हो, तो बैंक द्वारा ऐसे एसआर का मूल्यांकन एसआर के अंकित मूल्य के फ्लोर के अधीन होगा जिसे अंतर्निहित ऋणों पर लागू प्रावधान दर से कम किया जाएगा यदि बैंक की बही में ऋण जारी रहते या जो एसआर का एनएवी है।`।

बी) एसआर/पीटीसी जिन्हें समाधान अवधि (अर्थात पांच साल या आठ साल जैसा भी मामला हो) के अंत में भुनाया नहीं गया है, उन्हें बैंक की बही में हानि परिसम्पत्ति के रूप में माना जाएगा और इसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया जाएगा।

सी) आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित गैर-एसएलआर लिखतों में निवेश के लिए लागू मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड एआरसी द्वारा जारी डिबेंचर/बॉण्ड/एसआरएस/पीटीसी में बैंक निवेश पर लागू होंगे। हालांकि, यदि एआरसी द्वारा जारी उपर्युक्त में से कोई भी लिखत संबंधित योजना में लिखतों को सौंपी गई वित्तीय परिसंपत्तियों की वास्तविक वसूली के अधीन है, तो बैंक ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर एआरसी से प्राप्त एनएवी की गणना करेगा।

## II. गैर-बैंकिंग संस्था - बीमा

बीमा संयुक्त उद्यम के मामले में निवेश, बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किए गए विभिन्न अन्य परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है।

कारोबार तिथि पर निवेश को लागत पर दर्ज किया जाता है, जिसमें ब्रोकरेज और संबंधित कर, यदि कोई हो, शामिल हैं। खंडित अवधि के ब्याज का भुगतान/प्राप्ति, ब्याज प्राप्य खाते में डेबिट/क्रेडिट की जाती है और इसे खरीद/बिक्री से संबंधित लागत में शामिल नहीं किया जाता है।

अस्थायी के अलावा, निवेश के मूल्य में कमी को, राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

2021, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization,

a) Investments by banks in SRs / PTCs / other securities issued by ARCs shall be valued periodically by reckoning the Net Asset Value (NAV) declared by the ARC based on the recovery ratings received for such instruments.

Provided that when bank invest in the SRs/ PTCs issued by ARCs in respect of the stressed loans transferred by them to the ARC, the bank shall carry the investment in their books on an ongoing basis, until its transfer or realization, at lower of the redemption value of SRs arrived based on the NAV as above, and the NBV of the transferred stressed loan at the time of transfer.

When the investment by bank in SRs backed by stressed loans transferred by it, is more than 10 percent of all SRs backed by its transferred loans the valuation of such SRs by the bank will be lower of face value of the SRs reduced by the notional provisioning rate applicable if the underlying loans, had the loans continued in the books of the bank or NAV of the SRs.

b) SRs/PTCs which are not redeemed as at the end of the resolution period (i.e., five years or eight years as the case may be) shall be treated as loss asset in books of the bank and fully provided for.

c). The valuation, classification and other norms applicable to investment in non-SLR instruments prescribed by RBI from time to time shall be applicable to bank investment in debentures/ bonds/ SRs /PTCs issued by ARC. However, if any of the above instruments issued by ARC is limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the bank shall reckon the NAV obtained from ARC from time to time, for valuation of such investments.

## II. Non-Banking Entities- Insurance

In case of Insurance joint venture, Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, IRDAI (Investment) Regulations, 2016, as amended from time to time and various other circulars/ notifications issued by the IRDAI in this regard.

Investments are recorded on trade date at cost, which includes brokerage and related taxes, if any. Broken period interest paid/received is debited/ credited to Interest Receivable account and is not included in the cost of purchase/sale consideration.

Diminution in the value of investments, other than temporary, is recognised as an expense in the Revenue / Profit & Loss account.

**बोनस पात्रता**

बोनस पात्रता को प्रासंगिक 'एक्स-बोनस तिथि' पर निवेश के रूप में मान्यता दी जाती है।

**अधिकार पात्रता**

राइट्स एंटाइटेलमेंट को प्रासंगिक 'एक्स-राइट्स डेट' पर निवेश के रूप में पहचाना जाता है।

**बट्टा**

निजी रूप से रखे गए निवेशों पर किसी भी तरह के बट्टे को ऐसे निवेशों की लागत से घटा दिया जाता है।

**ए. वर्गीकरण**

निवेश विशेष रूप से पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के लिए स्वतंत्र रूप से खरीदे और रखे जाते हैं और इन निवेशों से संबंधित आय को क्रमश: राजस्व खाते और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

**निवेश का अल्पावधि और दीर्घकालिक वर्गीकरण**

तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर उन्हें निपटाने के विशिष्ट इरादे से किए गए निवेश को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक निवेश के अलावा अन्य निवेश को दीर्घकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

**बी. मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के निवेश**

सभी डेट प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' के रूप में माना जाता है और तदनुसार पूर्व की लागत पर प्रतिपादित किया जाता है, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता/ होल्डिंग की बची हुई अवधि पर राजस्व खाते या लाभ-हानि खाते में प्रीमियम के परिशोधन या बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, त्रिपक्षीय रेपो का मूल्य निर्धारण, सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि में बट्टे की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, एनएसई पर प्रतिभूति सूचीबद्ध / ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर अंतिम उद्धृत मूल्य पर विचार किया जाता है।

सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए ऊपर बताए अनुसार किया गया है।

**Bonus Entitlements**

Bonus entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex- bonus date'.

**Rights Entitlements**

Rights entitlements are recognised as investments on the relevant 'ex-rights date'.

**Discount**

Any front end discount on privately placed investments is reduced from the cost of such investments.

**A. Classification**

Investments are specifically procured and held for Policyholders and Shareholders independently and the income relating to these investments is recognised in the Revenue Account and Profit & Loss Account respectively.

**Short Term and Long Term Classification of Investment**

Investments maturing within twelve months from the Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the Balance Sheet date are classified as short-term investments. Investments other than short-term investments are classified as long term investments.

**B. Valuation – Shareholders' Investments and Non-Linked Policyholders' Investments**

All debt securities are considered as 'held to maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount in the revenue account or the profit and loss account over the remaining period of maturity/ holding on a straight line basis.

Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Tri Party Repo are valued at cost subject to accretion of discount, over the remaining period of maturity on straight line basis.

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Valuation of Listed Equity securities is measured at Fair value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the last quoted closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

आईआरडीएआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित “इक्विटी” के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालन) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉण्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। अतिरिक्त टीयर 1 बांड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ या हानि को बैलेंस शीट में “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के तहत पहचाना जाता है।

म्युचुअल फंड इकाइयों का उचित मूल्य तुलन पत्र की तारीख पर शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्युचुअल फंडों के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन, हानि के अधीन, यदि कोई हो, पूर्व की लागत पर किया जाता है।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि बैलेंस शीट की तारीख पर ईटीएफ का प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ का मूल्यांकन बैलेंस शीट की तारीख पर नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर किया जाता है। यदि बैलेंस शीट की तारीख का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ईटीएफ के उचित मूल्यों में परिवर्तन पर अप्राप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में ले जाया जाता है और तुलन पत्र में आगे ले जाया जाता है।

**इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट**

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, बैलेंस शीट की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

**वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)**

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश का मूल्यांकन संबंधित अंतर्निहित फंडों के नवीनतम उपलब्ध शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है। फंड का एनएवी उपलब्ध न होने की स्थिति में, निवेश का मूल्य कम करने के प्रावधान (यदि कोई हो) के अधीन लागत पर लगाया जाता है।

**सी. मूल्यांकन - लिंक्ड व्यवसाय**

केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त कीमतों पर किया जाता है।

कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर का मूल्यांकन क्रिसिल बॉन्ड वैल्यूअर के आधार पर किया जाता है।

कोषागार बिल, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र और त्रिपक्षीय रेपो का मूल्यांकन सीधी रेखा के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि में

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under “Equity” as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd, using Bond Valuer. Unrealized gains or losses arising due to change in the fair value of Additional Tier 1 Bonds are recognised in the Balance Sheet under “Fair value change account”.

Fair value of mutual fund units is the net asset value on the Balance Sheet date. Unrealized gains/losses on changes in fair values of listed equity shares and mutual funds are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) on the balance sheet date. In case NAV of Balance Sheet date is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. Unrealized gains/losses on changes in fair values of ETFs are taken to the Fair Value Change Account and carried forward in the Balance Sheet.

**Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust**

The Investment in Units of InvIT/ REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

**Alternate Investment Fund (AIF)**

Investments in Alternative Investment Fund (AIF) are valued at the latest available net asset values (NAV) of the respective underlying funds. In case the NAV of the fund is not available, investment is valued at cost subject to provision for diminution (if any).

**C. Valuation - Linked business**

Central Government and State Government securities are valued at prices obtained from Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL).

Corporate bonds and debentures are valued on the basis of CRISIL Bond Valuer.

Treasury Bills, Certificates of Deposits, Commercial Papers and Tri Party Repo are valued at cost

बट्टा की अभिवृद्धि के अधीन लागत पर किया जाता है।

सावधि जमा में निवेश का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के अंतिम उद्धृत मूल्य के रूप में उचित मूल्य पर मापा जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ और हानियों की पहचान की जाती है।

सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) व्यवस्था के तहत उधार दिए गए इक्विटी शेयरों को बैलेंस शीट में संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि कंपनी इन प्रतिभूतियों की लाभकारी स्वामी होती है। प्रतिभूतियों का मूल्यांकन इक्विटी शेयरों के लिए ऊपर बताई गयी पद्धति के अनुसार किया गया है।

आईआरडीएआई निवेश विनियमों द्वारा निर्धारित "इक्विटी" के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर 1 (बेसल III अनुपालित) स्थायी बांड, उचित मूल्य पर मूल्यांकित किये जाते हैं, जो सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड द्वारा बॉन्ड वैल्यूअर का उपयोग करके प्रकाशित लागू बाजार प्रतिफल का उपयोग करते हैं। संबंधित निधि के राजस्व खाते में अप्राप्त लाभ या हानि की पहचान की जाती है।

म्युचुअल फंड यूनिट्स का मूल्यांकन पिछले दिन के एनएवी पर किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानि संबंधित फंड के राजस्व खाते में पहचाने जाते हैं।

गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है, हानि के अधीन, यदि कोई हो।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) का मूल्यांकन बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर किया जाता है। बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि प्रतिभूति एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि ईटीएफ का बैलेंस शीट की तारीख पर प्राथमिक या द्वितीयक एक्सचेंज में कारोबार नहीं किया जाता है, तो ईटीएफ को पिछले दिन के नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर मूल्यांकित किया जाता है। यदि पिछले दिन का एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो नवीनतम उपलब्ध एनएवी का उपयोग मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अप्राप्त लाभ और हानियों को संबंधित कोष के राजस्व खाते में पहचाना जाता है।

**इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट**

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट / रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन, बैलेंस शीट की तारीख पर एनएसई (प्राथमिक एक्सचेंज) पर प्रतिभूति के समापन मूल्य पर उचित मूल्य पर किया जाता है। यदि प्रतिभूति, एनएसई पर सूचीबद्ध/ट्रेड नहीं की जाती है, तो बीएसई (द्वितीयक एक्सचेंज) के समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। यदि, इसका पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, तो यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

subject to accretion of discount over the remaining period of maturity on straight line basis.

Investments in Fixed Deposits are valued at cost.

Listed equity shares are measured at fair value being the last quoted closing price of the security on NSE (Primary Exchange). In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. Unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

Equity shares lent under the Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism are recognised in the Balance Sheet as assets, as the Company continues to be beneficial owner of these securities. The securities are valued as stated above for equity shares.

Additional Tier 1 (Basel III Compliant) Perpetual Bonds classified under "Equity" as stipulated by IRDAI Investment Regulations, are valued at fair value, using applicable market yields published by SEBI registered rating agency viz., CRISIL Ltd., using Bond Valuer. Unrealized gains or losses are recognised in the respective fund's revenue account.

Mutual Fund units are valued at NAV of previous day. In case previous day's NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the respective fund's revenue account.

Unlisted equity shares are valued at historical cost, subject to impairment, if any.

Exchange Traded Funds (ETFs) are valued at Fair Value on the Balance Sheet date. For the purpose of calculation of Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case ETFs are not traded on either of the Primary or the Secondary exchange on the Balance Sheet date, then the ETFs are valued at Net Asset Value (NAV) of previous day. In case previous day's NAV is not available, then the latest available NAV is used for valuation purposes. The unrealized gains and losses are recognised in the revenue account of respective fund.

**Infrastructure Investment Trust / Real Estate Investment Trust**

The Investment in Units of InvIT/REIT are valued at Fair Value on the Balance Sheet date, closing price of the security on NSE (Primary Exchange) is considered. In case, the security is not listed/ traded on NSE, the closing price on BSE (Secondary Exchange) is considered. In case, the market quote is not available for the last 30 days, the Units are valued as per the latest NAV (not more than 6 months old) of the Units published by the Trust.

## डी. ब्याज दर डेरिवेटिव

ब्याज दर डेरिवेटिव संविदाओं का उपयोग बीमा संविदाओं और जीवन, पेंशन और वार्षिकी व्यवसाय में निवेश के नकदी प्रवाह पर अत्यधिक संभावित पूर्वानुमानित संव्यवहारों की हेजिंग के लिए किया जाता है। कंपनी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'डेरिवेटिव संविदा के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शक नोट' और समय-समय पर संशोधित आईआरडीएआई इनवेस्टमेंट मास्टर परिपत्र के अनुसार हेज लेखांकन का पालन करती है।

कंपनी के पास बोर्ड अनुमोदित जोखिम हेजिंग नीति और प्रक्रिया दस्तावेज है जिसमें ब्याज दर जोखिम हेजिंग कार्यनीति के अनुसार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए किए गए डेरिवेटिव संव्यवहारों के कामकाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं को कवर किया गया है। हेज की शुरुआत में, कंपनी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हेज मद, जोखिम प्रबंधन उद्देश्य, हेज करने की रणनीति और हेज करने की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों के बीच संबंध को निर्धारित और दस्तावेजीकृत करती है। हेज करने की प्रभावशीलता वह स्तर है जिस तक हेज किए गए मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन, जो हेज किए गए जोखिम के कारण होते हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन से दूर होते हैं। हेज करने की प्रभावशीलता हेज की शुरुआत के समय और उसके बाद समय-समय पर बैलेंस शीट की तारीख में सुनिश्चित की जाती है।

फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए) संविदा का मूल्यांकन सेबी द्वारा अनुमोदित रेटिंग एजेंसी से लिए गए स्पॉट रेफरेंस यील्ड पर अंतर्निहित बॉण्ड के बाजार मूल्य और एफआरए संविदा निपटान तिथि तक मूल्यांकन तिथि इंटरमीडिएट कूपन इनफ्लो के वर्तमान मूल्य सहित अंतर्निहित बॉण्ड के अनुबंधित फॉरवर्ड मूल्य के बीच के अंतर पर किया जाता है। यह लागू आईएनआर ओवरनाइट इंटरेस्ट स्वैप (ओआईएस) दर वक्र पर किया जाता है। फेयर वैल्यूएशन के लिए मार्जिन सेटलमेंट या डेरिवेटिव के मार्क टू मार्केट मूल्यांकन को फॉरवर्ड दर करार के अनुसार मूल्यांकनकर्ता एजेंट द्वारा मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

हेजिंग लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है और बाद की रिपोर्टिंग तिथियों पर उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि का प्रभावी हिस्सा जो प्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी खाते में मान्यता दी जाती है, अर्थात बैलेंस शीट में 'क्रेडिट/(डेबिट) उचित मूल्य परिवर्तन खाते के तहत "हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व" या "एचएफआर" शीर्ष में और ऐसे डेरिवेटिव उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के अप्रभावी हिस्से को राजस्व खाते में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। ब्याज दर डेरिवेटिव पर उचित मूल्य लाभ/हानि जो अप्रभावी बचाव के रूप में निर्धारित किया जाता है, वे राजस्व खाते में उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व में पहचाने गए संचित लाभ या हानियों को उसी अवधि में राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जिसके दौरान अंतर्निहित पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह से अर्जित आय को राजस्व खाते में मान्यता दी जाती है।

## D. Interest Rate Derivative

Interest rate derivative contracts are used for hedging of highly probable forecasted transactions on insurance contracts and investment cash flows in life, pension and annuity business. The Company follows hedge accounting in accordance with the 'Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts' issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and IRDAI Investment Master Circular as amended from time to time.

The Company has Board approved interest rate risk hedging Policy and Process document covering various aspects related to functioning of the derivative transactions undertaken to mitigate interest rate risk as per the Interest rate risk hedging strategy. At the inception of the hedge, the Company designates and documents the relationship between the hedging instrument and the hedged item, the risk management objective, strategy for undertaking the hedge and the methods used to assess the hedge effectiveness. Hedge effectiveness is the degree to which changes in the fair value or cash flows of the hedged item that are attributable to a hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument. Hedge effectiveness is ascertained at the time of inception of the hedge and periodically thereafter at Balance Sheet date.

The Forward Rate Agreement (FRA) contract is valued at the difference between the market value of underlying bond at the spot reference yield taken from the SEBI approved rating agency and present value of contracted forward price of underlying bond including present value of intermediate coupon inflows from valuation date till FRA contract settlement date, at applicable INR Overnight Interest Swap (OIS) rate curve. Margin settlement for the fair valuation or Mark to market valuation of derivative is carried based on valuation by the valuation agent as per forward rate agreement.

Hedging instruments are initially recognised at fair value and are re-measured at fair value at subsequent reporting dates. The effective portion of fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an effective hedge is recognised in equity account i.e. "Hedge Fluctuation Reserve" or "HFR" under the head 'Credit/(Debit) Fair Value Change Account'' in the Balance Sheet and the ineffective portion of the change in fair value of such derivative instruments is recognised in the revenue account in the period in which they arise. The fair value gain / loss on the interest rate derivative that is determined to be an ineffective hedge is recognised in the revenue account in the period in which they arise.

The accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account, in the same period during which the income from investments acquired from underlying forecasted cash flow is recognized in the Revenue Account.

हेज लेखांकन को बंद कर दिया जाता है जब हेजिंग लिखत समाप्त हो जाता है या यह संभावना बन जाती है कि अपेक्षित पूर्वानुमान संव्यवहार अब नहीं होगा या जोखिम प्रबंधन उद्देश्य बदल गया है या अब पूरा होने की उम्मीद नहीं है। इस तरह की समाप्ति पर, संचित लाभ या हानि जिन्हें हेज उतार-चढ़ाव रिजर्व में मान्यता दी गई थी, उन्हें राजस्व खाते में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। डेरिवेटिव संविदाओं से जुड़ी लागतों को एक बार के लागत के रूप में माना जाता है।

**ई. निवेशों का अंतरण**

**शेयरधारकों के खाते से पॉलिसीधारकों के खाते में अंतरण:**

पॉलिसीधारक के खाते में घाटे को पूरा करने के लिए शेयरधारक के खाते से पॉलिसीधारक के खाते में प्रतिभूतियों का अंतरण डेट प्रतिभूतियों के अलावा लागत मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

डेट प्रतिभूतियों के मामले में अंतरण, बाजार मूल्य या शुद्ध परिशोधित लागत, जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि अंतरण के समय किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

**गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के धन के बीच अंतरण:**

विभिन्न गैर-लिंक्ड पॉलिसीधारकों के फंड के बीच प्रतिभूतियों का कोई अंतरण नहीं किया जाता है।

**यूनिट-लिंक्ड फंड्स के बीच अंतरण:**

विभिन्न यूनिट लिंक्ड फंडों के बीच निवेश का अंतरण प्रचलित बाजार मूल्य पर किया जाता है।

इक्विटी के अलावा अन्य प्रतिभूतियों के मामले में, यदि किसी प्रतिभूति का प्रचलित बाजार मूल्य अंतरण के समय उपलब्ध नहीं है, तो पिछले दिन जिस मूल्य पर प्रतिभूति का मूल्यांकन किया गया था, उस पर विचार किया जाता है।

**अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए प्रावधान**

सभी संपत्तियां जहां बैलेंस शीट की तारीख पर 90 दिनों से अधिक के लिए ब्याज और / या मूलधन चुकौती की किस्त अतिदेय रहती है, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। "डेट पोर्टफोलियो के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड" पर विनियमों के अनुसार, सभी एनपीए के संबंध में बकाया राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

**निवेश का ह्रास**

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में निवेश की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है, यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेतक हो। ह्रास हानि को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और राजस्व/लाभ या हानि खाते में 'निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (शुद्ध)' शीर्षक के अंतर्गत प्रकटन किया जाता है, जैसा कि राजस्व/लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी पिछली ह्रास हानि से घटाया गया पुनर्मापित उचित मूल्य और अधिग्रहण लागत के बीच अंतर की सीमा तक होता है। राजस्व/लाभ

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument is terminated or it becomes probable that the expected forecast transaction will no longer occur or the risk management objective is changed or no longer expected to be met. On such termination, accumulated gains or losses that were recognised in the Hedge Fluctuation Reserve are reclassified into Revenue Account. Costs associated with derivative contracts are considered as at a point in time cost.

**E. Transfer of Investments**

**Transfer from shareholders' account to the policyholders' account:**

Transfer of securities from the Shareholder account to the policyholders account to meet the deficit in the policyholders account is done at the cost price or market price, whichever is lower, for other than debt securities.

In case of debt securities, transfer is done at market price or net amortized cost, whichever is lower. If the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

**Transfer between Non – Linked policyholders' funds:**

No transfer of securities is done between various non-linked policyholders' funds.

**Transfer between Unit-Linked Funds:**

Transfer of investments between various unit linked funds is done at prevailing market price.

In case of securities other than equity, if the prevailing market price of any security is not available at the time of transfer, then the price at which the security was valued on the previous day is considered.

**Provision for Non-Performing Assets (NPA)**

All assets where the interest and / or instalment of principal repayment remain overdue for more than 90 days at the Balance Sheet date are classified as NPA. In accordance with regulations on "Prudential norms for income recognition, asset classification, provisioning and other related matters in respect of debt portfolio", adequate provisions are made to cover amounts outstanding in respect of all NPA's.

**Impairment of Investment**

The carrying amounts of investments are reviewed at each balance sheet date, whether there is any indicator of impairment based on internal / external factors. An impairment loss is recognised as an expense and disclosed under the head 'Provision for diminution in the value of investment (net)' in the Revenue/ Profit or Loss account, to the extent of difference between the remeasured fair value and the acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognised as expense in Revenue/ Profit and Loss Account. Any reversal of impairment

और हानि खाते में पहले मान्यता प्राप्त ह्रास हानि के किसी भी रिवर्सल को क्रमश: राजस्व/लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाएगी।

**कॉल और पुट ऑप्शन के साथ प्रतिभूतियां**

कॉल विकल्प वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंतिम परिपक्वता तिथि या कॉल विकल्प तिथि तक, प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के कमतर स्तर पर किया जाता है। यदि कई कॉल विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न कॉल विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है।

पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंतिम परिपक्वता तिथि या पुट ऑप्शन तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त मूल्य के उच्चतम मूल्य पर किया जाता है। यदि कई पुट विकल्प हैं, तो प्रतिभूति का मूल्यांकन विभिन्न पुट विकल्प प्रयोग तिथियों या अंतिम परिपक्वता तिथि तक प्रतिभूति के मूल्यांकन से प्राप्त उच्चतम मूल्य पर किया जाता है।

एक ही दिन पुट और कॉल विकल्प दोनों वाली प्रतिभूतियों को पुट/कॉल तिथि पर परिपक्व माना जाएगा और तदनुसार उनका मूल्यांकन किया जाएगा। आईआरडीएआई के इन्वेस्टमेंट मास्टर परिपत्र 2022 की आवश्यकता के अनुसार 30 वर्षों की डीम्ड अवशिष्ट परिपक्वता को देखते हुए अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड का मूल्यांकन किया गया है।

## 9) डेरिवेटिव

### ए. बैंकिंग कंपनी

वर्तमान में बैंक, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव में फॉरेक्स वायदा संविदा का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव हैं - रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव हैं - करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को अलग-अलग रिकॉर्ड किया जाता है।

ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय, उपचय आधार पर लेखांकित होती है

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ङ) ट्रेडिंग के उद्देश्य से, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर (एमटीएम) अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो, उसे लाभ एवं हानि के रूप में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च) ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्रविष्ट, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का, विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर, प्रचलित मार्केट दरों

loss earlier recognised in the Revenue /Profit and Loss Account shall be recognised in Revenue/ Profit and Loss Account respectively.

**Securities with call and put options**

Securities with call option are valued at the lower of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the call option date. In case there are multiple call options, the security is valued at the lowest value obtained by valuing the security at various call option exercise dates or up to the final maturity date.

Securities with put option are valued at the higher of the value as obtained by valuing the security up to final maturity date or the put option date. In case there are multiple put options, the security is valued at the highest value obtained by valuing the security at various put option exercise dates or up to the final maturity date.

The securities with both put and call option on the same day would be deemed to mature on the put/ call date and would be valued accordingly. Addition tier 1 bonds have been valued considering the deemed residual maturity as per the requirement of IRDAI Investment Master Circular 2022.

## 9) DERIVATIVE

### A. Banking Entity:

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

(e) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(f) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the

पर मूल्यांकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप के निरस्तीकरण पर, किसी भी लाभ/ हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की शेष अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि - इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खंड में उसे निर्धारित किया जाता है।

ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/ प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

## बी. गैर-बैंकिंग: मर्चेंट बैंकिंग

ए) वायदा अनुबंध/ऑप्शन की बिक्री में प्रवेश के समय देय प्रारंभिक मार्जिन, सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के साथ जमा के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

बी) वायदा के संविदाओं में लेन-देन को संविदा के नोशनल व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में दर्ज किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को वायदा में ओपन इंटरेस्ट इसके नोशनल मूल्य से घटाया जाएगा।

सी) **वायदा के संविदाओं के मामले में,** निपटान मूल्य या पिछले दिन के विनिमय समापन मूल्य और बाद के दिन के विनिमय समापन मूल्य में अंतर, एक्सचेंज को भुगतान या एक्सचेंज से प्राप्त, मार्क-टू-मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाएगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में बैलेंस शीट की तारीख तक वायदा संविदाओं में ओपन ब्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर भुगतान की गई या प्राप्त की गई शुद्ध राशि का प्रदर्शित करेगा। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन खाते में शुद्ध डेबिट शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाएगा जबकि शुद्ध क्रेडिट शेष को वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया जाएगा।

डी) **ऑप्शन संविदाओं के मामले में,** भुगतान किए जाने वाले या ऑप्शन की खरीद और बिक्री पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम और ऑप्शन के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में माना जाएगा। बेचे गए ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट के मामले में, यदि कोई हो तो, बैलेंस शीट तिथि पर प्रचलित प्रीमियम, उन ऑप्शन के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक होने वाली राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा। बैलेंस शीट तिथि पर प्रचलित प्रीमियम पर प्राप्त होने वाले प्रीमियम की अधिकता को मान्यता नहीं दी जाएगी।

इसी तरह, खरीदे गए ऑप्शन के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं जिसके द्वारा ऑप्शन के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, बैलेंस शीट की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम से अधिक होगा और भुगतान किए गए प्रीमियम पर बैलेंस शीट की तारीख पर प्रचलित प्रीमियम की अधिकता होगी तो उसे नजरअंदाज किया जाएगा। एक से अधिक ओपन स्थितियों के मामले में, निम्नानुसार प्रावधान किए जाएंगे:

सभी खरीद संविदाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का योग + बिक्री की स्थिति में सभी अतिरिक्त प्रीमियम का योग

Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(g) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(h) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

## B. Non-Banking : Merchant Banking

**a)** Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options shall be adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

**b)** Transactions in Future contracts shall be accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date shall be netted by its notional value.

**c)** **In case of Future Contracts,** the difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange shall be treated as Mark-to-Market Margin. The balance in the Mark-to-Market Margin Account shall represent the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark-to-Market Margin Account shall be charged off to revenue whereas net credit balance shall be shown under current liabilities.

**d)** **In case of Option Contracts,** premium to be paid or to be received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options shall be accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold if any as on the balance sheet date, provision shall be made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date shall exceed the premium to be received for those options. The excess of premium to be received over the premium prevailing on the Balance Sheet date shall not be recognised.

Similarly, in case of options bought, provisions hall be made for the amount by which the premium to be paid for the option shall exceed the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid shall be ignored. In case of multiple open positions, provisions shall be made as under:

Sum of premium paid for all buy contracts + sum of all excess premium in sell positions

## 10) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण:

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त, जिन्हें पुनर्मूल्यांकित रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय। उपयोग की जा रही आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पंजीकृत किया जाएगा जब ऐसी आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति की पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

## 10) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is ready to use or capable of ready to use. Subsequent expenditure incurred on assets ready to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (e.g. Mobile Phones, Computers, Computer Software forming part of hardware), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below-

| क्र. सं. Sr. No. | विवरण | Particulars | मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation | बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank | मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **भवन एवं भूमि** | **Land & Building:** | | | |
| a. | भूमि (फ्री होल्ड) | Land (Freehold) | शून्य NIL | | |
| b. | पट्टाधारित भूमि | Leasehold Land | | लीज प्रीमियम को पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease | |
| c. | भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है) | Building (including cost of land if not ascertained separately) | 1.58% | 60 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| 2. | **अन्य अचल आस्तियां:-** | **Other Fixed Assets:-** | | | |
| a. | फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण | Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments | 9.50% | 10 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| b. | इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण | Electrical Fitting and Equipments | 9.50% | 10 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| c. | एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें | Air-conditioning plants, etc. and business machines | 6.33% | 15 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| d. | मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें | Motor cars, Vans & Motor cycles | 11.88% | 8 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| e. | साइकल | Cycle | 20.00% | 5 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| f. | मोबाईल फोन | Mobile Phones | 33.33% | 3 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| g. | कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है। | Computers and Computer Software forming integral part of hardware | 33.33% | 3 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| h. | सर्वर | Servers | 20% | 5 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |
| i. | कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है। | Computer Software, which do not form integral part of computer hardware | 20% | 5 वर्ष Years | सीधी आरेख पद्धति Straight Line |

ङ) वर्ष के दौरान, खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को, जितने दिनों के लिए संबंधित आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर परिकलित किया जाता है।

च) आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय यथा मूल्यांकित, संबंधित आस्ति के बचे हुए उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास लिया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ) भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

ज) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जो कम्प्यूटर हार्डवेयर के अनिवार्य अंग नहीं है, उन्हें अमूर्त आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हे पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

झ) पट्टे पर धारित भूमि के संदर्भ में लीज प्रीमियम, यदि कुछ हो तो, उसे लीज अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

## 11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक एएस 11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया जाता है:

### क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालनों के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है:

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में, आरंभिक मान्यता पर रिकार्ड किया जाता है। ऐसा, कॉजेंसिज/रयूटर के पृष्ठ में प्रदर्शित साप्ताहिक औसत क्लोजिंग दर पर, रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाकर किया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें, जो पूर्व की लागत के अनुसार की जाती हैं उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा में रखी गई आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट की जाती हैं।

v) बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का, निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been ready to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

h. Computer Software, not forming integral part of computer hardware is classified as intangible asset and amortised over a period of 5 years.

i. In respect of leasehold land, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease.

## 11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

### a) Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page on date of the transaction.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange

बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकॉर्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

viii) मुद्रा वायदा बाजार में ओपन स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसी प्राप्ति/ हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

### ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ-साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर परिवर्तन किया जाता है।

ii) आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - “विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व” में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

## 12) कर्मचारी लाभ : (एएस 15 : कर्मचारी लाभ)

### i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान, कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

### ii. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

**ए. परिनिश्चित लाभ योजना:-**

**क) उपदान (ग्रैच्युटी)**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के बेसिक वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान नियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो के अधीन है। वेस्टिंग पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर ही होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन ट्रस्टी द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य ऐक्चवेरीयल

contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

### b) Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account ‘Foreign Currency Translation Reserve’ till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign entities.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

## 12) EMPLOYEE BENEFITS: (AS 15: Employee Benefits )

### i. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

### ii. Long Term Employee Benefits:

**A. Defined Benefit Plan**

**a) Gratuity**

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, or on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes

मूल्यांकन पर आधारित है।

**ख) पेंशन**

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियमों के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के तहत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

**बी. परिनिश्चित अंशदान योजना:**

**क. भविष्य निधि:**

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के तहत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करती है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

**ख. पेंशन**

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

**ग. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन एवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, आकस्मिक लाभ इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - “कर्मचारी लाभ” के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

**b) Pension**

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

**B. Defined Contribution Plan:**

**a. Provident Fund**

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

**b. Pension**

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

**c. Other Long term Employee Benefits:**

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – “Employee Benefits”.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – “Employee Benefits”.

iii) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

## 13. सेगमेंट रिपोर्टिंग: (एएस 17 : सेगमेंट रिपोर्टिंग)

आरबीआई के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक लेखांकन 17 के अनुसार बैंक कारोबार संबंधी खण्ड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खण्ड और भोगेलिक खण्ड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

## 14. लीज संव्यवहार: (एस 19 लीज)

लीज जहां मालिकाना का जोखिम और रिवार्ड, पट्टाकर्ता द्वारा रखा जाता है उसे लेखांकन मानक 19 (लीज) के अनुसार परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। ऐसी लीज पर लीज व्यय लाभ एवं हानि खाने में निर्धारित किया जाता है।

## 15. प्रति शेयर अर्जन: (एएस 20 : प्रति शेयर अर्जन)

क) एएस 20 ''अर्जन प्रति शेयर'' के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर की गणना, मूल अर्जन की कर पश्चात् शुद्ध लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग कर की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया तरल संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लेकर की जाती है।

## 16. आय पर कर: (एएस 22 : आय पर कर के लिए लेखांकन )

क) बीओआई ग्रुप द्वारा किये गये, वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 - "आय पर करों के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

ख) आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ग) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

iii.) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

## 13) SEGMENT REPORTING: (AS 17 : Segment Reporting)

The Bank recognises the business segment as the primary reporting segment and geographical segment as the secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by Institute of Chartered Accountants of India.

## 14) LEASE TRANSACTIONS: (AS 19 LEASES )

Lease where risks & rewards of ownership are retained by lessor are classified as Operating Lease as per AS 19 (Leases). Lease expenses on such lease are recognised in Profit & Loss Account.

## 15) EARNINGS PER SHARE: (AS 20: Earning per Share)

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 “Earnings per share”. Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

## 16) TAXES ON INCOME: (AS 22: Accounting for Taxes on Income)

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the BOI group. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - “Accounting for Taxes on Income” respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management’s judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

घ) समेकित वित्तीय विवरणी में, आय कर व्यय, मूल तथा उसकी अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम के संबंध में लागू कानूनों के अनुसार उनकी पृथक वित्तीय विवरणियों में प्रदर्शित कर व्ययों की राशि का कुल योग है।

### 17. आस्तियों का ह्रास: (एएस 28 : आस्तियों का ह्रास)

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि, यदि कोई हो, तो एएस 28 ''आस्तियों का ह्रास'' के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता, उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

### 18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां: (एएस 29 : प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियाँ)

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक प्रावधानों को केवल तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह भी हो सकता है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों का बहिर्गमनों की दायित्वों को निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

### 19. शेयर निर्गम संबंधी व्यय :

शेयर निर्गमित किए जाने वाले वर्ष में शेयर निर्गमन संबंधी व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

d) In Consolidated Financial Statements, income tax expenses are the aggregate of the amounts of tax expense appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiaries/joint ventures, as per their applicable laws.

### 17) IMPAIRMENT OF ASSETS: (AS 28: Impairment of Assets)

Impairment losses, if any on Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

### 18) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS: (AS 29: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)

As per AS 29 “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets”, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

### 19) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to Share Premium Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे रु. करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

## समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

| अनुषंगियों का नाम | निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश | यथा 31.03.2024 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात | यथा 31.03.2023 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|---|
| **स्वदेशी अनुषंगियां :** | | | |
| क बीओआई शेयरहोल्डिंग लि. | भारत | 100% | 100% |
| ख बीओआई इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि. | भारत | 100% | 100% |
| ग बीओआई ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि | भारत | 100% | 100% |
| घ बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि. | भारत | 100% | 100% |
| **विदेशी अनुषंगियां:** | | | |
| क पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके | इंडोनेशिया | 90.96% | 86.04% |
| ख बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लिमिटेड | तंजानियां | 100% | 100% |
| ग बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड | न्यूजीलैन्ड | 100% | 100% |
| घ बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड | युगांडा | 100% | 100% |

2. इस समेकित विवरण पत्रों में शामिल सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के विवरण इस प्रकार है:

(i) सहयोगी कंपनियां:

| सहयोगी कंपनियों के नाम | निगमन देश | यथा 31.03.2024 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात | यथा 31.03.2023 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|---|
| **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-** | | | |
| क मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक | | | |
| i) मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक (पहले नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक) | भारत | 35% | 35% |
| ii) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक | भारत | 35% | 35% |
| iii) आर्यावर्त बैंक (पहले आर्यावर्त ग्रामीण बैंक) | भारत | 35% | 35% |
| ख इंडो जाम्बिया बैंक लि. | जाम्बिया | 20% | 20% |
| ग एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड | भारत | 29.96% | 29.96% |
| घ एएसआरईसी (इंडिया) लि. | भारत | 26.02% | 26.02% |

(ii) संयुक्त उद्यम:

| संयुक्त उद्यमों के नाम | निगमन देश | यथा 31.03.2024 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात | यथा 31.03.2023 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात |
|---|---|---|---|
| स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि. | भारत | 28.96% | 28.96% |

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2024 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी – इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2023 तक तैयार किए गए हैं और उसके प्रबंधन ने 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं हैं।

4. अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और उनके द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन नीतियों के कारण उत्पन्न लेखांकन समायोजन, अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए हैं।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

(i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2024 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2024 तक के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा प्रमाणित और निगमन के देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप एक स्वतंत्र समीक्षक द्वारा समीक्षा की गई।

(iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2024 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

(iv) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई इंवेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई ट्रस्टी सर्विसीज़ प्रा.लि., बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि., मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त ग्रामीण बैंक तथा एसटीसीआई फाइनेन्स लि. के 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12. 2023 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

(v) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लिमिटेड तथा एएसआरईसी (इंडिया) लि. के 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, अन्य कार्यालय खातों इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है

7. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

### ए) विनियामक पूँजी की संरचना:

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (CET 1) | 62,482.14 | 51,100.79 |
| ii) | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 2,852.00 | 2,852.00 |
| iii) | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 65,334.14 | 53,952.79 |
| iv) | टियर 2 पूंजी | 8,444.16 | 6,683.40 |
| v) | कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2) | 73,778.29 | 60,636.19 |
| vi) | कुल जोखिम भारित आस्तियां (RWAs) | 416,996 | 358,532 |
| vii) | CET 1 अनुपात | 14.98% | 14.25% |
| viii) | टियर 1 अनुपात | 15.66% | 15.05% |
| ix) | टियर 2 अनुपात | 2.03% | 1.86% |
| x) | पूंजी – जोखिम भारित आस्तियां अनुपात (CRAR) | 17.69% | 16.91% |
| xi) | लिवरेज अनुपात | 6.75% | 6.28% |
| xii) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत | 73.38% | 81.41% |
| xiii) | व.र्ष के दौरान जुटाई गई प्रदत्त पूंजी की राशि | 4,500* | *NIL |
| xiv) | आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि | NIL | NIL |
| xv) | वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर इक्विटी टियर 1 पूंजी, जिसमें से : | | |
| | बासेल III का अनुपालन करने वाले स्थायी नामे लिखत | NIL | 1,500.00 |
| xvi) | वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी, जिसमें से : | | |
| | बासेल III अनुपालन स्थाई ऋण लिखत | 2,000.00 | NIL |

पूंजी-जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात और लिवरेज अनुपात की उक्त गणना 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा पूंजी के रूप में डाले गए गैर-ब्याज वाले पुनर्पूंजीकरण बांड के निवल वर्तमान मूल्य के प्रभाव पर विचार करने के बाद की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सीएपी.आरईसी. 15/21.06. 201/2023-24 दिनांक 12 मई, 2023 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2024 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर आस्तियों पर विचार किया है।

*मूल बैंक ने 05 दिसम्बर, 2023 को क्यूआईपी के माध्यम से रु. 4,500 की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है। मूल बैंक ने निवेशकों को रु. 90.20 प्रति शेयर के प्रीमियम पर रु.10 अंकित मूल्य के 44,91,01,796 इक्विटी शेयर जारी किए हैं और आबंटित किए हैं।

(ए1) टियर 1 पूंजी बढ़ाने हेतु जुटाए गए बकाया अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बाण्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

| वर्ष के दौरान जुटाए गए | स्वरूप | राशि | सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III) |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | अतिरिक्त टियर 1 | 1,352.00 | 1,352.00 |
| 2022-23 | अतिरिक्त टियर 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | **कुल** | **2,852.00** | **2,852.00** |

मूल बैंक ने 02 दिसंबर, 2022 को 1,500 रुपये की राशि के बासेल III अनुरूप अतिरिक्त टियर-I बांड श्रृंखला VIII जुटाए हैं।

(ए2) टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

| वर्ष के दौरान जुटाए गए | स्वरूप | राशि | सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III) |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | टियर II | 3,000.00 | 600.00 |
| 2020-21 | टियर II | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2023-24 | टियर II | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | **कुल** | **6,800.00** | **4,400.00** |

मूल बैंक ने 25 सितंबर, 2023 और 30 मार्च, 2023 को तथा क्रमशः रु.1,000 और रु.500 की राशि के टियर II बॉण्ड सिरीज़ X एवं सिरीज़ XI को रिडीम किया है।

मूल बैंक ने 15 सितंबर, 2023 को 2,000 रुपये की राशि के बेसल III अनुरूप अतिरिक्त टियर-II बांड श्रृंखला XVI जुटाए हैं।

### बी) आरक्षितियों से आहरण द्वारा गिरावट (मूल बैंक) :

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, आरक्षितियों से लाभ-हानि खातों में कोई आहरण नहीं हुआ है।

सी) मूल बैंक ने अपनी एक अनुषंगी, पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके में 4.92% (रु. 675.63) की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल की है, जिसके परिणाम स्वरूप रु. 65.51 की समेकन पर सुनाम (गुडविल) हुआ है और इसे वर्ष के दौरान समायोजित और बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

डी) मूल बैंक ने अपनी एक अनुषंगी, बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) में रु. 148.72 का निवेश किया है।

ई) मूल बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी एक सहायक कंपनी, बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड में रु. 19.20 की अतिरिक्त पूंजी डाली है।

एफ) वर्ष के दौरान, मूल बैंक को उसके दो सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक (रु. 110.09) और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक (रु. 139.08) द्वारा 249.17 रुपये के शेयर आबंटित किए गए हैं।

जी) मूल बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में एक सहयोगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् आर्यावर्त बैंक में रु. 152.04 करोड़ (आबंटन हेतु लंबित) की अतिरिक्त आनुपातिक पूंजी डाली है।

### हेच) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| निवेश के लिए प्रावधान | 72.13 | 1,207.76 |
| एनपीए के लिए प्रावधान | 4163.01 | 3,667.90 |
| आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित) | 3808.60 | 2,216.62 |

| विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| मानक आस्तियों के लिए प्रावधान | (-)378.72 | 1,655.18 |
| **अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं** | | |
| पुन:संरचित खातों में त्याग हेतु प्रावधान | (-)217.48 | (-)64.80 |
| देश जोखिम के लिए प्रावधान | (-)30.64 | 14.72 |
| अन्य प्रावधान | 442.06 | 749.22 |
| **कुल** | **7858.96** | **9,446.59** |

**आई) फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31.03.2024 - (मूल बैंक)**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अव-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| प्रारंभिक शेष | | | | | | 0.00 |
| जोडें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | | | | | | 0.00 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण | | | | | | 0.00 |
| फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष | | | | | | 0.00 |

**फ्लोटिंग प्रावधान यथा 31.03.2023 - (मूल बैंक)**

| | मानक | अनर्जक | | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम | अव-मानक | संदिग्ध | हानि | कुल अनर्जक अग्रिम | |
| प्रारंभिक शेष | | | | | | 0.00 |
| जोडें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान | | | | | | 0.00 |
| घटाएं : वर्ष के दौरान आहरण | | | | | | 0.00 |
| फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष | | | | | | 0.00 |

**जे) आय कर – (मूल बैंक)**

ए. आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के तहत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, में ₹ 2,909.92 (पिछले वर्ष ₹ 355.86) की विवादित आयकर/ब्याज कर देयताएं शामिल हैं, जिनके लिए ऐसे विवादों पर पिछले आकलन के संबंध में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। उक्त विवादित बकाया के विरुध्द किए भुगतान / समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

बी. लागू कर विधियों के प्रावधान तथा कुछ विवादित मामलों पर प्रासंगिक विधिक निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद करों के लिए प्रावधान का परिकलन किया गया है।

**के) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)**

वर्ष 2023-24 के दौरान, मूल बैंक ने अनुषंगियाँ की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है।

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2024 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

## 8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन:

### ए. लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) :

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की तुलना में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों, जिनका पालन किया गया, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

### बी. एएस-15 "कर्मचारी लाभ" (मूल बैंक)

| क्र.सं. | विवरण | वि.व. 2023-2024 | | वि.व. 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेंशन | उपदान | पेंशन |
| (i) | प्रयुक्त महत्वपूर्ण बीमांकिक अनुमान: | | | | |
| | छूट की दर | 7.22% | 7.21% | 7.51% | 7.39% |
| | योजनागत आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर | 7.77% | 7.47% | 6.87% | 7.67% |
| | वेतन वृद्धि दर | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| | एट्रिशन रेट करंट | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |

| क्र.सं. | विवरण | वि.व. 2023-2024 | | वि.व. 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेन्शन | उपदान | पेन्शन |
| (ii) | **परिनिश्चित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका :** | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में देयता | 2,070.55 | 18,996.40 | 1,898.52 | 17,889.53 |
| | ब्याज लागत | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | वर्तमान सेवा लागत | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | विगत सेवा लागत | - | 326.05 | - | 122.42 |
| | भुगतान किया गया लाभ | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि | 197.28 | 725.63 | 211.81 | 719.43 |
| | वर्ष के अंत में देयता | 2,289.02 | 20,430.10 | 2,070.55 | 18,996.40 |
| | पिछली सेवा लागत जिनकी गणना नहीं की गई | - | 41.22 | - | 183.62 |
| | **कुल परिभाषित लाभ दायित्व** | **2,289.02** | **20,471.32** | **2,070.55** | **19,180.02** |
| (iii) | **योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य की तालिका :** | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्ति का उचित मूल्य | 2,055.47 | 18,459.42 | 1,887.32 | 17,604.64 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |
| | योगदान | 238.96 | 2,111.16 | 320.89 | 1,439.17 |
| | भुगतान किया गया लाभ | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | **2,223.34** | **19,922.68** | **2,055.47** | **18,459.42** |
| | **कुल बीमांकिक लाभ/(हानि) जिसकी गणना की गई** | **(185.76)** | **(756.92)** | **(217.68)** | **(764.95)** |
| (iv) | **योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :** | | | | |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |
| | योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | **प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिलाभ** | **171.09** | **1,351.79** | **125.25** | **1,288.14** |
| (v) | **बैलेंस शीट में शामिल राशि:** | | | | |
| | वर्ष के अंत में देयता | 2,289.02 | 20,471.32 | 2,070.55 | 19,180.02 |
| | वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 2,223.34 | 19,922.68 | 2,055.47 | 18,459.42 |
| | पिछली सेवा लागत जिसे शामिल नहीं किया गया है | - | 41.22 | - | 183.62 |
| | **बैलेंस शीट में शामिल राशि** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| (vi) | **आय-विवरण में शामिल व्यय:** | | | | |
| | वर्तमान सेवा लागत | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | ब्याज लागत | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ | (159.58) | (1,383.08) | (131.13) | (1,333.66) |
| | पूर्व वर्षों से संबंधित व्यय जिसे शामिल किया गया है | - | - | - | - |
| | विगत सेवा लागत | - | 142.42 | - | 306.04 |
| | बीमांकिक (लाभ) या हानि | 185.76 | 756.92 | 217.68 | 764.95 |
| | **लाभ-हानि खाते में शामिल व्यय** | **289.55** | **1,897.97** | **324.78** | **1,874.89** |

| क्र.सं. | विवरण | वि.व. 2023-2024 | | वि.व. 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपदान | पेन्शन | उपदान | पेन्शन |
| (vii) | **तुलनपत्र समाधान** | | | | |
| | आरंभिक निवल देयता (पिछले वर्ष की निवल राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है) | 15.09 | 536.98 | 11.20 | 284.88 |
| | अतिरिक्त विगत सेवा लागत | - | 183.63 | - | - |
| | यथोक्त व्यय | 289.55 | 1,897.97 | 324.78 | 1,874.89 |
| | नियोक्ता का अंशदान | (238.96) | (2,111.16) | (320.89) | (1,439.17) |
| | अतिरिक्त विगत सेवा लागत | - | - | - | (183.62) |
| | **तुलनपत्र में शामिल राशि** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| (viii) | **आस्तियों की श्रेणी :** | | | | |
| | भारत सरकार की प्रतिभूतियां | 15.24 | 2,597.01 | 15.30 | 2,329.69 |
| | इक्विटी | - | 813.33 | - | 759.33 |
| | कॉरपोरेट बाण्ड | 42.26 | 6,158.30 | 94.98 | 6,095.69 |
| | राज्य सरकार की प्रतिभूतियां | - | 3,064.92 | 55.48 | 3,057.14 |
| | बीमा | 2090.00 | 6,740.13 | 1,852.39 | 5,810.69 |
| | अन्य | 75.84 | 548.99 | 37.32 | 406.88 |
| | **कुल** | **2,223.34** | **19,922.68** | **2,055.47** | **18,459.42** |
| (ix) | **अनुभव समायोजन :** | | | | |
| | योजना दायित्व (लाभ)/हानि पर | 124.29 | 410.04 | 240.77 | 843.92 |
| | योजनागत संपत्ति (हानि)/लाभ पर | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |

**अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ*:**

| विवरण | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | देयता | वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक) | देयता | वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान/ (राइट बैक) |
| छुट्टी नकदीकरण | 1,206.35 | 5.31 | 1,201.04 | 17.28 |
| छुट्टी किराया रियायत | 62.79 | 0.21 | 62.58 | 0.17 |
| पुनर्वास लाभ | 8.52 | 0.45 | 8.07 | 0.36 |
| माइलस्टोन अवार्ड | 4.64 | 0.05 | 4.59 | 0.04 |
| रुग्ण अवकाश ** | 3.08 | 0.08 | 3.00 | 0.00 |

*अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बीमांकिक अनुमान ग्रेज्यूटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि/परिभाषित अंशदान योजना के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिश्चित अंशदान योजना है, के लिए रु. 445.17 (विगत वर्ष रु. 391.94) का अंशदान किया है।

**मूल बैंक ने रुग्ण अवकाश के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, रुग्ण अवकाश को इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसे अवकाश लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 2,356.36 (विगत वर्ष रु.2,215.86) और ग्रैच्युटी के लिए रु 25.38 (विगत वर्ष रु. 22.78) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

**योजना में अधिशेष/घाटा:**

| विवरण | ग्रैच्युटी योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वि.व. 2023-24 | वि.व. 2022-23 | वि.व.2021-22 | वि.व. 2020-21 | वि.व. 2019-20 |
| परिभाषित लाभ देयता | 2,289.02 | 2,070.55 | 1,898.52 | 1,935.33 | 1,747.81 |
| प्लान आस्तियां | 2,223.34 | 2,055.47 | 1,887.32 | 1,930.63 | 1,649.47 |
| संक्रमणशील देयता जो शामिल नहीं किए गए हैं | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अधिशेष / (घाटा) | (-)65.68 | (-)15.09 | (-)11.20 | (-)4.70 | 98.34 |
| प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन | 124.29 | 240.77 | 152.27 | 315.39 | (-)86.04 |
| प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन | 11.51 | (-)5.88 | (-)42.37 | 86.25 | 100.21 |

| विवरण | पेंशन योजना | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | वि.व. 2023-24 | वि.व. 2022-23 | वि.व.2021-22 | वि.व. 2020-21 | वि.व. 2019-20 |
| परिभाषित लाभ देयता | 20,471.32 | 19,180.02 | 18,379.20 | 16,837.05 | 16,065.92 |
| प्लान आस्तियां | 19,922.68 | 18,459.42 | 17,604.64 | 16,531.02 | 15,827.60 |
| संक्रमणशील देयता जो शामिल नहीं किए गए हैं | 41.22 | 183.62 | 489.67 | 0.00 | 0.00 |
| अधिशेष / (घाटा) | (-)507.42 | (-)536.99 | (-)284.88 | (-)306.03 | (-)238.32 |
| प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन | 410.04 | 843.92 | 1,092.69 | 791.71 | 808.90 |
| प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन | (-)31.29 | (-)45.52 | (-)694.35 | (-)620.28 | 155.64 |

## सी. लेखांकन मानक 17 – "खण्ड रिपोर्टिंग"

**भाग क: कारोबार खण्ड**

| कारोबार खण्ड | कारोबार परिचालन (1) | | थोक बैंकिंग परिचालन (2) | | रिटेल बैंकिंग परिचालन (3) | | डिजिटल बैंकिंग (3) (i) | | अन्य रिटेल बैंकिंग (3)(ii) | | *अन्य बैंकिंग परिचालन (4) | | कुल (1+2+3+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| राजस्व | 18,287.96 | 16,465.87 | 23,405.62 | 17,949.53 | 25955.95 | 20,731.92 | 0.26 | 0 | 25955.69 | 20,731.92 | 0 | 0 | 67,649.53 | 55,147.32 |
| गैर-आबंटित राजस्व | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 723.54 | 585.03 |
| घटाएं : अंतर खंड राजस्व | XX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 1066.60 | 589.49 |
| कुल राजस्व | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 67,306.47 | 55,142.86 |
| परिणाम | 4887.08 | 5,252.77 | 827.80 | (-)6.82 | 6759.91 | 2,392.35 | (-)0.75 | (-)0.38 | 6760.66 | 2,392.73 | 0 | 0 | 12474.79 | 7,638.30 |
| गैर-आबंटित व्यय | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | (-)2101.73 | (-)1,583.72 |
| कर पूर्व लाभ/ (हानि) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 10373.06 | 6,054.58 |
| आयकर | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 3808.60 | 2,216.62 |
| असाधारण लाभ/ (हानि) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| निवल लाभ/ (हानि) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 6564.46 | 3,837.96 |
| अन्य जानकारी : | | | | | | | | | | | | | | |
| खंड आस्तियां | 310,082.90 | 284,366.60 | 337,050.50 | 297,011.11 | 252,894.05 | 215,949.71 | 7.16 | 2.02 | 252,886.89 | 215,947.69 | 0 | 0 | 900027.45 | 797,327.42 |
| गैरआबंटित आस्तियां | | | | | | | | | | | | | 24,252.91 | 28,708.33 |
| कुल आस्तियां | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 924,280.36 | 826,035.75 |
| खंड देयताएं | 287,690.56 | 267,321.61 | 322,846.21 | 290,729.72 | 227,748.20 | 193,707.89 | 7.89 | 2.40 | 227,740.31 | 193,705.49 | 0 | 0 | 838,284.97 | 751,759.22 |
| गैर आबंटित देयताएं | | | | | | | | | | | | | 15,414.12 | 13,843.59 |
| कुल देयताएं | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 853,699.09 | 765,602.81 |

नोट - गैर बैंकिंग अनुषंगीयों / संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया लया है।

(*) बैंक के पास कोई महत्वपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन" नहीं है।

**भाग ख : भौगोलिक खण्ड**

| भौगोलिक खण्ड | स्वदेशी | | अंतरराष्ट्रीय | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विवरण | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| राजस्व | 58,324.94 | 50,205.33 | 8981.53 | 4,937.53 | 67306.47 | 55,142.86 |
| आस्तियां | 790,560.15 | 705,383.83 | 133,720.20 | 120,651.92 | 924,280.35 | 826,035.75 |

बीओआई समूह ने एएस-17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

1. **प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड**

ए) **कोषागार परिचालन:** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सहित विदेशी मुद्रा परिचालन में लेनदेन।

बी) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में ऐसे सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

सी) **रिटेल बैंकिंग** : रिटेल बैंकिंग खण्ड में डिजिटल बैंकिंग और अन्य रिटेल बैंकिंग शामिल हैं।

डिजिटल बैंकिंग में डीबीयू द्वारा अर्जित डिजिटल बैंकिंग उत्पाद शामिल हैं।

अन्य रिटेल बैंकिंग में रु. 7.50 करोड़ तक एक्सपोज़र वाले सभी आवास ऋण खाते एवं उधार खाते शामिल हैं

**अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:**

रिटेल बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, रिटेल बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

**लागत का विनियोजन :**

ए) विशेष खण्ड से सीधे सम्बद्ध व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

बी) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से सीधे सम्बद्ध न हों उन्हें कर्मचारियों की संख्या/संचालित कारोबार के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

**गौण खण्ड** : भौगोलिक खण्ड

ए) स्वदेशी परिचालन

बी) अंतरराष्ट्रीय परिचालन

## डी. लेखांकन मानक 18 "संबंधित पक्ष संव्यवहार" (मूल बैंक):

**मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :**

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री अतनु कुमार दास (अधिवर्षिता दि. 19.01.2023)
श्री रजनीश कर्नाटक (29.04.2023 से)

कार्यपालक निदेशक गण : श्री पी. आर. राजगोपाल
श्री स्वरूप दासगुप्ता (29.02.2024 को सेवा निवृत्त)
श्री एम. कार्तिकेयन
श्रीमती मोनिका कालिया (15.11.2022 तक)
श्री सुब्रत कुमार
श्री राजीव मिश्रा (01.03.2024 से)

**प्रदत्त पारिश्रमिक :** (राशि रु में)

| क्र. सं. | विवरण | पदनाम | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री रजनीश कर्नाटक | एमडी एवं सीईओ | 33,70,597 | - |
| 2 | श्री अतनु कुमार दास | एमडी एवं सीईओ | - | 28,89,579 |
| 3 | श्री पी.आर. राजगोपाल | कार्यपालक निदेशक | 41,86,980 | 38,99,430 |
| 4 | श्री स्वरूप दासगुप्ता | कार्यपालक निदेशक | 30,29,208 | 30,32,833 |
| 5 | श्री एम. कार्तिकेयन | कार्यपालक निदेशक | 33,34,464 | 30,32,883 |
| 6 | श्री सुब्रत कुमार | कार्यपालक निदेशक | 34,84,956 | 11,55,336 |
| 7 | श्री राजीव मिश्रा | कार्यपालक निदेशक | 2,81,400 | - |
| 8 | श्रीमती मोनिका कालिया | कार्यपालक निदेशक | - | 18,93,147 |

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

### (ई) लेखांकन मानक 19 –

मूल बैंक के विकल्प पर परिचालन पट्टे रद्द किए जा सकते हैं। ऐसे परिचालन पट्टे के लिए लाभ और हानि खाते में शामिल पट्टा व्यय की राशि रु 717.00 (पिछले वर्ष: रु 676.84) है।

### (एफ) लेखांकन मानक 20 – "प्रति शेयर अर्जन" रुपयों में:

| क्र. सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1. | मूल ईपीएस | 15.48 | 9.35 |
| 2. | तनुकृत ईपीएस | 15.48 | 9.35 |

**आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन**

| क्र.सं. | विवरण | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (ए) | इक्विटी शेयाधारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ/(हानि) | 6564.46 | 3,837.96 |
| (बी) | इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़) | 424.10 | 410.36 |
| (सी) | मूलभूत आय प्रति शेयर (ए/बी) (रु.) | 15.48 | 9.35 |
| (डी) | तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर सहित इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (रु करोड़) | 424.10 | 410.36 |
| (ई) | तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/डी) (रु.) | 15.48 | 9.35 |
| (एफ) | प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.) | 10.00 | 10.00 |

### (जी) लेखांकन मानक 22 – "आयकरों के लिए लेखांकन":

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियां** | | |
| प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण | **3,971.35** | **7,922.01** |
| अन्य | **570.92** | **850.34** |
| **कुल आस्थगित कर आस्तियां** | **4542.27** | **8,772.35** |
| **आस्थगित कर देयता** | | |
| स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण | **151.12** | **96.12** |
| निवेश पर मूल्यह्रास के कारण | **0** | **0** |
| प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण | **831.51** | **1,102.14** |
| अन्य | **659.21** | **915.38** |
| **कुल आस्थगित कर देयताएं** | **1641.84** | **2,113.64** |
| **निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)** | **2900.43** | **6,658.71** |

### (एच) लेखांकन मानक 24 – परिचालन बंद करना:

भारत सरकार के निर्देशों अनुरूप एवं परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में, मूल बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विदेशी अनुषंगी जैसे बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बेच दिया, जिसके के लिए रु.14.64 की राशि प्राप्त हुई। रु.19.18 के निवेश की बची हुई लागत का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

**वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हम पुष्टि करते हैं कि हमारी विदेशी अनुषंगियों का कोई विनिवेश नहीं हुआ है।**

### (आई) लेखांकन मानक 27 - "संयुक्त उद्यमोंमें निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग":

निवेश में ₹ 98.17 (पिछले वर्ष ₹ 98.17) शामिल हैं जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी में मूल बैंक के निवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं:-

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | राशि | निवास देश | होल्डिंग % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा कंपनी लि., | 98.17 | भारत | 28.96% |

संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

| विवरण | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **देयताएं** | | |
| पूंजी एवं आरक्षितियां | 353.62 | 307.51 |
| जमाराशियां | - | - |
| उधार | - | - |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान | 6972.39 | 5,405.48 |
| **कुल** | **7326.01** | **5,712.99** |
| **आस्तियां** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां | 94.04 | 90.85 |
| बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन | - | - |
| निवेश | 6939.28 | 5,419.83 |
| अग्रिम | 12.54 | 7.17 |
| अचल आस्तियां | 19.52 | 14.75 |
| अन्य आस्तियां | 260.63 | 180.39 |
| **कुल** | **7326.01** | **5,712.99** |
| पूंजीगत बाध्यताएं | - | - |
| अन्य आकस्मिक देयताएं | 39.26 | 33.69 |
| **आय** | | |
| अर्जित ब्याज | 22.63 | 17.14 |
| अन्य आय | 57.83 | 38.23 |
| **कुल** | **80.46** | **55.37** |
| **व्यय** | | |
| व्यय किया गया ब्याज | - | - |
| परिचालन व्यय | 33.19 | 18.34 |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | (0.48) | 0.21 |
| **कुल** | **32.71** | **18.55** |
| **लाभ / (हानि)** | **47.75** | **36.82** |

### जे. लेखांकन मानक 29 : "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां": (मूल बैंक)

**क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव**

| विवरण | विधिक मामले/आकस्मिकताएं* | |
|---|---|---|
| | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| प्रारंभिक शेष | 64.09 | 61.02 |
| वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | 26.74 | 4.07 |
| वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि | 2.23 | 1.00 |
| अंतिम शेष | 88.60 | 64.09 |
| बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं | समझौते/क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन | |

*अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. **आकस्मिक देयताएं**

इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

## 9. अन्य नोट :

(ए) जीवन-बीमा संयुक्त उद्यम के निवेशों का लेखा, बैंक के द्वारा पालन की जा रही लेखाकंन नीति के स्थान पर आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार रखा गया है। यथा 31 मार्च 2024 को कुल निवेश का लगभग 2.96% (विगत वर्ष 2.56%) बीमा संयुक्त उद्यम के निवेश से है।

(बी) **बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र सं. आरबीआई/2021-22/105 डीओआर.एसीसी. आरईसी.57/21.04.018/2021-22 दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से बैंकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए अधिकतम पांच वर्षों की अवधि में पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का परिशोधन करने की अनुमति दी है, बशर्ते कि कुल राशि का न्यूनतम 1/5 वां हिस्सा हर साल खर्च किया जाए। बैंक ने पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण रु.612.09 की अतिरिक्त देयता को मान्यता दी है और 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू करते हुए पांच वर्षों की अवधि में उक्त देयता को परिशोधित करने का विकल्प चुना है।

(सी) सितंबर 30, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान, मूल बैंक ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पुरानी कर व्यवस्था से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत नई कर व्यवस्था में बदलाव करने के लिए अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग किया, जो निर्धारण वर्ष 2023-24 से प्रभावी है। परिणामस्वरूप, जून 30, 2023 को आस्थगित कर आस्ति (नेट) में नई कर व्यवस्था के अनुसार लागू कर दर के आधार पर फिर से उपाय किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर तिमाही 30, 2023 और मार्च 31,2024 को समाप्त वर्ष में लाभ और हानि खाते में अतिरिक्त एक मुश्त कीमत ₹1,459.89 है।

(डी) तदनुसार, मूल बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में ₹ 142.40 (₹ 306.04) को मान्यता दी है और ₹ 41.22 (₹183.63) की शेष असंशोधित देयता को आगे ले जाया गया है। यदि बैंक द्वारा लाभ और हानि खाते में असंशोधित देयता को पूरी तरह शामिल किया होता, तो 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए निवल लाभ (कर के बाद) ₹ 30.84 (रु.119.46) कम होता।

ई) आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, मूल बैंक ने रु. 3,259.70( बुक वैल्यू रु 3,264.70) के अंकित मूल्य वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और रु. 3,576.06( बुक वैल्यू रु 3,580.31) के अंकित मूल्य वाली राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा, मूल बैंक ने किसी भी प्रतिभूति को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया है । रु.2.53 की राशि के लिए वेंचर कैपिटल फंड को एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है।

एफ़) यथा 31 मार्च 2024 को, आरबीआई द्वारा संदर्भित एनसीएलटी खातों (सूची 1 एवं 2) के संबंध में बैंक ने रु. 3,265.74 की बकाया राशि के लिए 100% प्रावधान किया है।

(जी) 1 नवंबर, 2022 से हुए वेतन संशोधन पर द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, मूल बैंक ने समाप्त तिमाही और वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए 110 रुपये और 837 रुपये का अंतिम प्रावधान किया है और मूल बैंक द्वारा 31 मार्च, 2024 तक 1,101 रुपये की कुल प्रावधान राशि रखी गई है।

एच) **अन्य आय/व्यय जो कुल आय के 1% से अधिक हो (मूल बैंक)**

अन्य आय : अन्य आय में निम्नलिखित आय शामिल है जो मूल बैंक की कुल आय के 1% से अधिक है

| विवरण | वि.व. 2023-24 | वि.व. 2022-23 |
|---|---|---|
| बट्टे खाते लिखे खातों से वसूली | 1467.04 | 1,206.85 |

आई) मूल बैंक के निदेशक मंडल ने वि.व 2023-24 के लिए रु. 2.80 प्रति इक्विटी शेयर (28%) के लाभांश की सिफारिश की है, जो आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।

जे) पिछली अवधि के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

## SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated. Figures in Brackets relate to previous year.

## NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent bank) are as under:

| Name of Subsidiaries | Country of Incorporation | Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2024 | Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| **Domestic Subsidiaries:** | | | |
| a) BOI Shareholding Ltd. | India | 100% | 100% |
| b) Bank of India Investment Managers Pvt Ltd. | India | 100% | 100% |
| c) Bank of India Trustee Services Pvt Ltd. | India | 100% | 100% |
| d) BOI Merchant Bankers Ltd | India | 100% | 100% |
| **Overseas Subsidiaries:** | | | |
| a) PT Bank of India Indonesia Tbk | Indonesia | 90.96% | 86.04% |
| b) Bank of India (Tanzania) Ltd. | Tanzania | 100% | 100% |
| c) Bank of India (New Zealand) Ltd. | New Zealand | 100% | 100% |
| d) Bank of India (Uganda) Ltd. | Uganda | 100% | 100% |

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) **Associates:**

| Name of Subsidiaries | Country of Incorporation | Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2024 | Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| **Domestic Subsidiaries:** | | | |
| a) Regional Rural Banks- | | | |
| i) Madhya Pradesh Gramin Bank (erstwhile Narmada Jhabua Gramin Bank) | India | 35% | 35% |
| ii) Vidharbha Konkan Gramin Bank | India | 35% | 35% |
| iii) Aryavart Bank (erstwhile Gramin Bank of Aryavart) | India | 35% | 35% |
| b) Indo Zambia Bank Limited | Zambia | 20% | 20% |
| c) STCI Finance Ltd. | India | 29.96% | 29.96% |
| d) ASREC (India) Ltd. | India | 26.02% | 26.02% |

(ii) **Joint Venture:**

| Name of Joint Venture | Country of Incorporation | Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2024 | Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited | India | 28.96% | 28.96% |

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2024 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements are prepared upto 31st December 2023 and its management has reported no significant transactions for the quarter ended 31st March 2024.

4. In case of subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by them and the Parent Bank have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2024 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2024 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2024 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iv) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., Bank of India Investment Managers Pvt. Ltd., Bank of India Trustee Services Pvt. Ltd., BOI Merchant Bankers Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd., Madhya Pradesh Gramin Bank, Vidharbha Konkan Gramin Bank, Aryavart Bank & STCI Finance Ltd. for the financial year ended 31.03.2024 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2023.

(v) Unaudited Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. and ASREC (India) Ltd., for the financial year ended 31.03.2024 certified by their management.

6. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

7. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

**(a) Composition of Regulatory Capital:**

| Sr. No. | Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| i) | Common Equity Tier 1 capital (CET 1) | 62,482.14 | 51,100.79 |
| ii) | Additional Tier 1 capital | 2,852.00 | 2,852.00 |
| iii) | Tier 1 capital (i + ii) | 65,334.14 | 53,952.79 |
| iv) | Tier 2 capital | 8,444.16 | 6,683.40 |
| v) | Total capital (Tier 1+Tier 2) | 73,778.29 | 60,636.19 |
| vi) | Total Risk Weighted Assets (RWAs) | 416,996 | 358,532 |
| vii) | CET 1 Ratio | 14.98% | 14.25% |
| viii) | Tier 1 Ratio | 15.66% | 15.05% |
| ix) | Tier 2 Ratio | 2.03% | 1.86% |
| x) | Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) | 17.69% | 16.91% |
| xi) | Leverage Ratio | 6.75% | 6.28% |
| xii) | Percentage of the shareholding of Government of India | 73.38% | 81.41% |
| xiii) | Amount of paid-up equity capital raised during the year | 4,500* | *NIL |
| xiv) | Share application money pending for allotment | NIL | NIL |
| xv) | Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: | | |
| | Basel III compliant Perpetual Debt Instruments | NIL | 1,500.00 |
| xvi) | Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: | | |
| | Basel III compliant Redeemable Debt Instruments | 2,000.00 | NIL |

The said computation of Capital to Risk weighted asset Ratio & Leverage ratio is arrived at after considering the effect of Net Present Value of non-interest bearing recapitalization bond infused as capital by the Government of India during the FY ended 31.03.2021.

Pursuant to RBI Circular No. DOR.CAP.REC.15/21.06.201/2023-24 dated May 12, 2023, the Bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratios as on March 31, 2024.

*The Parent Bank has raised Equity Share Capital of ₹ 4,500 through Qualified Institutional Placement on December 05, 2023. The Bank has issued and allotted 44,91,01,796 equity shares of face value ₹ 10 each at a premium of ₹ 90.20 per share to the investors

(a1) Details of outstanding Additional Tier 1 (AT-1) bonds raised to augment Tier-1 Capital are as under:

| Raised during the year | Nature | Amount | Reckoned for the purpose of CRAR computation |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | Additional Tier 1 | 1,352.00 | 1,352.00 |
| 2022-23 | Additional Tier 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | **Total** | **2,852.00** | **2,852.00** |

The parent Bank has raised Basel III compliant Additional Tier I Bonds Series VIII amounting to ₹ 1,500 on December 02, 2022.

(a2) Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

| Raised during the year | Nature | Amount | Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III) |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | Tier-II | 3,000.00 | 600.00 |
| 2020-21 | Tier-II | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 2023-24 | Tier-II | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | **Total** | **6,800.00** | **4,400.00** |

The Parent Bank has redeemed Tier II Bonds Series X & Series XI amounting to ₹ 1,000 and ₹ 500 on September 25, 2023 and September 30, 2023 respectively.

The Parent Bank has raised Basel III Complaint Tier II Bonds Series XVI amounting to ₹ 2,000 on September 15, 2023.

**(b) Draw down from Reserves (Parent Bank)**

During the FY 2023-24, There has been no drawdown from reserves to the Profit and Loss accounts.

**(c)** The parent Bank has acquired additional stake of 4.92% (for ₹ 675.63) in one of its subsidiary namely, PT Bank of India Indonesia Tbk which resulted in goodwill on consolidation of ₹ 65.51 and the same has been adjusted and written off during the year.

**(d)** The Parent Bank has invested ₹ 148.72 in one of its subsidiary namely, Bank of India (Uganda) Ltd.

**(e)** The Parent Bank has infused additional capital of ₹ 19.20 in one of its subsidiary namely, Bank of India Investment Managers Private Limited during the year.

**(f)** During the year, Parent Bank has been allotted shares of ₹ 249.17, by two of its associate Regional Rural Bank namely, Vidharbha Konkan Gramin Bank (₹ 110.09 ) & Madhya Pradesh Gramin Bank (₹ 139.08 ).

**(g)** The Parent Bank has infused additional proportionate capital in FY 2022-23 in an associate Regional Rural Bank namely, Aryavart Bank ₹ 152.04 (pending for allotment).

**(h)** Provisions and Contingencies:

| Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|
| Provision for Investment | 72.13 | 1,207.76 |
| Provision towards NPA | 4163.01 | 3,667.90 |
| Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax) | 3808.60 | 2,216.62 |
| Provision towards Standard Assets | (-)378.72 | 1,655.18 |
| **Other Provision & Contingencies** | | |
| • Provision for Sacrifice in Restructured Accounts | (-)217.48 | (-)64.80 |
| • Provision for Country Risk | (-)30.64 | 14.72 |
| • Other Provisions | 442.06 | 749.22 |
| **Total** | **7858.96** | **9,446.59** |

**(i) Floating Provisions as on 31.03.2024 - (Parent Bank)**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Opening Balance | | | | | | 0.00 |
| Add: Additional provisions made during the year | | | | | | 0.00 |
| Less: Amount drawn down[15] during the year | | | | | | 0.00 |
| Closing balance of floating provisions | | | | | | 0.00 |

**Floating Provisions as on 31.03.2023 - (Parent Bank)**

| | Standard | Non-Performing | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Total Standard Advances | Sub-standard | Doubtful | Loss | Total Non-Performing Advances | |
| Opening Balance | | | | | | 0.00 |
| Add: Additional provisions made during the year | | | | | | 0.00 |
| Less: Amount drawn down[15] during the year | | | | | | 0.00 |
| Closing balance of floating provisions | | | | | | 0.00 |

**(j) Income-Tax – (Parent Bank)**

a. Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 2,909.92 (previous year ₹ 355.86) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

b. Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

**(k) Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)**

During the year 2023-24, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries.

In the Financial year 2010-11, the Parent Bank has issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, Bank of India (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2024 no financial obligations have arisen on the above commitments.

## 8. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

### A. AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5):

There is no change in the Significant Accounting Policies followed during the year ended March 31, 2024 as compared to those followed in the previous financial year ended March 31, 2023.

### B. AS-15 " Employee Benefits" (Parent Bank)

| Sr. No. | Particulars | FY 2023-24 | | FY 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pension | Gratuity | Pension |
| (i) | Principal actuarial assumptions used : | | | | |
| | Discount Rate | 7.22% | 7.21% | 7.51% | 7.39% |
| | Rate of Return on Plan Assets | 7.77% | 7.47% | 6.87% | 7.67% |
| | Salary Escalation Rate | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
| | Attrition Rate Current | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| (ii) | **Table showing changes in Present value of Defined Benefit Obligation:** | | | | |
| | Liability at the beginning of the year | 2,070.55 | 18,996.40 | 1,898.52 | 17,889.53 |
| | Interest Cost | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | Current Service Cost | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | Past Service Cost | - | 326.05 | - | 122.42 |
| | Benefit Paid | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | Actuarial (gain)/loss on Obligation | 197.28 | 725.63 | 211.81 | 719.43 |
| | Liability at the end of the year | 2,289.02 | 20,430.10 | 2,070.55 | 18,996.40 |
| | Unrecognised past service cost | - | 41.22 | - | 183.62 |
| | **Total Defined Benefit obligation** | **2,289.02** | **20,471.32** | **2,070.55** | **19,180.02** |

| Sr. No. | Particulars | FY 2023-24 | | FY 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pension | Gratuity | Pension |
| **(iii)** | **Table showing changes in Fair value of Plan Assets :** | | | | |
| | Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year | 2,055.47 | 18,459.42 | 1,887.32 | 17,604.64 |
| | Expected return on Plan Assets | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |
| | Contributions | 238.96 | 2,111.16 | 320.89 | 1,439.17 |
| | Benefit Paid | 242.18 | 1,999.69 | 278.00 | 1,872.53 |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 2,223.34 | 19,922.68 | 2,055.47 | 18,459.42 |
| | **Total Actuarial Gain/(Loss) recognised** | **(185.76)** | **(756.92)** | **(217.68)** | **(764.95)** |
| **(iv)** | **Actual return on Plan Assets:** | | | | |
| | Expected return on Plan Assets | 159.58 | 1,383.08 | 131.13 | 1,333.66 |
| | Actuarial gain/(loss) on Plan Assets | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |
| | **Actual return on Plan Assets** | **171.09** | **1,351.79** | **125.25** | **1,288.14** |
| **(v)** | **Amount recognised in the Balance Sheet :** | | | | |
| | Liability at the end of the year | 2,289.02 | 20,471.32 | 2,070.55 | 19,180.02 |
| | Fair Value of Plan Assets at the end of the year | 2,223.34 | 19,922.68 | 2,055.47 | 18,459.42 |
| | Unrecognised past service cost | - | 41.22 | - | 183.62 |
| | **Amount Recognised in the Balance Sheet** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| **(vi)** | **Expenses recognised in the Income-Statement :** | | | | |
| | Current Service Cost | 116.97 | 1,051.76 | 108.55 | 977.95 |
| | Interest Cost | 146.40 | 1,329.95 | 129.68 | 1,159.60 |
| | Expected Return on Plan Assets | (159.58) | (1,383.08) | (131.13) | (1,333.66) |
| | Expenses recognized relating to prior years | - | - | - | - |
| | Past Service Cost | - | 142.42 | - | 306.04 |
| | Actuarial (Gain) or Loss | 185.76 | 756.92 | 217.68 | 764.95 |
| | **Expense Recognised in P & L** | **289.55** | **1,897.97** | **324.78** | **1,874.89** |
| **(vii)** | **Balance Sheet Reconciliation :** | | | | |
| | "Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)" | 15.09 | 536.98 | 11.20 | 284.88 |
| | Additional Past Service Cost | - | 183.63 | - | - |
| | Expenses as above | 289.55 | 1,897.97 | 324.78 | 1,874.89 |
| | Employer's Contribution | (238.96) | (2,111.16) | (320.89) | (1,439.17) |
| | Additional Past Service Cost | - | - | - | (183.62) |
| | **Amount Recognised in Balance Sheet** | **65.68** | **507.42** | **15.09** | **536.98** |
| **(viii)** | **Category of Assets :** | | | | |
| | Central Government of India Securities | 15.24 | 2,597.01 | 15.30 | 2,329.69 |
| | Equity | - | 813.33 | - | 759.33 |
| | Corporate Bonds | 42.26 | 6,158.30 | 94.98 | 6,095.69 |
| | State Government Securities | - | 3,064.92 | 55.48 | 3,057.14 |
| | Insurance | 2090.00 | 6,740.13 | 1,852.39 | 5,810.69 |
| | Other | 75.84 | 548.99 | 37.32 | 406.88 |
| | **Total** | **2,223.34** | **19,922.68** | **2,055.47** | **18,459.42** |
| **(ix)** | **Experience Adjustment :** | | | | |
| | On Plan Liability (Gain)/Loss | 124.29 | 410.04 | 240.77 | 843.92 |
| | On Plan Asset (Loss)/Gain | 11.51 | (31.29) | (5.88) | (45.52) |

**Other long term employee benefits*:**

| Particulars | 31.03.2024 | | 31.03.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| | Liability | Provisions made/ (w/back) during the year | Liability | Provisions made/ (w/back) during the year |
| Leave Encashment | 1,206.35 | 5.31 | 1,201.04 | 17.28 |
| Leave Travel Concession | 62.79 | 0.21 | 62.58 | 0.17 |
| Resettlement Benefits | 8.52 | 0.45 | 8.07 | 0.36 |
| Milestone Awards | 4.64 | 0.05 | 4.59 | 0.04 |
| Sick Leave** | 3.08 | 0.08 | 3.00 | 0.00 |

*The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the Parent bank has contributed ₹ 445.17 (Previous Year ₹ 391.94) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent bank has been recognising the liability of sick leave in line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leave by employees.

The Parent Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 2,356.36 (Previous Year ₹ 2,215.86) and towards Gratuity is ₹ 25.38 (Previous Year: ₹ 22.78).

**Surplus /Deficit in the Plan:**

| Particulars | Gratuity Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FY2023-24 | FY2022-23 | FY2021-22 | FY2020-21 | FY2019-20 |
| Defined benefit obligation | 2,289.02 | 2,070.55 | 1,898.52 | 1,935.33 | 1,747.81 |
| Plan assets | 2,223.34 | 2,055.47 | 1,887.32 | 1,930.63 | 1,649.47 |
| Unrecognised Transitional liability | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Surplus/(deficit) | (-)65.68 | (-)15.09 | (-)11.20 | (-)4.70 | 98.34 |
| Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss | 124.29 | 240.77 | 152.27 | 315.39 | (-)86.04 |
| Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain | 11.51 | (-)5.88 | (-)42.37 | 86.25 | 100.21 |

| Particulars | Pension Plan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FY2023-24 | FY2022-23 | FY2021-22 | FY2020-21 | FY2019-20 |
| Defined benefit obligation | 20,471.32 | 19,180.02 | 18,379.20 | 16,837.05 | 16,065.92 |
| Plan assets | 19,922.68 | 18,459.42 | 17,604.64 | 16,531.02 | 15,827.60 |
| Unrecognised Transitional liability | 41.22 | 183.62 | 489.67 | 0.00 | 0.00 |
| Surplus/(deficit) | (-)507.42 | (-)536.99 | (-)284.88 | (-)306.03 | (-)238.32 |
| Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss | 410.04 | 843.92 | 1,092.69 | 791.71 | 808.90 |
| Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain | (-)31.29 | (-)45.52 | (-)694.35 | (-)620.28 | 155.64 |

## C. AS-17 "Segment Reporting"

**Part A: Business Segment**

| Business Segment | Treasury Operations (1) | | Wholesale Banking Operations (2) | | Retail Banking Operations (3) | | Digital Banking (3) (i) | | Other Retail Banking (3)(ii) | | *Other Banking Operations (4) | | Total (1+2+3+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| Revenue | 18,287.96 | 16,465.87 | 23,405.62 | 17,949.53 | 25955.95 | 20,731.92 | 0.26 | 0 | 25955.69 | 20,731.92 | 0 | 0 | 67,649.53 | 55,147.32 |
| Unallocated revenue | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 723.54 | 585.03 |
| Less: Inter segment revenue | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 1066.60 | 589.49 |
| **Total Revenue** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | **XXXX** | | | | | **XXXX** | **XXXX** | **67,306.47** | **55,142.86** |

| Business Segment | Treasury Operations (1) | | Wholesale Banking Operations (2) | | Retail Banking Operations (3) | | Digital Banking (3) (i) | | Other Retail Banking (3)(ii) | | *Other Banking Operations (4) | | Total (1+2+3+4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| Results | 4887.08 | 5,252.77 | 827.80 | (-)6.82 | 6759.91 | 2,392.35 | (-)0.75 | (-)0.38 | 6760.66 | 2,392.73 | 0 | 0 | 12474.79 | 7,638.30 |
| Unallocated Expenses | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | (-)2101.73 | (-)1,583.72 |
| Profit/(Loss) Before Tax | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 10373.06 | 6,054.58 |
| Income Tax | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 3808.60 | 2,216.62 |
| Extraordinary Profit/ (Loss) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Net Profit/(Loss) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 6564.46 | 3,837.96 |
| **Other Information :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Segment Assets | 310,082.90 | 284,366.60 | 337,050.50 | 297,011.11 | 252,894.05 | 215,949.71 | 7.16 | 2.02 | 252,886.89 | 215,947.69 | 0 | 0 | 900027.45 | 797,327.42 |
| Unallocated Assets | | | | | | | | | | | | | 24,252.91 | 28,708.33 |
| Total Assets | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 924,280.36 | 826,035.75 |
| Segment Liabilities | 287,690.56 | 267,321.61 | 322,846.21 | 290,729.72 | 227,748.20 | 193,707.89 | 7.89 | 2.40 | 227,740.31 | 193,705.49 | 0 | 0 | 838,284.97 | 751,759.22 |
| Unallocated Liabilities | | | | | | | | | | | | | 15,414.12 | 13,843.59 |
| **Total Liabilities** | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | | XXXX | XXXX | 853,699.09 | 765,602.81 |

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

(*) The Bank does note have any significant "Other Banking Operations."

**Part B: Geographical Segment**

| Geographical Segments | Domestic | | International | | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Particulars | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 | 2023-24 | 2022-23 |
| Revenue | 58,324.94 | 50,205.33 | 8981.53 | 4,937.53 | 67306.47 | 55,142.86 |
| Assets | 790,560.15 | 705,383.83 | 133,720.20 | 120,651.92 | 924,280.35 | 826,035.75 |

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

**I. Primary Segment: Business Segments**

a) **Treasury:** 'Treasury' segment includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations including Derivative contracts.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all lending activities which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking** : Retail Banking segment comprises of Digital Banking and Other Retail Banking.

Digital Banking includes digital banking products acquired by DBUs.

Other Retail Banking includes all housing loan accounts and borrower accounts having exposure up to ₹ 7.50.

**Pricing of Inter-Segmental transfers**

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits and borrowings incurred by it.

**Allocation of Costs:**

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

**Secondary Segment: Geographical Segments**

a) Domestic Operations

b) International Operations

## D. AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):

**Key Managerial Personnel:**

| | |
|---|---|
| Managing Director & CEO: | Shri Atanu Kumar Das (superannuated on 19.01.2023) |
| | Shri Rajneesh Karnatak (from 29.04.2023) |
| Executive Directors: | Shri P. R. Rajagopal |
| | Shri Swarup Dasgupta (superannuated on 29.02.2024) |
| | Shri M. Karthikeyan |
| | Smt Monica Kalia (up to 15.11.2022) |
| | Shri Subrat Kumar |
| | Shri Rajiv Mishra (from 01.03.2024) |

**Remuneration paid :** (Amount in ₹)

| Sr No | Name | Designation | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Rajneesh Karnatak | MD & CEO | 33,70,597 | - |
| 2 | Shri Atanu Kumar Das | MD & CEO | - | 28,89,579 |
| 3 | Shri P. R. Rajagopal | Exe. Director | 41,86,980 | 38,99,430 |
| 4 | Shri Swarup Dasgupta | Exe. Director | 30,29,208 | 30,32,833 |
| 5 | Shri M. Karthikeyan | Exe. Director | 33,34,464 | 30,32,883 |
| 6 | Shri Subrat Kumar | Exe. Director | 34,84,956 | 11,55,336 |
| 7 | Shri Rajiv Mishra | Exe. Director | 2,81,400 | - |
| 8 | Smt Monica Kalia | Exe. Director | - | 18,93,147 |

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Parent Bank's duties of confidentiality.

## E. Accounting Standard 19 –

Leases (Parent Bank): - Operating leases are cancellable at the option of the Parent Bank. The amount of lease expenses recognized in the Profit & Loss Account for such operating lease is ₹ 717.00 (Previous Year: ₹ 676.84).

## F. AS20 "Earnings per Share" in ₹:

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| 1. | Basic EPS | 15.48 | 9.35 |
| 2. | Diluted EPS | 15.48 | 9.35 |

**Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:**

| Sr. No. | Particulars | 2023-24 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| (A) | Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders | 6564.46 | 3,837.96 |
| (B) | Weighted Average Number of Equity shares (in crore) | 424.10 | 410.36 |
| (C) | Basic Earnings per Share (A/B) (₹) | 15.48 | 9.35 |
| (D) | Weighted Average number of Equity shares including dilutive potential equity shares ( in crore) | 424.10 | 410.36 |
| (E) | Dilutive Earnings per share (A/D) (₹) | 15.48 | 9.35 |
| (F) | Nominal Value per Equity Share (₹) | 10.00 | 10.00 |

## G. AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets** | | |
| On account of timing difference towards provisions | 3,971.35 | 7,922.01 |

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| Others | 570.92 | 850.34 |
| **Total Deferred Tax Assets** | **4542.27** | **8,772.35** |
| **Deferred Tax Liabilities** | | |
| On account of depreciation on fixed assets | 151.12 | 96.12 |
| On account of depreciation on investment | 0 | 0 |
| On account of interest accrued but not due | 831.51 | 1,102.14 |
| Others | 659.21 | 915.38 |
| **Total Deferred Tax Liabilities** | **1641.84** | **2,113.64** |
| **Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)** | **2900.43** | **6,658.71** |

## H. Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalisation of Overseas Operations, in Financial year 2019-20, the Parent Bank has sold its overseas subsidiary i.e. Bank of India (Botswana) Ltd. for consideration of ₹ 14.64 and remaining cost of investment of ₹ 19.18 has been fully provided.

**For the Financial year 2023-24, we confirm that there is no disinvestment of our overseas subsidiaries.**

## I. AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹ 98.17 (Previous year ₹98.17) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

| Sr. No. | Name of the Company | Amount | Country of incorporation | Holding % |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd. | 98.17 | India | 28.96% |

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **Liabilities** | | |
| Capital & Reserves | 353.62 | 307.51 |
| Deposits | - | - |
| Borrowings | - | - |
| Other Liabilities & Provisions | 6972.39 | 5,405.48 |
| **Total** | **7326.01** | **5,712.99** |
| **Assets** | | |
| Cash and Balances with Reserve Bank of India | 94.04 | 90.85 |
| Balances with Banks and Money at call and short notice | - | - |
| Investments | 6939.28 | 5,419.83 |
| Advances | 12.54 | 7.17 |
| Fixed Assets | 19.52 | 14.75 |
| Other Assets | 260.63 | 180.39 |
| **Total** | **7326.01** | **5,712.99** |
| Capital Commitments | - | - |
| Other Contingent Liabilities | 39.26 | 33.69 |
| **Income** | | |
| Interest and Dividend Income | 22.63 | 17.14 |
| Other Income | 57.83 | 38.23 |
| **Total** | **80.46** | **55.37** |

| Particulars | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
|---|---|---|
| **Expenditure** | | |
| Interest Expended | - | - |
| Operating Expenses | 33.19 | 18.34 |
| Provisions & Contingencies | (0.48) | 0.21 |
| **Total** | **32.71** | **18.55** |
| **Profit / (Loss)** | **47.75** | **36.82** |

## J. AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

### A. Movement of Provisions for contingent liabilities

| Particulars | Legal cases/contingencies* | |
|---|---|---|
| | 31.03.2024 | 31.03.2023 |
| Opening Balance | 64.09 | 61.02 |
| Provided during the year | 26.74 | 4.07 |
| Amounts used during the year | 2.23 | 1.00 |
| Closing Balance | 88.60 | 64.09 |
| Timing of outflow/uncertainties | Outflow on settlement / crystallization | |

*Excluding provisions for others

### B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

## 9. Other Notes:

a) The investments of life insurance joint venture have been accounted for in accordance with the IRDAI guidelines instead of restating the same in accordance with the accounting policy followed by the Parent Bank. The investments of the insurance joint venture constitute approximately 2.96% (previous year 2.56%) of the total investments as on 31st March, 2024.

b) **Disclosure on amortisation of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks**

Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22 dated October 4, 2021, permitted Banks to amortise the additional liability on account of revision in family pension over a period not exceeding five years beginning with the financial year ending March 31, 2022, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year. The Parent Bank recognised the additional liability on account of revision in family pension amounting to ₹ 612.09 and has opted to amortise the said liability over a period not exceeding five years, beginning financial year ending March 31, 2022.

c) During quarter ended September 30, 2023, the Parent Bank exercised the irreversible option to shift from old tax regime under the Income-tax Act, 1961 to the new tax regime under section 115BAA of the Income-tax Act, 1961, effective from Assessment Year 2023-24. Resultantly, the deferred tax assets (net) as at June 30, 2023 has been re-measured based on the applicable tax rate as per the new regime, resulting in additional one-time charge ₹ 1,459.89 in the Profit and Loss Account in quarter ended September 30, 2023 and year ended March 31, 2024.

d) Accordingly, the Parent Bank has recognised ₹ 142.40 (₹ 306.04) as an expense in the Profit and Loss account, for the year ended March 31, 2024 and the balance unamortised liability of ₹ 41.22 (₹183.63) has been carried forward. If the unamortised liability had been fully recognised in the Profit & Loss account by the Parent Bank, the Net Profit (after tax) for the year ended March 31, 2024 would have been lower by ₹ 30.84 (₹119.46).

e) In accordance with the RBI guidelines, during the year ended March 31, 2024, The Parent Bank has shifted Central Government securities with a Face value of ₹ 3,259.70 (Book Value ₹ 3,264.70) and State Government securities with a face value of ₹ 3,576.06 (Book value ₹ 3,580.31) from HTM to AFS category. Further, the Parent Bank has not shifted any security from AFS to HTM category. Units of Venture Capital Fund for an amount of ₹ 2.53 has been shifted from HTM to AFS category.

f) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2) as on March 31, 2024, the Parent Bank holds 100% provision of the aggregate outstanding value of ₹ 3,265.74.

g) Pursuant to bipartite agreement on wage revision with effect from November 1, 2022, the Parent Bank has made final provision of ₹ 110 and ₹ 837 for the quarter and year ended March 31, 2024, and total provision amount of ₹ 1,101 has been held by the Parent Bank as on March 31, 2024.

h) **Other Income / Expenditure exceeding 1% of total income (Parent Bank)**

Other Income: Other Income includes below income exceeding 1% of the total

| Particulars | FY 2023-24 | FY 2022-23 |
|---|---|---|
| Recovery in written off accounts | 1467.04 | 1,206.85 |

i) The Board of Directors of Parent Bank has recommended a dividend of ₹ 2.80 per equity share (i.e. 28%) for the Financial Year 2023-24 subject to requisite approvals.

j) Previous Year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

**सेवा में,**
**बैंक ऑफ इंडिया सदस्यगण**
**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट**

### मत

1. हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया** ('मूल बैंक') तथा इसकी अनुषंगियों, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों (इसके बाद इसे संयुक्त रूप से '**समूह**' कहा जायेगा) की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2024 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं, जिसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए विवरणियाँ शामिल हैं:

   (i) मूल बैंक के लेखा परीक्षित विवरण

   (ii) संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 4 अनुषंगियों (घरेलू) और 5 सहायक कंपनियों (1 विदेशी और 4 घरेलू) और 1 संयुक्त उद्यम (घरेलू) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; तथा

   (iii) 4 अनुषंगियों (विदेशी) और 1 सहायक कंपनी (घरेलू) के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।

2. हमारे विचार से और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरण पर अन्य लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा/ समीक्षा की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अनुषंगियों और सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर हमारे मत पर आधारित, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ('आरबीआई दिशानिर्देश') और समूह एवं उसके अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों के लिए आवश्यक तरीके से लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एकरूप हैं और निम्नलिखित प्रस्तुत करते हैं :

   क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक के समेकित तुलनपत्र एवं समूह, उसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों की परिस्थिति के संबंध में उचित एवं सही स्थिति।

   ख) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ/हानि खाते के विवरण के संबंध में लाभ का वास्तविक शेष; और

   ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में समूह और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के नकदी प्रवाह का सही और उचित विवरण।

### मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा,भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") के द्वारा जारी लेखा-परीक्षा पर मानक(एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह/बैंक, उसके अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम से स्वतंत्र हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें समय-समय पर संशोधित आईसीएआई लेखांकन मानक शामिल हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अधीन हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार, हमारी लेखापरीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

### मामलों का प्रभाव

4. हम ध्यान आकर्षित करते हैं:

   (i) रु. 612.09 करोड़ की पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता के परिशोधन के संबंध में संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची-18 की नोट संख्या 9(डी)। बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में रु. 142.40 करोड़ की राशि प्रभारित की है और रु. 41.22 करोड़ का शेष अशोधित व्यय आगे ले जाया गया है।

   (ii) संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची-18 के नोट संख्या 9(सी) में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने के लिए बैंक द्वारा अपरिवर्तनीय विकल्प का प्रयोग करने के संबंध में, जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी है, और इसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर आस्तियों (निवल) के पुनर्मापण के कारण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में रु. 1,459.89 करोड़ का अतिरिक्त एकमुश्त प्रभार है।

### महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

5. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में 'महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर मत बनाने में, इन मामलों पर हम अलग से कोई मत उपलब्ध नहीं कराते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए बैंक के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों का निर्धारण किया है, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

| क्र. सं. | महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले | महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया |
|---|---|---|
| 1) | **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (आईआरएसी मानक) के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन।** | आईआरएसी मानकों/परिपत्रों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। |
| | अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के रूप में वर्गीकृत करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है।<br><br>अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए खातों की पहचान निर्धारित करता है।<br><br>यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानकों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक के वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।<br><br>बैंक ने सॉफ्वेयर के माध्यम से एनपीए खाते की पहचान एवं वर्गीकरण के लिए आईआरएसी ऑटोमेशन कार्यान्वित किया है। | **अग्रिम: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:**<br><br>क) अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना।<br><br>ख) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।<br><br>ग) हमने शाखा के सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसबीए) को सूचित किया है कि वे आईआरएसी मानकों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन तथा शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर निर्भरता को सत्यापित करें किया है।<br><br>घ) हमारे द्वारा शाखाओं की लेखा परीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच करना जिसमें विशेष उल्लिख खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित करना।<br><br>ड़) मूल बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा तथा सिस्टम लेखा-परीक्षा संबंधी रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है। |
| | निवेश :<br><br>भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों/परिपत्रों के आधार पर मूल बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है।<br><br>निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है।<br><br>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।<br><br>यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानकों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।<br><br>मूल बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 61.31% तथा 25.38% है। चूँकि बैंक के कारोबार का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है। | **निवेश: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:**<br><br>क) निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी प्रणाली को समझना।<br><br>ख) नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।<br><br>ग) नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।<br><br>घ) मूल बैंक द्वारा की गई आंतरिक लेखा-परीक्षा, समवर्ती लेखा-परीक्षा तथा सिस्टम लेखा-परीक्षा संबंधी रिपोर्टों पर भरोसा किया गया है। |
| 2) | **अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन**<br><br>बैंक के पास आयकर संबंधी मुकदमे सहित कई मुकदमे हैं, जिनमें उन मुकदमों के खिलाफ विवादित दावे शामिल हैं, जो विभिन्न न्यायालयों/मंचों में लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। बैंक के पास अप्रत्यक्ष कर के तहत कुछ भुगतानों पर इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता/रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की प्रयोज्यता के बारे में भी विवाद हैं। | हमारे लेखा-परीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है:<br><br>क) मुकदमों/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। साथ ही प्रबंधन से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष तक पूर्ण हो चुके कर निर्धारणों और नवीनतम आदेशों, विभिन्न कर अधिकारियों से प्राप्त संचार और दायर अपीलों का विवरण प्राप्त किया। |

| | | |
|---|---|---|
| | परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन विवादों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है और कोई भी अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। | ख) कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का मूल्यांकन करना। इसमें इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी मिसाल और अन्य फैसलों पर विचार करना शामिल है।<br>ग) सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों की स्थिति और वर्ष में प्रबंधन के निर्णयों में किसी भी बदलाव को समझने के लिए प्रबंधन की कर टीम के साथ चर्चा की। दर्ज किए गए अनुमानों के हमारे आकलन का मूल्यांकन करने और दर्ज किए गए प्रावधानों की पूर्णता का मूल्यांकन करने और इन अनिश्चितताओं पर प्रबंधन की स्थिति में किसी भी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, इसके लिए कर अधिकारियों और कंपनी के बाहरी कर सलाहकारों/वकीलों के साथ पत्राचार भी पढ़ा। |
| 3) | **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का मूल्यांकन:**<br>संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करने, वित्तीय विवरण तैयार करने तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट करने आदि में आईटी कंट्रोल, प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है।<br>हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना है क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है। | हमारी लेखा-परीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल है:<br>क) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक के आईटी नियंत्रण वातावरण और प्रमुख परिवर्तनों की समझ प्राप्त की जो लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।<br>ख) बैंक द्वारा नियुक्त विभिन्न आईएस लेखा परीक्षकों/परामर्शदाताओं की रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा आईआरएसी स्वचालन नियंत्रण सहित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के अनुपालन पर आईटी विभाग के साथ चर्चा की गई।<br>ग) परीक्षण जांच के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अभिगम नियंत्रण सहित बैंक के आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता की समीक्षा की गई।<br>घ) जहां हमने अतिरिक्त प्रक्रियाएं निष्पादित करने की आवश्यकता को पहचाना, हमने मैनुअल प्रतिपूरक नियंत्रणों पर निर्भरता रखी; जैसे कि प्रणालियों और अन्य सूचना स्रोतों के बीच सामंजस्य स्थापित करना या अतिरिक्त परीक्षण करना; पर्याप्त और उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, हमारे नमूना आकार को बढ़ाया। |

## समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियां और बासेल III प्रकटन के अंतर्गत पिलर 3 प्रकटन शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं और न करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरण को हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है, तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम इस मामले को शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बताएं तथा लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई निर्धारित करें।

## समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन तथा जिन्हें प्रशासन का प्रभार दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियां

7. बैंक का निदेशक मंडल, इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा बैंकों पर लागू निर्धारित लेखांकन मानकों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक(आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप समूह, इसके सहयागियों तथा संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिषादन तथा समेकित नकदी प्रवाह की सही तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करता है। समूह में बैंक का संबंधित निदेशक मंडल, इसके सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम समूह, उसके सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियों का रक्षा करने तथा धोखाधडियों तथा अन्य अनियमितताओं से बचने एवं उनके पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने, तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन करने, तथा ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा बनाने, लागू करने तथा उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गम्भीर गलत विवरण से मुक्त हैं।

8. समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, समूह इकाइयों के संबंधित निदेशक मंडल बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता को निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

9. समूह में शामिल बैंकों, इसके सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम के संबंधित निदेशक मंडल, समूह, उसके सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

## समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

10. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में गलत विवरण यदि कोई हो, का हमेशा पता लगा लिया जाएगा। गलत बयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि एकल रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद कर सकते हैं।

11. मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों की प्रतिक्रिया स्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण को अनदेखा करना शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन समेकित वित्तीय विवरणों पर मूल बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो समूह, उसकी सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के, कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने में बड़ा संदेह उत्पन्न करती हो। यदि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त है, तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण ऐसा हो सकता है कि बैंक कार्यशील संस्था के रूप में जारी न रहे।

- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।

- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंतर्गत बैंक, उसकी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण को लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य कंपनियों के लिए, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे लेखा परीक्षक उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के लिए निर्देश, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार होगें। हम केवल अपनी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

महत्व, वित्तीय विवरणों में विसंगतियों का परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए विसंगतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को प्रशासन प्रभारी को सूचित करते हैं।

हम प्रशासन के प्रभारी को इस विवरण के साथ यह भी सूचित करते हैं कि हम निष्पक्षता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों एवं अन्य मामलों जो हमारी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन करते हैं।

प्रशासन को सूचित, संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरण में

लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शाते हैं, यदि कोई कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों से ज्यादा ऐसी सूचना के प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

## अन्य मामले

12. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी शामिल है :

क) ऐसी 4 अनुषंगी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 को रु. 135.10 करोड़ की कुल आस्तियां, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 55.40 करोड़ के कुल राजस्व तथा कर के बाद रु 2.65 करोड़ का निवल लाभ तथा रु. 4.35 करोड़ का निवल नकदी बहिर्गमन दर्शाया गया है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

ख) एक संयुक्त उद्यम (घरेलू) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 तक कुल परिसंपत्तियां रु. 7326.01 करोड़ , कुल राजस्व रु. 80.46 करोड़ और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद कुल शुद्ध लाभ रु. 47.75 करोड़ तथा समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित शुद्ध नकदी प्रवाह रु. 21.56 करोड़ दर्शाते हैं, का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

ग) 5 सहयोगी कंपनियों (4 घरेलू और 1 विदेशी) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरणों में 31मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद समूह के शुद्ध लाभ में रु. 258.50 करोड़ का हिस्सा शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, का अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है।

इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों के विषय में शामिल राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

एक विदेशी सहयोगी के संबंध में, वित्तीय सूचना उस देश में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है जिसमें वह स्थित है और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत लेखा परीक्षा की गई है जैसा कि यह उस देश में लागू होता है जिसमें यह स्थित है। मूल बैंक प्रबंधन ने ऐसे सहयोगी की वित्तीय जानकारी को आम तौर पर उस देश में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से परिवर्तित कर उसे भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कर दिया है। जहां तक भारत के बाहर स्थित ऐसी सहयोगी कंपनी की राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा तैयार रूपांतरण समायोजनों पर आधारित है।

13. समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के संबंध में गैर-लेखा परीक्षित/समीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय विवरण शामिल है :

क) 4 अनुषंगीयों (विदेशी) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 तक 5928.57 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति, 2305.17 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 82.86 करोड़ रुपये का कर के बाद कुल शुद्ध लाभ और समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए गए 78.63 करोड़ रुपये के शुद्ध नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं, का किसी भी लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है।

ख) 1 अनुषंगी (घरेलू) के वित्तीय विवरण, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ में समूह के हिस्से को 5.41 करोड़ रुपये दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, किसी भी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

ये वित्तीय विवरण समीक्षित/अलेखापरीक्षित हैं और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा मूल बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता के संबंध में, उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

14. संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े शामिल हैं, जिनका ऑडिट तीन ऑडिट फर्मों के एक समूह द्वारा संयुक्त ऑडिटर के रूप में किया गया है, जिन्होंने 6 मई, 2023 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है, और उन तीन ऑडिट फर्मों में से एक निरंतर ऑडिट फर्म है। इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

## अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

15. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ और हानि खाता बैंकिंग विनियामक अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किया गया है;

16. उपरोक्त पैराग्राफ लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां (पैरा 10, 11), प्रबंधन जिम्मेदारियां (पैरा 7,8,9) और अन्य मामले (पैरा 12,13,14) में दर्शाई गई लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित, और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन, और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अनुषंगियों, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के बाद, जैसा कि 'अन्य मामले' पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे

सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) मूल बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे मूल बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं और

सी) मूल बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।

17. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 30(2) के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 17 मार्च, 2020 के पत्र संख्या DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 के अनुसार, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (SCAs) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से SCAs के लिए रिपोर्टिंग बाध्यताएं", को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 19 मई, 2020 के साथ पढ़ा जाएं, हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) हमारी राय में, मूल बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं;

बी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण, संबंधित खाता बहियों तथा हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं;

सी) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका समुचित ढंग से निपटान किया है;

डी) हमारी राय में, समेकित बैलेंस शीट, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

ई) वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिनका मूल बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

एफ़) चूंकि मूल बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के तहत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यता मूल बैंक पर लागू नहीं होती है।भारत में निगमित सीमा तक सरकारी कंपनी के अलावा अन्य सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अनुसार 31 मार्च 2024 तक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

जी) खातों के रखरखाव और उससे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

एच) आईसीएआई द्वारा जारी "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका" के पैरा 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

**कृते मुंकुद एम चितले एवं कंपनी**
सनदी लेखाकार,
(एफआरएन: 106655डब्ल्यू)

**नीलेश आरएस जोशी**
भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 114749
यूडीआईएन: 24114749बीकेसीबीवाईजे2084

**कृते एस. ज**
सनदी लेखाक
(एफआरएन: 3

**रितेश अग्रवा**
भागीदार // अ
यूडीआईएन: 2

**कृते ए. बाफना एंड कं.**
सनदी लेखाकार,
(एफआरएन: 003660सी)

**मुकेश कुमार गुप्ता**
भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 073515
यूडीआईएन: 24073515बीकेजीक्यूजीडब्ल्यू3143

**कृते [illegible] एवं कं. एलएलपी**
सनदी लेखाकार,
(एफआरएन: 000235एन/एन500089)

**अनुज ढींगरा**
भागीदार // आईसीएआई एम. सं. 512535
यूडीआईएन: 24512535बीकेसीएक्सडीडब्ल्यू1904

**स्थान :** मुंबई
**दिनांक :** 10 मई, 2024

## Independent Auditors' Report

To

**The Members of Bank of India**

**Report on Audit of the Consolidated Financial Statements**

### Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of India ('the Holding Bank'), and its subsidiaries (collectively hereinafter referred to as "the Group"), associates and joint venture, which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to Consolidated Financial Statements including Significant Accounting Policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of:

   (i) Audited Financial Statements of the Holding Bank.

   (ii) Audited Financial Statements of 4 Subsidiaries (Domestic) and 5 Associates (1 Foreign & 4 Domestic) & 1 Joint-Venture (Domestic), audited by respective other auditors; and

   (iii) Un-audited financial statements of 4 Subsidiaries (Foreign) and 1 Associate (Domestic).

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on our consideration of the audit / review reports of other auditors on separate financial statements of the Subsidiaries, Joint Venture and Associates and the unaudited financial statements and other financial information of the Subsidiaries and Associate as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, the circulars, guidelines and directions issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time ("RBI Guidelines") and the applicable Accounting Standards in the manner so required for the Group and its associates & joint ventures and are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and give :

   a) true and fair view in case of the Consolidated Balance sheet, of the state of affairs of the Group and its associates and joint ventures as at March 31, 2024;

   b) true balance of Profit of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date; and

   c) true and fair view of the cash flows of the Group and its associates & joint ventures, in case of Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date.

### Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI"). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group / Bank, its associates and joint venture in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the ICAI Accounting Standards, as amended from time to time subject to Directions/Guidelines issued by the Reserve Bank of India, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us along with the consideration of audit reports of other auditors referred to in the "Other Matters" paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

### Emphasis of Matter

4. We draw attention to:

   (i) Note No. 9(d) of Schedule-18 of the accompanying Consolidated Financial Statements, regarding amortization of additional liability on account of revision in family pension amounting to Rs. 612.09 Crores. The Bank has charged an amount of Rs. 142.40 Crores to the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024, and balance unamortized expense of Rs. 41.22 Crores has been carried forward.

   (ii) Note No. 9(c) of Schedule-18 of the accompanying Consolidated Financial Statements, regarding Bank's exercising the irreversible option to shift to the new tax regime under section 115BAA of the Income-tax Act, 1961, effective for the financial year ended March 31, 2023, and onwards and resultant additional one-time charge of Rs. 1,459.89 Crores in the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024 on account of remeasurement of deferred tax assets (net).

   Our opinion is not modified in respect of these matters.

### Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the year ended March 31, 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report.

| S. No. | Key Audit Matters | Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| 1 | Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India (IRAC Norms)<br><br>Advances: Bank has to classify the accounts as performing advances or non-performing advances based on the guidelines/ circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning.<br><br>Identification of performing and non-performing advances is system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India.<br><br>The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.<br><br>The bank has implemented IRAC Automation software for identification and classifying of NPA accounts through the software. | We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Bank.<br><br>Advances: Our audit procedure included:<br><br>a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances.<br><br>b) Testing on sample basis whether the classification of advances as performing or non-performing and provisioning have been carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.<br><br>c) Communication to the Statutory Branch Auditors (SBAs) to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and reliance on the audit reports furnished by the SBAs.<br><br>d) Carrying out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verification of security by checking the valuation reports in respect of the audit of branches conducted by us.<br><br>e) Reliance on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. |
| | Investments: Bank has to classify the investments as performing or non-performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India.<br><br>Identification of performing and non-performing investments is generally system driven.<br><br>The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA /FBIL rates etc.<br><br>The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.<br><br>Advances and Investments constitute 61.31% and 25.38% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances are involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter. | Investments: Our audit procedure included:<br><br>a) Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments.<br><br>b) Testing on sample basis whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India.<br><br>c) Verification on sample basis whether proper provision for depreciation in the value of investments is made as per RBI guidelines.<br><br>d) Reliance made on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank. |
| 2 | Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities<br><br>The Bank has various litigations including Income-tax litigations, involving disputed claims against those litigations, which are pending at various courts / forums and are at various stages in the judicial process. Bank has also disputes regarding availability of input credits / applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Indirect Tax. | Our audit procedure included:<br><br>a) Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Also obtained details of completed tax assessments and latest orders, communication received from various tax authorities and the appeals filed till the year ended March 31, 2024, from the management.<br><br>b) Evaluating the management's underlying assumptions in estimating the tax provision and the possible outcome of the disputes. This includes considering the legal precedence and other rulings in evaluating management's position on these uncertain tax positions. |

| S. No. | Key Audit Matters | Audit Procedure followed to address the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes. There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning and any unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in the Balance Sheet. | c) Discussed with management's tax team to understand the status of all significant provisions, and any changes to management's judgements in the year. Also read the correspondence with tax authorities and Company's external tax advisors / lawyers to evaluate our assessment of recorded estimates and evaluate the completeness of the provisions recorded and whether any change was required to management's position on these uncertainties. |
| 3 | <u>Assessment of Information Technology (IT):</u><br>a. IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC norms, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc. is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems.<br>We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators. | <u>Our audit procedure included:</u><br>a) Obtained an understanding of the Bank's IT control environment and key changes during the audit period that may be relevant to the audit.<br>b) Reviewed the Reports of various IS Auditors / Consultants appointed by the Bank and discussed with IT Department on compliance with key IT controls, including IRAC Automation Controls.<br>c) Reviewed the design, implementation and operating effectiveness of the Bank's IT controls including application, access controls that are critical to financial reporting on test check basis.<br>d) Where we identified the need to perform additional procedures, we placed reliance on manual compensating controls; such as reconciliations between systems and other information sources or performing additional testing; extended our sample sizes, to obtain adequate and appropriate audit evidence. |

## Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditors Report thereon

6. The Holding Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of the Other Information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement (including annexures in the Annual Report) but does not include the Consolidated Financial Statements and our Auditor's report thereon, which is expected to be made available for us after the date of this Auditors' Report.

   Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and Pillar 3 disclosures under Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

   In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements. or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

   When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations.

## Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

7. The Holding Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group, its associates and Joint venture in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities within the Group, its associates and Joint venture are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group, its associates and Joint venture and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

8. In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the Group Entities are responsible for assessing the ability of the Group, its associates and Joint venture to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

9. The respective Board of Directors of the banks included in the Group, its associates and Joint venture are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group, its associates and Joint venture financial reporting processes.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

10. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

11. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

    - Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
    - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Holding Bank's internal controls on the Consolidated Financial Statements.
    - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
    - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's, its associates and Joint venture ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group and its associates and joint venture to cease to continue as a going concern.
    - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
    - Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group, its associates and Joint venture to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

    Materiality is the magnitude of the misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the Consolidated Financial Statements.

    We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

    We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

    From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

## Other Matter

12. The accompanying Consolidated Financial Statements include the audited financial statements and other financial

information in respect of:

a) The financial statements of 4 Subsidiaries (Domestic) whose financial statements reflect total assets of Rs. 135.10 Crores as at March 31, 2024, total revenues of Rs. 55.40 Crores and total net profit after tax of Rs. 2.65 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 4.35 Crores as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.

b) The financial statements of 1 Joint-Venture (Domestic) whose financial statements reflect total assets of Rs. 7326.01 Crores as at March 31, 2024, total revenues of Rs. 80.46 Crores and total net profit after tax of Rs. 47.75 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 21.56 Crores, as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.

c) The financial statements of 5 Associates (4 Domestic & 1 Foreign) whose financial statements include Group's share of net profit after tax of Rs. 258.50 Crores for the year ended March 31, 2024, as considered in the Consolidated Financial Statements, have been audited by other auditors.

The independent auditor's reports on the financial statements of these entities have been furnished to us by the Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, joint venture and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

In respect of one foreign associate, the financial information has been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the country in which it is situated and has been audited by the other auditors under generally accepted auditing standards as applicable in the country in which it is situated. The Holding Bank management has converted the financial information of such associate from accounting principles generally accepted in the country in which it is situated to accounting principles generally accepted in India. Our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures of such associate located outside India is based on the report of other auditors and the conversion adjustments prepared by the management of the Holding Bank.

13. The accompanying Consolidated Financial Statements includes the unaudited financial statements and other financial information in respect of:

a) The financial statements of 4 Subsidiaries (Foreign), whose financial statements reflect total assets of Rs. 5928.57 Crores as at March 31, 2024, total revenues of Rs. 2305.17 Crores and total net profit after tax of Rs. 82.86 Crores for the year ended on that date, and net cash flows of Rs. 78.63 Crores as considered in the Consolidated Financial Statements, have not been audited by any auditors.

b) The financial statements of 1 Associate (Domestic) whose financial statements reflect Group's share of net profit after tax of Rs. 5.41 Crores for the year ended as on March 31, 2024, as considered in the Consolidated Financial Statements have not been audited by any auditor.

These financial statements are reviewed / unaudited and have been furnished to us by Management and our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Management, these financial statements are not material to the Group.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the unaudited financial information as certified by the Holding Bank's management.

14. The accompanying Consolidated Financial Statements includes comparative figures for the year ended March 31, 2023, which have been audited by an earlier set of three audit firms as joint auditors, who have expressed unmodified opinion vide their audit report dated May 6, 2023, and one of those three audit firms is a continuing audit firm. Our opinion is not modified in respect of this matter.

## Report on Other Legal and Regulatory Requirements

15. The Consolidated Balance Sheet and the Consolidated Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

16. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs Auditor's Responsibilities (para 10, 11), Management Responsibilities (para 7,8,9) and Other matters (para 12,13,14) above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, and on the consideration of report of the other auditors on separate financial statements and the other financial information of subsidiaries, associates and joint ventures, as noted in the 'other matter' paragraph, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Holding Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Holding Bank and

c) The returns received from the offices and branches of the Holding Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

17. As required under the provisions of Section 30(2) of the Banking Regulation Act 1949 and by the RBI letter No. DOS. ARG. No.6270/08.91.001/2019- 20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, We further report that:

a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Holding Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account and with the returns received from branches not visited by us;

c) The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

e) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the Holding Bank.

f) As the Holding Bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the Holding Bank.

On the basis of the reports of the statutory auditors of subsidiaries, associate and joint ventures companies other than Government Company to the extent incorporated in India, none of the directors of the subsidiaries, associates & joint ventures companies incorporated in India is disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Companies Act, 2013

g) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

h) As per par 1.14 of the “Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks” issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of Public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group’s Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated Financial Statements.

| | |
|---|---|
| **For Mukund M Chitale & Co.**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN: 106655W)**<br><br>**Nilesh RS Joshi**<br>**Partner // ICAI M. No. 114749**<br>**UDIN: 24114749BKCBYJ2084** | **For S. Jaykishan**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN: 309005E)**<br><br>**Ritesh Agarwal**<br>**Partner // ICAI M. No. 062410**<br>**UDIN: 24062410BKCYMU9307** |
| **For A. Bafna & Co.**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN: 003660C )**<br><br>**Mukesh Kumar Gupta**<br>**Partner // ICAI M. No. 073515**<br>**UDIN: 24073515BKGQGW3143** | **For SCV & Co. LLP**<br>**Chartered Accountants**<br>**(FRN:000235N / N500089)**<br><br>**Anuj Dhingra**<br>**Partner // ICAI M. No. 512535**<br>**UDIN: 24512535BKCXDW1904** |

Place: Mumbai
Date: May 10, 2024

## बासेल-III (स्तंभ 3) प्रकटन

बासेल III पूंजी विनियम पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार, बैंकों को बासेल III पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटन अपेक्षित है।

उक्त प्रकटन बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:

https://www.bankofindia.co.in/basel-iii-disclosures

## BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURES

In accordance with Reserve Bank of India's Master Circular on Basel III Capital Regulations, Banks are required to make Pillar 3 disclosures under Basel III Capital requirements.

The said disclosures are available on Bank's website www.bankofindia.co.in under the following link:

https://www.bankofindia.co.in/basel-iii-disclosures

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India
BOI

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

**Head Office :** Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

## सूचना

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के शेयरधारकों की **28वीं (अट्ठाईसवीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम), मंगलवार, 25 जून, 2024 को प्रात: 11.00 बजे** से प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का मानित स्थान) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के द्वारा निम्नलिखित कारोबार संपादित करने हेतु आयोजित की जाएगी।

### साधारण कारोबार:

**मद संख्या 1:**

यथा 31 मार्च 2024 के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और हानि खाता उपरोक्त अवधि के लिए कवर किये गए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें तुलन पत्र और खातों के संबंध में खातों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कवर की गई है, पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और स्वीकार करना।

**मद संख्या 2:**

वर्ष 2023-24 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2.80 रुपये (28%) की दर से लाभांश घोषित करना।

### विशेष कारोबार :

**मद संख्या 3:**

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल का कार्यकाल विस्तार।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.सं.4/2(ii)/2023-बीओ.आई दिनांक 18.09.2023) के द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल का विस्तार को उनकी पहले से अधिसूचित अवधि से परे, जो 29.02.2024 को समाप्त हो रही है, दो साल की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है"

**मद संख्या 4:**

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. कार्तिकेयन का कार्यकाल विस्तार।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के

## NOTICE

Notice is hereby given that the **28th (Twenty Eighth) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Bank of India (Bank) will be held on **Tuesday, June 25, 2024 at 11.00 AM** at Head Office, Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the following business:

### ORDINARY BUSINESS:

**Item No. 1:**

To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2024, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the above period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

**Item No. 2:**

To declare dividend for the year 2023-24 @ Rs.2.80 (28%) per equity share.

### SPECIAL BUSINESS:

**Item No. 3:**

Extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the extension of term of Shri P. R. Rajagopal as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.4/2(ii)/2023-BO.I dated 18.09.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] beyond his previously notified term which expires on 29.02.2024, for a period of two years, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved".

**Item No. 4:**

Extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure

अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.सं.4/2(iii)/2023-बीओ.आई दिनांक 18.09.2023).के द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम. कार्तिकेयन के कार्यकाल विस्तार को उनकी पहले से अधिसूचित अवधि से परे, जो 09.03.2024 को समाप्त हो रही है, को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 31.03.2025 तक, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

**मद संख्या 5:**

बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में श्री अशोक नारायण की नियुक्ति।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ. संख्या.6/3/2011-बीओ.आई दिनांक 14.07.2023) के द्वारा 14 जुलाई 2023 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत श्री अशोक नारायण को बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

**मद संख्या 6:**

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव मिश्रा की नियुक्ति।

निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो इसे एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एफ.संख्या. 4/1(vi)/2023-बीओ.आई दिनांक 09.10.2023) के द्वारा 01.03.2024 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (एच) के अंतर्गत श्री राजीव मिश्रा को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

**मद संख्या 7:**

श्री एम. आर. कुमार की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।

**विशेष प्रस्ताव** के रूप में निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर इसे पारित करना:

"**संकल्प पारित किया जाता है कि** सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुसार, अधिसूचना संदर्भ (वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ईएफ.संख्या. 6/26(आई)/2023-बीओ.आई दिनांक 21.02.2024) के द्वारा 21 फरवरी 2024 से 20 फरवरी 2027 तक या अगले आदेश तक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (ए) के अंतर्गत श्री एमआर कुमार को बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को एतद्-द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

**निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा,**

**(रजनीश कर्नाटक)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक: 28.05.2024
स्थान: मुंबई

Requirements) Regulations, 2015, the extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No. 4/2(iii)/2023-BO.I dated 18.09.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] beyond his previously notified term which expires on 09.03.2024, till the date of his superannuation, i.e., 31.03.2025, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved".

**Item No.5 :**

Appointment of Shri Ashok Narain as Non- Executive Nominee Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Ashok Narain as Non-Executive Nominee Director of the Bank under Section 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14.07.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 14th July 2023 to until further orders, be and is hereby approved".

**Item No.6 :**

Appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank under Section 9 (3) (a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [eF.No. 4/1(vi)/2023-BO.I dated 09.10.2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f 01.03.2024 for a period of three years, or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved".

**Item No.7:**

Appointment of Shri M.R. Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following as a **Special Resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of Shri M.R. Kumar as part-time Non Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank under Section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification Ref. [F.No.6/26(i)/2023-BO.I dated 21.02.2024 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India] w.e.f., 21st February 2024 to 20th February 2027 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved".

**By order of Board of Directors,**

**(Rajneesh Karnatak)**
**Managing Director & CEO**

Date: 28.05.2024
Place: Mumbai

## नोट्स :-

1. बैठक की मद संख्या 3 से 7 के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देने वाली व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ संलग्न है।

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने मई 2020 से जारी विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से, जिसमें 05 मई 2022 को जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 शामिल हैं, ने कंपनियों को 30 सितंबर 2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। सेबी ने एमसीए द्वारा जारी किए गए उपरोक्त परिपत्रों के अनुरूप, सूचीबद्ध संस्थाओं को अपने परिपत्र दिनांक 06 अक्टूबर 2023 के माध्यम से छूट प्रदान की है।उसी के मद्देनजर, बैंक की 28वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अत: शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। बैंक के प्रधान कार्यालय को एजीएम स्थल माना जाएगा। बैंक ने एजीएम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल को नियुक्त किया है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए अटेंडेंट एनबलर्स हैं। रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और एजीएम में मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश यहां अलग से दिए गए हैं।

3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े सदस्य (2% या अधिक शेयरधारिता रखने वाले सदस्य), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के एजीएम में भाग लेने की अनुमति है।

4. **परोक्षी की नियुक्ति:**

   लागू प्रावधानों के अनुसरण में, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए पात्र हैं। परोक्षी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के परिपत्रकों के अनुसार चूंकि यह वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है अत: सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को रद्द कर दिया गया है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, परोक्षी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

5. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

   संस्थागत/कॉरपोरेट शेयरधारकों के लिए (अर्थात् वैयक्तिक/एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने बोर्ड या शासकीय निकाय का संकल्प/उसके द्वारा प्राधिकृत करने संबंधी स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट) प्रेषित करें, जिसमें उसकी ओर से उसके प्रतिनिधि को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। उक्त प्राधिकार देने/संकल्प को दिनांक 18 जून 2024 तक या उसके पहले ई-मेल द्वारा headoffice.share@bankofindia.co.in पर बैंक के कम्पनी सचिव को भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति स्क्रूटिनाइजर को ई-मेल द्वारा scrutinizer@snaco.net पर तथा एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजी जाएगी।

## NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at item No.3 to 7 of the meeting is annexed hereto.

2. Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide various circulars issued since May 2020 including the General Circular No. 02/2022 issued on 05th May 2022 and Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023 has permitted companies to hold the AGM through Video Conference (VC) / Other Audio Video Means (OAVM) by 30th September 2024. SEBI has also in line with the aforesaid circulars issued by MCA, granted relaxations to listed entities vide its circular dated 06th October 2023. In view of the same, the 28th AGM of the Bank is being held through VC / OAVM. Hence, Shareholders can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Head Office of the Bank shall be deemed to be the venue of the AGM. The Bank has appointed NSDL to provide Video Conferencing facility for the AGM and the attendant enablers for conducting the AGM through VC/OAVM. The detailed instructions pertaining to remote e-voting, joining the AGM through VC / OAVM and Voting at the AGM are given separately hereunder.

3. The Members can join the AGM in the VC / OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the notice. The facility of participation at the AGM through VC / OAVM will be made available to at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Members (Members holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairperson of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc., who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. **APPOINTMENT OF PROXY:**

   Pursuant to the applicable provisions, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars, through VC / OAVM, physical attendance of Shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Shareholders will not be available for the AGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

5. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE:**

   Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Company Secretary of the Bank on or before 18th June 2024 by email to headoffice.share@bankofindia.co.in with a copy marked to the Scrutinizer by email to scrutinizer@snaco.net with a copy also marked to evoting@nsdl.co.in.

6. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

7. उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्र दिनांक 5 जनवरी, 2023 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के साथ वार्षिक आम बैठक का नोटिस उन शेयरधारकों को केवल इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा ही भेजा जा रहा है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत हैं। शेयरधारक नोट करें कि नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in,स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसईलिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.comपर भी उपलब्ध रहेगी।

8. **वार्षिक रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक आम बैठक का नोटिस प्राप्त करने हेतु ईमेल आईडी पंजीकृत करने तथा लाभांश के भुगतान हेतु बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करने हेतु प्रक्रिया:**

**भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु:** भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है), वे बैंक के आरटीए के पास **आईएसआर-1** फॉर्म की विधिवत भरी हुई भौतिक प्रति बिगशेयर सेर्विसेज़ प्रा. लि., नंबर एस6-2, 6वां ताल, पिन्नेकल बिज़नस पार्क, आहुरा सेंटर से अगला, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व मुंबई -400093 को प्रेषित करके या info@bigshareonline.com को ईमेल प्रेषित करके अपनी ईमेल आईडी का पंजीकरण और बैंक खाता विवरणों को अद्यतन करवा सकते हैं।

**डीमैट रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु:** अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी/ बैंक खाता पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि कृपया डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के माध्यम से संबंधित डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता, मोबाईल नंबर और बैंक खाता विवरण पंजीकृत / अद्यतन करवाएँ।

9. बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं मीटिंग), विनियमन के विनियम 12 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के लागू विनियम के अनुसार, शेयरधारकों के रजिस्टर को बुधवार, 19 जून, 2024 से मंगलवार, 25 जून, 2024 तक (दोनों दिन शामिल) एजीएम हेतु बंद किया जाएगा।

10. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस नोटिस में संलग्न नहीं है।

11. **लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि:**

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु शेयर धारकों के लिए लाभांश की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **मंगलवार, 18 जून, 2024** को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है।

11. **लाभांश का भुगतान:** बैंक के निदेशक मंडल ने 10 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु पूर्ण रूप से प्रदत्त रु. 10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए रु. 2.80 (28%) लाभांश की अनुशंसा की है। निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित लाभांश यदि बैंक की 28वीं एजीएम में अनुमोदित होता है तो स्रोत पर कर की कटौती की शर्त के अधीन उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम निम्नानुसार प्रदर्शित होते हैं:

क. 18 जून, 2024 को कारोबार समय की समाप्ति पर डिपॉजिटरी (अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में लाभार्थी स्वामी के रूप में और;

6. **The** attendance of the Shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007.

7. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 5th January 2023, Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 is being sent only through electronic mode to those Shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholders may note that the AGM Notice and Annual Report 2023-24 of the Bank will also be available on the Bank's website www.bankofindia.co.in, websites of the Stock Exchanges i.e BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

8. **Process to register the email id for receiving Bank's AGM Notice and Annual Report and updation of Bank account details for payment of dividend:**

**For Physical Shareholders:** Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending the physical copy of duly filled in **ISR-1** Form to Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093 or by sending email at info@bigshareonline.com.

**For Shareholders holding shares in Demat form:** Shareholders holding shares in dematerialised mode and whose email ids / Bank account details are not registered are requested to register / update their email addresses, mobile numbers and Bank account details with their relevant depositories through their Depositary Participants.

9. **P**ursuant to Regulation 12 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations and applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Shareholders will be closed from Wednesday, June 19, 2024 till Tuesday, June 25, 2024 (both days inclusive) for AGM.

10. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

11. **Record Date for Dividend:**

**Tuesday, 18th June, 2024** has been fixed as Record Date for the purpose of ascertaining the entitlement of Shareholders for dividend for the financial year ended 31st March, 2024.

12. **Payment of Dividend:**

The Board of Directors of the Bank in their meeting held on 10th May, 2024 has recommended dividend @ Rs.2.80 (28%) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March, 2024. Dividend as recommended by the Board of Directors and if approved at the 28th AGM of the Bank will be paid to those shareholders, subject to deduction of tax at source, whose names appear:

a) As Beneficial Owners at the end of the business hours on 18th June, 2024 as per the list to be furnished by the Depositories (i.e NSDL and CDSL) in respect of shares held in electronic form and;

ख. रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दर्ज सभी अनुरोधों का वैध प्रेषण तथा प्रतिस्थापन प्रभावी होने के बाद 18 जून, 2024 को या उससे पहले बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में शेयरधारक के रूप में दर्ज

ग. 28वीं एजीएम में लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर लाभांश पात्र शेयरधारकों को वितरित किया जाएगा।

13. **लाभांश पर टीडीएस:**

क) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों को प्राप्त होने पर लाभांश आय कर योग्य है जो 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी है, और बैंक द्वारा शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के संबंध में शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है बैंक / आरटीए (भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी ( डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैन को अपडेट करें।

ख) एक निवासी शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है वे स्रोत पर कर में कटौती न करने का लाभ उठाने के लिए फॉर्म सं. 15 जी/15 एच में आरटीए को ईमेल द्वारा वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से यह नोट करने हेतु अनुरोध है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है तो आयकर 20इ की उच्च दर पर काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के अंतर्गत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि अपेक्षित दस्तावेज tds@bigshareonline.com आरटीए को एक ईमेल भेजकर उपलब्ध करवाएँ अर्थात् गैर-स्थायी प्रतिष्ठान और लाभकारी स्वामित्व की घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉर्म 10एफ, कोई भी अन्य दस्तावेज जो कर संधि के लाभ उठाने के लिए आवश्यक हों।

ग) शेयरधारकों को घोषणाएँ और दस्तावेज़ 18 जून, 2024 को या उससे पहले tds@bigshareonline.comhe. मेल के ज़रिए जमा करने होंगे, ताकि बैंक लाभांश राशि पर टीडीएस/ कर की दर पर रोक निर्धारित कर सके। 18 जून, 2024 के बाद बैंक द्वारा कर की दर, कर कटौती/ निर्धारण पर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

14. सेबी सूचीकरण विनियम यथा संशोधित विनियम 40 के अनुसार, यदि प्रतिभूतियों के प्रेषण या प्रतिस्थापना हेतु अनुरोध प्राप्त होता है तो सूचीबद्ध कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैट रूप में ही अंतरित की जा सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा भौतिक शेयर से जुड़े सभी जोखिमों का उन्मूलन करते हुए तथा पोर्टफोलियों प्रबंधन को सरल बनाने के लिए भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैट रूप में बदलने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में किसी भी सहायता हेतु बैंक या बैंक के रजिस्ट्रारों, अंतरण एजेंटों एवं बिगशेयर सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

15. संयुक्त धारकों के मामले में, वे शेयरधारक जिनका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में प्रथम धारक के रूप में आता है, वार्षिक आम बैठक में वोट देने के हकदार होंगे।

16. शेयरधारकों को खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए और जो एजीएम में खुद को स्पीकर के रूप में

b) As Shareholders in the Register of Shareholders of the Bank after giving effect to all valid transmission and transposition requests lodged with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank on or before 18th June, 2024.

c) The dividend will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of declaration of Dividend at the 28th AGM.

13. **TDS on Dividend:**

a) Pursuant to provisions of Income Tax Act, 1961, dividend income is taxable in the hands of shareholders w.e.f 1st April, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the provisions of Income Tax Act, 1961 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Bank / RTA (in case of shares held in physical form) and Depositories (in case of shares held in demat form).

b) A residential shareholder with PAN and who is not liable to pay tax can submit a yearly declaration in Form No. 15 G/ 15 H, to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to RTA. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing the necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to RTA at tds@bigshareonline.com.

c) The aforesaid declarations and documents are required to be submitted by the shareholders through mail to tds@bigshareonline.com on or before 18th June, 2024 to enable the Bank to determine the TDS / withholding tax rate on the dividend amount. No communication on the tax rate, tax deduction / determination shall be entertained by the Bank after 18th June, 2024.

14. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listing companies can be transferred only in dematerialized form with effect from April 1, 2019 in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, Shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's Registrars and Transfer Agents, Bigshare Services Pvt. Ltd., for assistance in this regard.

15. In case of joint holders, the shareholders whose name appears as their first holder in order of names as per the Register of shareholders of the Bank will be entitled to vote at the AGM.

16. Shareholders seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM and who wants to register themselves as Speakers at the AGM are

पंजीकृत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे **18 जून, 2024 को या उससे पहले** headoffice.share@bankofindia.co.in पर ईमेल के माध्यम से बैंक को लिखें। उक्त के संबंध में एजीएम में बैंक द्वारा यथोचित उत्तर दिया जाएगा।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोट करें कि ऐसे लाभांश जिनका बैंक के अदत्त लाभांश खाते में ट्रांसफर की तारीख से लगातार 7 वर्ष की अवधि तक नकदीकरण नहीं कराया गया है, वे इन्वेस्टर एजुकेशन एवं प्रोटेक्शन फंड ("आईईपीएफ") में अंतरित किए जा सकते हैं। ऐसे लाभांश जिनका दावा नहीं किया गया है, से संबंधित शेयरों को भी आईईपीएफ प्राधिकारी के डीमैट खाते में अंतरित किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर कम्पनी से अपने लाभांश का दावा करें। ऐसे सदस्य, जिनके दावा न किए गए लाभांश/शेयर आईईपीएफ को अंतरित कर दिये गए हैं, वे इसके दावे के लिए www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म सं. आईईपीएफ-5 में आईईपीएलएफ प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट का अंश, कॉरपोरेट प्रशासन रिपोर्ट तथा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर निवेशक पृष्ठ के प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ लें।

**18. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:**

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/37 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक/बैंक के आरटीए को अनिवार्य रूप से वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और उनके संबंधित फोलियो नंबर के लिए नामांकन विवरण प्रस्तुत करना होगा।

उपर्युक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, भौतिक शेयर रखने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए फॉर्म में बैंक/आरटीए को वैध पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत प्रस्तुत करें:

| क्रम सं. | रूप | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | फॉर्म आईएसआर-1 | पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत/अद्यतित करने के लिए |
| 2 | फॉर्म आईएसआर-2 | बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करना |
| 3 | फॉर्म आईएसआर-3 | नामांकन से बाहर निकलने के लिए घोषणा पत्र |
| 4 | फॉर्म एसएच-13 | नामांकन फार्म |
| 5 | फॉर्म एसएच-14 | नामांकन रद्द करना या उसमें परिवर्तन (यदि कोई हो) |

उपर्युक्त सभी फॉर्म (आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआर-3, एसएच-13, एसएच-14) और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders पर उपलब्ध हैं ।

उपरोक्त के मद्देनजर, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म को सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक के आरटीए को बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नंबर एस 6-2, छठी मंजिल, पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में, महाकाली गुफा रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093 में जमा करें।

सेबी ने अपने परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17.11.2023 के माध्यम से निम्नलिखित प्रावधान को समाप्त कर दिया है -

- उन फोलियो को फ्रीज करना जहां अनिवार्य विवरण जैसे पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण, नमूना हस्ताक्षर और नामांकन विवरण उपलब्ध नहीं हैं।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी को फोलियो का संदर्भ लेना।

requested to write to the Bank on or before **June 18, 2024** through email on headoffice.share@bankofindia.co.in. The same will be replied by the Bank suitably at the AGM.

17. Shareholders are requested to note that, dividends if not encashed for a consecutive period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account of the Bank, are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"). In view of this, Shareholders are requested to claim their dividends from the Company, within the stipulated timeline. The Shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in. For details, please refer to Corporate Governance Report which is a part of this Annual Report and FAQ of investor page on Bank's website http:www.bankofindia.co.in.

**18. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:**

As per SEBI circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/37 dated 16.03.2023, the shareholders holding shares in physical form shall mandatorily furnish valid PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details for their corresponding folio numbers to the Bank / RTA of the Bank.

Pursuant to above mentioned SEBI circular, all the shareholders holding physical shares are requested to furnish valid PAN, contact details, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the Bank / RTA:

| Sl. No. | Form | Purpose |
|---|---|---|
| 1 | Form ISR-1 | To register / update PAN, KYC details |
| 2 | Form ISR-2 | To confirm Signature of securities holder by the Bank |
| 3 | Form ISR-3 | Declaration Form for opting-out of Nomination |
| 4 | Form SH-13 | Nomination Form |
| 5 | Form SH-14 | Cancellation or variation of Nomination (if any) |

All above Forms (ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14) and the said SEBI circular are available on our website at https://www.bankofindia.co.in/format_for_Boi_shareholders.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA at Bigshare Services Pvt. Ltd., No.S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093.

SEBI vide its circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD-1/P/CIR/2023/181 dated 17.11.2023 has done away with the provision of –

- Freezing of folio where mandatory details viz., PAN, contact details, Bank A/c details, Specimen Signature and nomination details are not available.
- Referral of folios by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and /or Prevention of Money Laundering Act, 2002

**19.** **ई-वोटिंग**

बैंक के शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को प्रसन्नता हो रही है ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकें। बैंक उन शेयरधारकों के लिए एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान करेगा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान अपने वोट नहीं डाले हैं। बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एसएन अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के ई-वोटिंग अधिकारों की गणना उनके द्वारा **मंगलवार , 18 जून, 2024** को रखे गए इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी, जो इस उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख को बैंक के शेयरधारक, जो भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

**20.** **ई-वोटिंग निर्देश**

**ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:**

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 20 जून, 2024 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होकर 24 जून, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। शेयरधारक, जिनके नाम निर्दिष्ट तिथि (कट-ऑफ तिथि) यानी 18 जून, 2024 को शेयरधारकों/लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि अर्थात् 18 जून, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

**मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप से कैसे मतदान करूँ?**

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने में "दोचरण" शामिल हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

**चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम को एक्सेस करना**

**ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुडने की लॉगइन प्रक्रिया**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के संबंध में,एकल शेयरधारकों जिनके पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ हैं उन्हें अपने डीमैट खाता जो डिपॉजटरीज एंड डिपॉजटरी पार्टीसिपेंट्स में है,के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयर धारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

| शेयरधारकों का प्रकार | लॉग-इन प्रकिया |
|---|---|
| एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक | 1. मौजूदा **आईडीईएएस** यूजर निजी कम्प्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विस वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर विजिट कर सकते हैं। ई-सर्विस होमपेज पर **"Beneficial Owner"** आइकन के अंतर्गत **"Login"** पर क्लिक करें, जो **IDeAS** खंड के अंतर्गत उपलब्ध है, और अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालने के लिए सूचित करेगा। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप वैल्यू एडेड सर्विसेस के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेज देख सकेंगे। ई-वोटिंग सर्विसेज के अंतर्गत **`Access to e-Voting'** पर क्लिक कर आप ई-वोटिंग पेज |

19. **E-VOTING**

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice The Bank will also provide e-voting facility during the AGM for those shareholders who have not casted their votes during the remote e-voting process. The Bank has appointed M/s. S N ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Tuesday, June 18, 2024** being the cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding share either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

20. **E-VOTING INSTRUCTIONS**

**THE INTRUCTIONS TO SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:**

The remote e-voting period begins on June 20, 2024 at 09:00 A.M. and ends on June, 24, 2024 at 05:00 P.M. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Shareholders, whose names appear in the Register of Shareholders / Beneficial Owners as on the Specified date (cut-off date) i.e. June 18, 2024 may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being June 18, 2024.

**How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?**

*The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:*

**Step 1: Access to NSDL e-Voting system**

**A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

| Type of shareholders | Login Method |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL. | 1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "**Beneficial Owner**" icon under **"Login"** which is available under **'IDeAS'** section , this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company |

| | |
|---|---|
| | देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या **ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल** के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दुबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।<br>2. यदि यूज़र र्ध्आईए ई-सर्विसेज हेतु पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण हेतु विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। **"Register Online for IDeAS Portal"** का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.isp पर क्लिक करें।<br>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। किसी निजी कम्प्यूटरया मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप कर वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च हो जाने के बाद, `Shareholder/Member' खंड में उपलब्ध `Login' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। अपनी यूज़र आईडी (एनएसडीएल में आपकी 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सत्यापन कोड डालें। सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद, आप एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुँचेंगे, जहाँ आपको ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक करें तथा आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने तथा मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए दोबारा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।<br>4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"NSDL Speede"** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं।<br>**NSDL Mobile App is available on**<br>App Store Google Play |
| सीडीएसएल में डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले एकल शेयरधारक | 1) प्रयोगकर्ता, जिन्होंने सीडीएसएल Easi / Easiest facility का चयन किया है, अपनी मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर सकते हैं। बिना किसी अधिप्रमाणन के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi / Easiest पर लॉग-इन करने वाले प्रयोगकर्ता www.cdslindia.com वेबसाइट पर जाएं औरलॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें तथा New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद अपना मौजूदा my easi यूजर नाम एवं पासवर्ड का चयन करें।<br>2) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने के बाद Easi / Easiest प्रयोगकर्ता कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पात्र कम्पनियों जहाँ ई-वोटिंग चल रही है, हेतु ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, प्रयोगकर्ता बैठक के दौरान वर्चुअल बैठक से जुडने एवं मतदान करने या रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने हेतु ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पेज को देख पाने में सक्षम होंगे। इसके |

| | |
|---|---|
| | name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.<br>2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select **"Register Online for IDeAS Portal"** or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp<br>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.<br>4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "**NSDL Speede**" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.<br>**NSDL Mobile App is available on**<br>App Store Google Play |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | 1. Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then user your existing my easi username & password.<br>2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is alsolinks |

| | |
|---|---|
| | अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम के एक्सेस के लिए भी लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि प्रयोगकर्ता ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर सीधे जा सके।<br>3) यदि प्रयोगकर्ता का Easi/Easiest हेतु पंजीकरण नहीं है, तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है तथा लॉगइन पर क्लिक करें एवं New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें ।<br>4) इसके अलावा, यूज़र www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध एक ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या तथा पैन नम्बर उपलब्ध करा कर भी ई-वोटिंग पेज पर सीधे एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में रिकॉर्ड किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ई-मेल पर ओटीपी भेजकर यूज़र को अधिप्रमाणित करेगा। सफल अधिप्रमाणन के बाद, यूज़र ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां ई-वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तथा साथ ही सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम में सीधे एक्सेस भी कर सकेगा। |
| एकल शेयरधारक (डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से | आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल में पंजीकृत निक्षेपागार के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगइन क्रेडेंशल का प्रयोग कर भी लॉगइन कर सकते हैं। लॉगइन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, सफलतापूर्वक अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पहुंचेंगे, जहाँ आप ई-वोटिंग फीचर देख सकेंगे। कम्पनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के नाम पर क्लिक कर आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने या वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या मीटिंग के दौरान वोट देने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पहुंचेंगे। |

**महत्वपूर्ण नोट** : जो शेयरधारक यूज़र आईडी/पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प फॉरगॉट यूज़र आईडी तथा फॉरगॉट पासवर्ड का प्रयोग करें।

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु डिपॉजिटरी अर्थात् सीडीएसएल तथा एनएसडीएल के माध्यम से लॉगइन करने संबंधी किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क

| लॉगइन का प्रकार | हेल्पडेस्क का विवरण |
|---|---|
| एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक | जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे evoting@nsdl.co.inपर अनुरोध प्रेषित कर या022 - 4886 7000 पर कॉल करके एनएसडीएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं । |
| सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारण करने वाले एकल शेयरधारक | जिन सदस्यों को लॉगइन करने में किसी तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वे helpdesk.evoting@cdslindia.comपर अनुरोध प्रेषित कर या टोल फ्री सं 1800 22 55 33 पर कॉल करके सीडीएसएल हेल्पडेस्क से सम्पर्क कर सकते हैं। |

**(बी) डीमैट स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों तथा भौतिक स्वरूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से भिन्न शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने या ई-वोटिंग हेतु लॉगइन की विधि।**

**एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?**

1. एनएसडीएल (NSDL) की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। निम्नलिखित

| | |
|---|---|
| | provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.<br>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.<br>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers. |
| Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants | You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |

**Important note:** Shareholders who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

**Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.**

| Login type | Helpdesk details |
|---|---|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL | Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000. |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33 |

**B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.**

**How to Log-in to NSDL e-Voting website?**

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/

यूआरएल के माध्यम से वेब ब्राउज़र को खोलें; URL: https://www.evoting.nsdl.com/, इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से खोल सकते हैं।

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने पर `Shareholder/Member' खंड में जाएँ एवं “Login” आइकॉन पर क्लिक करें।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड/ओटीपी तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ अर्थात आईडीईएस (IDEAS) पर पंजीकृत हैं तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस (IDEAS) लॉगिन के माध्यम से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल के माध्यम से एनएसडीएल (NSDL) सर्विसेज़ पर लॉग-इन करने के पश्चात आप ई-वोटिंग पर क्लिक करके दूसरे चरण में ईलेक्ट्रानिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी विवरण नीचे दिये गए हैं:

| शेयर धारण प्रणाली अर्थात डीमैट(एनएसडीएल या सीडीएसएल) अथवा भौतिक रूप से | आपकी यूजर आईडी: |
|---|---|
| क. एनएसडीएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु | 8 अक्षरों की डीपी आईडी तद्पश्चात 8 अंकों की ग्राहक आईडी<br>उदाहरण के तौर पर यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** तथा ग्राहक आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12****** है। |
| ख. सीडीएसएल में डीमैट खाते में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु | 16 अंकों की बेनीफिशियरी आईडी<br>उदाहरण तया यदि आपकी बेनीफिशियरी आईडी 12************** है तो आपकी यूजर आईडी 12************** है। |
| ग. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों हेतु | EVEN संख्या तद्पश्चात कंपनी की रजिस्टर्ड फोलियो संख्या<br>उदाहरण के तौर पर यदि फोलियो संख्या 001*** SJeb EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** है। |

5. एकल शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयर धारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग हेतु पंजीकृत है तो आप लॉगिन करने और वोट देने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं तो आपको पूर्व में प्राप्त `initial password' को पुन: प्राप्त करना होगा। अपने `initial password' को पुन: प्राप्त करने के पश्चात् आपको `initial password' प्रविष्ट करना होगा और सिस्टम आपको पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

ग) ‘इनिशियल पासवर्ड’ को पुन:प्राप्त कैसे करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी डीमैट खाते या कंपनी के साथ पंजीकृत है तो आपका ‘इनिशियल पासवर्ड’ आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाता है। अपनी ईमेल आईडी में एनएसडीएल द्वारा प्राप्त मेल को खोजें। ईमेल एवं उसमें प्राप्त संलग्नक को खोलें जो कि एक पीडीएफ़ फ़ाइल है। पीडीएफ़ फ़ाइल को खोलें। पीडीए.फ फ़ाइल को खोलने हेतु पासवर्ड आपके एनएसडीएल (NSDL) खाते 8 अंकों की पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। पीडीएफ़ फ़ाइल में आपकी 'User ID' और आपका 'initial password' होता है।

either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

| Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical | Your User ID is: |
|---|---|
| a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL. | 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID<br>For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******. |
| b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL. | 16 Digit Beneficiary ID<br>For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12************** |
| c) For Shareholders holding shares in Physical Form. | EVEN Number followed by Folio Number registered with the company<br>For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001*** |

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the ‘initial password’ which was communicated to you. Once you retrieve your ‘initial password’, you need to enter the ‘initial password’ and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your ‘initial password’?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your ‘initial password’ is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your ‘User ID’ and your ‘initial password’.

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया में नीचे **दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं।**

6. यदि आप 'इनिशियल पासवर्ड' को पुन: प्राप्त करने में असमर्थ है या अभी तक 'इनिशियल पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या पासवर्ड भूल गए हैं तो:

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **''फॉर्गोट यूजर डिटेल/पासवर्ड?''** पर क्लिक करें (यदि आप एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं)।

ख) www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध विकल्प **''फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?''** (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं)

ग) यदि आप उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा भी पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, अपने पैन, अपने नाम और अपने पंजीकृत पते आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके ''नियम और शर्तों'' पर टिक करें।

8. अब, आपको 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

**चरण 2: इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों।**

**इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर आम बैठक में किस प्रकार शामिल हों?**

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों 'ईवीईएन(EVEN)' को देख पाएंगे जिनमें आप शेयर रख रहे हैं और जिनका मतदान चक्र और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।
2. उस कंपनी के 'ईवीईएन(EVEN)' का चयन करें जिसके लिए आप दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "Join Meeting" के तहत उपलब्ध विकल्प "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्पों अर्थात सहमति या असहमतिका चयन करके अपना वोट डालें, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और ''सबमिट'' पर क्लिक करें,संकेत दिए जाने पर ''पुष्टि'' करें।
5. पुष्टि होने पर, संदेश ``Vote Cast Successfully" प्रदर्शित किया जाएगा।
6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
7. एक बार प्रस्ताव पर अपने वोट की पुष्टि करने के पश्चात आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "**Forgot User Details/Password**?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **Physical User Reset Password**?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

**Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.**

**How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?**

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

### शेयरधारकों हेतु सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) द्वारा संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की एक स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) स्क्रूटिनाइज़र पर ईमेल **scrutinizer@snaco.net** के माध्यम से तथा evoting@nsdl.co.in. को कॉ पी में रखकर मतदान करने के लिए अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजना आवश्यक है। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) अपना बोर्ड संकल्प/ मुख्तारनामा / प्राधिकरण पत्र आदि उनके लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत दर्शाए गए "Upload Board Resolution / Authority Letter" पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं।
2. दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल प्रयासों पर ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प का प्रयोग करना होगा।
3. कोई भी शंका होने पर, आप शेयरधारकों के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध कर सकते हैं।

**उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं,:**

1. भौतिकरूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वत:सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वत:सत्यापित सत्यापित प्रति) को Headoffice.share@bankofindia.co.in पर ई-मेल या http://www.bigshareonline.com/InvestorRegistrantion.aspx. लिंक पर क्लिक कर के आरटीए को प्रेषित करें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे गए हैं, तो कृपया Headoffice.share@bankofindia.co.in पर अथवा https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx लिंक पर क्लिक करके आरटीए को डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करें। यदि आप डीमैट रूप में प्रतिभूति धरण करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आपसे अनुरोध है कि **चरण 1(ए)** में बताई गई लॉगिन विधि का संदर्भ लें अर्थात् **डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग एवं वर्चुअल बैठक से जुडने की लॉगइन प्रक्रिया**
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/ evoting@nsdl.co.in को उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते है।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले एकल शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

### General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution / Power of Attorney / Authority Letter etc. by clicking on "Upload Board Resolution / Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to at evoting@nsdl.co.in

**Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice**:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Headoffice.share@bankofindia.co.in or to the RTA by by clicking the link at https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **step 1 (A)** i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode**.
3. Alternatively shareholder/ may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

### ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा किसी कारणवश ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम/एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन लोगों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम/एजीएम में मतदान करने के योग्य नहीं होंगे।
4. ईजीएम/एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है।

### वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक **एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम तक पहुंचने** के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन करके एक्सेस कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के विपरीत "Join Meeting" मेनू के तहत रखे गए "VC/OAVM" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य बैठक में शामिल होने वाले मेनू के तहत रखे गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का EVEN प्रदर्शित किया गया है। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय परेशानी से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुन: प्राप्त कर सकते हैं।
2. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अलावा शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अच्छी गति के साथ कैमरा और इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागियों या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले लैपटॉप के माध्यम से उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

### व्याख्यात्मक विवरण

#### मद सं. 3

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पी आर राजगोपाल के कार्यकाल का विस्तार।**

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पीआर राजगोपाल के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

### THE INSTRUCTIONS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE EGM/AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM/AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the EGM/AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM/AGM.
3. who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM/AGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM/AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM/AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

### INSTRUCTIONS FOR ATTENDING THE EGM/AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM/AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of "VC/OAVM" placed under **"Join meeting"** menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

### EXPLANATORY STATEMENT

#### Item No. 3

**Extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for extension of term of Shri P R Rajagopal as Executive Director of the Bank.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने अधिसूचना दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से बैंक के बोर्ड पर कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री पीआर राजगोपाल के कार्यकाल के विस्तार को उनके पहले से अधिसूचित अवधि से परे, जो दिनांक 29.02.2024 को समाप्त हो रही है, से दो वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक बढ़ा दिया है।

**श्री पी आर राजगोपाल का संक्षिप्त विवरण:**

| | |
|---|---|
| नाम | श्री पी आर राजगोपाल |
| उम्र | 57 वर्ष |
| शैक्षिक योग्यता | बी.कॉम, एलएलबी |
| नियुक्ति की तिथि | 18.03.2020 |
| संक्षिप्त विवरण | उन्होंने 1995 में एक अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इंडिया में अपना करियर शुरू किया और 2000 में वरिष्ठ प्रबंधक बने। भारतीय बैंक संघ के कानूनी सलाहकार रहे और बैंक ऑफ इंडिया में प्रत्यावर्तन तक 2004 तक आईबीए के साथ रहे। वह 2004 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण किया और वर्ष 2016 में महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए। कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति पर उन्होंने दिनांक 01.03.2019 को इलाहाबाद बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।<br>उन्होंने 18 मार्च, 2020 को बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। |
| मौजूदा निदेशकों के साथ संबंध | कोई नहीं |

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशकों का विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

**श्री पी आर राजगोपाल** या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय काम कों और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त समाधान में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा तक।

### मद सं. 4

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम कार्तिकेयन का कार्यकाल विस्तार।**

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री एम कार्तिकेयन के कार्यकाल विस्तार के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने दिनांक 18.09.2023 की अधिसूचना के माध्यम से श्री एम. कार्तिकेयन की बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी 09.03.2024 को समाप्त होने वाली पूर्व अधिसूचित अवधि से आगे बढ़ाकर उनकी सेवानिवृत्ति अर्थात् 31.03.2025 या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक विस्तारित किया है।

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide notification dated 18.09.2023, has extended the term of Shri P R Rajagopal as Executive Director on the Board of the Bank, beyond his previously notified term which expires on 29.02.2024, for a period of two years, or until further orders, whichever is earlier.

**Brief profile of Shri P R Rajagopal**:

| | |
|---|---|
| Name | Shri P R Rajagopal |
| Age | 57 years |
| Educational Qualification | B.Com, LLB |
| Date of Appointment | 18.03.2020 |
| Brief Profile | He started his career in Bank of India as an officer in 1995 and became Senior Manager in 2000. Seconded to Indian Banks' Association as Legal Adviser and was with IBA till 2004 till repatriation to Bank of India. He joined Union Bank of India in 2004 and elevated to the rank of General Manager in the year 2016. On elevation to the position of Executive Director, he joined Allahabad Bank on 01.03.2019.<br>He has taken charge as Executive Director, Bank of India on March 18, 2020. |
| Relationship with existing Directors | Nil |

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri P R Rajagopal** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

### Item No. 4:

**Extension of term of Shri M. Karthikeyan as Executive Director of the Bank**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for extension of term of Shri M Karthikeyan as Executive Director of the Bank.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide notification dated 18.09.2023, has extended the term of Shri M Karthikeyan as Executive Director on the Board of the Bank, beyond his previously notified term which expires on 09.03.2024, till the date of his superannuation, i.e., 31.03.2025, or until further orders, whichever is earlier.

श्री एम. कार्तिकेयन का संक्षिप्त परिचय

| | |
|---|---|
| नाम | श्री एम. कार्तिकेयन |
| आयु | 59 वर्ष |
| शैक्षिक योग्यता | एमएससी (कृषि), सीएआईआईबी, जीयूआई ऐप्लीकेशन में डिप्लोमा, प्रबंधन में डिप्लोमा |
| नियुक्ति की तारीख | 10.03.2021 |
| संक्षिप्त परिचय | वह इंडियन बैंक में महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट विकास अधिकारी) थे। इंडियन बैंक के साथ 32 वर्षों से अधिक की पेशेवर यात्रा में उन्होंने कॉर्पोरेट कार्यालय और फील्ड स्तर की बैंकिंग का गहन अनुभव प्राप्त किया है। वह धर्मपुरी, पुणे और चेन्नई उत्तर अंचल के आंचलिक प्रबंधक थे। वह फील्ड महाप्रबंधक दिल्ली रहे, जहां से 8 अंचलों को नियंत्रित किया। उन्होंने प्रधान कार्यालय में सफलतापूर्वक वसूली और विधि विभाग के प्रमुख का दायित्व निभाया।<br><br>वह तमिलनाडु ग्राम बैंक के बोर्ड में भी थे, जिसे दो आरआरबी नामत: इंडियन ओवरसीज़ बैंक की अनुषंगी पंडियन ग्राम बैंक को इंडियन बैंक की अनुषंगी पल्लवन ग्राम बैंक के साथ मर्ज करके बनाया गया था।<br><br>उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में 10.03.2021 को पदभार संभाला था।<br><br>दिनांक 29.12.2021 को, उन्हें बीओआई स्टार इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीओआई की अनुषंगी) में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।<br><br>उन्होंने हावर्ड बिजनेस स्कूल/बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा संचालित निदेशक विकास कार्यक्रम और आईआईएम बैंगलुरु द्वारा पीएसबी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए चलाए गए नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भाग लिया है। |
| मौजूदा निदेशकों के साथ संबंध | कोई नहीं |

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक के विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशक स्वरूप विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

**श्री एम. कार्तिकेयन** या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से किसी को भी उपरोक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है, सिवाय इसके कि बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर।

### मद सं. 5

**बैंक के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में श्री अशोक नारायण की नियुक्ति।**

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के विनियम 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम

**Brief profile of Shri M. Karthikeyan**

| | |
|---|---|
| Name | Shri M. Karthikeyan |
| Age | 59 years |
| Educational Qualification | M.Sc (Agri), CAIIB, Diploma in GUI Application, Diploma in Management. |
| Date of Appointment | 10.03.2021 |
| Brief Profile | He was General Manager (Corporate Development Officer) with Indian Bank. During his professional journey of over 32 years with Indian Bank, he has extensive exposure of Corporate office and field level banking. He was Zonal Manager of Dharmapuri, Pune and Chennai North Zone. He was Field General Manager Delhi controlling 8 zones. He has successfully headed the Recovery and Legal Department at Head Office.<br><br>He was also on the Board of Tamil Nadu Grama Bank which was formed as a merged entity of two RRBs namely Pandian Grama Bank, a subsidiary of Indian Overseas Bank with Pallavan Grama Bank, a subsidiary of Indian Bank.<br><br>He has taken charge as Executive Director, Bank of India on 10.03.2021.<br><br>On 29.12.2021, he has been appointed as Additional Drector at BOI STAR Investment Mangers Private Limited ( Subsidiary of BOI).<br><br>He has undergone the Director Development Program conducted by Harward Business School/Bank Board Bureau and Leadership Development Program for Senior Management for PSBs conducted by IIM Bangalore. |
| Relationship with existing Directors | Nil |

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri M. Karthikeyan** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

### Item No.5 :

**Appointment of Shri Ashok Narain as Non- Executive Nominee Director of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the

बैठक में लिया जाए। तदनुसार, श्री अशोक नारायण की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता अपेक्षित है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री अशोक नारायण को 14 जुलाई, 2023 से अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड में भारत सरकार के गैर-कार्यपालक नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

**श्री अशोक नारायण का संक्षिप्त विवरण:**

| | |
|---|---|
| नाम | श्री अशोक नारायण |
| आयु | 62 वर्ष |
| शैक्षिक योग्यता | एमबीए (आईआईएम कोलकाता), एमएसबीए, सीएआईआईबी |
| नियुक्ति की तारीख | 14.07.2023 |
| संक्षिप्त परिचय | श्री अशोक नारायण भारतीय रिज़र्व बैंक में 33 वर्ष के सेवाकाल जिसमें से 18 वर्ष पर्यवेक्षी विनियामकीय डोमेन में कार्य करने के पश्चात् पर्यवेक्षण विभाग के मुख्य महाप्रबंधक के पद से 2022 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने सैंकड़ों बार बैंकों की ऑन-साइट जांच का नेतृत्व किया है और वाणिज्यिक बैंकों तथा शहरी सहकारी बैंकों के ऑफ साइट पर्यवेक्षण को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है।<br>उन्होंने आरबीआई के उद्यमवार जोखिम प्रबंधन को कार्यान्वित करने का दायित्व निभाया था और सेंट्रल बैंक श्रीलंका के लिए ईआरएम संरचना के विकास में मार्गदर्शन किया था। आरबीआई द्वारा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय कार्य-दलों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के बोर्ड में एक सदस्य के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने अंतराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्य-दल (आईओआरडब्ल्यूजी) 2014-16, वित्तीय उपभोक्ता सुरक्षा (2017 और 2018) की टास्क फोर्स जी20-ओईसीडी में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया और 2019-22 के दौरान वित्तीय स्थिरता बोर्ड बेसल के गैर-बैंकिंग निगरानी विशेषज्ञ दल की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की टीम (क्रेडिट संस्थानों हेतु) का सह-नेतृत्व किया।<br>अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उन्हें 2022 से वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में पैनलबद्ध किया गया है। |

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक के विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, निदेशक स्वरूप विवरण, सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्डों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

**श्री अशोक नारायण** या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या इससे संबन्धित नहीं माना जा सकता है।

Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Ashok Narain.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Ashok Narain as Non-Executive Nominee Director on the Board of the Bank, w.e.f from July 14, 2023, until further orders.

**Brief profile of Shri Ashok Narain**

| | |
|---|---|
| Name | Shri Ashok Narain |
| Age | 62 years |
| Educational Qualification | MBA (IIM Kolkata), MSBA, CAIIB. |
| Date of Appointment | 14.07.2023 |
| Brief Profile | Shri Ashok Narain retired as Chief General Manager, Department of Supervision, Reserve Bank of India in 2022 after 33 years of service including about 18 years in supervisory regulatory domain. He led several on-site examination of banks and also shaped the development of off-site supervision of commercial banks and urban cooperative banks.<br>He was entrusted to implement Enterprise wise Risk Management for the RBI and he also guided the development of ERM architecture for the Central Bank Sri Lanka. He was nominated by RBI in various national and international working groups, as well as a member in the board of private sector commercial bank. He represented the RBI as a member of international Operational Risk Working Group (IORWG) 2014-16 the G20-OECD Task Force on Financial Consumer Protection (2017 and 2018) and as co-lead of Non-Banking Financial Institutions team (for credit institutions) of the Non-Banking Monitoring Expert Group of Financial Stability Board Basel during 2019-22.<br>He is empanelled by the International Monetary Fund as a Financial Sector Specialist since 2022. |

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri Ashok Narain** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

**मद सं. 6:**

**बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री राजीव मिश्रा की नियुक्ति।**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, श्री राजीव मिश्रा की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यक होती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ए) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री राजीव मिश्रा को 01 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

श्री राजीव मिश्रा का संक्षिप्त परिचय:

| | |
|---|---|
| नाम | श्री राजीव मिश्रा |
| उम्र | 52 साल |
| शैक्षणिक योग्यता | बी.ई, एम.बी.ए, सीएआईआईबी, भारतीय बीमा संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोशिएट |
| नियुक्ति की तिथि | 01.03.2024 |
| संक्षिप्त परिचय | श्री राजीव मिश्रा ने 01 मार्च, 2024 को बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह बीबीबी और आईआईएम-बैंगलोर के साथ वरिष्ठ पीएसबी प्रबंधन के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम का हिस्सा थे।<br>श्री मिश्रा के पास डिजिटल, एनालिटिक्स और आईटी, रिटेल और एमएसएमई क्रेडिट और रिकवरी में 24 साल का गहरा और विविध अनुभव है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए डिजिटल यात्रा परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें उनके प्रमुख मोबाइल ऐप व्योम का शुभारंभ भी शामिल है।<br>श्री मिश्रा ने विभिन्न क्षेत्रों और कार्यक्षेत्रों में कई नेतृत्व वाले पदों पर काम किया है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण इकाइयों अर्थात मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और वाराणसी के आंचलिक प्रमुख और क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में सफल कारोबारीक कार्यनिष्पादन का नेतृत्व किया। उन्होंने डिजिटल, आईटी और एनालिटिक्स, रिकवरी और देयता-क्षेत्रों का भी नेतृत्व किया है। श्री मिश्रा ने काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी, यूपी सरकार द्वारा स्थापित यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट लिमिटेड, सिडबी एवं पीएसबी और यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड के बोर्डों में भी काम किया है। |

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक का विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, सूचीबद्ध संस्थाओं बोर्डों की समितियों के निदेशकों, सदस्यता/अध्यक्षताओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

**श्री राजीव मिश्रा** या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या इससे संबन्धित नहीं माना जा सकता है।

**Item No.6 :**

**Appointment of Shri Rajiv Mishra as Executive Director of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Rajiv Mishra.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri Rajiv Mishra as Executive Director on the Board of the Bank, w.e.f from March 01, 2024 to February 28, 2027, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri Rajiv Mishra:

| | |
|---|---|
| Name | Shri Rajiv Mishra |
| Age | 52 years |
| Educational Qualification | B.E, M.B.A, CAIIB, Certified Associate of the Insurance Institute of India |
| Date of Appointment | 01.03.2024 |
| Brief Profile | Shri. Rajiv Mishra joined Bank of India as an Executive Director on March 01, 2024. He was part of the Leadership Development Program for Senior PSB Management with BBB and IIM-Bangalore.<br>Shri. Mishra has 24 years of deep and diverse experience across Digital, Analytics & IT, Retail and MSME Credit and Recovery. He spearheaded the digital journey transformation for Union Bank of India, including the launch of their flagship mobile app VYOM.<br>Shri. Mishra has occupied multiple leadership positions across field and verticals. He led the successful business performance of Union Bank of India's largest and critical units viz., Mumbai, Lucknow, Kolkata and Varanasi as Zonal Head and Regional Head. He has also headed Digital, IT & Analytics, Recovery and Liabilities. Shri. Mishra has also served on the boards of Kashi Gomti Samyut Gramin Bank, Varanasi, UP Industrial Consultant Ltd, established by Govt. of UP, SIDBI & PSBs and UBI Services Ltd. |

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Other than **Shri Rajiv Mishra** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

**मद सं.7:**

**श्री एम. आर. कुमार की बैंक के गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति।**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के अनुसरण में, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाए। तदनुसार, श्री एम.आर.कुमार की नियुक्ति के लिए एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यक होती है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (एच) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2024 से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में श्री एम.आर.कुमार को नियुक्त किया है।

श्री एम. आर. कुमार का संक्षिप्त परिचय:

| | |
|---|---|
| नाम | श्री एम आर कुमार |
| आयु | 61 वर्ष |
| शैक्षणिक योग्यता | मद्रास विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक |
| नियुक्ति की तिथि | 01.03.2024 |
| संक्षिप्त परिचय | श्री कुमार ने मार्च 2019 से मार्च 2023 तक भारत के एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वह 1983 में एक सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम में शामिल हुए। साढ़े तीन दशकों से अधिक के कैरियर में, उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम के तीन क्षेत्रों, अर्थात् दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर मध्य क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र, क्रमश: चेन्नई, कानपुर और दिल्ली में मुख्यालय का नेतृत्व करने का अनूठा अवसर मिला है।<br><br>कार्यपालक निदेशक के रूप में, उन्होंने कार्मिक विभाग के साथ-साथ एलआईसी के पेंशन और समूह बीमा संविभागों का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल के दौरान, कर्मचारियों के लाभ के लिए कई पहल किए गए। इसके अलावा, जीवन बीमा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं जैसे प्रशासन, विपणन, समूह और सामाजिक प्रतिभूतियों में काम करने से उन्हें जीवन बीमा उद्योग में प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं पर समृद्ध ज्ञान और स्पष्टता के दोहरे लाभ मिले हैं।<br><br>एलआईसी के अध्यक्ष होने के अलावा, वह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी म्यूचुअल फंड एएमसी लिमिटेड, एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी सिंगापुर पीटीई, एलआईसी लंका लिमिटेड, एलआईसी (अंतर्राष्ट्रीय) बीएससी, बहरीन, एलआईसी नेपाल लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष भी थे। आईडीबीआई बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में, वे आईडीबीआई बैंक को घाटे में चल रही इकाई से लाभ वाली इकाई में बदलने की कार्यनीति बनाने में शामिल थे।<br><br>उन्होंने केनइंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, केन्या और एसीसी लिमिटेड, भारत के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी पद संभाला। |

**Item No.7:**

**Appointment of Shri M.R Kumar as Non-Official Director as well as Non-Executive Chairman of the Bank.**

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, public sector company shall ensure that the approval of shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri M.R. Kumar.

In exercise of powers conferred by the proviso to clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government has appointed Shri M.R. Kumar as part-time Non-Official Director as well as Non- Executive Chairman on the Board of the Bank, w.e.f from February 21, 2024 for a term of three years, or until further orders, whichever is earlier.

Brief profile of Shri M. R. Kumar:

| | |
|---|---|
| Name | Shri M R Kumar |
| Age | 61 years |
| Educational Qualification | Science graduate from University of Madras. |
| Date of Appointment | 01.03.2024 |
| Brief Profile | Shri Kumar has served as Chairman, LIC of India from March 2019 to March 2023. He joined LIC of India in 1983 as a Direct Recruit Officer. In a career spanning more than three and a half decades, he has had the unique privilege of heading three Zones of LIC of India, viz. Southern Zone, North Central Zone and Northern Zone, head quartered at Chennai, Kanpur and Delhi, respectively.<br><br>As an Executive Director, he headed the Personnel Department as well as the Pension and Group Insurance vertical of the Corporation. During his tenure, several initiatives were rolled out for the benefit of the employees. Moreover, working in different streams of life insurance management viz., administrative, marketing, group and social securities, has given him the twin advantages of enriched knowledge and clarity on processes and procedures in the life insurance industry.<br><br>In addition to being Chairman of LIC, he was also the Non-Executive Chairman of LIC Housing Finance Ltd., LIC Pension Fund Ltd, LIC Mutual Fund AMC Ltd., LIC Cards Services Ltd., IDBI Bank, LIC Singapore Pte. Ltd., LIC Lanka Ltd., LIC (International) BSC, Bahrain, LIC Nepal. Ltd. As Non-executive Chairman of IDBI Bank, he was involved in strategizing the turnaround of IDBI Bank from a loss making entity to profitable one.<br><br>He also held position as Director on the Board of Kenindia Assurance Co. Ltd, Kenya and ACC Ltd., India. |

| | |
|---|---|
| | वह राष्ट्रीय बीमा अकादमी के शासी बोर्ड के अध्यक्ष, भारतीय बीमा संस्थान के अध्यक्ष और बीमा लोकपाल परिषद के अध्यक्ष भी थे।<br>वर्तमान में, वह अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक हैं (01.04.2024 से प्रभावी) चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक (01.05.2024 से) हैं। |

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पारिश्रमिक का विवरण, वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या, सूचीबद्ध संस्थाओं बोर्डों की समितियों के निदेशकों, सदस्यता/अध्यक्षताओं का विवरण वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

आपके निदेशक नोटिस की मद संख्या 8 में यथा निर्धारित **विशेष संकल्प** पारित करने की सिफारिश करते हैं।

**श्री एम.आर. कुमार** या उनके रिश्तेदारों के अलावा, बैंक के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों को बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या इससे संबंधित नहीं माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से,

स्थानः मुंबई
तिथिः 28 मई, 2024

**रजनीश कर्नाटक**
**प्रबंध निदेशक और सीईओ**

| | |
|---|---|
| | He was also Chairman of the Governing Board of National Insurance Academy, President of Insurance Institute of India and Chairman of Council of Insurance Ombudsman.<br>Currently, he is Director on the Board of Ambuja Cements Ltd., Aurobindo Pharma Ltd. (w.e.f 01.04.2024) and Non-executive Independent Director in Cholamandalam Investment and Finance Company Limited (w.e.f. 01.05.2024). |

Details of remuneration, number of Board Meetings attended during the year 2023-24, details of Directorships, Memberships / Chairmanships of Committees of Listed Entities Boards as on 31.03.2024 are available in Corporate Governance Report in the Annual Report 2023-24.

Your Directors recommend passing of the **Special Resolution** as set out in Item no.8 of the Notice.

Other than **Shri M.R. Kumar** or his relatives, none of the Directors of the Bank, Key Managerial Personnel and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

**By Order of Board of Directors,**

Date: 28.05.2024
Place: Mumbai

**(Rajneesh Karnatak)**
**Managing Director & CEO**

## हरित पहल - शेयरधारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस / वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचनाएं प्राप्त करने के लिए

डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : अपने डीमैट खाते के लिए एक ईमेल आईडी पंजीकृत करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे : इस संसूचना के छिद्रित भाग को भरकर और हस्ताक्षर करके अपनी सहमति हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को उनके निम्न पते पर भेजें :

**बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.**
**यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,**
ऑफिस नं.एस6-2, 6ठी मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क,
अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड,
अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.
ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com
टोल फ्री नंबर: 1800 309 4001

## GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to: Register an email ID to their Demat A/c.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

**Bigshare Services Pvt. Ltd.**
**Unit : Bank of India,**
Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,
Andheri East, Mumbai 400093.
E-mail ID: investor@bigshareonline.com
Toll Free No: 1800 309 4001

---

## बैंक ऑफ इंडिया की हरित पहल

दिनांक :

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.
यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया,
ऑफिस नं.एस6-2, 6वीं मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क,
अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई 400093.
ई मेल आईडी: investor@bigshareonline.com

महोदय

मैं/हम ________________ भौतिक रूप में बैंक ऑफ इंडिया के ________________ शेयर रखते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट शासन के तहत हरित पहल के एक भाग के रूप में, यहां नीचे दी गई हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया से सभी संसूचनाएं प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

फोलियो नंबर : ________________________

ई मेल आईडी : ________________________ @

मोबाइल नं. : ________________________

मैं/ हम यह भी वचन देते हैं कि मेरे ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त सूचना को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की उचित, कानूनी और पर्याप्त डिलीवरी के रूप में माना जाएगा।मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि हम बैंक ऑफ इंडिया, उसके किसी भी कर्मचारी, रजिस्ट्रार या उसके कर्मचारियों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, यदि किसी तकनीकी/अन्य विफलताओं के कारण मेरे/हमारे ईमेल आईडी पर सूचना ठीक से प्राप्त नहीं होती है।

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

________________________________

## GREEN INITIATIVE OF BANK OF INDIA

Date :

Bigshare Services Pvt. Ltd.
Unit : Bank of India,
Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,
Andheri East, Mumbai 400093.
E-mail ID: investor@bigshareonline.com

Dear Sir,

I/We ________________ holding ________________ shares of Bank of India in physical form, intend to receive all communication from Bank of India through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of India.

Folio Number: ________________________

Email ID : ____________________________@

Mobile No. : ________________________

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of India. I/We further undertake that we would not hold Bank of India, any of its employees, Registrar or its employees, responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

Signature of the First/Sole Shareholder

________________________________

# बैंक ऑफ़ इंडिया

## इक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए अधिदेश

## (इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से)

| क्र.सं. | विवरण | शेयरधारक द्वारा जानकारी |
|---|---|---|
| 1 | पहले शेयरधारक का नाम (in Block letters) | |
| 2 | पता | |
| 3 | शेयरधारक का फोलियो नंबर (भौतिक रूप में शेयरधारण के लिए)<br>डीपी आईडी/ क्लायंट आईडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण के लिए) | |
| 4 | बैंक खाते का विवरण | |
| | क. बैंक का नाम | |
| | ख. शाखा का नाम , शहर एवं पिन कोड | |
| | ग. खाता सं.<br>(जैसा चेक बुक में उल्लिखित है ) | |
| | घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें)<br>(एसबी/चालू खाता या नकद ऋण खाता) | एसबी ☐ सीडी ☐ नकद ऋण ☐ |
| | ङ आईएफएससी कोड | |
| | च. बैंक शाखा की डिजिट कोड सं. बैंक द्वारा जारी किए गए माईकर चेक पर उल्लिखित | ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ |

कोड संख्याओं की सटीकता को सत्यापित करने के लिए अपने उपरोक्त खाते से संबंधित अपने बैंक द्वारा जारी किए गए चेक लीफ / रिक्त रद्द चेक की एक फोटोकॉपी और पहचान-प्रमाण के रूप में अपने पैनकार्ड की एक स्व-सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करें

### घोषणा

मैं, एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त ब्यौरे सही और पूर्ण हैं। यदि अधूरी जानकारी के कारणों से संव्यवहार में देरी होती है या संव्यवहार नहीं होती है, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा।

स्थान :

दिनांक:

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

**नोट:**

1. **यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाता है :** कृपया फॉर्म को पूरा करें, हस्ताक्षर करें और आवश्यक अपडेशन के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।
2. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे जाते हैं: कृपया फॉर्म भरें, हस्ताक्षर करें और रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट (RTA) के पते पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेल करें, अर्थात **बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : बैंक ऑफ़ इंडिया, ऑफिस नं.एस6-2, 6ठी मंजिल, पिनैकल बिज़नस पार्क, अहूरा सेन्टर के पास, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093**. या बैंक ऑफ इंडिया, निवेशक संबंध विभाग, 8वीं मंजिल, प्रधान कार्यालय, सी -5, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051

# BANK OF INDIA

## Mandate for payment of Dividend on Equity Shares

## (Through Electronic Mode)

| Sl No | Particulars | Information by Shareholder |
|---|---|---|
| 1 | First Shareholder's Name (in Block letters) | |
| 2 | Address | |
| 3 | Shareholder's Folio number (for holding in physical form)<br>DP ID / Client ID number (for holding in electronic form) | |
| 4 | Particulars of Bank Account<br>a. Bank Name<br>b. Branch Name & City Pin Code<br>c. Account No. (as appearing on the Cheque book)<br>d. Account Type (Please tick) (SB Account / Current A/c or Cash Credit A/c)<br>e. IFSC Code<br>f. 9 digit Code No. of the Bank Branch appearing on the MICR Cheque issued by the Bank | SB ☐ CD ☐ Cash Credit ☐ |

Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity along with a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers

**DECLARATION**

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not affected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of India responsible.

Place:

Date:

Signature of the First Holder

**Note:**

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e **Bigshare Services Pvt. Ltd., Office No.S6-2, 6" Floor, Pinnacle Businesss Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093**.OR at Bank of India, Investor Relations Department. 8th Floor, Head Office, C-5, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

**नोट NOTE:**

## हमारा दृष्टिकोण

"जिम्मेदार और प्रासंगिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करके हमारे हितधारकों और राष्ट्र की प्रगति में एक विश्वसनीय भागीदार बनना"।

## Our Vision

"To be a trusted partner in progress of our stakeholders and nation by providing financial services that are responsible and relevant."

## हमारा लक्ष्य

"एक ऐसा बैंक बनाना जो सुरक्षा, सुदृढ़ता और ग्राहकों को केंद्रबिंदु मानकर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए बेहतर और नवोन्मेषी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है"।

## Our Mission

"To transform into a Bank that provides superior and innovative banking services by leveraging technology, founded on the principles of safety, soundness and with customer as fulcrum"

## हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और संरक्षकों को, उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

## Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons

### महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट www.bankofindia.co.in का अवलोकन करें।

बैंक को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक Headoffice.Share@bankofindia.co.in पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते है।

शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई-मेल के जरिए शीघ्र नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई-मेल आई डी headoffice.share@bankofindia.co.in पर सूचित करें।

### IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website www.bankofindia.co.in to get the soft copy of Annual Report 2023-24.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual report may order for it by sending email to Headoffice.Share@bankofindia.co.in

Shareholders are requested to register their E-mail ID with the Bank at Headoffice.Share@bankofindia.co.in for quick/ early receipt of Notice, information, communication through E-mail.

BOI

BOI mobile
Omni Neo Bank

Fund Transfer 24x7 including Bill Payment

Open an SB account online

Open Term Deposit

Open PPF, NPS and Sukanya Samriddhi account

Apply for Overdraft against FD

Invest in Mutual fund

Invest in Gold Bond

Invest in IPO

Purchase Life and Health Insurance

for Android

Download the
BOI Mobile Omni Neo Bank App

for IOS

Bank of India
Relationship beyond banking

BANK OF INDIA STAR HOUSE
C - 5, "G" Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Ph: 022-66684444 | Email : cgro.boi@bankofindia.co.in
Toll Free No.: 1800 220 229 / 1800 103 1906 | Visit : www.bankofindia.co.in | Follow us on